



वार्षिक विवरण 2018-19

वाणिज्य विभाग



विषय सूची

सिंहावलोकन	2
संगठनात्मक ढाँचा तथा कार्य.....	7
वैश्विक आर्थिक स्थिति तथा भारत का विदेशी क्षेत्र.....	30
भारत के विदेश व्यापार की प्रवृत्तियाँ.....	37
विदेश व्यापार नीति और आयात-निर्यात व्यापार	96
निर्यात संवर्धन तंत्र	121
वाणिज्यिक संबंध, व्यापार करार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन	158
विशेष आर्थिक तंत्र तथा निर्यात उन्मुख यूनिटें.....	233
विशिष्ट एजेंसियाँ	248
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं एवं विकलांगों के लिए संचालित किये गये कार्यक्रम	344
पारदर्शिता, सार्वजनिक सुगमता और संबद्ध गतिविधियाँ	370

सिंहावलोकन

वैश्विक आर्थिक आउटलुक

- वैश्विक आर्थिक आउटलुक, अप्रैल 2019 के अनुसार 2018 में 3.6 प्रतिशत की दर से वैश्विक उत्पाद में वृद्धि हुई तथा वर्ष 2019 और 2020 में 3.3 प्रतिशत और 3.6 प्रतिशत की दर से वैश्विक उत्पाद में वृद्धि होने का अनुमान है।
- बढ़ते व्यापार तनावों से व्यवसाय जगत का आत्मविश्वास डिगा है जिसकी वजह से वित्तीय परिवेश की स्थिति बदतर हुई है और 2018 के बसंत में कमजोर उभरते बाजारों के लिए वित्तीय स्थितियां सख्त हुई हैं और फिर इसके बाद उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वैश्विक मांग पर असर पड़ा है।
- यूरो क्षेत्र, यूनाइटेड किंगडम, उभरते बाजार तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास के अनुमानों को कमतर किया गया है।
- हाल ही में अमेरिका द्वारा घोषित व्यापार के उपायों से चीन तथा अनेक एशियाई अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं जिसके कारण यह अनुमान व्यक्त किया

गया है कि 2019 में उनकी विकास दर भी कमजोर रहेगी।

वैश्विक व्यापार मंदी

- विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनुसार, बढ़ते व्यापार तनावों तथा आर्थिक अनिश्चितता में वृद्धि के कारण 2018 में अपेक्षा से धीमी गति से विकास के बाद 2019 और 2020 में विश्व व्यापार प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना जारी रखेगा। डब्ल्यूटीओ के अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि मात्रा की दृष्टि से वस्तु व्यापार में 2019 में 2018 में 3 प्रतिशत से 2.6 प्रतिशत की कमी आएगी। इसके बाद व्यापार में 2020 में 3 प्रतिशत का उछाल आ सकता है; तथापि यह व्यापार तनावों में कमी आने पर निर्भर है।
- वर्ष 2018 के लिए वर्तमान रैंकिंग के अनुसार, भारत विश्व में वस्तु व्यापार का 19वां सबसे बड़ा निर्यातक (1.7 प्रतिशत के शेयर के साथ) और 10वां सबसे आयातक (2.6 प्रतिशत के शेयर के साथ) है। विश्व में वस्तु व्यापार की दृष्टि से चीन सबसे बड़ा निर्यातक और संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) सबसे बड़ा आयातक है। वाणिज्यिक सेवाओं के मामले में भारत आठवां सबसे बड़ा निर्यातक (3.5 प्रतिशत के शेयर के साथ) और 10वां सबसे बड़ा आयातक

(3.2 प्रतिशत के शेयर के साथ) है। यूएसए विश्व में वाणिज्यिक सेवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक और सबसे बड़ा आयातक है।

भारत का व्यापार

- वैश्विक मंदी के आलोक में भारी गिरावट के बाद पिछले तीन वित्त वर्षों में दीर्घकालिक वृद्धि के माध्यम से वर्ष 2018-19 (अनंतिम) के लिए पण निर्यात 330.07 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गया जो अब तक का सर्वाधिक निर्यात है तथा 2013-14 में 314.4 बिलियन के अब तक के सर्वाधिक निर्यात के आंकड़े को पार गया। यह चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश में हासिल किया गया है।
- निम्नलिखित विकास चालकों ने पण निर्यात में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है :
 - इंजीनियरिंग माल के निर्यात का मूल्य 6.36 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2017-18 में 78,695.69 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2018-19 में 83,704.54 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है।
 - पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात का मूल्य 28 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2017-18 में 37,465.10 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2018-19 में 47,954.54 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है।
 - जैविक एवं अजैविक रसायनों के निर्यात का मूल्य 21.97 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2017-18 में 18,508.48 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2018-19 में 22,573.87 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है।
 - ड्रग एवं फार्मास्यूटिकल्स के निर्यात का मूल्य 11.03 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2017-18 में 17,282.81 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2018-19 में 19,188.46 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है।
 - काटन यार्न / फैब्रिक / मेडअप, हैंडलूम उत्पाद आदि के निर्यात का मूल्य 9.22 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2017-18 में 10,260.38 मिलियन अमरीकी डालर से

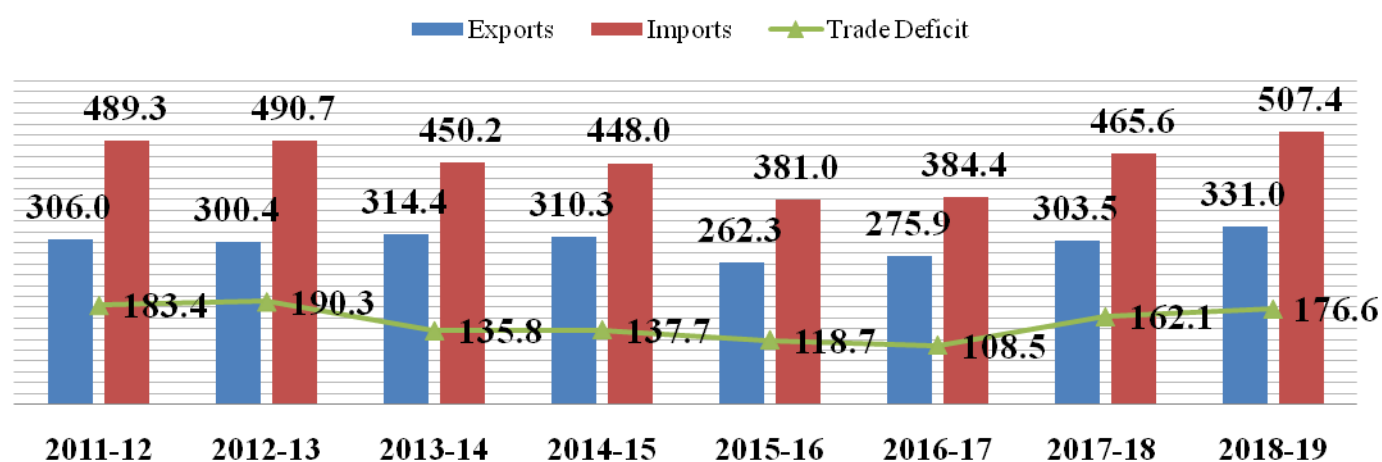
बढ़कर 2018-19 में 11,206.44 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है।

- इलेक्ट्रॉनिक माल के निर्यात का मूल्य 38.91 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2017-18 में 6,393.12 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2018-19 में 8,880.96 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है।
- प्लास्टिक एवं लिनोलियम के निर्यात का मूल्य 25.66 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2017-18 में 6,851.12 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2018-19 में 8,609.08 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है।

प्रमुख पहलें

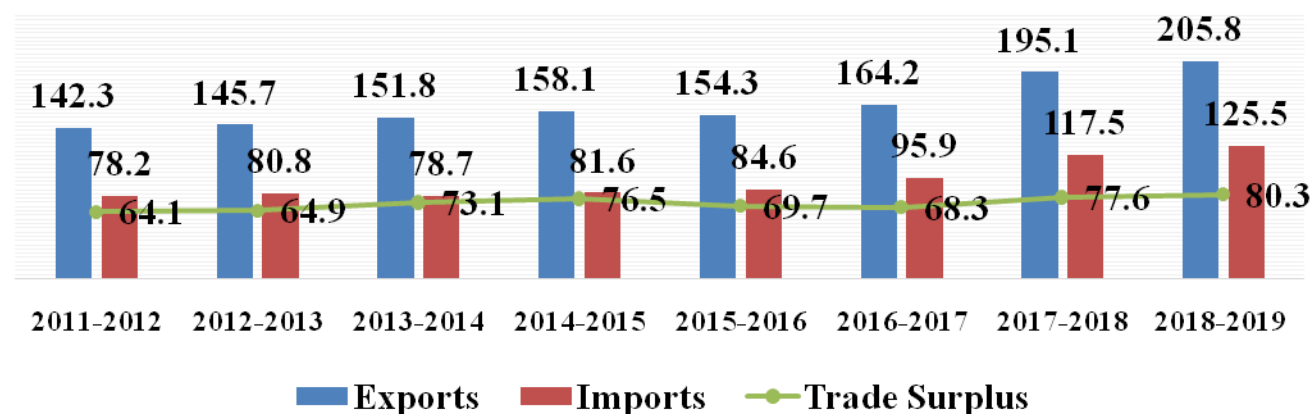
- धीमी आर्थिक एवं व्यापार वृद्धि तथा बढ़ते संरक्षणवाद के रूप में परिलक्षित चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बावजूद भारत का कुल निर्यात (संयुक्त रूप से वस्तु एवं सेवा निर्यात) 2016-17 से पिछले तीन वर्षों से दीर्घकालिक आधार पर बढ़ रहा है तथा पहली बार 2018-19 में आधा ट्रिलियन अमरीकी डालर (500 बिलियन) के आंकड़े को पार कर गया है। इस साल समग्र अनुमानित निर्यात (वस्तु एवं सेवा) ने 7.47 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 535.9 बिलियन अमरीकी डालर की एक नई ऊंचाई को छू लिया है।
- यह विभिन्न हितधारकों के साथ निकटता से काम करने वाली सरकार के समवेत प्रयासों, सरलीकरण के माध्यम से लेनदेन की लागतों में कटौती के लिए उठाए गए कदमों, निर्यात / आयात के अनुमोदन की प्रक्रियाओं को सरल एवं डिजिटल बनाने, विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के आईटी समर्थित आनलाइन कार्यान्वयन, जीएसटी के रिफंड से संबंधित मुद्दों के समय से समाधान, लाजिस्टिक्स में सुधार, सस्ती दरों पर निर्यात क्रेडिट तक पहुंच और लक्षित प्रोत्साहनों के माध्यम से प्रतिस्पर्धी क्षमता में वृद्धि आदि के माध्यम से हासिल हुआ है।

India's Merchandise Trade (US \$ Billion)



स्रोत : डीजीसीआईएंडएस

India's Services Trade (US \$ Billion)



स्रोत : आरबीआई

वाणिज्य विभाग की कुछ अन्य प्रमुख पहलें :

- विदेश व्यापार नीति 2015-20 की दिसंबर 2017 में अधिसूचित मध्यावधि समीक्षा ने एमएसएमई तथा श्रम सघन उद्योगों द्वारा निर्यात को प्रोत्साहित करने पर बल दिया। विदेश व्यापार नीति को जीएसटी व्यवस्था के अनुरूप बनाया गया।

- मंत्रिमंडल ने एमएसएमई सेक्टर से निर्यात को मदद पहुंचाने के लिए ब्याज समानीकरण स्कीम में संशोधन को मंजूरी प्रदान की। ब्याज समानीकरण की मौजूदा 3 प्रतिशत दर को अब एमएसएमई सेक्टर के लिए बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। यह स्कीम कम दर पर ऋण प्राप्त करने में विनिर्माता निर्यातकों की मदद करती है।
- लाजिस्टिक्स सेक्टर के एकीकृत

विकास के लिए कार्य योजना का विकास करने तथा कार्य योजना के कार्यान्वयन का समन्वय करने के लिए वाणिज्य विभाग में लाजिस्टिक्स प्रभाग का गठन किया गया। यह प्रभाग राष्ट्रीय एकीकृत लाजिस्टिक्स नीति तथा कार्य योजना तैयार करेगा और सभी हितधारकों को जोड़ने के लिए एकल खिड़की आनलाइन बाजार स्थल के रूप में राष्ट्रीय लाजिस्टिक्स पोर्टल का भी विकास करेगा। लाजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक (एलपीआई) में भारत की रैंकिंग में सुधार और निर्यात को बढ़ावा देने तथा विकास दर बढ़ाने पर भी बल दिया जाएगा।

- निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) नामक एक नई स्कीम शुरू की गई जिसने अभिभावी निर्यात लिंकेज के साथ अवसंरचना परियोजनाओं, बार्डर हाट, लैंड कस्टम स्टेशन, गुणवत्ता जांच एवं प्रमाणन लैब, कोल्ड चेन आदि की स्थापना एवं उन्नयन के लिए तुलन सहायता प्रदान की।
- भारत ने अप्रैल 2016 में विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सुगमता करार (टीएफए) पर अपनी सहमति व्यक्त की है। व्यापार की अड़चनों को और कम करने के लिए विशिष्ट गतिविधियों से युक्त कार्य योजना तैयार की गई है। श्रेणी 'क' के तहत प्रतिबद्धताएं पूरी की गई हैं।
- वस्तु एवं सेवा दोनों निर्यात में वृद्धि की मौजूदा रुझान को बनाए रखने और बढ़ाने के उद्देश्य से सुगमता एवं प्रोत्साहन के लिए लागू किए जा रहे उपायों के अलावा, अड़चनों को दूर करने तथा निर्यात के अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्ट कार्यबिंदुओं को अंतिम रूप देने के लिए निर्यातकों, निर्यात संवर्धन परिषदों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों के साथ व्यापक परामर्श की प्रक्रिया शुरू की गई है। ऐसे कार्यबिंदुओं को उच्च प्राथमिकता दी गई है जिनसे इस राजकोषीय वर्ष के अंदर

अगले तीन चार महीनों में निर्यात में तत्काल वृद्धि होगी। प्रत्येक वस्तु समूह में मात्रात्मक दृष्टि से प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जानी है।

- इस प्रक्रिया के अंग के रूप में, यूएस और चीन द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए टैरिफ से उत्पन्न अवसरों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। दोनों बाजारों के लिए विस्तृत टैरिफ लाइनवार विश्लेषण किया गया है और इन उत्पादों के बड़े निर्यातकों / ईपीसी तथा संबंधित मंत्रालयों के साथ साझा किया गया है और उनके साथ नियमित समीक्षा की जा रही है। प्रासंगिक क्षेत्रों में हमारे विदेश स्थित मिशनो के माध्यम से सुगमता तथा व्यवसाय एवं अंतर्मंत्रालयी शिफ्टमंडलों की दौरों की व्यवस्था की गई है। इन बाजारों (विशेष रूप से चीन) में बाजार पहुंच प्राप्त करने के लिए भी उपाय किए गए हैं जहां इस समय भारत के लिए ऐसी पहुंच उपलब्ध नहीं है। चीन को सोयाबीन / सफेद सरसों, चीनी, फार्मास्युटिकल, अंगूर, दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद, गोमांस, अनार, कॉर्न, बाजरा तथा ज्वार के निर्यात के संबंध में भी पहले की गई हैं।
- **सेवा क्षेत्र :**
 - सेवा क्षेत्र भारत के जीडीपी (50 प्रतिशत से अधिक), एफडीआई अंतःप्रवाह (लगभग 50 प्रतिशत), निर्यात और नौकरी सृजन में काफी योगदान करता है।
 - सेवा व्यापार का सरप्लस भारत के वस्तु व्यापार के 50 प्रतिशत से अधिक घाटे का वित्त पोषण कर रहा है। धनप्रेषण सहित सेवा व्यापार का सरप्लस भारत के वस्तु व्यापार के लगभग 110 प्रतिशत घाटे का वित्त पोषण करता है। तेल की कीमतों में फिर से उछाल आने तथा भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था से मांग

में वृद्धि होने के कारण वस्तु व्यापार घाटे के भविष्य में कम होने की उम्मीद नहीं है। इस प्रकार सेवा व्यापार के सरप्लस को बढ़ाना आवश्यक है।

- भारत के भुगतान संतुलन को बनाए रखने में सेवा निर्यात की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए सरकार चिह्नित चैंपियन सेवा क्षेत्रों के संवर्धन पर ध्यान देगी जिसके लिए पहले से ही 5000 करोड़ रुपये की समर्पित निधि रखी गई है।

○ विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)

- निवेश आकर्षित करने, नौकरियों का सृजन करने तथा निर्यात को बढ़ावा देने में विशेष आर्थिक क्षेत्रों ने प्रमुख भूमिका निभाई है।
- जीएसटी कानूनों के अनुरूप बनाने तथा कारोबार करने की सरलता बढ़ाने के लिए अधिसूचना संख्या जीएसआर 909 (ई) दिनांक 19 सितंबर 2018 और 7 मार्च 2019 के माध्यम से एसईजेड नियमावली 2006 में संशोधन जारी किए गए हैं। इसके अलावा एसईजेड स्कीम की संपोषणीयता बनाए रखने के लिए जीएसटी पश्चात काल में

एसईजेड विकासकों / यूनिटों के लिए माल एवं सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी की दर शून्य कर दी गई है।

- सरकार ने भारत की एसईजेड नीति का अध्ययन करने के लिए मैसर्स भारत फोर्ज के अध्यक्ष श्री बाबा कल्याणी की अध्यक्षता में एक समूह का गठन किया था। अग्रेतर विचार विमर्श के लिए इस समूह की सिफारिशों को वित्त मंत्रालय के साथ उठाया गया है। समूह की प्रमुख सिफारिशों में सरकार की एमएसएमई स्कीमों के साथ लिंकेज के माध्यम से एसईजेड में एमएसएमई निवेश को बढ़ावा देना, एकीकृत औद्योगिक एवं शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए विकास आयोजना एवं विनियमन, क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में वैकल्पिक क्षेत्रों को निवेश करने की अनुमति प्रदान करना, अतिरिक्त इनेबलर एवं प्रक्रियागत छूटें तथा वित्त तक पहुंच में सुधार तथा दीर्घावधिक ऋण प्राप्त करने के लिए अवसंरचना का दर्जा प्रदान करना आदि शामिल हैं।

संगठनात्मक ढांचा तथा कार्य



संगठनात्मक ढांचा तथा कार्य

विजन एवं मिशन

वाणिज्य विभाग का दीर्घकालिक विजन भारत को विश्व व्यापार में एक मुख्य भागीदार बनाना और भारत के बढ़ते हुए महत्व के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों में अग्रणी भूमिका निभाना है। जो नीतिगत साधन अपनाए जा रहे हैं वे इस प्रकार हैं : मध्यम अवधि में लक्षित वस्तु एवं देश पर केंद्रित रणनीति तथा दीर्घ अवधि में विदेश व्यापार नीति।

कार्य

वाणिज्य विभाग विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), जो अपनाई जाने वाली बुनियादी रूपरेखा तथा रणनीति प्रदान करती है, तैयार करता है, कार्यान्वित करता है और इसकी निगरानी करता है। घरेलू एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था में उभरते आर्थिक परिदृश्यों का ध्यान रखने के लिए आवश्यक परिवर्तनों को शामिल करने हेतु व्यापार नीति की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, विभाग को बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, राज्य व्यापार, निर्यात संवर्धन एवं व्यापार सुगमता तथा कतिपय निर्यात उन्मुख उद्योगों एवं वस्तुओं के विकास एवं विनियमन से संबंधित जिम्मेदारी भी सौंपी जाती है।

सचिव इस विभाग के मुखिया हैं जिनकी सहायता एक विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, एक विशेष सचिव, छः अपर सचिवों / अपर सचिव स्तर के अधिकारियों, 13 संयुक्त सचिवों तथा संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों एवं अनेक अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाती है।

कार्य की दृष्टि से विभाग को निम्नलिखित 10 प्रभागों में बांटा गया है :

1. अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति प्रभाग
2. विदेश व्यापार क्षेत्र प्रभाग
3. निर्यात उत्पाद प्रभाग
4. निर्यात उद्योग प्रभाग
5. निर्यात सेवा प्रभाग
6. आर्थिक प्रभाग
7. प्रशासन एवं सामान्य सेवा प्रभाग
8. वित्त प्रभाग
9. आपूर्ति प्रभाग
10. लॉजिस्टिक्स प्रभाग

विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विभिन्न कार्यालयों / संगठनों का ब्यौरा इस प्रकार है :

- (क) दो संबद्ध कार्यालय
- (ख) दस अधीनस्थ कार्यालय
- (ग) दस स्वायत्त निकाय
- (घ) पांच सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
- (ङ.) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत गठित विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) (जेम)
- (च) 14 निर्यात संवर्धन परिषदें
- (छ) एक सलाहकार बोर्ड और
- (ज) छः अन्य संगठन

पत्राचार के लिए पता सहित इन कार्यालयों / संगठनों की पूर्ण सूची अनुबंध 1 में दी गई है।

विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यालयों / संगठनों के विस्तृत संगठनात्मक ढांचे तथा प्रमुख भूमिकाओं एवं कार्यों पर यहां नीचे चर्चा की गई है :

(क) संबद्ध कार्यालय

- (i) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी)

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है तथा विदेश व्यापार महानिदेशक इसके अध्यक्ष हैं। 1991 में जब इसकी शुरुआत हुई है, जब सरकार की आर्थिक नीतियों में उदारीकरण शुरू हुआ, तब से यह संगठन विदेश व्यापार को विनियमित करने एवं बढ़ावा देने के काम में अनिवार्य रूप से लगा हुआ है। उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण तथा निर्यात बढ़ाने के समग्र उद्देश्य को ध्यान में रखकर तब से विदेश व्यापार महानिदेशालय को 'सुविधा प्रदाता' की भूमिका सौंपी गई है। देश के हितों को ध्यान में रखकर आयात / निर्यात के नियंत्रण / निषेध के स्थान पर निर्यात / आयात के संवर्धन एवं सुगमता पर बल दिया गया।

संगठनात्मक ढांचा

नई दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ इस निदेशालय के मुखिया विदेश व्यापार महानिदेशक हैं। यह विदेश व्यापार नीति तैयार करने में सरकार की मदद करता है और भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य के साथ विदेश व्यापार नीति के तहत स्कीमों एवं विदेश व्यापार नीति के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा यह विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 तथा इसके तहत अधिसूचित नियमों एवं विनियमों के कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है। डीजीएफटी निर्यातकों को अनुज्ञप्ति भी जारी करता है तथा 35 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा इंदौर में एक विस्तार काउंटर के नेटवर्क के माध्यम से उनकी तदनुरूपी बाध्यताओं की निगरानी करता है। क्षेत्रीय कार्यालय निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं :

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय
1	अहमदाबाद	19	मुंबई
2	बंगलौर	20	नागपुर
3	भोपाल	21	नई दिल्ली (सीएलए)
4	चंडीगढ़	22	पानीपत
5	चेन्नई	23	पटना
6	कोयम्बटूर	24	पुणे
7	कटक	25	रायपुर
8	देहरादून	26	राजकोट
9	गुवाहाटी	27	शिलांग
10	हैदराबाद	28	श्रीनगर
11	जयपुर	29	सूरत
12	जम्मू	30	तिरुवनंतपुरम
13	कानपुर	31	वाराणसी
14	एर्नाकुलम (कोचीन)	32	विशाखापत्तनम
15	कोलकाता	33	वडोदरा
16	लुधियाना	34	विजयवाड़ा
17	मदुरई	35	बेलगावी
18	मुरादाबाद		

विदेश व्यापार नीति एवं एफटीडीआर अधिनियम, 1992 के कार्यान्वयन के अलावा, क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय

व्यापार के घटनाक्रमों अर्थात् डब्ल्यू टी ओ करार, उत्पत्ति नियमावली तथा पाटनरोधी मुद्दों आदि पर निर्यातकों को

सहायता एवं सूचना प्रदान करते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गतिशील परिवेश में निर्यात एवं आयात संबंधी उनके निर्णयों में उन्हें मदद मिल सके।

यह स्वीकार करते हुए कि राज्य सरकारें निर्यात के संवर्धन में प्रमुख हितधारक हैं, वाणिज्य विभाग अब निर्यात के संवर्धन के लिए राज्य सरकारों के साथ सक्रियता से काम कर रहा है। वाणिज्य विभाग ने राज्य सरकारों को निर्यात संवर्धन पर बल देने के लिए मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में राज्य निर्यात संवर्धन समिति का गठन करने की सलाह दी है जिसमें डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकारी संयोजक होंगे। राज्य निर्यात संवर्धन समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए वाणिज्य विभाग से अपर सचिव / संयुक्त सचिव की रैंक के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अनेक राज्यों ने राज्य निर्यात संवर्धन समितियों का गठन किया है। यह समिति निर्यात संवर्धन परिषदों तथा एफआईईओ के परामर्श से राज्य निर्यात संवर्धन रणनीतियों के निर्माण एवं कार्यान्वयन की निगरानी कर रही है।

राज्य निर्यात नीति / रणनीति के निर्माण / कार्यान्वयन में सहायता के लिए तथा राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में वाणिज्य विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकारों से संपर्क स्थापित करने के लिए डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकारियों को अधिक भूमिका एवं जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

(ii) व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर)

व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) (पहले इसका नाम पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय था) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का

संबद्ध कार्यालय है। पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) जिसका गठन 1997 में हुआ था, को मई 2018 में एकक खिड़की रूपरेखा के तहत व्यापार उपचार के सभी कार्यों अर्थात् पाटनरोधी शुल्क (एडीडी), प्रतिकार शुल्क (सीवीडी), सुरक्षोपाय शुल्क (एसजीडी), सुरक्षा के उपायों (क्यूआर) को शामिल करके पुनर्गठित किया है तथा डीजीएडी से नाम बदलकर डीजीटीआर किया गया है। डीजीएडी, वाणिज्य विभाग, सुरक्षोपाय महानिदेशालय, राजस्व विभाग और डीजीएफटी के सुरक्षा (क्यूआर) के कार्यों का विलय करके डीजीटीआर का गठन किया गया है। डीजीटीआर विभिन्न सेवाओं एवं विशेषज्ञताओं से चुने गए अधिकारियों से उत्पन्न बहु-आयामी कौशल सेट के साथ व्यावसायिक दृष्टि से एकीकृत संगठन है।

यह पाटनरोधी, प्रतिकार शुल्क तथा सुरक्षा के उपायों सहित व्यापार उपचार के सभी उपायों के प्रशासन के लिए एकल राष्ट्रीय प्राधिकरण है। डीजीटीआर डब्ल्यूटीओ व्यवस्था, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम एवं नियमावली तथा अन्य संगत कानूनों एवं अंतर्राष्ट्रीय करारों की प्रासंगिक रूपरेखा के तहत पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से व्यापार निदान की विधियों का प्रयोग करके व्यापार की अनुचित प्रथाओं जैसे कि निर्यातक देशों से डंपिंग तथा करणीय सब्सिडी के प्रतिकूल प्रभाव के विरुद्ध घरेलू उद्योग को समान अवसर प्रदान करता है। यह हमारे घरेलू उद्योग एवं निर्यातकों के विरुद्ध अन्य देशों द्वारा शुरू किए गए व्यापार निदान के अन्वेषणों के मामलों से निपटने में उनको व्यापार रक्षा सहायता भी प्रदान करता है।

(ख) अधीनस्थ कार्यालय

(i) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस)

(ii) कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, एमईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, एसईईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशाखापट्टनम विशेष आर्थिक क्षेत्र और नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के विकास आयुक्तों के कार्यालय

विशेष आर्थिक क्षेत्र नामक स्कीम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं - अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि का सृजन, माल एवं सेवाओं के निर्यात का संवर्धन, घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से निवेश का संवर्धन, रोजगार के अवसरों का सृजन तथा आधारभूत सुविधाओं का विकास। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम / नियमावली के अनुसार जब तक विशिष्ट रूप से छूट न दी गई हो, भारत के सभी कानून विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर लागू होते हैं। प्रत्येक विशेष आर्थिक क्षेत्र का अध्यक्ष एक विकास आयुक्त होता है तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, 2006 के अनुसार इसे अभिशासित किया जाता है। विनिर्माण, व्यापार या सेवा की गतिविधियों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिटें स्थापित की जा सकती हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र की यूनिटों को निबल विदेशी मुद्रा अर्जक होना होता है परंतु वे पहले से निर्धारित किसी मूल्य अभिवृद्धि (रतन एवं आभूषण यूनिटों को छोड़कर) या न्यूनतम निर्यात तरजीह जैसी अपेक्षाओं के अधीन नहीं होते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र की यूनिटों से घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री को निर्यात की जाने वाली वस्तु के रूप

में माना जाता है तथा वे लागू सीमा शुल्क के भुगतान के अधीन होते हैं।

(iii) वेतन एवं लेखा कार्यालय (पूर्ति)

डीजीएसएंडडी सहित आपूर्ति प्रभाग के भुगतान एवं लेखांकन का कार्य इसके नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई स्थित क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालयों के माध्यम से विभागीय लेखांकन पद्धति के तहत मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय (पूर्ति प्रभाग) द्वारा किया जाता है। 31 अक्टूबर 2017 से पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय को बंद करने के बारे में मंत्रिमंडल के निर्णय के फलस्वरूप सीसीए (पूर्ति) का कार्यालय बंद कर दिया गया है तथा अब नई दिल्ली एवं कोलकाता में मामूली स्टाफ तथा 02 पीएओ के साथ सीसीए (वाणिज्य) द्वारा अवशिष्ट कार्य संभाला जा रहा है। आरपीएओ (पूर्ति), मुंबई तथा आरपीएओ (पूर्ति), चेन्नई का कार्य क्रमशः आरपीएओ (वाणिज्य), मुंबई तथा आरपीएओ (वाणिज्य), चेन्नई द्वारा अधिग्रहीत कर लिया गया है।

(iv) वेतन एवं लेखा कार्यालय (वाणिज्य एवं वस्त्र)

- वाणिज्य विभाग एवं कपड़ा मंत्रालय का वेतन एवं लेखा कार्यालय दिल्ली में चार, चेन्नई, मुंबई एवं कोलकाता में दो - दो विभागीय वेतन एवं लेखा कार्यालयों के माध्यम से दावों के भुगतान, लेनदेन के लेखांकन, लेखाओं के समेकन तथा अन्य संबद्ध मामलों जैसे कि डीडीओ की सहायता से पेंशन को अंतिम रूप देना एवं भुगतान करना तथा जीपीएफ के अंतिम मामलों का भुगतान, ऋण एवं अग्रिम, सहायता अनुदान का

भुगतान, जीपीएफ / सीपीएफ, एनपीएस, एलएससी एवं पीसी आदि के अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। सीसीए कार्यालय पीएफएमएस (ईएटी / डीबीटी) के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए विभिन्न संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करता है।

- नई दिल्ली स्थित प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा इन विभागीय वेतन एवं लेखा कार्यालयों का नियंत्रण किया जाता है तथा मुख्य लेखा नियंत्रक विभाग के लेखा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। सीसीए व्यय की बजटिंग, निगरानी एवं नियंत्रण में, वित्तीय प्रबंध प्रणाली से संबंधित मामलों में व्यावसायिक विशेषज्ञता प्रदान करने, एफआरबीएम अधिनियम के तहत अपेक्षा के अनुसार प्रकटन विवरण, वार्षिक वित्त लेखा, कर से भिन्न राजस्व प्राप्तियों का अनुमान एवं प्रवाह आदि तैयार करने में वित्तीय सलाहकार को सभी सहायता प्रदान करता है। निर्धारित प्रक्रिया के कार्यान्वयन एवं लेखांकन का अध्ययन करने के लिए सीसीए के नियंत्रण में एक आंतरिक लेखा नियंत्रण प्रकोष्ठ है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वे सही एवं पर्याप्त हों। पीएफएमएस का पेंशन एवं जीपीएफ मॉड्यूल मंत्रालय में क्रियाशील हो गया है।

(ग) स्वायत्त निकाय

- (i) कॉफी बोर्ड
- (ii) रबर बोर्ड
- (iii) चाय बोर्ड
- (iv) तंबाकू बोर्ड
- (v) मसाला बोर्ड

(vi) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)

(vii) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए पी ई डी ए)

(viii) भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी)

(ix) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी)

(x) भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी)

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू)

(i) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसी)

(ii) एमएमटीसी लिमिटेड

(iii) पीईसी लिमिटेड

(iv) ईसीजीसी लिमिटेड (पूर्व में एकसपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड)

भारत से निर्यात को बढ़ावा देने एवं सहायता प्रदान करने के लिए 'न लाभ न हानि' आधार पर निर्यातकों और बैंकों को अल्प अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि के आधार पर निर्यात क्रेडिट बीमा सेवा प्रदान करने के लिए कंपनी अधिनियम 1953 के तहत 1957 में मुंबई में ईसीजीसी लिमिटेड का गठन किया गया जो भारत सरकार की अग्रणी निर्यात क्रेडिट एजेंसी (ईसीए) है। यह वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) है।

ईसीजीसी लिमिटेड का उद्देश्य निर्यात क्रेडिट बीमा तथा व्यापार संबद्ध सेवाएं प्रदान करने में उत्कृष्टता हासिल करना है। ईसीजीसी लिमिटेड का मिशन उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग के

माध्यम से भारतीय निर्यात बाजार की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागत प्रभावी बीमा एवं व्यापार संबद्ध सेवाएं प्रदान करके भारतीय निर्यात उद्योग की सहायता करना है।

ईसीजीसी लिमिटेड की सेवाएं बैंक वित्त तक पहुंच, सूचना तक पहुंच तथा विदेशी क्रेताओं / देशों से बकाया ऋणों की वसूली में सहायता को संभव बनाती हैं।

ईसीजीसी की पूंजी संबंधी आवश्यकता में वृद्धि के लिए आर्थिक कार्य संबंधी

मंत्रिमंडल समिति ने 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान 2000 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश के लिए मंजूरी प्रदान की। तदनुसार अफ्रीका, सीआईएस तथा लैटिन अमेरिका के देशों जैसे नए, उभरते एवं चुनौतीपूर्ण बाजारों का उपयोग करने के लिए भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से एमएसएमई की सहायता के लिए ईसीजीसी को 2017-18 में 50 करोड़ रुपये और 2018-19 के दौरान 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ईसीजीसी का निष्पादन :

क्रम संख्या	निष्पादन पैरामीटर	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2018-19
1.	बीमा कवर की कुल संख्या	34,740	31,751
2.	कुल अधिकतम देयता	96,101 करोड़ रुपये	97,871 करोड़ रुपये
3.	शामिल किया गया कुल व्यवसाय (जोखिम मूल्य)	6,41,449 करोड़ रुपये	6,57,549 करोड़ रुपये
4.	कुल प्रीमियम आय	1,240 करोड़ रुपये	1,240 करोड़ रुपये

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए)

भारत से परियोजना निर्यात जो सामरिक एवं राष्ट्रीय महत्व के हैं, को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने 2006 में एनईआईए न्यास का गठन किया। 66 करोड़ रुपये के शुरुआती कारपस के साथ न्यास का गठन किया गया। अधिक परियोजना निर्यात की सहायता के लिए आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने अधिक बजटीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया तथा 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान 1040 करोड़ रुपये प्रदान करने के लिए सहमति व्यक्त की गई। तदनुसार एनईआईए न्यास को सहायता अनुदान कारपस के रूप में 2017-18 के दौरान 440 करोड़ रुपये और 2018-19 के दौरान 300 करोड़ रुपये जारी किए गए। पिछले कुछ

वर्षों में भारत सरकार से प्राप्त अंशदान से कारपस 31 मार्च 2019 तक की स्थिति के अनुसार बढ़कर 3469.99 करोड़ रुपये हो गया है।

परियोजना निर्यात के लिए अपने कवर के माध्यम से एनईआईए भारतीय परियोजना निर्यातकों को अधिक प्रतियोगी बनने तथा सामरिक दृष्टि से राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में मजबूत पकड़ प्राप्त करने में मदद करता है जिससे विदेश में परियोजनाओं के निष्पादन में भारत की क्षमता पर स्पष्ट प्रभाव को बनाए रखना संभव होता है।

एनईआईए ने अब तक 41 देशों में 44,629.22 करोड़ रुपये मूल्य की 128 परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की है।

(च) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ)

(ड.) गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस - कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत सृजित विशेष प्रयोज्य वाहन (जेम-एसपीवी)

(च) निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी)

इस समय वाणिज्य विभाग के अधीन 14 निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी) हैं, जिनका वर्णन नीचे किया गया है। निर्यात संवर्धन परिषदें कंपनी अधिनियम / सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत लाभ न कमाने वाले संगठन के रूप में पंजीकृत हैं तथा सलाहकार एवं कार्यपालक दोनों की भूमिकाएं निभाती हैं। इन परिषदों की भूमिकाओं एवं कार्यों का मार्गदर्शन विदेश व्यापार नीति 2015-20 द्वारा होता है जो उनको निर्यातकों के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में मान्यता प्रदान करती है।

(i) भारतीय तिलहन एवं उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी)

भारतीय तिलहन तथा उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी) का अधिदेश तिलहन, तेल और खली के निर्यात का विकास एवं संवर्धन करना है। भारतीय तिलहन तथा उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद, जो पहले आईओपीईए के नाम से विख्यात था, पिछले 6 दशक से अधिक समय से निर्यातकों की आवश्यकताएं पूरी कर रही है। निर्यात पर ध्यान केन्द्रित करने के अलावा परिषद भारत में तिलहनों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसानों, शेलर, प्रोसेसर, सर्वेयर एवं निर्यातकों को प्रोत्साहित करके घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने की

दिशा में भी काम कर रही है। परिषद का अध्यक्ष इसका मुखिया है।

परिषद तिलहनों, खाद्य तेलों, खली तथा अपने क्षेत्राधिकार के अधीन अन्य उत्पादों पर अधिक जोर देती है। परिषद भारत में पैदा होने वाले तिलहनों की गुणवत्ता एवं उत्पादन में सुधार लाने की दिशा में काम करती है ताकि वैश्विक बाजारों की आवश्यकताओं से तालमेल स्थापित किया जा सके।

परिषद भारतीय किसानों में अच्छी कृषि प्रथाओं (जीएपी) को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यशालाएं भी आयोजित करती है तथा एच ए सी सी पी एवं अच्छी विनिर्माण प्रथाएं (जीएमपी) अपनाने के लिए प्रसंस्करण यूनिटों के लिए प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करती है। परिषद ने आयात करने वाले देशों के गुणवत्ता संबंधी मानकों का पालन करने के लिए मूंगफली के निर्यात के उद्देश्य से जीएमपी के विभिन्न पहलुओं पर एक शिक्षापरक फिल्म का विकास किया है। परिषद ने जीएपी पर भी एक फिल्म का विकास किया है ताकि मूंगफली की पैदावार और गुणवत्ता में सुधार हो सके।

आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने तथा व्यापार एवं उद्योग के हितधारकों जैसे कि निर्यातकों, प्रोसेसर, व्यापारियों, दलालों तथा तिलहन एवं तेल क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं में गुणवत्ता के मुद्दों के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए भारत के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

निर्यात संवर्धन के उपाय (2018-19)

(क) क्षेत्रीय बैठक : भारत से तिल एवं मूंगफली के निर्यात के विकास एवं संवर्धन के उद्देश्य से यूरोपीय संघ के देशों तथा यूरोपीय संघ से भिन्न देशों को तिल के

निर्यात, मूँगफली के निर्यात, गुणवत्ता के मुद्दों, व्यापार के मुद्दों, अच्छी विनिर्माण प्रथाओं (जीएमपी), अच्छी कृषि प्रथाओं (जीएपी), पादप संगरोध से जुड़े मुद्दों, कीटनाशकों के मुद्दे तथा जीएसटी के बारे में निर्यातकों, प्रोसेसरर्स, व्यापारियों तथा

दलालों जैसे विभिन्न हितधारकों को अवगत कराने के उद्देश्य से ग्वालियर, उंझा, राजकोट, आगरा और अहमदाबाद में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यशालाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्रम संख्या	स्थान	राज्य	कार्यशाला की तिथि
1	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	27 अगस्त, 2017
2	उंझा	गुजरात	23 दिसंबर, 2017
3	राजकोट	गुजरात	06 जनवरी, 2018
4	आगरा	उत्तर प्रदेश	28 जनवरी, 2018
5	अहमदाबाद	गुजरात	26 मई, 2018

अच्छी कृषि प्रथाओं (जीएपी) के तहत 'तिल की खेती की प्रथाओं में सुधार' पर कच्छ (गुजरात) में 23 जून 2018 को किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया।

महाबलीपुरम, तमिलनाडु में वार्षिक व्यापार बैठक : 26 से 28 अक्टूबर 2018 के दौरान महाबलीपुरम, तमिलनाडु में आईओपीईपीसी की वार्षिक व्यापार बैठक हुई जिसमें उद्योग एवं व्यापार जगत से 250 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। वार्षिक व्यापार बैठक ने व्यापार, उद्योग के सदस्यों, विनियामकों, वैज्ञानिकों तथा सरकारी संस्थाओं के बीच नेटवर्किंग के लिए मंच प्रदान करने के अलावा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने, समाधान करने तथा संस्थानीकृत मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों को उत्कृष्ट मंच प्रदान किया। परिषद ने अपने सोवनियर 2018 का भी विमोचन किया जिसमें सदस्यों के बारे में विस्तृत सूचनाएं हैं जो सभी हितधारकों के लिए रेडी रेकनर के रूप में काम करती है जिससे व्यवसाय के नए अवसर उत्पन्न होते हैं। भारत, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया, यूके से तिलहन व्यापार एवं उद्योग के विशेषज्ञों ने

बाजारों, उत्पादन, मांग एवं आपूर्ति तथा तिल एवं मूँगफली के मूल्य की भविष्यवाणी पर समग्र विचार प्रस्तुत किया।

''पारिवारिक व्यवसाय - उत्तरजीविता तथा अगली पीढ़ी के लिए सुझाव'' तथा ''निर्यात क्रेडिट जोखिम प्रबंधन'' पर प्रख्यात भारतीय विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं। आईओपीईपीसी के अधिकारियों / कर्मचारियों ने भी भारतीय तिल परिदृश्य के साथ वैश्विक एवं भारतीय मूँगफली परिदृश्य पर बहुत सूचनापरक विचार प्रस्तुत किया।

यूरोपीय संघ को तिल के निर्यात के लिए प्रक्रिया का कार्यान्वयन : भारत सरकार ने तिल के विकास एवं संवर्धन की जिम्मेदारी परिषद को सौंपी है। आईओपीईपीसी वैश्विक बाजारों में अच्छे तिलहन एवं तेल के संगत आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की छवि को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत से आयातित तिल की गुणवत्ता के संबंध में यूरोपीय संघ के सरोकारों के जवाब में आईओपीईपीसी को तिल के निर्यात की प्रक्रिया स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तदनुसार आईओपीईपीसी मालगोदामों एवं प्रसंस्करण यूनिटों को

मान्यता प्रदान करता है जो यूरोपीय संघ को तिल का निर्यात करते हैं। परिषद यूरोपीय संघ को तिल के निर्यात के लिए निर्यात प्रमाण पत्र तथा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी जारी करती है।

खेत के स्तर पर एफलाटॉक्सिन तथा कीटनाशक संबद्ध मुद्दों का निराकरण

: आयात करने वाले देश अन्य देशों द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले कृषि उत्पादों में एफलाटॉक्सिन (मूंगफली के मामले में), अवशिष्ट कीटनाशकों तथा अन्य रासायनिक एवं सूक्ष्म जैविक संदूषकों के बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं। एफलाटॉक्सिन को नियंत्रित करने तथा सुरक्षित एवं अनुमत कीटनाशकों का प्रयोग करने के लिए किसानों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से परिषद विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करती है (जैसे कि कार्यशलाएं, पंफलेट का वितरण) ताकि स्वयं खेत के स्तर पर समस्या न्यूनतम हो सके।

पूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करना : पूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने तथा व्यापार एवं उद्योग के हितधारकों जैसे कि निर्यातकों, प्रोसेसरों, व्यापारियों, दलालों तथा तिलहन एवं तेल क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं में गुणवत्ता के मुद्दों के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए भारत के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

परिषद के प्रमुख कार्यों में से कुछ का सारांश नीचे दिया गया है।

मेला एवं प्रदर्शनी :

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी की व्यवस्था करना, जिसमें से अधिकांश वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार की बाजार विकास सहायता (एमडीए) स्कीम के लिए पात्र हैं।

- विभिन्न बाजारों में निर्यात की संभावना के संबंध में आगंतुकों को शिक्षित करने के लिए घरेलू मेलों में भाग लेना।
- भारत में तथा विदेशी बाजारों में भी अनन्य क्रेता - विक्रेता बैठकों (बीएसएम) का आयोजन करके संभावित क्रेताओं के साथ संपर्क स्थापित करना।
- विदेशी बाजारों में अवसरों की तलाश करने के लिए अपने सदस्यों के शिष्टमंडल के विदेशी दौरों की व्यवस्था करना।

सरकार तथा अन्य एजेंसियों के साथ संपर्क :

- अतीत में संघ के रूप में तथा निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) के रूप में, आईओपीईपीसी भारतीय तिलहन (मूंगफली सहित) के निर्यातकों, विदेशी क्रेताओं, भारत सरकार, भारत में तिलहन एवं खाद्य तेल की अनुसंधान एवं विकास एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों तथा वैश्विक स्तर पर अनेक अन्य आधिकारिक निकायों एवं प्राधिकरणों के लिए सामान्य फोरम के रूप में काम करती है।
- परिषद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यातकों की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से विभिन्न देशों में भारतीय दूतावासों, व्यापार निकायों तथा संघों के साथ नियमित रूप से संचार करती है। परिषद भारत से अबाध निर्यात सुनिश्चित करने के लिए भारतीय प्राधिकरणों जैसे कि सीमा शुल्क, बैंक, डीजीएफटी, कृषि मंत्रालय, पादप एवं संघरोध प्राधिकरण के साथ मुद्दों को उठाती भी है।

वैश्विक बाजारों में हितों की रक्षा करना :

- व्यापार विकृति के उपायों जैसे कि पाटनरोधी शुल्क, सुरक्षोपाय शुल्क का प्रतिवाद करके गंतव्य बाजारों में कारोबारी हितों की रक्षा की जाती है तथा परिषद भारतीय निर्यात को प्रभावित करने वाली गैर टैरिफ बाधाओं को दूर करने की दिशा में काम करती है।
- बहुपक्षीय स्तरों पर जैसे कि डब्ल्यू टी ओ, अंकटाड आदि ने परामर्श के दौरान परिषद भारत के तिलहनों तथा डेरिवेटिव उत्पादों के हितों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को इनपुट प्रदान करती है।
- परिषद निर्यातकों की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से विभिन्न देशों में भारतीय दूतावासों, व्यापार निकायों तथा संघों के साथ नियमित रूप से संचार करती है।

व्यापार बैठकों, सर्वेक्षणों एवं अध्ययनों का संचालन करना :

- अग्रिम में आपूर्ति एवं मांग की स्थिति का आकलन करने के लिए फसल सर्वेक्षण संचालित करना ताकि निर्यात की कारगर रणनीति तैयार की जा सके।
- बाजार सर्वेक्षणों का संचालन करना तथा विभिन्न क्लस्टर अध्ययनों, अनुसंधान रिपोर्टों एवं पत्रिकाओं के माध्यम से बाजार आसूचना प्रदान करना।
- तिलहन एवं तेल क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक, तकनीकी एवं मितव्ययी अनुसंधान को प्रोत्साहित करना एवं सहायता प्रदान करना।

प्रभावी विवाद निस्तारण तंत्र प्रदान करना : परिषद बहुत कम लागत पर जल्दी से न्याय दिलाने और इस प्रकार एक उत्कृष्ट विवाद समाधान /

निस्तारण तंत्र प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ के रूप में भी काम करती है।

प्रशिक्षण एवं उत्पादकता :

- इस क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों के तकनीकी कौशलों का उन्नयन करके उत्पादकता बढ़ाने के लिए परिषद पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है।
- कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए आधारभूत सुविधाओं तथा गुणवत्ता का उन्नयन
- प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता सुधार, मानक एवं विनिर्देशन, प्रमाणन जैसे कि एचएससीपी के क्षेत्रों में सदस्यों को पेशेवर सलाह एवं सेवाओं की पेशकश करना

सूचना का प्रसार :

- ई-मेल तथा मासिक समाचार बुलेटिन के माध्यम से सरकारी अधिसूचना / सार्वजनिक नोटिस / आदेश, सांख्यिकी, वैश्विक कार्यक्रमों, सरकारी योजनाओं, व्यापार से संबंधित पूछताछ तथा तिलहन एवं तेल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण लेखों का परिचालन।
- परिषद एक वार्षिक स्मारिका का भी प्रकाशन करती है जिसमें संक्षिप्त व्यापार सूचना तथा सदस्यों के संपर्क ब्यौरे प्रदान किए जाते हैं।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों एवं सम्मेलनों में भागीदारी : व्यापार मेला :

गल्फूड 2019 : गल्फूड खाद्य सेवा एवं अतिथि सत्कार क्षेत्र के लिए मध्य पूर्व की अग्रणी समर्पित प्रदर्शनी है। यह कार्यक्रम उद्योग के आपूर्तिकर्ताओं को इस

क्षेत्र का सबसे बड़ा केन्द्रीय व्यवसाय केन्द्र प्रदान करता है जहां वे अपने बेमिसाल उत्पादों एवं सेवाओं को प्रदर्शित करते हैं तथा गंभीर अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं से सीधे मुलाकात करने का अवसर प्राप्त करते हैं। यह मध्य पूर्व, अफ्रीका तथा दक्षिण एशिया के बाजारों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक खाद्य एवं अतिथि सत्कार कार्यक्रम है। परिषद ने 17 से 21 फरवरी 2019 के दौरान गल्फूड 2019 में अपने 4 सदस्य निर्यातकों की सफल भागीदार

ज्

महत्वपूर्ण तिलहन हैं। 2018-19 के दौरान लगभग 47 प्रतिशत शेयर के साथ तिलहन के कुल निर्यात में मूंगफली के निर्यात का शेयर सबसे अधिक था, जबकि मात्रा की दृष्टि से तिलहन के कुल निर्यात में तिल का शेयर लगभग 30 प्रतिशत था।

पिछले वर्ष में 5,04,038 टन के निर्यात की तुलना में वित्त वर्ष अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के दौरान भारत से 4,88,233 टन मूंगफली का निर्यात किया गया जो 3.14 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है। मूल्य की दृष्टि से भी वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 3386.30 करोड़ रुपए के निर्यात की तुलना में 3295.54 करोड़ रुपए की मूंगफली का निर्यात किया गया जो 2.68 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है।

भारत से मूंगफली के निर्यात के लिए इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और थाईलैंड प्रमुख बाजार हैं जिनका भारत से मूंगफली के कुल निर्यात में शेयर 70 प्रतिशत के आसपास है। मात्रा की दृष्टि से 2017-18 के दौरान 2,18,788 टन की तुलना में 2018-19 के दौरान इंडोनेशिया को 2,03,095 टन मूंगफली का निर्यात किया गया, जबकि फिलीपींस को पिछले वर्ष के दौरान 44,180 टन की तुलना में 47064 टन का निर्यात किया गया जो लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। पिछले वर्ष के दौरान 50781 टन की तुलना में 2018-19 के दौरान वियतनाम को 38225 टन का निर्यात किया गया, जबकि मलेशिया को 2017-18 के दौरान 34567 टन के निर्यात की तुलना में 29967 टन का निर्यात किया गया। थाईलैंड और अल्जीरिया को 25440 टन तथा 25534 टन का निर्यात किया गया जो पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः

135 प्रतिशत एवं 162 प्रतिशत अधिक है। 2017-18 के दौरान 14769 टन की तुलना में 2018-19 के दौरान यूरोपीय संघ को भारतीय मूंगफली का निर्यात बढ़कर 15481 टन हो गया।

पिछले वर्ष में 336850 टन की तुलना में वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान भारत से 311987 टन तिल का निर्यात किया गया जो 7.38 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है। तथापि, मूल्य की दृष्टि से वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 2990.93 करोड़ रुपए की तुलना में 3761.93 करोड़ रुपए मूल्य के तिल का निर्यात किया गया जो 25.75 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। अफ्रीका के कई देशों तथा बंगलादेश को चीन जो एकल सबसे बड़ा आयातक है, को निर्यात के लिए भारत की तुलना में 9 प्रतिशत आयात शुल्क लाभ मिल रहा है।

मात्रा की दृष्टि से 14.54 प्रतिशत शेयर के साथ भारतीय तिल के लिए वियतनाम शीर्ष गंतव्य है जिसके बाद 10.28 प्रतिशत शेयर के साथ कोरिया का स्थान है। वर्ष 2018-19 के दौरान यूएसए का शेयर 6.24 प्रतिशत और ताइवान का शेयर 5.27 प्रतिशत था।

2017-18 के दौरान 72939 टन की तुलना में 2018-19 के दौरान यूरोपीय संघ को 68713 टन भारतीय तिल का निर्यात किया गया।

(ग) वनस्पति तेल का निर्यात

वनस्पति तेल के निर्यात में अरंडी के तेल का दबदबा रहा तथा वर्ष 2018-19 के दौरान लगभग 673726 टन का निर्यात किया गया जिसका मूल्य 6806.41 करोड़ रुपए था जबकि पिछले वर्ष के दौरान 7,41,850 टन का निर्यात किया गया जिसका मूल्य 7236.31 करोड़

रुपए था। तिलहन और तेल के निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

तिलहनों के निर्यात का ब्यौरा

(मात्रा हजार टन में तथा मूल्य करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	तिलहन	2018-19		2017-18		2016-17	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	तिल	311.99	3761.93	336.85	2990.93	307.33	2695.84
2	मूंगफली	488.23	3295.54	504.04	3386.30	725.71	5444.33
3	सरसों / राई	23.59*	111.13*	17.29	76.40	14.48	68.25
4	नाइजर के बीज	13.37	95.50	9.21	69.86	14.07	117.22
5	कुसुम बीज	4.05*	18.58*	6.73	27.78	8.12	29.53
6	सूर्यमुखी बीज	2.23*	11.14*	5.61	22.61	2.66	11.15
7	सोयाबीन	186.25*	762.85*	275.35	1004.83	183.3	758.86
8	तीसी	10.70*	67.26*	10.04	64.53	5.92	48.8
9	कपास बीज	0.21*	10.08*	0.23	5.58	0.06	2.74
कुल		1040.62	8134.01	1165.35	7648.82	1261.65	9176.72
स्रोत : डीजीसीआईएस / एमओसी (अप्रैल - मार्च) * अप्रैल - फरवरी							

वनस्पति तेल के निर्यात का ब्यौरा

(मात्रा टन में तथा मूल्य करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	मदें	2018-19		2017-18		2016-17	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	मूंगफली का तेल	16984.25*	141.23*	12171.24	104.41	11169.38	120.38
2	तिल का तेल	9228.64*	165.53*	9452.22	140.22	9661.00	125.99
3	सूर्यमुखी एवं कुसुम का तेल	4093.96*	35.76*	3573.7	29.75	2807.12	27.17
4	सरसों एवं राई का तेल	3614.69*	47.17*	3354.57	44.51	2508.31	34.07
5	अलसी का तेल	255.38*	4.43*	249.76	4.47	281.47	4.89
6	अरंडी का तेल	619355.76	6169.94	697092.50	6730.00	599195.56	4521.51
7	पीनट बटर	12200.00	167.00	11664.00	146.25	8775.00	100.00
8	कॉटन ऑयल	938.92*	13.63*	507.15	6.51	1636.70	17.44
9	सोया तेल	7054.66*	61.72*	3785.13	30.19	419.95	4.60
	कुल	673726.26	6806.41	741850.27	7236.31	636454.49	4956.05
स्रोत : एमओसी / ट्रेड (अप्रैल - मार्च) * अप्रैल - फरवरी							

पता

भारतीय तिलहन तथा उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीसीआई), 78/79, बजाज भवन, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021, महाराष्ट्र

(ii) भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसीआई)

भारत से काजू कर्नेल, काजू की गिरी, शेल लिक्विड तथा संबद्ध उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से काजू प्रसंस्करण उद्योग के सक्रिय सहयोग से वर्ष 1955 में भारत सरकार द्वारा भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसीआई) की स्थापना की गई। अस्तित्व में आने के बाद से ही परिषद विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए आवश्यक संस्थानिक रूपरेखा प्रदान कर रही है जो काजू कर्नेल, काजू की गिरी, शेल लिक्विड तथा संबद्ध उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित एवं घनीभूत करते हैं।

परिषद विस्तृत अध्ययन करती है और काजू के संभावित बाजारों से संबंधित व्यापार सूचना तथा अन्य ब्यौरे एकत्र करती है और उनको निर्यातकों को उपलब्ध कराती है। यह विभिन्न पक्षों से प्राप्त व्यापारिक पूछताछ का भी जवाब देती है तथा उनको अपने सदस्यों को अंतरित करती है। काजू एवं काजू उत्पादों पर वैश्विक व्यापार सूचना को नियमित आधार पर अपडेट किया जाता है।

परिषद के कार्यों में व्यापार शिष्टमंडलों के आयोजन / प्रायोजन, बाजार अध्ययन, ब्रांड संवर्धन कार्यक्रम, क्रेता - विक्रेता बैठक के माध्यम से निर्यात संवर्धन, विदेश में व्यापार मेलों में भाग लेना, बाजार सूचना प्रदान करना तथा निर्यात बढ़ाने के प्रयासों में हमारे काजू निर्यातकों को अन्य सभी सहायता प्रदान करना शामिल है। परिषद कच्ची गिरी

का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए काजू एवं कोको विकास निदेशालय के साथ निरंतर संपर्क में भी रहती है। परिषद प्रक्रिया उन्नयन / आधुनिकीकरण आदि के लिए निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के लिए नए उत्पादों के विकास के लिए नई परियोजनाओं में भी शामिल होती है।

परिषद विदेशों में विभिन्न बाजारों का मौके पर अध्ययन करने के लिए समय-समय पर व्यापार प्रतिनिधियों एवं अध्ययन टीमों को प्रायोजित करती है। ये टीमों वापस आने पर विजिट किए गए बाजारों, उसकी संभावना तथा रुझानों पर अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करती हैं जो संदर्भ सामग्री के रूप में काम करती है तथा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए आधार भी प्रदान करती है। इन टीमों / प्रतिनिधियों द्वारा बाजार के संबंध में एकत्र की गई सूचना व्यापार / उद्योग को प्रदान की जाती है।

परिषद सीधे तथा भारत सरकार के व्यापार संवर्धन सदस्यों के माध्यम से भी विदेशों में आयोजित विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय फूड फेयर एवं प्रदर्शनी तथा सामान्य मेलों में भाग लेती है। चूंकि परिषद पूरे उद्योग का प्रतिनिधित्व करती है, यह सदस्यों से प्राप्त उत्पादों को प्रदर्शित करने की व्यवस्था करती है। जो पूछताछ प्राप्त होते हैं उन्हें सदस्यों को परिचालित किया जाता है ताकि वे कारोबारी वार्ता के लिए विदेशी पक्षकारों से संपर्क कर सकें।

उपर्युक्त के अलावा परिषद ने कैश्यू बुलेटिन नामक अपनी मासिक पत्रिका का प्रकाशन जारी रखा। इसने अंतर्राष्ट्रीय

प्रदर्शनियों तथा व्यापार प्रतिनिधिमंडलों में प्रयोग के लिए विभिन्न भाषाओं में भारतीय काजू निर्यातक निर्देशिका 2017-18, ब्रोशर एवं फोल्डर का भी प्रकाशन किया है। परिषद प्रक्रिया उन्नयन / आधुनिकीकरण आदि के लिए निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के लिए नए उत्पादों के विकास के लिए नई परियोजनाओं में भी शामिल होती है।

परिषद ने भारतीय पैकेजिंग संस्थान, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं आदि जैसी प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थाओं के साथ मिलकर पैकेजिंग में सुधार, काजू के नए उत्पादों के विकास आदि के लिए अनेक शोध परियोजनाओं को प्रायोजित किया है।

कोल्लम में परिषद का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान संस्थान है जो एनएबीएल द्वारा प्रत्यापित है। आयात करने वाले देशों की आवश्यकताओं के अनुसार विश्लेषण का कार्य करने के लिए प्रयोगशाला में अधुनातन उपकरण एवं प्रौद्योगिकी उपलब्ध हैं। यह भारतीय काजू उद्योग को विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान करता है तथा देश में उत्पन्न तथा प्रोसेस किए गए काजू की गुणवत्ता की निगरानी करने में मदद करता है। इस प्रयोगशाला की सेवाएं न केवल भारत में काजू उद्योग के लिए उपलब्ध हैं अपितु भारत एवं विदेश में संपूर्ण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए भी उपलब्ध हैं। इस प्रयोगशाला को पैकेज्ड पेयजल के विश्लेषण के लिए बीआईएस द्वारा, प्रदूषकों के विश्लेषण के लिए केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई है तथा इसे अनुसंधान अध्ययन संचालित करने के लिए केन्द्र के रूप में कन्नूर विश्वविद्यालय द्वारा डाक्टोरल अनुसंधान

केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

काजू कर्नेल तथा काजू गिरी शेल लिक्विड का निर्यात निष्पादन :

2017-18 के दौरान भारत से 84352 मीट्रिक टन काजू कर्नेल का निर्यात किया गया जिसका मूल्य 5870.97 करोड़ रुपए (911 मिलियन अमरीकी डालर) था। इसमें से अमेरिकी क्षेत्र को 17.16 प्रतिशत, यूरोपीय क्षेत्र को 27.49 प्रतिशत, पश्चिम एशिया को 38 प्रतिशत, दक्षिण पूर्व एवं सुदूर पूर्व एशिया क्षेत्र को 16.21 प्रतिशत ओसियानिक क्षेत्र को 0.32 प्रतिशत तथा अफ्रीकी क्षेत्र को 0.50 प्रतिशत का निर्यात किया गया। डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता द्वारा प्रकाशित सांख्यिकी के अनुसार 2017-18 के दौरान देश के कुल निर्यात अर्जन में कृषि उत्पादों का शेयर 6.65 प्रतिशत है तथा इसमें काजू कर्नेल 6वें स्थान पर हैं जिसने 4.39 प्रतिशत का योगदान किया है। निर्यात के माध्यम से देश के कुल अर्जन में इसका शेयर 0.30 प्रतिशत है।

2017-18 के दौरान भारत से 8,325 मीट्रिक टन काजू गिरी शेल लिक्विड (सीएनएसएल) का निर्यात किया गया जिसका मूल्य 32.63 करोड़ रुपए (5 मिलियन अमरीकी डालर) था। मुख्य बाजार कोरिया गणराज्य, चीन, स्पेन, यूएसए, बेल्जियम आदि थे।

काजू की कच्ची गिरी का घरेलू उत्पादन एवं आयात

भारत काजू की कच्ची गिरी का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक बना हुआ है। 2017-18 के दौरान भारत में काजू की कच्ची गिरी का उत्पादन 8,17,045 मीट्रिक टन था। 2017-18 के दौरान काजू का उत्पादन करने वाले अन्य देशों

से काजू की कच्ची गिरी का कुल गया।
6,49,050 मीट्रिक टन आयात किया

पिछले 5 वर्षों के लिए काजू कर्नेल तथा काजू गिरी शेल लिक्विड के निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	काजू कर्नेल			काजू गिरी शेल लिक्विड			कुल (सीके + सीएनएसएल)		
	मात्रा (मीट्रिक टन में)	मूल्य (करोड़ रुपए में)	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में)	मात्रा (मीट्रिक टन में)	मूल्य (करोड़ रुपए में)	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में)	मात्रा (मीट्रिक टन में)	मूल्य (करोड़ रुपए में)	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में)
2014-15	118952	5432.85	888.59	10938	55.81	9.13	129890	5488.66	898
2015-16	96346	4952.12	756.40	11677	57.59	8.80	108023	5009.71	765
2016-17	82302	5168.78	771.00	11422	44.00	6.56	93724	5212.78	778
2017-18	84352	5870.97	910.79	8325	32.63	5.06	92677	5903.60	916
2018-19	66693	4433.99	636.61	5300	26.85	3.85	71993	4460.84	640

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

निर्यात / आयात नीति :

यद्यपि काजू की कच्ची गिरी का आयात ओजीएल के तहत बना रहा, 1 मार्च 2016 से आरसीएन के आयात पर 5 प्रतिशत का सीमा शुल्क लगाया गया और बाद में 2 फरवरी 2018 से यह शुल्क घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया। जीएसटी के तहत काजू तथा संबद्ध उत्पाद 5 प्रतिशत जीएसटी के तहत आते हैं। रोस्टेड, साल्टेड काजू कर्नेल

12 प्रतिशत जीएसटी के तहत आता है। काजू कर्नेल और सीएनएसएल के निर्यातक एफओबी मूल्य के 5 प्रतिशत की दर से एमईआईएस के लिए पात्र हैं तथा रोस्टेड एवं साल्टेड कर्नेल के निर्यातक 7 प्रतिशत एमईआईएस के लिए पात्र हैं। ड्यूटी ड्राबैक की दर एफओबी मूल्य के 0.10 प्रतिशत पर बनी रही।

सम्मेलन / प्रदर्शनियां / व्यापार शिष्टमंडल: परिषद ने वर्ष 2018-19

के दौरान निम्नलिखित प्रदर्शनियों / व्यापार मेलों में भाग लिया : -

1. थाइफेक्स, थाईलैंड (29 मई, 2018 से 02 जून, 2018)
2. वर्ल्डफूड, मॉस्को (17 सितंबर, 2018 से 20 सितंबर, 2018)
3. एसआईएएल 2018, फ्रांस (21 अक्टूबर, 2018 से 25 अक्टूबर, 2018)
4. सीएटीएफ 2018, चीन (1 नवंबर, 2018 से 5 नवंबर, 2018)
5. फूड वीक कोरिया 2018, कोरिया (28 नवंबर, 2018 से 01 दिसंबर, 2018)
6. गलफूड 2019, यूएई (17 फरवरी, 2019 से 21 फरवरी, 2019)
7. फूडेक्स 2019, जापान (05 मार्च, 2019 से 08 मार्च, 2019)

जेद्दा एवं रियाद में खाद्य और कृषि बीएसएम (19 नवंबर, 2018 से 22 नवंबर, 2018) में भी भाग लिया। सीईपीसीआई ने काजू इंडिया 2019 का भी आयोजन किया जो नई दिल्ली में 13 से 15 फरवरी 2019 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक काजू सम्मेलन था।

पता :

भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसीआई), काजू भवन, मुंडक्कल पश्चिम, कोल्लम -691001, केरल

**(छ) सलाहकार निकाय
व्यापार बोर्ड (बीओटी)**

विदेश व्यापार नीति विवरण 2015-2020 के पैरा 300 के तहत प्रदान किए गए अधिदेश के अनुसार व्यापार अधिसूचना संख्या 21 दिनांक 23 मार्च 2016 के

माध्यम से व्यापार बोर्ड (बीओटी) का पुनर्गठन किया गया है। व्यापार बोर्ड का उद्देश्य व्यापार एवं उद्योग जगत के साथ निरंतर चर्चा एवं परामर्श करना है। भारत के व्यापार में तेजी लाने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यापार बोर्ड अन्य बातों के साथ विदेश व्यापार नीति से संबंधित नीतिगत उपायों पर सरकार को सलाह देगा।

व्यापार बोर्ड के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :

- (i) उभरते राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्यों के आलोक में निर्यात बढ़ाने के लिए अल्पावधिक एवं दीर्घावधिक दोनों प्रकार की योजनाओं को तैयार करने एवं लागू करने के लिए नीतिगत उपायों पर सरकार को सलाह देना;
- (ii) विभिन्न क्षेत्रों के निर्यात निष्पादन की समीक्षा करना, अड़चनों की पहचान करना और निर्यात आय को इष्टतम करने के लिए उद्योग विशिष्ट उपायों का सुझाव देना;
- (iii) आयात एवं निर्यात के लिए विद्यमान संस्थानिक रूपरेखा की जांच करना और वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसे और सरल एवं कारगर बनाने के लिए व्यावहारिक उपायों का सुझाव देना;
- (iv) आयात एवं निर्यात के लिए नीतिगत लिखतों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा करना तथा इष्टतम उपयोग के लिए उनको तर्कसंगत बनाने हेतु कदमों का सुझाव देना; और
- (v) ऐसे मुद्दों की जांच करना जिन्हें भारत के व्यापार के संवर्धन तथा भारतीय माल एवं सेवाओं की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी

क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए संगत समझा जाता है।

व्यापार बोर्ड की तीसरी बैठक 15 फरवरी, 2019 को हुई। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने संभावित निर्यातकों के प्रशिक्षण एवं हैंड होल्लिंग के लिए एक नया आनलाइन 'कभी भी - कहीं भी' निर्यात जागरूकता पाठ्यक्रम शुरू किया ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसरों का लाभ उठाने में उनकी मदद की जा सके। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने डीजीएफटी का एक मोबाइल ऐप भी लांच किया। नवीनतम व्यापार नोटिस, परिपत्र, विदेश व्यापार नीति एवं व्यापार मेला आदि के बारे में सूचना प्राप्त करने के अलावा अब निर्यातक इस ऐप का प्रयोग करके अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, विभिन्न लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, उनके स्टेटस को देख सकते हैं।

(ज) अन्य संगठन

- (i) भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (एफआईआईओ)
 - (ii) भारतीय हीरा संस्थान (आईडीआई)
 - (iii) फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफडीडीआई)
 - (iv) राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र (एनसीटीआई)
- राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र (एनसीटीआई) समापन की प्रक्रिया में है तथा अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है। 2018-19 के दौरान कोई गतिविधि संचालित नहीं की गई है।
- (v) मूल्य स्थिरता निधि न्यास (पीएसएफटी)
 - (vi) इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ)

इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक न्यास है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन का प्रमुख उद्देश्य विदेशी बाजारों में 'ब्रांड इंडिया' के बारे में अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता पैदा करना तथा भारतीय उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में जानकारी के प्रसार को सुगम बनाना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आईबीईएफ सरकार तथा उद्योग से जुड़े सभी हितधारकों के साथ निकटता से काम करता है।

निर्यात संवर्धन

आईबीईएफ ने 2018-19 में समुद्रपारीय व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में निर्यात के प्रमुख क्षेत्रों की सहायता के लिए ब्रांडिंग की गतिविधियां संपन्न की। सभी क्षेत्रों में कुछ प्रमुख गतिविधियों के मुख्य अंश इस प्रकार हैं :

ब्रांड इंडिया लेदर अभियान

चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद के साथ मिलकर आईबीईएफ ने प्रमुख निर्यात गंतव्यों में 'थिंक लेदर, थिंक इंडिया' नामक लेदर अभियान सफलतापूर्वक शुरू किया। आईबीईएफ ने इवेंट ब्रांडिंग सहायता के अलावा मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों, मीडिया वार्ता पर बल देते हुए ब्रांडिंग की व्यवसाय-दर-व्यवसाय रणनीति अपनाई। इटली, यूएसए, रूस, स्पेन एवं कांगकांग जैसे विभिन्न देशों में अभियान के तहत अनेक समारोह शामिल किए गए।

ब्रांड इंडिया टेक्सटाइल अभियान

2018-19 में आईबीईएफ ने भारतीय टेक्सटाइल के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों - परिधान एवं कारपेट के लिए ब्रांडिंग के लिए सहायता प्रदान की। आईबीईएफ ने

भारतीय परिधान उद्योग के लिए एक समर्पित अभियान भी तैयार किया जिसे उपयुक्त समय पर लांच किया जा सकता है। टेक्सटाइल क्षेत्र में ब्रांडिंग का मुख्य फोकस अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं के समक्ष इस उद्योग की क्षमता को प्रदर्शित करना था। अभियान के तहत भारत में तीन समारोहों और यूके एवं जर्मनी में एक एक समारोह को शामिल किया गया।

प्रबंधन करने में सहायता कर रहा है। वर्ष के दौरान सोशल मीडिया सेल ने अनेक प्रमुख समारोहों को कवर किया जैसे कि 2018 में पेरिस में डब्ल्यूटीओ वार्ता के लिए जिम्मेदार मंत्रियों की अनौपचारिक सभा, कृषि निर्यात नीति 2018 पर राष्ट्रीय गोलमेज, 5वीं राष्ट्रीय मानक गोष्ठी 2018, चौथा भारत - आसियान एक्सपो 2019 और चीन को चावल का पहला निर्यात आदि।

ब्रांड इंडिया इंजीनियरिंग अभियान

ब्रांड इंडिया इंजीनियरिंग पहल ने विदेशी बाजारों में भारतीय इंजीनियरिंग के उत्पादों के बारे में धारणा में सुधार लाने के अपने उद्देश्य पर काम करना जारी रखा। प्रमुख वैश्विक समारोहों तथा चयनित उप सेगमेंट - पंप एवं वाल्व, मेडिकल डिवाइस तथा इलेक्ट्रिकल उपकरण एवं उत्पादों पर बल देते हुए 2018-19 में प्रभावपूर्ण अभियान संचालित किया गया। अभियान के तहत यूईई, यूके, फिलीपींस और कोलंबिया में समारोहों को शामिल किया गया।

ज्ञान केन्द्र

आईबीईएफ वेबसाइट (www.ibef.org)

आईबीईएफ की वेबसाइट भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उद्योग के संबंध में अत्यंत अद्यतनीकृत सामग्री की रिपाजिटरी है। इस वेबसाइट का बहुत नाम है तथा नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, पत्रकारों, व्यापार निकायों, व्यवसाय मंचों, उद्यमियों तथा दूतावासों आदि में इसकी व्यापक पहुंच है। 2018-19 में 6 मिलियन से अधिक आनलाइन प्रयोक्ताओं ने आईबीईएफ की वेबसाइट को विजिट किया तथा 12.94 मिलियन पेज व्यू का सृजन हुआ। आईबीईएफ पोर्टल की पहुंच तथा वेब ट्रैफिक में लगातार जैविक वृद्धि हो रही है।

वाणिज्य विभाग के लिए आईबीईएफ द्वारा गठित सोशल मीडिया सेल :

सोशल मीडिया सेल वाणिज्य विभाग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल (@DoC_GoI) का

अनुबंध 1

वाणिज्य विभाग के अधीन संबद्ध
कार्यालय / अधीनस्थ कार्यालय /
स्वायत्त निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र
उपक्रम / निर्यात संवर्धन परिषदें /
अन्य संगठन
संबद्ध कार्यालय

1. विदेश व्यापार महानिदेशालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110
107
2. व्यापार उपचार महानिदेशालय,
जीवन तारा बिल्डिंग, चौथा तल,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली -
110 001 फोन नंबर: 011-
23348653, 23348654

अधीनस्थ कार्यालय

1. वाणिज्य आसूचना एवं सांख्यिकी
महानिदेशालय, 565, आनंदपुर,
वार्ड नंबर 108, सेक्टर 1,
प्लाट नंबर 22, ईसीएडीपी
कोलकाता - 700107 फोन :
91-33-24434055 (4 लाइनें)
फैक्स : +91.33.24434051
2. कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र,
प्रशासनिक भवन, कक्कानाड,
कोच्चि - 600030, केरल
3. फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र,
द्वितीय एमएसओ बिल्डिंग, चौथा
तल, कमरा नंबर 44, निजाम
पैलेस काम्प्लेक्स, 234/4,
एआईसी बोस रोड, कोलकाता -
700020, पश्चिम बंगाल
4. एमईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र,
राष्ट्रीय राजमार्ग 45, प्रशासनिक
कार्यालय भवन, टम्बारम, चेन्नई
- 600045, तमिलनाडु
5. कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र,
गांधीधाम, कच्छ, - 370230,
गुजरात

6. एसईईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096,
महाराष्ट्र
7. विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक
क्षेत्र, प्रशासनिक भवन, दुआडा,
विशाखापत्तनम - 530046,
आंध्र प्रदेश
8. नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा
डाबरी रोड, फेस-II, नोएडा -
201305, जिला गौतमबुद्ध नगर,
उत्तर प्रदेश
9. वेतन एवं लेखा कार्यालय
(वाणिज्य), उद्योग भवन, नई
दिल्ली - 110107.
10. वेतन एवं लेखा कार्यालय (आपूर्ति
प्रभाग), 16-ए, अकबर रोड
हटमेंट, नई दिल्ली - 110011.

स्वायत्त निकाय

1. कॉफी बोर्ड, 1, डा. बी आर
अम्बेडकर विथी, बंगलौर -
560001, कर्नाटक
2. रबर बोर्ड, उप-जेल रोड, पीबी
संख्या 1122, कोट्टायम -
686,002, केरल
3. चाय बोर्ड, 14, बीटीएम,
सरानी, ब्राबोर्न रोड, पोस्ट
बाक्स नंबर 2172, कोलकाता -
700001, पश्चिम बंगाल
4. तंबाकू बोर्ड, पीबी नंबर 322,
गुंटूर - 522004, आंध्र प्रदेश
5. मसाला बोर्ड, सुबंध भवन, एनएच
बाईपास, पोस्ट बाक्स नंबर
2277, पलारीवट्टम, डाक घर
कोच्चि - 682025, केरल
6. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास
प्राधिकरण, एम पी ई डी ए
हाउस, पनमपल्ली एवेन्यू, कोच्चि
- 682036, केरल
7. कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद
निर्यात विकास प्राधिकरण,
एनसीयूआई भवन, सिरी

- संस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110016
8. भारतीय निर्यात संवर्धन परिषद, तीसरा तल, एनडीवाईएमसीए सांस्कृतिक केंद्र भवन, 1, जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 110001
 9. भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, बी-21, संस्थानिक क्षेत्र, आईआईटी के दक्षिणी ओर, नई दिल्ली - 110016
 10. भारतीय पैकेजिंग संस्थान, बी 2, एमआईडीसी क्षेत्र, पोस्ट बाक्स नंबर 9432, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096, महाराष्ट्र

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

1. भारतीय राज्य व्यापार निगम, जवाहर व्यापार भवन, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली - 110001
एसटीसी की सहायक कंपनी एसटीसीएल लिमिटेड, नंबर 7ए, "एसटीसी व्यापार केंद्र", तीसरा तल, नंदिनी लेआउट, बेंगलुरु - 560096, कर्नाटक
2. एमएमटीसी लिमिटेड, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, संस्थानिक क्षेत्र, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
3. पीईसी लिमिटेड, "हंसालय", 15, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली - 110001
4. एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 10वां तल, एक्सप्रेस टावर, पोस्ट बाक्स नंबर 373, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400021, महाराष्ट्र
5. भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन, प्रगति मैदान, मथुरा रोड, नई दिल्ली - 110001

निर्यात संवर्धन परिषदें

1. केमेक्ससिल, झाँसी कैसल (चौथी मंजिल), 7-कूपरेज रोड, मुंबई - 400039, महाराष्ट्र (दूरभाष 022-22021288, 2021330; फैक्स : 022-2026684)
2. काजू निर्यात संवर्धन परिषद, पोस्ट बाक्स नंबर 1709, चित्तूर रोड, एर्नाकुलम दक्षिण, कोचीन - 682016, केरल (दूरभाष 0484-2376459 / 080; फैक्स : 0484-2377973)
3. कैपेक्सिल, "वाणिज्य भवन", अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुगमता केंद्र, 1/1 वुड स्ट्रीट, तीसरा तल, कोलकाता - 700016 पश्चिम बंगाल (दूरभाष 033-22890524 / 25; फैक्स : 033-22891724)
4. चमड़ा निर्यात परिषद, नंबर 1, सीएमडीए टावर 2, तीसरा तल, गांधी इर्विन रोड, एगमोर, चेन्नई - 600008 तमिलनाडु (दूरभाष 044-28594367; फैक्स : 044-28594363)
5. भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद, "वाणिज्य भवन", अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुगमता केंद्र, प्रथम तल, 1/1 वुड स्ट्रीट, कोलकाता - 700016, पश्चिम बंगाल (दूरभाष 033-22890651 / 52; फैक्स : 033-22890654)
6. ईओयू एवं एसईजेड यूनितों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद, 8-जी, हंसालय, 15, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली - 110001

(दूरभाष 011-23329766-69;
फैक्स : 011-23329770)

दिल्ली - 110040, (दूरभाष
41046327-29 / 41734632)

7. रतून एवं आभूषण निर्यात संवर्धन
परिषद, डायमंड प्लाजा, 5वीं
मंजिल, 391-ए, डॉ डी बी
मार्ग, मुंबई - 400004, महाराष्ट्र
(दूरभाष 022-23821801 /
06; फैक्स : 022-23808752)

13. परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद,
411, सूर्य किरण बिल्डिंग (चौथी
मंजिल), 19, कस्तूरबा गांधी
मार्ग, नई दिल्ली - 110001
(दूरभाष 91-11-41514673,
41563287)

8. प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद,
क्रिस्टल टावर, गुंडीवली रोड
नंबर 3, सर एमवी रोड के
सामने, अंधेरी पूर्व, मुंबई -
400069, महाराष्ट्र (दूरभाष
022-26833951; फैक्स: 022-
26833953)

14. भारतीय तिलहन और उत्पाद
निर्यात संवर्धन परिषद, 78-79
बजाज भवन, नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400021, महाराष्ट्र
(दूरभाष 022-22023225;
फैक्स : 022-22029236)

9. खेल सामग्री निर्यात संवर्धन
परिषद, 1-ई/6, स्वामी रामतीर्थ
नगर, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई
दिल्ली- 110055 (दूरभाष 011-
23516183; फैक्स : 011-
23632147)

अन्य संगठन

1. भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ,
निर्यात भवन, राव तुलाराम मार्ग,
आर्मी हास्पिटल (अनुसंधान एवं
रेफरल) के सामने, नई दिल्ली -
110 057

10. शेफेक्सिल, वाणिज्य भवन,
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुगमता केंद्र,
दूसरा तल, 1/1 बुड स्ट्रीट,
कोलकाता - 700016, पश्चिम
बंगाल (दूरभाष 033-22834417
/ 697; फैक्स : 033-
22834699)

2. भारतीय हीरा संस्थान, कटरगाम,
जीआईडीसी, सुमुल डेयरी रोड,
पी बी संख्या 508, सूरत -
395008, गुजरात

11. फार्मेक्सिल, 101, आदित्य
व्यापार केंद्र, अमीरपेठ, हैदराबाद
- 500 038, आंध्र प्रदेश
(दूरभाष 23735462/66;
फैक्स: 23735464)

3. फुटवियर डिजाइन एवं विकास
संस्थान, ए-10 / ए, सेक्टर-
24, नोएडा - 201301,
गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश

12. सेवा निर्यात संवर्धन परिषद, 6
ए/6, तीसरा तल, एनसीएचएफ
बिल्डिंग, सिरी फोर्ट संस्थानिक
क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग, नई

4. राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र,
एनसीटीआई कॉम्प्लेक्स, प्रगति
मैदान, नई दिल्ली - 110001

5. मूल्य स्थिरीकरण कोष ट्रस्ट,
कमरा नंबर 2003 20वीं मंजिल,
जवाहर व्यापार भवन, टॉल्स्टॉय
मार्ग, कनॉट प्लेस नई दिल्ली -
110001

6. इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन,
20वीं मंजिल, जवाहर व्यापार
भवन, टॉल्स्टॉय मार्ग, नई दिल्ली
- 110001

वैश्विक आर्थिक स्थिति तथा भारत का विदेशी क्षेत्र



वैश्विक आर्थिक स्थिति तथा भारत का विदेशी क्षेत्र

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत

भारत ने हाल की अवधि में आकर्षक विकास दर प्रदर्शित की है। तथापि, पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक विकास दर कमोबेश स्थिर रही है जिससे वैश्विक व्यापार की वृद्धि प्रभावित हुई है। ऐसा अनुमान है कि वैश्विक आर्थिक विकास की गति धीमी होगी। अक्टूबर 2018 में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) नामक अपनी रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) द्वारा वैश्विक उत्पाद वृद्धि के संबंध में प्रदान किए गए अनुमानों की तुलना में जनवरी एवं अप्रैल 2019 में हाल की रिपोर्टों ने वर्ष 2019 और 2020 के लिए वैश्विक विकास दर को कम किया है।

डब्ल्यूईओ, अप्रैल 2019 के अनुसार, 2019 और 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर क्रमशः 3.3 प्रतिशत और 3.6 प्रतिशत होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। उभरते बाजार तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में विकास दर 5 प्रतिशत से थोड़ा कम रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है, हालांकि इसमें क्षेत्र और देश के अनुसार अंतर है। उभरते एवं विकासशील एशिया में विकास दर 2018 में 6.4 प्रतिशत की तुलना में घटकर 2019 में 6.3 प्रतिशत रहेगी, जबकि वर्ष 2020 में 2019 के समान विकास दर होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वैश्विक विकास के लिए जोखिम से विकास दर कम होने की संभावना है। दो वैश्विक महाशक्तियों अर्थात् यूएसए और चीन के बीच व्यापार तनाव में वृद्धि से वैश्विक व्यापार के समुत्थान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यूएस - चीन व्यापार

वार्ता तथा ब्रेक्सिट के कारण वित्तीय बाजार अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं। चीन और हाल ही में मैक्सिको के साथ व्यापार तनाव में वृद्धि के कारण यूएस में मई की शुरुआत से इक्विटी बाजार में बिक्री का दबाव बना हुआ है (आरबीआई, जून 2019)।

व्यापार तनावों में और वृद्धि तथा नीति संबंधी अनिश्चितता में संबद्ध वृद्धि से विकास दर और कमजोर पड़ सकती है। 2020 के बाद मध्यम अवधि में वैश्विक विकास दर लगभग 2.6 प्रतिशत पर स्थिर बनी रहेगी, सापेक्षित आकार की अर्थव्यवस्थाओं जैसे कि चीन और भारत की अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि से स्थिर बनी रहेगी, जिनमें धीमी गति से विकास करने वाली उन्नत एवं उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में मजबूत विकास दर होने का अनुमान व्यक्त किया गया है (भले ही चीन की विकास दर अंततः साधारण रहे) (डब्ल्यूईओ, अप्रैल 2019)।

हालांकि उभरता एवं विकासशील एशिया वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे गतिशील क्षेत्र है, यह भी वैश्विक घटनाक्रमों से प्रभावित हुआ है। एशिया में भारत और चीन विकास के प्रमुख चालक बने रहेंगे। नवीनतम रिपोर्ट अर्थात् डब्ल्यूईओ, अप्रैल 2019 के अनुसार, भारत ने 2018 में 7.1 प्रतिशत की विकास दर हासिल की है, जबकि चीन की विकास दर 6.6 प्रतिशत थी। वर्ष 2019 और 2020 के लिए अनुमानों के अनुसार, भारत की विकास दर चीन से अधिक होगी।

वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुमानों का सिंहावलोकन

		अनुमान		जनवरी 2019 डब्ल्यूईओ अपडेट (अनुमान) से अंतर		अक्टूबर 2018 डब्ल्यूईओ (अनुमान) से अंतर	
	2018	2019	2020	2019	2020	2019	2020
विश्व उत्पाद	3.6	3.3	3.6	-0.2	0.0	-0.4	-0.1
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	2.2	1.8	1.7	-0.2	0.0	-0.3	0.0
संयुक्त राज्य	2.9	2.3	1.9	-0.2	0.1	-0.2	0.1
यूरो क्षेत्र	1.8	1.3	1.5	-0.3	-0.2	-0.6	-0.2
उभरते बाजार तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाएं (ईएमडीई)	4.5	4.4	4.8	-0.1	-0.1	-0.3	-0.1
उभरता एवं विकासशील एशिया	6.4	6.3	6.3	0.0	-0.1	0.0	-0.1
चीन	6.6	6.3	6.1	0.1	-0.1	0.1	-0.1
भारत	7.1	7.3	7.5	-0.2	-0.2	-0.1	-0.2

स्रोत : आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट, अप्रैल, 2019

वैश्विक व्यापार की स्थिति

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनुसार, बढ़ते व्यापार तनावों तथा आर्थिक अनिश्चितता में वृद्धि के कारण 2018 में अपेक्षा से धीमी गति से विकास के बाद 2019 और 2020 में विश्व व्यापार प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना जारी रखेगा। डब्ल्यूटीओ के अर्थशास्त्रियों की उम्मीद है कि मात्रा की दृष्टि से वस्तु व्यापार में 2019 में 2.6 प्रतिशत की कमी आएगी (2018 में 3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी)। इसके बाद व्यापार में 2020 में 3 प्रतिशत का उछाल आ सकता है; तथापि यह व्यापार तनावों में कमी आने पर निर्भर है।

विश्व व्यापार में इन क्षेत्रों का शेयर अधिक होने के कारण यूरोप और एशिया में आयात के लिए कम मांग से मात्रा की दृष्टि से 2018 में वैश्विक व्यापार का विकास धीमा हुआ है। अंशतः ऊर्जा की ऊंची कीमतों के

कारण 2018 में पण व्यापार का मूल्य 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 19.48 ट्रिलियन अमरीकी डालर था। 2018 में वाणिज्यिक सेवा व्यापार का मूल्य 8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 5.8 ट्रिलियन अमरीकी डालर था जिसका मुख्य कारण एशिया में आयात में मजबूत वृद्धि थी।

वर्ष 2018 के लिए वर्तमान रैंकिंग के अनुसार, भारत विश्व में वस्तु व्यापार का 19वां सबसे बड़ा निर्यातक (1.7 प्रतिशत के शेयर के साथ) और 10वां सबसे आयातक (2.6 प्रतिशत के शेयर के साथ) है। विश्व में वस्तु व्यापार की दृष्टि से चीन सबसे बड़ा निर्यातक और संयुक्त राज्य अमरीका (यूएसए) सबसे बड़ा आयातक है। वाणिज्यिक सेवाओं के मामले में भारत आठवां सबसे बड़ा निर्यातक (3.5 प्रतिशत के शेयर के साथ) और 10वां सबसे बड़ा आयातक (3.2 प्रतिशत के शेयर के साथ) है। यूएसए विश्व में वाणिज्यिक सेवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक और सबसे बड़ा आयातक है।

2018 में विश्व के अग्रणी पण निर्यातक एवं आयातक

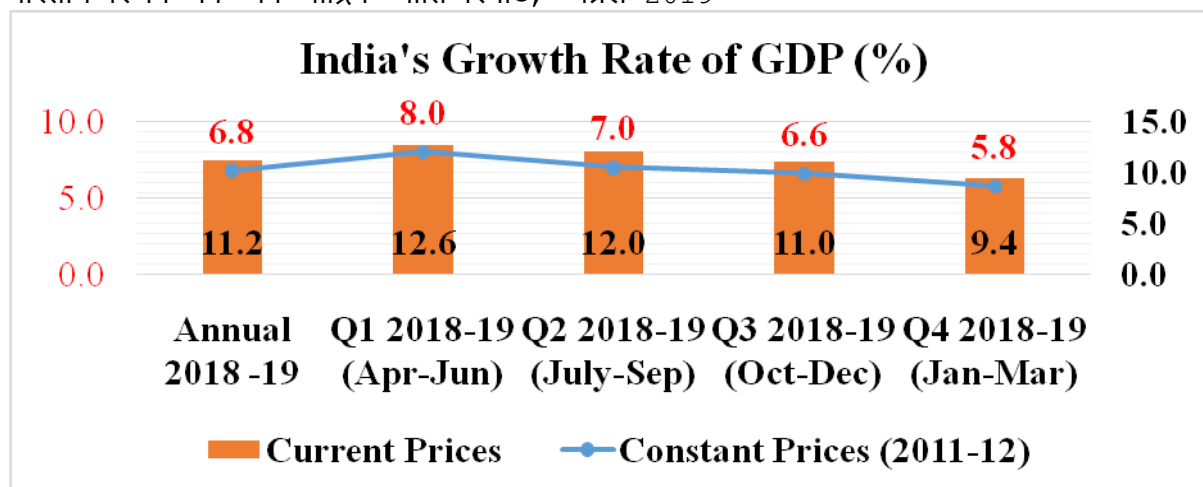
रैंक	निर्यातक	मूल्य	हिस्सा (प्रतिशत में)	वार्षिक परिवर्तन (प्रतिशत में)	रैंक	आयातक	मूल्य	हिस्सा (प्रतिशत में)	वार्षिक परिवर्तन (प्रतिशत में)
1	चीन	2487	12.8	10	1	संयुक्त राज्य अमेरीका	2614	13.2	9
2	संयुक्त राज्य अमेरीका	1664	8.5	8	2	चीन	2136	10.8	16
3	जर्मनी	1561	8	8	3	जर्मनी	1286	6.5	11
4	जापान	738	3.8	6	4	जापान	749	3.8	11
5	नीदरलैंड	723	3.7	11	5	यूनाइटेड किंगडम	674	3.4	5
6	कोरिया गणराज्य	605	3.1	5	6	फ्रांस	673	3.4	9
7	फ्रांस	582	3	9	7	नीदरलैंड	646	3.3	12
8	हांगकांग, चीन	569	2.9	3	8	हांगकांग, चीन	628	3.2	6
9	इटली	547	2.8	8	9	कोरिया गणराज्य	535	2.7	12
10	यूनाइटेड किंगडम	486	2.5	10					
19	भारत	326	1.7	9	10	भारत	511	2.6	14
	विश्व	19475	100	10		विश्व	19867	100	10

स्रोत : डब्ल्यूटीओ, अप्रैल, 2019

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के अनुसार भारत का जीडीपी

वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक जीडीपी या 2011-12 की स्थिर कीमतों पर जीडीपी

अब 140.78 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो वर्ष 2017-18 के लिए 131.40 लाख करोड़ रुपए के पहले संशोधित अनुमानों की तुलना में 6.8 प्रतिशत की विकास को दर्शाता है।



स्रोत : एमओएसपीआई, 31 मई 2019

जिन क्षेत्रों ने 7 प्रतिशत से अधिक विकास दर दर्ज की है उनमें लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं (8.6 प्रतिशत), निर्माण (8.7 प्रतिशत), वित्तीय, रियल एस्टेट तथा व्यावसायिक सेवाएं (7.4 प्रतिशत), विद्युत, गैस, जलापूर्ति तथा अन्य यूटिलिटी सेवाएं (7 प्रतिशत) शामिल हैं। 'कृषि, वानिकी एवं माहीगिरी', 'खनन एवं खदान', 'विनिर्माण' और 'व्यापार, होटल, परिवहन, संचार तथा प्रसारण से संबंधित सेवा' में क्रमशः 2.9 प्रतिशत, 1.3 प्रतिशत, 6.9 प्रतिशत और 6.9 प्रतिशत की दर से विकास होने का अनुमान है।

भारत में मुद्रास्फीति

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति रिपोर्ट 2019 के अनुसार, 'सितंबर 2018 से लगातार 5 महीनों तक खाद्य पदार्थों की कीमतें संकुचित होने, ईंधन की कीमतों में भारी गिरावट खाद्य एवं ईंधन क्षेत्र में नरमी को छोड़कर मुद्रास्फीति के कारण उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि मोटे तौर पर कमजोर पड़ी है हालांकि यह उत्थित स्तर पर बना हुआ है।'

द्वितीय द्विमासिक मौद्रिक नीति विवरण 2019-20 ने नोट किया कि अंतर्राष्ट्रीय

कीमतों में वृद्धि के कारण ईंधन और लाइट ग्रुप में मुद्रास्फीति फरवरी में 1.2 प्रतिशत से अप्रैल में 2.6 प्रतिशत बढ़ी है जिससे तरल पेट्रोलियम गैस की कीमतें बढ़ी हैं।

खाद्य एवं ईंधन को छोड़कर सीपीआई इनफ्लेशन मार्च में 5.1 प्रतिशत से घटकर अप्रैल में 4.5 प्रतिशत हो गया जो अप्रैल 2017 से सबसे बड़ी मासिक गिरावट है।

भारत का पण निर्यात निष्पादन

अप्रैल से मार्च 2018-19 की अवधि के लिए निर्यात का संचयी मूल्य 331.02 बिलियन अमरीकी डालर (23,14,429.08 करोड़ रुपए) था जबकि अप्रैल से मार्च 2017-18 की अवधि के दौरान यह 303.53 बिलियन अमरीकी डालर (19,56,514.53 करोड़ रुपए) था जो डालर में मूल्य की दृष्टि से 9.06 प्रतिशत (रुपए में मूल्य की दृष्टि से 18.29 प्रतिशत) की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।

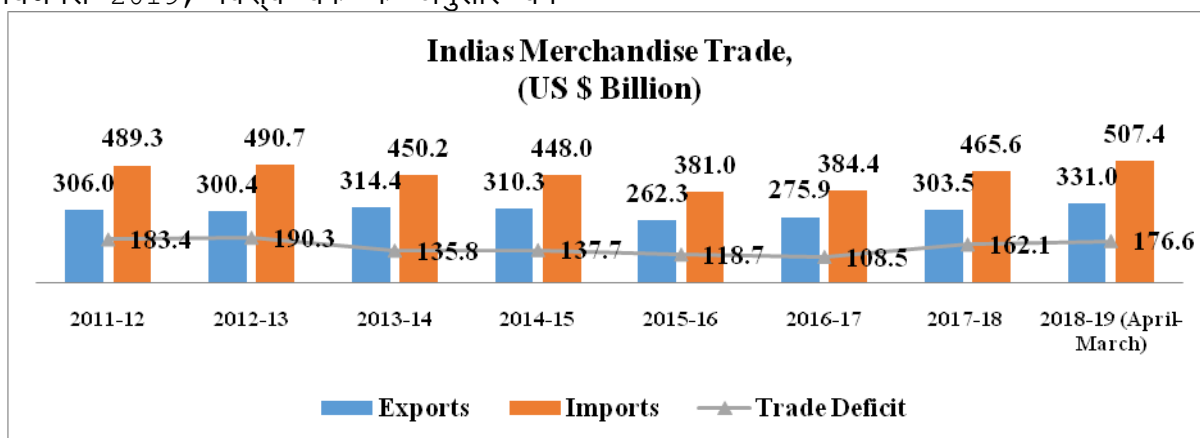
अप्रैल से मार्च 2018-19 की अवधि के लिए आयात का संचयी मूल्य 507.44 बिलियन अमरीकी डालर (35,48,004.48 करोड़ रुपए) था जबकि अप्रैल से मार्च 2017-18 की अवधि के दौरान यह 465.58 बिलियन अमरीकी डालर (30,01,033.43 करोड़ रुपए) था जो डालर में मूल्य की दृष्टि से

8.99 प्रतिशत (रुपए में मूल्य की दृष्टि से 18.23 प्रतिशत) की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।

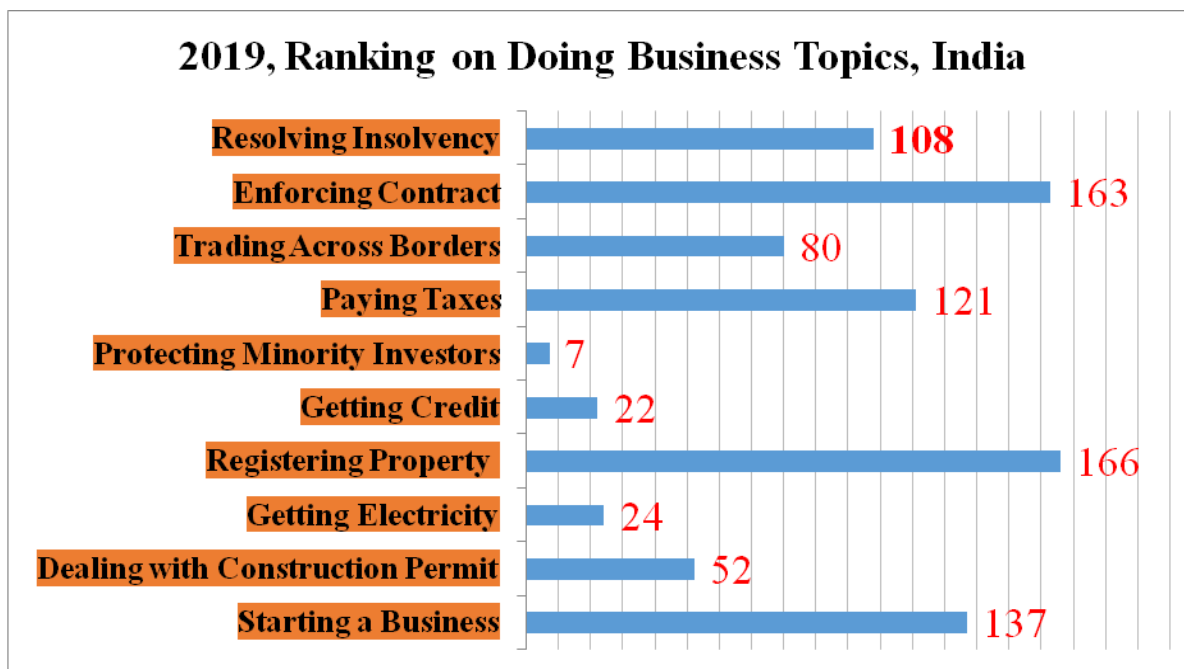
वैश्विक आर्थिक मुद्दे और भारत

कारोबार करने की सरलता : डूइंग बिजनेस 2019, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष

2019 में 190 देशों में भारत 77वें स्थान पर है (2018 में 100वें स्थान से 23 स्थान का सुधार)। इसी वर्ष के लिए व्यवसाय करने में सुगमता की दृष्टि से 190 देशों की सूची में न्यूजीलैंड शीर्ष पर है, जिसके बाद सिंगापुर, डेनमार्क और हांगकांग का स्थान है।



स्रोत : डीजीसीआईएंडएस



स्रोत : विश्व बैंक डूइंग बिजनेस, इंडिया प्रोफाइल 2019

वैश्विक वस्तु मूल्य परिदृश्य :

कच्चे तेल की कीमतें अस्थिर बनी रहीं जो ओपेक प्लस द्वारा उत्पादन के संबंध में

अपनाए गए दृष्टिकोण पर आधारित मांग - पूर्ति की परिवर्तनशील स्थितियों, शेल के उत्पादन में वृद्धि, वैश्विक मांग में कमजोरी

तथा भू-राजनीतिक सरोकारों को दर्शाती हैं। अमरीकी डालर के मजबूत होने से गोल्ड की कीमतें कमजोर पड़ गई थीं; तथापि व्यापार तनाव में वृद्धि के कारण मई के पिछले सप्ताह से कीमतें बढ़ी हैं क्योंकि सुरक्षित परिसंपत्ति के रूप में फिर से इसकी मांग बढ़ने लगी है।

वर्तमान एवं परिवर्तनशील स्थूल आर्थिक स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने तत्काल प्रभाव से तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत पॉलिसी रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती करते हुए 6 प्रतिशत से घटाकर 5.75 प्रतिशत कर दिया है। परिणामतः एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो रेट 5.50 प्रतिशत हो गया है तथा मार्जिनल स्टैंडिंग फेसिलिटी (एमएसएफ) रेट तथा बैंक रेट 6 प्रतिशत हो गया है। मौद्रिक नीति समिति ने मौद्रिक नीति के दृष्टिकोण को तटस्थ से बदलकर उदार करने का भी निर्णय लिया। ये निर्णय विकास के लिए सहायता प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के इनफ्लेशन को ± 2 प्रतिशत के बैंड के अंदर 4 प्रतिशत के मध्यम अवधि के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य के अनुरूप हैं।

निष्कर्ष

भारत स्थिर उच्च विकास पथ की दहलीज पर खड़ा है, हाल के वर्षों में ऊंची दर से निरंतर एवं स्थिर आर्थिक विकास हो रहा है। 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का 5 ट्रिलियन अमरीकी डालर जीडीपी की अर्थव्यवस्था बनना तय है। 5 ट्रिलियन अमरीकी डालर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के लिए प्रमुख योगदानकर्ता निर्यात की स्थायी रूप से ऊंची विकास दर होगी। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार को चाहिए कि वह लेनदेन की लागतों को कम करने तथा कारोबार करने की सरलता बढ़ाने के लिए नीति, विनियामक एवं प्रचालनात्मक रूपरेखा से संबंधित घरेलू एवं विदेशी अड़चनों को क्रमबद्ध ढंग से दूर करे; दक्ष, लागत प्रभावी और पर्याप्त व्यापार संबद्ध अवसंरचना के माध्यम से कम लागत पर प्रचालन करने का परिवेश सृजित करे; क्षमता का निर्माण करने के लिए निर्यातकों एवं निर्यात संगठनों को वित्तीय एवं संस्थानिक सहायता प्रदान करे और जागरूकता निर्माण तथा ब्रांड संवर्धन के माध्यम से विदेशी बाजारों का दोहन करने के लिए अवसर उत्पन्न करे।

भारत के विदेश व्यापार की प्रवृत्तियां



भारत के विदेश व्यापार की प्रवृत्तियां

भारत का व्यापार निष्पादन

निर्यात

भारत के पण निर्यात ने अप्रैल - मार्च 2009-10 से अप्रैल - मार्च 2018-19 (क्यूई) तक 7.09 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) दर्ज की। अप्रैल से मार्च 2018-19 (क्यूई) के दौरान पण निर्यात 331.02 बिलियन अमरीकी डालर की नई ऊंचाई पर पहुंच गया और 2013-14 में 314 बिलियन अमरीकी डालर के पिछले सर्वोच्च स्तर को पार कर गया तथा पिछले वर्ष की तुलना में 9.06 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की।

आयात

अप्रैल से मार्च 2018-19 (क्यूई) के दौरान आयात का संचयी मूल्य पूर्ववर्ती वर्ष की तदनुसूची अवधि के दौरान 465.58 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 507.44 बिलियन अमरीकी डालर था जो अमरीकी डॉलर में मूल्य की दृष्टि से 8.99 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। अप्रैल से मार्च 2018-19 (क्यूई) के दौरान तेल के आयात का मूल्य

140.47 बिलियन अमरीकी डॉलर था जो पूर्ववर्ती वर्ष की तदनुसूची अवधि में 108.66 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के तेल आयात की तुलना में 29.27 प्रतिशत अधिक है। अप्रैल से मार्च 2018-19 (क्यूई) के दौरान तेल से इतर मर्चों के आयात का मूल्य 366.97 बिलियन अमरीकी था जो पूर्ववर्ती वर्ष में 356.92 बिलियन अमरीकी डालर के तेल से इतर मर्चों के आयात से 2.82 प्रतिशत अधिक है।

व्यापार संतुलन

अप्रैल से मार्च 2018-19 (क्यूई) में व्यापार घाटा अनुमानित तौर पर 176.42 बिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि के दौरान 162.05 बिलियन अमरीकी डालर के व्यापार घाटे से अधिक है।

2009-10 से 2018-19 (अप्रैल से मार्च) (क्यूई) के दौरान रुपए और अमरीकी डालर दोनों दृष्टि से निर्यात एवं आयात के निष्पादन और व्यापार संतुलन का ब्यौरा नीचे सारणी क और सारणी ख में दिया गया है :

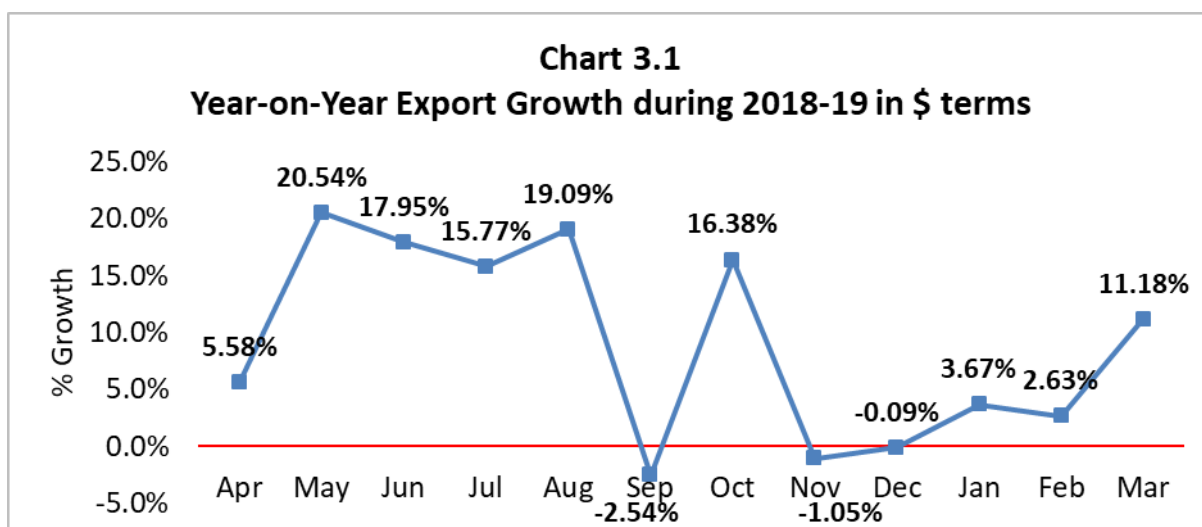
सारणी क : 2009-10 से 2018-19 (क्यूई) की अवधि के लिए व्यापार के आंकड़े						
(मूल्य करोड़ रुपए में)						
क्र. सं.	वर्ष	निर्यात	वृद्धि का प्रतिशत	आयात	वृद्धि का प्रतिशत	व्यापार संतुलन
1	2009-2010	8,45,534	0.57	13,63,736	-0.78	-5,18,202
2	2010-2011	11,36,964	34.47	16,83,467	23.45	-5,46,503
3	2011-2012	14,65,959	28.94	23,45,463	39.32	-8,79,504
4	2012-2013	16,34,318	11.48	26,69,162	13.8	-10,34,844
5	2013-2014	19,05,011	16.56	27,15,434	1.73	-8,10,423
6	2014-2015	18,96,348	-0.45	27,37,087	0.8	-8,40,738
7	2015-2016	17,16,384	-9.49	24,90,306	-9.02	-7,73,921
8	2016-2017	18,49,434	7.75	25,77,675	3.51	-7,28,242
9	2017-2018	19,56,515	5.79	30,01,033	16.42	-10,44,519
10	2018-2019 (क्यूई)	23,14,429	18.29	35,48,004	18.23	-12,33,575

डाटा का स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकाता

सारणी ख : 2009-10 से 2018-19 (क्यूई) की अवधि के लिए व्यापार के आंकड़े						
(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)						
क्रम संख्या	वर्ष	निर्यात	वृद्धि का प्रतिशत	आयात	वृद्धि का प्रतिशत	व्यापार संतुलन
1	2009-2010	1,78,751	-3.53	2,88,373	-5.05	-1,09,621

2	2010-2011	2,49,816	39.76	3,69,769	28.23	-1,19,954
3	2011-2012	3,05,964	22.48	4,89,319	32.33	-1,83,356
4	2012-2013	3,00,401	-1.82	4,90,737	0.29	-1,90,336
5	2013-2014	3,14,405	4.66	4,50,200	-8.26	-1,35,794
6	2014-2015	3,10,338	-1.29	4,48,033	-0.48	-1,37,695
7	2015-2016	2,62,291	-15.48	3,81,008	-14.96	-1,18,717
8	2016-2017	2,75,852	5.17	3,84,357	0.88	-1,08,505
9	2017-2018	3,03,526	10.03	4,65,581	21.13	-1,62,055
10	2018-2019 (क्यूई)	3,31,020	9.06	5,07,436	8.99	-1,76,416
डाटा का स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकाता						

2018-19 के दौरान निर्यात में माहवार वृद्धि निम्नलिखित ग्राफ में दर्शाई गई है :



डाटा का स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकाता

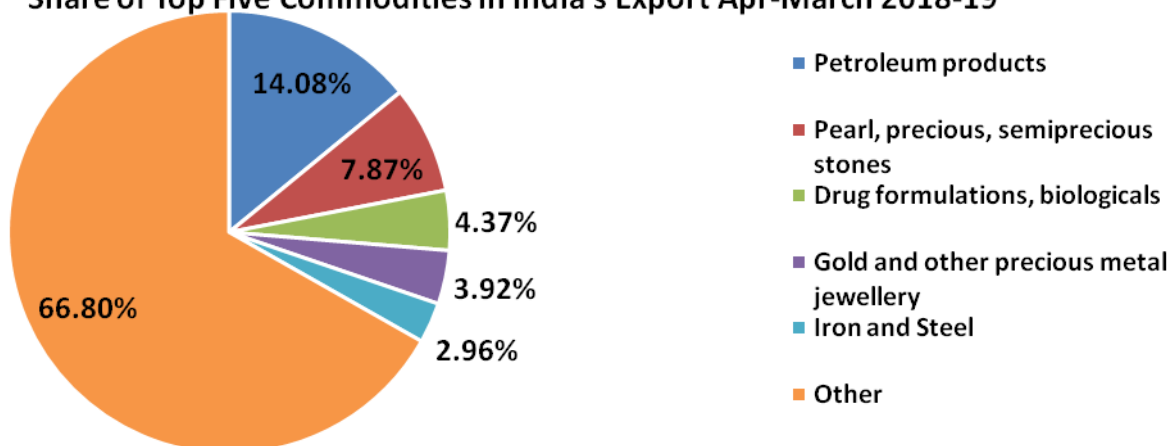
प्रमुख वस्तुओं का निर्यात :

अप्रैल से मार्च 2017-18 की तुलना में अप्रैल से मार्च 2018-19 की अवधि के लिए रुपए और डालर दोनों में मूल्य की दृष्टि से प्रधान वस्तुओं के निर्यात के अलग - अलग आंकड़े क्रमशः सारणी 3.1 और सारणी 3.2 में दिए गए हैं। अप्रैल से मार्च 2018-19 की अवधि के दौरान शीर्ष पांच वस्तुओं के निर्यात ने 33.03 प्रतिशत का शेयर दर्ज किया जिसका

मुख्य कारण यह है कि पेट्रोलियम उत्पादों; मोती, बहुमूल्य, अर्ध बहुमूल्य पत्थरों; ड्रग फार्मूलेशन, जैविक पदार्थों; गोल्ड एवं अन्य बहुमूल्य मेटल ज्वेलरी तथा लोहा एवं इस्पात का निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान है।

अप्रैल से मार्च 2018-19 के दौरान भारत के कुल निर्यात में शीर्ष पांच वस्तुओं का शेयर नीचे चार्ट 3.2 में दिया गया है :

Chart 3.2
Share of Top Five Commodities in India's Export Apr-March 2018-19

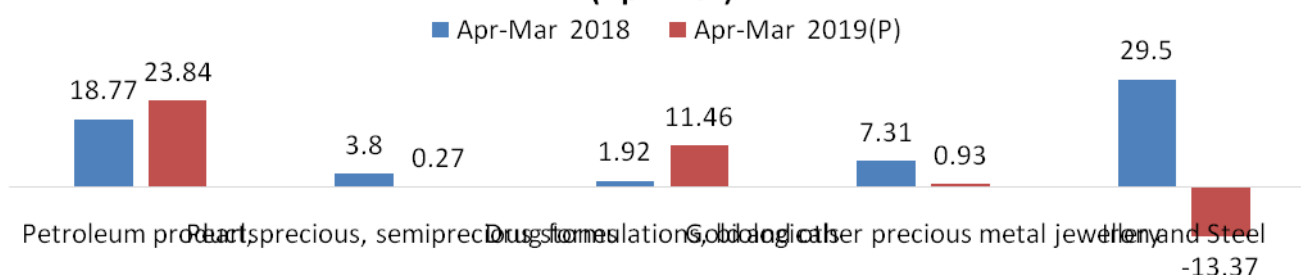


डाटा का स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकाता

पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि की तुलना में अप्रैल से मार्च 2018-19 के दौरान शीर्ष पांच वस्तुओं का

निर्यात निष्पादन (वृद्धि की दृष्टि से) चार्ट 3.3 में दर्शाया गया है :

Chart 3.3
Growth of Top Five Exports during 2017-18 (Apr-Mar) & 2018-19 (Apr-Mar)



डाटा का स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकाता

बागान फसलें

पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि की तुलना में अप्रैल से मार्च 2018-19 के दौरान बागान फसलों के निर्यात में अमरीकी डालर में मूल्य की दृष्टि से 8.55 प्रतिशत की गिरावट हुई। निर्यात का मूल्य अप्रैल से मार्च 2017-18 के दौरान 1,819.82 मिलियन अमरीकी डालर से घटकर अप्रैल से मार्च 2018-19 के दौरान 1,664.25 मिलियन अमरीकी डालर रह गया। इस समूह की सभी वस्तुओं ने नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

कृषि तथा संबद्ध उत्पाद

समूह के रूप में कृषि तथा संबद्ध उत्पादों में चावल - बासमती; गैर बासमती; अन्य अनाज; दलहन;

तंबाकू; मसाले; काजू; मांस; ताजे फल एवं सब्जियां आदि शामिल हैं। अप्रैल से मार्च 2018-19 के दौरान निर्यात पिछले वर्ष में 27,778.34 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात की तुलना में बढ़कर 28,433.58 मिलियन अमरीकी डालर हो गया जो 2.36 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि उक्त अवधि के दौरान इस वस्तु समूह के तहत शामिल 40 वस्तुओं में से 24 ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की।

समुद्री उत्पाद

अप्रैल से मार्च 2018-19 के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यात का मूल्य 6,796.37 मिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 7389.22 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात की तुलना

में 8.02 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।

अयस्क एवं खनिज

अप्रैल से मार्च 2018-19 के दौरान अयस्कों एवं खनिजों के निर्यात का मूल्य बढ़कर 3,582.37 मिलियन अमरीकी डालर हो गया जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 3,305.28 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात की तुलना में 8.38 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। यह मुख्य रूप से बल्क मिनरल एवं अयस्क के निर्यात में 52.91 प्रतिशत और प्रसंस्कृत खनिजों के निर्यात में 21.71 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि के कारण है।

चर्म एवं चर्म विनिर्माण

अप्रैल से मार्च 2018-19 के दौरान चर्म एवं चर्म विनिर्माण के निर्यात ने 2.66 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है क्योंकि निर्यात का मूल्य पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 5445.40 मिलियन अमरीकी डालर से घटकर 5,300.47 मिलियन अमरीकी डालर रह गया है।

रत्न तथा आभूषण

अप्रैल से मार्च 2018-19 की अवधि के दौरान रत्न एवं आभूषण का निर्यात पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 41,544.44 मिलियन अमरीकी डालर से घटकर 40,190.36 मिलियन अमरीकी डालर रह गया जो 3.26 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। यह मुख्य रूप से गोल्ड तथा अन्य बहुमूल्य तथा बेस मेटल के निर्यात के मूल्य में क्रमशः 50.96 प्रतिशत और 70.49 प्रतिशत की गिरावट के कारण है।

खेलों के सामान

अप्रैल से मार्च 2018-19 की अवधि के दौरान खेलों के सामान के निर्यात का मूल्य 313.48 मिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 232.80 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात की तुलना में 34.65 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।

रसायन और संबद्ध उत्पाद

अप्रैल से मार्च 2018-19 की अवधि के दौरान रसायनों एवं संबद्ध उत्पादों के निर्यात का मूल्य 43,757.58 मिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 37,559.55 मिलियन

अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात की तुलना में 16.50 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। इस वस्तु समूह के तहत, फर्टीलाइजर कूड को छोड़कर इस समूह की सभी वस्तुओं ने सकारात्मक वृद्धि का प्रदर्शन किया है।

प्लास्टिक एवं रबर की वस्तुएं

अप्रैल से मार्च 2018-19 की अवधि के दौरान प्लास्टिक एवं रबर की वस्तुओं के निर्यात का मूल्य 9,443.69 मिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 7,572.68 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात की तुलना में 24.71 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। यह मुख्य रूप से उक्त अवधि में इस वस्तु समूह के तहत सभी वस्तुओं के निर्यात में सकारात्मक वृद्धि के कारण है।

पत्थर, प्लास्टर, सीमेंट, एसबेस्टस, अभ्रक या समान सामग्रियों की वस्तुएं, मिट्टी के उत्पाद, ग्लास एवं ग्लासवेयर

अप्रैल से मार्च 2018-19 की अवधि के दौरान इस श्रेणी के माल के निर्यात का मूल्य बढ़कर 5,093.17 मिलियन अमरीकी डालर हो गया जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 4,520.73 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात की तुलना में 12.66 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। उक्त अवधि के दौरान इस समूह की सभी वस्तुओं ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

कागज एवं संबद्ध उत्पाद

अप्रैल से मार्च 2018-19 की अवधि के दौरान कागज एवं संबद्ध उत्पादों के निर्यात का मूल्य 3,488.68 मिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 2,650.53 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात की तुलना में 31.62 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।

बेस मेटल

अप्रैल से मार्च 2018-19 के दौरान बेस मेटल के निर्यात का मूल्य 25,428.58 मिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 28,211.07 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात की तुलना में 9.86 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। यह मुख्य रूप से लोहा एवं इस्पात; कॉपर तथा कॉपर से बने उत्पादों; जिंक तथा जिंक से बने उत्पादों और टिन तथा टिन से बने उत्पादों के निर्यात में नकारात्मक वृद्धि के कारण है।

आष्टिकल, मेडिकल एवं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स

अप्रैल से मार्च 2018-19 की अवधि के दौरान आष्टिकल, मेडिकल एवं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के निर्यात का मूल्य बढ़कर 2,323.71 मिलियन अमरीकी डालर हो गया जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 2,273.41 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात की तुलना में 2.21 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। उक्त अवधि में इस समूह की सभी वस्तुओं ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

इलेक्ट्रानिक मर्चे

अप्रैल से मार्च 2018-19 की अवधि के दौरान इलेक्ट्रानिक मर्चे के निर्यात का मूल्य बढ़कर 8,396.52 मिलियन अमरीकी डालर हो गया जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 6,071.77 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात की तुलना में 38.29 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। इस समूह की सभी वस्तुओं ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

मशीनरी

अप्रैल से मार्च 2018-19 की अवधि के दौरान मशीनरी के निर्यात का मूल्य बढ़कर 29,087.93 मिलियन अमरीकी डालर हो गया जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 24,632.72 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात की तुलना में 18.09 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।

कार्यालय उपकरण

अप्रैल से मार्च 2018-19 की अवधि के दौरान कार्यालय के उपकरणों के निर्यात का मूल्य 144.21 मिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 78.6 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात की तुलना में 83.47 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।

परिवहन उपकरण

अप्रैल से मार्च 2018-19 की अवधि के दौरान परिवहन उपकरणों के निर्यात का मूल्य बढ़कर 26,699.20 मिलियन अमरीकी डालर हो गया जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 23,481.41 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात की तुलना में 13.70 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। यह मुख्य रूप से इसलिए है कि एयरक्राफ्ट,

स्पेसक्राफ्ट और पार्ट्स को छोड़कर इस समूह की सभी वस्तुओं ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

परियोजना माल

अप्रैल से मार्च 2018-19 के दौरान परियोजना माल के निर्यात का मूल्य 16.04 मिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 21.95 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात की तुलना में 26.93 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।

कपड़ा एवं संबद्ध उत्पाद

अप्रैल से मार्च 2018-19 की अवधि के दौरान कपड़ा एवं संबद्ध उत्पादों के निर्यात का मूल्य 36,878.63 मिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 36,048.77 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के निर्यात की तुलना में 2.30 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। इस अवधि के दौरान, इस समूह की 25 में से 18 वस्तुओं ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

पेट्रोलियम कच्चा एवं उत्पाद

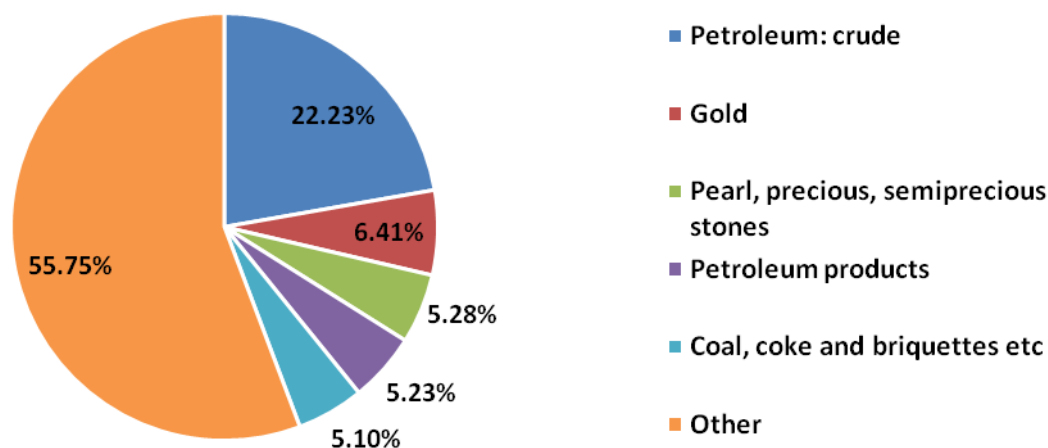
अप्रैल से मार्च 2018-19 के दौरान पेट्रोलियम (कच्चा एवं उत्पाद) का निर्यात पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 37,465.08 मिलियन अमरीकी डालर के निर्यात से बढ़कर 46,397.35 मिलियन अमरीकी डालर हो गया जो 23.84 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

प्रधान वस्तुओं का आयात :

अप्रैल - मार्च 2017-18 की तुलना में अप्रैल से मार्च 2018-19 की अवधि के लिए रुपए और डालर दोनों में मूल्य की दृष्टि से प्रधान वस्तुओं के आयात के अलग-अलग आंकड़े क्रमशः सारणी 3.3 और सारणी 3.4 में दिए गए हैं। अप्रैल से मार्च 2018-19 की अवधि के दौरान शीर्ष पांच वस्तुओं के आयात ने मुख्य रूप से पेट्रोलियम क्रूड; गोल्ड; मोती, बहुमूल्य एवं अर्ध बहुमूल्य पत्थरों; पेट्रोलियम उत्पादों; तथा कोयला, कोक एवं ब्रिकेट आदि के काफी आयात के कारण 44.25 प्रतिशत का शेयर दर्ज किया।

अप्रैल से मार्च 2018-19 के दौरान भारत के कुल आयात में शीर्ष पांच वस्तुओं का शेयर नीचे चार्ट 3.4 में दिया गया है :

Chart 3.4
Share of Top Five Commodities in India's Import Apr-Mar 2018-19

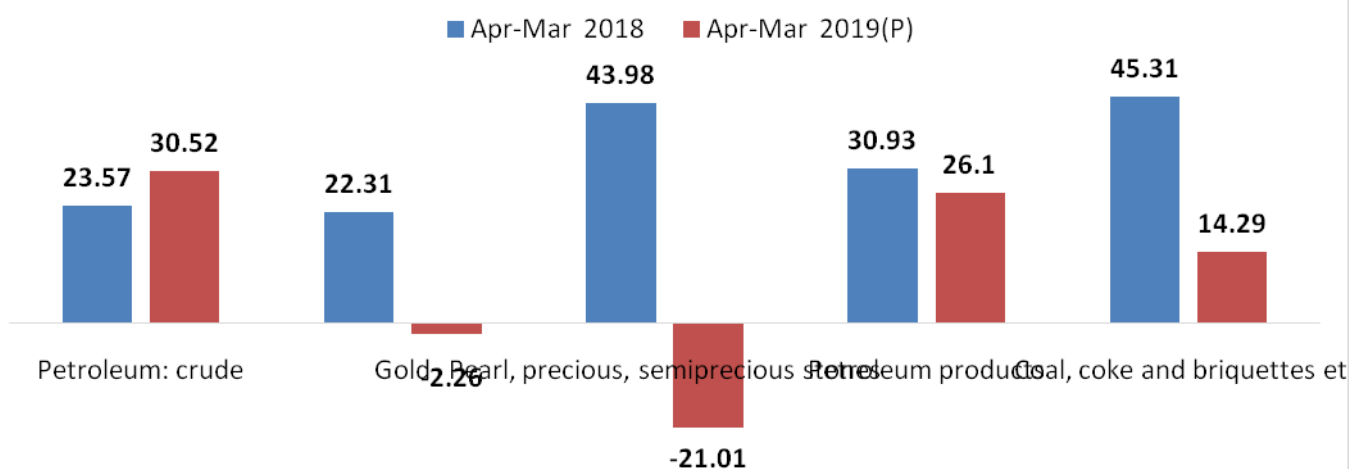


डाटा का स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकाता

पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि की तुलना में अप्रैल से मार्च 2018-19 के दौरान शीर्ष पांच प्रमुख वस्तुओं

का आयात निष्पादन (वृद्धि की दृष्टि से) चार्ट 3.5 में दर्शाया गया है :

Chart 3.5
Growth of Top Five Imports during 2017-18 (Apr-Mar) & 2018-19 (Apr-Mar)



डाटा का स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकाता

बागान फसलें

अप्रैल से मार्च 2018-19 के दौरान बागान फसलों के आयात में अमरीकी डालर में मूल्य की दृष्टि से 1.73 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। आयात का मूल्य अप्रैल से मार्च 2017-18 के दौरान 1039.28 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर अप्रैल से मार्च 2018-19 के दौरान 1057.26 मिलियन अमरीकी डालर हो गया। यह सकारात्मक वृद्धि प्राकृतिक

रबर के आयात में 5.32 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि के कारण है जिसका बागान आयात में शेयर 82.60 प्रतिशत है।

कृषि तथा संबद्ध उत्पाद

पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि की तुलना में अप्रैल से मार्च 2018-19 के दौरान कृषि एवं संबद्ध उत्पादों के आयात में 16.48 प्रतिशत की कमी

आई। आयात का मूल्य अप्रैल से मार्च 2017-18 के दौरान 22223.10 मिलियन अमरीकी डालर से घटकर अप्रैल से मार्च 2018-19 के दौरान 18560.25 मिलियन अमरीकी डालर रह गया। इस समूह के तहत 39 में से 10 वस्तुओं ने इस अवधि के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

समुद्री उत्पाद

अप्रैल से मार्च 2018-19 की अवधि के दौरान समुद्री उत्पादों के आयात का मूल्य 155.70 मिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 123.06 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आयात की तुलना में 26.52 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।

अयस्क एवं खनिज

अप्रैल से मार्च 2018-19 की अवधि के दौरान अयस्कों एवं खनिजों के आयात का मूल्य 33622.63 मिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 31743.71 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आयात की तुलना में 5.92 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। बलक मिनरल एवं अयस्कों, जिसने 37.53 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है, को छोड़कर इस समूह की सभी वस्तुओं ने सकारात्मक वृद्धि का प्रदर्शन किया है।

चर्म एवं चर्म विनिर्माण

अप्रैल से मार्च 2018-19 के दौरान चर्म एवं चर्म विनिर्माण के आयात ने 3.47 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है क्योंकि आयात का मूल्य पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 1056.60 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 1093.22 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है। यह मुख्य रूप से चमड़े के फुटवियर तथा लेदर गुड्स की वृद्धि दर में उत्थान के कारण है जिनके आयात में क्रमशः 18.26 प्रतिशत और 6.41 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

रत्न एवं आभूषण

अप्रैल से मार्च 2018-19 के दौरान रत्न तथा आभूषण के आयात का मूल्य घटकर 64666.22 मिलियन अमरीकी डालर हो गया जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 74668.31 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आयात की तुलना में 13.40 प्रतिशत

की नकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। चांदी को छोड़कर इस समूह की सभी वस्तुओं ने नकारात्मक वृद्धि दर्ज की।

खेलों के सामान

अप्रैल से मार्च 2018-19 की अवधि के दौरान खेलों के सामान के आयात का मूल्य बढ़कर 332.06 मिलियन अमरीकी डालर हो गया जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 292.05 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आयात की तुलना में 13.70 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।

रसायन और संबद्ध उत्पाद

अप्रैल से मार्च 2018-19 की अवधि के दौरान रसायनों एवं संबद्ध उत्पादों के आयात का मूल्य 47802.56 मिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 40392.72 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आयात की तुलना में 18.34 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। आवश्यक तेल को छोड़कर इस समूह की सभी 15 वस्तुओं ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

प्लास्टिक एवं रबर की वस्तुएं

अप्रैल से मार्च 2018-19 की अवधि के दौरान प्लास्टिक एवं रबर की वस्तुओं के आयात का मूल्य 18468.86 मिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 17038.02 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आयात की तुलना में 8.4 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। इस समूह के तहत 7 वस्तुओं में से 4 ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है जिसमें प्लास्टिक की कच्ची सामग्री, फुटवियर प्लास्टिक शीट, फिल्म, प्लेट आदि को छोड़कर अन्य रबर उत्पाद, माउल्डेड एवं एक्सट्रूडेड गुड्स शामिल हैं।

पत्थर, प्लास्टर, सीमेंट, एसबेस्टस, अभ्रक या समान सामग्रियों की वस्तुएं, मिट्टी के उत्पाद, ग्लास एवं ग्लासवेयर

अप्रैल से मार्च 2018-19 की अवधि के दौरान इस श्रेणी की वस्तुओं के आयात का मूल्य 2789.97 मिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 2715.30 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आयात की तुलना में 2.75 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। इस समूह के तहत 4 वस्तुओं में से 2 ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज

की है जिसमें ग्लास एवं ग्लासवेयर, सिरेमिक्स एवं संबद्ध उत्पाद शामिल हैं।

कागज एवं संबद्ध उत्पाद

अप्रैल से मार्च 2018-19 की अवधि के दौरान कागज का आयात एवं संबद्ध उत्पादों के आयात का मूल्य 8760.99 मिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 8276.87 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आयात की तुलना में 5.85 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। इस अवधि के दौरान इस समूह की सभी वस्तुओं ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

बेस मेटल

अप्रैल से मार्च 2018-19 की अवधि के दौरान आधार धातु के आयात का मूल्य 32363.63 मिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 27429.26 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आयात की तुलना में 17.99 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। ज़िंक एवं ज़िंक से बने उत्पादों, लीड एवं लीड से बने उत्पादों, टिन एवं टिन से बने उत्पादों को छोड़कर इस समूह की सभी वस्तुओं ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

आष्टिकल, मेडिकल एवं सर्जिकल इंस्ट्रुमेंट्स

अप्रैल से मार्च 2018-19 की अवधि के दौरान ऑष्टिकल, मेडिकल और सर्जिकल उपकरण के आयात का मूल्य 5891.82 मिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 5340.29 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आयात की तुलना में 10.33 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। यह मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण है कि इस अवधि के दौरान लेंस आदि सहित ऑष्टिकल मदों को छोड़कर इस समूह की सभी वस्तुओं ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

इलेक्ट्रॉनिक मदें

अप्रैल से मार्च 2018-19 की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मदों के आयात का मूल्य 55475.52 मिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 51540.86 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आयात की तुलना में 7.63 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। टेलीकॉम इंस्ट्रुमेंट्स को छोड़कर इस समूह की सभी वस्तुओं ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

मशीनरी

अप्रैल से मार्च 2018-19 की अवधि के दौरान मशीनरी के आयात का मूल्य 46052.29 मिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 39148.54 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आयात की तुलना में 17.63 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। आईसी इंजन एवं पार्ट्स को छोड़कर इस समूह की सभी वस्तुओं ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

कार्यालय उपकरण

अप्रैल से मार्च 2018-19 की अवधि के दौरान कार्यालय उपकरणों के आयात का मूल्य 52.73 मिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 46.83 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आयात की तुलना में 12.60 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।

परिवहन उपकरण

अप्रैल से मार्च 2018-19 की अवधि के दौरान परिवहन उपकरणों के आयात का मूल्य 19761.84 मिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 19175.01 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आयात की तुलना में 3.06 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। यह मुख्य रूप से शिप, बोट एवं फ्लोटिंग स्ट्रक्चर तथा रेलवे परिवहन उपकरण, पार्ट्स के आयात में अधिक वृद्धि के कारण है जिसमें क्रमशः 20.85 प्रतिशत और 65.65 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

परियोजना माल

अप्रैल से मार्च 2018-19 के दौरान परियोजना माल का आयात पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 2077.61 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2375.57 मिलियन अमरीकी डालर हो गया जो 14.34 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

कपड़ा एवं संबद्ध उत्पाद

अप्रैल से मार्च 2018-19 की अवधि के दौरान कपड़ा एवं संबद्ध उत्पादों के आयात का मूल्य 6759.2 मिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि में 6401.90 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आयात की तुलना में 5.58 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। इस समूह के तहत 25 में से 15 वस्तुओं ने आयात में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

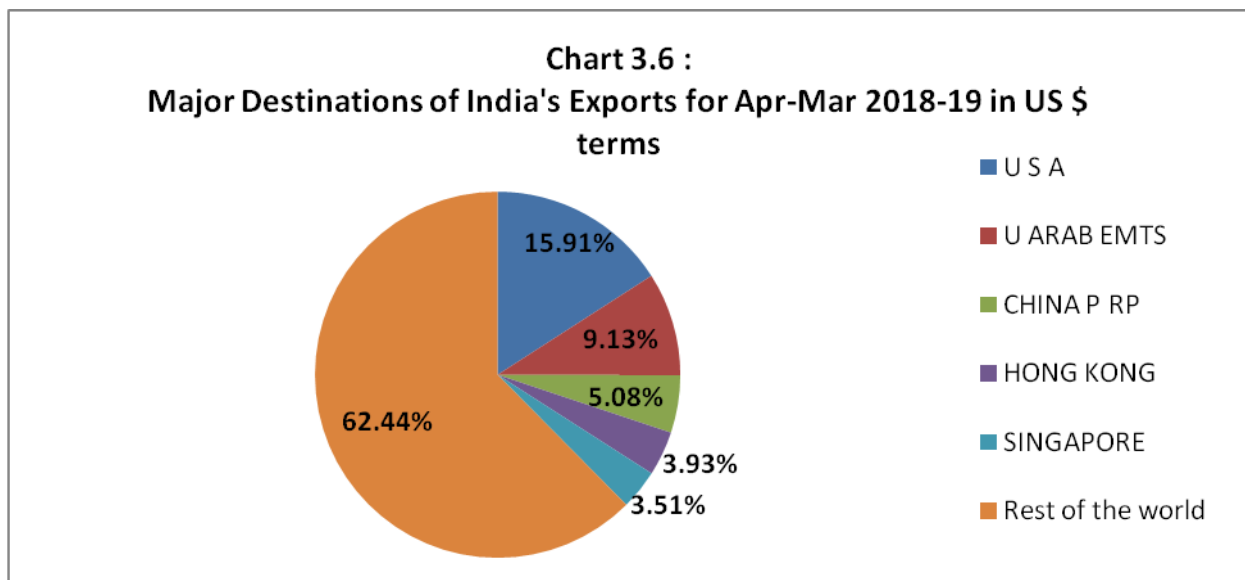
पेट्रोलियम कच्चा एवं उत्पाद

अप्रैल से मार्च 2018-19 के दौरान पेट्रोलियम कच्चा एवं उत्पादों का आयात पिछले वर्ष की समतुल्य

अवधि में 108658.69 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 140883.78 मिलियन अमरीकी डालर हो गया जो 29.66 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। यह पेट्रोलियम कूड के आयात में 30.52 प्रतिशत और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में 26.10 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि के कारण है।

भारत के विदेश व्यापार की दिशा :

रुपए और डालर दोनों में मूल्य की दृष्टि से प्रमुख क्षेत्रों / देशों से भारत के आयात एवं निर्यात का मूल्य क्रमशः सारणी 3.5, 3.6, 3.7 और 3.8 में दिया गया है। अप्रैल से मार्च 2018-19 के दौरान भारत के निर्यात के प्रमुख गंतव्यों तथा आयात के प्रमुख स्रोतों का शेयर क्रमशः चार्ट 3.6 और 3.7 में दिया गया है।

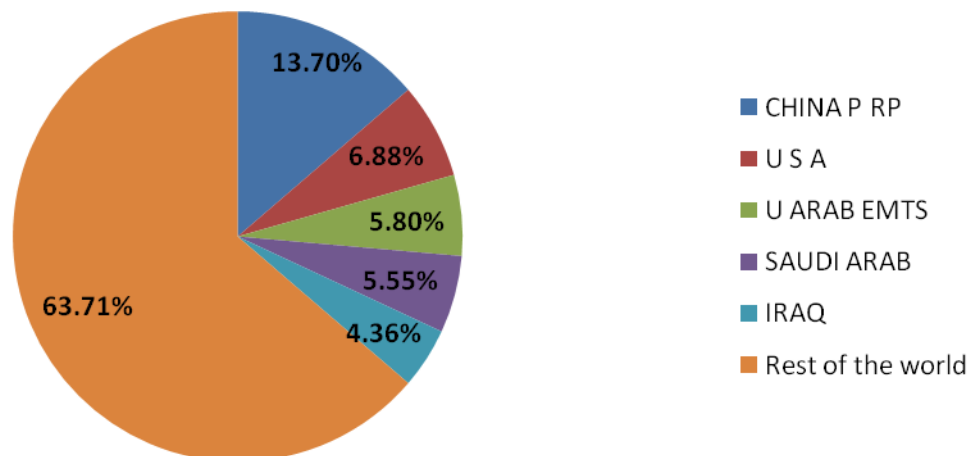


डाटा का स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकाता

अप्रैल से मार्च 2018-19 की अवधि के दौरान भारत के कुल निर्यात में एशिया (जिसमें पूर्वी एशिया, आसियान, पश्चिम एशिया, अन्य पश्चिम एशिया, उत्तर पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के देश शामिल हैं) का शेयर 48.77 प्रतिशत है। भारत के निर्यात में यूरोप और अमरीका का शेयर क्रमशः 20.89 प्रतिशत और 19.54 प्रतिशत है जिसमें से यूरोपीय संघ के देशों (27) का शेयर 17.36 प्रतिशत है। इस अवधि के दौरान, संयुक्त राज्य अमरीका (15.91 प्रतिशत) निर्यात गंतव्य का सबसे महत्वपूर्ण देश रहा है, जिसके बाद संयुक्त अरब अमीरात (9.13 प्रतिशत), चीन जनवादी गणराज्य (5.08 प्रतिशत), हांगकांग (3.93 प्रतिशत), और सिंगापुर (3.51 प्रतिशत) का स्थान है।

अप्रैल से मार्च 2018-19 की अवधि के दौरान भारत के कुल आयात में एशिया का शेयर 62.11 प्रतिशत था, जिसके बाद यूरोप (15.35 प्रतिशत) और अमरीका (12.65 प्रतिशत) का स्थान है। व्यक्तिगत देशों में चीन का शेयर सर्वाधिक (13.70 प्रतिशत) रहा है, जिसके बाद संयुक्त राज्य अमरीका (6.88 प्रतिशत), संयुक्त अरब अमीरात (5.80 प्रतिशत), सऊदी अरब (5.55 प्रतिशत) और इराक (4.36 प्रतिशत) का स्थान है।

Chart 3.7 :
Major Destinations of India's Imports for Apr-Mar 2018-19 in US \$ terms



डाटा का स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकाता

अनुबंध सारणी

सारणी 3.1

प्रमुख वस्तुओं का निर्यात

वस्तु	मूल्य करोड़ रुपए में			
	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
1. बागान	11,731.69	11,627.35	-0.89	0.5
चाय	5,396.65	5,828.09	7.99	0.25
कॉफी	6,245.36	5,721.97	-8.38	0.25
प्राकृतिक रबर	89.69	77.28	-13.84	0
2. कृषि एवं संबद्ध उत्पाद	179,070.11	198,540.59	10.87	8.62
चावल - बासमती	26,870.67	32,805.53	22.09	1.42
चावल (बासमती से भिन्न)	23,437.23	20,903.22	-10.81	0.91
गेहूँ	624.37	369.17	-40.87	0.02
अन्य अनाज	1,604.28	2,354.99	46.79	0.1
दालें	1,469.63	1,795.12	22.15	0.08
तम्बाकू (अनिर्मित)	3,828.13	3,983.96	4.07	0.17
तम्बाकू (निर्मित)	2,193.58	2,873.44	30.99	0.12
मसाले	20,084.91	23,117.40	15.1	1
काजू	5,945.28	4,579.17	-22.98	0.2
काजू गिरी शेल लिक्विड	32.63	26.91	-17.51	0
तिल	2,990.93	3,761.93	25.78	0.16
नाइजर के बीज	69.86	95.5	36.7	0
मूंगफली	3,386.30	3,295.54	-2.68	0.14
अन्य तिलहन	1,126.32	927.35	-17.67	0.04
वनस्पति तेल	566.04	745.09	31.63	0.03

सारणी 3.1				
प्रमुख वस्तुओं का निर्यात				
मूल्य करोड़ रुपए में				
वस्तु	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
खली	7,043.15	10,437.90	48.2	0.45
ग्वार गम मील	4,169.56	4,707.05	12.89	0.2
अरंडी का तेल	6,730.00	6,169.94	-8.32	0.27
लाख	285.18	302.2	5.97	0.01
चीनी	5,225.60	9,518.26	82.15	0.41
शीरा	97.45	586.23	501.57	0.03
फलों / सब्जियों के बीज	670.91	865.48	29	0.04
ताजे फल	4,913.28	5,304.05	7.95	0.23
ताजी सब्जियां	5,297.72	5,311.73	0.26	0.23
प्रसंस्कृत सब्जियां	1,823.36	2,054.90	12.7	0.09
प्रसंस्कृत फल एवं जूस	4,169.13	4,476.43	7.37	0.19
अनाज से बनी वस्तुएं	3,561.69	3,844.51	7.94	0.17
कोको उत्पाद	1,144.35	1,350.86	18.05	0.06
मिल उत्पाद	876.62	1,058.72	20.77	0.05
विविध प्रसंस्कृत मर्दे	3,548.95	4,599.50	29.6	0.2
पशु आवरण	327.44	480.66	46.79	0.02
भैंस का मांस	26,035.19	25,091.43	-3.62	1.09
भेड़ / बकरी का मांस	843.61	867.53	2.84	0.04
अन्य मांस	7	13.73	96.01	0
प्रसंस्कृत मांस	9.89	13.92	40.8	0
डेयरी उत्पाद	1,954.63	3,375.55	72.7	0.15
पोल्ट्री उत्पाद	552.09	687.3	24.49	0.03
फूलों की खेती के उत्पाद	507.32	571.02	12.56	0.02
अल्कोहलिक पेय	2,105.78	2,103.52	-0.11	0.09
आयुष एवं हर्बल उत्पाद	2,940.06	3,113.83	5.91	0.14
3. समुद्री उत्पाद	47,646.41	47,620.59	-0.05	2.07
समुद्री उत्पाद	47,646.41	47,620.59	-0.05	2.07
4. अयस्क एवं खनिज	21,308.34	25,080.84	17.7	1.09
लौह अयस्क	9,487.60	9,266.00	-2.34	0.4
अभ्रक	525.43	497.91	-5.24	0.02
कोयला, कोक एवं ब्रिकेट आदि	1,080.18	1,010.02	-6.5	0.04
थोक खनिज एवं अयस्क	2,591.37	4,308.94	66.28	0.19
प्रसंस्कृत खनिज	6,253.85	8,241.21	31.78	0.36
सल्फर, अनरोस्टेड आयरन पाइराइट	427.98	435.82	1.83	0.02
अन्य कच्चे खनिज	941.93	1,320.94	40.24	0.06
5. चर्म एवं चर्म विनिर्माण	35,091.46	37,049.98	5.58	1.61
कच्ची खाल एवं त्वचा	1.8	2.36	30.8	0
फिनिशड लेदर	5,634.88	5,046.53	-10.44	0.22
चमड़े की वस्तुएं	8,803.17	10,028.61	13.92	0.44

सारणी 3.1				
प्रमुख वस्तुओं का निर्यात				
मूल्य करोड़ रुपए में				
वस्तु	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
लेदर गारमेंट	3,344.96	3,275.73	-2.07	0.14
चमड़े के फुटवियर	14,140.52	15,351.34	8.56	0.67
लेदर फुटवियर कंपोनेंट	2,160.80	2,231.21	3.26	0.1
काठी एवं साज	1,005.33	1,114.20	10.83	0.05
6. रत्न तथा आभूषण	267,832.85	280,976.79	4.91	12.2
मोती, बहुमूल्य एवं अर्ध बहुमूल्य पत्थर	166,756.51	181,425.48	8.8	7.87
सोना	15,434.74	8,206.01	-46.83	0.36
चांदी	65.91	81.87	24.22	0
अन्य बहुमूल्य एवं बेस मेटल	2,975.69	950.03	-68.07	0.04
सोना एवं अन्य बहुमूल्य मेटल के आभूषण	82,600.01	90,313.39	9.34	3.92
7. खेलों के सामान	1,500.23	2,194.22	46.26	0.1
खेलों के सामान	1,500.23	2,194.22	46.26	0.1
8. रसायन एवं संबद्ध उत्पाद	242,114.44	306,104.28	26.43	13.29
उर्वरक, कच्चा	80.92	82.84	2.37	0
उर्वरक विनिर्मित	604.29	959.99	58.86	0.04
थोक औषधियां, औषधि मध्यवर्ती	22,823.55	27,344.06	19.81	1.19
डाई मध्यवर्ती	1,366.45	1,885.21	37.96	0.08
डाई	14,129.06	17,754.67	25.66	0.77
ड्रग फार्मुलेशन, जैविक	83,213.97	100,680.90	20.99	4.37
कृषि रसायन	16,497.23	22,125.01	34.11	0.96
अजैविक रसायन	6,291.94	7,500.80	19.21	0.33
जैविक रसायन	46,040.74	65,187.95	41.59	2.83
अन्य विविध रसायन	4,882.56	6,500.46	33.14	0.28
कास्मेटिक्स एवं शौचालय के सामान	10,671.00	11,687.29	9.52	0.51
गंध तेल	941.95	1,201.00	27.5	0.05
अवशिष्ट रासायनिक और संबद्ध उत्पाद	28,931.20	36,806.41	27.22	1.6
पेंट, वार्निश एवं संबद्ध उत्पाद	5,051.07	5,518.10	9.25	0.24
ग्रेफाइट, विस्फोटक एवं साजो-सामान	588.5	869.56	47.76	0.04
9. प्लास्टिक एवं रबर की वस्तुएं	48,814.00	66,086.84	35.39	2.87
फुटवियर को छोड़कर अन्य रबर उत्पाद	7,489.51	8,994.19	20.09	0.39
रबर / कैनवस आदि के फुटवियर	1,913.76	2,745.38	43.45	0.12
माउल्डेड एवं एक्सट्रूडेड गुड्स	6,925.59	8,189.54	18.25	0.36
प्लास्टिक की कच्ची सामग्री	20,863.96	31,370.66	50.36	1.36
प्लास्टिक की शीट, फिल्म, प्लेट आदि	8,029.20	10,376.87	29.24	0.45
लेखन सामग्री / कार्यालय, स्कूल आपूर्ति	1,450.02	1,726.43	19.06	0.07
प्लास्टिक की अन्य मर्चें	2,141.96	2,683.78	25.3	0.12
10. पत्थर, प्लास्टर, सीमेंट, एसबेस्टस, अभ्रक या समान सामग्रियों की वस्तुएं; मिट्टी के उत्पाद; ग्लास एवं ग्लासवेयर	29,136.54	35,629.33	22.28	1.55

सारणी 3.1				
प्रमुख वस्तुओं का निर्यात				
मूल्य करोड़ रुपए में				
वस्तु	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
ग्रेनाइट, प्राकृतिक पत्थर एवं उत्पाद	12,521.11	13,734.29	9.69	0.6
सीमेंट, क्लिंकर और एस्बेस्टस सीमेंट	2,876.27	3,386.71	17.75	0.15
मृद भांड तथा संबद्ध उत्पाद	9,011.05	11,811.43	31.08	0.51
ग्लास एवं ग्लासवेयर	4,728.11	6,696.90	41.64	0.29
11. कागज एवं संबद्ध उत्पाद	17,085.42	24,394.65	42.78	1.06
पुस्तक, प्रकाशन एवं मुद्रण	1,716.51	2,744.29	59.88	0.12
न्यूजप्रीट	26.23	60.68	131.36	0
कागज, कागज के बोर्ड एवं उत्पाद	9,507.29	14,240.56	49.79	0.62
प्लाइवुड तथा संबद्ध उत्पाद	5,553.42	6,694.81	20.55	0.29
अन्य लकड़ी तथा लकड़ी के उत्पाद	275.6	630.97	128.94	0.03
लुग्दी एवं अपशिष्ट कागज	6.36	23.34	266.75	0
12. बेस मेटल	1,81,858.26	1,77,752.07	-2.26	7.72
लोहा एवं इस्पात	72,495.07	68,067.06	-6.11	2.95
लोहा एवं इस्पात के उत्पाद	43,634.33	50,774.40	16.36	2.2
एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के उत्पाद	30,949.58	40,069.16	29.47	1.74
कॉपर तथा कॉपर से बने उत्पाद	22,437.53	7,462.45	-66.74	0.32
लीड तथा लीड से बने उत्पाद	2,557.22	2,819.98	10.28	0.12
गिलट, गिलट से बने उत्पाद	288.74	478.97	65.88	0.02
टिन तथा टिन से बने उत्पाद	71.52	68.95	-3.59	0
जिंक तथा जिंक से बने उत्पाद	6,168.00	4,189.60	-32.08	0.18
अन्य अलौह धातुएं एवं उनसे बने उत्पाद	3,256.27	3,821.51	17.36	0.17
13. ऑप्टिकल, मेडिकल एवं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स	14,657.06	16,242.38	10.82	0.7
सर्जिकल	2,431.68	2,782.31	14.42	0.12
ऑप्टिकल आइटम (सहित लेंस आदि)	3,010.17	3,308.67	9.92	0.14
चिकित्सा तथा वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट	9,215.22	10,151.40	10.16	0.44
14. इलेक्ट्रॉनिक्स की मर्चें	39,148.04	58,879.81	50.4	2.56
कंप्यूटर हार्डवेयर, पेरिफरल	2,126.61	2,422.04	13.89	0.11
उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	2,330.47	3,076.21	32	0.13
इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट	13,791.54	16,785.87	21.71	0.73
इलेक्ट्रॉनिक्स के इंस्ट्रूमेंट	13,143.54	17,556.74	33.58	0.76
दूरसंचार के इंस्ट्रूमेंट	7,755.88	19,038.94	145.48	0.83
15. मशीनरी	158,792.42	203,489.77	28.15	8.83
इलेक्ट्रोड्स	283.12	379.46	34.03	0.02
एक्यूमुलेटर और बैटरी	1,789.21	2,669.51	49.2	0.12
हैंड टूल, मेटल के कटिंग टूल	4,586.88	5,354.57	16.74	0.23
मशीन टूल	3,032.63	3,451.31	13.81	0.15
एसी, रेफ्रिजरेशन मशीनरी आदि	8,345.01	13,870.71	66.22	0.6
क्रेन, लिफ्ट एवं घिरनी	2,485.14	3,527.13	41.93	0.15
इलेक्ट्रिक मशीनरी एवं उपकरण	43,245.61	58,944.16	36.3	2.56

सारणी 3.1				
प्रमुख वस्तुओं का निर्यात				
मूल्य करोड़ रुपए में				
वस्तु	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
आईसी इंजन एवं पुर्जे	15,488.09	19,303.57	24.63	0.84
डेयरी आदि के लिए मशीनरी सहित	34,457.14	41,151.35	19.43	1.79
एटीएम, इंजेक्टिंग मोल्लिंग मशीनरी आदि	9,807.43	11,408.69	16.33	0.5
बॉयलर, पार्ट सहित परमाणु रिएक्टर	3,908.82	5,738.56	46.81	0.25
अन्य निर्माण मशीनरी	9,294.99	11,587.63	24.67	0.5
अन्य विविध इंजीनियरिंग मर्दे	15,701.90	18,838.59	19.98	0.82
प्राइम अभ्रक तथा अभ्रक के उत्पाद	133.91	240.94	79.93	0.01
सभी प्रकार के पंप	6,232.55	7,023.58	12.69	0.3
16. कार्यालय उपकरण	506.85	1,013.76	100.01	0.04
कार्यालय उपकरण	506.85	1,013.76	100.01	0.04
17. परिवहन उपकरण	151,383.25	186,014.86	22.88	8.07
आटो टायर एवं ट्यूब	11,512.29	13,340.60	15.88	0.58
आटो कंपोनेंट / पुर्जे	33,563.34	40,464.80	20.56	1.76
साइकल एवं पुर्जे	2,115.38	2,768.75	30.89	0.12
एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट एवं पुर्जे	14,606.26	11,918.90	-18.4	0.52
मोटर वाहन / कार	54,615.63	59,417.23	8.79	2.58
रेलवे परिवहन उपकरण	2,238.38	3,515.98	57.08	0.15
पोत, नाव एवं फ्लोटिंग स्ट्रक्चर	19,829.35	39,725.34	100.34	1.72
दुपहिया एवं तिपहिया वाहन	12,902.61	14,863.27	15.2	0.65
18. परियोजना माल	142.05	111.84	-21.27	0
परियोजना माल	142.05	111.84	-21.27	0
19. कपड़ा एवं संबद्ध उत्पाद	232,307.62	257,599.76	10.89	11.18
मानव निर्मित स्टेपल फाइबर	3,783.52	3,985.19	5.33	0.17
कॉटन यार्न	22,084.00	27,190.02	23.12	1.18
कॉटन फेब्रिक, मेडअप आदि	35,338.35	41,590.94	17.69	1.81
टेक्सटाइल यार्न, फेब्रिक, मेडअप से बनी अन्य वस्तुएं	2,641.70	3,200.36	21.15	0.14
कच्चा रेशम		1.36		0
प्राकृतिक सिल्क यार्न, फेब्रिक, मेडअप	340.66	404.07	18.61	0.02
मानव निर्मित धागे, फेब्रिक, मेडअप	31,107.61	34,817.15	11.92	1.51
कच्चा ऊन	4.94	7.94	60.74	0
वूलन यार्न, फेब्रिक, मेडअप आदि	1,199.52	1,543.25	28.66	0.07
साजो-सामान सहित कॉटन के रेडिमेड गारमेंट	54,835.41	60,721.45	10.73	2.64
रेशम के रेडिमेड गारमेंट	1,018.44	1,184.54	16.31	0.05
मानव निर्मित फाइबर के रेडिमेड गारमेंट	30,582.74	26,859.68	-12.17	1.17
ऊन के रेडिमेड गारमेंट	1,090.29	1,378.33	26.42	0.06
वस्त्र निर्माण की अन्य सामग्री के रेडिमेड गारमेंट	20,117.11	22,536.00	12.02	0.98
कॉयर एवं कॉयर के विनिर्माण	2,099.88	2,287.84	8.95	0.1
हथकरघा के उत्पाद	2,293.23	2,400.25	4.67	0.1
रेशम के अपशिष्ट	101.19	129.39	27.87	0.01

सारणी 3.1				
प्रमुख वस्तुओं का निर्यात				
मूल्य करोड़ रुपए में				
वस्तु	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
कच्चा जूट	95.43	84.42	-11.53	0
जूट के धागे	130.19	109.42	-15.96	0
जूट के टाट	909.94	795.75	-12.55	0.03
जूट की फ्लोर कवरेजिंग	299.53	369.95	23.51	0.02
जूट के अन्य विनिर्माण	819.02	999.53	22.04	0.04
हाथ से निर्मित कालीन (रेशम को छोड़कर)	9,197.60	10,262.79	11.58	0.45
रेशम के कालीन	17.27	113.09	554.71	0
अपशिष्ट सहित कच्चा कपास	12,200.05	14,627.04	19.89	0.63
20. पेट्रोलियम (कच्चा एवं उत्पाद)	241,434.52	324,822.19	34.54	14.1
पेट्रोलियम : कूड				
पेट्रोलियम उत्पाद	241,434.52	324,822.19	34.54	14.1
21. अन्य	34,952.96	42,666.35	22.07	1.85
मानव केश, उनके उत्पाद	1,710.20	1,772.51	3.64	0.08
पैकेजिंग की सामग्रियां	4,753.50	5,899.02	24.1	0.26
हस्तशिल्प (हाथ से निर्मित कार्पेट को छोड़कर)	11,754.00	12,835.53	9.2	0.56
अन्य वस्तुएं	16,735.26	22,159.28	32.41	0.96
डाटा का स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकाता				

सारणी 3.2				
प्रमुख वस्तुओं का निर्यात				
मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)				
वस्तु	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
1. बागान	1,819.82	1,664.25	-8.55	0.51
चाय	837.36	830.9	-0.77	0.25
कॉफी	968.57	822.34	-15.1	0.25
प्राकृतिक रबर	13.89	11.02	-20.7	0
2. कृषि एवं संबद्ध उत्पाद	27,778.34	28,433.58	2.36	8.63
चावल - बासमती	4,169.56	4,712.62	13.02	1.43
चावल (बासमती से भिन्न)	3,636.60	2,999.51	-17.52	0.91
गेहूँ	96.72	52.41	-45.82	0.02
अन्य अनाज	248.59	338.9	36.32	0.1
दालें	227.75	258.46	13.48	0.08
तै				

सारणी 3.2				
प्रमुख वस्तुओं का निर्यात				
मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)				
वस्तु	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
तिल	463.9	539.01	16.19	0.16
नाइजर के बीज	10.84	13.64	25.88	0
मूंगफली	524.82	472.34	-10	0.14
अन्य तिलहन	174.79	131.65	-24.68	0.04
वनस्पति तेल	87.83	106.87	21.68	0.03
खली	1,093.16	1,491.73	36.46	0.45
ग्वार गम मील	646.94	674.88	4.32	0.2
अरंडी का तेल	1,043.99	883.76	-15.35	0.27
लाख	44.22	43.32	-2.04	0.01
चीनी	810.9	1,359.58	67.66	0.41
शीरा	15.06	83.7	455.68	0.03
फलों / सब्जियों के बीज	104.04	124.81	19.97	0.04
ताजे फल	761.79	762.55	0.1	0.23
ताजी सब्जियां	821.76	760.11	-7.5	0.23
प्रसंस्कृत सब्जियां	282.87	293.88	3.89	0.09
प्रसंस्कृत फल एवं जूस	646.92	638.97	-1.23	0.19
अनाज से बनी वस्तुएं	552.61	549.6	-0.54	0.17
कोको उत्पाद	177.47	192.69	8.58	0.06
मिल उत्पाद	136.01	151.25	11.21	0.05
विविध प्रसंस्कृत मर्दे	550.55	657.22	19.37	0.2
पशु आवरण	50.68	68.27	34.71	0.02
भैंस का मांस	4,037.11	3,587.15	-11.15	1.09
भेड़ / बकरी का मांस	130.9	124.65	-4.77	0.04
अन्य मांस	1.09	1.96	80.14	0
प्रसंस्कृत मांस	1.54	2	30.3	0
डेयरी उत्पाद	303.05	481.52	58.89	0.15
पोल्ट्री उत्पाद	85.7	98.16	14.54	0.03
फूलों की खेती के उत्पाद	78.73	81.72	3.8	0.02
अल्कोहलिक पेय	326.67	300.85	-7.9	0.09
आयुष एवं हर्बल उत्पाद	456.12	446.13	-2.19	0.14
3. समुद्री उत्पाद	7,389.22	6,796.37	-8.02	2.06
समुद्री उत्पाद	7,389.22	6,796.37	-8.02	2.06
4. अयस्क एवं खनिज	3,305.28	3,582.37	8.38	1.09
लौह अयस्क	1,471.06	1,318.17	-10.39	0.4
अभ्रक	81.4	71.27	-12.44	0.02
कोयला, कोक एवं ब्रिकेट आदि	167.82	145.36	-13.38	0.04
थोक खनिज एवं अयस्क	402.17	614.98	52.91	0.19
प्रसंस्कृत खनिज	970.32	1,180.93	21.71	0.36
सल्फर, अनरोस्टेड आयरन पाइराइट	66.37	63.01	-5.07	0.02

सारणी 3.2				
प्रमुख वस्तुओं का निर्यात				
मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)				
वस्तु	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
अन्य कच्चे खनिज	146.13	188.66	29.1	0.06
5. चर्म एवं चर्म विनिर्माण	5,445.40	5,300.47	-2.66	1.61
कच्ची खाल एवं त्वचा	0.28	0.34	20.2	0
फिनिशड लेदर	873.97	723.44	-17.22	0.22
चमड़े की वस्तुएं	1,365.79	1,431.31	4.8	0.43
लेदर गारमेंट	519.32	468.32	-9.82	0.14
चमड़े के फुटवियर	2,194.73	2,198.07	0.15	0.67
लेदर फुटवियर कंपोनेंट	335.32	319.63	-4.68	0.1
काठी एवं साज	155.99	159.38	2.17	0.05
6. रत्न तथा आभूषण	41,544.44	40,190.36	-3.26	12.2
मोती, बहुमूल्य एवं अर्ध बहुमूल्य पत्थर	25,871.71	25,941.45	0.27	7.87
सोना	2,393.74	1,174.00	-50.96	0.36
चांदी	10.21	11.72	14.78	0
अन्य बहुमूल्य एवं बेस मेटल	461.43	136.16	-70.49	0.04
सोना एवं अन्य बहुमूल्य मेटल के आभूषण	12,807.35	12,927.04	0.93	3.92
7. खेलों के सामान	232.8	313.48	34.65	0.1
खेलों के सामान	232.8	313.48	34.65	0.1
8. रसायन एवं संबद्ध उत्पाद	37,559.55	43,757.58	16.5	13.28
उर्वरक, कच्चा	12.56	11.85	-5.64	0
उर्वरक विनिर्मित	93.82	136.84	45.85	0.04
थोक औषधियां, औषधि मध्यवर्ती	3,540.42	3,910.83	10.46	1.19
डाई मध्यवर्ती	211.89	270.36	27.59	0.08
डाई	2,191.96	2,538.16	15.79	0.77
ड्रग फार्मुलेशन, जैविक	12,909.09	14,388.71	11.46	4.37
कृषि रसायन	2,559.00	3,156.49	23.35	0.96
अजैविक रसायन	976.01	1,072.76	9.91	0.33
जैविक रसायन	7,142.33	9,326.26	30.58	2.83
अन्य विविध रसायन	757.74	929.61	22.68	0.28
कास्मेटिक्स एवं शौचालय के सामान	1,655.31	1,671.07	0.95	0.51
गंध तेल	146.17	171.78	17.53	0.05
अवशिष्ट रासायनिक एवं संबद्ध उत्पाद	4,488.35	5,258.45	17.16	1.6
पेंट, वार्निश एवं संबद्ध उत्पाद	783.58	790.09	0.83	0.24
ग्रेफाइट, विस्फोटक एवं साजो-सामान	91.31	124.34	36.17	0.04
9. प्लास्टिक एवं रबर की वस्तुएं	7,572.68	9,443.69	24.71	2.87
फुटवियर को छोड़कर रबर के अन्य उत्पाद	1,161.96	1,285.71	10.65	0.39
रबर / कैनवस आदि के फुटवियर	297.03	390.17	31.36	0.12
माउलडेड एवं एक्सट्रूडेड गुड्स	1,074.46	1,170.36	8.93	0.36
प्लास्टिक की कच्ची सामग्री	3,236.40	4,481.77	38.48	1.36
प्लास्टिक की शीट, फिल्म, प्लेट आदि	1,245.55	1,484.36	19.17	0.45

सारणी 3.2				
प्रमुख वस्तुओं का निर्यात				
मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)				
वस्तु	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
लेखन सामग्री / कार्यालय, स्कूल आपूर्ति	224.94	247.4	9.98	0.08
प्लास्टिक की अन्य मर्चें	332.33	383.93	15.53	0.12
10. पत्थर, प्लास्टर, सीमेंट, एसबेस्टस, अभ्रक या समान सामग्रियों की वस्तुएं; मिट्टी के उत्पाद; ग्लास एवं ग्लासवेयर	4,520.73	5,093.17	12.66	1.55
ग्रेनाइट, प्राकृतिक पत्थर एवं उत्पाद	1,942.67	1,966.79	1.24	0.6
सीमेंट, क्लींकर एवं एसबेस्टस सीमेंट	446.29	484.24	8.5	0.15
मृद भांड तथा संबद्ध उत्पाद	1,398.05	1,686.94	20.66	0.51
ग्लास एवं ग्लासवेयर	733.72	955.2	30.18	0.29
11. कागज एवं संबद्ध उत्पाद	2,650.53	3,488.68	31.62	1.06
पुस्तक, प्रकाशन एवं मुद्रण	266.35	391.89	47.14	0.12
न्यूजप्रीट	4.07	8.62	111.82	0
कागज, कागज के बोर्ड एवं उत्पाद	1,474.68	2,037.16	38.14	0.62
प्लाइवुड तथा संबद्ध उत्पाद	861.75	957.06	11.06	0.29
अन्य लकड़ी तथा लकड़ी के उत्पाद	42.7	90.64	112.29	0.03
लुग्दी एवं अपशिष्ट कागज	0.99	3.31	234.96	0
12. बेस मेटल	28,211.07	25,428.58	-9.86	7.72
लोहा एवं इस्पात	11,244.74	9,740.91	-13.37	2.96
लोहा एवं इस्पात के उत्पाद	6,770.20	7,260.45	7.24	2.2
एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के उत्पाद	4,800.89	5,730.98	19.37	1.74
कॉपर तथा कॉपर से बने उत्पाद	3,481.36	1,065.32	-69.4	0.32
लीड तथा लीड से बने उत्पाद	396.65	402.91	1.58	0.12
गिलट, गिलट से बने उत्पाद	44.78	68.57	53.12	0.02
टिन तथा टिन से बने उत्पाद	11.1	9.82	-11.53	0
जिंक तथा जिंक से बने उत्पाद	956.18	603.03	-36.93	0.18
अन्य अलौह धातुएं एवं उनसे बने उत्पाद	505.18	546.6	8.2	0.17
13. ऑप्टिकल, मेडिकल एवं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स	2,273.41	2,323.71	2.21	0.71
सर्जिकल	377.18	398.05	5.54	0.12
ऑप्टिकल आइटम (सहित लेंस आदि) Lens etc)	466.92	473.42	1.39	0.14
चिकित्सा तथा वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट	1,429.32	1,452.23	1.6	0.44
14. इलेक्ट्रॉनिक्स की मर्चें	6,071.77	8,396.52	38.29	2.55
कंप्यूटर हार्डवेयर, पेरिफरल	329.68	345.68	4.86	0.1
उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	361.5	440.82	21.94	0.13
इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट	2,139.20	2,396.55	12.03	0.73
इलेक्ट्रॉनिक्स के इंस्ट्रूमेंट	2,038.54	2,507.01	22.98	0.76
दूरसंचार के इंस्ट्रूमेंट	1,202.85	2,706.46	125	0.82
15. मशीनरी	24,632.72	29,087.93	18.09	8.83
इलेक्ट्रोड्स	43.92	54.2	23.4	0.02
एक्युमुलेटर और बैटरी	277.43	381.76	37.6	0.12

सारणी 3.2				
प्रमुख वस्तुओं का निर्यात				
मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)				
वस्तु	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
हैंड टूल, मेटल के कटिंग टूल	711.6	764.85	7.48	0.23
मशीन टूल	470.38	494.09	5.04	0.15
एसी, रेफ्रिजरेशन मशीनरी आदि	1,294.63	1,983.66	53.22	0.6
क्रेन, लिफ्ट एवं घिरनी	385.44	503.51	30.63	0.15
इलेक्ट्रिक मशीनरी एवं उपकरण	6,708.29	8,429.69	25.66	2.56
आईसी इंजन एवं पुर्जे	2,402.94	2,755.45	14.67	0.84
डेयरी आदि के लिए मशीनरी सहित	5,344.58	5,883.80	10.09	1.79
एटीएम, इंजेक्टिंग मोल्डिंग मशीनरी आदि	1,521.53	1,630.47	7.16	0.49
परमाणु रिएक्टर, जिसमें बायलर, पुर्जे शामिल हैं	606.55	819.7	35.14	0.25
अन्य निर्माण मशीनरी	1,441.75	1,657.76	14.98	0.5
अन्य विविध इंजीनियरिंग मदें	2,435.91	2,690.74	10.46	0.82
प्राइम अभ्रक तथा अभ्रक के उत्पाद	20.77	34.33	65.27	0.01
सभी प्रकार के पंप	966.99	1,003.92	3.82	0.3
16. कार्यालय उपकरण	78.6	144.21	83.47	0.04
कार्यालय उपकरण	78.6	144.21	83.47	0.04
17. परिवहन उपकरण	23,481.41	26,699.20	13.7	8.1
आटो टायर एवं ट्यूब	1,785.96	1,909.07	6.89	0.58
आटो कंपोनेंट / पुर्जे	5,207.24	5,784.62	11.09	1.76
साइकल एवं पुर्जे	328.19	395.74	20.58	0.12
एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट एवं पुर्जे	2,264.27	1,712.67	-24.36	0.52
मोटर वाहन / कार	8,472.51	8,499.94	0.32	2.58
रेलवे परिवहन उपकरण, पुर्जे	346.81	502.7	44.95	0.15
पोत, नाव एवं फ्लोटिंग स्ट्रक्चर	3,074.94	5,767.50	87.56	1.75
दुपहिया एवं तिपहिया वाहन	2,001.48	2,126.95	6.27	0.65
18. परियोजना माल	21.95	16.04	-26.93	0
परियोजना माल	21.95	16.04	-26.93	0
19. कपड़ा एवं संबद्ध उत्पाद	36,048.77	36,878.63	2.3	11.19
मानव निर्मित स्टेपल फाइबर	586.82	570.81	-2.73	0.17
कॉटन यार्न	3,424.92	3,895.49	13.74	1.18
कॉटन फेब्रिक, मेडअप आदि	5,482.87	5,946.45	8.46	1.8
टेक्सटाइल यार्न, फेब्रिक, मेडअप से बनी अन्य वस्तुएं	409.81	457.63	11.67	0.14
कच्चा रेशम		0.19		0
प्राकृतिक सिल्क यार्न, फेब्रिक, मेडअप	52.85	57.61	9.01	0.02
मानव निर्मित धागे, फेब्रिक, मेडअप	4,826.33	4,980.48	3.19	1.51
कच्चा ऊन	0.77	1.14	48.54	0
वूलन यार्न, फेब्रिक, मेडअप आदि	186.09	220.56	18.52	0.07
साजो-सामान सहित कॉटन के रेडिमेड गारमेंट	8,510.76	8,692.64	2.14	2.64
रेशम के रेडिमेड गारमेंट	157.92	170.4	7.9	0.05
मानव निर्मित फाइबर के रेडिमेड गारमेंट	4,746.97	3,852.15	-18.85	1.17

सारणी 3.2				
प्रमुख वस्तुओं का निर्यात				
मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)				
वस्तु	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
ऊन के रेडिमेड गारमेंट	169.14	197.73	16.9	0.06
वस्त्र निर्माण की अन्य सामग्री के रेडिमेड गारमेंट	3,122.15	3,222.37	3.21	0.98
कॉयर एवं कॉयर के विनिर्माण	325.77	327.37	0.49	0.1
हथकरघा के उत्पाद	355.94	343.73	-3.43	0.1
रेशम के अपशिष्ट	15.69	18.57	18.34	0.01
कच्चा जूट	14.81	11.98	-19.12	0
जूट के धागे	20.2	15.58	-22.89	0
जूट के टाट	141.23	113.81	-19.41	0.03
जूट की फ्लोर कवरिंग	46.48	52.85	13.7	0.02
जूट के अन्य विनिर्माण	127.17	142.74	12.25	0.04
हाथ से निर्मित कालीन (रेशम को छोड़कर)	1,427.14	1,465.90	2.72	0.44
रेशम के कालीन	2.68	16.11	501.95	0
अपशिष्ट सहित कच्चा कपास	1,894.25	2,104.34	11.09	0.64
20. पेट्रोलियम (कच्चा एवं उत्पाद)	37,465.08	46,397.35	23.84	14.08
पेट्रोलियम : कूड				
पेट्रोलियम उत्पाद	37,465.08	46,397.35	23.84	14.08
21. अन्य	5,422.56	6,099.98	12.49	1.85
मानव केश, उनके उत्पाद	265.27	253.47	-4.45	0.08
पैकेजिंग की सामग्रियां	737.44	843.35	14.36	0.26
हस्तशिल्प (हाथ से निर्मित कार्पेट को छोड़कर)	1,823.34	1,835.56	0.67	0.56
अन्य वस्तुएं	2,596.51	3,167.59	21.99	0.96
डाटा का स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकाता				

सारणी 3.3				
प्रमुख वस्तुओं का आयात				
मूल्य करोड़ रुपए में				
वस्तु	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
1. बागान	6,697.22	7,410.78	10.65	0.21
चाय	356.99	324.53	-9.09	0.01
कॉफी	996.5	958.59	-3.8	0.03
प्राकृतिक रबर	5,343.74	6,127.66	14.67	0.17
2. कृषि एवं संबद्ध उत्पाद	1,43,230.24	1,29,693.90	-9.45	3.61
चावल - बासमती				
चावल (बासमती से भिन्न)	12.18	32.18	164.09	0
गेहूँ	2,357.84	5.44	-99.77	0
अन्य अनाज	433.9	471.28	8.61	0.01
दालें	18,748.57	8,035.35	-57.14	0.22

सारणी 3.3				
प्रमुख वस्तुओं का आयात				
मूल्य करोड़ रुपए में				
वस्तु	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
तम्बाकू (अनिर्मित)	69.47	102.89	48.1	0
तम्बाकू (निर्मित)	185.92	257.52	38.51	0.01
मसाले	6,385.26	7,886.40	23.51	0.22
काजू	9,134.33	11,162.32	22.2	0.31
काजू गिरी शेल लिक्विड	5.66	21.05	271.91	0
तिल के बीज	176.77	875.17	395.1	0.02
नाइजर के बीज	29	40.62	40.09	0
मूंगफली	13.04	8.14	-37.61	0
अन्य तिलहन	364.59	745.21	104.4	0.02
वनस्पति तेल	74,995.91	69,023.80	-7.96	1.92
खली	746.67	869.17	16.41	0.02
ग्वार गम मील	3.3	5.9	79.04	0
अरंडी का तेल	2.54	5.32	109.17	0
लाख	18.38	19.35	5.32	0
चीनी	6,035.84	3,175.32	-47.39	0.09
शीरा	69.29	1.38	-98.01	0
फलों / सब्जियों के बीज	768.26	832.48	8.36	0.02
ताजे फल	12,524.55	13,931.65	11.23	0.39
ताजी सब्जियां	25.64	23.4	-8.72	0
प्रसंस्कृत सब्जियां	134.83	161.54	19.81	0
प्रसंस्कृत फल एवं जूस	803.81	909.28	13.12	0.03
अनाज से बनी वस्तुएं	659.68	967.14	46.61	0.03
कोको उत्पाद	1,473.10	1,845.85	25.3	0.05
मिल उत्पाद	13.02	15.6	19.79	0
विविध प्रसंस्कृत मर्दे	2,249.73	2,559.34	13.76	0.07
पशु आवरण				
भेड़ / बकरी का मांस	13.36	10.83	-18.89	0
अन्य मांस	27.8	30.65	10.27	0
प्रसंस्कृत मांस	3.22	4.14	28.4	0
डेयरी उत्पाद	312.59	254.12	-18.7	0.01
पोल्ट्री उत्पाद	26.87	41.8	55.55	0
फूलों की खेती के उत्पाद	136.46	174.09	27.58	0
अल्कोहलिक पेय	3,876.14	4,678.72	20.71	0.13
आयुष एवं हर्बल उत्पाद	392.72	509.43	29.72	0.01
3. समुद्री उत्पाद	793.3	1,088.13	37.16	0.03
समुद्री उत्पाद	793.3	1,088.13	37.16	0.03
4. अयस्क एवं खनिज	2,04,632.10	2,34,934.31	14.81	6.55
लौह अयस्क	4,223.93	5,907.82	39.87	0.16
अभ्रक	10.81	13.31	23.08	0

सारणी 3.3				
प्रमुख वस्तुओं का आयात				
मूल्य करोड़ रुपए में				
वस्तु	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
कोयला, कोक एवं ब्रिकेट आदि	1,47,641.10	1,83,004.80	23.95	5.1
थोक खनिज एवं अयस्क	40,011.98	26,961.15	-32.62	0.75
प्रसंस्कृत खनिज	9,578.45	14,883.34	55.38	0.41
सल्फर, अनरोस्टेड आयरन पाइराइट	1,068.35	1,527.82	43.01	0.04
अन्य कच्चे खनिज	2,097.48	2,636.07	25.68	0.07
5. चर्म एवं चर्म विनिर्माण	6,809.61	7,644.59	12.26	0.21
कच्ची खाल एवं त्वचा	301.77	241.38	-20.01	0.01
फिनिशड लेदर	3,665.93	3,824.21	4.32	0.11
चमड़े की वस्तुएं	436.34	504.94	15.72	0.01
लेदर गारमेंट	16.53	16.07	-2.79	0
चमड़े के फुटवियर	2,250.15	2,896.59	28.73	0.08
लेदर फुटवियर कंपोनेंट	134.99	154.8	14.68	0
काठी एवं साज	3.88	6.6	69.92	0
6. रत्न तथा आभूषण	4,81,433.73	4,51,127.46	-6.3	12.57
मोती, बहुमूल्य एवं अर्ध बहुमूल्य पत्थर	2,20,965.76	1,88,880.59	-14.52	5.26
सोना	2,17,072.07	2,29,447.33	5.7	6.4
चांदी	20,724.89	26,188.63	26.36	0.73
अन्य बहुमूल्य एवं बेस मेटल	2,323.70	1,937.88	-16.6	0.05
सोना एवं अन्य बहुमूल्य मेटल के आभूषण	20,347.31	4,673.03	-77.03	0.13
7. खेलों के सामान	1,882.37	2,325.24	23.53	0.06
खेलों के सामान	1,882.37	2,325.24	23.53	0.06
8. रसायन एवं संबद्ध उत्पाद	2,60,368.59	3,34,076.77	28.31	9.31
उर्वरक, कच्चा	4,694.40	5,828.12	24.15	0.16
उर्वरक, विनिर्मित	29,959.48	46,266.56	54.43	1.29
थोक औषधियां, औषधि मध्यवर्ती	19,291.11	24,850.08	28.82	0.69
डाई मध्यवर्ती	5,618.48	6,995.42	24.51	0.19
डाई	2,166.87	2,507.02	15.7	0.07
ड्रग फार्मुलेशन, जैविक	11,869.81	14,126.38	19.01	0.39
कृषि रसायन	8,466.79	9,267.04	9.45	0.26
अजैविक रसायन	30,715.97	39,486.88	28.55	1.1
जैविक रसायन	80,112.70	99,671.76	24.41	2.78
अन्य विविध रसायन	4,210.13	5,822.34	38.29	0.16
कास्मेटिक्स एवं शौचालय के सामान	8,511.91	11,249.45	32.16	0.31
गंध तेल	982.61	1,046.64	6.52	0.03
अवशिष्ट रासायनिक और संबद्ध उत्पाद	42,038.74	52,780.38	25.55	1.47
पेंट, वार्निश एवं संबद्ध उत्पाद	10,824.79	13,026.65	20.34	0.36
ग्रेफाइट, विस्फोटक और सहायक	904.81	1,152.05	27.33	0.03
9. प्लास्टिक एवं रबर की वस्तुएं	1,09,822.14	1,29,129.48	17.58	3.6
फुटवियर को छोड़कर अन्य रबर उत्पाद	13,797.44	16,728.00	21.24	0.47

सारणी 3.3				
प्रमुख वस्तुओं का आयात				
मूल्य करोड़ रुपए में				
वस्तु	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
रबर / कैनवस आदि के फुटवियर	2,043.28	2,188.24	7.09	0.06
माउलडेड एवं एक्सट्रूडेड गुड्स	9,017.69	9,908.24	9.88	0.28
प्लास्टिक की कच्ची सामग्री	68,910.05	79,855.02	15.88	2.23
प्लास्टिक की शीट, फिल्म, प्लेट आदि	9,132.60	13,307.82	45.72	0.37
लेखन सामग्री / कार्यालय, स्कूल आपूर्ति	597.86	585.67	-2.04	0.02
प्लास्टिक की अन्य मर्चें	6,323.21	6,556.49	3.69	0.18
10. पत्थर, प्लास्टर, सीमेंट, एसबेस्टस, अभ्रक या समान सामग्रियों की वस्तुएं; मिट्टी के उत्पाद; ग्लास एवं ग्लासवेयर	17,498.27	19,518.23	11.54	0.54
ग्रेनाइट, प्राकृतिक पत्थर एवं उत्पाद	2,719.01	2,460.49	-9.51	0.07
सीमेंट, क्लिंकर और एसबेस्टस सीमेंट	1,130.64	1,104.63	-2.3	0.03
मृद भांड तथा संबद्ध उत्पाद	5,201.14	5,831.57	12.12	0.16
ग्लास एवं ग्लासवेयर	8,447.48	10,121.54	19.82	0.28
11. कागज एवं संबद्ध उत्पाद	53,350.56	61,302.31	14.9	1.71
पुस्तक, प्रकाशन एवं मुद्रण	2,051.78	2,425.95	18.24	0.07
न्यूजप्रीट	5,006.53	6,854.23	36.91	0.19
कागज, कागज के बोर्ड एवं उत्पाद	21,285.11	24,885.70	16.92	0.69
प्लाइवुड तथा संबद्ध उत्पाद	8,995.65	10,207.47	13.47	0.28
अन्य लकड़ी तथा लकड़ी के उत्पाद	8,569.46	7,743.11	-9.64	0.22
लुग्दी एवं अपशिष्ट कागज	7,442.03	9,185.85	23.43	0.26
12. बेस मेटल	1,76,790.42	2,26,349.99	28.03	6.31
लोहा एवं इस्पात	67,235.42	87,929.20	30.78	2.45
लोहा एवं इस्पात के उत्पाद	26,970.77	35,387.58	31.21	0.99
एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के उत्पाद	29,684.84	38,747.21	30.53	1.08
कॉपर तथा कॉपर से बने उत्पाद	29,493.25	37,420.70	26.88	1.04
लीड तथा लीड से बने उत्पाद	5,250.38	5,475.49	4.29	0.15
गिल्ट, गिल्ट से बने उत्पाद	4,110.72	5,186.20	26.16	0.14
टिन तथा टिन से बने उत्पाद	1,564.79	1,555.10	-0.62	0.04
जिंक तथा जिंक से बने उत्पाद	5,332.43	5,646.30	5.89	0.16
अन्य अलौह धातुएं एवं उनसे बने उत्पाद	7,147.83	9,002.21	25.94	0.25
13. आष्टिकल, मेडिकल एवं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स	34,426.31	41,203.72	19.69	1.15
सर्जिकल	3,776.16	4,930.59	30.57	0.14
आष्टिकल मर्चें (लेंस आदि सहित)	3,819.94	3,898.34	2.05	0.11
चिकित्सा तथा वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट	26,830.20	32,374.79	20.67	0.9
14. इलेक्ट्रानिक्स की मर्चें	3,32,201.12	3,88,149.60	16.84	10.82
कंप्यूटर हार्डवेयर, पेरिफरल	52,924.23	62,615.63	18.31	1.75
उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स	28,216.11	33,977.82	20.42	0.95
इलेक्ट्रानिक्स के कंपोनेंट	65,621.26	1,10,389.18	68.22	3.08
इलेक्ट्रानिक्स के इंस्ट्रूमेंट	44,621.42	56,060.47	25.64	1.56

सारणी 3.3				
प्रमुख वस्तुओं का आयात				
मूल्य करोड़ रुपए में				
वस्तु	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
दूरसंचार के इंस्ट्रूमेंट	1,40,818.10	1,25,106.50	-11.16	3.49
15. मशीनरी	2,52,340.03	3,21,884.92	27.56	8.97
इलेक्ट्रोड्स	661.43	1,113.79	68.39	0.03
एक्युमुलेटर और बैटरी	8,038.72	12,222.88	52.05	0.34
हैंड टूल, मेटल के कटिंग टूल	6,326.02	7,820.13	23.62	0.22
मशीन टूल	16,353.71	24,670.37	50.85	0.69
एसी, रेफ्रिजरेशन मशीनरी आदि	21,825.42	26,090.32	19.54	0.73
क्रेन, लिफ्ट एवं घिरनी	9,134.80	11,870.22	29.95	0.33
इलेक्ट्रिक मशीनरी एवं उपकरण	53,454.46	68,848.46	28.8	1.92
आईसी इंजन एवं पुर्जे	17,009.96	16,938.78	-0.42	0.47
डेयरी आदि के लिए औद्योगिक मशीनरी	67,551.31	87,276.38	29.2	2.43
एटीएम, इंजेक्टिंग माउल्टिंग मशीनरी आदि	6,008.43	7,520.34	25.16	0.21
परमाणु रिएक्टर, औद्योगिक बॉयलर, पार्ट	1,874.67	2,748.11	46.59	0.08
अन्य निर्माण मशीनरी	13,287.65	15,850.14	19.28	0.44
अन्य विविध इंजीनियरिंग मर्चे	22,329.86	27,315.27	22.33	0.76
प्राइम अश्रक तथा अश्रक के उत्पाद	1,612.65	2,976.61	84.58	0.08
सभी प्रकार के पंप	6,870.94	8,623.14	25.5	0.24
16. कार्यालय उपकरण	302.09	369.17	22.21	0.01
कार्यालय उपकरण	302.09	369.17	22.21	0.01
17. परिवहन उपकरण	1,23,576.78	1,38,551.91	12.12	3.86
आटो टायर एवं ट्यूब	3,214.93	3,127.85	-2.71	0.09
आटो कंपोनेंट / पुर्जे	33,084.25	37,807.81	14.28	1.05
साइकल एवं पुर्जे	1,694.55	1,945.77	14.83	0.05
एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट एवं पुर्जे	49,475.49	47,162.57	-4.67	1.31
मोटर वाहन / कार	2,162.27	2,549.55	17.91	0.07
रेलवे परिवहन उपकरण	2,748.83	4,929.14	79.32	0.14
पोत, नाव एवं फ्लोटिंग स्ट्रक्चर	30,878.70	40,691.22	31.78	1.13
दुपहिया एवं तिपहिया वाहन	317.76	338.01	6.37	0.01
18. परियोजना माल	13,392.28	16,617.76	24.08	0.46
परियोजना माल	13,392.28	16,617.76	24.08	0.46
19. कपड़ा एवं संबद्ध उत्पाद	41,257.71	47,273.37	14.58	1.32
मानव निर्मित स्टेपल फाइबर	2,378.27	3,274.73	37.69	0.09
कॉटन यार्न	205.38	147.35	-28.25	0
कॉटन फेब्रिक, मेडअप आदि	3,043.62	3,490.54	14.68	0.1
अन्य टेक्सटाइल यार्न, फेब्रिक मेडअप्स आर्टिकल	6,215.54	6,389.74	2.8	0.18
कच्चा रेशम	1,218.14	1,041.40	-14.51	0.03
प्राकृतिक सिल्क यार्न, फेब्रिक, मेडअप	385.17	341.39	-11.37	0.01
मानव निर्मित धागे, फेब्रिक, मेडअप	12,221.94	15,401.94	26.02	0.43
कच्चा ऊन	1,884.60	2,159.56	14.59	0.06

सारणी 3.3				
प्रमुख वस्तुओं का आयात				
मूल्य करोड़ रुपए में				
वस्तु	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
वूलन यार्न, फेब्रिक, मेडअप आदि	510.76	804.92	57.59	0.02
साजो-सामान सहित कॉटन के रेडिमेड गारमेंट	2,261.23	3,841.61	69.89	0.11
रेशम के रेडिमेड गारमेंट	33.29	73.82	121.76	0
मानव निर्मित फाइबर के रेडिमेड गारमेंट	1,505.90	2,281.90	51.53	0.06
ऊन के रेडिमेड गारमेंट	84.52	110.36	30.57	0
वस्त्र निर्माण की अन्य सामग्री के रेडिमेड गारमेंट	1,097.60	1,462.34	33.23	0.04
कॉयर एवं कॉयर के विनिर्माण	48.6	30.05	-38.17	0
हथकरघा के उत्पाद	70.16	107.77	53.61	0
रेशम के अपशिष्ट	11.99	36.37	203.3	0
कच्चा जूट	289.02	235.86	-18.39	0.01
जूट के धागे	310.94	292.13	-6.05	0.01
जूट के टाट	122.38	184.4	50.69	0.01
जूट की फ्लोर कवरिंग	6.86	8.96	30.48	0
जूट के अन्य विनिर्माण	440.25	466.49	5.96	0.01
हाथ से निर्मित कालीन (रेशम को छोड़कर)	604.55	706.79	16.91	0.02
रेशम के कालीन	0.23	0.03	-86.26	0
अपशिष्ट सहित कच्चा कपास	6,306.77	4,382.89	-30.5	0.12
20. पेट्रोलियम (कच्चा एवं उत्पाद)	7,00,320.81	9,86,019.61	40.8	27.48
पेट्रोलियम : क्रूड	5,63,097.71	7,98,158.32	41.74	22.25
पेट्रोलियम उत्पाद	1,37,223.10	1,87,861.29	36.9	5.24
21 अन्य	39,907.76	43,012.65	7.78	1.2
मानव केश, उनके उत्पाद	33.38	38.02	13.89	0
पैकेजिंग की सामग्रियां	1,948.25	2,369.82	21.64	0.07
हस्तशिल्प (हस्त निर्मित कारपेट को छोड़कर)	5,943.42	5,556.16	-6.52	0.15
अन्य वस्तुएं	31,982.71	35,048.64	9.59	0.98

डाटा का स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकाता

वाणिज्य विभाग
- एनआईसी

सारणी 3.4				
प्रमुख वस्तुओं का आयात				
मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)				
वस्तु	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
1 बागान	1,039.28	1,057.26	1.73	0.21
चाय	55.39	46.33	-16.36	0.01
कॉफी	154.73	137.67	-11.03	0.03
प्राकृतिक रबर	829.15	873.26	5.32	0.17
2 कृषि एवं संबद्ध उत्पाद	22,223.10	18,560.25	-16.48	3.62

सारणी 3.4				
प्रमुख वस्तुओं का आयात				
मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)				
वस्तु	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
चावल - बासमती				
चावल (बासमती से भिन्न)	1.89	4.56	141.05	0
गेहूँ	364.5	0.77	-99.79	0
अन्य अनाज	67.27	67.92	0.97	0.01
दालें	2,908.33	1,140.76	-60.78	0.22
तम्बाकू (अनिर्मित)	10.78	14.48	34.35	0
तम्बाकू (निर्मित)	28.85	36.76	27.42	0.01
मसाले	990.7	1,128.84	13.94	0.22
काजू	1,418.63	1,607.54	13.32	0.31
काजू गिरी शेल लिक्विड	0.88	3.02	242.28	0
तिल के बीज	27.4	124.23	353.38	0.02
नाइजर के बीज	4.49	5.8	29.05	0
मूंगफली	2.02	1.16	-42.72	0
अन्य तिलहन	56.47	108.58	92.28	0.02
वनस्पति तेल	11,637.48	9,890.32	-15.01	1.93
खली	115.83	125.2	8.09	0.02
ग्वार गम मील	0.51	0.84	64.74	0
अरंडी का तेल	0.4	0.76	91.48	0
लाख	2.85	2.75	-3.74	0
चीनी	936.52	449.02	-52.05	0.09
शीरा	10.76	0.2	-98.17	0
फलों / सब्जियों के बीज	119.19	119.29	0.09	0.02
ताजे फल	1,942.92	1,987.58	2.3	0.39
ताजी सब्जियां	3.98	3.28	-17.42	0
प्रसंस्कृत सब्जियां	20.92	23.16	10.71	0
प्रसंस्कृत फल एवं जूस	124.78	129.68	3.93	0.03
अनाज से बनी वस्तुएं	102.35	137.85	34.69	0.03
कोको उत्पाद	228.51	263.14	15.16	0.05
मिल उत्पाद	2.02	2.23	10.27	0
विविध प्रसंस्कृत मर्दे	349	366.2	4.93	0.07
पशु आवरण				
भेड़ / बकरी का मांस	2.07	1.55	-25	0
अन्य मांस	4.31	4.39	1.77	0
प्रसंस्कृत मांस	0.5	0.59	18.61	0
डेयरी उत्पाद	48.51	36.43	-24.9	0.01
पोल्ट्री उत्पाद	4.17	6.01	44.13	0
फूलों की खेती के उत्पाद	21.16	24.97	17.97	0
अल्कोहलिक पेय	601.22	667.6	11.04	0.13
आयुष एवं हर्बल उत्पाद	60.92	72.78	19.47	0.01

सारणी 3.4				
प्रमुख वस्तुओं का आयात				
मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)				
वस्तु	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
3 समुद्री उत्पाद	123.06	155.7	26.52	0.03
समुद्री उत्पाद	123.06	155.7	26.52	0.03
4 अयस्क एवं खनिज	31,743.71	33,622.63	5.92	6.55
लोह अयस्क	655.19	844.12	28.84	0.16
अभ्रक	1.68	1.9	13.4	0
कोयला, कोक एवं ब्रिकेट आदि	22,901.23	26,174.73	14.29	5.1
थोक खनिज एवं अयस्क	6,207.37	3,877.59	-37.53	0.76
प्रसंस्कृत खनिज	1,486.80	2,131.07	43.33	0.42
सल्फर, अनरोस्टेड आयरन पाइराइट	165.88	217.13	30.9	0.04
अन्य कच्चे खनिज	325.57	376.09	15.52	0.07
5 चर्म एवं चर्म विनिर्माण	1,056.60	1,093.22	3.47	0.21
कच्ची खाल एवं त्वचा	46.82	34.69	-25.92	0.01
फिनिशड लेदर	568.7	548.15	-3.61	0.11
चमड़े की वस्तुएं	67.72	72.06	6.41	0.01
लेदर गारमेंट	2.56	2.3	-10.18	0
चमड़े के फुटवियर	349.24	413.01	18.26	0.08
लेदर फुटवियर कंपोनेंट	20.94	22.06	5.34	0
काठी एवं साज	0.6	0.95	57.23	0
6 रत्न तथा आभूषण	74,668.31	64,666.22	-13.4	12.6
मोती, बहुमूल्य एवं अर्ध बहुमूल्य पत्थर	34,278.91	27,075.64	-21.01	5.28
सोना	33,657.21	32,897.22	-2.26	6.41
चांदी	3,213.80	3,748.22	16.63	0.73
अन्य बहुमूल्य एवं बेस मेटल	360.35	277.26	-23.06	0.05
सोना एवं अन्य बहुमूल्य मेटल के आभूषण	3,158.05	667.88	-78.85	0.13
7 खेलों के सामान	292.05	332.06	13.7	0.06
खेलों के सामान	292.05	332.06	13.7	0.06
8 रसायन एवं संबद्ध उत्पाद	40,392.72	47,802.56	18.34	9.32
उर्वरक, कच्चा	728.8	832.69	14.25	0.16
उर्वरक, विनिर्मित	4,647.53	6,634.75	42.76	1.29
थोक औषधियां, औषधि मध्यवर्ती	2,993.26	3,560.36	18.95	0.69
डाई मध्यवर्ती	871.81	999.62	14.66	0.19
डाई	336.22	358.7	6.69	0.07
ड्रग फार्मुलेशन, जैविक	1,840.78	2,018.66	9.66	0.39
कृषि रसायन	1,313.72	1,332.95	1.46	0.26
अजैविक रसायन	4,762.97	5,656.55	18.76	1.1
जैविक रसायन	12,428.44	14,250.31	14.66	2.78
अन्य विविध रसायन	653.29	832.3	27.4	0.16
कास्मेटिक्स एवं शौचालय के सामान	1,320.58	1,606.06	21.62	0.31
गंध तेल	152.46	149.66	-1.84	0.03

सारणी 3.4				
प्रमुख वस्तुओं का आयात				
मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)				
वस्तु	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
अवशिष्ट रासायनिक एवं संबद्ध उत्पाद	6,522.98	7,543.45	15.64	1.47
पेंट, वार्निश एवं संबद्ध उत्पाद	1,679.48	1,862.42	10.89	0.36
ग्रेफाइट, विस्फोटक और सहायक	140.4	164.09	16.88	0.03
9 प्लास्टिक एवं रबर की वस्तुएं	17,038.02	18,468.86	8.4	3.6
फुटवियर को छोड़कर रबर के अन्य उत्पाद	2,140.51	2,392.07	11.75	0.47
रबर / कैनवस आदि के फुटवियर	317.09	311.9	-1.64	0.06
माउल्टेड एवं एक्सट्रूडेड गुड्स	1,399.15	1,417.17	1.29	0.28
प्लास्टिक की कच्ची सामग्री	10,690.31	11,421.46	6.84	2.23
प्लास्टिक की शीट, फिल्म, प्लेट आदि	1,416.84	1,904.32	34.41	0.37
लेखन सामग्री / कार्यालय, स्कूल आपूर्ति	92.76	83.69	-9.78	0.02
प्लास्टिक की अन्य मदें	981.36	938.25	-4.39	0.18
10 पत्थर, प्लास्टर, सीमेंट, एसबेस्टस, अभ्रक या समान सामग्रियों की वस्तुएं; मिट्टी के उत्पाद; ग्लास एवं ग्लासवेयर	2,715.30	2,789.97	2.75	0.54
ग्रेनाइट, प्राकृतिक पत्थर एवं उत्पाद	421.97	351.79	-16.63	0.07
सीमेंट, क्लींकर एवं एसबेस्टस सीमेंट	175.42	158.49	-9.65	0.03
मृद भांड तथा संबद्ध उत्पाद	807.29	832.93	3.18	0.16
ग्लास एवं ग्लासवेयर	1,310.62	1,446.76	10.39	0.28
11 कागज एवं संबद्ध उत्पाद	8,276.87	8,760.99	5.85	1.71
पुस्तक, प्रकाशन एवं मुद्रण	318.29	345.87	8.66	0.07
न्यूजप्रीट	776.67	977.66	25.88	0.19
कागज, कागज के बोर्ड एवं उत्पाद	3,302.51	3,558.74	7.76	0.69
प्लाइवुड तथा संबद्ध उत्पाद	1,395.78	1,457.91	4.45	0.28
अन्य लकड़ी तथा लकड़ी के उत्पाद	1,329.06	1,109.07	-16.55	0.22
लुग्दी एवं अपशिष्ट कागज	1,154.55	1,311.74	13.61	0.26
12 बेस मेटल	27,429.26	32,363.63	17.99	6.31
लोहा एवं इस्पात	10,432.22	12,573.78	20.53	2.45
लोहा एवं इस्पात के उत्पाद	4,185.37	5,056.94	20.82	0.99
एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के उत्पाद	4,605.34	5,539.04	20.27	1.08
कॉपर तथा कॉपर से बने उत्पाद	4,575.11	5,346.73	16.87	1.04
लीड तथा लीड से बने उत्पाद	814.51	785.76	-3.53	0.15
गिल्ट, गिल्ट से बने उत्पाद	637.51	742.17	16.42	0.14
टिन तथा टिन से बने उत्पाद	242.87	223.44	-8	0.04
जिंक तथा जिंक से बने उत्पाद	827.28	810.07	-2.08	0.16
अन्य अलौह धातुएं एवं उनसे बने उत्पाद	1,109.04	1,285.72	15.93	0.25
13 आष्टिकल, मेडिकल एवं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स	5,340.29	5,891.82	10.33	1.15
सर्जिकल	585.73	705.92	20.52	0.14
आष्टिकल मदें (लेंस आदि सहित)	592.83	555.38	-6.32	0.11
चिकित्सा तथा वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट	4,161.73	4,630.53	11.26	0.9
14. इलेक्ट्रानिक्स की मदें	51,540.86	55,475.52	7.63	10.81

सारणी 3.4				
प्रमुख वस्तुओं का आयात				
मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)				
वस्तु	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
कंप्यूटर हार्डवेयर, पेरिफरल	8,208.99	8,955.48	9.09	1.75
उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	4,378.10	4,843.39	10.63	0.94
इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट	10,182.68	15,745.30	54.63	3.07
इलेक्ट्रॉनिक्स के इंस्ट्रूमेंट	6,922.73	8,013.96	15.76	1.56
दूरसंचार के इंस्ट्रूमेंट	21,848.37	17,917.40	-17.99	3.49
15. मशीनरी	39,148.54	46,052.29	17.63	8.98
इलेक्ट्रोड्स	102.66	158.94	54.81	0.03
एक्युमुलेटर और बैटरी	1,247.16	1,748.05	40.16	0.34
हैंड टूल, मेटल के कटिंग टूल	981.7	1,118.52	13.94	0.22
मशीन टूल	2,537.89	3,523.97	38.85	0.69
एसी, रेफ्रिजरेशन मशीनरी आदि	3,385.51	3,744.67	10.61	0.73
क्रेन, लिफ्ट एवं घिरनी	1,417.03	1,703.54	20.22	0.33
इलेक्ट्रिक मशीनरी एवं उपकरण	8,288.14	9,859.53	18.96	1.92
आईसी इंजन एवं पुर्जे	2,642.06	2,424.63	-8.23	0.47
डेयरी आदि के लिए औद्योगिक मशीनरी	10,482.06	12,469.64	18.96	2.43
एटीएम, इंजेक्टिंग माउलिंग मशीनरी आदि	932.17	1,075.52	15.38	0.21
परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, पुर्जे	290.75	392.19	34.89	0.08
अन्य निर्माण मशीनरी	2,060.64	2,268.49	10.09	0.44
अन्य विविध इंजीनियरिंग मदें	3,464.60	3,905.98	12.74	0.76
प्राइम अंशक तथा अंशक के उत्पाद	250.19	424.66	69.73	0.08
सभी प्रकार के पंप	1,065.97	1,233.96	15.76	0.24
16. कार्यालय उपकरण	46.83	52.73	12.6	0.01
कार्यालय उपकरण	46.83	52.73	12.6	0.01
17. परिवहन उपकरण	19,175.01	19,761.84	3.06	3.85
आटो टायर एवं ट्यूब	498.76	447.74	-10.23	0.09
आटो कंपोनेंट / पुर्जे	5,132.74	5,411.98	5.44	1.05
साइकल एवं पुर्जे	263.06	278.73	5.96	0.05
एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट एवं पुर्जे	7,676.69	6,712.67	-12.56	1.31
मोटर वाहन / कार	335.47	364.22	8.57	0.07
रेलवे परिवहन उपकरण, पुर्जे	426.27	706.12	65.65	0.14
पोत, नाव एवं फ्लोटिंग स्ट्रक्चर	4,792.75	5,792.03	20.85	1.13
दुपहिया एवं तिपहिया वाहन	49.28	48.36	-1.87	0.01
18. परियोजना माल	2,077.61	2,375.57	14.34	0.46
परियोजना माल	2,077.61	2,375.57	14.34	0.46
19. कपड़ा एवं संबद्ध उत्पाद	6,401.90	6,759.21	5.58	1.32
मानव निर्मित स्टेपल फाइबर	368.91	467.38	26.69	0.09
कॉटन यार्न	31.88	21.05	-33.95	0
कॉटन फेब्रिक, मेडअप आदि	472.11	497.89	5.46	0.1
टेक्सटाइल यार्न, फेब्रिक, मेडअप से बनी अन्य वस्तुएं	964.4	913.32	-5.3	0.18

सारणी 3.4				
प्रमुख वस्तुओं का आयात				
मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)				
वस्तु	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
कच्चा रेशम	188.99	148.38	-21.49	0.03
प्राकृतिक सिल्क यार्न, फेब्रिक, मेडअप	59.79	48.86	-18.27	0.01
मानव निर्मित धागे, फेब्रिक, मेडअप	1,896.25	2,202.13	16.13	0.43
कच्चा ऊन	292.4	310.3	6.12	0.06
वूलन यार्न, फेब्रिक, मेडअप आदि	79.25	114.63	44.65	0.02
साजो-सामान सहित कॉटन के रेडिमेड गारमेंट	350.94	547.73	56.08	0.11
रेशम के रेडिमेड गारमेंट	5.16	10.44	102.15	0
मानव निर्मित फाइबर के रेडिमेड गारमेंट	233.64	324	38.68	0.06
ऊन के रेडिमेड गारमेंट	13.11	15.66	19.46	0
वस्त्र निर्माण की अन्य सामग्री के रेडिमेड गारमेंट	170.3	208.43	22.39	0.04
कॉयर एवं कॉयर के विनिर्माण	7.55	4.28	-43.26	0
हथकरघा के उत्पाद	10.88	15.38	41.35	0
रेशम के अपशिष्ट	1.86	5.22	180.42	0
कच्चा जूट	44.75	33.94	-24.16	0.01
जूट के धागे	48.26	41.82	-13.35	0.01
जूट के टाट	18.99	26.37	38.85	0.01
जूट की फ्लोर कवरींग	1.06	1.29	21.21	0
जूट के अन्य विनिर्माण	68.29	66.69	-2.34	0.01
हाथ से निर्मित कालीन (रेशम को छोड़कर)	93.78	101.03	7.73	0.02
रेशम के कालीन	0.04	0	-87.47	0
अपशिष्ट सहित कच्चा कपास	979.32	632.98	-35.37	0.12
20. पेट्रोलियम (कच्चा एवं उत्पाद)	1,08,658.69	1,40,883.78	29.66	27.46
पेट्रोलियम : क्रूड	87,372.27	1,14,042.12	30.52	22.23
पेट्रोलियम उत्पाद	21,286.42	26,841.66	26.1	5.23
21. अन्य	6,192.98	6,159.75	-0.54	1.2
मानव केश, उनके उत्पाद	5.18	5.45	5.18	0
पैकेजिंग की सामग्रियां	302.26	339.32	12.26	0.07
हस्तशिल्प (हस्त निर्मित कारपेट को छोड़कर)	923.27	794.28	-13.97	0.15
अन्य वस्तुएं	4,962.27	5,020.70	1.18	0.98

डाटा का स्रोत : डीजीसीआईएस, कोलकाता

वाणिज्य
विभाग -
एनआईसी

सारणी 3.5				
प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात				
मूल्य करोड़ रुपए में				
क्षेत्र / देश	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)

सारणी 3.5				
प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात				
मूल्य करोड़ रुपए में				
क्षेत्र / देश	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
1) यूरोप	3,88,924.34	4,49,873.63	15.67	19.53
1.1 यूरोपीय संघ के देश	3,45,630.02	3,99,794.17	15.67	17.35
1) यूके	62,571.53	65,268.40	4.31	2.83
2) जर्मनी	56,002.91	62,215.78	11.09	2.7
3) नीदरलैंड	40,357.71	61,573.82	52.57	2.67
4) बेल्जियम	40,007.55	47,009.51	17.5	2.04
5) इटली	36,808.67	39,089.49	6.2	1.7
6) फ्रांस	31,594.49	36,600.16	15.84	1.59
7) स्पेन	25,759.52	29,218.04	13.43	1.27
8) पोलैंड	9,934.39	11,004.07	10.77	0.48
9) स्वीडन	4,972.45	5,535.04	11.31	0.24
10) डेनमार्क	5,053.43	5,225.16	3.4	0.23
11) पुर्तगाल	4,817.60	5,198.71	7.91	0.23
12) आयरलैंड	3,457.10	3,716.64	7.51	0.16
13) यूनान	2,795.24	3,502.67	25.31	0.15
14) आस्ट्रिया	2,965.09	3,373.56	13.78	0.15
15) हंगरी	2,595.49	3,204.64	23.47	0.14
16) रोमानिया	2,571.80	3,007.77	16.95	0.13
17) चेक गणराज्य	2,613.02	3,003.23	14.93	0.13
18) स्लोवेनिया	1,850.29	2,215.57	19.74	0.1
19) फिनलैंड	1,823.18	1,792.16	-1.7	0.08
20) माल्टा	1,262.41	1,606.43	27.25	0.07
21) बुल्गारिया	1,116.77	1,485.49	33.02	0.06
22) क्रोएशिया	1,087.04	1,074.31	-1.17	0.05
23) स्लोवाक गणराज्य	982.62	1,019.63	3.77	0.04
24) लिथुआनिया	669.39	890.47	33.03	0.04
25) लातविया	722.91	810.15	12.07	0.04
26) साइप्रस	646.29	494.65	-23.46	0.02
27) एस्टोनिया	517.71	449.52	-13.17	0.02
28) लक्समबर्ग	73.43	209.11	184.78	0.01
1.2 यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए)	9,366.27	10,720.48	14.46	0.47
1) स्विट्जरलैंड	6,987.10	8,292.45	18.68	0.36
2) नॉर्वे	2,323.16	2,186.39	-5.89	0.09
3) आइसलैंड	38.02	217.91	473.11	0.01
4) लिक्टेन्स्टीन	17.98	23.73	31.98	0
1.3 अन्य यूरोपीय देश	33,928.06	39,358.99	16.01	1.71
1) तुर्की	32,814.81	38,058.44	15.98	1.65
2) सर्बिया	380.55	515.58	35.48	0.02

सारणी 3.5				
प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात				
मूल्य करोड़ रुपए में				
क्षेत्र / देश	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
3) मोंटेनेग्रो	332.5	270.6	-18.62	0.01
4) अल्बानिया	189	258.42	36.73	0.01
5) मैसेडोनिया	112.06	136.8	22.09	0.01
6) बोस्निया-हर्जेगोविना	99.14	119.14	20.17	0.01
7) सर्बिया और मोंटेनेग्रो संघ	0.01			
2) अफ्रीका	1,60,534.47	1,99,543.16	24.3	8.66
2.1 दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (एसएससीयू)	26,055.30	30,513.22	17.11	1.32
1) दक्षिण अफ्रीका	24,659.84	28,334.31	14.9	1.23
2) बोत्सवाना	698.4	1,253.52	79.48	0.05
3) नामीबिया	282.93	578.48	104.46	0.03
4) लेसोथो	203.34	213.43	4.96	0.01
5) स्वाज़िलैंड	210.78	133.48	-36.67	0.01
2.2 अन्य दक्षिण अफ्रीकी देश	10,271.56	13,018.87	26.75	0.57
1) मोज़ाम्बिक	5,805.75	7,538.10	29.84	0.33
2) जाम्बिया	1,897.58	2,237.82	17.93	0.1
3) अंगोला	1,513.61	1,974.13	30.43	0.09
4) ज़िम्बाब्वे	1,054.63	1,268.82	20.31	0.06
2.3 पश्चिम अफ्रीका	43,310.32	53,876.19	24.4	2.34
1) नाइजीरिया	14,535.26	21,039.92	44.75	0.91
2) घाना	4,098.02	5,006.79	22.18	0.22
3) टोगो	2,638.60	4,871.00	84.61	0.21
4) सेनेगल	4,668.41	4,460.81	-4.45	0.19
5) कोटे डि आइवरी	3,297.74	3,147.98	-4.54	0.14
6) बेनिन	3,089.26	2,987.15	-3.31	0.13
7) गीनिया	2,436.47	2,828.36	16.08	0.12
8) बुर्किना फासो	956.53	1,271.93	32.97	0.06
9) कैमरून	1,250.15	1,249.48	-0.05	0.05
10) लाइबेरिया	1,658.16	1,248.80	-24.69	0.05
11) गैम्बिया	775.22	1,097.23	41.54	0.05
12) कांगो जनवादी गणराज्य	752.22	933.18	24.06	0.04
13) माले	796.44	915.19	14.91	0.04
14) मॉरिटानिया	536.75	805	49.98	0.03
15) सियरा लियोन	602.2	783.16	30.05	0.03
16) नाइजर	774.53	664.71	-14.18	0.03
17) गैबॉन	290.72	386.43	32.92	0.02
18) एक्वेटेरियन गीनिया	69.49	83.92	20.77	0
19) गीनिया बिसाऊ	68.85	75.63	9.85	0
20) केप वर्डे द्वीप	9.53	11.11	16.62	0

सारणी 3.5				
प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात				
मूल्य करोड़ रुपए में				
क्षेत्र / देश	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
21) साओ टोम	5.74	8.27	44.22	0
22) सेंट हेलेना	0.04	0.11	212.67	0
2.4 मध्य अफ्रीका	7,366.06	9,412.55	27.78	0.41
1) युगांडा	3,430.72	4,057.83	18.28	0.18
2) कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	1,450.82	2,122.69	46.31	0.09
3) मालावी	1,286.50	1,417.95	10.22	0.06
4) रवांडा	584.06	1,018.83	74.44	0.04
5) बुरुंडी	245.46	340.8	38.84	0.01
6) चाड	175.98	263.14	49.53	0.01
7) मध्य अफ्रीकी गणराज्य	192.51	191.31	-0.62	0.01
2.5 पूर्वी अफ्रीका	42,108.45	51,572.55	22.48	2.24
1) केन्या	12,724.49	14,440.74	13.49	0.63
2) तंजानिया गणराज्य	10,440.00	11,924.60	14.22	0.52
3) मॉरीशस	6,946.61	8,090.93	16.47	0.35
4) ज़िंबूवी	2,422.20	5,549.24	129.1	0.24
5) इथियोपिया	4,409.40	5,364.26	21.66	0.23
6) सोमालिया	2,934.86	3,768.36	28.4	0.16
7) मेडागास्कर	1,469.07	1,384.22	-5.78	0.06
8) सेशेल्स	271.26	586.33	116.16	0.03
9) रीयूनियन	298.99	329.35	10.15	0.01
10) कोमोरोस	191.57	134.52	-29.78	0.01
2.6 उत्तरी अफ्रीका	31,422.79	41,149.78	30.96	1.79
मिस्र अरब गणराज्य	15,421.09	20,153.87	30.69	0.87
2) अल्जीरिया	5,306.92	6,575.29	23.9	0.29
3) सूडान	5,302.59	6,441.80	21.48	0.28
4) मोरक्को	2,789.13	4,752.14	70.38	0.21
5) ट्यूनीशिया	1,816.50	2,126.54	17.07	0.09
6) लीबिया	786.56	1,100.14	39.87	0.05
3) अमेरिका	4,04,675.93	4,81,426.83	18.97	20.9
3.1 उत्तरी अमेरिका	3,49,165.73	4,13,306.24	18.37	17.94
1) संयुक्त राज्य अमेरिका	3,08,627.60	3,66,588.24	18.78	15.91
2) मेक्सिको	24,384.32	26,786.15	9.85	1.16
3) कनाडा	16,153.80	19,931.85	23.39	0.87
3.2 लैटिन अमेरिका	55,510.21	68,120.59	22.72	2.96
1) ब्राजील	19,747.33	26,617.33	34.79	1.16
2) कोलंबिया	6,054.23	7,810.92	29.02	0.34
3) चिली	4,921.91	6,912.19	40.44	0.3
4) पेरू	4,903.76	5,040.53	2.79	0.22
5) अर्जेंटीना	4,567.38	3,910.11	-14.39	0.17

सारणी 3.5				
प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात				
मूल्य करोड़ रुपए में				
क्षेत्र / देश	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
6) ग्वाटेमाला	1,882.19	2,136.90	13.53	0.09
7) इक्वाडोर	1,804.23	2,078.84	15.22	0.09
8) पनामा गणराज्य	1,462.95	1,592.82	8.88	0.07
9) डोमिनिक गणराज्य	1,268.69	1,507.34	18.81	0.07
10) उरुग्वे	1,027.73	1,268.14	23.39	0.06
11) होंडुरास	942.51	1,168.79	24.01	0.05
12) वेनेजुएला	510.53	1,154.05	126.05	0.05
13) पराग्वे	1,086.13	1,119.02	3.03	0.05
14) कोस्टा रिका	860.51	953.08	10.76	0.04
15) बोलीविया	678.57	734.87	8.3	0.03
16) ट्रिनिडाड	571.7	584.65	2.26	0.03
17) हैती	605.85	555.04	-8.39	0.02
18) अल साल्वाडोर	447.8	548.77	22.55	0.02
19) जमैका	336.84	388.25	15.26	0.02
20) निकारागुआ	562.81	373.78	-33.59	0.02
21) अमेरिका वर्जिन द्वीप	18.54	300.4	1,519.91	0.01
22) क्यूबा	269.51	244.32	-9.35	0.01
23) नीदरलैंड एंटील्स	248.48	213.86	-13.93	0.01
24) गुयाना	167.79	207.22	23.5	0.01
25) सूरीनाम	111.97	157.34	40.52	0.01
26) बेलीज	86.84	118.86	36.87	0.01
27) बारबाडोस	82.17	87.08	5.98	0
28) ब्रिटिश वर्जिन द्वीप	4.92	72.63	1,377.12	0
29) बहामास	52.04	42.58	-18.18	0
30) केमैन द्वीप	25.94	30.47	17.47	0
31) सेंट लूसिया	26.17	27.82	6.33	0
32) ग्रेनेडा	17	26.38	55.16	0
33) मार्टीनिक	28.54	25.02	-12.33	0
34) ग्वाडेलूप	34.48	23.95	-30.54	0
35) बरमूडा	20.08	22.04	9.76	0
36) एंटीगुआ	13.95	18.87	35.29	0
37) सेंट किट्स और नेविस महासंघ	18.52	16.67	-9.97	0
38) फ्रेंच गीनिया	14.08	13.24	-5.96	0
39) डोमिनिका	13.6	9.02	-33.64	0
40) सेंट विनसेंट	4.42	5.13	16.08	0
41) तुर्क्स और कैकोज़ द्वीपसमूह	7.37	1.83	-75.22	0
42) मोंटेसेराट	0.15	0.42	181.69	0
43 फ़ॉकलैंड द्वीप		0.01		0
4) एशिया	9,64,613.56	11,23,831.68	16.51	48.78

सारणी 3.5				
प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात				
मूल्य करोड़ रुपए में				
क्षेत्र / देश	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
4.1 पूर्व एशिया (ओशिनिया)	28,831.81	28,098.87	-2.54	1.22
1) ऑस्ट्रेलिया	25,856.52	24,571.36	-4.97	1.07
2) न्यूजीलैंड	2,274.59	2,660.70	16.97	0.12
3) फिजी द्वीप	349.75	424.48	21.37	0.02
4) पापुआ न्यू गिनी	270.38	346.97	28.33	0.02
5) तिमोर लेस्ते	21.39	36.86	72.35	0
6) समोया	15.48	18.15	17.24	0
7) सोलोमन द्वीप	8.24	17.89	117.27	0
8) वानुअतु गणराज्य	14.64	13.86	-5.33	0
9) नारू गणराज्य	8.78	3.61	-58.92	0
10) किरिबाटी गणराज्य	3.55	2.55	-28.14	0
11) टोंगा	8.09	2.43	-70	0
12) तुवालु	0.4	0.01	-96.63	0
4.2 आसियान	2,20,530.07	2,62,024.92	18.82	11.37
1) सिंगापुर	65,790.05	80,916.48	22.99	3.51
2) वियतनाम समाजवादी गणराज्य	50,388.38	45,409.91	-9.88	1.97
3) मलेशिया	36,738.35	45,072.44	22.68	1.96
4) इंडोनेशिया	25,573.30	36,891.44	44.26	1.6
5) थाईलैंड	23,551.30	31,050.30	31.84	1.35
6) फिलीपींस	10,910.41	12,189.39	11.72	0.53
7) म्यांमार	6,227.06	8,455.64	35.79	0.37
8) कंबोडिया	782.93	1,370.79	75.08	0.06
9) ब्रुनेई	407.13	393.47	-3.36	0.02
10) लाओ पीडी आरपी	161.16	275.05	70.67	0.01
4.3 पश्चिम एशिया जीसीसी	2,53,924.62	2,90,033.01	14.22	12.59
1) संयुक्त अरब अमीरात	1,81,456.93	2,09,943.12	15.7	9.11
2) सऊदी अरब	34,867.98	38,786.95	11.24	1.68
3) ओमान	15,719.38	15,634.82	-0.54	0.68
4) कतर	9,487.72	11,175.14	17.79	0.49
5) कुवैत	8,803.76	9,294.30	5.57	0.4
6) बहरीन द्वीप	3,588.85	5,198.67	44.86	0.23
4.4 अन्य पश्चिम एशिया	57,959.92	75,585.35	30.41	3.28
1) इजराइल	21,687.39	26,431.63	21.88	1.15
2) ईरान	17,093.84	24,461.15	43.1	1.06
3) इराक	9,422.65	12,506.50	32.73	0.54
4) यमन गणराज्य	3,632.04	5,169.24	42.32	0.22
5) जोर्डन	3,478.44	4,058.08	16.66	0.18
6) लेबनान	1,657.05	1,877.78	13.32	0.08
7) सीरिया	988.52	1,080.96	9.35	0.05

सारणी 3.5				
प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात				
मूल्य करोड़ रुपए में				
क्षेत्र / देश	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
4.5 उत्तर पूर्व एशिया	2,54,442.72	2,93,877.83	15.5	12.76
1) चीनी जनवादी गणराज्य	86,000.00	1,17,275.37	36.37	5.09
2) हांगकांग	94,677.35	90,838.18	-4.06	3.94
3) जापान	30,509.41	34,006.13	11.46	1.48
4) कोरिया गणराज्य	28,758.96	32,881.55	14.33	1.43
5) ताइवान	13,903.30	18,520.10	33.21	0.8
6) कोरिया डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक	372.19	191.2	-48.63	0.01
7) मंगोलिया	132.06	158.01	19.65	0.01
8) मकाओ	89.45	7.29	-91.85	0
4.6 दक्षिण एशिया	1,48,924.41	1,74,211.71	16.98	7.56
1) बांग्लादेश जनवादी गणराज्य	55,538.10	62,441.04	12.43	2.71
2) नेपाल	42,623.68	53,248.22	24.93	2.31
3) श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य	28,869.71	32,974.25	14.22	1.43
4) पाकिस्तान आईआर	12,397.34	14,426.97	16.37	0.63
5) अफगानिस्तान टीस	4,576.89	4,992.37	9.08	0.22
6) भूटान	3,520.02	4,584.41	30.24	0.2
7) मालदीव	1,398.66	1,544.44	10.42	0.07
5) सीआईएस और बाल्टिक्स	19,385.65	24,283.33	25.26	1.05
5.1 सीएआर देश	2,352.98	3,106.99	32.04	0.13
1) उज़्बेकिस्तान	855.99	1,416.56	65.49	0.06
2) कज़ाकिस्तान	807.92	1,004.11	24.28	0.04
3) तुर्कमेनिस्तान	350.47	320.45	-8.57	0.01
4) किर्गिस्तान	184.27	209.59	13.74	0.01
5) ताजिकिस्तान	154.34	156.28	1.26	0.01
5.2 अन्य सीआईएस देश	17,032.67	21,176.34	24.33	0.92
1) रूस	13,622.09	16,729.49	22.81	0.73
2) यूक्रेन	2,128.14	2,735.94	28.56	0.12
3) जॉर्जिया	497.74	773.56	55.41	0.03
4) बेलारूस	306.9	389.97	27.07	0.02
5) अज़रबैजान	217.14	306.27	41.05	0.01
6) अर्मेनिया	214.62	180.76	-15.78	0.01
7) मोल्दोवा	46.04	60.35	31.08	0
6) गैर निर्दिष्ट क्षेत्र	18,380.56	24,939.60	35.68	1.08
1) गैर निर्दिष्ट	15,395.97	19,554.61	27.01	0.85
2) जिब्राल्टर	1,878.44	4,017.95	113.9	0.17
3) प्यूर्टो रिको	503.04	970.75	92.98	0.04
4) दक्षिण सूडान	22.8	73.59	222.75	0
5) अरूबा	41.53	67.48	62.49	0

सारणी 3.5				
प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात				
मूल्य करोड़ रुपए में				
क्षेत्र / देश	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
6) एरिट्रिया	47.91	61.99	29.39	0
7) न्यू केलडोनिया	66.04	61.62	-6.69	0
8) फ्रेंच पोलिनेशिया	40.98	38.11	-7.01	0
9) फरो द्वीप	1.93	21	989.59	0
10) मैयट	0.48	19.61	3,977.93	0
11) मोनाको	12.53	17.66	40.93	0
12) फिलिस्तीन का राज्य	0.1	10.39	10,477.80	0
13) अमेरिका से दूर पड़े हुए लघु द्वीप	3.37	4.61	36.91	0
14) गुआम	5.68	4.57	-19.6	0
15) माइक्रोनेशिया	1.92	2.36	23	0
16) अंडोरा	30.76	2.32	-92.46	0
17) मार्शल द्वीप	90.13	2.25	-97.51	0
18) उत्तरी मरीना द्वीपसमूह	0.26	1.9	636.43	0
19) कुक द्वीप	1.15	1.88	62.91	0
20) नोरफ़ॉल्क द्वीप	2.48	1.32	-46.8	0
21) एंगुइला	3.24	1.13	-65.01	0
22) सैन मैरीनो	0.89	1.07	19.8	0
23) पलाऊ	0.42	0.62	45.72	0
24) वैटिकन सिटी	0.74	0.2	-73.56	0
25) हेरड मैक डोनाल्ड	0.24	0.19	-22.65	0
26) अमेरी समोया	2	0.18	-90.95	0
27) सेंट पियरे	0.07	0.1	43.67	0
28) पिटकैर्न द्वीप	0.04	0.09	126.93	0
29) ग्रीनलैंड	0.05	0.02	-53.09	0
30) अंटार्कटिका	0.65	0.02	-96.38	0
31) शहावी अरब लोकतांत्रिक गणराज्य	0.08	0.02	-78.21	0
32) टोकेलाऊ द्वीप		0.01		0
33) ग्वेर्नसे	0.2			
34) अंतरराष्ट्रीय जल सीमा में प्रतिष्ठान	224.01			
35) कोकोस द्वीप				
36) जर्सी	0.01			
37) वालिस एफ द्वीप	0.33			
38) पनामा सी जेड	0.06			
39) कुराकाओ	0			
40) सिंट मार्टेन (डच पार्ट)	0.05			

स्रोत : डीजीसीआईएडएस

सारणी 3.6
प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात
मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में

क्षेत्र / देश	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
1) यूरोप	60,345.68	64,380.88	6.69	19.54
1.1 यूरोपीय संघ के देश	53,629.72	57,208.24	6.67	17.36
1) यूके	9,712.79	9,332.83	-3.91	2.83
2) जर्मनी	8,689.24	8,904.66	2.48	2.7
3) नीदरलैंड	6,263.27	8,814.16	40.73	2.67
4) बेल्जियम	6,206.92	6,730.20	8.43	2.04
5) इटली	5,710.26	5,593.67	-2.04	1.7
6) फ्रांस	4,901.58	5,236.26	6.83	1.59
7) स्पेन	3,996.15	4,182.60	4.67	1.27
8) पोलैंड	1,541.36	1,572.74	2.04	0.48
9) स्वीडन	771.51	792.25	2.69	0.24
10) डेनमार्क	784.21	746.46	-4.81	0.23
11) पुर्तगाल	747.32	743.87	-0.46	0.23
12) आयरलैंड	536.4	530.8	-1.05	0.16
13) यूनान	433.88	503.34	16.01	0.15
14) आस्ट्रिया	460.08	483.13	5.01	0.15
15) हंगरी	402.69	458.09	13.76	0.14
16) रोमानिया	398.92	430.29	7.86	0.13
17) चेक गणराज्य	405.37	429.12	5.86	0.13
18) स्लोवेनिया	286.99	316.82	10.4	0.1
19) फिनलैंड	282.84	256.42	-9.34	0.08
20) माल्टा	195.86	229.52	17.18	0.07
21) बुल्गारिया	173.24	213.35	23.15	0.06
22) क्रोएशिया	168.68	153.79	-8.83	0.05
23) स्लोवाक गणराज्य	152.46	145.96	-4.26	0.04
24) लिथुआनिया	103.84	127.37	22.66	0.04
25) लातविया	112.22	115.52	2.93	0.04
26) साइप्रस	99.91	70.65	-29.29	0.02
27) एस्टोनिया	80.33	64.31	-19.94	0.02
28) लक्समबर्ग	11.39	30.07	163.98	0.01
1.2 यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए)	1,452.54	1,534.00	5.61	0.47
1) स्विट्जरलैंड	1,083.86	1,186.80	9.5	0.36
2) नॉर्वे	359.98	313.01	-13.05	0.09
3) आइसलैंड	5.9	30.79	422.13	0.01
4) लिक्टेन्स्टीन	2.8	3.4	21.5	0
1.3 अन्य यूरोपीय देश	5,263.42	5,638.64	7.13	1.71
1) तुर्की	5,090.70	5,452.36	7.1	1.65
2) सर्बिया	59.02	73.64	24.76	0.02
3) मोन्टेनेग्रो	51.61	38.93	-24.56	0.01
4) अल्बानिया	29.34	37.08	26.39	0.01
5) मैसेडोनिया	17.38	19.54	12.44	0.01

सारणी 3.6				
प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात				
मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में				
क्षेत्र / देश	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
6) बोस्निया-हर्जेगोविना	15.37	17.08	11.11	0.01
7) सर्बिया और मोंटेनेग्रो संघ	0			
2) अफ्रीका	24,904.04	28,541.92	14.61	8.66
2.1 दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (एसएसीयू)	4,041.97	4,377.60	8.3	1.33
1) दक्षिण अफ्रीका	3,825.22	4,067.25	6.33	1.23
2) बोत्सवाना	108.58	178.31	64.22	0.05
3) नामीबिया	43.87	82.37	87.78	0.02
4) लेसोथो	31.59	30.46	-3.58	0.01
5) स्वाज़िलैंड	32.71	19.2	-41.31	0.01
2.2 अन्य दक्षिण अफ्रीकी देश	1,593.33	1,856.45	16.51	0.56
1) मोज़ाम्बिक	900.58	1,073.31	19.18	0.33
2) जाम्बिया	294.29	319.05	8.42	0.1
3) अंगोला	234.92	282.36	20.2	0.09
4) ज़िम्बाब्वे	163.54	181.72	11.12	0.06
2.3 पश्चिम अफ्रीका	6,718.96	7,698.45	14.58	2.34
1) नाइजीरिया	2,254.92	3,005.21	33.27	0.91
2) घाना	635.78	717.33	12.83	0.22
3) टोगो	408.68	694.09	69.84	0.21
4) सेनेगल	724.11	639.24	-11.72	0.19
5) कोटे डि आइवरी	511.75	448.85	-12.29	0.14
6) बेनिन	479.72	426.9	-11.01	0.13
7) गीनिया	377.94	404.84	7.12	0.12
8) बुर्किना फासो	148.35	181.44	22.3	0.06
9) कैमरून	193.94	178.25	-8.09	0.05
10) लाइबेरिया	257.46	178.81	-30.55	0.05
11) गैम्बिया	120.23	156.61	30.26	0.05
12) कांगो जनवादी गणराज्य	116.69	132.88	13.88	0.04
13) माले	123.6	130.69	5.73	0.04
14) मॉरिटानिया	83.16	115.59	39	0.04
15) सियरा लियोन	93.51	112.27	20.07	0.03
16) नाइजर	120.21	94.84	-21.11	0.03
17) गैबॉन	45.08	55.16	22.38	0.02
18) एक्वेटेरियन गीनिया	10.77	11.89	10.4	0
19) गीनिया बिसाऊ	10.68	10.76	0.71	0
20) केप वर्डे द्वीप	1.48	1.6	7.9	0
21) साओ टोम	0.89	1.18	33.12	0
22) सेंट हेलेना	0.01	0.02	189.29	0
2.4 मध्य अफ्रीका	1,142.83	1,342.08	17.44	0.41

सारणी 3.6				
प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात				
मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में				
क्षेत्र / देश	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
1) युगांडा	532.26	580.08	8.98	0.18
2) कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	225.07	302.94	34.6	0.09
3) मालावी	199.6	201.55	0.98	0.06
4) रवांडा	90.6	144.9	59.94	0.04
5) बुरुंडी	38.09	48.35	26.95	0.01
6) चाड	27.29	37.46	37.3	0.01
7) मध्य अफ्रीकी गणराज्य	29.92	26.8	-10.45	0.01
2.5 पूर्वी अफ्रीका	6,532.53	7,377.55	12.94	2.24
1) केन्या	1,974.57	2,071.85	4.93	0.63
2) तंजानिया गणराज्य	1,618.80	1,704.04	5.27	0.52
3) मॉरीशस	1,077.15	1,160.77	7.76	0.35
4) ज़िंबूवी	376.46	790.67	110.02	0.24
5) इथियोपिया	683.88	766.03	12.01	0.23
6) सोमालिया	455.52	536.71	17.82	0.16
7) मेडागास्कर	228.11	196.48	-13.87	0.06
8) सेशेल्स	42.06	84.49	100.86	0.03
9) रीयूनियन	46.36	47.23	1.87	0.01
10) कोमोरोस	29.62	19.29	-34.89	0.01
2.6 उत्तरी अफ्रीका	4,874.42	5,889.78	20.83	1.79
1) मिस्र अरब गणराज्य	2,392.42	2,886.55	20.65	0.88
2) अल्जीरिया	823.23	940.27	14.22	0.29
3) सूडान	822.72	921.94	12.06	0.28
4) मोरक्को	432.32	680.05	57.3	0.21
5) ट्यूनीशिया	281.77	304.21	7.96	0.09
6) लीबिया	121.96	156.76	28.53	0.05
3) अमेरिका	62,782.93	68,855.04	9.67	20.89
3.1 उत्तरी अमेरिका	54,171.32	59,114.32	9.12	17.94
1) संयुक्त राज्य अमेरिका	47,882.34	52,421.88	9.48	15.91
2) मेक्सिको	3,782.79	3,841.55	1.55	1.17
3) कनाडा	2,506.19	2,850.88	13.75	0.87
3.2 लैटिन अमेरिका	8,611.61	9,740.72	13.11	2.96
1) ब्राजील	3,063.49	3,800.48	24.06	1.15
2) कोलंबिया	939.16	1,116.86	18.92	0.34
3) चिली	763.56	989.81	29.63	0.3
4) पेरू	760.68	721.07	-5.21	0.22
5) अर्जेंटीना	708.76	562.9	-20.58	0.17
6) ग्वाटेमाला	291.93	305.37	4.6	0.09
7) इक्वाडोर	279.8	297.96	6.49	0.09
8) पनामा गणराज्य	227.05	227.26	0.09	0.07

सारणी 3.6				
प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात				
मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में				
क्षेत्र / देश	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
9) डोमिनिक गणराज्य	196.92	215.81	9.6	0.07
10) उरुग्वे	159.45	180.99	13.51	0.05
11) होंडुरास	146.17	166.72	14.06	0.05
12) वेनेजुएला	79.21	164.77	108.03	0.05
13) पराग्वे	168.43	160.71	-4.59	0.05
14) कोस्टा रिका	133.57	136.15	1.94	0.04
15) बोलीविया	105.19	104.71	-0.45	0.03
16) ट्रिनिडाड	88.69	83.75	-5.57	0.03
17) हैती	94.01	79.35	-15.59	0.02
18) अल साल्वाडोर	69.45	78.67	13.28	0.02
19) जमैका	52.24	55.41	6.07	0.02
20) निकारागुआ	87.31	53.87	-38.31	0.02
21) अमेरिका वर्जिन द्वीप	2.88	42.5	1,376.40	0.01
22) क्यूबा	41.8	35	-16.27	0.01
23) नीदरलैंड एंटील्स	38.59	30.58	-20.76	0.01
24) गुयाना	26.03	29.66	13.95	0.01
25) सूरीनाम	17.38	22.58	29.87	0.01
26) बेलीज	13.48	16.98	26.03	0.01
27) बारबाडोस	12.74	12.43	-2.45	0
28) ब्रिटिश वर्जिन द्वीप	0.76	10.69	1,304.35	0
29) बहामास	8.07	6.06	-25	0
30) केमैन द्वीप	4.02	4.37	8.61	0
31) सेंट लूसिया	4.06	4.01	-1.26	0
32) ग्रेनेडा	2.64	3.77	42.95	0
33) मार्टीनिक	4.42	3.58	-19.2	0
34) ग्वाडेलूप	5.35	3.42	-36.05	0
35) बरमूडा	3.12	3.15	1.15	0
36) एंटीगुआ	2.17	2.71	24.91	0
37) सेंट किट्स और नेविस महासंघ	2.87	2.37	-17.49	0
38) फ्रेंच गीनिया	2.18	1.9	-13.16	0
39) डोमिनिका	2.1	1.3	-38.46	0
40) सेंट विनसेंट	0.69	0.73	6.78	0
41) तुर्क्स और कैकोज़ द्वीपसमूह	1.15	0.26	-76.97	0
42) मोटेसेराट	0.02	0.06	150	0
43) फॉकलैंड द्वीप		0		0
4) एशिया	1,49,635.40	1,60,723.97	7.41	48.77
4.1 पूर्व एशिया (ओशिनिया)	4,473.85	4,026.09	-10.01	1.22
1) ऑस्ट्रेलिया	4,012.32	3,522.11	-12.22	1.07
2) न्यूजीलैंड	352.86	379.83	7.65	0.12

सारणी 3.6				
प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात				
मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में				
क्षेत्र / देश	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
3) फिजी द्वीप	54.24	60.8	12.08	0.02
4) पापुआ न्यू गिनी	41.93	49.72	18.59	0.02
5) तिमोर लेस्ते	3.32	5.26	58.62	0
6) समोया	2.4	2.59	7.87	0
7) सोलोमन द्वीप	1.28	2.57	100.62	0
8) वानुअतु गणराज्य	2.27	1.97	-13.21	0
9) नारू गणराज्य	1.36	0.53	-61.33	0
10) किरिबाटी गणराज्य	0.55	0.37	-32.92	0
11) टोंगा	1.26	0.35	-72.43	0
12) तुवालु	0.06	0	-96.96	0
4.2 आसियान	34,205.63	37,460.34	9.52	11.37
1) सिंगापुर	10,202.94	11,568.65	13.39	3.51
2) वियतनाम समाजवादी गणराज्य	7,813.08	6,507.41	-16.71	1.97
3) मलेशिया	5,701.59	6,431.88	12.81	1.95
4) इंडोनेशिया	3,965.56	5,278.49	33.11	1.6
5) थाईलैंड	3,653.83	4,433.54	21.34	1.35
6) फिलीपींस	1,692.83	1,743.63	3	0.53
7) म्यांमार	966.19	1,205.20	24.74	0.37
8) कंबोडिया	121.41	195.97	61.42	0.06
9) ब्रुनेई	63.19	56.19	-11.07	0.02
10) लाओ पीडी आरपी	25	39.38	57.49	0.01
4.3 पश्चिम एशिया जीसीसी	39,390.64	41,552.92	5.49	12.61
1) संयुक्त अरब अमीरात	28,146.12	30,088.16	6.9	9.13
2) सऊदी अरब	5,410.70	5,552.02	2.61	1.68
3) ओमान	2,439.46	2,241.34	-8.12	0.68
4) कतर	1,471.88	1,601.24	8.79	0.49
5) कुवैत	1,365.66	1,330.33	-2.59	0.4
6) बहरीन द्वीप	556.82	739.82	32.86	0.22
4.4 अन्य पश्चिम एशिया	8,993.37	10,829.70	20.42	3.29
1) इजराइल	3,364.06	3,786.61	12.56	1.15
2) ईरान	2,652.39	3,511.04	32.37	1.07
3) इराक	1,462.23	1,788.66	22.32	0.54
4) यमन गणराज्य	563.46	741.32	31.56	0.22
5) जोर्डन	540.82	578.82	7.03	0.18
6) लेबनान	257.1	268.67	4.5	0.08
7) सीरिया	153.32	154.59	0.83	0.05
4.5 उत्तर पूर्व एशिया	39,470.79	41,938.22	6.25	12.73
1) चीनी जनवादी गणराज्य	13,334.42	16,750.30	25.62	5.08
2) हांगकांग	14,690.27	12,962.78	-11.76	3.93

सारणी 3.6				
प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात				
मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में				
क्षेत्र / देश	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
3) जापान	4,734.75	4,861.15	2.67	1.48
4) कोरिया गणराज्य	4,462.14	4,705.58	5.46	1.43
5) ताइवान	2,157.29	2,607.54	20.87	0.79
6) कोरिया डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक	57.55	27	-53.09	0.01
7) मंगोलिया	20.49	22.81	11.32	0.01
8) मकाओ	13.89	1.06	-92.4	0
4.6 दक्षिण एशिया	23,101.11	24,916.71	7.86	7.56
1) बांग्लादेश जनवादी गणराज्य	8,614.52	8,933.47	3.7	2.71
2) नेपाल	6,612.96	7,616.46	15.17	2.31
3) श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य	4,476.46	4,707.14	5.15	1.43
4) पाकिस्तान आईआर	1,924.31	2,066.63	7.4	0.63
5) अफगानिस्तान टीस	709.75	715.44	0.8	0.22
6) भूटान	546.12	656.32	20.18	0.2
7) मालदीव	217	221.24	1.95	0.07
5) सीआईएस और बाल्टिक्स	3,007.36	3,467.25	15.29	1.05
5.1 सीएआर देश	364.93	442.48	21.25	0.13
1) उज़्बेकिस्तान	132.72	201.41	51.76	0.06
2) कज़ाकिस्तान	125.37	143.13	14.16	0.04
3) तुर्कमेनिस्तान	54.31	45.64	-15.96	0.01
4) किर्गिस्तान	28.59	30.02	5.01	0.01
5) ताजिकिस्तान	23.94	22.28	-6.95	0.01
5.2 अन्य सीआईएस देश	2,642.43	3,024.77	14.47	0.92
1) रूस	2,113.40	2,389.85	13.08	0.73
2) यूक्रेन	330.1	390.79	18.38	0.12
3) जॉर्जिया	77.27	110.4	42.88	0.03
4) बेलारूस	47.58	55.71	17.09	0.02
5) अज़रबैजान	33.68	43.46	29.05	0.01
6) अर्मेनिया	33.27	25.94	-22.02	0.01
7) मोल्दोवा	7.14	8.63	20.77	0
6) गैर निर्दिष्ट क्षेत्र	2,850.74	3,567.09	25.13	1.08
1) निर्दिष्ट क्षेत्र	2,388.42	2,796.65	17.09	0.85
2) जिब्राल्टर	290.68	575.13	97.86	0.17
3) प्यूर्टो रिको	78.05	138.42	77.34	0.04
4) दक्षिण सूडान	3.54	10.53	197.53	0
5) अरूबा	6.44	9.63	49.6	0
6) एरिट्रिया	7.43	9.03	21.56	0
7) न्यू केलडोनिया	10.25	8.83	-13.9	0
8) फ्रेंच पोलिनेशिया	6.36	5.5	-13.51	0
9) फरो द्वीप	0.3	2.96	888.32	0

सारणी 3.6				
प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात				
मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में				
क्षेत्र / देश	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
10) मैयट	0.07	2.79	3,624.30	0
11) मोनाको	1.94	2.55	31.27	0
12) फिलीस्तीन राज्य	0.02	1.49	9,836.67	0
13) अमेरिका से दूर पड़े हुए लघु द्वीप	0.52	0.69	31.77	0
14) गुआम	0.88	0.66	-25.51	0
15) माइक्रोनेशिया	0.3	0.34	13.51	0
16) अंडोरा	4.75	0.33	-92.97	0
17) मार्शल द्वीप	14	0.32	-97.71	0
18) उत्तरी मरीना द्वीपसमूह	0.04	0.27	566.58	0
19) कुक द्वीप	0.18	0.27	48.74	0
20) नोरफॉल्क द्वीप	0.38	0.19	-50.2	0
21) एंगुइला	0.5	0.16	-68.85	0
22) सैन मैरीनो	0.14	0.15	9.03	0
23) पलाऊ	0.07	0.09	34.19	0
24) वैटिकन सिटी	0.11	0.03	-76.31	0
25) हेरड मैक डोनाल्ड	0.04	0.03	-25.27	0
26) अमेरी समोया	0.31	0.03	-91.64	0
27) सेंट पियरे	0.01	0.01	30.1	0
28) पिटकैर्न द्वीप	0.01	0.01	114.04	0
29) ग्रीनलैंड	0.01	0	-57.14	0
30) अंटार्कटिका	0.1	0	-96.85	0
31) शह्रावी अरब लोकतांत्रिक गणराज्य	0.01	0	-80.16	0
32) टोकेलाऊ द्वीप		0		0
33) ग्वेर्नसे	0.03			
34) अंतरराष्ट्रीय जल सीमा में प्रतिष्ठान	34.78			
35) कोकोस द्वीप				
36) जर्सी	0			
37) वालिस एफ द्वीप	0.05			
38) पनामा सी जेड	0.01			
39) कुराकाओ	0			
40) सिंट मार्टेन (डच पार्ट)	0.01			

स्रोत : डीजीसीआईएंडएस

सारणी 3.7
प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात
मूल्य करोड़ रुपए में

क्षेत्र / देश	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
1) यूरोप	4,50,624.90	5,49,989.71	22.05	15.33
1.1 यूरोपीय संघ के देश	3,08,575.50	4,04,069.40	30.95	11.26
1) जर्मनी	85,700.20	1,05,178.71	22.73	2.93
2) बेल्जियम	38,645.69	73,002.07	88.9	2.03
3) यूके	30,989.47	52,745.79	70.21	1.47
4) फ्रांस	42,032.33	43,390.91	3.23	1.21
5) इटली	30,336.79	36,983.50	21.91	1.03
6) नीदरलैंड	16,198.91	28,483.31	75.83	0.79
7) स्पेन	10,720.53	11,727.89	9.4	0.33
8) स्वीडन	9,440.37	9,278.93	-1.71	0.26
9) फिनलैंड	9,022.66	7,795.05	-13.61	0.22
10) पोलैंड	4,943.50	5,540.48	12.08	0.15
11) आस्ट्रिया	6,274.37	5,004.20	-20.24	0.14
12) डेनमार्क	3,640.68	3,752.48	3.07	0.1
13) आयरलैंड	5,125.52	2,954.79	-42.35	0.08
14) साइप्रस	86.74	2,736.91	3,055.35	0.08
15) रोमानिया	2,655.78	2,197.37	-17.26	0.06
16) चेक गणराज्य	4,315.38	1,807.71	-58.11	0.05
17) स्लोवेनिया	722.39	1,748.24	142.01	0.05
18) हंगरी	1,745.82	1,683.69	-3.56	0.05
19) लिथुआनिया	1,222.90	1,476.58	20.74	0.04
20) लातविया	339.1	1,110.64	227.52	0.03
21) यूनान	618.88	1,003.53	62.15	0.03
22) लक्समबर्ग	342.85	931.45	171.68	0.03
23) पुर्तगाल	1,225.13	926	-24.42	0.03
24) बुल्गारिया	915.73	875.64	-4.38	0.02
25) एस्टोनिया	390.3	755.31	93.52	0.02
26) स्लोवाक गणराज्य	614.04	401.77	-34.57	0.01
27) माल्टा	102.93	307.97	199.2	0.01
28) क्रोएशिया	206.48	268.47	30.02	0.01
1.2 यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए)	1,27,501.10	1,28,752.46	0.98	3.59
1) स्विट्जरलैंड	1,22,017.81	1,26,097.56	3.34	3.51
2) नॉर्वे	5,425.21	2,568.68	-52.65	0.07
3) आइसलैंड	47.78	60.9	27.46	0
4) लिक्टेन्स्टीन	10.3	25.32	145.71	0
1.3 अन्य यूरोपीय देश	14,548.30	17,167.85	18.01	0.48
1) तुर्की	13,785.15	16,670.30	20.93	0.46
2) मैसेडोनिया	300.65	168.95	-43.81	0
3) अल्बानिया	250.76	159.64	-36.34	0
4) सर्बिया	155.3	150.93	-2.81	0
5) बोस्निया-हर्जेगोविना	56.38	17.12	-69.64	0
6) मोंटेनेग्रो	0.06	0.91	1,321.15	0

सारणी 3.7				
प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात				
मूल्य करोड़ रुपए में				
क्षेत्र / देश	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
2) अफ्रीका	2,43,654.58	2,87,363.56	17.94	8.01
2.1 दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (एसएसीयू)	55,653.71	52,793.02	-5.14	1.47
1) दक्षिण अफ्रीका	44,055.74	45,541.16	3.37	1.27
2) बोत्सवाना	10,560.69	6,809.85	-35.52	0.19
3) नामीबिया	401.34	375.28	-6.49	0.01
4) स्वाज़िलैंड	57.58	66.71	15.85	0
5) लेसोथो	578.36	0.02	-100	0
2.2 अन्य दक्षिण अफ्रीकी देश	41,328.73	39,445.71	-4.56	1.1
1) अंगोला	27,863.28	28,146.53	1.02	0.78
2) मोज़ाम्बिक	6,008.65	7,677.05	27.77	0.21
3) जाम्बिया	7,055.80	3,567.19	-49.44	0.1
4) ज़िम्बाब्वे	401.01	54.95	-86.3	0
2.3 पश्चिम अफ्रीका	1,08,577.61	1,40,310.06	29.23	3.91
1) नाइजीरिया	61,293.31	76,315.62	24.51	2.13
2) घाना	17,484.30	26,206.38	49.89	0.73
3) बुर्किना फासो	4,081.39	6,148.61	50.65	0.17
4) सेनेगल	3,648.78	4,525.03	24.01	0.13
5) एक्वेटोरियन गीनिया	4,868.61	4,426.49	-9.08	0.12
6) कोटे डि आइवरी	2,846.86	4,195.71	47.38	0.12
7) गैबॉन	2,547.12	3,193.03	25.36	0.09
8) गीनिया	3,317.43	2,869.59	-13.5	0.08
9) कांगो जनवादी गणराज्य	1,283.21	2,862.52	123.07	0.08
10) बेनिन	1,436.89	2,604.31	81.25	0.07
11) कैमरून	1,373.31	2,355.76	71.54	0.07
12) टोगो	1,055.25	2,126.07	101.48	0.06
13) लाइबेरिया	236.63	930.94	293.41	0.03
14) गीनिया बिसाऊ	1,651.29	889.38	-46.14	0.02
15) गैम्बिया	377.95	315.79	-16.45	0.01
16) माले	735.66	126.57	-82.8	0
17) मॉरिटानिया	35.1	110.98	216.21	0
18) सियरा लियोन	155.72	81.97	-47.36	0
19) केप वर्डे द्वीप	18.16	20.32	11.9	0
20) नाइजर	130.44	4.44	-96.6	0
21) सेंट हेलेना	0.19	0.53	179.13	0
22) साओ टोम		0.04		0
2.4 मध्य अफ्रीका	3,087.46	3,902.47	26.4	0.11
1) चाड	961.53	3,355.32	248.96	0.09
2) युगांडा	362.37	161.75	-55.36	0
3) मालावी	106.09	160.53	51.32	0

सारणी 3.7				
प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात				
मूल्य करोड़ रुपए में				
क्षेत्र / देश	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
4) कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	1,452.87	133.3	-90.82	0
5) रवांडा	34.45	46.6	35.25	0
6) बुरुंडी	106.47	30.82	-71.05	0
7) मध्य अफ्रीकी गणराज्य	63.68	14.14	-77.79	0
2.5 पूर्वी अफ्रीका	9,044.24	10,891.85	20.43	0.3
1) तंजानिया गणराज्य	6,634.43	6,281.41	-5.32	0.18
2) मेडागास्कर	1,079.06	2,074.47	92.25	0.06
3) केन्या	467.81	961.22	105.47	0.03
4) मॉरीशस	133.56	546.85	309.44	0.02
5) इथियोपिया	306.09	377.6	23.36	0.01
6) कोमोरोस	240.15	246.85	2.79	0.01
7) सोमालिया	22.89	129.53	465.78	0
8) रीयूनियन	116.33	127.19	9.34	0
9) ज़िंबूवी	35.09	110.04	213.6	0
10) सेशेल्स	8.83	36.7	315.81	0
2.6 उत्तरी अफ्रीका	25,962.84	40,020.44	54.15	1.12
1) अल्जीरिया	8,132.19	11,899.54	46.33	0.33
2) मिस्र अरब गणराज्य	8,332.69	11,698.16	40.39	0.33
3) मोरक्को	5,025.33	9,267.14	84.41	0.26
4) सूडान	2,917.30	5,194.69	78.06	0.14
5) लीबिया	652.7	1,001.46	53.43	0.03
6) ट्यूनीशिया	902.63	959.44	6.29	0.03
3) अमेरिका	3,60,943.16	4,53,898.11	25.75	12.65
3.1 उत्तरी अमेरिका	2,27,373.14	3,10,272.35	36.46	8.65
1) संयुक्त राज्य अमेरिका	1,71,564.48	2,46,798.08	43.85	6.88
2) मेक्सिको	25,329.59	38,998.79	53.97	1.09
3) कनाडा	30,479.07	24,475.48	-19.7	0.68
3.2 लैटिन अमेरिका	1,33,570.02	1,43,625.76	7.53	4
1) वेनेजुएला	37,796.68	50,809.46	34.43	1.42
2) ब्राजील	35,428.54	30,839.97	-12.95	0.86
3) पेरू	15,331.52	16,692.63	8.88	0.47
4) अर्जेंटीना	14,365.07	13,614.97	-5.22	0.38
5) चिली	13,477.63	8,642.31	-35.88	0.24
6) कोलंबिया	3,823.22	7,393.50	93.38	0.21
7) बोलीविया	4,304.03	5,988.58	39.14	0.17
8) डोमिनिक गणराज्य	4,172.33	3,999.88	-4.13	0.11
9) इक्वाडोर	1,250.30	1,539.90	23.16	0.04
10) ट्रिनिडाड	275.76	1,349.50	389.37	0.04
11) सूरीनाम	598.57	623.05	4.09	0.02
12) कोस्टा रिका	433.62	349.62	-19.37	0.01

सारणी 3.7				
प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात				
मूल्य करोड़ रुपए में				
क्षेत्र / देश	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
13) उरुग्वे	160.97	301.37	87.22	0.01
14) बहामास	260.91	275.18	5.47	0.01
15) पनामा गणराज्य	279.19	266.48	-4.55	0.01
16) पराग्वे	1,077.41	146.48	-86.4	0
17) होंडुरास	85.88	127.71	48.72	0
18) ब्रिटिश वर्जिन द्वीप	5.65	117.15	1,972.67	0
19) ग्वाटेमाला	102.93	112.98	9.77	0
20) हैती	53.21	96.69	81.72	0
21) नीदरलैंड एंटील्स	52.69	67.6	28.3	0
22) बरमूडा	0.03	53.42	1,94,870.44	0
23) गुयाना	42.53	45.06	5.94	0
24) जमैका	28.07	35	24.7	0
25) अल साल्वाडोर	58.23	29.44	-49.45	0
26) क्यूबा	13.27	26.61	100.62	0
27) निकारागुआ	26.82	25.09	-6.47	0
28) फ्रेंच गीनिया	5.51	12.85	133.28	0
29) बारबाडोस	1.29	12.28	852.12	0
30) मार्टीनिक		5.69		0
31) अमेरिका वर्जिन द्वीप	1.83	5.38	194.44	0
32) बेलीज	8.77	4.52	-48.48	0
33) सेंट लूसिया	2.05	3.94	91.82	0
34) ग्रेनेडा	1.72	3.37	96.47	0
35) ग्वाडेलूप	0.04	2.62	6,074.29	0
36) डोमिनिका	1.77	2.22	25.47	0
37) केमैन द्वीप	41.66	1.65	-96.03	0
38) एंटीगुआ	0.15	1.07	596.93	0
39) मोंटेसेराट		0.38		0
40) सेंट विनसेंट		0.15		0
41) सेंट किट्स और नेविस महासंघ	0	0.01	167.74	0
42) तुर्क्स और कैकोज़ द्वीपसमूह	0.16			
4) एशिया	18,02,415.01	22,29,148.64	23.68	62.13
4.1 पूर्व एशिया (ओशिनिया)	96,057.67	97,107.56	1.09	2.71
1) ऑस्ट्रेलिया	90,197.22	91,638.32	1.6	2.55
2) न्यूजीलैंड	4,151.77	4,403.09	6.05	0.12
3) पापुआ न्यू गिनी	1,266.16	626.25	-50.54	0.02
4) सोलोमन द्वीप	437.02	412.6	-5.59	0.01
5) समोया	1.65	19.35	1,073.17	0
6) फिजी द्वीप	3.15	4.99	58.42	0
7) किरिबाटी गणराज्य		1.55		0
8) नारू गणराज्य	0.08	1.09	1,225.76	0

सारणी 3.7				
प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात				
मूल्य करोड़ रुपए में				
क्षेत्र / देश	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
9) टोंगा		0.32		0
10) तुवालु	0.01	0	-83.12	0
11) वानुअतु गणराज्य	0			
12) तिमोर लेस्ते	0.61			
4.2 आसियान	3,03,820.21	4,14,790.74	36.53	11.56
1) सिंगापुर	48,132.82	1,13,918.36	136.68	3.18
2) इंडोनेशिया	1,05,961.12	1,11,140.34	4.89	3.1
3) मलेशिया	58,081.29	75,302.32	29.65	2.1
4) थाईलैंड	45,987.99	51,979.65	13.03	1.45
5) वियतनाम समाजवादी गणराज्य	32,356.71	50,285.80	55.41	1.4
6) ब्रुनेई	2,804.59	4,122.03	46.97	0.11
7) फिलीपींस	4,927.58	4,062.53	-17.56	0.11
8) म्यांमार	4,120.39	3,674.25	-10.83	0.1
9) कंबोडिया	359.71	298.28	-17.08	0.01
10) लाओ पीडी आरपी	1,088.01	7.18	-99.34	0
4.3 पश्चिम एशिया जीसीसी	4,13,051.04	5,57,909.06	35.07	15.55
1) संयुक्त अरब अमीरात	1,40,095.89	2,08,424.85	48.77	5.81
2) सऊदी अरब	1,42,240.74	1,99,394.90	40.18	5.56
3) कतर	54,210.54	75,166.62	38.66	2.1
4) कुवैत	46,220.90	51,949.36	12.39	1.45
5) ओमान	27,500.04	19,198.52	-30.19	0.54
6) बहरीन द्वीप	2,782.92	3,774.81	35.64	0.11
4.4 अन्य पश्चिम एशिया	2,06,135.84	2,72,490.67	32.19	7.6
1) इराक	1,13,452.67	1,56,600.99	38.03	4.36
2) ईरान	71,620.10	94,112.97	31.41	2.62
3) इजराइल	13,321.20	13,469.86	1.12	0.38
4) जोर्डन	6,348.75	7,822.26	23.21	0.22
5) लेबनान	248.11	304.61	22.77	0.01
6) सीरिया	165.31	98.98	-40.12	0
7) यमन गणराज्य	979.69	81	-91.73	0
4.5 उत्तर पूर्व एशिया	7,62,709.93	8,56,646.04	12.32	23.88
1) चीनी जनवादी गणराज्य	4,92,236.17	4,92,068.13	-0.03	13.72
2) हांगकांग	68,777.02	1,25,971.91	83.16	3.51
3) कोरिया गणराज्य	1,05,422.84	1,17,253.84	11.22	3.27
4) जापान	70,745.25	89,278.30	26.2	2.49
5) ताइवान	25,302.50	32,000.43	26.47	0.89
6) मकाओ	53.5	43.7	-18.32	0
7) कोरिया डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक	161.56	22.61	-86	0
8) मंगोलिया	11.1	7.11	-35.93	0
4.6 दक्षिण एशिया	20,640.32	30,204.56	46.34	0.84

सारणी 3.7				
प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात				
मूल्य करोड़ रुपए में				
क्षेत्र / देश	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
1) श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य	4,976.50	10,273.96	106.45	0.29
2) बांग्लादेश जनवादी गणराज्य	4,419.98	7,326.12	65.75	0.2
3) पाकिस्तान आईआर	3,150.30	3,476.48	10.35	0.1
4) नेपाल	2,824.57	3,326.07	17.76	0.09
5) अफगानिस्तान टीस	2,796.62	3,078.43	10.08	0.09
6) भूटान	2,435.81	2,576.29	5.77	0.07
7) मालदीव	36.55	147.21	302.74	0
5) सीआईएस और बाल्टिक्स	83,042.93	65,903.72	-20.64	1.84
5.1 सीएआर देश	7,207.56	6,030.32	-16.33	0.17
1) कज़ाकिस्तान	5,857.10	4,953.42	-15.43	0.14
2) उज़्बेकिस्तान	658	885.13	34.52	0.02
3) तुर्कमेनिस्तान	169.02	143.37	-15.18	0
4) ताजिकिस्तान	324.09	30	-90.74	0
5) किर्गिस्तान	199.34	18.39	-90.78	0
5.2 अन्य सीआईएस देश	75,835.38	59,873.40	-21.05	1.67
1) रूस	55,287.09	40,816.79	-26.17	1.14
2) यूक्रेन	15,194.49	16,280.14	7.14	0.45
3) बेलारूस	1,337.82	1,582.19	18.27	0.04
4) अज़रबैजान	3,827.52	1,029.19	-73.11	0.03
5) जॉर्जिया	174.15	156.09	-10.37	0
6) अर्मेनिया	4.18	6.29	50.38	0
7) मोल्दोवा	10.11	2.71	-73.19	0
6) गैर निर्दिष्ट क्षेत्र	60,352.83	1,380.16	-97.71	0.04
1) दक्षिण सूडान	454.13	625.94	37.83	0.02
2) निर्दिष्ट क्षेत्र	59,301.08	432.73	-99.27	0.01
3) प्यूर्टो रिको	482.63	272.19	-43.6	0.01
4) पलाऊ	5.04	21.72	330.84	0
5) फिलीस्तीन राज्य		8.36		0
6) अरूबा	2.58	3.82	48.37	0
7) मार्शल द्वीप	0.71	3.59	408.36	0
8) मोनाको	6.88	1.9	-72.33	0
9) न्यू केलडोनिया	62.21	1.55	-97.51	0
10) सैन मैरीनो	4.16	1.51	-63.71	0
11) मैनर	0.01	1.31	11,263.48	0
12) एंगुइला	1.18	1.3	9.67	0
13) नोरफ़ॉल्क द्वीप	3.01	1.01	-66.27	0
14) वैटिकन सिटी		0.66		0
15) अमेरिका से दूर पड़े हुए लघु द्वीप	4.8	0.56	-88.33	0
16) जर्सी		0.36		0

सारणी 3.7				
प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात				
मूल्य करोड़ रुपए में				
क्षेत्र / देश	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
17) अंडोरा		0.27		0
18) अंटार्कटिका	0.32	0.23	-28.08	0
19) जिब्राल्टर	0.04	0.22	514.29	0
20) पिटकैर्न द्वीप	1.45	0.22	-84.79	0
21) फरो द्वीप	0.03	0.2	490.2	0
22) उत्तरी मरीना द्वीपसमूह	1.12	0.14	-87.12	0
23) कुक द्वीप	0.05	0.13	180.79	0
24) टोकेलाऊ द्वीप	0.35	0.12	-66.37	0
25) फ्रेंच पोलिनेशिया	0.47	0.07	-84.8	0
26) गुआम		0.02		0
27) कोकोस द्वीप	0.03	0.02	-50.66	0
28) एरिट्रिया	12.64	0	-99.96	0
29) अमेरी समोया	1.95	0	-99.83	0
30) वालिस एफ द्वीप	0.07	0	-99.58	0
31) क्रिसमस द्वीप	4.29			
32) ग्वेर्नसे	1.5			
33) हेरड मैक डोनाल्ड				
34) ग्रीनलैंड	0.07			
35) नीयू द्वीप	0.04			
36) पनामा सी जेड				

(स्रोत : डीजीसीआईएंडएस)

सारणी 3.8				
प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात				
मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में				
क्षेत्र / देश	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
1) यूरोप	69,898.08	78,746.46	12.66	15.35
1.1 यूरोपीय संघ के देश	47,873.41	57,831.83	20.8	11.27
1) जर्मनी	13,295.71	15,027.03	13.02	2.93
2) बेल्जियम	5,993.41	10,469.19	74.68	2.04
3) यूके	4,806.75	7,562.17	57.32	1.47
4) फ्रांस	6,524.16	6,211.39	-4.79	1.21
5) इटली	4,706.89	5,289.56	12.38	1.03
6) नीदरलैंड	2,512.63	4,060.44	61.6	0.79
7) स्पेन	1,663.37	1,680.50	1.03	0.33
8) स्वीडन	1,464.47	1,326.85	-9.4	0.26
9) फिनलैंड	1,401.33	1,124.08	-19.78	0.22
10) पोलैंड	766.99	793.39	3.44	0.15
11) आस्ट्रिया	973.33	716.43	-26.39	0.14
12) डेनमार्क	564.55	537.25	-4.84	0.1

सारणी 3.8				
प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात				
मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में				
क्षेत्र / देश	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
13) आयरलैंड	795.01	422.52	-46.85	0.08
14) साइप्रस	13.46	393.78	2,826.57	0.08
15) रोमानिया	411.72	315.29	-23.42	0.06
16) चेक गणराज्य	669.54	258.84	-61.34	0.05
17) स्लोवेनिया	112.08	249.21	122.35	0.05
18) हंगरी	270.84	241.15	-10.96	0.05
19) लिथुआनिया	189.38	211.61	11.74	0.04
20) लातविया	52.63	158.44	201.04	0.03
21) यूनान	96.11	144.02	49.86	0.03
22) लक्समबर्ग	53.24	131.9	147.77	0.03
23) पुर्तगाल	190.15	132.82	-30.15	0.03
24) बुल्गारिया	141.94	125.66	-11.47	0.02
25) एस्टोनिया	60.54	108.21	78.75	0.02
26) स्लोवाक गणराज्य	95.2	57.42	-39.69	0.01
27) माल्टा	15.95	43.76	174.43	0.01
28) क्रोएशिया	32.05	38.92	21.43	0.01
1.2 यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए)	19,774.13	18,455.62	-6.67	3.6
1) स्विट्जरलैंड	18,923.05	18,076.88	-4.47	3.52
2) नॉर्वे	842.08	366.47	-56.48	0.07
3) आइसलैंड	7.4	8.67	17.11	0
4) लिक्टेन्स्टीन	1.6	3.6	125.1	0
1.3 अन्य यूरोपीय देश	2,250.54	2,459.01	9.26	0.48
1) तुर्की	2,132.20	2,388.27	12.01	0.47
2) मैसेडोनिया	46.61	24.08	-48.33	0
3) अल्बानिया	38.86	22.62	-41.81	0
4) सर्बिया	24.12	21.45	-11.04	0
5) बोस्निया-हर्जगोविना	8.75	2.45	-71.95	0
6) मोंटेनेग्रो	0.01	0.13	1,218.18	0
2) अफ्रीका	37,789.21	41,130.45	8.84	8.02
2.1 दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (एसएसीयू)	8,633.67	7,557.64	-12.46	1.47
1) दक्षिण अफ्रीका	6,834.70	6,520.01	-4.6	1.27
2) बोत्सवाना	1,638.29	974.48	-40.52	0.19
3) नामीबिया	62.2	53.55	-13.91	0.01
4) स्वाज़िलैंड	8.92	9.6	7.67	0
5) लेसोथो	89.56	0	-100	0
2.2 अन्य दक्षिण अफ्रीकी देश	6,412.79	5,643.22	-12	1.1
1) अंगोला	4,323.85	4,027.49	-6.85	0.78
2) मोज़ाम्बिक	931.75	1,097.43	17.78	0.21

सारणी 3.8				
प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात				
मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में				
क्षेत्र / देश	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
3) जाम्बिया	1,094.98	510.5	-53.38	0.1
4) ज़िम्बाब्वे	62.2	7.79	-87.47	0
2.3 पश्चिम अफ्रीका	16,833.18	20,084.09	19.31	3.91
1) नाइजीरिया	9,501.33	10,884.71	14.56	2.12
2) घाना	2,710.05	3,763.41	38.87	0.73
3) बुर्किना फासो	632.57	881.27	39.32	0.17
4) सेनेगल	564.94	658.99	16.65	0.13
5) एक्वेटोरियन गीनिया	755.64	634.12	-16.08	0.12
6) कोटे डि आइवरी	441.7	603.05	36.53	0.12
7) गैबॉन	395.39	456.01	15.33	0.09
8) गीनिया	514.63	414.26	-19.5	0.08
9) कांगो जनवादी गणराज्य	198.81	405.65	104.04	0.08
10) बेनिन	223.02	375.81	68.51	0.07
11) कैमरून	212.82	343.2	61.27	0.07
12) टोगो	163.8	303.93	85.54	0.06
13) लाइबेरिया	36.76	141.21	284.14	0.03
14) गीनिया बिसाऊ	256.2	123.79	-51.68	0.02
15) गैम्बिया	58.67	45.05	-23.22	0.01
16) माले	114.14	18.31	-83.96	0
17) मॉरिटानिया	5.45	15.96	193.03	0
18) सियरा लियोन	24.17	11.73	-51.47	0
19) केप वर्डे द्वीप	2.82	2.91	3.21	0
20) नाइजर	20.24	0.65	-96.79	0
21) सेंट हेलेना	0.03	0.07	148.99	0
22) साओ टोम		0.01		0
2.4 मध्य अफ्रीका	479.31	554.26	15.64	0.11
1) चाड	149.47	476.13	218.55	0.09
2) युगांडा	56.21	23.06	-58.97	0
3) मालावी	16.45	22.8	38.61	0
4) कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	225.42	19.01	-91.57	0
5) रवांडा	5.34	6.68	25.03	0
6) बुरुंडी	16.53	4.55	-72.47	0
7) मध्य अफ्रीकी गणराज्य	9.88	2.02	-79.51	0
2.5 पूर्वी अफ्रीका	1,403.77	1,563.11	11.35	0.3
1) तंजानिया गणराज्य	1,029.71	903.47	-12.26	0.18
2) मेडागास्कर	167.67	296.52	76.85	0.06
3) केन्या	72.57	137.12	88.96	0.03
4) मॉरीशस	20.69	78.64	280.05	0.02
5) इथियोपिया	47.45	55.01	15.93	0.01
6) कोमोरोस	37.27	34.77	-6.7	0.01

सारणी 3.8				
प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात				
मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में				
क्षेत्र / देश	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
7) सोमालिया	3.55	18.33	416.82	0
8) रीयूनियन	18.05	18.16	0.58	0
9) ज़िबूटी	5.44	15.82	190.74	0
10) सेशेल्स	1.37	5.27	284.79	0
2.6 उत्तरी अफ्रीका	4,026.50	5,728.13	42.26	1.12
1) अल्जीरिया	1,260.98	1,696.96	34.57	0.33
2) मिस्र अरब गणराज्य	1,292.93	1,677.82	29.77	0.33
3) मोरक्को	779.63	1,326.69	70.17	0.26
4) सूडान	452.07	742.63	64.28	0.14
5) लीबिया	100.64	146.16	45.23	0.03
6) ट्यूनीशिया	140.25	137.87	-1.7	0.03
3) अमेरिका	55,993.29	64,913.35	15.93	12.65
3.1 उत्तरी अमेरिका	35,269.81	44,366.23	25.79	8.65
1) संयुक्त राज्य अमेरिका	26,611.03	35,299.28	32.65	6.88
2) मेक्सिको	3,930.26	5,577.03	41.9	1.09
3) कनाडा	4,728.51	3,489.92	-26.19	0.68
3.2 लैटिन अमेरिका	20,723.48	20,547.11	-0.85	4
1) वेनेजुएला	5,866.37	7,258.95	23.74	1.41
2) ब्राजील	5,498.22	4,406.43	-19.86	0.86
3) पेरू	2,376.86	2,405.40	1.2	0.47
4) अर्जेंटीना	2,229.20	1,954.99	-12.3	0.38
5) चिली	2,092.15	1,237.55	-40.85	0.24
6) कोलंबिया	592.8	1,054.98	77.97	0.21
7) बोलीविया	667.25	852.21	27.72	0.17
8) डोमिनिक गणराज्य	645.81	566.57	-12.27	0.11
9) इक्वाडोर	193.97	219.25	13.03	0.04
10) ट्रिनिडाड	42.48	195.37	359.93	0.04
11) सूरीनाम	92.76	89.39	-3.63	0.02
12) कोस्टा रिका	67.28	50.56	-24.86	0.01
13) उरुग्वे	24.98	42.96	72	0.01
14) बहामास	40.26	39.21	-2.61	0.01
15) पनामा गणराज्य	43.32	38.88	-10.26	0.01
16) पराग्वे	166.9	20.97	-87.43	0
17) होंडुरास	13.32	18.25	36.96	0
18) ब्रिटिश वर्जिन द्वीप	0.88	16.83	1,806.51	0
19) ग्वाटेमाला	15.97	16.27	1.9	0
20) हैती	8.26	13.75	66.57	0
21) नीदरलैंड एंटील्स	8.19	9.64	17.77	0
22) बरमूडा	0	7.69	1,82,969.05	0
23) गुयाना	6.59	6.42	-2.67	0

सारणी 3.8				
प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात				
मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में				
क्षेत्र / देश	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
24) जमैका	4.35	5.01	15.06	0
25) अल साल्वाडोर	9.02	4.2	-53.44	0
26) क्यूबा	2.06	3.8	84.95	0
27) निकारागुआ	4.17	3.6	-13.54	0
28) फ्रेंच गीनिया	0.85	1.82	114	0
29) बारबाडोस	0.2	1.74	777.52	0
30) मार्टीनिक		0.81		0
31) अमेरिका वर्जिन द्वीप	0.28	0.76	168.08	0
32) बेलीज	1.36	0.65	-51.88	0
33) सेंट लूसिया	0.32	0.57	78.55	0
34) ग्रेनेडा	0.27	0.48	79.1	0
35) ग्वाडेलूप	0.01	0.37	5,590.77	0
36) डोमिनिका	0.28	0.31	13.29	0
37) कैमैन द्वीप	6.45	0.23	-96.36	0
38) एंटीगुआ	0.02	0.15	536.97	0
39) मोंटेसेराट		0.06		0
40) सेंट विनसेंट		0.02		0
41) सेंट किट्स और नेविस महासंघ	0	0	200	0
42) तुर्क्स और कैकोज़ द्वीपसमूह	0.02			
4) एशिया	2,79,666.92	3,18,654.56	13.94	62.11
4.1 पूर्व एशिया (ओशिनिया)	14,902.23	13,913.65	-6.63	2.71
1) ऑस्ट्रेलिया	13,993.75	13,131.21	-6.16	2.56
2) न्यूजीलैंड	643.71	630.78	-2.01	0.12
3) पापुआ न्यू गिनी	196.19	88.97	-54.65	0.02
4) सोलोमन द्वीप	67.73	58.81	-13.16	0.01
5) समोया	0.26	2.75	975.45	0
6) फिजी द्वीप	0.49	0.71	45.84	0
7) किरिबाटी गणराज्य		0.22		0
8) नारू गणराज्य	0.01	0.16	1,153.54	0
9) टोंगा		0.05		0
10) तुवालु	0	0	-83.33	0
11) वानुअतु गणराज्य	0			
12) तिमोर लेस्ते	0.1			
4.2 आसियान	47,133.69	59,293.36	25.8	11.56
1) सिंगापुर	7,466.99	16,281.59	118.05	3.17
2) इंडोनेशिया	16,438.80	15,848.54	-3.59	3.09
3) मलेशिया	9,011.58	10,791.83	19.76	2.1
4) थाईलैंड	7,134.46	7,441.81	4.31	1.45
5) वियतनाम समाजवादी गणराज्य	5,018.55	7,192.23	43.31	1.4
6) ब्रुनेई	434.83	591.1	35.94	0.12

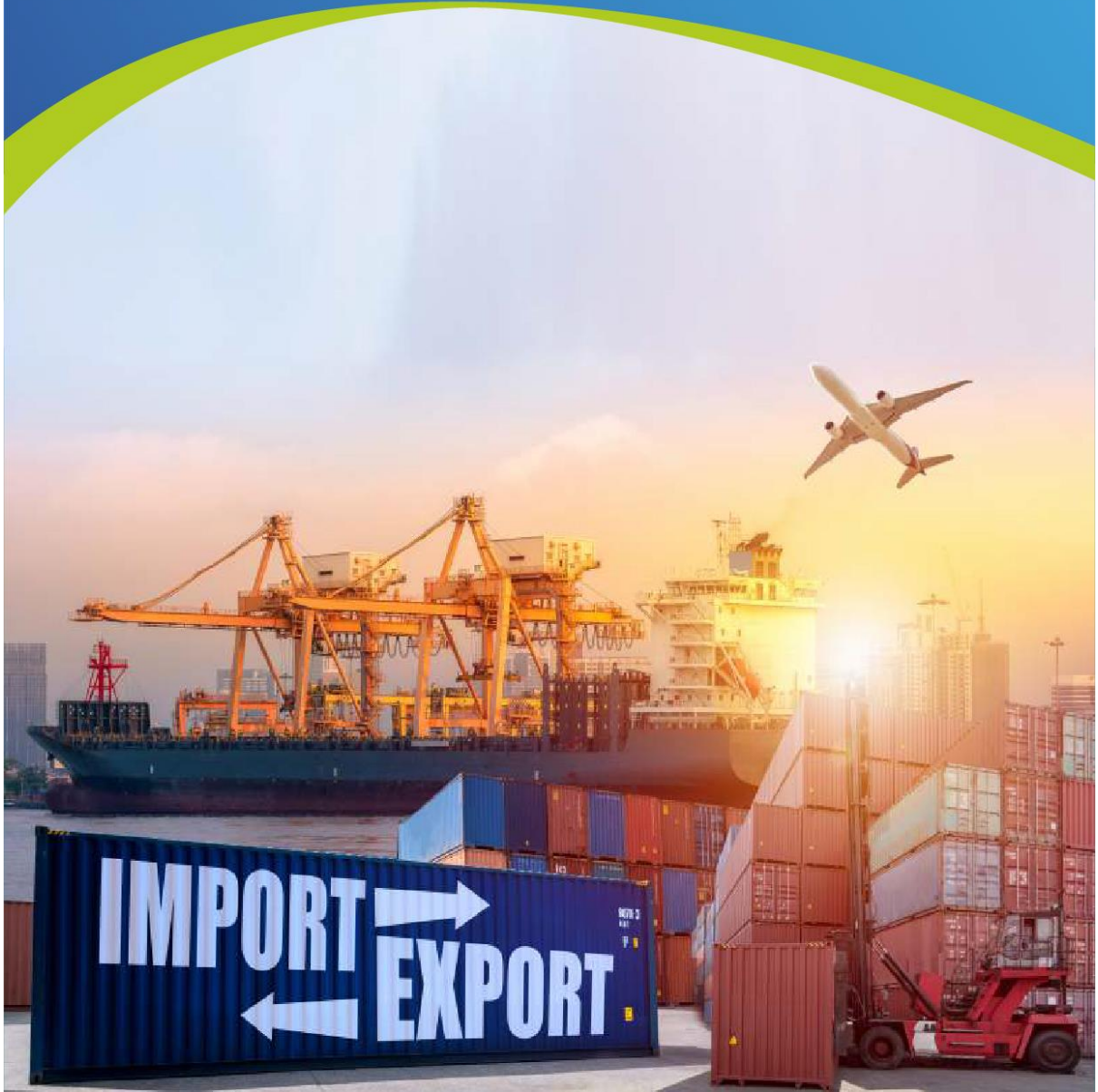
सारणी 3.8				
प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात				
मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में				
क्षेत्र / देश	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
7) फिलीपींस	764.36	581.1	-23.98	0.11
8) म्यांमार	639.64	521.49	-18.47	0.1
9) कंबोडिया	55.84	42.63	-23.65	0.01
10) लाओ पीडी आरपी	168.63	1.04	-99.39	0
4.3 पश्चिम एशिया जीसीसी	64,079.19	79,696.57	24.37	15.53
1) संयुक्त अरब अमीरात	21,739.11	29,767.61	36.93	5.8
2) सऊदी अरब	22,069.96	28,479.21	29.04	5.55
3) कतर	8,409.02	10,721.70	27.5	2.09
4) कुवैत	7,165.69	7,430.82	3.7	1.45
5) ओमान	4,264.29	2,757.60	-35.33	0.54
6) बहरीन द्वीप	431.12	539.63	25.17	0.11
4.4 अन्य पश्चिम एशिया	31,996.01	39,015.83	21.94	7.6
1) इराक	17,615.81	22,372.47	27	4.36
2) ईरान	11,111.52	13,525.64	21.73	2.64
3) इजराइल	2,066.51	1,931.59	-6.53	0.38
4) जोर्डन	984.98	1,116.25	13.33	0.22
5) लेबनान	38.47	43.94	14.2	0.01
6) सीरिया	25.66	14.17	-44.78	0
7) यमन गणराज्य	153.05	11.77	-92.31	0
4.5 उत्तर पूर्व एशिया	1,18,353.14	1,22,424.29	3.44	23.86
1) चीनी जनवादी गणराज्य	76,380.70	70,318.05	-7.94	13.7
2) हांगकांग	10,675.98	17,987.01	68.48	3.51
3) कोरिया गणराज्य	16,361.77	16,758.76	2.43	3.27
4) जापान	10,973.35	12,772.66	16.4	2.49
5) ताइवान	3,926.25	4,577.22	16.58	0.89
6) मकाओ	8.3	6.29	-24.12	0
7) कोरिया डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक	25.08	3.3	-86.86	0
8) मंगोलिया	1.72	1.01	-41.32	0
4.6 दक्षिण एशिया	3,202.66	4,310.86	34.6	0.84
1) श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य	772.63	1,473.10	90.66	0.29
2) बांग्लादेश जनवादी गणराज्य	685.65	1,043.03	52.12	0.2
3) पाकिस्तान आईआर	488.56	494.87	1.29	0.1
4) नेपाल	438.38	475.02	8.36	0.09
5) अफगानिस्तान टीस	433.78	435.44	0.38	0.08
6) भूटान	377.99	368.99	-2.38	0.07
7) मालदीव	5.68	20.41	259.58	0
5) सीआईएस और बाल्टिक्स	12,875.60	9,443.05	-26.66	1.84
5.1 सीए आर देश	1,116.49	862.97	-22.71	0.17
1) कज़ाकिस्तान	907.43	708.78	-21.89	0.14

सारणी 3.8				
प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात				
मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में				
क्षेत्र / देश	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
2) उज़्बेकिस्तान	101.67	126.73	24.65	0.02
3) तुर्कमेनिस्तान	26.15	20.63	-21.12	0
4) ताजिकिस्तान	50.29	4.24	-91.57	0
5) किर्गिस्तान	30.94	2.59	-91.64	0
5.2 अन्य सीआईएस देश	11,759.11	8,580.08	-27.03	1.67
1) रूस	8,573.46	5,840.44	-31.88	1.14
2) यूक्रेन	2,355.97	2,341.10	-0.63	0.46
3) बेलारूस	207.81	227.19	9.33	0.04
4) अज़रबैजान	592.61	147.87	-75.05	0.03
5) जॉर्जिया	27.04	22.18	-17.96	0
6) अर्मेनिया	0.65	0.91	39.72	0
7) मोल्दोवा	1.57	0.39	-75.24	0
6) गैर निर्दिष्ट क्षेत्र	9,357.88	197.98	-97.88	0.04
1) दक्षिण सूडान	70.56	89.97	27.51	0.02
2) निर्दिष्ट क्षेत्र	9,194.62	61.82	-99.33	0.01
3) प्यूर्टो रिको	74.87	39.05	-47.85	0.01
4) पलाऊ	0.78	3.22	311.18	0
5) फिलीस्तीन राज्य		1.19		0
6) अरूबा	0.4	0.55	36.25	0
7) मार्शल द्वीप	0.11	0.51	369.94	0
8) मोनाको	1.07	0.27	-74.37	0
9) न्यू केलडोनिया	9.65	0.21	-97.8	0
10) सैन मेरीनो	0.64	0.21	-66.82	0
11) मैनर	0	0.19	10,870.59	0
12) एंगुइला	0.18	0.19	4.86	0
13) नोरफ़ॉल्क द्वीप	0.46	0.14	-68.82	0
14) वैटिकन सिटी		0.09		0
15) अमेरिका से दूर पड़े हुए लघु द्वीप	0.74	0.08	-89.25	0
16) जर्सी		0.05		0
17) अंडोरा		0.04		0
18) अंटार्कटिका	0.05	0.03	-35.15	0
19) जिब्राल्टर	0.01	0.03	455.36	0
20) पिटकैर्न द्वीप	0.22	0.03	-85.1	0
21) फरो द्वीप	0.01	0.03	444.44	0
22) उत्तरी मरीना द्वीपसमूह	0.17	0.02	-87.85	0
23) कुक द्वीप	0.01	0.02	168.92	0
24) टोकेलाऊ द्वीप	0.05	0.02	-68.61	0
25) फ्रेंच पोलिनेशिया	0.07	0.01	-86.13	0
26) गुआम		0		0
27) कोकोस द्वीप	0	0	-52.17	0

सारणी 3.8				
प्रधान क्षेत्रों एवं देशों को निर्यात				
मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में				
क्षेत्र / देश	अप्रैल - मार्च 2018	अप्रैल - मार्च 2019	वृद्धि का प्रतिशत	शेयर (प्रतिशत में)
28) एरिट्रिया	1.96	0	-99.96	0
29) अमेरी समोया	0.3	0	-99.87	0
30) वालिस एफ द्वीप	0.01			
31) क्रिसमस द्वीप	0.66			
32) ग्वेर्नसे	0.23			
33) हेरड मैक डोनाल्ड				
34) ग्रीनलैंड	0.01			
35) नीयू द्वीप	0.01			
36) पनामा सी जेड				

स्रोत : डीजीसीआईएंडएस

विदेश व्यापार नीति तथा आयात निर्यात व्यापार



विदेश व्यापार नीति तथा आयात निर्यात व्यापार

I. प्रस्तावना

1 अप्रैल 2015 को जारी की गई पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 में माल एवं सेवा निर्यात बढ़ाने की रूपरेखा प्रदान की गई है। विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 के विमोचन के साथ एफटीपी विवरण, प्रक्रिया हैंडबुक, परिशिष्ट तथा आयात - निर्यात फार्म भी 1 अप्रैल 2015 को जारी किए गए। प्रक्रियाओं का हैंडबुक विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, आदेशों तथा विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों को लागू करने के प्रयोजनार्थ किसी निर्यातक या आयातक अथवा किसी लाइसेंसिंग / क्षेत्रीय प्राधिकरण अथवा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को अधिसूचित करता है। इस प्रक्रिया के तहत निम्नलिखित दस्तावेज शामिल हैं :

- (क) प्रक्रिया हैंडबुक
- (ख) परिशिष्ट तथा आयात - निर्यात फार्म और
- (ग) मानक इनपुट - आउटपुट मानदंड (एसआईओएन)

2015-2020 के लिए विदेश व्यापार नीति वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा की क्षमता हासिल करने हेतु भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की मदद करके भारत के निर्यात बास्केट में विविधता को प्रोत्साहन देने के लिए पण एवं सेवा व्यापार में विदेश व्यापार के लिए स्थिर एवं स्थायी नीति परिवेश प्रदान करने; निर्यात एवं आयात के लिए नियमों, प्रक्रियाओं और प्रोत्साहनों को अन्य पहलों जैसे कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया तथा कारोबार करने की सरलता से जोड़ने का प्रयास करती है। अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से विदेश व्यापार नीति ऊ्यूटी को नगण्य करने,

प्रौद्योगिकीय उन्नयन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्यों को पूरा करती है तथा अवसंरचनात्मक अदक्षताओं तथा निर्यातकों को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से निर्यात से जुड़ी संबद्ध लागतों को प्रतिसंतुलित करने के उद्देश्य से भारत के निर्यात में तेजी लाने के लिए संवर्धनात्मक उपायों का प्रावधान करती है।

विदेश व्यापार नीति को जीएसटी के संगत प्रावधानों को शामिल करने के लिए उपयुक्त ढंग से संशोधित किया गया है।

II. विदेश व्यापार नीति 2015-20

विदेश व्यापार नीति वक्तव्य

विदेश व्यापार नीति वक्तव्य में 2015 से 2020 की अवधि के लिए विजन, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का वर्णन किया गया है जो विदेश व्यापार नीति की नींव हैं। इसमें न केवल निर्यात संवर्धन के लिए अपितु व्यापार के संपूर्ण ईको सिस्टम में वृद्धि के लिए भी परिकल्पित बाजार एवं उत्पाद रणनीति तथा अपेक्षित उपायों का वर्णन किया गया है।

यह विदेश व्यापार के क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकताओं पर पहला व्यापक वक्तव्य है। विदेश व्यापार के निष्पादन में सुधार के लिए एक विस्तृत रूपरेखा विकसित करना आवश्यक है जो अनेक प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ समन्वय की संभावना प्रदान करे। एफ टी पी वक्तव्य के माध्यम से विदेशी क्षेत्र पर समग्र सोच को व्यक्त किया गया है, सबसे पहले इसमें कुछ संरचनात्मक एवं संस्थानिक संस्थानों पर ध्यान देने के लिए सरकारी रणनीति का वर्णन किया गया है, जो विदेश व्यापार क्षेत्र के निष्पादन में सुधार के लिए प्रासंगिक हैं। दूसरा, इसमें बताया गया है

कि किस तरह सरकार व्यापार साझेदारों के साथ व्यापार एवं आर्थिक एकीकरण करार करेगी तथा भारतीय उद्यमों के लिए बेहतर कार्य करेगी। विदेश व्यापार नीति में 'समग्र सरकार का दृष्टिकोण' अपनाया गया है। एफ टी पी के माध्यम से सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रिया में एक प्रमुख पथभंजक पहल शुरू की है जिसे विभाग को मुख्य धारा के राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा भारत सरकार के विभिन्न विभागों में ले जाना है। विदेश व्यापार नीति में दो नई स्कीमें शुरू की गई हैं अर्थात् विनिर्दिष्ट बाजारों को विनिर्दिष्ट माल के निर्यात के लिए "भारत से पण निर्यात स्कीम (एम ई आई एस)" और अधिसूचित सेवाओं का निर्यात बढ़ाने के लिए "भारत से सेवा निर्यात स्कीम (एस ई आई एस)"।

भारत से पण निर्यात स्कीम (एमईआईएस)

1 अप्रैल 2015 को विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015-20 में भारत से पण निर्यात स्कीम (एमईआईएस) शुरू की गई है जिसका उद्देश्य भारत में वस्तुओं / उत्पादों जिनका भारत में उत्पादन / विनिर्माण होता है, के निर्यात में शामिल अवसंरचनात्मक कमियों तथा संबद्ध लागतों को समायोजित करना है। इस योजना के तहत निर्यातक निर्यातित उत्पाद के एचएस कोड के आधार पर वर्ष 2018-19 में किए गए निर्यात के लिए वसूले गए एफओबी मूल्य के 2, 3, 4, 5 एवं 7, 10 और 20 प्रतिशत की दर पर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के लिए पात्र थे। ये स्क्रिप हस्तांतरणीय हैं तथा सीमा शुल्क सहित कतिपय केन्द्रीय शुल्कों / करों के भुगतान के लिए प्रयुक्त की जा सकती हैं। इस योजना में निर्यात की 8000 से अधिक टैरिफ लाइनें शामिल हैं (3 दिसंबर 2018 की स्थिति के अनुसार सभी देशों के लिए 8 डिजिट के स्तर पर 8056 एचएस कोड)। वित्त वर्ष

2018-19 के लिए एमईआईएस के लिए उपलब्ध कुल वार्षिक वित्तीय राशि लगभग 34,750 करोड़ रुपए है।

एमईआईएस के तहत "व्यवसाय करने की सरलता" के लिए की गई पहले

- एमईआईएस सूची के अधिकांश एचएस कोड के लिए प्रणाली द्वारा अधिप्रमाणित तंत्र के तहत किसी मैनुअल हस्तक्षेप के बगैर एमईआईएस लाभ मंजूर करने के लिए आनलाइन ई-कॉम मॉड्यूल लांच किया गया तथा सितंबर 2018 से सफलतापूर्वक काम कर रहा है। इसके अलावा मॉड्यूल में एक सुविधा शामिल की गई है ताकि निर्यातक द्वारा प्राधिकार को ट्रैक किया जा सके।
- यादृच्छिक चयन के स्थान पर एमईआईएस के तहत एचएस कोड के आधार पर मामलों की छानबीन करने के लिए एक नई जोखिम प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है तथा डीजीएफटी के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यान्वयन के अधीन है।
- कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए कुछ कृषि उत्पादों जैसे कि बंगाल चना, दूध एवं दुग्ध उत्पाद, सोया तेल रहित केक तथा बासमती से भिन्न चावल को वर्ष 2018-19 में सीमित अवधि के लिए एमईआईएस लाभ प्रदान किया गया है।
- "ई-कामर्स" शिपमेंट के लिए एमईआईएस के लिए आवेदन करने के लिए ई-कॉम माड्यूल फरवरी 2019 में जारी किया गया तथा इसके लिए न्यूनतम प्रलेखन के साथ एक नया आयात निर्यात फार्म अधिसूचित किया गया।

भारत से सेवा निर्यात स्कीम (एसईआईएस)

एसईआईएस के तहत, अधिसूचित सेवाओं के सेवा प्रदाताओं जो भारत से शेष विश्व को

सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, के लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के रूप में निवल विदेशी मुद्रा अर्जन पर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जो हस्तांतरणीय हैं तथा सीमा शुल्क सहित कतिपय केन्द्रीय शुल्कों / करों का भुगतान करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती हैं। विदेश व्यापार नीति की मध्यावधि समीक्षा में, इन सभी सेवाओं के लिए 1 नवंबर 2017 से निर्यात के लिए दरों में 2 प्रतिशत की और वृद्धि की गई है जिससे अतिरिक्त वार्षिक प्रोत्साहन की राशि 1140 करोड़ हो गई है। 2017-18 में एसईआईएस के लिए कुल वित्तीय राशि 2640 करोड़ रुपए है।

सार्वजनिक नोटिस 15 दिनांक 28 जून 2018 के माध्यम से अधिसूचित किया गया जिसमें अनावश्यक फील्डों को समाप्त कर दिया गया है। नए आवेदन पत्र के आधार पर एसईआईएस के लिए आनलाइन मॉड्यूल भी लांच किया गया है तथा एएनएफ 3बी के तहत अपेक्षित सभी दस्तावेजों को अपलोड करने की सुविधा प्रदान की गई है।

निम्नलिखित सारणी 2017-18 तथा 2018 के दौरान स्क्रिप के मूल्यों तथा निर्यात के एफओबी मूल्य के साथ एमईआईएस और एसईआईएस के तहत जारी किए गए स्क्रिप का ब्यौरा दर्शाती है :

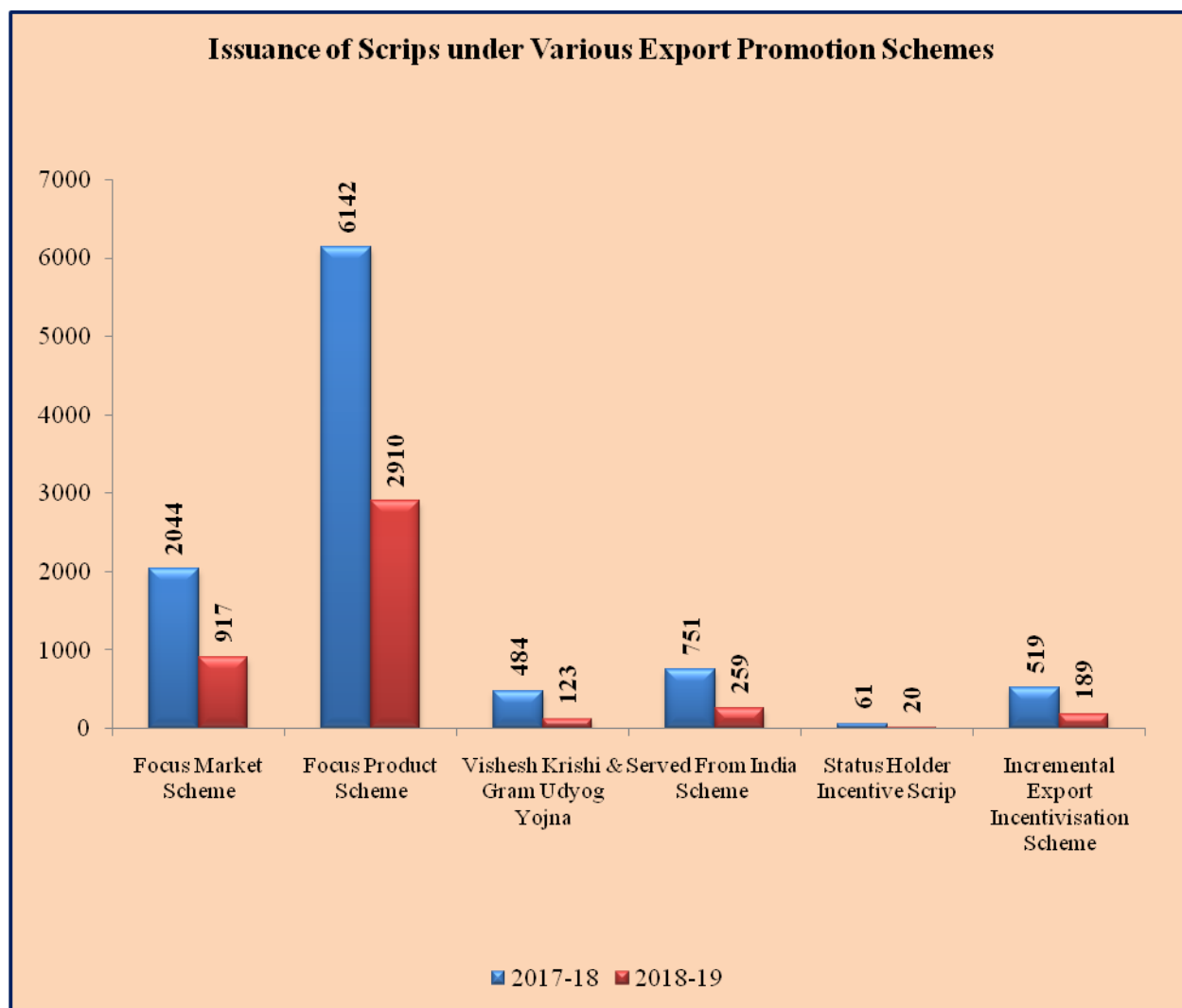
एसईआईएस योजना के तहत आवेदन करने हेतु निर्यातकों के लिए एक नया आवेदन पत्र

निर्यात संवर्धन की स्कीमें		2017-18	2018-19
भारत से पण निर्यात स्कीम (एमईआईएस)	स्क्रिप की संख्या	2,18,402	2,98,350
	स्क्रिप का मूल्य (करोड़ रुपए में)	25,994.22	39,29,8.41
	निर्यातों का एफ ओ बी मूल्य (करोड़ रुपए में)	9,78,286.29	12,46,771.74
भारत से सेवा निर्यात स्कीम (एस ई आई एस)	स्क्रिप की संख्या	5,569	6376
	स्क्रिप का मूल्य (करोड़ रुपए में)	3,475.05	4,262.80
	निर्यातों का एफ ओ बी मूल्य (करोड़ रुपए में)	15,87,378.86	13,72,212.46

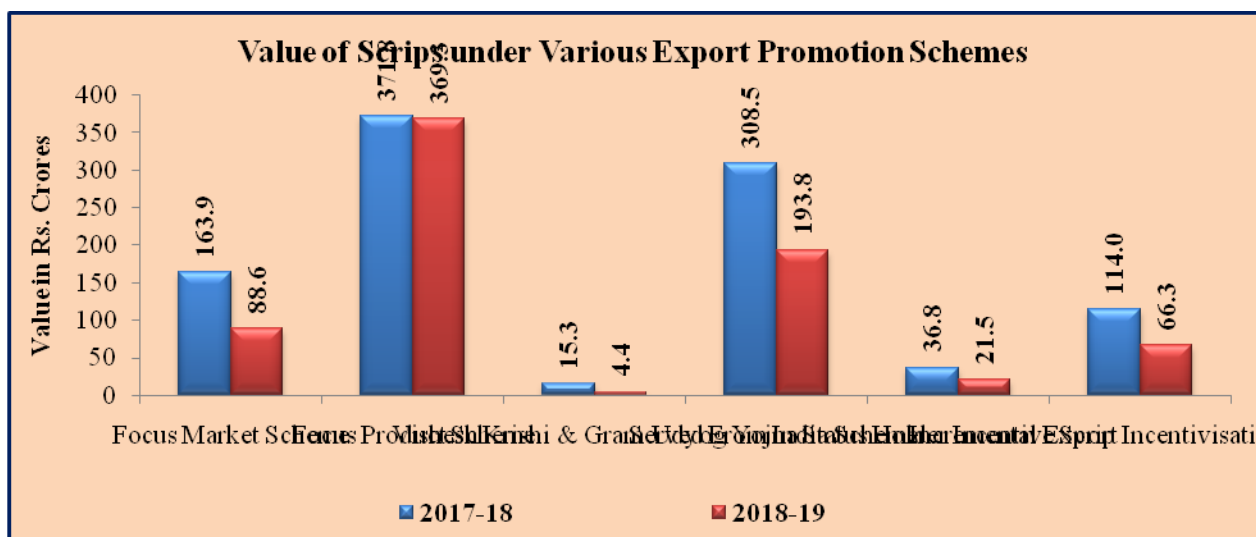
निर्यात संवर्धन की स्कीमें		2017-18	2018-19
फोकस मार्केट स्कीम (एफएमएस)	स्क्रिप की संख्या	2,044	917
	स्क्रिप का मूल्य (करोड़ रुपए में)	163.92	88.64
	निर्यातों का एफ ओ बी मूल्य (करोड़ रुपए में)	4,951.61	2,671.70
फोकस प्रोडक्ट स्कीम (एफपीएस)	स्क्रिप की संख्या	6,142	2,910
	स्क्रिप का मूल्य (करोड़ रुपए में)	371.79	369.28
	निर्यातों का एफ ओ बी मूल्य (करोड़ रुपए में)	15,985.10	18,004.39
विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई)	स्क्रिप की संख्या	484	123
	स्क्रिप का मूल्य (करोड़ रुपए में)	15.33	4.36
	निर्यातों का एफ ओ बी मूल्य (करोड़ रुपए में)	331.04	99.06
भारत स्कीम से सेवित (एसएफआईएस)	स्क्रिप की संख्या	751	259
	स्क्रिप का मूल्य (करोड़ रुपए में)	308.54	193.83

स्टेटस होल्डर प्रोत्साहन स्क्रिप (सीएचआईएस)	स्क्रिप की संख्या	61	20
	स्क्रिप का मूल्य (करोड़ रुपए में)	36.84	21.50
वृद्धिपरक निर्यात प्रोत्साहन स्कीम (आईआईएस)	स्क्रिप की संख्या	519	189
	स्क्रिप का मूल्य (करोड़ रुपए में)	114.00	66.26

चित्र 1 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत जारी किए गए स्क्रिप की संख्या को दर्शाता है।



चित्र 2 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत जारी किए गए स्क्रिप की मूल्य को दर्शाता है।



IV. शुल्क माफी की स्कीमें

शुल्क निष्प्रभावन / माफी की स्कीमें सरकार के इस सिद्धांत और प्रतिबद्धता पर आधारित हैं कि "सामानों और सेवाओं का निर्यात किया जाना है न कि करों और उगाहियों का"। इसका प्रयोजन यह है कि इनपुट्स के शुल्क मुक्त आयात / प्रापण की अनुमति दी जाए अथवा या तो प्रयुक्त इनपुट्स के लिए या प्रयुक्त इनपुट्स पर शुल्क घटक के लिए पुनःपूर्ति की अनुमति दी जाए। इन योजनाओं का संक्षिप्त नीचे दिया गया है:

अग्रिम प्राधिकार स्कीम

स्कीम के अंतर्गत निर्यात उत्पादों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित इंधन, ऑयल, और कैटेलिस्ट आदि के साथ इनपुट्स के ड्यूटी मुक्त निर्यात की अनुमति प्रदान की गई है। इनपुट्स की या तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट मानकों (एस आई ओ एन) के अनुसार या वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के अंतर्गत तदर्थ मानक आधार पर अनुमति दी जाती है। मानक तकनीकी समिति यानि मानक समिति द्वारा नियत किए जाते हैं। यह सुविधा वास्तविक निर्यातों (जिनमें एस ई जेड इकाईयों एवं एस ई जेड विकासकों को की जाने वाली आपूर्तियां भी शामिल हैं) और मध्यवर्ती आपूर्तियों सहित डीमंड एक्सपोर्ट्स के लिए उपलब्ध है। कतिपय मर्दों के सिवाय विहित न्यूनतम मूल्य वृद्धि 15 प्रतिशत है।

निर्यातकों को एक विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर, मात्रावार एवं मूल्यवार दोनों दृष्टियों से निर्यात बाध्यताएं पूरी करनी होती हैं। प्राधिकारों को इकट्ठा करने की सुविधाएं सरलीकृत की गईं और शक्तियां क्षेत्रीय प्राधिकरणों को विकेंद्रित की गईं। विनिर्धारित शर्तों के पूरे होने की शर्त के अधीन कतिपय मर्दों, जो निर्यात किए जाने के लिए प्रतिबंधित थीं, के निर्यात की अनुमति, अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अंतर्गत, प्रदान की गई है।

विदेश व्यापार नीति (2015-2020) में (i) अग्रिम प्राधिकार स्कीम के तहत सामान्य 18 माह के स्थान पर रक्षा, सैन्य स्टोर, एयरोस्पेस एवं परमाणु ऊर्जा की श्रेणी में आने वाली निर्यात की मर्दों के लिए 24 माह की लंबी निर्यात बाध्यता (ईओ) अवधि प्रदान की गई है। ऐसे सैन्य सामानों की सूची अलग से अधिसूचित की गई है जिनके लिए रक्षा विभाग से अनापति प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। (ii) अग्रिम प्राधिकार के विरुद्ध आयात भी ट्रांजिशनल उत्पाद विशिष्ट सुरक्षोपाय ड्यूटी से छूट के लिए पात्र होंगे। विदेश व्यापार नीति 2002-07 और विदेश व्यापार नीति 2004-09 के दौरान जारी किए गए अग्रिम प्राधिकारों को क्लब करने के लिए एकबारगी छूट दी जाती है। विदेश व्यापार नीति 2002-07, विदेश व्यापार नीति 2004-09 के तहत जारी किए गए अग्रिम प्राधिकारों तथा विदेश व्यापार नीति 2009-14 के तहत 5 जून 2012 से पूर्व जारी किए गए अग्रिम प्राधिकारों की निर्यात बाध्यता अवधि बढ़ाने के लिए

एकबारगी छूट प्रदान की जाती है। 31 मार्च 2018 को या इससे पहले संबंधित आरए में निर्यात बाध्यता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध दाखिल करने की आवश्यकता थी।

विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 4.07 (क) में प्रदान की गई स्वयं पुष्टि योजना के अनुपालन में, योजना का लाभ लेने के लिए विस्तृत प्रक्रिया को पैरा 4.07 (क) - पुष्टि योजना के रूप में एचबीपी 2015-2018 में शामिल किया गया है। वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार भी जारी किया जा सकता है जहां परिणामी उत्पाद के लिए तदर्थ मानदंड मौजूद हैं। आयात से पहले किए गए निर्यात जहां प्राकृतिक रबर एवं सिलक के आयात के लिए अग्रिम प्राधिकार जारी किया गया है, के लिए ईओडीसी के नियमितीकरण एवं निर्गम के लिए परिशिष्ट 30क तथा परिशिष्ट 4जे की शर्तों में एकबारगी छूट प्रदान की गई है।

ड्यूटी मुक्त आयात प्राधिकार (डीएफआईए)

1 मई, 2006 से क्रियाशील ड्यूटी मुक्त आयात प्राधिकार स्कीम के तहत ऐसे उत्पादों के लिए निर्यात पश्चात आधार पर ड्यूटी मुक्त आयात प्राधिकार जारी किए जाएंगे जिनके लिए मानक इनपुट आउटपुट मानदंड (एसआईओएन) अधिसूचित किए गए हैं, जब निर्यात पूरा हो जाएगा। ड्यूटी मुक्त आयात प्राधिकार स्कीम के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य निर्यात के पूरा हो जाने के बाद एसआईओएन के अनुसार प्राधिकार या आयातित इनपुट्स के अंतरण को सुगम बनाना है। ड्यूटी मुक्त आयात प्राधिकार स्कीम के उपबंध अग्रिम प्राधिकार स्कीम के सदृश हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 20 प्रतिशत की न्यूनतम मूल्य वृद्धि अपेक्षित है। जिन मदों के लिए परिशिष्ट में अग्रिम प्राधिकार के तहत अधिक मूल्य वृद्धि निर्धारित की गई है, उनके लिए भी वही मूल्य वृद्धि लागू होगी जो ड्यूटी मुक्त आयात प्राधिकार के लिए लागू है। विदेश व्यापार नीति 2015-20 में निर्यात पूर्व ड्यूटी मुक्त आयात प्राधिकार को बंद कर दिया गया है।

डीएफआईए के तहत सफेद चीनी के निर्यात को 30 सितंबर 2018 तक एसआईओएन - ई 52 के तहत अनुमत किया गया है तथा ऐसे मामलों में डीएफआईए केवल 1 अक्टूबर 2019 को या इसके बाद जारी किया जाएगा। ऐसे डीएफआईए 30 सितंबर 2021 तक आयात के लिए मान्य होंगे।

रत्नों एवं आभूषण क्षेत्र के लिए स्कीमें

हमारे कुल वस्तु निर्यात में रत्न एवं आभूषण के निर्यात का हिस्सा बहुत बड़ा है। यह एक रोजगार उन्मुख क्षेत्र है। वैश्विक आर्थिक मंदी की वजह से इस क्षेत्र से होने वाले निर्यातों में काफी गिरावट आई है।

नामित एजेंसियों से या तो अग्रिम में या पुनःपूर्ति के रूप में बहुमूल्य धातु (सोना / चांदी / प्लेटिनम) के ड्यूटी मुक्त आयात / प्रापण की अनुमति दी गई है। ड्यूटी मुक्त आयात प्राधिकार स्कीम रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए उपलब्ध नहीं होगी। रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए लागू स्कीमें इस प्रकार हैं :

- नामित एजेंसियों से बहुमूल्य धातुओं का अग्रिम प्रापण भराई
- रत्नों के लिए भराई प्राधिकार
- उपभोज्य वस्तुओं के लिए भराई प्राधिकार
- बहुमूल्य धातुओं के लिए अग्रिम प्राधिकार

उद्योग द्वारा की गई मांग को ध्यान में रखते हुए पोस्ट, पुश बैक, लॉक जैसे निष्कर्षों जो 3 कैरट तथा अधिक परंतु अधिकतम 22 कैरट के गोल्ड वाले आभूषण के नगों को एक साथ मिलाने में मदद करते हैं, को भी ड्यूटी मुक्त योजना के तहत अनुमत किया गया है।

शुल्क माफी की स्कीमों के तहत प्राधिकार जारी किया जाना

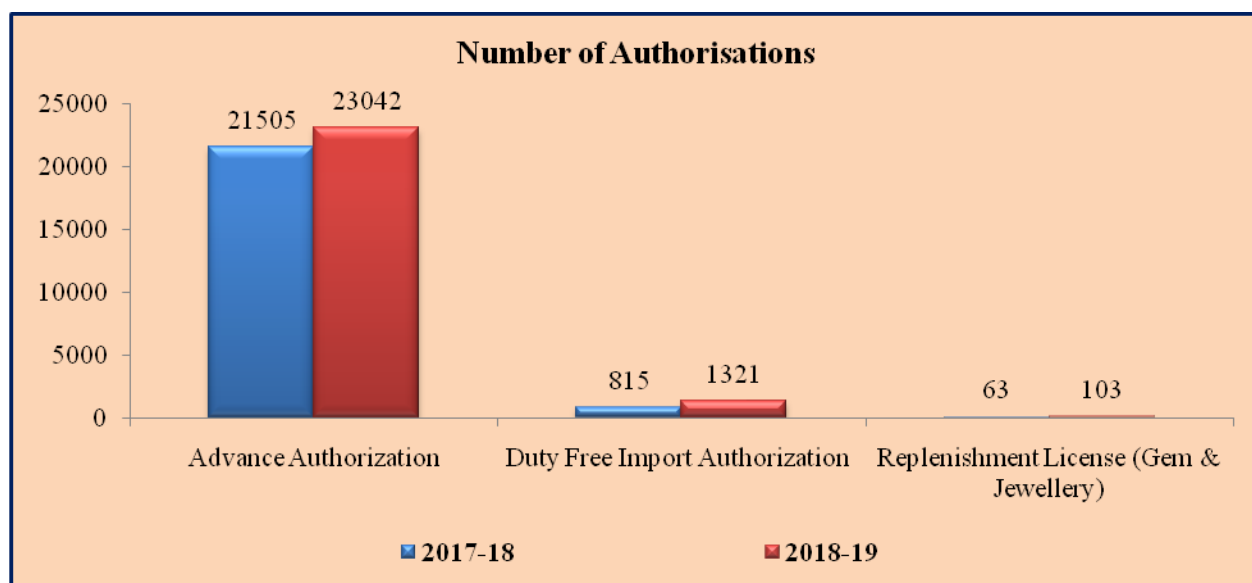
विभिन्न स्कीमों अर्थात् अग्रिम प्राधिकार, ड्यूटी फ्री आयात प्राधिकार (डीएफआईए) तथा भराई लाइसेंस (रत्न एवं आभूषण) के तहत

प्राधिकार जारी किए जाते हैं। 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान विभिन्न स्कीमों के तहत जारी किए गए प्राधिकारों की संख्या, आयातों

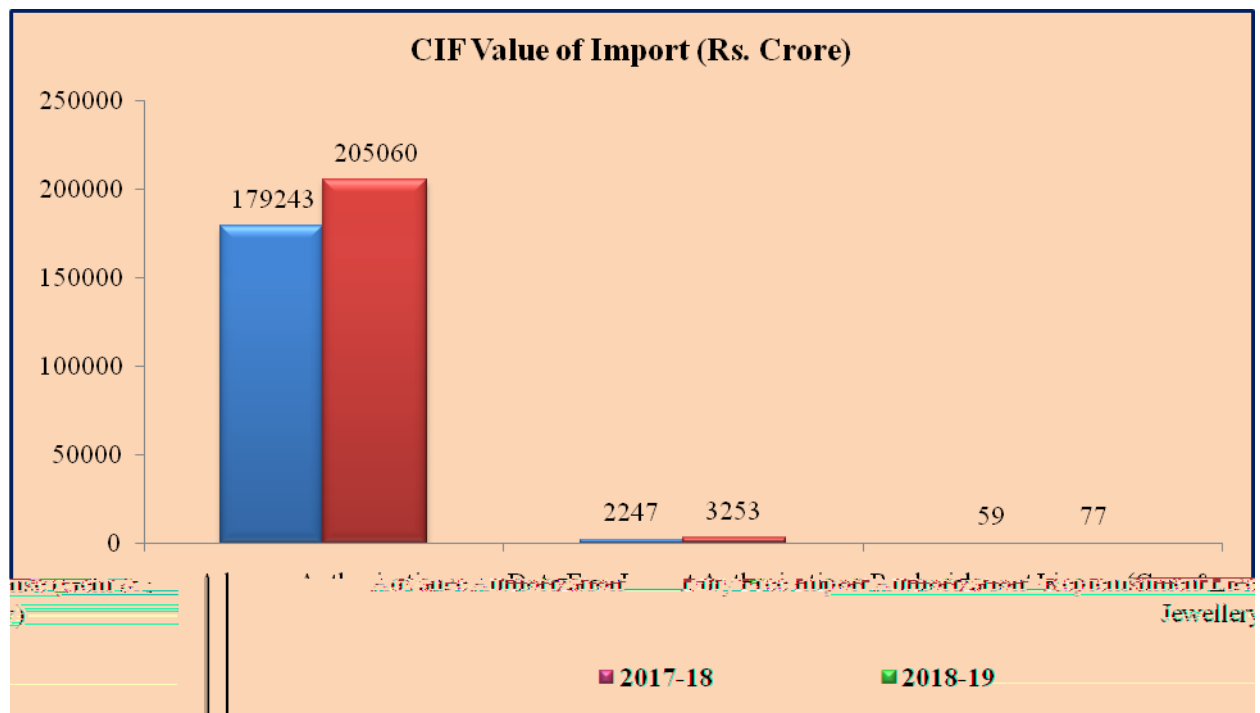
के सी आई एफ मूल्य तथा निर्यातों के एफ ओ बी मूल्य का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :

शुल्क माफी की स्कीमें		2017-18	2018-19
अग्रिम प्राधिकार	प्राधिकारों की संख्या	21,505	23,042
	आयातों का सी आई एफ मूल्य (करोड़ रुपए में)	1,79,242.63	2,05,060.30
	निर्यातों का एफ ओ बी मूल्य (करोड़ रुपए में)	3,00,914.89	3,78,808.06
ड्यूटी मुक्त आयात प्राधिकार (डीएफआईए)	प्राधिकारों की संख्या	815	1,321
	आयातों का सी आई एफ मूल्य (करोड़ रुपए में)	2,246.90	3,253.28
	निर्यातों का एफ ओ बी मूल्य (करोड़ रुपए में)	3,047.40	5,183.03
पुनःपूर्ति लाइसेंस (रतन एवं आभूषण)	प्राधिकारों की संख्या	63	103
	आयातों का सी आई एफ मूल्य (करोड़ रुपए में)	59.22	77.18
	निर्यातों का एफ ओ बी मूल्य (करोड़ रुपए में)	667.68	1,001.29

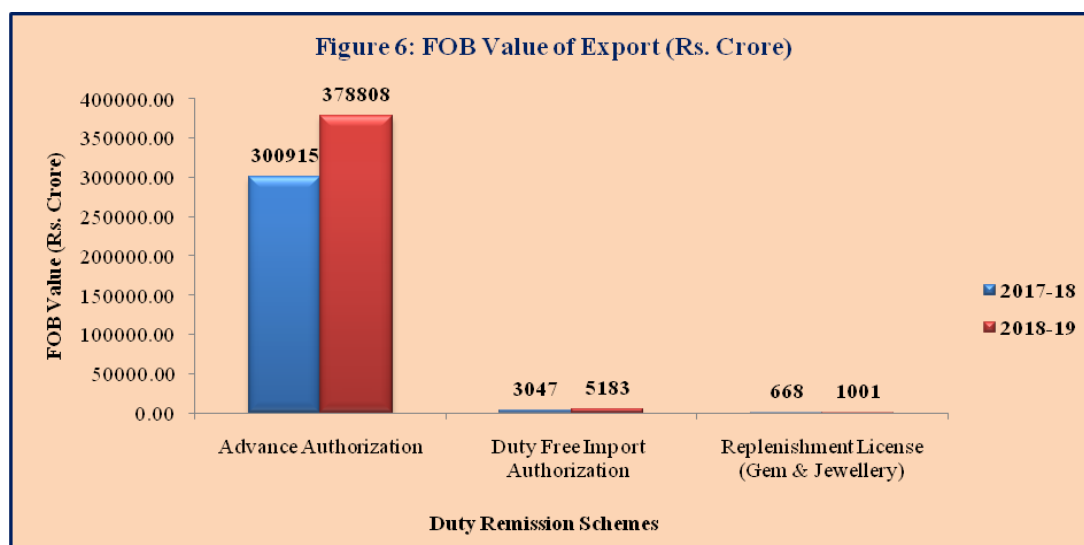
चित्र 4 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान निर्यात संवर्धन की विभिन्न स्कीमों के तहत जारी किए गए प्राधिकारों की संख्या को दर्शाता है।



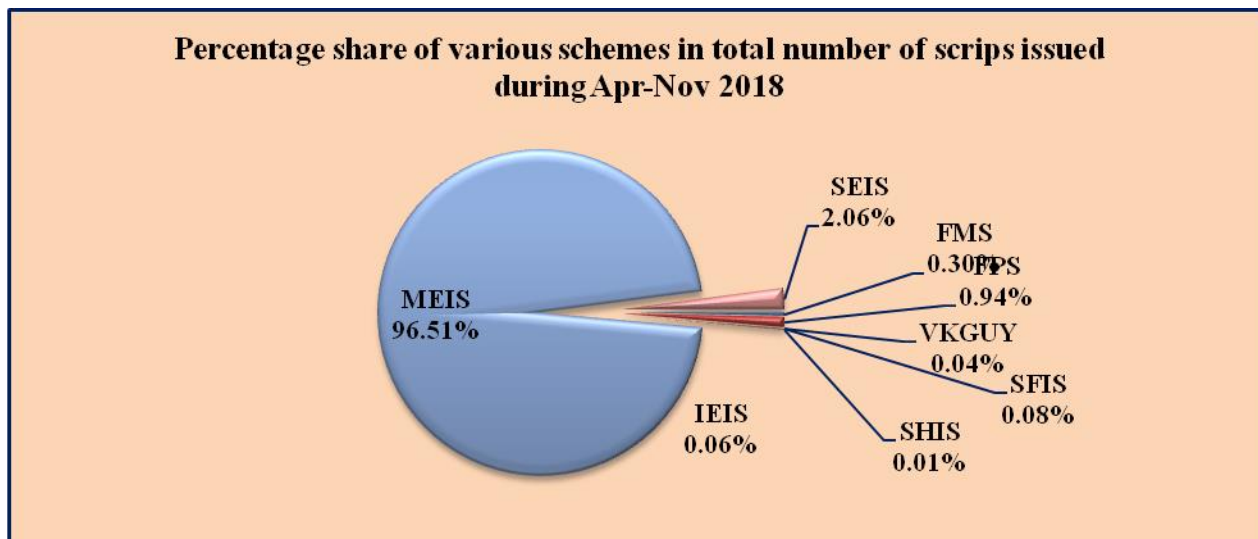
चित्र 5 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान निर्यात संवर्धन की विभिन्न स्कीमों के तहत आयात के सीआईएफ मूल्य को दर्शाता है।



चित्र 6 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत निर्यात के एफओबी मूल्य को दर्शाता है।



चित्र 7 2018-19 के दौरान जारी किए गए स्क्रिप्सों की कुल संख्या में विभिन्न स्कीमों के शेयर को प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। यह दर्शाता है कि 2018-19 के दौरान जारी किए गए कुल स्क्रिप में एमईआईएस के तहत जारी किए गए स्क्रिप का शेयर सबसे अधिक अर्थात् 96.51 प्रतिशत था।



V. पूंजी माल निर्यात संवर्धन (ईपीसीजी) स्कीम

पूंजी माल निर्यात संवर्धन स्कीम का उद्देश्य भारत की निर्यात संबंधी प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने के लिए कोटिपरक माल एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजी माल के आयात को सुगम बनाना है। ईपीसीजी स्कीम जीरो कस्टम ड्यूटी पर पूंजी माल के आयात की अनुमति प्रदान करती है परंतु प्राधिकार के जारी होने की तिथि से परिगणित 6 साल की अवधि में पूंजी माल पर बचाए गए शुल्क, कर और उपकर के 6 गुने के समतुल्य निर्यात करने की शर्त को पूरा करना होगा।

विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना में प्रावधान के अनुसार, भौतिक निर्यात क्षेत्र के लिए ईपीसीजी प्राधिकार के तहत आयातित पूंजी माल को जीएसटी एवं क्षतिपूर्ति उपकर से केवल 31 मार्च 2019 तक छूट प्रदान की गई है, जो कस्टम टैरिफ अधिनियम 51 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा 7 और उपधारा 9 के तहत उस पर लगाया जा सकता है। विकल्प के तौर पर, प्राधिकार धारक विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.07 के प्रावधानों के अनुसरण में देशज स्रोतों से भी पूंजी माल का प्रापण कर सकते हैं। पूंजी माल निर्यात संवर्धन स्कीम के प्रयोजन के लिए पूंजी माल में निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) पूंजी माल निर्यात संवर्धन स्कीम शून्य सीमा शुल्क पर उत्पादन पूर्व, उत्पादन और उत्पादन पश्चात के लिए पूंजी माल के आयात को अनुमति प्रदान करती है। राजस्व

- i अध्याय 9 तथा इसकी सीकेडी / एसकेडी शर्त में यथा परिभाषित पूंजी माल;
- ii कम्प्यूटर सिस्टम तथा साफ्टवेयर जो आयात

किए जा रहे पूंजी माल का अंग हैं;

- iii स्पेयर, माउल्ट, डाई, जिग, फिक्सचर, टूल तथा रिफैक्ट्रीज; और
- iv आरंभिक चार्ज के लिए कैटेलिस्ट प्लस एक परवर्ती चार्ज।

(ख) पूंजी माल निर्यात संवर्धन स्कीम के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा परियोजना आयात के लिए पूंजी माल का आयात भी अनुमत है।

(ग) प्राधिकार जारी होने की तिथि से 24 माह के लिए आयात के लिए मान्य है। ई पी सी जी प्राधिकार की पुनः वैधता अनुमत नहीं होगी।

(घ) पूंजी माल निर्यात संवर्धन स्कीम के अंतर्गत सेकेंड हैंड पूंजी माल के आयात की अनुमति नहीं है।

(ड.) ईपीसीजी योजना के तहत विशिष्ट शर्तों के अधीन ऐसे पूंजी माल की सूची सार्वजनिक नोटिस संख्या 47/2015-20 दिनांक 6 दिसंबर 2018 के माध्यम से अधिसूचित की गई है जो आयात के लिए अनुमत नहीं हैं / अनुमत हैं।

(च) इस स्कीम में प्रक्रिया हस्तपुस्तिका के पैरा 5.13 के अनुसार कतिपय विनिर्दिष्ट सेक्टरों/उत्पादों के सिवाय समग्र निर्यात बाध्यता अवधि, जिसमें विस्तारित अवधि भी शामिल है, के भीतर उसी और सदृश उत्पादों के लिए पूर्ववर्ती तीन लाइसेंसिंग वर्षों में निर्यातक द्वारा हासिल किए गए निर्यात के औसत स्तर को बनाए रखना भी अपेक्षित है।

(छ) ईपीसीजी स्कीम के कार्य क्षेत्र को ऐसे सेवा प्रदाताओं पर भी लागू किया गया है जो डी जी एफ टी, वाणिज्य विभाग

या राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम द्वारा निर्यात उत्कृष्टता के किसी टाउन में सामान्य सेवा प्रदाता (सी एस पी) के रूप में नामित / प्रमाणित है, बशर्ते विदेश व्यापार नीति 2015-20 / प्रक्रिया हैंडबुक (2015-20) की निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन हो :

- (i) सामान्य सेवा प्रदाता की निर्यात बाध्यता की पूर्ति के लिए गणना की जाने वाली सामान्य सेवा के प्रयोक्ताओं द्वारा निर्यात के तहत संबंधित लदान बिल में सामान्य सेवा प्रदाता के ई पी सी जी प्राधिकार के ब्यौरे होंगे तथा आरए को ऐसे निर्यात से पूर्व प्रयोक्ताओं के ब्यौरों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए;
 - (ii) ऐसे निर्यात को सी एस पी / प्रयोक्ता के ई पी सी जी के अन्य प्राधिकारों के संबंध में विशिष्ट निर्यात बाध्यता की पूर्ति के लिए नहीं गिना जाएगा; और
 - (iii) प्राधिकार धारक से बैंक गारंटी (बीजी) प्रस्तुत करने की अपेक्षा होगी जो बचाई गई ड्यूटी के समतुल्य होगी। बैंक गारंटी सामान्य सेवा प्रदाता द्वारा या सामान्य सेवा प्रदाता के विकल्प पर किसी भी प्रयोक्ता या उनके संयोजन द्वारा प्रदान की जा सकती है।
 - (iv) विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 5.02 (ख) में निर्यात उत्कृष्टता के टाउन में विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग या राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम द्वारा सामान्य सेवा प्रदाता (सीएसपी) नामित / प्रमाणित करने के लिए दिशानिर्देश।
- (ज) ईपीसीजी लाइसेंस का धारण करने वाला व्यक्ति किसी घरेलू विनिर्माता से पूंजी माल प्राप्त कर सकता है। ऐसे घरेलू विनिर्माता विदेश व्यापार नीति के पैरा

7.03 के तहत समवत निर्यात लाभ के लिए तथा ऐसे लाभों के लिए पात्र होंगे जो समवत निर्यात की श्रेणी के अंतर्गत जीएसटी नियमावली के तहत प्रदान किया जा सकता है। ऐसा घरेलू स्रोतन निर्यात उन्मुख यूनिटों से भी अनुमत होगा तथा इन आपूर्तियों को विदेश व्यापार नीति के पैरा 6 09(क) के प्रावधानों के अनुसार उक्त निर्यात उन्मुख यूनिट द्वारा सकारात्मक एन एफ ई की पूर्ति के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।

(झ) प्राधिकार धारक आयात के पूरा होने की तिथि से 6 माह के अंदर संबंधित आरए को प्राधिकार धारक के विकल्प पर क्षेत्राधिकारीय सीमा शुल्क प्राधिकारी अथवा किसी स्वतंत्र सनदी इंजीनियर से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें इस बात की पुष्टि होगी कि प्राधिकार धारक या उसके सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) के कारखाने / परिसर में पूंजी माल को संस्थापित किया गया है। प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उक्त अवधि को 5000 रुपये के संरचना शुल्क के साथ आरए 12 माह की अधिकतम अवधि तक एकबारगी समय विस्तार प्रदान कर सकता है। जहां प्राधिकार धारक स्वतंत्र सनदी इंजीनियर के प्रमाण पत्र का विकल्प चुनता है, तो वह सूचना / रिकार्ड के रूप में क्षेत्राधिकारीय सीमा शुल्क प्राधिकारी को प्रमाण पत्र की प्रति भेजेगा। प्राधिकार धारक को निर्यात बाध्यता की संपूर्ण अवधि के दौरान शिफ्टिंग के 6 माह के अंदर संबंधित आरए को नया इंस्टालेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन प्राधिकारक धारक के आईसी तथा आरसीएमसी में उल्लिखित अन्य यूनिटों

में पूंजी माल को शिफ्ट करने की अनुमति होगी।

(ञ) स्पेयर के आयात के मामले में प्राधिकार धारक द्वारा आयात की तिथि से तीन साल के अंदर संस्थापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(ट) आयात के लिए एच बी पी के पैरा 4.37 के अनुसार ई पी सी जी प्राधिकार पंजीकरण के एकल बंदरगाह के साथ जारी किया जाता है। तथापि, निर्यात एच बी पी के पैरा 4.37 में निर्दिष्ट किसी भी बंदरगाह से किया जा सकता है।

(ठ) ग्रीन टेक्नोलॉजी उत्पादों के निर्यात के संदर्भ में विनिर्दिष्ट निर्यात बाध्यता सामान्य निर्यात बाध्यता का 75 प्रतिशत होगी, जैसा कि विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.10 में उल्लिखित है। ग्रीन टेक्नोलॉजी उत्पादों की सूची एचबीपी 2015-20 के पैरा 5.29 में दी गई है।

जम्मू और कश्मीर, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवस्थित इकाइयों के लिए विनिर्दिष्ट ईओ, ईओ का 25 प्रतिशत होगा जैसा कि एफटीपी के पैरा 5.01 में विनिर्धारित है।

(ड) ईपीसीजी स्कीम के अंतर्गत निर्यात बाध्यता (ईओ) की शर्तें :

(i) माल के निर्यात के माध्यम से प्राधिकार धारक द्वारा निर्यात बाध्यता का निर्वहन किया जाएगा, जिसका निर्माण उसके द्वारा या उसके द्वारा प्रदान की गई सहायक विनिर्माण / सेवा द्वारा किया जाता है जिसके लिए ईपीसीजी प्राधिकार प्रदान किया गया है।

(ii) निर्यात भौतिक निर्यात होगा। तथापि, विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.02 (क), (ख), (ड.), (च)

एवं (छ) में निर्दिष्ट आपूर्तियों को भी विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.03 के तहत उपलब्ध स्वाभाविक लाभों के साथ निर्यात बाध्यता के निर्वहन में शामिल किया जाएगा।

(iii) एचबीपी के पैरा 5.13 (क) में उल्लिखित श्रेणियों को छोड़कर इस योजना के अंतर्गत निर्यात बाध्यता इस प्रयोजन के लिए लाइसेंस के पिछले तीन वर्षों में तथा समग्र निर्यात बाध्यता अवधि, जिसमें विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, भी शामिल है, के भीतर उसी एवं सदृश उत्पादों के लिए आवेदक द्वारा हासिल किए गए निर्यात के औसत सूत्र के अतिरिक्त होगी। ऐसा औसत उस तथा समान उत्पादों के लिए लाइसेंस के पिछले तीन वर्षों में निर्यात निष्पादन का गणितीय औसत होगा।

(iv) कतिपय सेक्टरों जैसे हस्तशिल्प, हथकरघा, कुटीर उद्योग, अत्यन्त लघु क्षेत्र, कृषि, एक्वा-कल्चर (मात्स्यिकी सहित), पशुपालन, पुष्प उत्पादन, उद्यानिकी, मछली पालन, अंगूर की खेती, मुर्गीपालन, रेशम उत्पादन, दरियों, नारियल-जटा और जूट के लिए औसत निर्यात बाध्यता बनाए रखने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है।

(v) निर्यात बाध्यता अवधि में 2 वर्ष की अवधि के लिए विस्तार किया जा सकता है बशर्ते एच बी पी के पैरा 5.17 में विनिर्दिष्ट कतिपय शर्तें पूरी होती हों।

(ढ) पूंजी माल का आयात निर्यात बाध्यता के पूरे हो जाने तक वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के अधीन होता है।

(ण) ईपीसीजी योजना के तहत आयातित पूंजी माल का पुनर्निर्यात / मरम्मत / प्रतिस्थापन

(i) ईपीसीजी योजना के तहत आयातित पूंजी माल जो दोषपूर्ण या प्रयोग के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, का विदेशी आपूर्तिकर्ता को आरए / सीमा शुल्क प्राधिकारी की अनुमति से कस्टम द्वारा ऐसे माल के क्लियरेंस की तिथि से तीन साल के अंदर पुनर्निर्यात किया जा सकता है। इसके बाद निर्यात बाध्यता का निर्धारण फिर से किया जाएगा।

(ii) आयात किए गए तथा दोषपूर्ण या प्रयोग के लिए अन्यथा अनुपयुक्त पाए गए पूंजी माल का निर्यात आरए / सीमा शुल्क प्राधिकारी की अनुमति से तथा ईपीसीजी योजना के तहत उसके प्रतिस्थापन में पूंजीमाल के आयात के अधीन ऐसे माल के कस्टम द्वारा क्लियरेंस की तिथि से दो साल के अंदर किया जा सकता है। ऐसे मामलों में निर्यात की अनुमति प्रदान करते समय कस्टम प्राप्त किए गए ड्यूटी लाभ को क्रेडिट करेगा जिसे ऐसे प्रतिस्थापित पूंजी माल के आयात के समय पुनः डेबिट किया जा सकता है।

(iii) विदेश में मरम्मत के लिए ईपीसीजी योजना के तहत आयातित पूंजी माल का आरए / सीमा शुल्क प्राधिकारी की अनुमति से कस्टम द्वारा ऐसे माल के क्लियरेंस की तिथि से तीन साल के अंदर पुनर्निर्यात किया जा सकता है। निर्यात बाध्यता के पुनर्निर्धारण के लिए मरम्मत तथा बीमा एवं दोतरफा फ्रेट पर किए गए व्यय पर ड्यूटी कंपोनेंट की गणना की जाएगी।

निर्यात पश्चात ईपीसीजी ड्यूटी क्रेडिट

स्क्रिप : निर्यातक इस योजना के विकल्प का चयन करके संबंधित आरए के पास एएनएफ5ए में आवेदन दाखिल करके इस विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। निर्यातक द्वारा पूंजी माल के आयात के समय सभी लागू शुल्कों का भुगतान नकद रूप में किया जाएगा। आरए प्राधिकार जारी करेंगे जिसमें प्राधिकार के ढांचे पर निम्नलिखित का उल्लेख होगा :

- (i) "आयात के लिए नहीं";
- (ii) औसत निर्यात बाध्यता, यदि कोई हो;
- (iii) लागू विशिष्ट ईओ के 85 प्रतिशत की दर से विशिष्ट निर्यात बाध्यता, जिसकी गणना इस रूप में की जाएगी कि आयात में ड्यूटी छूट का लाभ लेना है; और
- (iv) ईओपी, जो प्राधिकार जारी किए जाने की तिथि से आरंभ होगा।

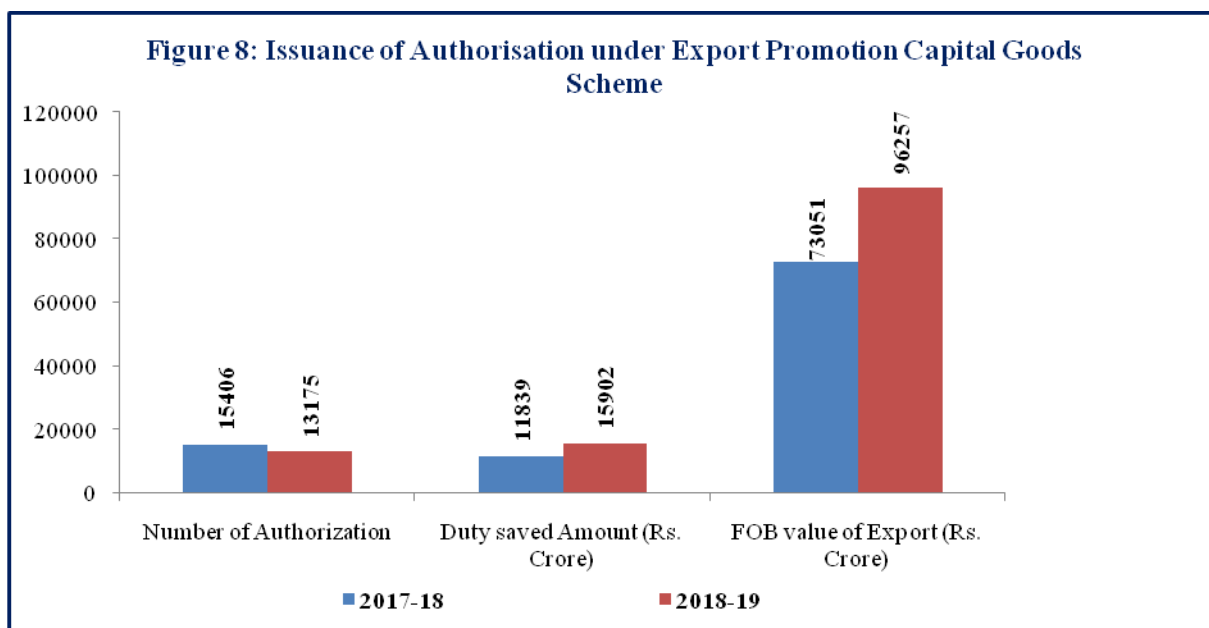
निर्यातक पूर्ण की गई बाध्यता के अनुपात में निर्धारित ईओपी के अंदर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप जारी करने के लिए अनुरोध एनएफ5 बी दाखिल कर सकता है। केवल पहले ऐसे अनुरोध के लिए औसत निर्बाध बाध्यता के अनुरक्षण के प्रमाण के साथ निर्यात बाध्यता के निर्वहन के प्रमाण के साथ ऐसे पूंजी माल पर वास्तविक ड्यूटी भुगतान, पूंजी माल के नेक्सस तथा संस्थापन प्रमाण पत्र (पत्रों) का

प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद केवल उपर्युक्त 3 में निर्धारित विशिष्ट निर्यात बाध्यता की तुलना में अतिरिक्त रूप से पूरी की गई औसत निर्यात बाध्यता के अनुरक्षण के प्रमाण के साथ विशिष्ट निर्यात बाध्यता की पूर्ति का प्रमाण प्रस्तुत किया जा सकता है, जब तक कि पहले प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों / प्रमाणों में कोई परिवर्तन न हो। आरए निर्वहन की गई निर्यात बाध्यता के अनुपात में स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप जारी करेगा। स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप की गणना बुनियादी कस्टम ड्यूटी की भुगतान की गई राशि पर आधारित होगी। मौजूदा ईपीसीजी स्कीम के सभी प्रावधान तब तक लागू होंगे जब तक कि वे इस स्कीम के साथ असंगत न हों।

ईपीसीजी प्राधिकारों का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है :

पूंजी माल निर्यात संवर्धन योजना के तहत जारी किए गए प्राधिकार		
ईपीसीजी स्कीम	2017-18	2018-19
प्राधिकारों की संख्या	15,406	13,175
ड्यूटी के रूप में बचाई गई राशि (करोड़ रु)	11,839.18	15,901.60
निर्यातों का एफ ओ बी मूल्य (करोड़ रुपए में)	73,051.20	96,257.29

चित्र 8 2017-18 तथा 2018 -19 के दौरान बचाई गई ड्यूटी की राशि तथा निर्यात के एफओबी मूल्य के साथ विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत जारी किए गए प्राधिकारों की संख्या को दर्शाता है।



VI. लदान पूर्व एवं पश्चात रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समानीकरण योजना

लदान पूर्व एवं रुपए निर्यात क्रेडिट के लिए ब्याज समानीकरण योजना (आईईएस) सरकार की ओर से आरबीआई के माध्यम से डीजीएफटी चलाई जा रही है। यह योजना 1 अप्रैल 2015 से लागू हुई और 5 साल की अवधि के लिए है। इस योजना के तहत चिह्नित 416 चार डिजिट टैरिफ लाइन में निर्यातों के लिए पात्र निर्यातकों के लिए 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज समानीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसमें विनिर्माता निर्यातक तथा उनके सभी वस्तु निर्यात में सभी एमएसएमई निर्यातक शामिल हैं। इस प्रकार बैंक लदान पूर्व एवं पश्चात रुपया निर्यात क्रेडिट के रूप में पात्र निर्यातकों को ऋण प्रदान करते हैं तथा ब्याज समानीकरण योजना के तहत शामिल निर्यातकों के संबंध में ब्याज की दर में 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कटौती की गई है।

एमएसएमई से घटिया निर्यात निष्पादन तथा एमएसएमई पैकेज के अंग के रूप में प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण प्राप्त करने में उनकी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि एमएसएमई निर्यातकों

को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा और इसके लिए ब्याज समानीकरण की दर 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत की जाएगी। तदनुसार 2 नवंबर 2018 से लदान पूर्व एवं लदान पश्चात रुपया निर्यात क्रेडिट पर चल रही ब्याज समानीकरण योजना (आईईएस) के तहत एमएसएमई क्षेत्र द्वारा किए गए निर्यात के लिए ब्याज समानीकरण की दर 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत की गई है।

इसके अलावा, चल रही योजना में मर्चेट निर्यातकों को भी शामिल करने के लिए निर्यातक समुदाय की निरंतर मांग को ध्यान में रखते हुए 2 जनवरी 2019 से मर्चेट निर्यातकों को भी लदान पूर्व एवं लदान पश्चात रुपया निर्यात क्रेडिट के लिए ब्याज समानीकरण योजना (आईईएस) के तहत शामिल किया गया है तथा उनको योजना के तहत चिह्नित 416 टैरिफ लाइनों के अंतर्गत शामिल उत्पादों के निर्यात के लिए ऐसे क्रेडिट पर 3 प्रतिशत की ब्याज समानीकरण दर अनुमत की गई है।

VII. परिधान तथा कपड़ों के साजोसामान के लिए वस्तुओं के निर्यात के लिए विशेष अग्रिम प्राधिकार स्कीम

फैब्रिक के आयात तथा ड्यूटी ड्राबैक की सभी उद्योगों पर लागू दर का दावा करने के लिए एक नई स्कीम 1 सितंबर 2016 से शुरू की गई। नई स्कीम का नाम 'परिधान तथा कपड़ों के साजोसामान की वस्तुओं के निर्यात के लिए विशेष अग्रिम प्राधिकार स्कीम' है। निर्यातक पूर्व निर्यात आधार पर इंटर लाइनिंग तथा निर्यात पर गैर फैब्रिक इनपुट के लिए सभी उद्योगों पर लागू ड्यूटी ड्राबैक की दर सहित फैब्रिक के लिए प्राधिकार के लिए हकदार हैं।

निम्नलिखित शर्तों एवं निबंधनों के अधीन यह स्कीम ऐसी मदों के निर्यात को अनुमति प्रदान करती है जो आई टी सी (एच एस) निर्यात एवं आयात वर्गीकरण के अध्याय 61 और 62 के तहत शामिल हैं :

- (क) प्राधिकार मानक इनपुट आउटपुट मानदंड (एस आई ओ एन) या मानक समिति द्वारा मानदंडों के पूर्व नियतन के आधार पर जारी किए जाएंगे।
- (ख) प्राधिकार केवल इनपुट के रूप में इंटरलाइनिंग सहित संगत फैब्रिक के आयात के लिए जारी किए जाएंगे। इस प्राधिकार के तहत किसी अन्य इनपुट, पैकिंग सामग्री, ईंधन, तेल तथा कैटलिस्ट के आयात की अनुमति नहीं होगी।
- (ग) निर्यातक इस स्कीम के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारण के अनुसार गैर फैब्रिक इनपुट के लिए सभी उद्योगों पर लागू ड्यूटी ड्राबैक की दर के लिए पात्र होंगे। विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.08 के मूल्य वृद्धि संबंधी मानदंड के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त कोई अन्य यूनिट जिस पर ड्राबैक के लाभ का दावा किया गया है या दावा करने का इरादा है, का मूल्य प्राप्त किए गए निर्यात के एफ ओ बी मूल्य के 22 प्रतिशत के समान

होगा। न्यूनतम मूल्य वृद्धि विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.09 के अनुसार होगी।

- (घ) जहां निर्यातक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण द्वारा निर्धारित एवं नियत ड्राबैक (ब्रांड रेट) का दावा करना चाहता है, वह प्राधिकार के लिए आवेदन में की जाने वाली घोषणाओं के संबंध में विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.15 का अनुसरण करेगा और ब्रांड रेट के लिए दावा के तहत निर्यात करेगा। ऐसे मामलों में मूल्य वृद्धि विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.08 के अनुसार होगी। न्यूनतम मूल्य वृद्धि विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.09 के अनुसार होगी।
- (ङ) प्राधिकार तथा आयात किया गया फैब्रिक वास्तविक प्रयोज्यता की शर्त के अधीन होंगे। निर्यात बाध्यता पूरी हो जाने के बाद भी यह गैर हस्तांतरणीय होगा। तथापि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा अनुमति के अनुसार (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से क्षेत्र आधारित छूट के लिए पात्र क्षेत्रों में स्थित यूनिटों को छोड़कर) जॉब वर्क के लिए आयात किए गए फैब्रिक का हस्तांतरण किया जा सकता है। प्राधिकार को निरस्त करने की अनुमति नहीं होगी।
- (च) आयात किया गया फैब्रिक पूर्व आयात के अधीन होगा तथा इसे निर्यात के उत्पाद में (वेस्टेज के लिए सामान्य अनुमति प्रदान करते हुए) भौतिक रूप से शामिल किया जाएगा। भौतिक निर्यात ही निर्यात बाध्यता को पूरा करेंगे।

VIII. स्टेटस होल्डर की मान्यता :

माल, सेवाओं तथा प्रौद्योगिकी के सभी निर्यातक जिनके पास आयातक - निर्यातक कोड (आईसी) नंबर है, स्टेटस होल्डर के रूप में मान्यता के लिए पात्र हैं, जो रतन एवं आभूषण क्षेत्र को छोड़कर वर्तमान वर्ष तथा पिछले तीन वर्षों के निर्यात निष्पादन पर

निर्भर होता है। वन स्टार एक्सपोर्ट हाउस का स्टेटस प्राप्त करने के लिए पार की जाने वाली दहलीज की वर्तमान सीमा चालू वर्ष तथा पिछले तीन वर्षों में तीन मिलियन अमरीकी डालर है। नई विदेश व्यापार नीति 2015-20 में संबंधित एजेंसियों द्वारा स्टेटस होल्डर के कंसाइनमेंट की हैंडलिंग में कतिपय विशेषाधिकारों एवं तरजीही व्यवहार तथा प्राथमिकता का प्रावधान है। इसके अलावा, स्टेटस धारकों को अग्रिम प्राधिकार जारी करने तथा बाद में इसके किसी संशोधन के लिए 4 एवं 5 स्टार स्टेटस धारकों के लिए एक दिन और 1, 2 एवं 3 स्टार स्टेटस धारकों के लिए दो दिन की संक्षिप्त समय सीमा क्षेत्रीय प्राधिकारियों के लिए निर्धारित की गई है।

जो विनिर्माता स्टेटस धारक भी हैं उनको भारत से उद्गम के रूप में अपने विनिर्मित माल को स्वयं प्रमाणित करने के लिए समर्थ बनाया गया है जिसका उद्देश्य विभिन्न तरजीही व्यापार करारों (पी टी ए), मुक्त व्यापार करारों (एफ टी ए), व्यापक आर्थिक सहयोग करारों (सी ई सी ए) और व्यापक आर्थिक साझेदारी करारों (सी ई पी ए), जो प्रचालन में हैं, के तहत तरजीही व्यवहार के लिए अर्हक होना है। 1507 आईईसी धारक हैं जिन्हें 2017-18 के दौरान वन स्टार तथा इससे अधिक स्टार वाले स्टेटस होल्डर प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं।

IX निर्यातोनमुख इकाईयां (ईओयू), इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी), साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी) और जैव-प्रौद्योगिकी पार्क (बीटीपी)

इन योजनाओं का उद्देश्य निर्यात बढ़ाना, विदेशी मुद्रा अर्जन में वृद्धि करना और निर्यात उत्पादन एवं रोजगार सृजन के लिए निवेश आकर्षित करना है। योजनाओं के तहत माल एवं सेवा के अपने संपूर्ण उत्पादन का निर्यात करने वाली यूनिटें (डीटीए में अनुमत

बिक्री को छोड़कर) स्थापित की जा सकती हैं। इन स्कीमों के अंतर्गत ट्रेडिंग इकाईयां नहीं कवर की गई हैं। इस योजना के तहत निर्यात उन्मुख यूनिटों आदि को कस्टम टैरिफ अधिनियम 1975 की पहली अनुसूची के तहत प्रावधान के अनुसार सीमा शुल्क तथा धारा 3 (1), 3 (3) और 3 (5) के तहत लगाई जाने वाली किसी अतिरिक्त ड्यूटी, यदि कोई हो, के भुगतान के बगैर तथा राजस्व विभाग द्वारा समय समय पर जारी की गई अधिसूचना के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 3 (7) और 3 (9) के तहत लगाए जाने वाले क्षतिपूर्ति उपकर, समेकित कर एवं जीएसटी के भुगतान के बगैर डीटीए या डीटीए में बांडेड वेयरहाउस से या भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी से 23 मार्च 2020 तक आयात और/या प्रापण करने की अनुमति है (जैसा कि जीएसटी परिषद तथा इसके तहत जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा प्रावधान किया गया है)। इसके अलावा डीटीए से जीएसटी माल का प्रापण लागू जीएसटी तथा क्षतिपूर्ति उपकर के भुगतान पर होगा। निर्यात उन्मुख यूनिटें लागू उत्पाद शुल्क के भुगतान के बगैर डीटीए से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1994 की चौथी अनुसूची में शामिल उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का भी प्रापण कर सकते हैं। डीटीए से निर्यात उन्मुख यूनिटें को आपूर्ति के लिए जीएसटी कर का रिफंड आपूर्तिकर्ता को जीएसटी नियमावली तथा इसके तहत जारी की गई अधिसूचनाओं के तहत प्रावधान के अनुसार उपलब्ध होगा। निर्यात के लिए विनिर्माण में प्रयोग हेतु डीटीए से ईओयू / ईएचटीपी / एसटीपी / बीटीपी यूनिटों को आपूर्तियां विदेश व्यापार नीति के अध्याय 7 के तहत लाभ के लिए पात्र हैं। डीटीए आपूर्तिकर्ता पर निर्यात बाध्यता, यदि कोई हो, के निर्वहन के अलावा आपूर्तिकर्ता विदेश व्यापार नीति के अध्याय 7 के तहत संगत हकदारियों के लिए पात्र हैं। ईओयू / ईएचटीपी / एसटीपी / बीटीपी यूनिटें निम्नलिखित के लिए हकदार हैं :

- (i) भारत में निर्मित माल पर केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की प्रतिपूर्ति; सीएसटी के रिफंड में भुगतान पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज देय होगा यदि पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन के अंदर मामले का निस्तारण नहीं किया जाता है; और
- (ii) भारत में निर्मित ऐसे माल पर डीटीए से प्रापण होने पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची में आने वाले माल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट।

X. डीमड एक्सपोर्ट्स

विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 7.02 में विनिर्दिष्ट कुछ श्रेणी के माल की आपूर्ति को डीमड एक्सपोर्ट्स माना जाता है, यदि माल का निर्माण भारत में होता है। डीमड एक्सपोर्ट की योजना के तहत, विदेश व्यापार नीति में प्रावधान के अनुसार विनिर्मित तथा डीमड एक्सपोर्ट की निर्दिष्ट श्रेणियों को आपूर्ति किए गए माल पर ड्यूटी से छूट / रिफंड का प्रावधान किया गया है ताकि घरेलू विनिर्माताओं को समान अवसर प्रदान किया जा सके। योजना के तहत लाभों में शामिल हैं :

- (i) ड्यूटी से छूट : विनिर्माण एवं आपूर्ति के लिए ड्यूटी के बगैर इनपुट का प्रावधान
- (ii) टीईडी रिफंड : टर्मिनल उत्पाद शुल्क का रिफंड
- (iii) ड्यूटी ड्राबैक का रिफंड : माल के निर्माण एवं आपूर्ति में प्रयुक्त इनपुट पर वहन की गई ड्यूटी का डीमड एक्सपोर्ट की निर्दिष्ट श्रेणियों को रिफंड

जीएसटी व्यवस्था के तहत ड्यूटी ड्राबैक आपूर्ति की मर्दों के निर्माण में प्रयुक्त इनपुट पर वहन की गई बुनियादी कस्टम ड्यूटी से छूट / रिफंड तक सीमित है; अग्रिम प्राधिकार भी केवल बीसीडी से छूट तक सीमित है। टीईडी रिफंड केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1994 की अनुसूची 4 के तहत शामिल पात्र मर्दों तक सीमित है, यदि कोई छूट नहीं है। आपूर्ति किए जाने के बाद डीजीएफटी के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत किए गए दावे के आधार पर प्रतिपूर्ति की जाती है। योजना के तहत

ड्यूटी ड्राबैक तथा टर्मिनल उत्पाद शुल्क के रिफंड में विलंब पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज देय है, यदि आरए द्वारा अंतिम अनुमोदन पत्र जारी किए जाने की तिथि से 30 दिन के अंदर दावे का निस्तारण नहीं किया जाता है।

XI. निर्यात बंधु योजना

भारत सरकार ने पहली पीढ़ी के उद्यमियों को तराशने के लिए एक नई योजना के रूप में अपनी विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के अंग के रूप में 13 अक्टूबर 2011 को निर्यात बंधु योजना की संकल्पना तैयार की थी। इस स्कीम का उद्देश्य नए एवं संभावित निर्यातकों तक पहुंचना और प्रबोधन कार्यक्रमों, परामर्श सत्रों तथा व्यक्तिगत सुगमता के माध्यम से उनको परामर्श प्रदान करना है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कदम रख सकें और डीजीएफटी अधिकारियों के समय से एवं उपयुक्त मार्गदर्शन के माध्यम से भारत से निर्यात को प्रोत्साहित कर सकें।

पूरे देश में फैले डीजीएफटी के विभिन्न क्षेत्रीय प्राधिकरणों (फील्ड कार्यालयों) के माध्यम से स्कीम के तहत आउटरीच जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं जो निर्यातक - आयातक कोड (आई ई सी), प्राधिकार, प्रोत्साहन, स्क्रिप आदि जारी करते समय सीधे नए एवं संभावित निर्यातकों के साथ चर्चा में शामिल होते हैं।

विनिर्माण क्षेत्र तथा रोजगार सृजन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के महत्व को ध्यान में रखते हुए आउटरीच कार्यक्रमों के तहत इस क्षेत्र से नए निर्यातकों को शामिल करने और विशिष्ट उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशिष्ट रूप से एम एस एम ई क्लस्टरों के निर्यातकों पर बल दिया जाता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय पूरे देश में कार्यान्वयन के लिए अपने आउटरीच कार्यक्रमों हेतु

एमएसएमई क्लस्टरों की पहचान करता है। ये क्लस्टर अधिकांशतः छोटे शहरों में हैं तथा इन आउटरीच कार्यक्रमों का उद्देश्य इन शहरों से संभावित उद्यमियों एवं निर्यातकों को प्रशिक्षण देना है। डी जी एफ टी ने उत्पादों के निर्यात के लिए संसाधन इनपुट प्रदान करने के लिए औद्योगिक साझेदारों जैसे कि निर्यात संवर्धन परिषदों तथा ज्ञान साझेदारों जैसे कि विद्वत जगत, कस्टम, बैंक आदि की पहचान की है जो उस उत्पाद के निर्यात के लिए प्रक्रियागत पहलुओं पर संसाधन इनपुट प्रदान करेंगे।

वर्ष 2018-19 के लिए निधियों का कुल आवंटन 100 लाख रुपए था जिसमें से 98.7 लाख रुपए 31 मार्च, 2019 तक विभिन्न क्षेत्रीय प्राधिकारियों को आवंटित किए गए हैं। कुल मिलाकर, निर्यात बंधु योजना के सी1 (नए आईसीसी होल्डर), सी2 (उत्कृष्टता का कस्बा / औद्योगिक क्लस्टर) और सी3 (व्यवसाय विद्यालयों / विश्वविद्यालयों में सेमिनार) के तहत संचालित कार्यक्रमों में 4000 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया है।

XII. व्यापार बोर्ड (बीओटी)

व्यापार बोर्ड (बीओटी) को व्यापार नोटिस संख्या 21 के माध्यम से 23 मार्च 2016 को पुनर्गठित किया गया। व्यापार बोर्ड का उद्देश्य व्यापार एवं उद्योग जगत के साथ निरंतर चर्चा एवं परामर्श करना है। भारत के व्यापार में तेजी लाने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यापार बोर्ड अन्य बातों के साथ विदेश व्यापार नीति से संबंधित नीतिगत उपायों पर सरकार को सलाह देगा।

पुनर्गठित व्यापार बोर्ड की पहली बैठक 6 अप्रैल, 2016 को हुई थी। 13 मंत्रालयों / विभागों तथा 34 व्यापार संघों / संगठनों ने भाग लिया। सिफारिशों पर कार्रवाई शुरू की गई। विदेश व्यापार नीति 2015-20 की मध्यावधि समीक्षा पर सदस्यों के सुझाव

प्राप्त करने के लिए 19 जून 2017 को दूसरी बैठक हुई। एक नई विदेश व्यापार नीति तैयार करने और माल एवं सेवाओं के शिपमेंट में तेजी लाने के लिए सदस्यों से सुझाव प्राप्त करने के लिए 15 फरवरी 2019 को तीसरी बैठक हुई।

XIII. निर्यात से संबंधित मामले

निर्यात प्राधिकार

निर्यात प्रकोष्ठ मुक्त / प्रतिबंधित या निषिद्ध के रूप में वर्गीकृत निर्यात एवं आयात के लिए आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के तहत विभिन्न मदों की निर्यात नीति से संबंधित काम देखता है। वाणिज्य विभाग के संबंधित वस्तु प्रभाग तथा संबंधित मंत्रालय / विभाग के परामर्श से मदों की निर्यात नीति की समय समय पर समीक्षा की जाती है तथा निर्यात नीति अधिसूचित की जाती है। तदनुसार निर्यात प्रकोष्ठ मदों की निर्यात नीति पर स्पष्टीकरण / व्याख्या प्रदान करता है, जब भी संबंधित व्यक्तियों / फर्मों / कंपनियों या मंत्रालय / विभाग / संगठन द्वारा इसकी मांग की जाती है। निर्यात के लिए आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 में प्रतिबंधित के रूप में वर्गीकृत मदों का निर्यात लाइसेंस के अधीन है।

निर्यात बढ़ाने के लिए सुगमताकारी उपाय :

गैर प्रतिबंधित निर्यात में व्यापार को सुगम बनाने के उद्देश्य से निजी भूमि (पट्टा भूमि सहित) से प्राप्त केवल कृषि स्रोत से रेड सैंडर्स वुड की निर्यात नीति अधिसूचित की गई है ताकि लट्ठा, जड़ तथा मूल्यवर्धित उत्पादों के रूप में रेड सैंडर्स वुड का निर्यात किया जा सके और निर्यातकों को सुगमता प्रदान की जा सके। उर्वरकों की निर्यात नीति को भी उदार बनाया गया है तथा इस मद को 'प्रतिबंधित श्रेणी' से हटाकर उर्वरक विभाग से निर्माता / निर्यातक द्वारा पूर्व अनुमति एनओसी प्राप्त करने तथा अन्य निर्धारित शर्तों के अनुपालन के अधीन 'मुक्त श्रेणी' में रखा गया है। सरसों के तेल को छोड़कर खाद्य तेल की सभी किसमों के निर्यात पर निषेध - निर्यात को सुगम बनाने के लिए सरसों के तेल को छोड़कर खाद्य तेल की सभी किसमों को किसी मात्रात्मक सीलिंग के बगैर निर्यात के लिए 'मुक्त' बनाया गया है, पैक के आकार आदि को भी हटा दिया गया है। बीच सैंड मिनरल के निर्यात को

एसटीई के तहत लाया गया है तथा इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड (आईआरईएल) के माध्यम से निर्यात किया जाएगा।

निर्यातकों के लिए विभिन्न अन्य सुगमताकारी उपाय भी लागू किए गए हैं जैसे कि व्यापार नोटिस 35 दिनांक 25 अक्टूबर 2018 के माध्यम से प्रतिबंधित निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करना, डीजीएफटी की वेबसाइट पर आवेदन का लाइव स्टेटस, मुद्रा आधारित पृष्ठताछ निवारण प्रणाली अर्थात् Contact@DGFT आदि।

प्रोसेसिंग का समय घटाने तथा उद्योग के लिए व्यवसाय करने की सरलता बढ़ाने के लिए 19 मार्च 2019 से प्रतिबंधित मर्च (गैर स्कोमेट) के निर्यात के लिए प्राधिकार प्राप्त करने की आनलाइन प्रणाली लागू की गई है। निर्यातकों द्वारा आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया, डीजीएफटी द्वारा आवेदनों की प्रोसेसिंग तथा प्रशासनिक विभागों के साथ परामर्श की प्रक्रिया को भी आनलाइन किया जाएगा। इससे ऐसे प्राधिकार के लिए आवेदन करने तथा प्राधिकार प्राप्त करने में निर्यातकों की लेनदेन लागत कम होगी।

प्रतिबंधित निर्यात लाइसेंस : प्रतिबंधित मर्च (स्कोमेट की मर्च से भिन्न) उदाहरण के लिए मांट्रियल प्रोटोकाल आदि के तहत प्याज के बीज, जिंदा पशु, सीवीड, गैर बासमती चावल, धान (भूसी) सीड क्वालिटी से भिन्न, चारा सामग्री, उर्वरक (एनपीके, एसएसपी, यूरिया आदि), रसायन के लिए निर्यात प्राधिकार जारी करने के लिए आवेदनों को निर्यात प्रकोष्ठ में प्रोसेस किया जाता है तथा प्रभारी अपर विदेश व्यापार महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित एग्जिम सुगमता समिति (ईएफसी) द्वारा उन पर विचार किया जाता है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधि होते हैं। एग्जिम सुगमता समिति की बैठक सामान्यतया माह में एक बार होती है तथा वाणिज्य विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग के प्रश्नगत वस्तु विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र / टिप्पणियों के आधार पर मामलों का निर्णय किया जाता है और केवल डीजीएफटी मुख्यालय से लाइसेंस जारी किए जाते हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान (31 मार्च 2017 तक), निर्यात की अनुमति के लिए 246 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 153

आवेदनों को अनुमोदित किया गया तथा निर्यात के लिए अनुमति प्रदान की गई, 24 आवेदनों (7.55 प्रतिशत) को अस्वीकार कर दिया गया / छोड़ दिया गया और शेष आवेदन संबंधित मंत्रालय / विभाग से इनपुट / अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में अगले वर्ष के लिए आस्थगित कर दिए गए।

एससीओएमईटी

विशेष केमिकल्स, जीव, सामग्रियां, उपस्कर और प्रौद्योगिकियां (स्कोमेट) वस्तुएं दोहरे-उपयोग की वस्तुएं हैं जिनमें नागरिक और डब्ल्यूएमडी (जन संहार के अस्त्र) दोनों अनुप्रयोगों की संभावना होती है। ऐसी वस्तुओं का निर्यात या तो सीमित है, उनके निर्यात के लिए प्राधिकार अपेक्षित है, या प्रतिबंधित है। स्कोमेट की वस्तुओं से संबंधित निर्यात नीति विदेश व्यापार नीति 2015-20 की प्रक्रिया हस्तपुस्तिका के पैरा 2.73 में दी गई है और ऐसी वस्तुओं की सूची निर्यात एवं आयात मर्च के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के परिशिष्ट 3 में दी गई है। ऐसी वस्तुओं की आठ श्रेणियां हैं।

स्कोमेट की वस्तुओं के निर्यात के सभी आवेदनों पर प्रक्रिया हस्तपुस्तिका के पैरा 2.74 में निर्धारित दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार डीजीएफटी में अपर विदेश व्यापार महानिदेशक की अध्यक्षता वाले अंतर्मंत्रालयी कार्यबल द्वारा उनके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है। इसके सदस्यों में अन्य लोगों के साथ-साथ, विदेश मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, डीआरडीओ, इसरो, आर्थिक कार्य विभाग और रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग के प्रतिनिधि शामिल हैं। सुरक्षित आनलाइन प्रणाली के माध्यम से डीजीएफटी द्वारा स्कोमेट के आवेदनों पर विचार किया जाता है।

स्कोमेट मर्च की डीटीए से विशेष आर्थिक क्षेत्र में आपूर्ति करने के लिए कोई भी निर्यात अनुमति की जरूरत नहीं है। हालांकि, यदि स्कोमेट वस्तुएं विशेष आर्थिक क्षेत्र से देश के बाहर भौतिक रूप से निर्यात की जानी हों तो निर्यात अनुमति अपेक्षित होता है। इस समय भारत तीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं अर्थात् एमटीसीआर (जून, 2016), वासेनार व्यवस्था (डब्ल्यूए) (दिसंबर, 2017) और आस्ट्रेलिया ग्रुप (एजी) (जनवरी, 2018) का सदस्य है तथा

एनएसजी के दिशानिर्देशों का भी पालन करता है। भारत के दोहरे प्रयोग की मदों की निर्यात नियंत्रण सूची (स्कोमेट) को इन व्यवस्थाओं की नियंत्रण सूचियों से संगत बनाया गया है। इसके अलावा एससीओएमईटी की विभिन्न श्रेणियों के लिए लाइसेंसिंग के क्षेत्राधिकार को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। व्यापार को सुगम बनाने के लिए स्कोमेट सूची की श्रेणी 6 (युद्ध सामग्री सूची) के लिए लाइसेंस प्रदान करने की डीजीएफटी की शक्तियां डीडीपी को प्रदान की गई हैं। स्कोमेट श्रेणी में सूचीबद्ध सीडब्ल्यूसी रसायनों के सीएस नंबर को भी संरक्षित किया गया है। संशोधित तथा व्यापक स्कोमेट सूची 24 अप्रैल 2017 को अधिसूचित की गई जो 1 मई 2018 से प्रभावी है। पिछली बार 22 अप्रैल 2019 को नीति को अपडेट किया गया जो डीजीएफटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

व्यापार तथा व्यवसाय करने की सरलता बढ़ाने के उद्देश्य से डीजीएफटी ने उद्योग के साथ परामर्श करके प्रक्रिया को और सरल बनाया है तथा आयातित माल के स्टॉक एवं बिक्री, रिपीट ऑर्डर, मरम्मत / प्रतिस्थापन / रिटर्न, दोहरे प्रयोग की वस्तुओं के डेमो / प्रदर्शनी आदि के लिए अस्थायी निर्यात के लिए नीति निर्धारित की है तथा रिपोर्टिंग पश्चात आधार पर स्टॉक एवं बिक्री के तहत माल के थोक निर्यात को उदार बनाया है। विभिन्न सरकारी एजेंसियों तथा उद्योग समूहों के सहयोग से पूरे वर्ष क्षेत्र विशिष्ट उद्योग आउटरीच / जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए गए।

वर्ष 2017-18 के दौरान (31 मार्च 2018 तक) निर्यात की अनुमति के लिए प्राप्त किए गए 196 आवेदनों (जिसमें पिछले वर्ष से अग्रणीत किए गए 18 आस्थगित मामले शामिल हैं) में से 150 आवेदनों को निर्यात की अनुमति प्रदान की गई, 3 मामले छोड़ दिए गए तथा शेष मामलों को आस्थगित कर दिया गया। 2018-19 के दौरान (31 मार्च 2019 तक) निर्यात की अनुमति के लिए प्राप्त कुल 628 आवेदनों (जिसमें पिछले वर्ष से अग्रणीत किए गए 88 आस्थगित मामले शामिल हैं) में से 419 आवेदनों को निर्यात प्राधिकार प्रदान किया गया है, विभिन्न कारणों से 32 आवेदनों पर विचार नहीं किया गया तथा शेष आवेदन विचाराधीन हैं। स्कोमेट की नीति एवं प्रक्रिया पर डीजीएफटी द्वारा अपनाए गए सरलता के

विभिन्न उपायों के कारण प्राधिकार प्रदान करने के लिए टर्न एराउंड टाइम घटकर 60 दिन से कम हो गया है जिसे उद्योग एवं व्यापार जगत द्वारा खूब सराहा गया। स्कोमेट की वस्तुओं के निर्यात के लिए प्राधिकारों का कुल मूल्य 2017-18 में 215.98 मिलियन अमरीकी डालर और 2018-19 में लगभग 480 मिलियन अमरीकी डालर था।

XIV. आयात से संबंधित मामला आयात प्राधिकार

डीजीएफटी का आयात नीति प्रभाग संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों से परामर्श करके मदों की आयात नीति तैयार करता है तथा भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सामंजस्यपूर्ण प्रणाली) को नियमित रूप से अपडेट करता है जो आयात की जाने वाली मदों की आयात नीति तथा नीतिगत शर्तें प्रदान करता है। यह मदों के आयात और निर्यात को सुगम बनाने के लिए प्रावधान भी तैयार करता है तथा उनको अपडेट करता है। यह प्रभाग ईयू - जीएसटी योजना के तहत निर्यात के लिए रेक्स सिस्टम के तहत निर्यातकों के पंजीकरण के अलावा निर्यातक आयातक कोड, पंजीकरण सह विनिर्माता प्रमाण पत्र, मुक्त बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित नीतिगत मामले तथा प्रक्रियागत मुद्दे निपटाता है। आयात नीति प्रभाग द्वारा उत्पत्ति प्रमाण पत्र (गैर तरजीही) जारी करने के लिए एजेंसियों की सूची तैयार करने तथा मेटलिक अपशिष्ट एवं स्क्रेप के आयात के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए लदान पूर्व निरीक्षण एजेंसियों को मान्यता प्रदान करने का कार्य भी किया जाता है।

आयात नीति प्रभाग 1993 में जारी किए गए विदेश व्यापार (छूट) आदेश तथा विदेश व्यापार (कुछ मामलों में नियमों की प्रयोज्यता से छूट) आदेश 2017 में संशोधन के लिए आदेश को भी संशोधित करता है ताकि सभी उपायों को कारोबार करने की सरलता के अनुरूप बनाया जा सके। वर्ष के दौरान गृह

मंत्रालय ने शस्त्र लाइसेंस जारी करने का अपना प्राधिकार डीजीएफटी को प्रत्यायोजित किया तथा यह प्रभाग जो प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात के लिए लाइसेंस जारी करता है, हथियारों और गोला बारूद के आयात के लिए शस्त्र लाइसेंस भी जारी करेगा।

(1) प्रतिबंधित मद : आयात प्रकोष्ठ ऐसी वस्तुओं के आयात के आवेदनों पर विचार करता है जो आयात किए जाने के लिए प्रतिबंधित हैं। ऐसी प्रतिबंधित मदों (जैसे कि जिंदा जानवर, अनाज, पेट्रोलियम एवं रासायनिक उत्पाद; खनिज; अपशिष्ट एवं स्क्रेप, प्रशीतक गैस, गोल्ड डोर) के आयात के लिए आयात प्राधिकार जारी करने के आवेदन पर एग्जिम सुगमता समिति (ईएफसी) द्वारा विचार किया जाता है जिसमें विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों एवं विभागों के लिखित रूप में तकनीकी इनपुट्स / टिप्पणियों के प्राप्त होने पर मामलों पर निर्णय लिया जाता है। उपर्युक्त के अलावा, ईएफसी ईंधन, चावल, गेहूं, ईंधन एवं पेट्रोलियम उत्पाद आदि जैसी मदों के आयात के लिए डीजीएफटी के अनुमोदन से विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.20 के अंतर्गत अनुमति भी प्रदान करता है जिनका आयात अन्यथा केवल राज्य ट्रेडिंग उद्यमों के माध्यम से अनुमत है। 2018-19 के दौरान प्राप्त किए गए कुल 801 आवेदनों में से 558 मामलों में आयात की अनुमति प्रदान की गई।

(2) तरजीही टैरिफ दर कोटा : परिशिष्ट 2 ए (1) के अनुसार भारत - श्रीलंका मुक्त व्यापार करार / नेपाल के तहत वनस्पति / बेकरी शार्टनिंग एवं मार्गरीन, कालीमिर्च तथा खोपरे का आयात अनुमत है। 2018-19 के दौरान कालीमिर्च के आयात का कोटा प्राप्त करने के लिए 90 आवेदकों को अनुमति प्रदान की गई; वनस्पति / बेकरी शार्टनिंग तथा मार्गरीन के आयात के लिए 8 आवेदकों तथा

खोपरे के आयात के लिए एक आवेदक को अनुमति प्रदान की गई।

(3) सबसे मनपसंद राष्ट्र टैरिफ रेट कोटा : टैरिफ रेट कोटा स्कीम के तहत प्रक्रिया हैंडबुक 2015-20 के पैरा 2.7 के अनुसार निर्धारित मात्रा तक तथा सीमा शुल्क की रियायती दर पर चार मदों का आयात अनुमत है अर्थात् (1) स्किमड तथा साबुत मिल्क पाउडर, बच्चों के लिए मिल्क फूड आदि तथा सफेद बटर, बटर ऑयल, एनहाइड्रस मिल्क फैट (2) मक्का (3) कूड सनफ्लावर सीड या सनफ्लावर ऑयल तथा उसके अंश और (4) रिफाईंड रेट, कोल्जा या मस्टर्ड ऑयल। तथापि, वर्ष 2018-19 के दौरान न्यायालयों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों कारण टैरिफ रेट कोटा स्कीम के तहत कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

(4) अस्थायी रूप से प्रतिबंधित मदें जैसे कि मटर / दालें : दालों के उत्पादन में वृद्धि के कारण उत्पन्न किसानों की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से मटर (एचएस कोड 07131000) और दालों (एचएस कोड 07136000, 07139010 एवं 07139090) के आयात को 2018-19 के दौरान आयात के लिए "मुक्त" श्रेणी से हटाकर "प्रतिबंधित" श्रेणी में रखा गया। 2018-19 के दौरान 2 लाख मीट्रिक टन तूर तथा 3 लाख मीट्रिक टन उड़द एवं मूंग (उड़द के लिए 1.5 लाख मीट्रिक टन और मूंग के लिए 1.5 लाख मीट्रिक टन) के वार्षिक कोटा के वितरण के लिए मिलर / रिफाइनर से आवेदन मंगाया गया तथा तूर के लिए 240 आवेदकों, मूंग के लिए 150 आवेदकों और उड़द के लिए 216 आवेदकों को कोटा वितरित किया गया। भारत सरकार तथा मोजांबिक सरकार के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार 2018-19 के दौरान मोजांबिक से 150000 मीट्रिक टन दाल के आयात के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी किया गया।

(5) **अन्य परिवर्तन** : पिछले वर्षों में किए गए विभिन्न संशोधनों के आलोक में 1993 में जारी किया गया विदेश व्यापार (छूट) आदेश पुराना हो गया था और इसलिए राजस्व विभाग के परामर्श से सरकार की "कारोबार करने को सरल बनाना" नीति को लागू करने के लिए प्रावधानों को अपडेट किया गया तथा रक्षा मदों के निर्माण से संबंधित माल के संबंध में आयात का लाइसेंस जारी करने का प्राधिकार रक्षा उत्पादन विभाग को सौंपा गया। इसी तर्ज पर गृह मंत्रालय ने शस्त्र लाइसेंस जारी करने की अपनी शक्तियां विदेश व्यापार महानिदेशालय को प्रत्यायोजित की। हथियार एवं गोलाबारूद का आयात करने वाली संस्थाओं की सुरक्षा निकासी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इस प्रकार है :

(क) श्रेणी 1 : भारतीय सशस्त्र बलों, डीआरडीओ, डीपीएसयू, ओएफबी, गृह मंत्रालय, अन्य सरकारी विभागों एवं राज्य सरकारों के अंतिम प्रयोग के लिए मदें :

(i) आवेदक से अन्य बातों के साथ पीओ / आपूर्ति आदेश / अंतिम प्रयोक्ता प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है जिस पर आवेदक के विधिवत रूप से हस्ताक्षर और अंतिम प्रयोक्ता के प्रतिहस्ताक्षर होने चाहिए। पीओ / एसयू / ईयूसी की जांच के बाद डीजीएफटी आवेदन की तिथि से 15 दिन के अंदर कोई निर्णय लेगा।

(ii) लाइसेंस जारी करने के बाद डीजीएफटी रिकार्ड की वैधता के लिए ईयूसी का सत्यापन करेगा तथा केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसी (आईबी) को उनके फीडबैक, यदि कोई हो, के लिए प्रति भेजेगा।

(ख) श्रेणी 2 : किसी अन्य प्रयोजन के लिए मदें :

(i) आवेदक संगत दस्तावेजों के साथ मदों के आयात के लिए अन्य बातों के साथ अंतिम प्रयोक्ता प्रमाण पत्र (ईयूसी) / स्वयं घोषणा प्रस्तुत कर सकता है।

(ii) यदि आवेदक ने शस्त्र अधिनियम / आईडीआर अधिनियम के तहत शस्त्र के निर्माण के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है तो लाइसेंस की प्रति तथा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है कि निदेशक मंडल / शेयर होल्डिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तथा गृह मंत्रालय या आईबी से किसी एनओसी की आवश्यकता नहीं होती है।

(iii) आयात लाइसेंस जारी करने से पूर्व डीजीएफटी केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसी (आईबी) के इनपुट / टिप्पणियों पर विचार करेगा, जो दो साल के लिए वैध होगा, जब तक कि इसके बाद आईबी से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है।

xv. विदेश व्यापार महानिदेशालय में नई पहलें

1. **निर्दिष्ट कृषि उत्पाद स्कीम के लिए परिवहन एवं विपणन सहायता (टीएमए)** : ट्रांसशिपमेंट के कारण निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात के परिवहन की ऊंची लागत के नुकसान की भरपाई करने तथा निर्दिष्ट विदेशी बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों के लिए ब्रांड पहचान को बढ़ावा देने के लिए विदेश व्यापार नीति 2015-20 के तहत निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन एवं विपणन सहायता (टीएमए) स्कीम शुरू की गई है। विदेश व्यापार नीति 2015-20 में एक नया अध्याय 7 (ए) जोड़ा गया है। यह स्कीम निर्यात के लिए 1 मार्च 2019 से 31 मार्च 2020 तक उपलब्ध होगी।

2. **राज्य एवं केन्द्रीय करों तथा लेवी में रिबेट** : भारत से परिधान तथा मेडअप

के निर्यात की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने के लिए वस्त्र मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 14/26/2016-आईटी (खंड 2) दिनांक 7 मार्च 2019 के माध्यम से गारमेंट एवं मेडअप के निर्यात पर राज्य एवं केन्द्रीय करों तथा लेवी में रिबेट नामक एक नई स्कीम अधिसूचित की है। यह स्कीम डीजीएफटी द्वारा लागू की जाएगी। डीजीएफटी ने विदेश व्यापार नीति में संशोधन के माध्यम से वस्त्र मंत्रालय की अधिसूचना को प्रभावी बनाया है। राज्य एवं केन्द्रीय करों तथा लेवी में रिबेट स्कीम के तहत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप का एमईआईएस जैसा तंत्र जारी किया जाएगा।

3. डीजीएफटी की ईडीआई प्रणाली विभाग के साथ निर्यात एवं आयात समुदाय के विभिन्न इंटरफेस में उनकी सहायता करती है। डीजीएफटी ने आईईसी, विदेश व्यापार नीति की विभिन्न योजनाओं, विशिष्ट आयात एवं निर्यात प्राधिकार आदि के लिए आवेदन करने के लिए एक सुरक्षित ईडीआई एवं आईटी प्रणाली स्थापित की है। इसने अन्य प्रशासनिक विभागों अर्थात् सीमा शुल्क, बैंक, सीबीडीटी तथा ईपीसी के साथ डाटा विनिमय तंत्र स्थापित किए हैं।

4. डीजीएफटी ने निम्नलिखित गतिविधियों को कार्यान्वित किया है :

- (i) अगस्त 2018 से आईईसी आनलाइन 24x7 सिस्टम सृजित नंबर है तथा कागजी प्रतियां प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वित्त वर्ष 2018-19 में डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकरणों ने 130463 आईईसी जारी किए। (कोई निर्यात / आयात लेनदेन करने से पूर्व एफटीडीआर अधिनियम के तहत आयातक निर्यातक कोड [आईईसी] नंबर प्राप्त करना आवश्यक है)।
- (ii) सितंबर 2018 से निर्यात की 97 प्रतिशत टैरिफ लाइनों के लिए, विदेश व्यापार नीति 2015-20

के तहत भारत से पण निर्यात स्कीम (एमईआईएस) के स्क्रिप जोखिम प्रबंधन कसौटी पर निर्मित 'आटो' मोड में आईटी आधारित वास्तुशिल्प के माध्यम से जारी किए जाते हैं; 14 अप्रैल 2019 से इन स्क्रिप की भौतिक कागजी प्रतियां भी बंद कर दी गई हैं तथा लदान बिल के सृजन से लेकर एफटीपी लाभ प्राप्त करने तक संपूर्ण निर्यात प्रक्रिया डीजीएफटी, बैंक एवं कस्टम के बीच संदेश के कूटबद्ध आदान प्रदान के साथ अचूक सततता है।

- (iii) निर्यात उत्पादन के लिए प्रयुक्त कच्चे माल एवं पूंजी माल के ड्यूटी फ्री आयात के लिए 1 मार्च 2019 से अग्रिम एवं ईपीसीजी प्राधिकार की कोई भौतिक प्रति जारी नहीं की जा रही है तथा कस्टम प्राधिकारियों को पूर्ण डाटा इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा जाता है।
- (iv) जनवरी 2019 से भारतीय एवं विदेशी कंपनियां आयात / निर्यात से संबंधित अपने विवादों एवं गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों को आनलाइन दर्ज करा सकती हैं जिससे वाणिज्य विभाग तथा भारतीय विदेश मिशनों द्वारा विवादों के शीघ्रता से समाधान में मदद मिलेगी।
- (v) नए उद्यमियों की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर फरवरी 2019 में निर्यात बंधु योजना के तहत आईआईएफटी के सहयोग से 'कहीं भी कभी भी' नामक एक आनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। आनलाइन वीडियो सत्र, अध्ययन सामग्री, परीक्षा प्रश्नोत्तरी तथा प्रमाण पत्र इस पहल के मुख्य घटक हैं; अगले चरण में सेक्टर तथा बाजार गंतव्य के वीडियो शामिल किए जा रहे हैं।
- (vi) कारोबार करने की सरलता तथा डिजिटल इंडिया के विजन के तहत अब मोबाइल ऐप (एंड्रायड

- एवं आईओएस प्लेटफार्म पर) उपलब्ध है।
- (vii) इन अनुरोधों की प्रोसेसिंग के लिए आनलाइन अंतर्मंत्रालयी परामर्श सहित आयात एवं निर्यात की प्रतिबंधित मदों (स्कोमेट की मदों सहित) के लिए आवेदन करने के लिए आनलाइन सुविधा का सृजन किया गया है।
- (viii) निर्यातकों और आयातकों के विदेश व्यापार से संबंधित सभी मुद्दों के लिए एकल संपर्क बिंदु के रूप में एक आनलाइन शिकायत निवारण सेवा - Contact@DGFT स्थापित की गई है। पिछले वर्ष 60000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसमें से 98 प्रतिशत शिकायतों का निवारण किया गया; घनिष्ठता से निगरानी के लिए आईवीआरएस सुविधा के साथ हेलप डेस्क को भी सुदृढ़ किया गया है।
- (ix) अन्य आईटी एप्लीकेशन जो विकास के विभिन्न चरणों पर हैं, में परिवहन एवं विपणन सहायता स्कीम, राज्य एवं केन्द्रीय करों एवं लेवी में रिबेट, सामान्य डिजिटल प्लेटफार्म से उत्पत्ति प्रमाण पत्र जारी करना आदि शामिल हैं।
- (x) भूमिका आधारित अक्सेस तथा डाटा विश्लेषण आदि के साथ क्लाउड इनेबल्ड सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग परिवेश के साथ डीजीएफटी में पुराने एप्लीकेशन हार्डवेयर / साफ्टवेयर आईसीटी इकोसिस्टम में सुधार की प्रक्रिया शुरू की गई। खुली प्रतिस्पर्धी क्यूसीबीएस आधारित आरएफपी के आधार पर फरवरी 2019 में एलओआई प्रदान किया गया है।
- (xi) इसके अलावा 5 दिसंबर 2017 को आयोजित विदेश व्यापार नीति 2015-20 की समीक्षा के दौरान सीएसटी / टीईडी / डीबीके के रिफंड से संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाया गया है तथा तदनुसार अधिसूचित किया गया

है। परिशिष्टों तथा आयात निर्यात फार्मों को अपडेट भी किया गया है तथा सार्वजनिक नोटिस संख्या 36/2015-20 और सार्वजनिक नोटिस संख्या 37/2015-20 दिनांक 4 सितंबर 2018 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।

xvi. निर्यात संवर्धन स्कीमों की निगरानी एवं डाटा विश्लेषण - विदेश व्यापार नीति

(एफटीपी) की कारगर निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय के सांख्यिकी प्रभाग द्वारा निर्यात संवर्धन स्कीम 2018 पर एक व्यापक प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्ट प्रकाशित की गई। क्षेत्रीय प्राधिकरणों से एमआईएस विवरणियों के आधार पर, पिछले तीन वर्षों के लिए डाटा विश्लेषण से युक्त रिपोर्ट का सूचित निर्णय लेने तथा वर्तमान विदेश व्यापार नीति (2015-20) की मध्यावधि समीक्षा करने के लिए उत्तरोत्तर प्रयोग हो रहा है। इसकी उपयोगिता तथा प्रयोक्ताओं की मांग को देखते हुए अब अगस्त 2017 से मासिक आधार पर एमआईएस रिपोर्ट संकलित की जा रही है। डीजीएफटी के सांख्यिकी प्रभाग में डाटा विश्लेषण यूनिट के गठन के माध्यम से एक और पहल भी शुरू की गई है, जो विदेश व्यापार सांख्यिकी पर मासिक बुलेटिन का प्रकाशन करती है जो वस्तुओं के 8 डिजिट के स्तर पर त्वरित अनुमान, अनंतिम अनुमान तथा अंतिम अनुमान पर प्रमुख वस्तुओं एवं प्रमुख देशों पर भारत के निर्यात एवं आयात डाटा पर सुलभ संदर्भ एवं विश्लेषण प्रदान करता है। "सांख्यिकीय रिपोर्ट" नामक मेन्यू के तहत में निदेशालय की वेबसाइट पर इन सभी रिपोर्टों की साफ्ट प्रतियां उपलब्ध हैं।

निर्यात संवर्धन तंत्र



निर्यात संवर्धन तंत्र

प्रमुख स्कीमों

अवसंरचना सहायता

दो उच्च स्तरीय समितियां अर्थात् समुद्री मार्ग से निर्यात संवर्धन पर स्थायी समिति (स्कोप – जहाजरानी) तथा हवाई मार्ग से निर्यात संवर्धन पर स्थायी समिति (स्कोप – हवाई मार्ग) हैं। इन समितियों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कार्गो के अबाध मूवमेंट से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना तथा विभिन्न मंत्रालयों / विभागों के परामर्श से कस्टम, कंटेनराइजेशन, एयर, शिपिंग, रेलवे आदि के संबंध में निर्यातकों की समस्याओं का समाधान करना है। अब तक स्कोप - एयर की कुल 56 बैठकें तथा स्कोप - शिपिंग की 48 बैठकें हो चुकी हैं।

निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (टीआईईएस)

टीआईईएस स्कीम निर्यात अवसंरचना के सृजन को संपूरित करने के लिए वित्त वर्ष 2017-18 में शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य निर्यात अवसंरचना में अंतरालों को पाटकर, निर्यात उन्मुख परियोजनाओं के लिए निर्यात विशिष्ट अवसंरचना जैसे कि पहले मील और आखिरी मील तक संपर्क का सृजन करके और गुणवत्ता एवं प्रमाणन अवसंरचना, सामान्य प्रयुक्ता सुविधाओं आदि से संबंधित मुद्दों का निवारण करके निर्यात की प्रतियोगितात्मकता बढ़ाना है।

यह स्कीम कार्यान्वयन एजेंसी को वित्तीय सहायता प्रदान करके केन्द्रीय / राज्य एजेंसियों के माध्यम से निर्यात के विकास एवं वृद्धि के लिए उपयुक्त अवसंरचना के सृजन के लिए राज्य के प्रयासों को संपूरित करना चाहती है। अवसंरचना के निर्माण के लिए सहायता अनुदान के रूप में केन्द्र सरकार की सहायता प्रदान की जाती है जो सामान्यतया कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा निवेश की जा रही इक्विटी से अधिक नहीं होती है या परियोजना में कुल इक्विटी का 50 प्रतिशत होती है। (उत्तर पूर्वी राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर सहित हिमालयन राज्यों में स्थित परियोजनाओं के मामले में यह

अनुदान कुल इक्विटी के 80 प्रतिशत तक हो सकता है)।

मार्च 2019 के अंत तक 28 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं तथा ये परियोजनाएं असम, तमिलनाडु, चंडीगढ़, राजस्थान, मणिपुर, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं केरल में स्थित हैं।

निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (टीआईईएस)

राज्य सरकारों तथा निर्यातकों के साथ संयुक्त बैठकों की नई पहल :

इस पहल के तहत वाणिज्य सचिव व्यापार से संबंधित आधारभूत सुविधाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता तथा अन्य मुद्दों पर राज्यों को संवेदनशील बनाने के लिए वाणिज्य विभाग, डीजीएफटी, सीमा शुल्क, सीओएनसीओआर तथा संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों की टीम का नेतृत्व करते हैं। वाणिज्य सचिव तथा राज्यों के मुख्य सचिव की संयुक्त अध्यक्षता में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक में राज्य से निर्यात पर डीजीसीआईएस डाटा, स्थानीय निर्यातकों / सीएचए द्वारा उल्लिखित स्थानीय कराधान / लेवी से संबंधित मुद्दों, बिजली की उपलब्धता, रोड / रेल संपर्क आदि पर विचार विमर्श होता है। राज्य के निर्यात बासकेट पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय करारों के संभावित प्रभावों पर भी चर्चा होती है ताकि राज्य उद्योग के विकास की योजना बना सकें। चर्चा के दौरान राज्य विभिन्न अड़चनों को दूर करने के लिए अपनी कार्य योजना के बारे में उल्लेख करते हैं।

सामान्य तौर पर राज्य सरकार के साथ इस बैठक से पहले या इसके बाद राज्य के निर्यातकों / फ्रेट फारवर्डरों / सीएचए के साथ बैठक होती है। खुले सत्र में संभार तंत्रीय अड़चनों सहित निर्यातकों के समक्ष मौजूद अड़चनों पर चर्चा होती है। यह निर्यातक बिरादरी के एक बड़े वर्ग को वाणिज्य सचिव तथा स्थानीय विनियामक विभागों के प्रमुखों

के साथ सीधे चर्चा करने के लिए मंच प्रदान करती है ताकि वे अपने विस्तार की योजना बना सकें।

वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार की यह पहल निर्यातकों को केन्द्र एवं राज्य दोनों स्तर पर विभिन्न विनियामक एजेंसियों के साथ अपनी वर्तमान समस्याओं को व्यक्त करने के लिए एक अंतःक्रियात्मक मंच प्रदान करती है। अंतःक्रियात्मक सत्रों में भागीदारी बहुत अधिक होती है क्योंकि राज्यों के निर्यातक विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस अनन्य मंच का प्रयोग करते हैं। इसके अंग के रूप में वाणिज्य सचिव ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान में ऐसी संयुक्त बैठकें, सभी पूर्वोत्तर राज्यों, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, गोवा, असम, मेघालय और उत्तराखंड की सम्मिलित बैठक बुलाई है।

राज्य विशिष्ट निर्यात रणनीतियां :

निर्यात की क्षमता वाली मर्दों का विकास करने और शिनाख्त करने तथा उनके संवर्धन के लिए राज्य विशिष्ट निर्यात रणनीतियां तैयार करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्यों से अपनी निर्यात रणनीति में निम्नलिखित घटकों को शामिल करने का भी अनुरोध किया गया है :

- i. राज्यों से सेवा निर्यात के विशिष्ट संवर्धन पर अध्याय
- ii. राज्यों से कृषि उत्पादों में मानक, प्रमाण पत्र तथा ट्रेस बैक का संवर्धन
- iii. राज्यों में निर्यात अवसंरचना के अंतरालों की पहचान करना तथा राष्ट्रीय लाजिस्टिक्स योजना के अनुरूप राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की लाजिस्टिक योजना तैयार करना
- iv. राष्ट्रीय कृषि निर्यात के अनुरूप कृषि निर्यात अवसंरचना के संवर्धन पर अध्याय

- v. राज्यों द्वारा उत्पाद निर्यात में अधिक मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने पर अध्याय
- vi. जैविक खेती एवं प्रमाणन के संवर्धन पर अध्याय
- vii. राज्य / संघ राज्य क्षेत्र से जीआई उत्पादों की पहचान तथा अपने जीआई उत्पादों के उत्पादन एवं निर्यात को प्रोत्साहित करना।

राज्य सरकारों द्वारा निर्यात रणनीति के विकास की स्थिति :

वाणिज्य विभाग ने प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र से विशिष्ट निर्यात नीति तैयार करने का अनुरोध किया है जो उनकी अपनी स्ट्रेथ का उपयोग करने तथा उनके निर्यात बास्केट में विविधता लाने एवं बढ़ाने के उद्देश्य से निर्यात में तेजी लाने के लिए राज्यों द्वारा नियोजित प्रयासों के लिए रोडमैप तैयार करे। अब तक 17 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, जम्मू एवं कश्मीर, असम, त्रिपुरा, गुजरात, हरियाणा, मणिपुर, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, चंडीगढ़, ओडिशा ने अपनी निर्यात रणनीतियों को अंतिम रूप दिया है। एफआईआईओ तथा आईआईएफटी की सहायता से 9 और राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, गोवा, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना द्वारा निर्यात रणनीतियां तैयार की जा रही हैं।

निर्यात आयुक्त की नियुक्ति की स्थिति :

राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों से एक 'निर्यात आयुक्त' नामित करने का भी अनुरोध किया गया जो राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के उत्पादों के निर्यात में निर्यातकों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य के निर्यातकों के साथ नियमित बैठक बुलाने के लिए निर्यातकों के लिए एकल खिड़की संपर्क के रूप में काम करे। 28 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, मणिपुर, पंजाब, पुडुचेरी, कर्नाटक, झारखंड, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, तमिलनाडु, त्रिपुरा,

तेलंगाना, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान ने सूचित किया है कि उन्होंने विकास आयुक्तों की नियुक्ति कर ली है।

भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (एफआईईओ)

1965 में स्थापित तथा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) के तहत निर्यात संवर्धन परिषद के रूप में पंजीकृत भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (एफआईईओ) निर्यात संवर्धन की शीर्ष संस्था है। इस संगठन का मुख्यालय दिल्ली में है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में हैं। एफआईईओ की प्रबंध समिति में ईपीसी तथा वस्तु बोर्डों, अपीडा, एम्पेडा आदि के प्रतिनिधि शामिल हैं।

एफआईईओ 26000 से अधिक सदस्य निर्यातकों तथा नीति निर्माताओं के बीच चर्चा के लिए प्लेटफार्म के रूप में काम करता है और निर्यात के संवर्धन में सहायक है। एफआईईओ का मुख्य उद्देश्य निर्यात संवर्धन से जुड़े विभिन्न संगठनों को सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करना है। विदेश व्यापार नीति में एफआईईओ को निर्यात करने वाली स्टेटस होल्डर फर्मों तथा अनेक उत्पादों का निर्यात करने वाले निर्यातकों के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। यह उत्पत्ति प्रमाण पत्र (गैर तरजीही) भी जारी करता है, जो माल की उत्पत्ति के प्रमाण के रूप में अनेक देशों द्वारा अपेक्षित है।

एफआईईओ भारतीय व्यापार पोर्टल (www.indiantradeportal.in) को अनुरक्षित और अपडेट कर रहा है। अब व्यापार पोर्टल में सबसे मनपसंद राष्ट्र (एमएफएन) दरें, तरजीही टैरिफ तथा 87 देशों के सेनिट्री और फाइटो सेनिट्री तथा तकनीकी व्यापार बाधाएं शामिल हैं। एफआईईओ की 'एफआईईओ न्यूज' नामक एक मासिक बुलेटिन तथा 'इनट्रेड अपडेट' नामक एक साप्ताहिक ई-बुलेटिन भी हैं जो निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले साप्ताहिक वैश्विक घटनाक्रमों की जानकारी प्रदान करती हैं।

एफआईईओ सदस्यों एवं गैर सदस्यों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से क्रेताओं / विक्रेताओं को एक ई-प्लेटफार्म प्रदान करता है तथा पूरी दुनिया में ट्रेड फेयर एवं प्रदर्शनी का भी आयोजन करता है।

एफआईईओ ने अपने सदस्यों को वाणिज्यिक सूचना एवं विपणन सहायता प्रदान करने के लिए पूरे विश्व के अग्रणी चैंबर्स के साथ 95 समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है।

बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम

बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम एक निर्यात संवर्धन स्कीम है जिसे सथाई आधार पर भारत के निर्यात का संवर्धन करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करने के लिए तैयार किया गया है। एमएआई स्कीम के विस्तृत उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- विश्व स्तरीय माल एवं सेवाओं के प्रदाता के रूप में भारत की क्षमता को प्रदर्शित करना एवं प्रोत्साहित करना।
- भारत को स्रोत के एक आकर्षक गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करना।
- भारत के लिए एक मजबूत ब्रांड इमेज सृजित करना।
- भारतीय माल एवं सेवाओं का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभिचिह्नित बाजारों में विदेशों में प्रमुख कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए निर्यातकों / उद्योग निकायों को सुगमता प्रदान करना।
- नए / संभावित बाजारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा वैश्विक व्यापार पर सूचना तक पहुंच प्राप्त करने में निर्यातकों को सुगमता प्रदान करना।

स्कीम के तहत शामिल निर्यात संवर्धन की विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों, वस्तु बोर्डों तथा शीर्ष व्यापार संगठनों को एमएआई स्कीम के

तहत सहायता मंजूर की जाती है। प्रस्तावों के अनुमोदन की प्रक्रिया में स्कीम के तहत अधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से प्रस्तावों की जांच शामिल है। फर्मा / केमिकल / कास्मेटिक / एग्रो केमिकल / कृषि / पशु / समुद्री / खाद्य / इंजीनियरिंग उत्पादों की बाजार पहुंच को सुगम बनाने के उद्देश्य से, विदेश में उत्पादों के पंजीकरण तथा विदेश में अन्य सांविधिक अनुपालनों पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के माध्यम से व्यक्तिगत निर्यातकों की सहायता के लिए एमएआई स्कीम के तहत प्रावधान किए गए हैं। 7 जनवरी 2019 से सरकार ने विदेश में सांविधिक अनुपालनों पर व्यय की प्रतिपूर्ति की ऊपरी सीमा 50 लाख रुपए प्रति

निर्यातक प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए प्रति निर्यातक प्रति वर्ष कर दिया है। इसके अलावा प्रतिपूर्ति के लिए पात्र मदों की सूची में इन क्षेत्रों से संबंधित अतिरिक्त घटकों को शामिल किया गया है, जैसे कि निर्यात कंसाइनमेंट की बारकोडिंग पर व्यय के लिए प्लांट निरीक्षण प्रभार, प्राकृतिक उत्पादों की गुणवत्ता के प्रमाणन के लिए भुगतान किया गया शुल्क, डाटा सृजन / पहुंच पत्र पर लागत आदि। वर्ष 2018-19 के दौरान स्कीम के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए 277 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है।

पिछले 5 वर्षों के लिए एमएआई आवंटन / निर्मुक्ति का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

एमएआई आवंटन / निर्मुक्ति का वर्षवार ब्यौरा (करोड़ रुपए में)

वर्ष	परिव्यय	व्यय
2014-15	199.99	199.99
2015-16	224.99	224.99
2016-17	220.51	200.51
2017-18	213.25	213.25
2018-19	269.99	269.99

प्रमुख कार्यक्रम जिनको 2018-19 के दौरान एम ए आई स्कीम के तहत सहायता प्रदान की गई

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	संगठन	तिथि
1	वैश्विक सेवा प्रदर्शनी (जीईएस)	सीआईआई / एसईपीसी	मई, 2018
2	अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य देखरेख प्रदर्शनी (आईफेक्स 2018)	फार्मेक्सिल	मई, 2018
3	एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया	फिक्की / एसईपीसी	दिसंबर, 2018
4	इंडिया इंजीनियरिंग सोर्सिंग शो	ईईपीसी	मार्च, 2019
5	इंडस फूड	टीपीसीआई	जनवरी, 2019
6	आसियान - इंडिया एक्सपो एंड समिट	फिक्की	फरवरी, 2019
7	इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो (आईआईजेएस)	रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद	अगस्त, 2018
8	इंडी कोलंबिया 2018	ईईपीसी	सितंबर, 2018
9	हांगकांग ज्वेलरी एवं जेम फेयर, हांगकांग	रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद	सितंबर, 2018
10	इंडिया कार्पेट एक्सपो	कार्पेट निर्यात संवर्धन परिषद	अक्टूबर, 2018 / मार्च, 2019
11	डोमोटेक्स, जर्मनी	कार्पेट निर्यात संवर्धन परिषद	जनवरी, 2019
12	अरबप्लास्ट, यूएआई	प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद	जनवरी, 2019

इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ)

वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक न्यास है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन का प्रमुख उद्देश्य विदेशी बाजारों में 'ब्रांड इंडिया' के बारे में अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता पैदा करना तथा भारतीय उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में जानकारी के प्रसार को सुगम बनाना है। इस प्रयोजन के लिए इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन सरकार एवं उद्योग जगत के हितधारकों के साथ निकटता से काम करता है।

निर्यात संवर्धन

आईबीईएफ ने 2018-19 में समुद्रपारीय व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में निर्यात के प्रमुख क्षेत्रों की सहायता के लिए ब्रांडिंग की गतिविधियां संपन्न की। सभी क्षेत्रों में कुछ प्रमुख गतिविधियों के मुख्य अंश इस प्रकार हैं :

ब्रांड इंडिया लेदर अभियान

चमड़ा निर्यात परिषद के सहयोग से आईबीईएफ ने निर्यात के प्रमुख गंतव्यों में 'थिंक लेदर, थिंक इंडिया' नामक लेदर अभियान सफलतापूर्वक शुरू किया। समारोह में ब्रांडिंग के लिए सहायता के अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों, मीडिया वार्ता पर बल देते हुए आईबीईएफ द्वारा मुख्य रूप से व्यवसाय दर व्यवसाय ब्रांडिंग की रणनीति अपनाई गई। विभिन्न देशों जैसे कि इटली, यूएसए, रूस, स्पेन और हांगकांग में इस अभियान के तहत अनेक समारोहों को शामिल किया गया।

ब्रांड इंडिया टेक्सटाइल अभियान

2018-19 में आईबीईएफ ने भारतीय टेक्सटाइल के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों - परिधान एवं कारपेट के लिए ब्रांडिंग के लिए सहायता प्रदान की। आईबीईएफ ने भारतीय परिधान उद्योग के लिए एक समर्पित अभियान भी तैयार किया जिसे उपयुक्त समय पर लांच किया जा सकता है। टेक्सटाइल क्षेत्र में ब्रांडिंग का मुख्य फोकस अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं के समक्ष इस उद्योग की क्षमता को प्रदर्शित

करना था। अभियान के तहत भारत में तीन समारोहों और यूके एवं जर्मनी में एक एक समारोह को शामिल किया गया।

ब्रांड इंडिया इंजीनियरिंग अभियान

ब्रांड इंडिया इंजीनियरिंग पहल ने विदेशी बाजारों में भारतीय इंजीनियरिंग के उत्पादों के बारे में धारणा में सुधार लाने के अपने उद्देश्य पर काम करना जारी रखा। प्रमुख वैश्विक समारोहों तथा चयनित उप सेगमेंट - पंप एवं वाल्व, मेडिकल डिवाइस तथा इलेक्ट्रिकल उपकरण एवं उत्पादों पर बल देते हुए 2018-19 में प्रभावपूर्ण अभियान संचालित किया गया। अभियान के तहत यूएई, यूके, फिलीपींस और कोलंबिया में समारोहों को शामिल किया गया।

ज्ञान केन्द्र

आईबीईएफ वेबसाइट (www.ibef.org)

आईबीईएफ की वेबसाइट भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उद्योग के संबंध में अत्यंत अद्यतनीकृत सामग्री की रिपाजिटरी है। इस वेबसाइट का बहुत नाम है तथा नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, पत्रकारों, व्यापार निकायों, व्यवसाय मंचों, उद्यमियों तथा दूतावासों आदि में इसकी व्यापक पहुंच है। 2018-19 में 6 मिलियन से अधिक आनलाइन प्रयोक्ताओं ने आईबीईएफ की वेबसाइट को विजिट किया तथा 12.94 मिलियन पेज व्यू का सृजन हुआ। आईबीईएफ पोर्टल की पहुंच तथा वेब ट्रैफिक में लगातार जैविक वृद्धि हो रही है।

वाणिज्य विभाग के लिए आईबीईएफ द्वारा गठित विशेष मीडिया सेल :

विशेष मीडिया सेल वाणिज्य विभाग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल (@DoC_GoI) का प्रबंधन करने में सहायता कर रहा है। वर्ष के दौरान सोशल मीडिया सेल ने अनेक प्रमुख समारोहों को कवर किया जैसे कि 2018 में पेरिस में डब्ल्यूटीओ वार्ता के लिए जिम्मेदार मंत्रियों की अनौपचारिक सभा, कृषि निर्यात नीति 2018 पर राष्ट्रीय गोलमेज, 5वीं राष्ट्रीय मानक गोष्ठी 2018, चौथा भारत - आसियान

एक्सपो 2019 और चीन को चावल का पहला निर्यात आदि।

निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी)

इस समय वाणिज्य विभाग के अधीन 14 निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी) हैं, जिनका वर्णन नीचे किया गया है। निर्यात संवर्धन परिषदें कंपनी अधिनियम / सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत लाभ न कमाने वाले संगठन के रूप में पंजीकृत हैं तथा सलाहकार एवं कार्यपालक दोनों की भूमिकाएं निभाती हैं। इन परिषदों की भूमिकाओं एवं कार्यों का मार्गदर्शन विदेश व्यापार नीति 2015-20 द्वारा होता है जो उनको निर्यातकों के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में मान्यता प्रदान करती है।

वाणिज्य विभाग के अधीन निर्यात संवर्धन परिषदों की सूची

1. केमेक्ससिल, झाँसी कैसल (चौथी मंजिल), 7-कूपरेज रोड, मुंबई - 400039, महाराष्ट्र (दूरभाष 022-22021288, 2021330; फैक्स : 022-2026684)
2. काजू ईपीसी, काजू भवन, मुंडक्कल पश्चिम, कोल्लम - 691001, केरल (दूरभाष: 0474-2742704, फैक्स : 0484-2377973)
3. कैपेक्सिल, “वाणिज्य भवन”, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुगमता केंद्र, 1/1 वुड स्ट्रीट, तीसरा तल, कोलकाता - 700016 पश्चिम बंगाल (दूरभाष 033-22890524 / 25; फैक्स : 033-22891724)
4. चमड़ा निर्यात परिषद, नंबर 1, सीएमडीए टावर 2, तीसरा तल, गांधी इर्विन रोड, एगमोर, चेन्नई - 600008 तमिलनाडु (दूरभाष 044-28594367; फैक्स : 044-28594363)
5. भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद, “वाणिज्य भवन”, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुगमता केंद्र, प्रथम तल, 1/1 वुड स्ट्रीट, कोलकाता - 700016, पश्चिम बंगाल (दूरभाष 033-22890651 / 52; फैक्स : 033-22890654)
6. ईओयू एवं एसईजेड यूनिटों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद, 8-जी, हंसालय, 15, बाराखंबा

रोड, नई दिल्ली - 110001 (दूरभाष 011-23329766-69; फैक्स : 011-23329770)

7. रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, कार्यालय नंबर ए डब्ल्यू 1010, टावर ए, जी-ब्लॉक, भारत डायमंड बोर्स, आईसीआईसीआई बैंक से आगे, बांद्रा - कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा - पूर्व, मुंबई - 400051, (दूरभाष 022-23821801 / 06, फैक्स : 022-23808752)

8. प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद, क्रिस्टल टावर, गुंडीवाली रोड नंबर 3, सर एमवी रोड के सामने, अंधेरी पूर्व, मुंबई - 400069, महाराष्ट्र (दूरभाष 022-26833951; फैक्स : 022-26833953)

9. खेल सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद, 1-ई/6, स्वामी रामतीर्थ नगर, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली- 110055 (दूरभाष 011-23516183; फैक्स : 011-23632147)

10. शेफेक्सिल, “वाणिज्य भवन”, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुगमता केंद्र, प्रथम तल, 2/1 वुड स्ट्रीट, कोलकाता - 700016, पश्चिम बंगाल (दूरभाष 033-22834417 / 697; फैक्स : 033-22834699)

11. फर्मेक्सिल, 101, आदित्य व्यापार केंद्र, अमीरपेठ, हैदराबाद - 500 038, आंध्र प्रदेश (दूरभाष 23735462/66; फैक्स : 23735464)

12. सेवा निर्यात संवर्धन परिषद, 6 ए/6, तीसरा तल, एनसीएचएफ बिल्डिंग, सिरी फोर्ट संस्थानिक क्षेत्र, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110040, (दूरभाष 41046327-29 / 41734632)

13. परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद, 411, सूर्य किरण बिल्डिंग (चौथी मंजिल), 19, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001 (दूरभाष 91-11-41514673, 41563287)

14. भारतीय तिलहन और उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद, 78-79 बजाज भवन, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021, महाराष्ट्र (दूरभाष 022-22023225; फैक्स : 022-22029236)

रतन एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी)

रतन एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी), जो भारतीय रतन एवं आभूषण उद्योग की शीर्ष व्यापार संस्था है, इस साल अपने गठन के 52 गौरवशाली वर्ष पूरे कर रही है। 30 नवंबर 2018 की स्थिति के अनुसार इसके सदस्यों की संख्या 6790 के आसपास है। रतन एवं आभूषण विनिर्माण क्षेत्र भारत का अग्रणी विदेशी मुद्रा अर्जक क्षेत्र है। राजकोषीय वर्ष 2018-19 के दौरान भारत से रतन एवं आभूषण के निर्यात ने 40,190.36 मिलियन अमरीकी डालर का निष्पादन दर्ज किया जो देश के कुल पण निर्यात में लगभग 12.20 प्रतिशत का योगदान है। इस क्षेत्र के तहत भारी संख्या में एसएमई यूनिटें शामिल हैं जो कुशल एवं अर्धकुशल मजदूरों को रोजगार देती हैं, जिनमें से लगभग सभी यूनिटें असंगठित क्षेत्र में हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान रतन एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने भारत एवं विदेशों में निम्नलिखित प्रदर्शनियों में भाग लिया :

- एंटवर्प, बेलजियम में 6 से 9 मई 2018 तक काराट्स + 2018
- लास वेगास, यूएसए में 1 से 4 जून, 2018 तक जेसीके लास वेगास शो 2018
- 21 से 24 जून 2018 तक हांगकांग ज्वैलरी एंड जेम फेयर
- सिंगापुर में 26 से 29 जुलाई 2018 तक सिंगापुर इंटरनेशनल ज्वैलरी एक्सपो
- 12 से 16 सितंबर 2018 तक सितंबर हांगकांग ज्वैलरी एंड जेम फेयर
- इटली में 22 से 26 सितंबर 2018 तक विसेंजा ओरो फाल 2018
- दुबई में 14 से 17 नवंबर 2018 तक वीओडी दुबई इंटरनेशनल ज्वैलरी शो

- बहरीन में 20 से 24 नवंबर 2018 तक ज्वैलरी अरेबिया 2018
- दुबई, यूएई में 14 से 17 नवंबर, 2018 तक विसेंजा ओरो दुबई 2018
- विसेंजा, इटली में 18-23 जनवरी, 2019 तक विसेंजा ओरो विंटर, 2019
- दोहा, कतर में 20-25 फरवरी, 2019 तक आभूषण और घड़ी प्रदर्शनी
- 25 फरवरी से 2 मार्च 2019 तक हांगकांग में आयोजित हांगकांग इंटरनेशनल डायमंड, जेम एंड पर्ल शो 2019
- 28 फरवरी से 4 मार्च 2019 तक हांगकांग में हांगकांग इंटरनेशनल ज्वैलरी शो 2019

उपर्युक्त के अलावा जीजेईपीसी ने 2018-19 में निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया :

- जयपुर में 15 से 17 अप्रैल 2018 तक इंडिया जेम स्टोन वीक
- मुंबई में 23 से 25 अप्रैल 2018 तक डायमंड डिटेक्शन एक्सपो और सिंपोजियम का तीसरा संस्करण
- हैदराबाद में 29 अप्रैल से 1 मई 2018 तक इंडिया सार्क मिडिल ईस्ट बायर सेलर मीटर का तीसरा संस्करण
- मुंबई में 11 मई 2018 को बैंकिंग समिट
- मुंबई में 7 से 9 अगस्त 2018 तक पहला भारत - आस्ट्रेलिया ज्वैलरी क्रेता - विक्रेता बैठक
- मुंबई में 9 से 13 अगस्त 2018 तक इंडिया इंटरनेशनल ज्वैलरी शो का 35वां संस्करण
- न्यूयार्क, यूएसए में 20 से 23 अगस्त 2018 तक इंडिया डायमंड वीक (लूज डायमंड)

- नई दिल्ली में 3 से 5 अक्टूबर 2018 तक भारत चांदी क्रेता - विक्रेता बैठक का पहला संस्करण
- मुंबई में 23 से 25 अक्टूबर 2018 तक इंडिया इंटरनेशनल डायमंड वीक (लूज डायमंड)
- नई दिल्ली में 23 और 24 नवंबर 2018 तक भारत सोना क्रेता - विक्रेता बैठक का दूसरा संस्करण
- कोलकाता में 4 और 5 दिसंबर 2018 को ज्वैलरी ज्वैलरी बीएसएम 2018
- न्यूयार्क, यूएसए में 4 से 7 फरवरी 2019 तक इंडिया डायमंड वीक 2019 (लूज डायमंड)
- मुंबई में 10 से 13 फरवरी 2019 तक आईआईजेएस सिग्नेचर 2019 और आईजीजेएमई 2019



सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) :

इष्टतम लागत पर अधुनातन प्रौद्योगिकी / उपकरण का उपयोग करने के लिए छोटे एवं मझोले विनिर्माताओं को अवसर प्रदान करने के लिए रत्न एवं आभूषण का निर्माण करने वाले क्लस्टर में सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) स्थापित किए जा रहे हैं। सीएफसी की स्थापना से छोटे निर्माताओं को तकनीकी तरक्की का लाभ अंतरित करने में मदद मिलेगी और उनकी उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार होगा। अब तक विशनगर, पालनपुर, अमरेली और जूनागढ़ में चार सीएफसी क्रियाशील किए गए हैं।

रफ डायमंड के कंसाइनमेंट के आयात के लिए विशेष अधिसूचित क्षेत्र

विशेष अधिसूचित क्षेत्र प्रचालन के चौथे वर्ष में है तथा पिछले तीन वर्षों में बहुत सफलता के साथ अपने प्रचालनों का संचालन किया है। विश्व की सभी प्रमुख खनन कंपनियां नियमित रूप से इनको देखने आ रही हैं। इसने भारतीय डायमंड उद्योग से बहुत अच्छा रिस्पांस प्राप्त किया है तथा प्रति विजिट 200 विजिटर्स की औसत संख्या तथा प्रति विजिट 74 कंपनियों की औसत संख्या के साथ एमएसएमई के लिए विशेष रूप से लाभप्रद रहा है।

2018-19 के दौरान आईडीटीसी - एसएनजेड में 2.41 मिलियन कैरट के कुल 4.70 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य के रफ डायमंड प्रदर्शित किए गए हैं। प्रमुख विदेशी खनन कंपनियों अर्थात अलरोसा - रूस, डी बीयर्स - यूके, रियो टिटो - आस्ट्रेलिया, डोमिनियन डायमंड कार्प - कनाडा और ओकावांगो डायमंड कंपनी (ओडीसी) - बोत्सवाना जो कुल मिलाकर रफ डायमंड के कुल वैश्विक उत्पादन का 85 प्रतिशत उत्पादन करती हैं, ने देखने के लिए आईडीटीसी - एसएनजेड में अपने डायमंड प्रदान किए हैं।

चमड़ा निर्यात परिषद (सीएलई)

भारतीय अर्थव्यवस्था में चमड़ा उद्योग का प्रमुख स्थान है। यह क्षेत्र निर्यात से अधिक आय अर्जित करने में निरंतरता के लिए विख्यात है तथा देश के लिए शीर्ष 10 विदेशी मुद्रा अर्जकों में से एक है। चमड़ा उद्योग कच्चे माल की प्रचुरता की दृष्टि से संपन्न है क्योंकि भारत में विश्व के 20 प्रतिशत मवेशी और भैंस तथा 11 प्रतिशत बकरी और भेड़ की आबादी है। साथ ही यहां कुशल जनशक्ति, नवाचारी प्रौद्योगिकी है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मानकों का उद्योग अनुपालन बढ़ रहा है और संबद्ध उद्योगों से समर्पित सहायता मिल रही है। चमड़ा उद्योग एक रोजगार गहन क्षेत्र है जो लगभग 4.42

मिलियन लोगों को रोजगार दे रहा है, जिसमें से अधिकतर समाज के कमजोर वर्गों से हैं। लगभग 30 प्रतिशत शेयर के साथ चमड़ा उत्पाद क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार का दबदबा है। भारत फुटवियर एवं लेदर गारमेंट का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व में लेदर गारमेंट का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक और सैडलरी और हार्नेस का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।

निर्यात निष्पादन : प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, अप्रैल से मार्च 2018-19 की अवधि के दौरान लेदर और लेदर के उत्पादों का निर्यात 5691.00 मिलियन अमरीकी डालर था, जबकि अप्रैल से मार्च 2017-18 के दौरान यह

5740.97 मिलियन अमरीकी डालर था जो 0.87 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है।

निर्यात संवर्धन के उपाय : परिषद ने बाजार पहुंच पहल स्कीम के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता से वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान बाजार संवर्धन के अपने प्रयासों के अंग के रूप में निर्यात संवर्धन के निम्नलिखित समारोहों में भाग लिया :

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम
01	16 से 19 जून, 2018 तक एक्सपो रीवा सच, गार्डा फेयर इटली
02	इंटरनेशनल शूज एवं लेदर फेयर, वियतनाम, 11 से 13 जुलाई 2018
03	स्पोगा हार्स फेयर, जर्मनी, 2 से 4 सितंबर 2018
04	एमओएस शूज / मोस्पेल फेयर, मास्को, रूस, 10 से 13 सितम्बर, 2018
05	दिल्ली में आरबीएसएम, 28 और 29 सितंबर 2018
06	चिली में बीएसएम, 23 और 24 अक्टूबर 2018
07	न्यूयार्क में क्रेता - विक्रेता बैठक, 13 और 14 नवंबर 2018
08	ऑस्ट्रेलिया में क्रेता - विक्रेता बैठक, 20 से 22 नवंबर 2018
09	लेदरटेक, ढाका, बांग्लादेश, 22 से 24 नवंबर 2018
10	एक्सपो रीवा सच, गार्डा फेयर, इटली, 12 से 15 जनवरी, 2019
11	डिजाइनर फेयर, 1 से 3 फरवरी 2019
12	इंडिया लेदर शो, दुसलडोर्फ, जर्मनी, 19 और 20 फरवरी, 2019
13	एपीएलएफ लेदर एंड मटीरियल शो, हांगकांग, 13 से 15 मार्च, 2019
14	फैशन अक्सेस फेयर, हांगकांग, 13 से 15 मार्च 2019
15.	इंडिया लेदर शो, मैड्रिड, स्पेन, 26 और 27 मार्च, 2019

नीतिगत सहायता के उपाय :

घरेलू मूल्यवर्धन तथा मेक इन इंडिया पहल को और बढ़ावा देने के लिए फुटवियर के आयात पर संघ बजट 2018-19 में घोषित ड्यूटी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी गई। 27 सितंबर 2018 से फुटवियर

के आयात पर ड्यूटी 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दी गई। इसके अलावा एचएस कोड 4202 के तहत आने वाले लेदर / सिंथेटिक / टेक्सटाइल उत्पादों के आयात पर ड्यूटी 27 सितंबर 2018 से 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी गई।

वस्तु एवं सेवा कर

21 जुलाई 2018 को आयोजित जीएसटी परिषद की 28वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार निम्नलिखित उपायों की घोषणा की गई है :

- 27 जुलाई, 2018 से स्लाइड फास्टेनर और स्लाइड फास्टेनर के पार्ट्स पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है।
- भारत में क्लियरेंस के कस्टम स्टेशन से भारत के बाहर किसी स्थान तक एयरक्राफ्ट से माल के परिवहन के रूप में सेवाओं तथा भारत में क्लियरेंस के कस्टम स्टेशन से भारत के बाहर किसी स्थान तक वेजल से माल के परिवहन के रूप में सेवाओं के लिए जीएसटी से छूट की अवधि 30 सितंबर 2018 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 की गई है।
- 27 जुलाई, 2018 से 1000 प्रति पेयर तक के फुटकर बिक्री मूल्य के फुटवियर के लिए जीएसटी में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। इस विस्तार से पूर्व शुल्क में 5 प्रतिशत की छूट 500 रुपये तक के फुटकर बिक्री मूल्य वाले फुटवियर के लिए उपलब्ध थी।

एसआईडीई / टीआईईएस स्कीम के तहत निर्यात क्लस्टरों में अवसंरचना परियोजनाएं

चमड़ा निर्यात परिषद को तत्कालीन एसआईडीई स्कीम के तहत वाणिज्य विभाग से वित्तीय सहायता तथा राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के साथ पूरे देश में चमड़ा क्षेत्र से संबंधित अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया गया है। परिषद ने विभिन्न चमड़ा क्लस्टरों में एसआईडीई / टीआईईएस योजना के तहत अनेक परियोजनाओं को कार्यान्वित किया है।

चल रही परियोजनाओं की स्थिति निम्नवत है :

- 2173.83 लाख रुपये के वित्तीय परिव्यय से आगरा, उत्तर प्रदेश में व्यापार केन्द्र के निर्माण का काम पूरा हो गया है तथा 26 अक्टूबर 2018 को भवन का उद्घाटन किया गया। वाणिज्य विभाग, भारत सरकार से एसआईडीई अनुदान के तहत स्थापित नव-निर्मित आगरा व्यापार केन्द्र में 26 से 28 अक्टूबर 2018 के दौरान "मीट ऐट आगरा" नामक लेदर, फुटवियर कंपोनेंट एवं प्रौद्योगिकी मेला के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया।
- निर्यात संवर्धन ब्यूरो (ईपीबी), उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित राज्य एसआईडीई के तहत 1314.65 लाख रुपये (संशोधित परियोजना लागत) के वित्तीय परिव्यय से टेस्टिंग लैब और डिजाइन स्टूडियो, आगरा
- परिषद ने सीईटीपी परियोजनाओं के लिए 50 प्रतिशत अनुदान से तत्कालीन एसआईडीई स्कीम के तहत निम्नलिखित परियोजनाओं को लागू किया है अर्थात् रानीटेक, माधावरम सीईटीपी, विस्टेक सीईटीपी और मेलवीशरम परियोजना में सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) की स्थापना के लिए 61 प्रतिशत अनुदान।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना की लागत (लाख रुपए में)	अनुमोदित एसआईडीई अनुदान (लाख रुपए में)	एसआईडीई के तहत जारी की गई निधि (लाख रुपए में)
1	सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी), मेल्विशरम	2468.07	1500.00	750.00
2	रानीटेक सीईटीपी, रानीपेट में 1 एमएलडी क्षमता के अतिरिक्त जेडएलडी सिस्टम का निर्माण	1773.15	886.00	443.00
3	माधावरम सीईटीपी में 596 केएलडी की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण	1308.12	654.00	327.00
4	विस्टेक सीईटीपी, मेलवीशरम में 750 केएलडी क्षमता के अतिरिक्त जेडएलडी सिस्टम का निर्माण	1864.00	932.00	230.00
	कुल	7413.34	3972.00	1750.00

बुनियादी रसायन, कास्मेटिक्स और डाई निर्यात संवर्धन परिषद (केमेक्सिल)

बुनियादी रसायन एवं कास्मेटिक्स निर्यात संवर्धन परिषद जो केमेक्सिल के नाम से विख्यात है, का गठन वर्ष 1963 में मुंबई (तब बॉम्बे), में भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य भारत से विभिन्न विदेशी राष्ट्रों में डाई एवं डाई इंटरमीडिएट, बुनियादी जैविक एवं अजैविक रसायनों, कृषि रसायन सहित, कास्मेटिक्स, साबुन, डिटर्जेंट, प्रसाधन सामग्री एवं आवश्यक तेल तथा अरंडी के तेल के निर्यात को प्रोत्साहित करना है। 31 मार्च 2019 तक की स्थिति के अनुसार परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 3314 है।

केमेक्सिल का मुख्यालय मुंबई में है तथा अहमदाबाद, बेंगलूर, कोलकाता और नई दिल्ली में इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

केमेक्सिल की प्रमुख भूमिकाएं इस प्रकार हैं :

- रसायन उद्योग / निर्यातकों की आवश्यकताओं से अवगत कराने के लिए सरकारी प्राधिकारियों से संपर्क बनाए रखना और निर्यात में तेजी लाने के लिए उपयुक्त एवं अनुकूल

विदेश व्यापार नीति रूपरेखा एवं बजटीय सहायता का सुनिश्चय करना।

- निर्यात से जुड़ी अड़चनों तथा प्रचालनात्मक अड़चनों को उजागर करना एवं दूर करना।
- निर्यात संवर्धन के सीधे कार्य करना जैसे कि विभिन्न देशों में व्यापार शिष्टमंडल भेजना और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेना।
- विदेशों में और भारत में भी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी / क्रेता - विक्रेता बैठकों का आयोजन करना / भाग लेना तथा भारत में विदेशी प्रतिनिधियों को आमंत्रित करना।
- संभावित बाजारों की पहचान करने तथा निर्यात से जुड़ी बाधाओं एवं प्रचालन से जुड़ी अड़चनों को दूर करने में निर्यातकों की मदद करना।
- केमेक्सिल के अधिकार क्षेत्र में आने वाली उपर्युक्त वस्तुओं के उपयुक्त आपूर्तिकर्ताओं को ढूँढने में आयातकों / विदेशी क्रेताओं की मदद करना।

निर्यात निष्पादन :

- अप्रैल से मार्च 2018-19 के दौरान केमेक्सिल के संचयी निर्यात ने अप्रैल से मार्च 2017-18 के दौरान 15927 मिलियन अमरीकी डालर के निर्यात के विरुद्ध 19091 मिलियन अमरीकी डालर का निर्यात करके पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 19.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।
- 2017-18 की तुलना में 2018-19 के दौरान मूल्य की दृष्टि से सकारात्मक वृद्धि दर्ज करने वाले पैनल इस प्रकार हैं - अजैविक, जैविक तथा कृषि रसायन (27 प्रतिशत), डाई एवं डाई इंटरमीडिएट (17 प्रतिशत), कास्मेटिक, ट्रायलेट्री तथा आवश्यक तेल (2 प्रतिशत)।
- 2018-19 के दौरान केमेक्सिल के उत्पादों के शीर्ष निर्यात बाजारों में चीन, यूएसए, ब्राजील, इंडोनेशिया, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान, नीदरलैंड, सऊदी अरब और जर्मनी शामिल हैं।
- कोलोन, जर्मनी में 20 और 21 जून 2018 को आयोजित केमस्पेक यूरोप 2018
- 28 से 30 अगस्त 2018 के दौरान आयोजित डाई केम ब्राजील एक्सपो (32वां डाई + केम ब्राजील 2018 इंटरनेशनल एक्सपो)
- दक्षिण अफ्रीका में 12 और 13 फरवरी 2019 को आयोजित भारतीय रसायन एवं कास्मेटिक्स प्रदर्शनी
- शंघाई, चीन में 5 से 7 मार्च 2019 के दौरान आयोजित 20वां चाइना इंटरनेशनल एग्रोकेमिकल एंड क्रॉप प्रोटेक्शन एग्जिबीशन (सीएसी 2019)
- बगोटा, कोलंबिया में 3 सितंबर 2018 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक (बीएसएम)
- होटल इंटर कांटीनेंटल, सिटी हाल वे, नैरोबी, कीनिया में 15 फरवरी 2019 को आयोजित क्रेता विक्रेता बैठक (बीएसएम)

निर्यात संवर्धन की गतिविधियां : वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों / मेलों / कार्यक्रमों में भाग लिया तथा अनेक घरेलू सेमिनारों एवं आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन किया / उनमें भाग लिया। ऐसे विदेशी एवं घरेलू कार्यक्रमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

विदेशों में कार्यक्रम :

- 11 से 13 अप्रैल 2018 के दौरान शंघाई, चीन में आयोजित 18वां चीन इंटरडाई 2018
- दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में 8 से 10 मई 2018 के दौरान आयोजित ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट
- एचसीएम सिटी, वियतनाम में 13 से 15 जून 2018 के दौरान आयोजित कलर वियतनाम 2018 / स्पेकेम 2018

घरेलू कार्यक्रम :

- मुंबई में 5 अक्टूबर, 2018 को आरबीएसएम
- मुंबई में 4 से 6 अक्टूबर 2018 के दौरान आयोजित इंडिया केम 2018 (10वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन)
- मुंबई में 26 से 28 मार्च 2019 के दौरान आयोजित कैपइंडिया 2019 का चौथा संस्करण

रीच :

- रीच (रसायनों का पंजीकरण, मूल्यांकन, प्राधिकार और प्रतिबंध) रसायनों का सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए यूरोपीय संघ का कानून है। वाणिज्य विभाग द्वारा रीच के अनुपालन के लिए केमेक्सिल को नोडल एजेंसी तथा वन स्टॉप सेंटर

के रूप में नियुक्त किया गया। एमएआई स्कीम के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार अब निर्यातक रासायनिक / कृषि रासायनिक / कास्मेक्टिक्स उत्पादों के लिए अध्ययन लागत सहित डाटा सृजन / पहुंच पत्र की लागत, डाटा क्रय लागत आदि के लिए पंजीकरण प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए दावा कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की अधिकतम सीमा प्रत्येक निर्यातक के लिए बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है।

रसायन एवं संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (कैपेक्सिल)

कैपेक्सिल जो एक अग्रणी निर्यात संवर्धन परिषद तथा आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित संगठन है, की स्थापना 1958 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रसायन आधारित एवं संबद्ध उत्पादों के निर्यात को सुगम बनाने के लिए की गई। कैपेक्सिल के तहत उत्पाद के पैनों में ग्रेफाइट विस्फोटक एवं असेसरीज, पुस्तकें, प्रकाशन एवं मुद्रण, पेपर बोर्ड एवं उत्पाद, ग्लास एवं ग्लास वेयर, विविध उत्पाद, प्रसंस्कृत खनिज, सिरेमिक्स एवं संबद्ध उत्पाद, प्लाईवुड एवं संबद्ध उत्पाद, रबर के उत्पाद, ओसीन एवं जिलेटिन, बल्क मिनरल एवं अयस्क, प्राकृतिक पत्थर एवं उत्पाद, पेंट, प्रिंटिंग इंक एवं संबद्ध उत्पाद, आटो टायर एवं ट्यूब, पशु उपोत्पाद, सीमेंट, सीमेंट क्लिंकर तथा ऐसबेस्टोस सीमेंट उत्पाद शामिल हैं। 31 मार्च 2019 तक की स्थिति के अनुसार परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 4625 है।

कैपेक्सिल का पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय कोलकाता में स्थित है। इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और नई दिल्ली में स्थित हैं।

कैपेक्सिल निम्नलिखित के माध्यम से सेवाओं की पूरी रेंज प्रदान करने का प्रयास करता है :

- व्यापार से संबंधित पूछताछ का प्रसार : कैपेक्सिल विश्व में कहीं भी

किसी आयातक की सोर्सिंग संबंधी आवश्यकताओं में मदद कर सकता है तथा भारतीय निर्यातकों की बिक्री संबंधी आवश्यकताओं में भी मदद कर सकता है।

- व्यापार तथा नीति से संबंधित मामलों के लिए इंटरफेस : व्यापार तथा नीति से संबंधित मामलों के संबंध में सरकार और सदस्यों के बीच कड़ी के रूप में काम करता है
- व्यापार से संबंधित मुद्दों के लिए फोरम : व्यापार से संबंधित मुद्दों के प्रतिनिधित्व के लिए फोरम के रूप में काम करता है तथा निर्यातक समुदाय और सरकार, नीति निर्माताओं, अर्ध सरकारी संगठनों के बीच संपर्क बिंदु के रूप में काम करता है
- राजनयिक मिशनों के साथ संपर्क : व्यवसाय कार्यक्रमों तथा अन्य गतिविधियों के संवर्धन के लिए विदेश स्थित भारतीय राजनयिक मिशनों तथा भारत में स्थित विदेशी राजनयिक मिशनों के साथ संपर्क स्थापित करता है।
- बाजार रिपोर्टें तथा रुझानों का विश्लेषण तैयार करना : विभिन्न देशों में संगत बाजार रिपोर्टें तैयार करना, भारतीय निर्यात की रुझानों का विश्लेषण करना, उत्पाद या अन्य पैरामीटर तथा वैश्विक व्यापार डाटा का बहुमूल्य संसाधन तैयार करना।

निर्यात निष्पादन :

- अप्रैल 2017 से मार्च 2018 की अवधि के दौरान 18048 मिलियन अमरीकी डालर के विरुद्ध अप्रैल 2018 से मार्च 2019 की अवधि के लिए कैपेक्सिल का संचयी निर्यात 21169 मिलियन अमरीकी डालर था जो 17.3 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।
- अप्रैल 2017 से मार्च 2018 की तुलना में अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के लिए "ग्रेफाइट विस्फोटक एवं

असेसरीज" (129.32 प्रतिशत), "पुस्तकें, प्रकाशन एवं मुद्रण" (47.14 प्रतिशत), "पेपर बोर्ड एवं उत्पाद" (38.68 प्रतिशत), "ग्लास एवं ग्लासवेयर" (30.18 प्रतिशत), "विविध उत्पाद" (24.15 प्रतिशत), "प्रसंसकृत खनिज" (21.80 प्रतिशत), "सिरेमिक्स एवं संबद्ध उत्पाद" (20.69 प्रतिशत), "प्लाईवुड एवं संबद्ध उत्पाद" (12.27 प्रतिशत) और "रबर उत्पाद" (11.08 प्रतिशत) में काफी सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है।

- 2018-19 के दौरान कैपेक्सिल के उत्पादों के लिए प्रमुख निर्यात बाजारों में यूएसए, चीन, पोलैंड, यूएई, मलेशिया, नेपाल, जर्मनी, यूके, टर्की और कोरिया शामिल हैं।

निर्यात संवर्धन की गतिविधियां : वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों / मेलों / कार्यक्रमों में भाग लिया तथा अनेक घरेलू सेमिनारों एवं आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन किया / उनमें भाग लिया। ऐसे विदेशी एवं घरेलू कार्यक्रमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

विदेशों में कार्यक्रम :

- 10 से 12 अप्रैल 2018 के दौरान आयोजित लंदन बुक फेयर, यूके
- 25 अप्रैल 2018 से 1 मई 2018 के दौरान आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में आबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर 2018
- 22 से 26 अगस्त 2018 के दौरान बीजिंग, चीन में बीजिंग इंटरनेशनल बुक फेयर
- शरजाह, संयुक्त अरब अमीरात में 31 अक्टूबर 2018 से 10 नवंबर 2018 के दौरान शरजाह इंटरनेशनल बुक फेयर 2018

घरेलू कार्यक्रम :

- कैपेक्सिल तथा इसके सदस्यों ने नई दिल्ली में एशिया रबर एक्सपो; चेन्नई में तमिलनाडु वैश्विक निवेशक बैठक 2019; विश्व पुस्तक मेला, नई दिल्ली; जयपुर में इंडिया स्टोन मार्ट 2019 एग्जिबीशन, मुंबई में यूएस ट्रेड विंड फोरम तथा ट्रेड मिशन एवं सेलेक्ट यूएसए कार्यक्रम पर प्रबोधन कार्यक्रम में भाग लिया।
- मुंबई में 26 से 28 मार्च 2019 के दौरान आयोजित कैप (इंडिया) 2019

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद (प्लेक्सकोसिल)

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद (जो प्लेक्सकोसिल के नाम से विख्यात है) का गठन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा 1955 में भारत से प्लास्टिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। 31 मार्च 2019 तक की स्थिति के अनुसार प्लेक्सकोसिल के सदस्यों की कुल संख्या 2394 है।

इस परिषद का मुख्यालय मुंबई में है तथा इसके साथ क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली में हैं।

प्लेक्सकोसिल प्लास्टिक की कच्ची सामग्री / पॉलिमर से लेकर अर्ध निर्मित / निर्मित माल जैसे प्लास्टिक की मर्दों के व्यापक क्षेत्र में विनिर्माण / व्यापार करने वाले भारतीय प्लास्टिक निर्यातक समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है तथा विभिन्न प्रयोक्ता संघटकों जैसे कि प्लास्टिक प्रसंस्करण क्षेत्र, पैकेजिंग क्षेत्र, इंजीनियरिंग क्षेत्र, औद्योगिक प्रयोक्ताओं (हार्ड गुड्स, आटोमोटिव, कृषि आदि) की सेवा करता है। इसके अलावा मानव केश तथा उनके उत्पाद भी परिषद के अधिदेश के तहत आते हैं।

प्लेक्सकोसिल की प्रमुख भूमिकाएं इस प्रकार हैं:

- परिषद अपने सदस्यों तथा सरकारी / अन्य एजेंसियों के बीच इंटरफेस के

रूप में काम करती है तथा निर्यात से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए सदस्यों की ओर से संबंधित प्राधिकारियों को प्रस्तुत करती है।

- अपने सदस्यों के लिए भारत और विदेश में व्यापार मेला एवं प्रदर्शनी, क्रेता - विक्रेता बैठक और रिवर्स क्रेता - विक्रेता बैठक, सेमिनार / कार्यशाला का आयोजन करती है।
- यह पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र (आरसीएमसी) जारी करने के लिए अधिकृत है तथा अपने सदस्यों को वीजा संसृति पत्र, उत्पत्ति प्रमाण पत्र, नमूना संवहन पत्र आदि भी जारी करती है।

निर्यात निष्पादन :

- अप्रैल 2017 से मार्च 2018 की अवधि के दौरान 8850.18 मिलियन अमरीकी डालर के विरुद्ध अप्रैल 2018 से मार्च 2019 की अवधि के लिए प्लेक्सकोंसिल का संचयी निर्यात 10854.94 मिलियन अमरीकी डालर था जो 22.65 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि को दर्शाता है।
- प्लास्टिक की कच्ची सामग्री के तहत वर्गीकृत उत्पादों के निर्यात में वर्ष दर वर्ष आधार पर 39.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसके बाद पैकेजिंग सामग्री (+19.35 प्रतिशत); प्लास्टिक शीट, फिल्म, प्लेट आदि (+19.10 प्रतिशत); प्लास्टिक की अन्य मदों (+13.67 प्रतिशत); लेखन सामग्री / कार्यालय / स्कूल आपूर्ति (+9.91 प्रतिशत); माउल्डेड एंड एक्सट्रूडेड गुड्स (+8.13 प्रतिशत); तथा ऑप्टिकल मदों (+1.11 प्रतिशत) का स्थान रहा।
- 2018-19 के दौरान प्लेक्सकोंसिल के उत्पादों के शीर्ष निर्यात बाजारों में चीन, संयुक्त राज्य, संयुक्त राज्य अमीरात, इटली, तुर्की, जर्मनी, बंगलादेश, यूनाइटेड किंगडम, नेपाल और वियतनाम शामिल हैं।

निर्यात संवर्धन की गतिविधियां : वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों / मेलों / कार्यक्रमों में भाग लिया तथा अनेक घरेलू सेमिनारों एवं आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन किया / उनमें भाग लिया। ऐसे विदेशी एवं घरेलू कार्यक्रमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

विदेशों में कार्यक्रम :

- ओरलैंडो, यूएसए में 7 से 11 मई 2018 तक आयोजित एनपीई 2018 प्रदर्शनी में भारतीय मंडप
- 15 से 17 जून 2018 तक यंगून, म्यांमार में आयोजित कंप्लास्ट म्यांमार 2018 प्रदर्शनी
- 13 से 15 जुलाई 2018 तक नैरोबी, कीनिया में आयोजित कंप्लास्ट कीनिया 2018 प्रदर्शनी
- 10 से 12 अगस्त 2018 तक कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित कंप्लास्ट श्रीलंका 2018 प्रदर्शनी
- 24 से 27 सितंबर 2018 तक तेहरान, ईरान में आयोजित ईरानप्लास्ट 2018 प्रदर्शनी
- 13 से 15 नवंबर 2018 तक जोहानसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित कंपाल्स्ट दक्षिण अफ्रीका 2018 प्रदर्शनी
- 5 से 8 दिसंबर 2018 तक इस्तांबुल, तुर्की में आयोजित प्लास्ट यूरोशिया 2018 प्रदर्शनी
- 5 से 8 जनवरी 2019 तक दुबई, यूएई में आयोजित अरबप्लास्ट 2019 प्रदर्शनी

घरेलू कार्यक्रम :

- 30 नवंबर 2018 से 3 दिसंबर 2018 तक कोलकाता में इंडप्लास 2018 के दौरान आयोजित आरबीएसएम

मुंबई में 26 से 28 मार्च 2019 के दौरान आयोजित कैप (इंडिया) 2019

लाख एवं वन उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (शेफेक्सिल)

लाख एवं वन उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (शेफेक्सिल) इमारती लकड़ी से भिन्न वनोत्पाद तथा उनके मूल्यवर्धित वैरिएंट के लिए नोडल निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) है। शेफेक्सिल समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों जैसे कि आदिवासी महिलाओं, सीमांत किसानों, आर्थिक दृष्टि से पूर्वोत्तर की वंचित आबादी, मरुस्थली क्षेत्रों आदि को सीधे योगदान करता है। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार शेफेक्सिल के सदस्यों की कुल संख्या 498 है। परिषद का मुख्यालय कोलकाता में है और इस समय इसका कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है।

शेफेक्सिल के तहत कुल 6 उत्पाद पैनेल हैं अर्थात् नियत वनस्पति तेल, खली एवं अन्य, ग्वारगम, अन्य वनस्पति सामग्रियां, पादप एवं पादप अंश, लाख एवं लाख आधारित उत्पाद तथा वनस्पतियों के सैप एवं सत्त।

शेफेक्सिल की प्रमुख भूमिकाएं इस प्रकार हैं :

- सदस्यों के निर्यात में वृद्धि एवं विकास में सदस्यों को वाणिज्यिक दृष्टि से उपयोगी सूचना एवं सहायता प्रदान करना तथा निर्यात करने वाले समुदाय तथा राज्य एवं केन्द्र दोनों स्तर पर सरकार के बीच वार्ता को बढ़ावा देना।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता तथा डिजाइन सुधार, मानक एवं विनिर्देशन, उत्पाद विकास, नवाचार आदि जैसे क्षेत्रों में अपने सदस्यों को सलाह प्रदान करना।
- विदेशी राष्ट्रों के साथ विभिन्न मुक्त व्यापार करारों पर वार्ता करने के लिए डाटा एवं अन्य बहुमूल्य सूचना प्रदान करना।

- विदेशी बाजार का दोहन करने तथा विदेशी निर्यातकों के साथ वार्ता करने के लिए अपने सदस्यों से शिफ्टमंडलों के विदेशी दौरों का आयोजन करना और भारत एवं विदेश में व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों एवं क्रेता - विक्रेता बैठकों में भागीदारी का आयोजन करना।

निर्यात निष्पादन :

- अप्रैल से मार्च 2018-19 के दौरान शेफेक्सिल के संचयी निर्यात ने अप्रैल से मार्च 2017-18 के दौरान 1905.36 मिलियन अमरीकी डालर के निर्यात के विरुद्ध 2140.94 मिलियन अमरीकी डालर का निर्यात करके पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 12.36 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।
- 2017-18 की तुलना में 2018-19 के दौरान मूल्य की दृष्टि से सकारात्मक वृद्धि दर्ज करने वाले पैनेलों में वनस्पति सैप एवं सत्त (26.69 प्रतिशत), लाख एवं लाख आधारित उत्पाद (12.55 प्रतिशत), नियत वनस्पति तेल, खली एवं अन्य (8.75 प्रतिशत), ग्वार गम (4.32 प्रतिशत) तथा अन्य वनस्पति सामग्रियां (1.01 प्रतिशत) शामिल हैं।
- 2018-19 के दौरान शेफेक्सिल के उत्पादों के शीर्ष निर्यात बाजारों में यूएसए, चीन, ईरान, जर्मनी, हांगकांग, नीदरलैंड, सिंगापुर, जापान, रूस और यूके शामिल हैं।

निर्यात संवर्धन की गतिविधियां : वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों / मेलों / कार्यक्रमों में भाग लिया तथा अनेक घरेलू सेमिनारों एवं आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन किया / उनमें भाग लिया। ऐसे विदेशी एवं घरेलू कार्यक्रमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

विदेशों में कार्यक्रम:

- 11 से 13 अप्रैल 2018 तक शंघाई, चीन में आयोजित चाइना इंटरडार्ड एग्जिबीशन 2018
- 8 से 10 मई 2018 तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट
- 25 से 27 अक्टूबर 2018 तक इस्तंबुल, तुर्की में आयोजित इंटरडार्ड एंड टेक्स्टाइल प्रिंटिंग यूरोशिया 2018
- 27 से 29 नवंबर 2018 तक फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में आयोजित ही एंड नी यूरोप 2018

घरेलू कार्यक्रम :

मुंबई में 26 से 28 मार्च 2019 के दौरान आयोजित कैप (इंडिया) 2019

खेल सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद (एसजीईपीसी)

खेल की सामग्रियों एवं खेलौनों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेल सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद (एसजीईपीसी) की स्थापना वर्ष 1958 में हुई। परिषद घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उद्योग में होने वाले महत्वपूर्ण विकास के क्षेत्र में अपने सदस्यों को सेवाएं प्रदान करती है।

भारतीय खेल सामग्रियों एवं खेलौनों का अब निर्यात 150 देशों को हो रहा है। खेल के सामानों और खेलौनों के निर्यात के लिए शीर्ष 10 गंतव्य यूके, यूएसए, आस्ट्रेलिया, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, स्पेन और कनाडा हैं। 38.03 करोड़ रुपए के कुल निर्यात के साथ पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 43 प्रतिशत और 97 प्रतिशत की वृद्धि के साथ आयरलैंड और स्पेन शीर्ष 10 गंतव्यों की सूची में शामिल होने वाले नए देश हैं। परिषद ने उभरते बाजारों में बीएसएम का आयोजन किया। भारत से इस क्षेत्र के कुल निर्यात के मूल्य में शीर्ष 10 गंतव्यों का योगदान 78 प्रतिशत है।

निर्यात की शीर्ष 5 मदों में इनफ्लेटेबल बाल एवं असेसरीज, क्रिकेट बैट एवं संरक्षी उपकरण, नेट, एथलेटिक गुड्स तथा बाक्सिंग के उपकरण शामिल हैं।

निर्यात निष्पादन :

प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार खेल के सामानों के निर्यात का मूल्य अप्रैल से मार्च 2017-18 में 232.80 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में अप्रैल से मार्च 2018-19 की अवधि के लिए 313.48 मिलियन अमरीकी डालर था जो 34.65 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। परिषद ने 2018-19 के दौरान निर्यात संवर्धन के निम्नलिखित कार्यक्रमों में भाग लिया :

- 29 जुलाई से 1 अगस्त 2018 तक लास वेगास, यूएसए में आयोजित सोर्स डायरेक्ट एसडी
- 4 से 6 सितंबर 2018 तक मुंबई में आयोजित रिवर्स क्रेता - विक्रेता बैठक (आरबीएसएम किड्स इंडिया)
- 7 से 10 जनवरी 2019 तक हांगकांग में आयोजित हांगकांग ट्रायज एंड गेम्स फेयर
- 30 जनवरी से 3 फरवरी 2019 तक नर्नबर्ग, जर्मनी में आयोजित स्पिलवेयरमेस इंटरनेशनल ट्राय फेयर
- 3 से 6 फरवरी 2019 तक म्यूनिख, जर्मनी में आयोजित आईएसपीओ
- 11 से 15 मार्च 2019 तक अल्जीरिया (अल्जीयर्स) और मोरक्को (कासाब्लांका) में आयोजित बीएसएम

दूरसंचार उपकरण एवं सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (टीईपीसी)

भारत से दूरसंचार उपकरण एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा दूरसंचार उपकरण एवं सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (टीईपीसी) का गठन किया गया है। परिषद संपूर्ण दूर संचार ईको सिस्टम की जरूरतें पूरा करती है, जिसमें दूर संचार हार्डवेयर

विनिर्माता, दूर संचार सेवा प्रदाता, दूर संचार साफ्टवेयर वेंडर तथा परामर्शदाता शामिल हैं।

टीईपीसी का विजन

- टीईपीसी भारत से दूरसंचार उपकरण के निर्यात को प्रोत्साहित करना जारी रखेगी
- भारत से दूरसंचार उपकरण के निर्यात को प्रोत्साहित एवं तेज करना
- भारत में विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र सहित टेलीकाम इको सिस्टम के विकास के लिए स्वस्थ माहौल सृजित करना।
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के तहत भारत में निजी और विदेशी दोनों निवेशों को प्रोत्साहित करना।
- व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए सामरिक गठबंधनों, एम ओ यू तथा तकनीकी / वित्तीय सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- डिजाइन इन इंडिया तथा विश्व स्तरीय दूरसंचार उत्पादों के निर्माण के लिए स्थानीय आई पी आर तथा अनुसंधान तथा विकास की गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान करना।

कार्यक्रमों में टीईपीसी की भागीदारी

भारतीय दूरसंचार निर्यात की क्षमता पर जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से टीईपीसी नियमित आधार पर निर्यात संवर्धन के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है। नियमित आधार पर संचालित की गई संवर्धन की अनेक गतिविधियों में चुनिंदा देशों में उत्पाद एवं सेवा विशिष्ट शिष्टमंडल भोजना, अनन्य भारतीय टीईपीसी प्रदर्शनियां, विशिष्ट व्यापार मेलों, रोड शो में देश की भागीदारी, क्रेता-विक्रेता बैठकें, उत्पाद विशिष्ट सेमिनार एवं सम्मेलन - भारत एवं विदेश दोनों में शामिल हैं।

कार्यक्रम जो टीईपीसी द्वारा आयोजित किए गए / जिनमें टीईपीसी ने भाग लिया

- 26 से 28 जून तक सिंगापुर में कनेक्ट टेक एशिया 2018
- 22 से 23 मई 2018 तक इंडो अफ्रीका आईसीटी एक्सपो 2018, लागोस, नाइजीरिया
- 27 और 28 सितंबर 2018 को हनोई, वियतनाम में इंडिया आसियान आईसीटी एक्सपो 2018
- दुबई, यूएई, इंडिया टेलीकॉम 2019, नई दिल्ली में 14 से 18 अक्टूबर 2018 तक गिटेक्स टेक्नोलॉजी वीक 2018

टीईपीसी का लक्ष्य

टीईपीसी ने निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने की परिकल्पना की है :

- अगले 5 वर्षों में मोबाइल हैंडसेट सहित निर्यात के 20 बिलियन डालर से ऊपर पहुंचने की संभावना है।
- अगले पांच वर्षों में 20 प्रतिशत से अधिक सीएजीआर पर घरेलू दूरसंचार उत्पाद में वृद्धि की संभावना है।
- 5 मिलियन रोजगार सृजन (प्रत्यक्ष एवं परोक्ष)
- आने वाले वर्षों में भारत में विनिर्मित उत्पादों के माध्यम से घरेलू दूरसंचार की प्रमुख आवश्यकताओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
- वैश्विक सफलता वाली कम से कम कुछ आईपीआर चालित भारतीय उत्पाद कंपनियां 2020 तक बिलियन डालर वाली कंपनी बन जाएंगी।

परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद (पीईपीसी)

परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति की रूपरेखा के अंदर तथा उनके ज्ञापन पीईएम (परियोजना निर्यात मैनुअल) में यथा उल्लिखित विदेशी परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसरण में विदेशों में परियोजनाएं प्राप्त करने एवं निष्पादित करने के लिए भारतीय परियोजना निर्यातकों के लिए शीर्ष समन्वय एजेंसी के रूप में काम करती है।

इसका उद्देश्य सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके तथा भारतीय परियोजना निर्माण की मदों का उपयोग करके विदेशों में परियोजनाएं निष्पादित करने के लिए निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के परियोजना निर्यातकों की मदद करके पूरी दुनिया के आर्थिक विकास में योगदान देना है।

इसके अलावा परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद बड़ी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए बोली प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु कंसोर्टियम या संयुक्त उद्यम के गठन में सहायता प्रदान करके और विशेष रूप से परिष्कृत प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी अंतरण को बढ़ावा देकर भारतीय परियोजना निर्यातकों तथा विदेशी कंपनियों के बीच आर्थिक सहयोग के संवर्धन का समन्वय करती है जिससे भारतीय कंपनियां मेगा परियोजनाओं के लिए संयुक्त रूप से बोली

लगाने के लिए प्रोत्साहित होंगी। यह विनियामक रूपरेखा में नीतियों या प्रक्रियाओं में आवश्यक सुधार के लिए सरकार के साथ समन्वय भी स्थापित करती है जिससे न केवल विदेशी परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए भारतीय परियोजना प्रोत्साहित करें अपितु अपनी बोलियों को अधिक प्रतिसपर्धी एवं सफल भी बनाएं। परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद ने न केवल भारत एवं विदेशों में विभिन्न व्यापार निकायों के साथ सामरिक गठबंधन किया है (विदेश स्थित भारतीय मिशनों तथा भारत में विदेशी मिशनों सहित) अपितु परियोजना निर्यात बढ़ाने तथा परियोजना निर्माण की मदों का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से भी ऐसे गठबंधनों के अपने दायरे का लगातार विस्तार भी कर रही है।

परिषद का सकल प्रबंधन कार्यकारी समिति के हाथों में है जिसमें सदस्य के रूप में वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा भारतीय निर्यात आयात बैंक, भारतीय निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम, भारतीय रिजर्व बैंक तथा निर्माण उद्योग के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान पीईपीसी निम्नलिखित कार्यक्रमों में भागीदारी का आयोजन करेगा :

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रम की तिथि
1	भूटान कंस्ट्रक्शन फेयर 2019	26 से 29 जुलाई, 2019
2	कैम्बिल्ड 2019 – कंबोडिया	5 से 9 सितंबर, 2019
3	होम एंड बिल्डिंग शो – ओमान	21 से 23 अक्टूबर, 2019
4	कीनिया और तंजानिया में क्रेता – विक्रेता बैठक	25 से 29 नवंबर, 2019
5	वार्षिक पावरटेक अफ्रीका	30 और 31 जनवरी 2020

इलेक्ट्रॉनिक एवं कंप्यूटर साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद (ईएससी)

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंप्यूटर साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद (ईएससी) का अधिदेश इलेक्ट्रॉनिक्स, दूर संचार, कंप्यूटर साफ्टवेयर तथा आईटी समर्थित सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना है। निर्यात संवर्धन परिषद निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने सदस्यों को कई तरह की सेवाओं की पेशकश करती है। निर्यात संवर्धन परिषद इलेक्ट्रॉनिक्स एवं

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अधीन एक स्वायत्त सोसाइटी है।

ई एस सी की कुछ महत्वपूर्ण सेवाएं इस प्रकार हैं :

- वैश्विक ट्रेड शो / प्रदर्शनी एवं सम्मेलनों में भागीदारी को सुगम बनाना।

- विदेशी बाजारों में बाजार अनुसंधान / अध्ययन तथा प्रचार अभियान संचालित करना।
- क्रेता - विक्रेता बैठकों के माध्यम से ई एस सी भारतीय और विदेशी कंपनियों के बीच कारोबारी इंटरफेस को सुगम बनाती है तथा भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साफ्टवेयर एवं आई टी कंपनियों के लिए नए कारोबारी साझेदारों की तलाश करती है।
- विदेश व्यापार को सुगम बनाने के लिए ई एस सी डाटा सर्व के लिए आनलाइन सुविधा प्रदान करती है।

ईएससी द्वारा आयोजित कार्यक्रम

- आईसीटी एक्सपो, 13 - 16 अप्रैल 2019, हांगकांग
- सेबिट 2018, हनोवर, जर्मनी, 11 से 15 जून 2018
- साफ्टवेव 2018, 8 से 10 सितंबर 2018, सियोल, दक्षिण कोरिया
- मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, लास एंजल्स, यूएसए, 12 से 14 सितंबर 2018
- जापान आईटी सप्ताह, 24 से 26 अक्टूबर 2018, टोकियो, जापान
- जीटेक्स दुबई, 18 से 20 अक्टूबर 2015, दुबई
- इलेक्ट्रॉनिक्स, 13 से 11 नवंबर 2018, म्यूनिख, जर्मनी
- इंडियासाफ्ट एंड इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपो, 4 और 5 फरवरी 2019, एचआईसीसी, हैदराबाद
- क्लाउड एक्सपो यूरोप, 12 और 13 मार्च 2019, यूके

ईईपीसी इंडिया

ईईपीसी इंडिया इंजीनियरिंग क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य विभाग के

तत्वावधान में गठित परिषद है। यह निर्यात संवर्धन के लिए भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्र की विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत स्थापित कंपनी (लाभ न कमाने वाली कंपनी) है। ईईपीसी इंडिया विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के तहत पूरे देश में इंजीनियरिंग निर्यात के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नोडल एजेंसी है। इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यातकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए कंपनी का मुख्यालय कोलकाता में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली में तथा उप क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद (सिकंदराबाद) और जालंधर में हैं।

सलाहकार संस्था के रूप में यह भारत सरकार की नीतियों में सक्रियता से योगदान होता है तथा इंजीनियरिंग उद्योग एवं सरकार के बीच कड़ी के रूप में काम करता है। 1955 में स्थापित ईईपीसी इंडिया के सदस्यों की संख्या अब 13000 है जिसमें से लगभग 60 प्रतिशत एसएमई हैं। ईईपीसी इंडिया भारत से स्रोतन को सुगम बनाता है तथा एस एम ई को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप अपने मानकों को ऊपर उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह वैश्विक मूल्य श्रृंखला से अपने व्यवसाय को एकीकृत करने के लिए भी एस एम ई को प्रोत्साहित करता है। 'भविष्य को अभियांत्रिक करना' को अपने ध्येय के रूप में रखते हुए ई ई पी सी इंडिया भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय समुदाय के लिए भविष्य में भारत को इंजीनियरिंग के एक प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में उनके प्रयासों में संदर्भ बिंदु के रूप में काम करता है।

इंजीनियरिंग निर्यात का परिदृश्य

देश के कुल वस्तु निर्यात में इंजीनियरिंग निर्यात का शेयर 25 प्रतिशत और जीडीपी में 3 प्रतिशत से अधिक है। इंजीनियरिंग निर्यात ने पिछले राजकोषीय वर्ष 2017-18 की तुलना में 6.32 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2018-19 में 81.02 बिलियन अमरीकी डालर के रिकार्ड

निष्पादन के साथ 2011-12 से 2018-19 तक 4.6 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) प्राप्त किया। कुल निर्यात के प्रतिशत के रूप में देश के इंजीनियरिंग निर्यात का प्रतिशत 2011-12 में 19.3 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 24.5 प्रतिशत हो गया है।

इंजीनियरिंग के 33 पैनेल में से 28 पैनेल जिसके तहत भारत के इंजीनियरिंग निर्यात का लगभग 85 प्रतिशत शामिल है, ने पिछले राजकोषीय वर्ष की तुलना में 2018-19 के दौरान निर्यात में वृद्धि दर्ज की, जबकि शेष 5 पैनेल ने निर्यात में गिरावट का प्रदर्शन किया। 2017-18 की तुलना में 2018-19 में निर्यात में जिन पैनेलों ने काफी वृद्धि दर्ज की उनमें शिप, बोट तथा फ्लोटिंग उत्पाद एवं पार्ट्स (87.58 प्रतिशत की वृद्धि), कार्यालय उपकरण (80.62 प्रतिशत की वृद्धि), प्राइम माइका एवं माइका के उत्पाद (65.11 प्रतिशत की वृद्धि), निकेल एवं उत्पाद (58.13 प्रतिशत की वृद्धि), एयरकंडीशन एवं रेफ्रिजरेशन (53.21 प्रतिशत की वृद्धि), एकमुलेटर एवं बैटरी (38.04 प्रतिशत की वृद्धि), औद्योगिक मशीनरी जैसे कि बॉयलर, पार्ट्स आदि (35.1 प्रतिशत की वृद्धि), रेलवे परिवहन (31.56 प्रतिशत की वृद्धि), क्रेन, लिफ्ट एवं विंच (30.65 प्रतिशत की वृद्धि), इलेक्ट्रिकल मशीनरी (25.65 प्रतिशत की वृद्धि), इलेक्ट्रोड एवं एकमुलेटर (23.36 प्रतिशत की वृद्धि) और साइकल एवं पार्ट्स (20.59 प्रतिशत) शामिल हैं।

क्षेत्रवार निर्यात गंतव्य की दृष्टि से भारत के कुल इंजीनियरिंग निर्यात में 20 प्रतिशत और 19 प्रतिशत के शेयर के साथ इंजीनियरिंग निर्यात के लिए क्रमशः यूरोपीय संघ तथा उत्तरी अमेरिका भारत के शीर्ष गंतव्य बने रहे। 2017-18 की तुलना में 2018-19 के दौरान आसियान प्लस 2 ने 21.67 प्रतिशत की सर्वोच्च वृद्धि दर्ज की जिसके बाद दक्षिण एशिया (14.10 प्रतिशत), अफ्रीका (13.64 प्रतिशत), सीआईएस (12.08 प्रतिशत), उत्तरी अमेरिका (12 प्रतिशत), मध्य पूर्व एवं पश्चिम एशिया (2.80 प्रतिशत), यूरोपीय संघ (1.51 प्रतिशत) और लैटिन अमेरिका (1.51 प्रतिशत) का स्थान था।

ब्रांड इंडिया इंजीनियरिंग

मेक इन इंडिया की ब्रांड इमेज, इंजीनियरिंग गुणवत्ता तथा भारतीय इंजीनियरिंग उत्पादों एवं सेवाओं की क्षमता में वृद्धि करके निर्यात बढ़ाने के लिए वाणिज्य विभाग की सहायता से ईईपीसी इंडिया ने 2014 से ब्रांड इंडिया इंजीनियरिंग अभियान शुरू कर रहा है। यह पहल इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन जो वाणिज्य विभाग के अधीन न्यास है, के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है।

इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात संवर्धन के अंग के रूप में ब्रांड इंडिया इंजीनियरिंग अभियान की रणनीति तैयार की गई है तथा 4 चिह्नित उत्पाद समूहों अर्थात् पंप एवं वाल्व, चिकित्सा डिवाइस, विद्युत उपकरण, मशीनरी, एवं कंपोनेंट तथा टेक्सटाइल मशीनरी के संबंध में तैयार किए गए कतिपय वैश्विक मानकों के आधार पर निर्यातकों का ई-कैटलाग तैयार किया गया है। ब्रांड इंडिया इंजीनियरिंग के कार्यान्वयन के लिए एक नई व्यापक एवं नवाचारी रणनीति भी तैयार की जा रही है।

ब्रांड इंडिया इंजीनियरिंग अभियान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित प्रमुख इंजीनियरिंग कार्यक्रमों अर्थात् आटोमकेनिका दुबई 2018 जो मध्य पूर्व में विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आटोमोटिव विपणन पश्चात् ट्रेड शो है, भारतीय उप महाद्वीप एवं अफ्रीका; बिग 5 2018 जो मध्य पूर्व में सबसे बड़ी निर्माण प्रदर्शनी है; सबकॉन 2018 जो औद्योगिक मशीनरी एवं उपकरण में यूके का अग्रणी उप संविदा व्यापार शो है; इंडी फिलीपींस 2018 जो फिलीपींस में मेटल कार्य की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है; और इंडी कोलंबिया 2018 जो लैटिन अमेरिका में सबसे विशिष्ट औद्योगिक कार्यक्रम है तथा अनेक विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में ईईपीसी इंडिया की सार्वभौमिक उपस्थिति से गति पकड़ रहा है।

इंजीनियरिंग निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकीय उन्नति की पहल

ईईपीसी इंडिया की साझेदारी में वाणिज्य विभाग उच्चतर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कदम रखने के उपायों का निर्माण करने का प्रयास कर रहा है। प्रमुख पहलों में से एक इंजीनियरिंग निर्यात को बढ़ावा देने के लिए

प्रौद्योगिकी के उन्नयन को संभव बनाना है। अधुनातन निर्यात उन्मुख प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अग्रणी आर एंड डी लैब तथा उद्योग के बीच अंतर को समाप्त करके इसका प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए आर एंड डी सहायता हेतु उत्पादों एवं प्रक्रियाओं को चिह्नित करने हेतु विशिष्ट औद्योगिक क्लस्टरों में प्रौद्योगिकी बैठकों / उद्योग - शैक्षिक संस्था वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। पहल का उद्देश्य प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी स्कीमों के बारे में उद्योग जगत को संवेदनशील बनाना तथा क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के अनुरूप उद्योग जगत की आवश्यकताओं के आधार पर प्रौद्योगिकी विकास की पहलों को लागू करना है। वाणिज्य विभाग, सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय तथा ईईपीसी इंडिया इस प्रयास में संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं।

चुनौतियों को दूर करने तथा हाई इंड प्रौद्योगिकी उत्पादों के उत्पादकों एवं निर्यातकों को शिक्षित करने के लिए इंजीनियरिंग क्षेत्र में एमएसएमई के लिए अनुकूल माहौल का सृजन करने के लिए वाणिज्य विभाग ने बेंगलूरु (पूर्णतः क्रियाशील) और कोलकाता (शीघ्र क्रियाशील हो जाने की संभावना है) में ईईपीसी इंडिया के प्रौद्योगिकी केन्द्र को वित्त पोषित भी किया है।

उपर्युक्त के अलावा परिषद के सदस्यों को मूल्य अभिवृद्धि की सेवाओं के लिए प्रौद्योगिकी संसाधनों के डिजिटिकरण की प्रक्रिया भी चल रही है। इस संबंध में भारत सरकार की योजनाओं पर एक ई-कंपेंडियम तथा शैक्षिक संस्थाओं के आर एंड डी लैब द्वारा उपलब्ध प्रौद्योगिकियों की निर्देशिका का संकलन पूरा हो गया है तथा यह ईईपीसी इंडिया की वेबसाइट (<https://www.eepcindia.org/>) पर उपलब्ध है।

लक्षित फोकस उत्पादों के साथ वर्ष 2018-19 में आयोजित प्रौद्योगिकी बैठकों की सूची

- कोयंबटूर, 24 अप्रैल, 2018 (औद्योगिक वाल्व)

- कोयंबटूर, 08 जून, 2018 (औद्योगिक वाल्व)
- कोयंबटूर, 06 जुलाई, 2018 (औद्योगिक वाल्व)
- लुधियाना, 22 सितंबर 2018 (साइकल विनिर्माण)
- अंबाला, 24 नवंबर 2018 (चिकित्सा डिवाइसें)
- पुणे, 21 दिसंबर 2018 (आटोमोटिव प्रौद्योगिकी)
- जामनगर, 14 फरवरी 2019 (ब्रास विनिर्माण)

निर्यात संवर्धन की गतिविधियां

वाणिज्य विभाग ईईपीसी इंडिया के माध्यम से निर्यात संवर्धन के विभिन्न कार्य करता है। भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग की क्षमता का प्रदर्शन करने और ब्रांड इंडिया इंजीनियरिंग द्वारा यथा प्रचारित विदेशी क्रेताओं को सही मूल्य प्रदान करने के लिए इन गतिविधियों में भारत में क्रेता - विक्रेता बैठक तथा भारत में उत्पाद विशिष्ट सेमिनार / सम्मेलन, निर्यात जागरूकता कार्यक्रम आदि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग सोर्सिंग शो (आईईएसएस) का आयोजन, भारत के बाहर अनन्य इंडिया इंजीनियरिंग एग्जिबीशन (इंडी) का आयोजन, चुनिंदा देशों में उत्पाद विशिष्ट शिष्टमंडल भोजना, विभिन्न उत्पाद विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेना शामिल है।

अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग सोर्सिंग शो (आईईएसएस) : यह इंजीनियरिंग क्षेत्र में वाणिज्य विभाग का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है तथा इसे इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए, विशेष रूप से एमएसएमई के लिए भारत के आयोजित सबसे बड़े सोर्सिंग शो के रूप में माना जाता है। इस कार्यक्रम के 8वें संस्करण का आयोजन 14 से 16 मार्च 2019 तक चेन्नई में हुआ जिसमें 43 देशों से लगभग 400 प्रदर्शकों, 500 प्रतिनिधियों और 10000 से अधिक व्यापार आगंतुकों ने भाग लिया। आईईएसएस के इस संस्करण का थीम 'स्मार्ट इंजीनियरिंग' था तथा इस कार्यक्रम में 'उप संविदा', 'औद्योगिक एवं विद्युत

मशीनरी, 'भावी कारखाना' और 'नवाचार एवं प्रौद्योगिकी' फोकस क्षेत्र थे। इसमें मलेशिया पार्टनर कंट्री था तथा फ्लैंडर्स फोकस रीजन था।

भारतीय इंजीनियरिंग प्रदर्शनी (इंडी) : ईईपीसी इंडिया भारतीय इंजीनियरिंग प्रदर्शनी (इंडी) का आयोजन करता है जो भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्र में तेजी से हो रही प्रगति के बारे में पूरे विश्व में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्र पर पूर्णतः केन्द्रित होती है। इंडी की शुरुआत 1997 में हुई तथा अब तक पूरे विश्व में इस कार्यक्रम के 40 संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। इंडी विदेश में भारत के महत्वपूर्ण कार्यक्रम तथा मौजूदा / नए बाजारों में अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए प्लेटफार्म के रूप में उभरा है।

इंडी के 39वें संस्करण का आयोजन 22 से 25 अगस्त 2018 तक फिलीपींस में हुआ जिसमें 100 से अधिक भारतीय इंजीनियरिंग कंपनियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के 40वें संस्करण का आयोजन फेरिया इंटरनेशनल डी बगोटा 2018 के साथ कोलंबिया में 24 से 26 सितंबर 2018 के दौरान हुआ जो कोलंबिया में सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी में भारत को 'पार्टनर कंट्री' का दर्जा प्रदान किया गया था तथा इंडी के इस संस्करण में 75 से अधिक भारतीय इंजीनियरिंग कंपनियों ने भाग लिया था।

उपर्युक्त के अलावा वाणिज्य विभाग चिकित्सा डिवाइस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने में भी सबसे आगे है। ईईपीसी इंडिया द्वारा ब्रांड इंडिया इंजीनियरिंग अभियान में चिकित्सा डिवाइसों को ब्रांड इंडिया इक्विटी फाउंडेशन के परामर्श से शामिल किया जाता है।

भारत चिकित्सा डिवाइसों, उपकरणों तथा फार्मा मशीनरी के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में उभर रहा है। भारत में चिकित्सा डिवाइस एक उदीयमान उद्योग है जिसने 15 प्रतिशत का सी ए जी आर दर्ज किया है। चिकित्सा डिवाइस सेक्टर में चिकित्सा पर्यटन एक अन्य आला सेगमेंट है जो भारत

को वैश्विक मानचित्र पर प्रस्तुत कर रहा है। इस पृष्ठभूमि में ईईपीसी इंडिया ने दिसंबर 2018 में बेंगलूरु में आयोजित एडवांटेज हेल्थ केयर एग्जिबीशन में विदेशी प्रायोजित क्रेताओं तथा संभावित घरेलू निर्यातकों के साथ रिवर्स क्रेता - विक्रेता बैठक (आरबीएसएम) का आयोजन किया।

अपने नियमित एजेंडा का विस्तार करने के लिए ईईपीसी इंडिया अंतर्राष्ट्रीय रुझानों एवं अवसरों के बारे में अपने सदस्यों को जानकारी प्रदान करने के लिए अनेक रिपोर्टें / अध्ययनों को प्रकाशित करता है ताकि वैश्विक स्तर पर उनकी उपस्थिति में वृद्धि हो सके।

भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद

भारत से काजू कर्नेल, काजू की गिरी, शेल लिक्विड तथा संबद्ध उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से काजू प्रसंस्करण उद्योग के सक्रिय सहयोग से वर्ष 1955 में भारत सरकार द्वारा भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसीआई) की स्थापना की गई। अस्तित्व में आने के बाद से ही परिषद विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए आवश्यक संस्थानिक रूपरेखा प्रदान कर रही है जो काजू कर्नेल, काजू की गिरी, शेल लिक्विड तथा संबद्ध उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित एवं घनीभूत करते हैं।

परिषद विस्तृत अध्ययन करती है और काजू के संभावित बाजारों से संबंधित व्यापार सूचना तथा अन्य ब्यौरे एकत्र करती है और उनको निर्यातकों को उपलब्ध कराती है। यह विभिन्न पक्षों से प्राप्त व्यापारिक पूछताछ का भी जवाब देती है तथा उनको अपने सदस्यों को अंतरित करती है। काजू एवं काजू उत्पादों पर वैश्विक व्यापार सूचना को नियमित आधार पर अपडेट किया जाता है।

परिषद के कार्यों में व्यापार शिष्टमंडलों के आयोजन / प्रायोजन, बाजार अध्ययन, ब्रांड संवर्धन कार्यक्रम, क्रेता - विक्रेता बैठक के माध्यम से निर्यात संवर्धन, विदेश में व्यापार मेलों में भाग लेना, बाजार सूचना प्रदान करना तथा निर्यात बढ़ाने के प्रयासों में हमारे काजू निर्यातकों को अन्य सभी सहायता प्रदान

करना शामिल है। परिषद कच्ची गिरी का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए काजू एवं कोको विकास निदेशालय के साथ निरंतर संपर्क में भी रहती है। परिषद प्रक्रिया उन्नयन / आधुनिकीकरण आदि के लिए निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के लिए नए उत्पादों के विकास के लिए नई परियोजनाओं में भी शामिल होती है।

परिषद विदेशों में विभिन्न बाजारों का मौके पर अध्ययन करने के लिए समय-समय पर व्यापार प्रतिनिधियों एवं अध्ययन टीमों को प्रायोजित करती है। ये टीमों वापस आने पर विजिट किए गए बाजारों, उसकी संभावना तथा रुझानों पर अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करती हैं जो संदर्भ सामग्री के रूप में काम करती है तथा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए आधार भी प्रदान करती है। इन टीमों / प्रतिनिधियों द्वारा बाजार के संबंध में एकत्र की गई सूचना व्यापार / उद्योग को प्रदान की जाती है।

परिषद सीधे तथा भारत सरकार के व्यापार संवर्धन सदस्यों के माध्यम से भी विदेशों में आयोजित विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय फूड फेयर एवं प्रदर्शनी तथा सामान्य मेलों में भाग लेती है। चूंकि परिषद पूरे उद्योग का प्रतिनिधित्व करती है, यह सदस्यों से प्राप्त उत्पादों को प्रदर्शित करने की व्यवस्था करती है। जो पूछताछ प्राप्त होते हैं उन्हें सदस्यों को परिचालित किया जाता है ताकि वे कारोबारी वार्ता के लिए विदेशी पक्षकारों से संपर्क कर सकें। उपर्युक्त के अलावा परिषद ने कैश्यू बुलेटिन नामक अपनी मासिक पत्रिका का प्रकाशन जारी रखा। इसने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों तथा व्यापार प्रतिनिधिमंडलों में प्रयोग के लिए विभिन्न भाषाओं में भारतीय काजू निर्यातक निर्देशिका 2017-18, ब्रोशर एवं फोल्डर का भी प्रकाश किया है। परिषद प्रक्रिया उन्नयन / आधुनिकीकरण आदि के लिए निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के लिए नए उत्पादों के विकास के लिए नई परियोजनाओं में भी शामिल होती है।

परिषद ने भारतीय पैकेजिंग संस्थान, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं आदि जैसी प्रतिष्ठित

अनुसंधान संस्थाओं के साथ मिलकर पैकेजिंग में सुधार, काजू के नए उत्पादों के विकास आदि के लिए अनेक शोध परियोजनाओं को प्रायोजित किया है।

कोल्लम में परिषद का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान संस्थान है जो एनएबीएल द्वारा प्रत्यायित है। आयात करने वाले देशों की आवश्यकताओं के अनुसार विश्लेषण का कार्य करने के लिए प्रयोगशाला में अधुनातन उपकरण एवं प्रौद्योगिकी उपलब्ध हैं। यह भारतीय काजू उद्योग को विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान करता है तथा देश में उत्पन्न तथा प्रोसेस किए गए काजू की गुणवत्ता की निगरानी करने में मदद करता है। इस प्रयोगशाला की सेवाएं न केवल भारत में काजू उद्योग के लिए उपलब्ध हैं अपितु भारत एवं विदेश में संपूर्ण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए भी उपलब्ध हैं। इस प्रयोगशाला को पैकेज्ड पेयजल के विश्लेषण के लिए बीआईएस द्वारा, प्रदूषकों के विश्लेषण के लिए केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई है तथा इसे अनुसंधान अध्ययन संचालित करने के लिए केन्द्र के रूप में कन्नूर विश्वविद्यालय द्वारा डाक्टोरल अनुसंधान केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

काजू कर्नेल तथा काजू गिरी शेल लिक्विड का निर्यात निष्पादन :

2017-18 के दौरान भारत से 84352 मीट्रिक टन काजू कर्नेल का निर्यात किया गया जिसका मूल्य 5870.97 करोड़ रुपए (911 मिलियन अमेरिकी डालर) था। इसमें से अमेरिकी क्षेत्र को 17.16 प्रतिशत, यूरोपीय क्षेत्र को 27.49 प्रतिशत, पश्चिम एशिया को 38 प्रतिशत, दक्षिण पूर्व एवं सुदूर पूर्व एशिया क्षेत्र को 16.21 प्रतिशत ओसियानिक क्षेत्र को 0.32 प्रतिशत तथा अफ्रीकी क्षेत्र को 0.50 प्रतिशत का निर्यात किया गया। डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता द्वारा प्रकाशित सांख्यिकी के अनुसार 2017-18 के दौरान देश के कुल निर्यात अर्जन में कृषि उत्पादों का शेयर 6.65 प्रतिशत है तथा इसमें काजू कर्नेल 6वें स्थान पर है जिसने 4.39 प्रतिशत का योगदान किया है। निर्यात के माध्यम से देश

के कुल अर्जन में इसका शेयर 0.30 प्रतिशत है।

2017-18 के दौरान भारत से 8,325 मीट्रिक टन काजू गिरी शेल लिक्विड (सीएनएसएल) का निर्यात किया गया जिसका मूल्य 32.63 करोड़ रुपए (5 मिलियन अमरीकी डालर) था।

कोरिया, चीन जनवादी गणराज्य, स्पेन, यूएसए, बेल्जियम आदि मुख्य बाजार थे।

पिछले 5 वर्षों के लिए काजू कर्नेल तथा काजू गिरी शेल लिक्विड के निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	काजू कर्नेल			काजू गिरी शेल लिक्विड			कुल (सीके + सीएनएसएल)		
	मात्रा (मीट्रिक टन में)	मूल्य (करोड़ रुपए में)	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में)	मात्रा (मीट्रिक टन में)	मूल्य (करोड़ रुपए में)	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में)	मात्रा (मीट्रिक टन में)	मूल्य (करोड़ रुपए में)	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में)
2014-15	118952	5432.85	888.59	10938	55.81	9.13	129890	5488.66	898
2015-16	96346	4952.12	756.40	11677	57.59	8.80	108023	5009.71	765
2016-17	82302	5168.78	771.00	11422	44.00	6.56	93724	5212.78	778
2017-18	84352	5870.97	910.79	8325	32.63	5.06	92677	5903.60	916
2018-19	66693	4433.99	636.61	5300	26.85	3.85	71993	4460.84	640

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

काजू की कच्ची गिरी का घरेलू उत्पादन एवं आयात

भारत काजू की कच्ची गिरी का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक बना हुआ है। 2017-18 के दौरान भारत में काजू की कच्ची गिरी का उत्पादन 8,17,045 मीट्रिक टन था। 2017-18 के दौरान काजू का उत्पादन करने वाले अन्य देशों से काजू की कच्ची गिरी का कुल 6,49,050 मीट्रिक टन आयात किया गया।

निर्यात / आयात नीति :

यद्यपि काजू की कच्ची गिरी का आयात ओजीएल के तहत बना रहा, 1 मार्च 2016 से आरसीएन के आयात पर 5 प्रतिशत का सीमा शुल्क लगाया गया और बाद में 2 फरवरी 2018 से यह शुल्क घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया। जीएसटी के तहत काजू तथा संबद्ध उत्पाद 5 प्रतिशत जीएसटी के तहत आते हैं। रोस्टेड, साल्टेड काजू कर्नेल 12 प्रतिशत जीएसटी के तहत आता है। काजू कर्नेल और सीएनएसएल के निर्यातक एफओबी मूल्य के 5 प्रतिशत की दर से

एमईआईएस के लिए पात्र हैं तथा रोस्टेड एवं साल्टेड कर्नेल के निर्यातक 7 प्रतिशत एमईआईएस के लिए पात्र हैं। ड्यूटी ड्राबैक की दर एफओबी मूल्य के 0.10 प्रतिशत पर बनी रही।

सम्मेलन / प्रदर्शनियां / व्यापार शिफ्टमंडल : परिषद ने वर्ष 2018-19 के दौरान निम्नलिखित प्रदर्शनियों / व्यापार मेलों में भाग लिया :

1. थाइफेक्स, थाईलैंड (29 मई, 2018 से 02 जून, 2018)
2. वर्ल्डफूड, मॉस्को (17 सितंबर, 2018 से 20 सितंबर, 2018)
3. एसआईएएल 2018, फ्रांस (21 अक्टूबर, 2018 से 25 अक्टूबर, 2018)
4. सीएटीएफ 2018, चीन (1 नवंबर, 2018 से 5 नवंबर, 2018)
5. फूड वीक कोरिया 2018, कोरिया (28 नवंबर, 2018 से 01 दिसंबर, 2018)

6. गल्फूड 2019, यूएई (17 फरवरी, 2019 से 21 फरवरी, 2019)

7. फूडेक्स 2019, जापान (05 मार्च, 2019 से 08 मार्च, 2019)

जेद्दा एवं रियाद में खाद्य और कृषि बीएसएम (19 नवंबर, 2018 से 22 नवंबर, 2018) में भी भाग लिया। सीईपीसीआई ने काजू इंडिया 2019 का भी आयोजन किया जो नई दिल्ली में 13 से 15 फरवरी 2019 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक काजू सम्मेलन था।

पता : भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसीआई) काजू भवन, मुंडक्कल पश्चिम, कोल्लम -691001, केरल

भारतीय तिलहन तथा उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी)

भारतीय तिलहन तथा उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी) का अधिदेश तिलहन, तेल और खली के निर्यात का विकास एवं संवर्धन करना है। भारतीय तिलहन तथा उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद, जो पहले आईओपीईए के नाम से विख्यात था, पिछले 6 दशक से अधिक समय से निर्यातकों की आवश्यकताएं पूरी कर रही है। निर्यात पर ध्यान केन्द्रित करने के अलावा परिषद भारत में तिलहनों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसानों, शेलर, प्रोसेसर, सर्वेयर एवं निर्यातकों को प्रोत्साहित करके घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने की दिशा में भी काम कर रही है। परिषद का अध्यक्ष इसका मुखिया है।

परिषद तिलहनों, खाद्य तेलों, खली तथा अपने क्षेत्राधिकार के अधीन अन्य उत्पादों पर अधिक जोर देती है। परिषद भारत में पैदा होने वाले तिलहनों की गुणवत्ता एवं उत्पादन में सुधार लाने की दिशा में काम करती है ताकि वैश्विक बाजारों की आवश्यकताओं से तालमेल स्थापित किया जा सके।

परिषद भारतीय किसानों में अच्छी कृषि प्रथाओं (जीएपी) को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यशालाएं भी आयोजित करती है तथा

एचएसीसीपी एवं अच्छी विनिर्माण प्रथाएं (जीएमपी) अपनाने के लिए प्रसंस्करण यूनितों के लिए प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करती है। परिषद ने आयात करने वाले देशों के गुणवत्ता संबंधी मानकों का पालन करने के लिए मूंगफली के निर्यात के उद्देश्य से जीएमपी के विभिन्न पहलुओं पर एक शिक्षापरक फिल्म का विकास किया है। परिषद ने जीएपी पर भी एक फिल्म का विकास किया है ताकि मूंगफली की पैदावार और गुणवत्ता में सुधार हो सके।

आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने तथा व्यापार एवं उद्योग के हितधारकों जैसे कि निर्यातकों, प्रोसेसर, व्यापारियों, दलालों तथा तिलहन एवं तेल क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं में गुणवत्ता के मुद्दों के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए भारत के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

निर्यात संवर्धन के उपाय (2018-19)

(क) क्षेत्रीय बैठक : भारत से तिल एवं मूंगफली के निर्यात के विकास एवं संवर्धन के उद्देश्य से यूरोपीय संघ के देशों तथा यूरोपीय संघ से भिन्न देशों को तिल के निर्यात, मूंगफली के निर्यात, गुणवत्ता के मुद्दों, व्यापार के मुद्दों, अच्छी विनिर्माण प्रथाओं (जीएमपी), अच्छी कृषि प्रथाओं (जीएपी), पादप संगरोध से जुड़े मुद्दों, कीटनाशकों के मुद्दे तथा जीएसटी के बारे में निर्यातकों, प्रोसेसर, व्यापारियों तथा दलालों जैसे विभिन्न हितधारकों को अवगत कराने के उद्देश्य से ग्वालियर, उंझा, राजकोट, आगरा और अहमदाबाद में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यशालाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	स्थान	राज्य	कार्यशाला की तिथि
1	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	27 अगस्त, 2017
2	उज्जैन	गुजरात	23 दिसंबर, 2017
3	राजकोट	गुजरात	06 जनवरी, 2018
4	आगरा	उत्तर प्रदेश	28 जनवरी, 2018
5	अहमदाबाद	गुजरात	19 मई 2017

अच्छी कृषि प्रथाओं (जीएपी) के तहत "तिल की खेती की प्रथाओं में सुधार" पर कच्छ (गुजरात) में 23 जून 2018 को किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया।

महाबलीपुरम, तमिलनाडु में वार्षिक व्यापार बैठक :

26 से 28 अक्टूबर 2018 के दौरान महाबलीपुरम, तमिलनाडु में आईओपीईपीसी की वार्षिक व्यापार बैठक हुई जिसमें उद्योग एवं व्यापार जगत से 250 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। वार्षिक व्यापार बैठक ने व्यापार, उद्योग के सदस्यों, विनियामकों, वैज्ञानिकों तथा सरकारी संस्थाओं के बीच नेटवर्किंग के लिए मंच प्रदान करने के अलावा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने, समाधान करने तथा संस्थानीकृत मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों को उत्कृष्ट मंच प्रदान किया। परिषद ने अपने सोवनीयर 2018 का भी विमोचन किया जिसमें सदस्यों के बारे में विस्तृत सूचनाएं हैं जो सभी हितधारकों के लिए रेडी रेकनर के रूप में काम करती है जिससे व्यवसाय के नए अवसर उत्पन्न होते हैं। भारत, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया, यूके से तिलहन व्यापार एवं उद्योग के विशेषज्ञों ने बाजारों, उत्पादन, मांग एवं आपूर्ति तथा तिल एवं मूंगफली के मूल्य की भविष्यवाणी पर समग्र विचार प्रस्तुत किया। "पारिवारिक व्यवसाय - उत्तरजीविता तथा अगली पीढ़ी के लिए सुझाव" तथा "निर्यात क्रेडिट जोखिम प्रबंधन" पर प्रख्यात भारतीय विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुतियां दी गई। आईओपीईपीसी के अधिकारियों / कर्मचारियों ने भी भारतीय तिल परिदृश्य के साथ वैश्विक एवं भारतीय मूंगफली परिदृश्य पर बहुत सूचनापरक विचार प्रस्तुत किया।

यूरोपीय संघ को तिल के निर्यात के लिए प्रक्रिया का कार्यान्वयन : भारत सरकार ने तिल के विकास एवं संवर्धन की जिम्मेदारी परिषद को सौंपी है। आईओपीईपीसी वैश्विक बाजारों में अच्छे तिलहन एवं तेल के संगत आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की छवि को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत से आयातित तिल की गुणवत्ता के संबंध में यूरोपीय संघ के सरोकारों के जवाब में आईओपीईपीसी को तिल के निर्यात की प्रक्रिया स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तदनुसार आईओपीईपीसी मालगोदामों एवं प्रसंस्करण यूनिटों को मान्यता प्रदान करता है जो यूरोपीय संघ को तिल का निर्यात करते हैं। परिषद यूरोपीय संघ को तिल के निर्यात के लिए निर्यात प्रमाण पत्र तथा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी जारी करती है।

खेत के स्तर पर एफलाटॉक्सिन तथा कीटनाशक से संबंधित मुद्दे का निराकरण : आयात करने वाले देश अन्य देशों द्वारा आपूर्त किए जाने वाले कृषि उत्पादों में एफलाटॉक्सिन (मूंगफली के मामले में), अवशिष्ट कीटनाशकों तथा अन्य रासायनिक एवं सूक्ष्म जैविक संदूषकों के बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं। एफलाटॉक्सिन को नियंत्रित करने तथा सुरक्षित एवं अनुमत कीटनाशकों का प्रयोग करने के लिए किसानों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से परिषद विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करती है (जैसे कि कार्यशालाएं, पंफलेट का वितरण) ताकि स्वयं खेत के स्तर पर समस्या न्यूनतम हो सके।

पूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करना : पूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने तथा व्यापार एवं उद्योग के हितधारकों जैसे कि निर्यातकों, प्रोसेसर, व्यापारियों, दलालों तथा तिलहन एवं तेल क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं में गुणवत्ता के मुद्दों के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए

भारत के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

परिषद के प्रमुख कार्यों में से कुछ का सारांश नीचे दिया गया है।

मेला एवं प्रदर्शनी :

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी की व्यवस्था करना, जिसमें से अधिकांश वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार की बाजार विकास सहायता (एमडीए) स्कीम के लिए पात्र हैं।
- विभिन्न बाजारों में निर्यात की संभावना के संबंध में आगंतुकों को शिक्षित करने के लिए घरेलू मेलों में भाग लेना।
- भारत में तथा विदेशी बाजारों में भी अनन्य क्रेता - विक्रेता बैठकों (बीएसएम) का आयोजन करके संभावित क्रेताओं के साथ संपर्क स्थापित करना।
- विदेशी बाजारों में अवसरों की तलाश करने के लिए अपने सदस्यों के शिफ्टमंडल के विदेशी दौरो की व्यवस्था करना।

सरकार तथा अन्य एजेंसियों के साथ संपर्क :

- अतीत में संघ के रूप में तथा निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) के रूप में, आईओपीईपीसी भारतीय तिलहन (मूंगफली सहित) के निर्यातकों, विदेशी क्रेताओं, भारत सरकार, भारत में तिलहन एवं खाद्य तेल की अनुसंधान एवं विकास एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों तथा वैश्विक स्तर पर अनेक अन्य आधिकारिक निकायों एवं प्राधिकरणों के लिए सामान्य फोरम के रूप में काम करती है।
- परिषद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यातकों की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से विभिन्न देशों में भारतीय दूतावासों, व्यापार निकायों

तथा संघों के साथ नियमित रूप से संचार करती है। परिषद भारत से अबाध निर्यात सुनिश्चित करने के लिए भारतीय प्राधिकरणों जैसे कि सीमा शुल्क, बैंक, डीजीएफटी, कृषि मंत्रालय, पादप एवं संघरोध प्राधिकरण के साथ मुद्दों को उठाती भी है।

वैश्विक बाजारों में हितों की रक्षा करना

- व्यापार विकृति के उपायों जैसे कि पाटनरोधी शुल्क, सुरक्षोपाय शुल्क का प्रतिवाद करके गंतव्य बाजारों में कारोबारी हितों की रक्षा की जाती है तथा परिषद भारतीय निर्यात को प्रभावित करने वाली गैर टैरिफ बाधाओं को दूर करने की दिशा में काम करती है।
- बहुपक्षीय स्तरों पर जैसे कि डब्ल्यू टी ओ, अंकटाड आदि ने परामर्श के दौरान परिषद भारत के तिलहनों तथा डेरिवेटिव उत्पादों के हितों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को इनपुट प्रदान करती है।
- परिषद निर्यातकों की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से विभिन्न देशों में भारतीय दूतावासों, व्यापार निकायों तथा संघों के साथ नियमित रूप से संचार करती है।

व्यापार बैठकों, सर्वेक्षणों एवं अध्ययनों का संचालन करना :

- अग्रिम में आपूर्ति एवं मांग की स्थिति का आकलन करने के लिए फसल सर्वेक्षण संचालित करना ताकि निर्यात की कारगर रणनीति तैयार की जा सके।
- बाजार सर्वेक्षणों का संचालन करना तथा विभिन्न क्लस्टर अध्ययनों, अनुसंधान रिपोर्टों एवं पत्रिकाओं के माध्यम से बाजार आसूचना प्रदान करना।

- तिलहन एवं तेल क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक, तकनीकी एवं मितव्ययी अनुसंधान को प्रोत्साहित करना एवं सहायता प्रदान करना।

प्रभावी विवाद निस्तारण तंत्र प्रदान करना

: परिषद बहुत कम लागत पर जल्दी से न्याय दिलाने और इस प्रकार एक उत्कृष्ट विवाद समाधान / निस्तारण तंत्र प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ के रूप में भी काम करती है।

प्रशिक्षण एवं उत्पादकता :

- इस क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों के तकनीकी कौशलों का उन्नयन करके उत्पादकता बढ़ाने के लिए परिषद पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है।
- कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए आधारभूत सुविधाओं तथा गुणवत्ता का उन्नयन
- प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता सुधार, मानक एवं विनिर्देशन, प्रमाणन जैसे कि एचएसीसीपी के क्षेत्रों में सदस्यों को पेशेवर सलाह एवं सेवाओं की पेशकश करना

सूचना का प्रसार :

- ई-मेल तथा मासिक समाचार बुलेटिन के माध्यम से सरकारी अधिसूचना / सार्वजनिक नोटिस / आदेश, सांख्यिकी, वैश्विक कार्यक्रमों, सरकारी योजनाओं, व्यापार से संबंधित पूछताछ तथा तिलहन एवं तेल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण लेखों का परिचालन।
- परिषद एक वार्षिक स्मारिका का भी प्रकाशन करती है जिसमें संक्षिप्त व्यापार सूचना तथा सदस्यों के संपर्क ब्यौरे प्रदान किए जाते हैं।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों एवं सम्मेलनों में भागीदारी : व्यापार मेला :

गल्फूड 2019 :

गल्फूड खाद्य सेवा एवं अतिथि सत्कार क्षेत्र के लिए मध्य पूर्व की अग्रणी समर्पित प्रदर्शनी है। यह कार्यक्रम उद्योग के आपूर्तिकर्ताओं को इस क्षेत्र का सबसे बड़ा केन्द्रीय व्यवसाय केन्द्र प्रदान करता है जहां वे अपने बेमिसाल उत्पादों एवं सेवाओं को प्रदर्शित करते हैं तथा गंभीर अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं से सीधे मुलाकात करने का अवसर प्राप्त करते हैं। यह मध्य पूर्व, अफ्रीका तथा दक्षिण एशिया के बाजारों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक खाद्य एवं अतिथि सत्कार कार्यक्रम है। परिषद ने 17 से 21 फरवरी 2019 के दौरान गल्फूड 2019 में अपने 4 सदस्य निर्यातकों की सफल भागीदारी का आयोजन किया। परिषद को 18 वर्गमीटर का स्थान आवंटित किया गया था। परिषद ने 4 निर्यातकों को टेबल स्पेस आवंटित किया तथा एक टेबल स्पेस अपने पास रखा। इस साल इस मेला में 98000 से अधिक ट्रेड विजिटर्स आए। हमारे स्टाल में आने वाले लोगों की संख्या 200 से अधिक थी।

सम्मेलन :

मूंगफली तथा तिल सम्मेलन, किंगदाओ, चीन : चाइना चैम्बर्स ऑफ कामर्स फॉर इंपोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट ऑफ फूड स्टफ, नेटिव प्रोड्यूस एण्ड एनिमल बाई प्राइकट (सी एफ एन ए) द्वारा चीन के किंगदाओ प्रांत में 12 से 14 सितंबर 2018 के दौरान मूंगफली तथा तिल सम्मेलन का आयोजन किया गया। आईओपीईपीसी की ओर से श्री संजय शाह, अध्यक्ष ने कार्यक्रम में भाग लिया तथा विश्व बाजार में तिल के अच्छे आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की छवि बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिभागियों के साथ अनेक चर्चाओं का आयोजन किया।

तिल पर अनेक प्रख्यात हस्तियों द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं। श्री संजय शाह ने "इंडियन सीसेम सीड आउटलुक फॉर 2018/19" और "इंडियन ग्राउंडनट आउटलुक फॉर 2018/19" पर प्रस्तुतियां दीं।

तिलहन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सूडान : परिषद ने 18 नवंबर 2018 को

खारतूम, सूडान में सूडान चैंबर ऑफ कामर्स द्वारा तिलहन पर आयोजित चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

दालों, तिलहनों तथा मसालों पर सम्मेलन, इथोपिया : अदिस अबाबा, इथोपिया में 23-24 नवंबर 2018 के दौरान दालों, तिलहनों और मसालों पर आयोजित होने वाले 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान विशिष्ट वक्ता के रूप में भाग लेने के लिए इथोपियाई दाल, तिलहन और मसाला प्रसंस्करण निर्यातक संघ (ईपीओएसपीईए) द्वारा परिषद को आमंत्रित किया गया है।

खरीफ 2018 के दौरान मूंगफली एवं तिल की फसलों का आईओपीईपीसी द्वारा खेत आधारित सर्वेक्षण :

आईओपीईपीसी ने गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में एसजीएस के माध्यम से खरीफ 2018 के दौरान मूंगफली की फसल का खेत आधारित सर्वेक्षण किया। परिषद ने गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एसजीएस के माध्यम से खरीफ 2018 के दौरान तिल की फसल का भी खेत आधारित सर्वेक्षण किया। दोनों तिलहनों के लिए रकबा पर सरकारी आंकड़ों को ध्यान में रखा गया।

तिलहन और तेल के संबंध में भारत के विदेश व्यापार की रुझानें :

अनुमान है कि पिछले वर्ष में 7648.82 करोड़ रुपए की तुलना में 2018-19 के दौरान तिलहन निर्यात क्षेत्र (परिषद के क्षेत्राधिकार में तिलहन) का आकार लगभग 8134.01 करोड़ रुपए होगा। निर्यात के परिप्रेक्ष्य से मूंगफली और तिल भारत के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण तिलहन हैं। 2018-19 के दौरान लगभग 47 प्रतिशत शेयर के साथ तिलहन के कुल निर्यात में मूंगफली के निर्यात का शेयर सबसे अधिक था, जबकि मात्रा की दृष्टि से तिलहन के कुल निर्यात में तिल का शेयर लगभग 30 प्रतिशत था।

पिछले वर्ष में 5,04,038 टन के निर्यात की तुलना में वित्त वर्ष अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के दौरान भारत से 4,88,233 टन

मूंगफली का निर्यात किया गया जो 3.14 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है। मूल्य की दृष्टि से भी वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 3386.30 करोड़ रुपए के निर्यात की तुलना में 3295.54 करोड़ रुपए की मूंगफली का निर्यात किया गया जो 2.68 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है।

भारत से मूंगफली के निर्यात के लिए इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और थाईलैंड प्रमुख बाजार हैं जिनका भारत से मूंगफली के कुल निर्यात में शेयर 70 प्रतिशत के आसपास है। मात्रा की दृष्टि से 2017-18 के दौरान 2,18,788 टन की तुलना में 2018-19 के दौरान इंडोनेशिया को 2,03,095 टन मूंगफली का निर्यात किया गया, जबकि फिलीपींस को पिछले वर्ष के दौरान 44,180 टन की तुलना में 47,064 टन का निर्यात किया गया जो लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। पिछले वर्ष के दौरान 50,781 टन की तुलना में 2018-19 के दौरान वियतनाम को 38,225 टन का निर्यात किया गया, जबकि मलेशिया को 2017-18 के दौरान 34,567 टन के निर्यात की तुलना में 29,967 टन का निर्यात किया गया। थाईलैंड और अल्जीरिया को 25,440 टन तथा 15,534 टन का निर्यात किया गया जो पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 135 प्रतिशत एवं 162 प्रतिशत अधिक है। 2017-18 के दौरान 14,769 टन की तुलना में 2018-19 के दौरान यूरोपीय संघ को भारतीय मूंगफली का निर्यात बढ़कर 15,481 टन हो गया।

पिछले वर्ष में 33,685 टन की तुलना में वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान भारत से 31,198 टन तिल का निर्यात किया गया जो 7.38 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है। तथापि, मूल्य की दृष्टि से वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 29,90.93 करोड़ रुपए की तुलना में 37,61.93 करोड़ रुपए मूल्य के तिल का निर्यात किया गया जो 25.75 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। अफ्रीका के कई देशों तथा बंगलादेश को चीन जो एकल सबसे बड़ा आयातक है, को निर्यात के लिए भारत की तुलना में 9 प्रतिशत आयात शुल्क लाभ मिल रहा है।

मात्रा की दृष्टि से 14.54 प्रतिशत शेयर के साथ भारतीय तिल के लिए वियतनाम शीर्ष गंतव्य है जिसके बाद 10.28 प्रतिशत शेयर के साथ कोरिया का स्थान है। वर्ष 2018-19 के दौरान यूएसए का शेयर 6.24 प्रतिशत और ताइवान का शेयर 5.27 प्रतिशत था।

2017-18 के दौरान 72939 टन की तुलना में 2018-19 के दौरान यूरोपीय संघ को 68713 टन भारतीय तिल का निर्यात किया गया।

(ग) वनस्पति तेल का निर्यात

वनस्पति तेल के निर्यात में अरंडी के तेल का दबदबा रहा तथा वर्ष 2018-19 के दौरान लगभग 673726 टन का निर्यात किया गया जिसका मूल्य 6806.41 करोड़ रुपए था जबकि पिछले वर्ष के दौरान 7,41,850 टन का निर्यात किया गया जिसका मूल्य 7236.31 करोड़ रुपए था। तिलहन और तेल के निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तिलहनों के निर्यात का ब्यौरा

(मात्रा हजार टन में तथा मूल्य करोड़ रुपए में)							
क्र. सं.	तिलहन	2018-19		2017-18		2016-17	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	तिल का बीज	311.99	3761.93	336.85	2990.93	307.33	2695.84
2	मूंगफली	488.23	3295.54	504.04	3386.30	725.71	5444.33
3	सरसों / राई	23.59	111.13*	17.29	76.40	14.48	68.25
4	नाइजर के बीज	13.37	95.50	9.21	69.86	14.07	117.22
5	कुसुम बीज	4.05*	18.58*	6.73	27.78	8.12	29.53
6	सूर्यमुखी बीज	2.23*	11.14*	5.61	22.61	2.66	11.15
7	सोयाबीन	186.25*	762.85*	275.35	1004.83	183.3	758.86
8	अलसी	10.70*	67.26*	10.04	64.53	5.92	48.8
9	कपास बीज	0.21*	10.08*	0.23	5.58	0.06	2.74
कुल		1040.62	8134.01	1165.35	7648.82	1261.65	9176.72
स्रोत : डीजीसीआईएस / एमओसी (अप्रैल - मार्च) * अप्रैल - फरवरी							

वनस्पति तेल के निर्यात का ब्यौरा

(मात्रा टन में तथा मूल्य करोड़ रुपए में)							
क्र. सं.	मदें	2018-19		2017-18		2016-17	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	मूंगफली का तेल	16984.25*	141.23*	12171.24	104.41	11169.38	120.38
2	तिल का तेल	9228.64*	165.53*	9452.22	140.22	9661.00	125.99
3	सूर्यमुखी एवं कुसुम का तेल	4093.96*	35.76*	3573.7	29.75	2807.12	27.17
4	सरसों एवं राई का तेल	3614.69*	47.17*	3354.57	44.51	2508.31	34.07
5	अलसी का तेल	255.38*	4.43*	249.76	4.47	281.47	4.89
6	अरंडी का तेल	619355.76	6169.94	697092.50	6730.00	599195.56	4521.51
7	पीनट बटर	12200.00	167.00	11664.00	146.25	8775.00	100.00
8	कॉटन ऑयल	938.92*	13.63*	507.15	6.51	1636.70	17.44
9	सोया तेल	7054.66*	61.72*	3785.13	30.19	419.95	4.60
	कुल	673726.26	6806.41	741850.27	7236.31	636454.49	4956.05
स्रोत : एमओसी / ट्रेड (अप्रैल - मार्च) * अप्रैल - फरवरी							

पता :

भारतीय तिलहन तथा उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी) 78/79, बजाज भवन, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021, महाराष्ट्र

फार्मास्युटिकल निर्यात संवर्धन परिषद (फर्मेक्सिल)

भारतीय फार्मा, जो अत्यधिक ज्ञान आधारित उद्योग है, निरंतर बढ़ रहा है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। 2018-19 के दौरान निर्यात में भारतीय फार्मा ने 10.72 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 19.13 बिलियन अमरीकी डालर का योगदान किया। भारतीय फार्मा भारत में ऐसे कुछ क्षेत्रों में से एक है जिसने वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी के बावजूद लगातार सकारात्मक वृद्धि दर का प्रदर्शन किया है। 55 प्रतिशत से अधिक फार्मा निर्यात अत्यधिक विनियमित बाजारों को होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एफडीए के यहां पंजीकृत ड्रग मास्टर फाइलों (डीएमएफ) में भारत का हिस्सा 37 प्रतिशत के आसपास है (3980 डीएमएफ और 4325 एएनडीए) जो संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर किसी देश का सर्वाधिक नंबर है। भारत को तकरीबन 1,597 उपयुक्तता प्रमाण पत्र (सीईपी), 1300 से अधिक टीजीए अनुमोदनों के साथ प्रत्यापित किया गया है तथा यूएस एफडीए द्वारा 700 साइटों को अनुमोदित किया गया है।

घरेलू विनिर्माण क्षेत्र का समर्थन करने वाली सरकार की अनेक औषधि नीतियों के फलस्वरूप 1970 के दशक में भारत के फार्मास्युटिकल विनिर्माण ने जोर पकड़ा जहां देशज प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया। देश शीघ्र ही न केवल आत्मनिर्भर बन गया बल्कि फार्मा उत्पादों का निर्यातक भी हो गया। भारत का फार्मास्युटिकल उद्योग बहुत ही विकसित है तथा चीन से कुछ आयात को छोड़कर अपने अधिकांश फार्मूलेशन के लिए अपने स्वयं के बल्क ड्रग एवं इंटरमीडिएट का स्रोत है।

जेनरिक दवाओं के लिए भारत को 'विश्व की फार्मेसी' के रूप में माना जाता है तथा सस्ती लागत पर कोटिपरक स्वास्थ्य देखरेख प्रदान

करने में इसे उत्कृष्टता प्राप्त है। भारत के पास प्रमाणित अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक क्षमता है जिन्हें अनेक ए एन डी ए अनुमोदनों, डी एम एफ फाइलिंग, यूएस एफडीए / यूके एमएचआरए अनुमोदित विनिर्माण सुविधाओं / जैव समतुल्यता केन्द्रों द्वारा आंका गया है। इनको किसी राष्ट्रीय फार्मा सेक्टर की क्षमता आंकने के लिए मुख्य संकेतक के रूप में माना जाता है। भारत विश्व के लगभग सभी देशों को एपीआई, इंटरमीडिएट, फार्मास्युटिकल फार्मूलेशन, जैव फार्मास्युटिकल, क्लीनिकल सेवाओं, चिकित्सा डिवाइसों, सर्जिकल, हर्बल, न्यूट्रास्यूटिकल, आयुर्वेदिक, होमियो, यूनानी उत्पादों, वेटेनरी दवाओं आदि का निर्यात करता है।

निर्यात की प्रवृत्तियों की प्रमुख विशेषताएं :

- भारत डीपीटी तथा बीसीजी के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की मांग का 65 प्रतिशत और खसरा के टीकों का 90 प्रतिशत उत्पादन करता है।
- शीर्ष 20 वैश्विक जेनरिक कंपनियों में से 8 कंपनियां भारत से हैं।
- भारत का 55 प्रतिशत से अधिक निर्यात उत्तरी अमेरिका, यूरोप, जापान आदि जैसे अत्यधिक विनियमित बाजारों को किया जाता है। भारत के लिए यूएसए निर्यात का सबसे बड़ा गंतव्य है। अफ्रीका के 6000 मिलियन अमरीकी डालर के जेनरिक बाजार में भारत का योगदान 50 प्रतिशत है।
- भारतीय विनिर्माताओं के लिए विपणन के विशाल अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। इसके अलावा संविदा अनुसंधान एवं विनिर्माण सेवा (सीआरएएमएस), नैदानिक अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव सूचना विज्ञान आदि के लिए आउटसोर्सिंग गंतव्य के रूप में भारत की संभावनाएं कौशल, लागत एवं प्रदायगी संबंधी लाभों के कारण प्रबल होती जा रही हैं।

फर्मा निर्यात के संवर्धन के लिए वाणिज्य विभाग / फर्मेक्सिल द्वारा शुरू की गई पहलें

(क) ब्रांड इंडिया फर्मा परियोजना :

अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय फर्मा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 2012 में शुरू की गई ब्रांड इंडिया फर्मा परियोजना 2018-19 में भी जारी है। आईबीईएफ की सहायता से फार्मेक्सिल ने सीपीएचआई वर्ल्ड वाइड, सीपीएचआई जापान जैसे अन्य प्रमुख कार्यक्रमों के अलावा दुबई में आयोजित अरब हेल्थ में ब्रांड संवर्धन की गतिविधियां संपन्न की है। ब्रांडिंग की गतिविधियों ने भारतीय फर्मा के लिए सामान्यतया सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न किया है तथा इन कार्यक्रमों में अच्छा रिसपांस प्राप्त करने में प्रतिभागियों की मदद की है।

(ख) एपीआई के आयात पर निर्भरता घटाना :

एपीआई के आयात पर निर्भरता कम करने तथा भारतीय एपीआई उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों को जारी रखते हुए वाणिज्य विभाग ने नीतियों / रोडमैप का निर्माण करने के लिए हितधारकों के साथ अनेक परामर्शों का आयोजन किया। फर्मेक्सिल ने इस विषय पर सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं, उद्योग तथा विद्वत जगत में अनेक परामर्श बैठकों का भी आयोजन किया। वाणिज्य विभाग ने एपीआई, इंटरमीडिएट तथा प्रमुख शुरुआती सामग्री के विनिर्माण के लिए अनन्य क्लस्टरों की स्थापना में शामिल करने के लिए फर्मास्युटिकल विभाग को प्रारूप फर्मा नीति 2017 पर अपनी टिप्पणियां प्रदान की है। वाणिज्य विभाग की वित्तीय सहायता से फर्मेक्सिल इस विषय पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है।

(ग) फर्मा निर्यात के लिए अधिप्रमाणन प्रणाली :

फर्मा निर्यात के लिए अधिप्रमाणन प्रणाली सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा रही है। लघु निर्यातकों के जायज सरोकारों को ध्यान में रखते हुए एसएमई को 1 जुलाई 2019 तक अभिभावक - बच्चा संबंध का अनुरक्षण करने

तथा डीएवीए पोर्टल पर डाटा अपलोड करने से छूट प्रदान की गई। निर्यातकों की शंकाओं को दूर करने तथा प्रणाली के अबाध कामकाज का सुनिश्चय करने के लिए आवधिक आधार पर एनआईसी, जीएस1 और फार्मेक्सिल द्वारा सेमिनारों / कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। हितधारकों के सरोकारों को दूर करने तथा फर्मास्युटिकल उत्पादों के निर्यात के लिए अधिप्रमाणन प्रणाली के उद्देश्य के अनुरूप सिफारिशें तैयार करने के लिए संयुक्त सचिव (ईपी - फर्मा), वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है जिसमें वाणिज्य विभाग, डीजीएफटी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सीडीएससीओ, फर्मेक्सिल, भारतीय फर्मास्युटिकल गठबंधन, भारतीय औषधि विनिर्माता संघ, एनआईसी और जीएस1 इंडिया के प्रतिनिधि शामिल हैं।

घ) टैरिफ से भिन्न व्यापार बाधाएं :

वाणिज्य विभाग / फार्मेक्सिल टैरिफ से भिन्न व्यापार बाधाओं जो सदस्यों द्वारा उनके पास लाई जाती हैं, को दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। उत्पादों का पंजीकरण करते समय ईराक कुछ देशों को तरजीही व्यवहार प्रदान कर रहा था। काफी आग्रह के बाद भारत को इस सूची में शामिल किया गया तथा उन देशों के समकक्ष माना गया।

ड.) उभरते बाजारों में पैठ :

- वाणिज्य विभाग / फार्मेक्सिल चीन जैसे कुछ प्रमुख बाजारों में भारत का शेयर बढ़ाने के लिए पहल कर रहे हैं। चीन द्वारा 28 उत्पादों पर ड्यूटी में कटौती के संबंध में हाल की घोषणा के बाद, चीन में सदस्यों का निर्यात बढ़ाने के लिए उनकी मदद करने के लिए परिषद द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :
- इन लाइनों के तहत शामिल कैसर रोधी दवाओं की सूची तथा छूट प्राप्त 28 टैरिफ मदों की सूची का परिचालन।

- अवसरों के बारे में भारतीय कंपनियों में जागरूकता पैदा करना तथा सीएफडीए के पास उत्पादों का पंजीकरण कराने के लिए उनका मार्गदर्शन करना ताकि चीन को अधिक निर्यात किया जा सके।
- शंघाई, चीन में 20 से 22 अगस्त 2018 के दौरान एक बी2बी बैठक का आयोजन तथा सीएफडीए के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन।
- फास्ट ट्रैक अनुमोदन के तंत्र का पता लगाने के अलावा चीन में विनियामक आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता पैदा करना।

भारतीय फार्माकोपिया (आईपी) की मान्यता के लिए प्रयास :

वाणिज्य विभाग की सहायता से फार्मेक्सिल ने शुरू में सार्क तथा अफ्रीकी देशों के लिए विशेष प्रयासों के साथ अन्य विकासशील देशों द्वारा भारतीय फार्माकोपिया के संवर्धन / मान्यता के लिए कदम उठाए हैं।

फार्मेक्सिल ने घाना एफडीए द्वारा आईपी की मान्यता के लिए उनके साथ वार्ता शुरू की। घाना से एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया और स्वास्थ्य विभाग, वाणिज्य विभाग तथा फार्मास्युटिकल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की तथा घाना के साथ मामले पर कार्रवाई की जा रही है। वाणिज्य सचिव के नेतृत्व में 25 और 26 अक्टूबर 2018 को अफगानिस्तान के दौरे के दौरान राष्ट्रीय दवा एवं स्वास्थ्य उत्पाद विनियामक प्राधिकरण (एनएमएचआरए), अफगानिस्तान से भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया।

च) आनलाइन सीओओ जारी करना

वाणिज्य विभाग तथा प्रशासन समिति की सलाह के अनुसार फार्मेक्सिल ने गैर तरजीही देशों के लिए उत्पत्ति प्रमाण पत्र (सीओओ) जारी करना शुरू किया। सदस्यों द्वारा परिषद की इस पहल की सराहना की जा

रही है तथा विभिन्न शहरों से अनेक सदस्यों ने इस सुविधा का प्रयोग करना शुरू कर दिया है।

छ) सीओपीपी की वैधता

उद्योग अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुरूप, इस समय दो साल की वैधता के साथ जारी किए जा रहे सीओपीपी के स्थान पर तीन साल की वैधता के साथ फार्मास्युटिकल उत्पाद प्रमाण पत्र (सीओपीपी) जारी करने के लिए अनुरोध कर रहा है। फार्मेक्सिल से अभिवेदन तथा वाणिज्य विभाग के आग्रह के आधार पर डीसीजीआई ने 8 मई 2018 से सीओपीपी की वैधता अवधि बढ़ाकर 3 साल करने के लिए अधिसूचना जारी की।

झ) बाजार एवं विनियामक रिपोर्टें

वाणिज्य विभाग के निदेश पर फार्मेक्सिल ने शीर्ष 20 निर्यातक देशों की बाजार विनियामक रिपोर्टें प्रकाशित की तथा अपनी सदस्य कंपनियों को परिचालित किया।

ञ) अरब हेल्थ

लगातार 12वीं बार फार्मेक्सिल ने जनवरी 2018 में दुबई में अरब हेल्थ में भारतीय मंडप का आयोजन किया। इस मंडप में फार्मास्युटिकल, न्यूट्रास्युटिकल, सर्जिकल उत्पादों आदि में व्यापार करने वाली 56 भारतीय कंपनियों ने भाग लिया।

ट) इफेक्स 2018

इफेक्स 2018 जिसका उद्घाटन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किया - भारतीय फार्मा क्षेत्र के लिए सबसे बड़े नेटवर्क कार्यक्रम के छठवें संस्करण का आयोजन 8 से 10 मई 2018 तक नई दिल्ली में किया गया जिसका उद्देश्य फार्मा तथा स्वास्थ्य देखरेख क्षेत्र को एक छतरी के नीचे लाना था। 500 भारतीय प्रदर्शकों, 120 देशों, 670 विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा आगंतुकों की संख्या 10 हजार थी।

ठ) सीपीएचआई चाइना 2018 :

फर्मेक्सिल ने 21 भारतीय कंपनियों के साथ 21 से 23 जून 2018 के दौरान इस कार्यक्रम में भारतीय मंडप का आयोजन किया।

फार्मेक्सिल तथा सीसीसीएमएचपीआईई, चीन के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन

फार्मास्युटिकल के क्षेत्र में सहयोग पर फार्मेक्सिल तथा सीसीसीएमएचपीआईई, चीन के बीच समझौता ज्ञापन अगस्त 2018 में निष्पादित किया गया। व्यवसाय के उद्यमों के लिए साझीदार ढूंढने तथा विनियामक प्रथाओं को समझने में दोनों पक्षों की फार्मा कंपनियों की मदद के लिए चीन और भारत में हेल्प डेस्क स्थापित किए गए।

(ड) मघरेब फर्मा एक्सपो :

मघरेब फर्मा एक्सपो अल्जीरिया जो अफ्रीकी क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, में प्रमुख फार्मा कार्यक्रमों में से एक है। भारतीय फर्मा निर्यातकों के लिए, विशेष रूप से एपीआई, न्यूट्रास्युटिकल्स, फार्मा मशीनरी निर्यातकों के लिए उपलब्ध अवसरों को ध्यान में रखते हुए फार्मेक्सिल ने 17 से 19 सितंबर 2018 के दौरान इस कार्यक्रम में भाग लिया। मंडप में 17 भारतीय निर्यातकों ने भाग लिया।

(ढ) ईरान फर्मा :

ईरान फार्मास्युटिकल सिंडीकेट हर साल एक फार्मा कार्यक्रम अर्थात् ईरान फार्मा का आयोजन करता है। ईरान में काफी संख्या में निर्मित फार्मलेशन विनिर्माण यूनिटें हैं। एपीआई निर्यातकों के लिए निर्यात के अच्छे अवसरों की उपलब्धता तथा भारतीय फार्मा विनिर्माताओं के लिए संविदा विनिर्माण के अवसरों को ध्यान में रखते हुए फार्मेक्सिल ने 24 से 27 सितंबर 2018 के दौरान इस कार्यक्रम में मंडप लगाया जिसमें 19 भारतीय कंपनियों ने भाग लिया।

(ण) एलएसी को व्यवसाय शिष्टमंडल :

लैटिन अमेरिका के देशों को भारतीय फार्मा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फार्मेक्सिल के सतत प्रयासों के अंग के रूप में 3 से 14 सितंबर 2018 के दौरान ब्राजील ग्वाटेमाला, होंडुरस में व्यवसाय शिष्टमंडल भेजे गए।

शिष्टमंडल में 21 भारतीय कंपनियों ने भाग लिया।

(त) सीपीएचआई वर्ल्डवाइड 2018

सीपीएचआई वर्ल्डवाइड अंतर्राष्ट्रीय फार्मा कार्यक्रमों में से एक है। वाणिज्य विभाग की सहायता से फार्मेक्सिल 2005 से इस कार्यक्रम में भाग ले रहा है। इस साल यह कार्यक्रम 9 से 11 अक्टूबर 2018 के दौरान मैड्रिड, स्पेन में आयोजित हुआ तथा परिषद ने भारतीय मंडप लगाया जिसमें 55 कंपनियों ने भाग लिया। यूके एमएचआरए के साथ मिलकर परिषद ने भारत - यूके तथा यूरोपीय संघ फार्मा समिट पर एक सेमिनार का आयोजन किया जहां भारत तथा यूके एवं यूरोपीय संघ के बीच फार्मा व्यवसाय के लिए चुनौतियों, अवसरों पर उद्योग, यूके एमएचआरए के प्रतिनिधियों ने प्रस्तुति दी।

(थ) सीआईएस देशों में प्रतिनिधि भेजना :

फर्मेक्सिल ने 17 नवंबर से 1 दिसंबर 2018 के दौरान सीआईएस देशों (रूस, तुर्कमेनिस्तान और यूक्रेन) में व्यवसाय प्रतिनिधि भेजने की व्यवस्था की। रूस के दौरे के दौरान प्रतिनिधि ने टाटार्सटन के राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बीएसएम / चर्चा बैठक में भी भाग लिया।

(द) सीपीएचआई इंडिया

सीपीएचआई इंडिया ने 12 से 14 दिसंबर 2018 के दौरान नई दिल्ली में आयोजन किया। फर्मेक्सिल ने 116 स्टाल (108 कंपनियों) के साथ मंडप का आयोजन किया। फर्मेक्सिल ने फर्मा उद्योग के लाभ के लिए फर्मा से संबंधित तकनीकी विषयों पर सेमिनारों / कार्यशालाओं का आयोजन किया।

(ध) वर्ल्ड आरोग्य कांग्रेस में आरबीएसएम :

फर्मेक्सिल ने अहमदाबाद में 18 से 20 दिसंबर 2018 के दौरान आयोजित वर्ल्ड आरोग्य कांग्रेस की पूर्व संध्या पर आरबीएसएम का आयोजन किया। बैठक के लिए 6 देशों से 19 विदेशी क्रेताओं को

आमंत्रित किया गया तथा 70 से अधिक भारतीय प्रतिनिधियों ने उनके साथ वार्ता की।

(न) अरब हेल्थ :

फर्मेक्सिल ने 28 से 31 जनवरी 2019 के दौरान दुबई, यूएई में आयोजित अरब हेल्थ में लगातार 13वें वर्ष भारतीय मंडप का आयोजन किया। फर्मेक्सिल के मंडप में 63 भारतीय कंपनियों ने भाग लिया।

(प) युगांडा और सूडान में इफेक्स अफ्रीका तथा आरबीएसएम

वाणिज्य विभाग की सहायता से फर्मेक्सिल ने 6 से 16 मार्च 2019 के दौरान नाइजीरिया में इफेक्स अफ्रीका के तीसरे संस्करण तथा युगांडा एवं सूडान में बीएसएम का आयोजन किया। 53 भारतीय कंपनियों ने इस समारोह में भाग लिया। तीनों स्थानों पर परिषद ने प्रतिभागियों के लाभ के लिए स्थानीय एफडीए के साथ बैठकों का आयोजन किया। तीन देशों में आयोजित कार्यक्रमों में उन देशों के माननीय स्वास्थ्य मंत्रियों ने भाग लिया। इफेक्स अफ्रीका, नाइजीरिया के उद्घाटन समारोह में महानिदेशक, नैफडाक मुख्य अतिथि थे। फर्मेक्सिल ने नैफडाक से आईपी को मान्यता प्रदान करने के लिए अनुरोध किया।

(फ) भारत के फार्मा निर्यात को बढ़ाने के लिए रणनीति :

क्षेत्रवार मुद्दों की पहचान, जिनके समाधान से निर्यात में वृद्धि हो सकती है, सहित भारत के फार्मा निर्यात को मजबूत करने के लिए हितधारकों साथ परामर्श करके एक रणनीति तैयार की गई है - इस रणनीति को विभिन्न विभागों के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है और हितधारकों के फीडबैक के आधार पर इसमें निरंतर संशोधन एवं सुधार किए जा रहे हैं।

वाणिज्यिक संबंध, व्यापार करार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन



वाणिज्यिक संबंध, व्यापार करार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन

I. एशिया के साथ व्यापार

दक्षिण एशिया और ईरान के साथ व्यापार

दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। दक्षिण एशिया के साथ भारत का व्यापार 2018-19 (पी) में 29.68 बिलियन अमरीकी डालर था जबकि 2017-18 में व्यापार 26.30 बिलियन अमरीकी डॉलर था। इस तरह, 12.87% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। वर्ष 2018-19 (पी) के लिए दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत का कुल निर्यात 25.34 बिलियन अमरीकी डॉलर था और अन्य दक्षिण एशियाई देशों से भारत का कुल आयात 4.33 बिलियन अमरीकी डॉलर था। भारत नेपाल और भूटान के लिए सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है जबकि भारत के लिए बांग्लादेश दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, उसके बाद नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान और मालदीव का स्थान आता है। दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसका सभी दक्षिण एशियाई देशों के साथ पर्याप्त व्यापार अधिशेष है।

दक्षिण एशिया में भारत की निर्यात मर्चें काफी विविध हैं। वर्ष 2018-19 (पी) में, निर्यात का अधिकतम हिस्सा इंजीनियरिंग उत्पादों का था, जिसने दक्षिण एशिया में कुल निर्यात में लगभग 33.8% का योगदान दिया - निर्यात में मुख्य रूप से परिवहन उत्पाद जैसे कि वाहन, विमान आदि (निर्यात का 12.7%), मशीनरी (निर्यात का 9.8%) और बेस मेटल

(निर्यात का 10.7%) शामिल थे। उसके बाद खनिज उत्पादों, मुख्यतया पेट्रोलियम उत्पादों का योगदान रहा, जिसने इस क्षेत्र को कुल निर्यात का 18.4% योगदान दिया। वस्त्र और वस्त्र उत्पादों ने दक्षिण एशिया में कुल निर्यात के 16.5% का योगदान दिया - जिसमें मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई देशों के वस्त्र क्षेत्र में आगे और विनिर्माण किए जाने के लिए कच्चा माल शामिल है, जो विकसित दुनिया को जीरो ऊ्यूटी निर्यात का फायदा उठाते हैं। कृषि उत्पादों जैसे कि वनस्पति उत्पाद, पशु उत्पाद, पशु और वनस्पति वसा और तैयार खाद्य पदार्थ का दक्षिण एशिया के कुल निर्यात में 12.7% हिस्सा रहा।

दक्षिण एशिया से आयात के प्रमुख हिस्से में इंजीनियरिंग उत्पाद आते हैं, जिनका 2018-19 (पी) में कुल आयात में 30.1% का योगदान रहा, जिसमें से सबसे बड़ा हिस्सा परिवहन उत्पादों का था। परिवहन उत्पादों में मुख्य रूप से ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म और एयरक्राफ्ट (आयात का 17.8%) शामिल थे। हालांकि, ड्रिलिंग प्लेटफॉर्मों का ऐसा आयात वर्ष के दौरान नियमित नहीं रहा था। उसके बाद कृषि उत्पादों का योगदान रहा, जिनका दक्षिण एशिया से कुल आयात में 27.2% का योगदान रहा, जिसमें मुख्य रूप से ताजे फल, मसाले, चाय, तिल और दालों के साथ सब्जी उत्पादों की प्रमुख हिस्सेदारी थी। आयात के अन्य प्रमुख क्षेत्र वस्त्र और वस्त्र उत्पाद (आयात का 20%) और खनिज उत्पाद (आयात का 10.9%) थे। वस्त्र निर्यातों के उलट, वस्त्र

आयातों में विविध प्रकार के कच्चे माल के साथ-साथ निर्मित उत्पाद दोनों शामिल थे।

अफगानिस्तान : भारत और अफगानिस्तान के बीच कार्यनीतिक साझेदारी करार के तहत, दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वाणिज्य सचिव के स्तर पर दोनों देशों के वाणिज्य और उद्योग के मंत्रालयों के बीच व्यापार, वाणिज्य और निवेश कार्यों पर एक संयुक्त कार्यदल (जेडब्ल्यूजी) कार्य करता है। जेडब्ल्यूजी की तीसरी बैठक 25 अक्टूबर, 2018 को काबुल में आयोजित की गई थी, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार और कनेक्टिविटी से जुड़े अनेक मुद्दों जैसे कि एक दूसरे के भूभाग में भूमि आधारित पारगमन, चाबहार बंदरगाह के माध्यम से कनेक्टिविटी, एयर-फ्रेट कॉरिडोर, फार्मास्यूटिकल उत्पादों के लिए बाजार पहुंच और अपरिष्कृत रत्नों की खरीद आदि पर चर्चा की गई। डब्ल्यूटीओ अध्ययन केंद्र (सीडब्ल्यूटीओएस) ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए 20 अफगान व्यापार अधिकारियों के पहले बैच का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। 20 अफगान अधिकारियों के दूसरे बैच के लिए प्रशिक्षण शुरू हो गया है।

बांग्लादेश : भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार करार में व्यापार और आर्थिक सहयोग के विस्तार के लिए व्यवस्था की गई है, लेकिन अन्य देशों में उत्पादों के आयात के लिए कोई अधिमान्य शुल्क की व्यवस्था नहीं की गई है। भारत ने शराब और तंबाकू से संबंधित 25 श्रेणियों को छोड़कर, सभी प्रशुल्क श्रेणियों के लिए साफ्टा के सबसे कम विकसित देशों (एलडीसी) को जीरो ड्यूटी पहुंच मुहैया किया गया है। एक

एलडीसी होने के नाते, बांग्लादेश को साफ्टा के तहत भारतीय बाजार में इस तरह की अधिमान्य पहुंच की सुविधा मिली हुई है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने 25-27 सितंबर 2018 को ढाका का एक अत्यधिक कामयाब दौरा किया। बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री के साथ हुई बैठक में दोनों देशों ने व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी से संबंधित पारस्परिक हित के भांति-भांति के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के अलावा माल, सेवाओं और निवेश को कवर करने वाले एक द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) करने की संभावनाओं पर एक संयुक्त अध्ययन शुरू करने, व्यापार और निवेश के मुद्दों के संबंध में नीतिगत स्तर का इनपुट प्रदान करने के लिए भारत-बांग्लादेश सीईओ फोरम के गठन में तेजी लाने, दोनों देशों के बीच सीमा व्यापार अवसंरचना विकास को बढ़ाने, बांग्लादेश के अधिकारियों की क्षमता का निर्माण करने आदि पर विचार-विमर्श किया गया।

बांग्लादेश में निर्यात को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले मुद्दों की पहचान करके और उनका निराकरण करके सुगम बनाया जा रहा है। कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप पेट्रोल एकिकृत सीमा चौकी पर निर्यात कार्गो निकासी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह सबसे महत्वपूर्ण लैंड बॉर्डर पार बिंदु है। बांग्लादेश को अन्य देशों की तुलना में न्यूनतम आयात मूल्य के अधिरोपण में अंतरों को दूर करने और कई लैंड बॉर्डर पार बिंदुओं पर बंदरगाह प्रतिबंधों में ढील देने के लिए राजी किया गया है। इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि सभी बंदरगाह प्रतिबंधों को हटा दिए जाएं।

भारत और बांग्लादेश ने स्थानीय बाजारों के माध्यम से स्थानीय उपज के विपणन की पारंपरिक प्रणाली की स्थापना करके दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की भलाई को बढ़ावा देने के लिए बॉर्डर हाट की स्थापना की है। चार (4) अवस्थानों पर मौजूदा बॉर्डर हाटों के अलावा, दोनों देश छह (6) अतिरिक्त बॉर्डर हाट स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं, जिसके लिए संयुक्त निरीक्षण पूरा हो चुका है। बॉर्डर हाटों पर संयुक्त समिति की 22-23, जुलाई, 2018 को अगरतला में आयोजित पहली बैठक में, दोनों पक्षों ने पहले से ही सहमत छह (6) बॉर्डर हाटों के अलावा 2019 में छह (6) नए बॉर्डर हाट की स्थापना, एक समय सीमा के भीतर, करने पर सहमति व्यक्त की।

भूटान : भारत और भूटान के बीच का व्यापार, व्यापार, वाणिज्य और पारगमन पर द्विपक्षीय करार के द्वारा शासित होता है, जो दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार को विहित करता है। भूटान से किसी भी उत्पाद के आयात या भूटान को निर्यात पर कोई बुनियादी सीमा शुल्क नहीं लगाया जाता है। इसके अलावा, व्यापार भारतीय रुपए और भूटानी मुद्रा (नगुल्टम) में किया जाता है। इस करार में स्थलरुद्ध भूटान को पारगमन सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था की गई है ताकि वह तीसरे देशों के साथ अपना व्यापार कर सके और भारतीय भूभाग के माध्यम से भूटान के एक हिस्से से दूसरे इलाके में माल की आवाजाही कर सके।

वाणिज्य सचिव के स्तर पर भारत और भूटान के बीच व्यापार और पारगमन संबंधी मुद्दों पर एक बैठक 17-18 मई, 2018 को थिम्पू, भूटान में आयोजित की गई थी, जिसमें रेलवे

के माध्यम से भूटान के पारगमन व्यापार के लिए नेपाल के साथ प्रवेश बिंदु खोलने, वनस्पति उत्पादों के आयात के लिए प्रवेश के अतिरिक्त बिंदुओं, भारतीय व्यापारियों को पेश आ रही दिक्कतों, आदि जैसे कई प्रकार के व्यापार और पारगमन संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।

भूटान के अनुरोध पर और द्विपक्षीय व्यापार की सुविधा के लिए, कुछ स्थल सीमा शुल्क स्टेशनों (एलसीएस) को अतिरिक्त रूप से वनस्पति और वनस्पति उत्पादों के आयात के लिए प्रवेश बिंदुओं के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि सीमा पार बिंदुओं पर अवसंरचनात्मक और प्रक्रियात्मक समस्याओं की पहचान करके और उनका निराकरण करके भूटान से खाद्य वस्तुओं और वनस्पति एवं वनस्पति उत्पादों के निर्यात को सुकर किया जाए।

जैसा कि भूटान द्वारा अभिचिह्नित किया गया है, इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि जीएसटी लागू होने के कारण द्विपक्षीय और पारगमन व्यापार को प्रभावित करने वाले मुद्दों का विश्लेषण किया जाए और उनका समाधान किया जाए।

नेपाल : भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार भारत-नेपाल व्यापार संधि द्वारा संचालित होता है, जिसे पिछली बार 27 अक्टूबर 2016 को आगे और सात वर्षों की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया था। संधि के तहत, भारत ने तम्बाकू, इत्र और सौंदर्य प्रसाधन और शराब से संबंधित कुछ उत्पादों को छोड़कर, नेपाल से आयातित लगभग सभी उत्पादों के लिए शुल्क मुक्त पहुंच की सुविधा प्रदान की है। कुछ प्रशुल्क दर कोटा नेपाल से चार उत्पादों - वनस्पति

वसा, एक्रिलिक यार्न, कॉपर उत्पादों और जिंक ऑक्साइड के आयात पर लागू होते हैं। दोनों देश व्यापार संधि की व्यापक समीक्षा करने पर सहमत हुए हैं। समीक्षा के लिए दो बैठकें अगस्त 2018 और फरवरी 2019 में आयोजित की गईं और जिन मुद्दों की समीक्षा की जानी थी, उनकी पहचान की गई।

भारत नेपाल के लिए पूर्वनिर्दिष्ट तृतीय देश के माल को और अपने भूभाग के माध्यम से नेपाली वस्तुओं का निर्यात तृतीय देशों को करने के लिए पारगमन सुविधा की अनुमति भी देता है। पारगमन भारत-नेपाल पारगमन संधि द्वारा शासित होता है, जिसके तहत एक सुपरिभाषित प्रक्रिया के तहत पूर्वनिर्दिष्ट मार्गों के माध्यम से माल का पारगमन होता है। भारत ने कोलकाता/हल्दिया बंदरगाह के अलावा नेपाल के लिए आवागमन के लिए विशाखापट्टनम बंदरगाह के उपयोग की अनुमति दी है। तीन अतिरिक्त प्रवेश बिंदुओं के माध्यम से रेल मार्ग के जरिए थोक कार्गो के पारगमन की सुविधा के लिए चर्चा चल रही है। पारगमन के उद्देश्य से अंतर्देशीय जलमार्ग का उपयोग करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

द्विपक्षीय व्यापार, पारगमन और अनधिकृत व्यापार से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करने के लिए एक द्विपक्षीय तंत्र के रूप में, एक अंतर-सरकारी समिति (आईजीसी) दोनों देशों के वाणिज्य सचिवों के स्तर पर कार्य करती है। आईजीसी के अलावा, एक अंतर-सरकारी उप-समिति (आईजीएससी) भी संयुक्त सचिव के स्तर पर कार्य करती है। आईजीएससी और आईजीसी की बैठकें काठमांडू में क्रमशः 24-25 अप्रैल 2018 और 26-27 अप्रैल, 2018 को आयोजित की गईं, जहां दोनों पक्षों ने कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की जैसे कि मानकों

का सुमेलीकरण, आयुर्वेदिक उत्पादों, सीमेंट, अदरक आदि से संबंधित बाजार पहुंच मुद्दे, पारगमन संधि की समीक्षा, पारगमन के लिए अतिरिक्त बंदरगाहों की पहचान करना, संयुक्त व्यापार मंच का गठन आदि।

दोनों पक्ष भारत - नेपाल सीमा पर एकीकृत सीमा चौकी (आईसीपी) के विकास सहित व्यापार के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कई परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। रक्सौल और जोगबनी स्थित आईसीपी पहले से ही क्रियाशील हैं और व्यापार की मात्रा सहित कई कारकों के आधार पर इस तरह के विकास के लिए अन्य अवस्थानों की पहचान की गई है।

द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए गए। नेपाल से ताजे अदरक के आयात के लिए आयात लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट देने के नेपाल के अनुरोध को अदरक के लिए आयात नीति में संशोधन करके पूरा किया गया। आईपीआर उल्लंघन, फार्मास्युटिकल उत्पादों के लिए बाजार पहुंच के मुद्दों, निर्यात आगम की प्राप्ति से संबंधित मुद्दों, भारतीय उत्पादों पर अत्यधिक शुल्क, एचएस 2017 में परिवर्तन के कारण होने वाले वर्गीकरण मुद्दों, आदि जैसे भारतीय निर्यातों को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए उनकी पहचान की गई और ये सभी मुद्दे नेपाल के विचाराधीन हैं।

भारत-नेपाल संयुक्त व्यापार मंच, प्रत्येक पक्ष के दस सदस्यों के साथ, व्यापार और निवेश लिंकेजों पर चर्चा करने और उन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए गठित किया गया है।

श्रीलंका : भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार (आईएसएफटीए) 1 मार्च, 2000 से क्रियाशील

है। इस करार के तहत, दोनों देशों ने उन वस्तुओं को छोड़कर जो एक दूसरे की नकारात्मक सूची में हैं, एक निश्चित समय सीमा के भीतर एक-दूसरे से व्यापार शुल्क समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की। भारत ने 556 लाइनों (मुख्य रूप से वस्त्रों से संबंधित) जिन पर 25% शुल्क रियायतें दी जाती हैं और 430 उत्पादों जिन पर कोई रियायत नहीं दी जाती है, को छोड़कर लगभग सभी लाइनों पर शुल्क-मुक्त पहुंच प्रदान की है। भारत द्वारा श्रीलंका से परिधान, चाय, काली मिर्च, सूखे नारियल और वनस्पति, बेकरी शॉर्टनिंग और मार्जरीन के आयात पर प्रशुल्क दर कोटा निर्धारित किया गया है। आईएसएलएफटीए के तहत श्रीलंका ने लगभग सभी उत्पादों के लिए शुल्क-मुक्त पहुंच सुविधा प्रदान की है। 1220 उत्पाद इसके अपवाद हैं जिन पर आईएसएलएफटीए के तहत कोई प्रशुल्क रियायत नहीं दी गई है।

दोनों देश एक प्रस्तावित आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग करार (ईटीसीए) के माध्यम से व्यापक आर्थिक अनुबंध पर चर्चा कर रहे हैं। प्रस्तावित ईटीसीए वस्तुओं में व्यापार के अलावा सेवाओं, निवेश और आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग में व्यापार को कवर करेगा। पाठ आधारित बातचीत चल रही है।

व्यापार से जुड़े उभर कर आने वाले अन्य मुद्दों का समाधान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

ईरान : वर्तमान में, ईरान के साथ कोई द्विपक्षीय व्यापार करार नहीं है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और ईरान इस्लामी गणराज्य में उद्योग, खान एवं व्यापार मंत्रालय के बीच

एक संयुक्त कार्यदल (जेडब्ल्यूजी) वाणिज्य सचिव के स्तर पर कार्य कर रहा है। जेडब्ल्यूजी की पिछली बैठक में, दोनों पक्ष अधिमान्य व्यापार करार (पीटीए) के लिए पाठ-आधारित वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। वार्ता जारी है।

पीटीए के लिए वार्ता के दो दौर जनवरी 2019 और मार्च 2019 में आयोजित किए गए थे। वार्ता के इन दौरों के दौरान पीटीए के पाठ पर विस्तृत चर्चा की गई थी और पाठ के काफी हिस्से को अंतिम रूप दे दिया गया था। पेशकश और अनुरोध सूचियों को अंतिम रूप देने के लिए हितधारक परामर्श किए जा रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप भारत-ईरान द्विपक्षीय व्यापार को प्रभावित करने वाली उभर कर सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

पाकिस्तान : भारत और पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय करार नहीं है। द्विपक्षीय व्यापार मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) पर हुए करार के तहत होता है। हाल के दिनों में व्यापार संबंधी मुद्दों पर कोई द्विपक्षीय बैठक नहीं हुई है। हालांकि, द्विपक्षीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले उद्योग द्वारा अभिज्ञात किए गए मुद्दों को राजनयिक चैनलों के माध्यम से पाकिस्तान के साथ उठाया जा रहा है।

16 फरवरी 2019 को, भारत ने पाकिस्तान से उद्भूत होने वाले या निर्यात किए जाने वाले सभी उत्पादों पर 200% का सीमा शुल्क अधिरोपित किया।

मालदीव : भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोनों देशों के बीच एक

व्यापार करार द्वारा संपन्न होता है। करार में अन्य देश में उत्पादों के आयात के लिए कोई अधिमान्य शुल्क विहित नहीं किया गया है, और केवल द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए एक सुकरकारी तंत्र है।

करार के प्रावधानों के तहत, भारत मालदीव के लिए आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करने की सुविधा देता है। इस उद्देश्य के लिए संगत अधिसूचनाएं जून 2018 में प्रोसेस और जारी की गईं।

II. पूर्वी एशिया के साथ व्यापार

आसियान

परिचय

भारत ने पूर्वी एशियाई देशों के साथ अधिक घनिष्ट संबंध कायम करने की दृष्टि से 1991 में 'लुक ईस्ट पालिसी' की घोषणा की थी। वर्ष 2014 में, इस नीति को 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' में सतरोन्नत कर दिया गया जिसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र में विस्तारित पड़ोस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के आर्थिक सहयोग संघटक का निराकरण करने के लिए आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन) देशों नामतः ब्रुनेई, दारुससैलम, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पी डी आर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपीन्स, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के साथ निरंतर संवाद बनाए रखा जाता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के एजेंडे को पूरा करने के लिए शिखर स्तर की बैठकें, मंत्रिस्तरीय बैठकें और आधिकारिक स्तर की चर्चाएं आयोजित की जाती हैं।

व्यापार फ्रेमवर्क

आसियान के साथ करार

भारत और आसियान ने 13 अगस्त 2009 को भारत और आसियान के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) की विस्तृत रूपरेखा के तहत माल व्यापार के लिए करार पर हस्ताक्षर किया है। यह करार आसियान के सभी सदस्य देशों तथा भारत के बीच 1 जनवरी, 2010 को पूर्णतः क्रियाशील हो गया है। भारत और आसियान के सदस्य देशों ने सेवाओं में व्यापार संबंधी करार और निवेश संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए हैं। ये करार 1 जुलाई, 2015 से प्रभावी हो गए हैं।

भारत-सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए)

सिंगापुर के साथ प्रथम व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सी ई सी ए) पर 29 जून, 2005 को हस्ताक्षर किए गए थे जो 1 अगस्त, 2005 से क्रियाशील हुआ था। 1 अक्टूबर 2007 को भारत - सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग करार की पहली समीक्षा संपन्न हुई। भारत-सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) की दूसरी समीक्षा के निष्कर्ष की घोषणा 1 जून 2018 को की गई और दूसरी समीक्षा के आधार पर सीईसीए में संशोधन करने वाले प्रोटोकॉल के प्रावधान 14 सितंबर 2018 को लागू हुए। भारत-सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) की तीसरी समीक्षा 1 सितंबर 2018 को शुरू की गई।

भारत-मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार

मलेशिया के साथ एक व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) पर 18 फरवरी 2011 को हस्ताक्षर किया गया और यह 1 जुलाई 2011 से क्रियाशील हुआ। सीईसीए के तहत, भारत और मलेशिया ने वस्तुओं में व्यापार पर आसियान-भारत करार के तहत

उनके द्वारा पेश की गई प्रतिबद्धताओं से अतिरिक्त प्रतिबद्धताओं की पेशकश की है।

भारत-थाईलैंड मुक्त व्यापार करार

भारत और थाईलैंड ने भारत - थाईलैंड मुक्त व्यापार करार स्थापित करने के लिए 9 अक्टूबर 2003 को एक रूपरेखा करार पर हस्ताक्षर किए। इस रूपरेखा करार के अंतर्गत एक शीघ्र लुनाई योजना है और इसमें आपसी हित की 83 मदें शामिल हैं जिनके लिए दोनों पक्षों ने चरणबद्ध तरीके से प्रशुल्क रियायतें देकर 1 सितंबर 2006 तक प्रशुल्क में 100% कमी करने पर सहमति व्यक्त की है।

सीएलएमवी (कम्बोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम) क्षेत्र के लिए परियोजना विकास निधि

सीएलएमवी क्षेत्र में भारतीय निवेश को सुकर करने के लिए 500 करोड़ रुपये के कोष के साथ परियोजना विकास निधि (पीडीएफ) का सृजन किया गया है। पीडीएफ को एक्ज़िम बैंक के माध्यम से संचालित किया जाना है। पीडीएफ का उपयोग ऐसी परियोजनाओं की पहचान करने के लिए किया जाएगा, जो रीजनल वैल्यू चेन (आरवीसी) का समर्थन करे और भारतीय कंपनियों को आरवीसी के साथ एकीकृत करने में मदद करे। इस पहल के तहत अभिचिह्नित परियोजनाओं को सीएलएमवी देशों में विशेष प्रयोजन साधनों (एसपीवी) के माध्यम से समाविष्ट किया जाएगा। पीडीएफ की निगरानी और प्रशासन अंतर-मंत्रालय समिति (आईएमसी) द्वारा किया जा रहा है। एक्ज़िम बैंक द्वारा किए गए पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन के अनुसार, मल्टी-स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स/मेडिकल कॉलेज/शैक्षिक संस्थान/फार्मास्युटिकल मैनुफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना करने के लिए आईएमसी द्वारा अप्रैल

2017 में सीएलएमवी क्षेत्र में चार परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार कर ली गई हैं और आगे का कार्य चल रहा है।

भारत और आसियान के बीच और अधिक व्यापार को सुकर करने के लिए घटित हुई प्रमुख घटनाएं

- **भारत-सिंगापुर सीईसीए की समीक्षा :** भारत और सिंगापुर ने संयुक्त रूप से भारत-सिंगापुर सीईसीए की **दूसरी समीक्षा** संपन्न कर ली है, जिसे दोनों पक्षों द्वारा आधिकारिक तौर पर 1 जून 2018 को घोषित किया गया था। भारत और सिंगापुर अग्रलिखित बातों के लिए सहमत हो गए हैं: i) प्रशुल्क रियायतों के कवरेज का विस्तार करना; ii) उत्पत्ति के नियमों का उदारीकरण करना; iii) अत्यल्पता का उपबंध शामिल करना; और iv) नए उत्पाद विशिष्ट नियम बनाना। ये सुधार हमारे व्यापारियों के लिए और अधिक सुनम्य सुविधा देंगे, और इनसे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारत-सिंगापुर सीईसीए की **तीसरी समीक्षा** 1 सितंबर 2018 को शुरू की गई है। सीईसीए की व्यापक समीक्षा यह सुनिश्चित करेगी कि यह एक ऐसा अद्यतनीकृत करार बना रहे जो भारत और सिंगापुर के बीच के आर्थिक संबंधों को मजबूत करे।
- **सिंगापुर के साथ नर्सिंग पर परस्पर मान्यता करार (एमआरए) पर हस्ताक्षर :** भारतीय नर्सिंग परिषद और सिंगापुर नर्सिंग बोर्ड ने नर्सिंग पेशेवरों की आवाजाही को सुकर करने और नर्सिंग के प्रशिक्षण और अनुशीलन को विनियमित करने में एक-दूसरे के मानकों को बेहतर ढंग से समझने के लिए नर्सिंग

पर परस्पर मान्यता करार पर हस्ताक्षर किए हैं। सिंगापुर ने एमआरए के तहत सात भारतीय नर्सिंग संस्थानों को मान्यता प्रदान की है, जो भारतीय नर्सों के लिए सिंगापुर हेल्थकेयर सेक्टर तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह भारत को आसियान में अन्य देशों के साथ इसी तरह की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

- **ब्रुनेई के साथ द्विपक्षीय बैठक :** भारत और ब्रुनेई के बीच संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक 5 सितंबर 2018 को बंदर सेरी बेगावान, ब्रुनेई में आयोजित की गई थी।
- **वियतनाम के साथ द्विपक्षीय बैठक :** वियतनाम के साथ व्यापार पर चौथे संयुक्त उप-आयोग की बैठक सचिव स्तर पर 23 जनवरी 2019 को वियतनाम में हुई।
- **5वां भारत सीएलएमवी बिजनेस कॉन्क्लेव :** वाणिज्य विभाग द्वारा वाणिज्य मंत्रालय, कम्बोडिया के साथ कंबोडिया में 20-22 मई 2018 के दौरान 5वें भारत सीएलएमवी बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। यह पहली बार हुआ जब इस कार्यक्रम को भारत के बाहर सीएलएमवी देशों में से एक देश में आयोजित किया गया। इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और इसने भारत और सीएलएमवी देशों के बीच एक नई शुरुआत की।
- **चौथा भारत-आसियान एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2019 :** चौथा भारत आसियान एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2019 नई दिल्ली में 21-23 फरवरी 2019 को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन 21 फरवरी 2019 को आसियान देशों के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, व्यापार मंत्रियों और

सचिव स्तर के अधिकारियों एवं आसियान के महासचिव द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इस आयोजन ने निवेशकों, बिजनेस लीडरों, उद्योगों के शीर्ष व्यक्तियों और नीति निर्माताओं को, आपसी व्यापार और निवेश को आगे और सुविधाजनक बनाने में उनके जुड़ाव को और सुदृढ़ करने का एक आदर्श मंच प्रदान किया। बिजनेस लीडरों को अपने समकक्षों के साथ निकटतापूर्वक अंतःक्रिया करने और समेकित बी2बी संबंधों का अवसर प्रदान करने के लिए 23 फरवरी 2019 को क्रेता-विक्रेता बैठकें भी आयोजित की गईं।

आसियान व्यापार

- वर्ष 2017-18 के दौरान आसियान देशों के साथ भारत का व्यापार 81.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2018-19 (अंतिम) के दौरान 96.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। क्षेत्र में भारत के निर्यात और आयात के लिए प्रमुख गंतव्य-स्थान सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड हैं।
- **निर्यात और आयात की प्रमुख वस्तुएं - आसियान**
निर्यात की प्रमुख वस्तुओं में पेट्रोलियम उत्पाद, जहाज, नाव और फ्लोटिंग संरचनाएं, गोजातीय मांस, कार्बनिक रसायन, समुद्री उत्पाद और लोहा एवं इस्पात शामिल हैं। आयात की प्रमुख वस्तुओं में कोयला, कोक और ब्रिकेट, वनस्पति तेल, दूरसंचार उपकरण, पेट्रोलियम कूड; और कार्बनिक रसायन शामिल हैं।

आसियान क्षेत्र के लिए व्यापार के देश-वार आंकड़े

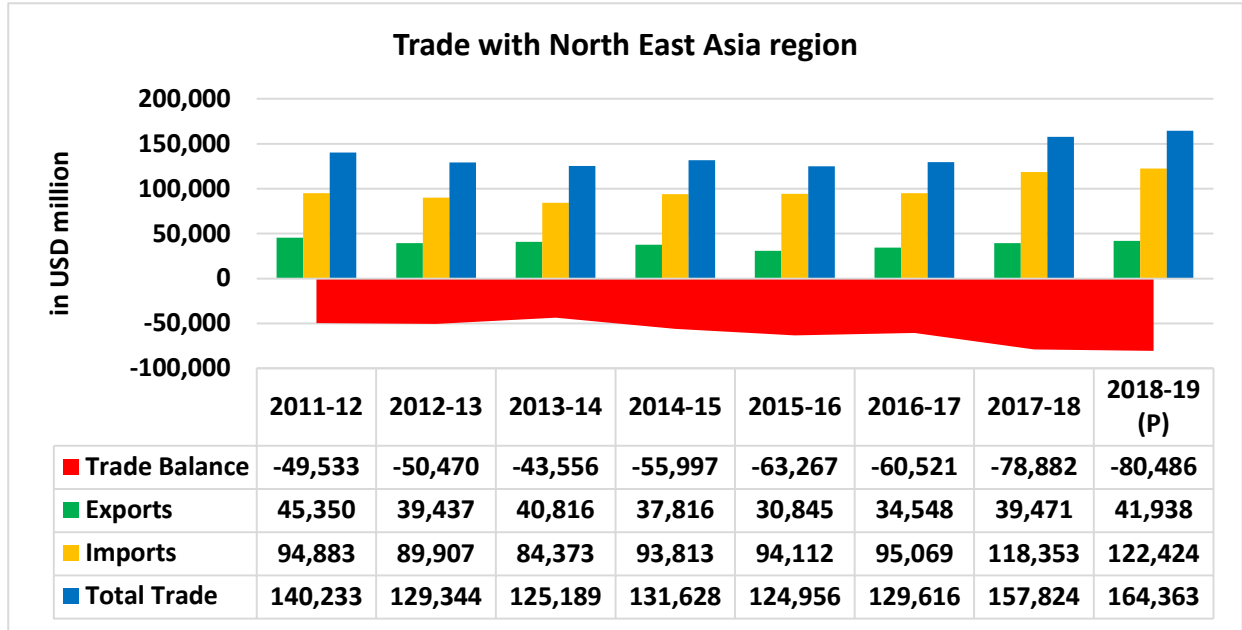
(मूल्य मिलियन अमेरिकी डालर में)

क्र. सं.	देश	2017-18			2018-2019 (अनंतिम)		
		निर्यात	आयात	कुल व्यापार	निर्यात	आयात	कुल व्यापार
1	ब्रुनेई	63.19	434.83	498.01	56.19	591.10	647.30
2	कम्बोडिया	121.41	55.84	177.24	195.97	42.63	238.60
3	इंडोनेशिया	3,965.56	16,438.80	20,404.36	5,278.49	15,848.54	21,127.02
4	लाओ पीडी गणराज्य	25.00	168.63	193.64	39.38	1.04	40.41
5	मलेशिया	5,701.59	9,011.58	14,713.17	6,431.88	10,791.83	17,223.71
6	म्यांमार	966.19	639.64	1,605.84	1,205.20	521.49	1,726.69
7	फिलीपीन्स	1,692.83	764.36	2,457.20	1,743.63	581.10	2,324.74
8	सिंगापुर	10,202.94	7,466.99	17,669.93	11,568.65	16,281.59	27,850.23
9	थाईलैंड	3,653.83	7,134.46	10,788.29	4,433.54	7,441.81	11,875.36
10	वियतनाम समाजवादी गणराज्य	7,813.08	5,018.55	12,831.64	6,507.41	7,192.23	13,699.64
कुल		34,205.62	47,133.68	81,339.32	37,460.34	59,293.36	96,753.70
भारत का कुल		3,03,526.16	4,65,580.99	7,69,107.15	3,29,536.16	5,13,085.86	8,42,622.02
% हिस्सा		11.27	10.12	10.58	11.37	11.56	11.48

उत्तर पूर्व एशिया के साथ व्यापार

वर्ष 2018-19 के दौरान उत्तर पूर्व एशिया (इसमें इसके बाद एनईए) क्षेत्र के साथ 164.36 बिलियन अमेरिकी डालर का व्यापार हुआ। इस तरह, पिछले वर्ष की तुलना में 4.14% की वृद्धि हुई। उत्तर पूर्व एशिया क्षेत्र में चीन लोक गणराज्य, हांगकांग, कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया), जापान, ताइवान, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (उत्तर कोरिया), मंगोलिया और मकाओ शामिल हैं। 2018-19 के दौरान एनईए क्षेत्र में

निर्यात 41.93 बिलियन अमेरिकी डालर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.25% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज करता है। 2018-19 के दौरान इस क्षेत्र से आयात 3.44% बढ़कर 122.42 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया। 2018-19 के दौरान एनईए देशों के साथ व्यापार घाटा 2017-18 के 78.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 80.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। एनईए देशों के साथ 2011-12 से 2017-18 तक का व्यापार ग्राफ में निम्नानुसार दिया गया है :

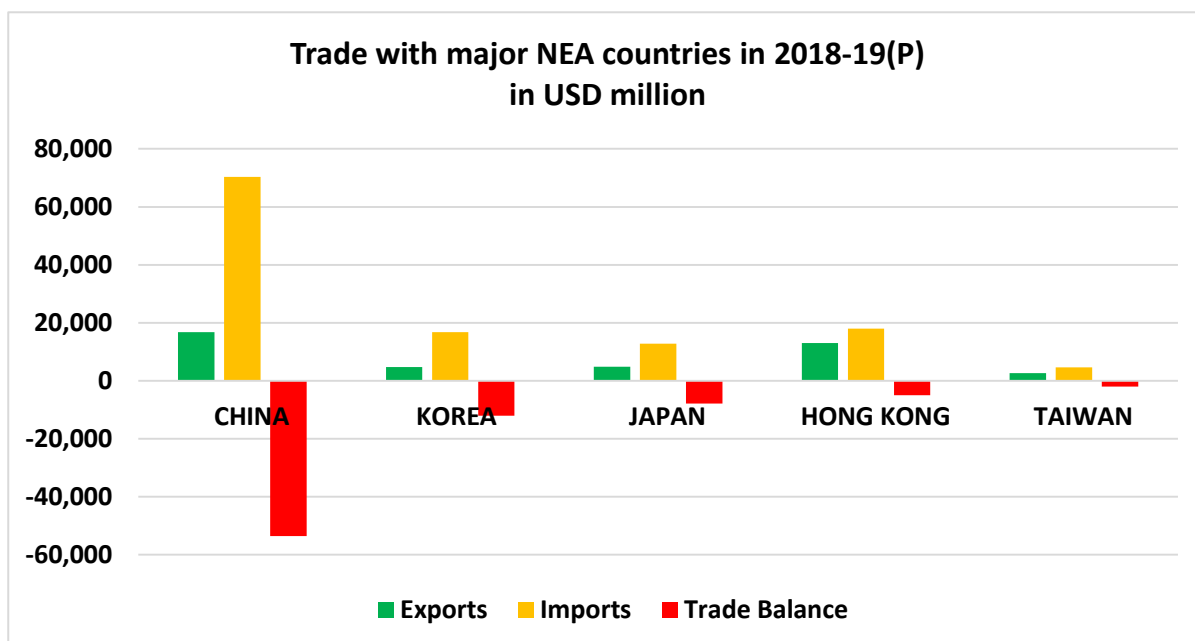


2018-19 (अनंतिम) के लिए एनईए देशों के साथ व्यापार आंकड़े

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

देश	निर्यात 2017-18	निर्यात 2018-19 (पी)	आयात 2017-18	आयात 2018-19	कुल व्यापार 2017-18	कुल व्यापार 2018-19 (पी)	% वृद्धि	व्यापार संतुलन 2017-18	व्यापार संतुलन 2018-19 (पी)
उत्तर पूर्व एशिया									
ताइवान	2,157.29	2,607.54	3,926.25	4,577.22	6,083.53	7,184.76	18.1	-1,768.96	-1,969.68
चीन लोक गणराज्य	13,334.42	16,750.30	76,380.70	70,318.05	89,715.11	87,068.35	-2.95	-63,046.28	-53,567.74
हांगकांग	14,690.27	12,962.78	10,675.98	17,987.01	25,366.25	30,949.78	22.01	4,014.29	-5,024.23
जापान	4,734.75	4,861.15	10,973.35	12,772.66	15,708.10	17,633.81	12.25	-6,238.60	-7,911.51
कोरिया डीपी गणराज्य	57.55	27.00	25.08	3.30	82.63	30.29	-63.34	32.47	23.7
कोरिया गणराज्य	4,462.14	4,705.58	16,361.77	16,758.76	20,823.92	21,464.35	3.07	-11,899.63	-12,053.18
मकाओ	13.89	1.06	8.3	6.29	22.19	7.35	-66.88	5.6	-5.24
मंगोलिया	20.49	22.81	1.72	1.01	22.21	23.82	7.24	18.77	21.8
उ.पू. एशिया का कुल	39,470.79	41,938.22	1,18,353.14	1,22,424.29	1,57,823.93	1,64,362.51	4.14	-78,882.35	-80,486.07

(स्रोत : डीजीसीआईएस)



एनईए क्षेत्र के साथ वस्तु संरचना

एनईए क्षेत्र के साथ भारत के व्यापार की वस्तु संरचना में कई बदलाव हुए हैं और यह व्यापार नीति, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मूवमेंट और घरेलू मांग के बदलते पैटर्न के द्वारा संचालित हुआ है। निर्यात की प्रमुख वस्तुओं में मोती, कीमती, अर्ध-कीमती पत्थर, पेट्रोलियम उत्पाद, कार्बनिक रसायन, सूती धागे और समुद्री उत्पाद शामिल हैं

क्षेत्र से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में दूरसंचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स घटक, डेयरी के लिए औद्योगिक मशीनरी आदि, कार्बनिक रसायन और लोहा एवं इस्पात शामिल हैं।

व्यापार करार

भारत - कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए)

भारत और कोरिया गणराज्य के बीच 7 अगस्त 2009 को एक व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए गए थे जो 1 जनवरी 2010 से लागू हुआ। दोनों पक्षों ने 2016 में सीईपीए के उन्नयन के लिए बातचीत शुरू की। वार्ता अभी भी चल रही है और छठे दौर की वार्ता 20-21 जून, 2018 को नई दिल्ली में और 7वें दौर की वार्ता 11-12 दिसंबर, 2018 को सियोल में हुई। चल रही वार्ता के एक हिस्से के रूप में जुलाई 2018 में एक शुरुआती हार्वेस्ट पैकेज पर हस्ताक्षर किए गए थे।

भारत - जापान व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए)

भारत और जापान के बीच एक व्यापक आर्थिक साझेदारी करार (सीईपीए) पर 16 फरवरी 2011 को हस्ताक्षर किए गए थे जो 1 अगस्त 2011 से लागू हुआ। सीईपीए के संस्थागत तंत्र के तहत, संयुक्त समिति की 5वीं बैठक दिसंबर 2018 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

व्यापार संबंधी हाल के कार्यकलाप

i. चीन :

- भारत और चीन के बीच उच्चतम स्तर पर चार बैठकें 27-28 अप्रैल, 2018 को वुहान में, जून 2018 में किंगदाओ में, जुलाई 2018 में जोहान्सबर्ग में (10वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ-साथ) और ब्यूनस आयर्स में 30 नवंबर -1 दिसंबर, 2018 (जी-20 बैठक के साथ-साथ) के बीच आयोजित की गईं जिसने भारत-चीन व्यापार संबंधों में सुधार का मार्ग प्रशस्त किया।
- शीर्ष स्तर पर हुई बैठकों के उपरांत वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में चार अंतर-मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडलों द्वारा क्रमशः जून 2018, अगस्त 2018, नवंबर 2018 और जनवरी 2019 में बैठकें की गईं। बाजार पहुंच मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उप मंत्री, चीन सीमा शुल्क सामान्य प्रशासन (जीएसीसी) की अगुआई में छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 28.11.2018 को भारत का दौरा किया।
- चीनी प्राधिकारियों के साथ इन बैठकों से बाजार पहुंच के लंबे समय से लंबित कुछ मुद्दों का समाधान हुआ और चीन को भारतीय उत्पादों के निर्यात के लिए कई प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। एक दशक से अधिक समय के बाद भारतीय चावल के निर्यात पर प्रोटोकॉल में गैर-बासमती चावल को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया, और जून 2018 में किंगदाओ में दोनों नेताओं की

उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। उसके बाद 24 भारतीय चावल मिलों को चीन में भारतीय चावल के निर्यात के लिए पंजीकृत किया गया है। जनवरी, 2019 तक लगभग 1000 मीट्रिक टन गैर-बासमती चावल के शुरुआती दौर के आर्डरों को निष्पादित कर दिया गया था। 28 नवंबर 2018 को भारतीय फिश मील/फिश ऑयल के निर्यात पर एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिससे चीन को फिश मील/फिश ऑयल का निर्यात संभव हो सका। चीन को फिश मील/फिश ऑयल का निर्यात करने के लिए चार संयंत्र पंजीकृत किए गए हैं, और उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार तब से फिश मील के लगभग 21 कंटेनरों (5.5 करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य के साथ लगभग 700 मीट्रिक टन) को पहले से ही चीन भेज दिया गया है। तंबाकू पत्तों के निर्यात के लिए प्रोटोकॉल पर जनवरी 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे, और भारतीय तम्बाकू बोर्ड के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भारतीय तम्बाकू के निर्यात के लिए बी2बी वार्ता सम्पन्न करने के लिए चीन का दौरा करेगा।

- चीन को रेपसीड मील का निर्यात, जिसे वर्ष 2012 में रोक दिया गया था, भी खोला गया और वर्ष 2018 में, चीनी जीएसीसी ने चीन को रेपसीड मील की आपूर्ति करने के लिए 6 भारतीय रेपसीड मिलों को मंजूरी दी है।
- कई बी2बी बातचीत आयोजित की गई हैं, जिसमें चीन में भारतीय शुगर को बढ़ावा देने के लिए 1.6.2018 को एक संगोष्ठी और क्रेता-विक्रेता बैठक (बीएसएम), 19 सितंबर, 2018 को बीजिंग में तिलहन मील पर बीएसएम का आयोजन शामिल हैं। तिलहन मील पर

आयोजित बीएसएम में नाफेड के नेतृत्व में 20 सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया, चावल पर बीएसएम 29 अक्टूबर 2018 को बीजिंग में और 31 अक्टूबर 2018 को शंघाई में आयोजित किया गया, जिसमें एपीडा के नेतृत्व में निर्यातकों ने भाग लिया, और 27-29 नवंबर 2018 को मुंबई में अंगूर पर एक बीएसएम आयोजित किया गया।

- एफटी (एनईए) डिवीजन ने अमेरिका-चीन व्यापार का विश्लेषण किया ताकि अमेरिका द्वारा चीन को निर्यात किए जाने वाले उन लाइनों की तलाश की जा सके, जिनके चल रहे अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध के परिणामस्वरूप अमेरिका पर चीन द्वारा अधिरोपित प्रतिशोधी प्रशुल्क के परिणामस्वरूप विस्थापित होने की संभावना है। इस कवायद का उद्देश्य उन लाइनों की पहचान करना था जिनका प्रशुल्क अंतर-पणन का फायदा उठाने के लिए भारत द्वारा उपयोग किया जा सकता है। विभाग ने उन विशिष्ट लाइनों पर भारतीय निर्यातकों और अन्य हितधारकों के साथ बैठकों की एक श्रृंखला शुरू की जिनमें अमेरिकी उत्पाद अब चीन में उच्च प्रशुल्क का सामना करते हैं, और जहां भारत एक मजबूत निर्यातक है। 20.9.2018 और 12.10.2018 को हितधारकों की बैठकें इन अभिज्ञात लाइन्स के निर्यातकों को सुग्राही बनाने और चीन में हमारे निर्यात को बढ़ाने हेतु इस अवसर का उपयोग बी2बी बैठकों को सुकर करने के लिए की गई।
- इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, इस वित्त वर्ष 2018-19 में चीन को हमारा निर्यात, वित्त वर्ष 2017-18 के 13.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बढ़कर 16.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। कुछ उल्लेखनीय वस्तुएं जिनमें वृद्धि हुई

उनमें अंगूर जिनमें 200% की वृद्धि देखने को मिली, समुद्री उत्पाद जिनमें 350% की वृद्धि हुई, प्लास्टिक और कच्चे माल जिनमें 188% की वृद्धि हुई, कच्चे कपास जिनमें 153% की वृद्धि हुई, और कार्बनिक रसायन जिसमें पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2018 के दौरान 81% की वृद्धि हुई, शामिल हैं। व्यापार घाटा भी 2017-18 में 63 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम होकर 2018-19 में 53.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

ii. कोरिया :

- 8-11 जुलाई, 2018 के दौरान कोरिया गणराज्य (आरओके) से भारत में एक उच्चस्तरीय राजकीय दौरा किया गया। इस दौरे के मौके पर, व्यापार उपाय सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन और भावी कार्यनीति समूह पर एक समझौता ज्ञापन पर 9 जुलाई 2018 को भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री और कोरिया गणराज्य के व्यापार, उद्योग और ऊर्जा मंत्री द्वारा हस्ताक्षर किए गए। व्यापार उपाय सहयोग पर समझौता ज्ञापन व्यापार उपायों जैसे कि एंटी-डंपिंग, सब्सिडी और प्रतिकारी और सुरक्ष उपायों के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा जो द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को और सुदृढ़ करेंगे। भारत-कोरिया भावी कार्यनीति ग्रुप की स्थापना करने के लिए समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भावी प्रौद्योगिकियों का संयुक्त रूप से उपयोग करना और सतत विकास और जीवन की बेहतर गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए अनुप्रयुक्त विज्ञान और औद्योगिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। भारतीय पक्ष की

और से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ-साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भावी कार्यनीति ग्रुप में भाग लेंगे।

- भारत और कोरिया ने माल और रूल्स ऑफ ऑरिजिन में प्रशुल्कों को सुव्यवस्थित करने की संभावना का पता लगाने और सेवाओं, व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए 2016 में सीईपीए के उन्नयन के लिए वार्ता शुरू की। दोनों देशों के मंत्रियों ने जुलाई 2018 में मुलाकात की, और प्रत्येक देश की घरेलू अनुमोदन प्रक्रिया के अधीन शीघ्र लुनाई पैकेज पर सहमति व्यक्त की। भारत-कोरिया सीईपीए के उन्नयन के लिए अब तक सात दौर की वार्ता हुई है जिसमें 7वें दौर की वार्ता सियोल में 11-12 दिसंबर, 2018 को आयोजित हुई है।
- वर्ष 2016 के आखिरी दिनों में कोरिया द्वारा भारतीय आमों के लिए बाजार पहुंच प्रदान की गई। परिणामतः, कोरिया के लिए आमों का निर्यात 2015-16 के 'शून्य' से बढ़कर 2017-18 में 66.58 मीट्रिक टन हो गया।

(iii) जापान :

- 28-29 अक्टूबर, 2018 के दौरान जापान में उच्चस्तरीय राजकीय यात्रा संपन्न हुई। दोनों नेताओं ने नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया और विश्व व्यापार संगठन में सुधार की तत्काल आवश्यकता को साझा किया, ताकि संधारणीय वृद्धि और विकास प्राप्त करने के लिए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का कामकाज और सुदृढ़ हो और मुक्त, निष्पक्ष एवं खुले व्यापार को बढ़ावा मिले।
- जेसीएम दिसंबर 2018 में आयोजित किया गया था, जिसमें इस बात पर सहमति व्यक्त की गई थी कि भारत-जापान

सीईपीए के तहत उत्पाद विशिष्ट नियमों में संशोधन को प्रभावी बनाने के लिए जापान के साथ राजनयिक नोट्स का आदान-प्रदान किया जाए जिसके परिणामस्वरूप सुरिमी मछली का निर्यात संभव हुआ (गैर-उत्पत्ति वाले योगज को उत्पत्ति वाला माने जाने के साथ)।

(iv) ताइवान :

- दिसंबर 2018 में प्राधिकृत इकोनोमिक ऑपरेटर्स पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था, जिससे भारत और ताइवान के बीच व्यापार किए गए वस्तुओं का सुचारू एवं त्वरित अनुमोदन सुनिश्चित होने की उम्मीद है।
- हमारे व्यापारिक समुदायों के बीच व्यापार संबंधों को सुविधाजनक बनाने के लिए आईटीपीओ और टीआईआईटीआरए के बीच जनवरी 2018 में हस्ताक्षरित एमओयू के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में टीआईआईटीआरए ने नई दिल्ली में भारत में अपना चौथा कार्यालय खोला और 17-19 मई, 2018 के दौरान प्रगति मैदान, नई दिल्ली में ताइवान एक्सपो 2018 सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इसमें इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित किया गया था।
- भारत और ताइवान के बीच दिसंबर 2018 में नए द्विपक्षीय निवेश करार पर हस्ताक्षर किए गए जो ताइवान के निवेश को कहीं अधिक व्यापक सुरक्षा प्रदान करेगा।
- ताइवान के साथ व्यापार पर चौथे कार्यदल (डब्ल्यूजीटी) की बैठक ताइपे ताइवान में 14.1.2019 को आयोजित की गई।

III. उत्तर अमरीका मुक्त व्यापार करार व्यापार (नाफ्टा) के साथ व्यापार

1994 में उत्तर अमरीका मुक्त व्यापार करार (नाफ्टा) प्रभावी हुआ जिससे विश्व के सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्रों में से एक का सृजन हुआ

जिसमें संयुक्त राज्य अमरीका (यू एस ए), कनाडा और मैक्सिको शामिल हैं। भारत की नाफ्टा देशों के साथ मजबूत कार्यनीतिक साझेदारी है और द्विपक्षीय संबंध हमेशा घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहे हैं। इन देशों के साथ नियमित रूप से उच्चस्तरीय दौरे हो रहे हैं और दोनों पक्षों के नेताओं ने कार्यनीतिक साझेदारी को बढ़ाने तथा इसे और प्रगाढ़ करने और मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार को बढ़ाने का संकल्प लिया है। वस्तुओं

और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार में कालांतर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। जबकि भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष है, वहीं मैक्सिको और कनाडा के साथ इसका व्यापार घाटा है। पिछले 6 वर्षों में वस्तुओं में भारत के द्विपक्षीय व्यापार (निर्यात और आयात) के संबंध में आंकड़े।

(मिलियन अमरीकी डालर में)

देश		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (अप्रैल-मार्च)
कनाडा	निर्यात	2,038	2,196	2,019	2,004	2,506	2,850.88
	आयात	3,148	3,749	4,234	4,132	4,729	3,489.92
	कुल व्यापार	5,186	5,945	6,253	6,136	7,235	6,341
मैक्सिको	निर्यात	2,228	2,862	2,865	3,461	3,783	3,841.55
	आयात	3,672	3,393	2,283	2,944	3,930	5,577.03
	कुल व्यापार	5,900	6,255	5,148	6,405	7,713	9,419
यूएसए	निर्यात	39,158	42,464	40,340	42,217	47,882	52,421.88
	आयात	22,505	21,815	21,781	22,307	26,611	35,299.28
	कुल व्यापार	61,663	64,279	62,121	64,524	74,493	87,721
नाफ्टा देशों के साथ कुल व्यापार	निर्यात	43,424	47,522	45,224	47,682	54,171	59,114
	आयात	29,325	28,957	28,298	29,383	35,270	44,366
	कुल व्यापार	72,749	76,479	73,522	77,065	89,441	103,480.54
दुनिया के साथ भारत का कुल व्यापार	निर्यात	3,14,405	3,10,338	2,62,291	2,75,852	3,03,526	3,29,536
	आयात	4,50,200	4,48,033	3,81,008	3,84,357	4,65,581	5,13,086
	कुल व्यापार	7,64,605	7,58,372	6,43,299	6,60,209	7,69,107	8,42,622
भारत के कुल व्यापार में नाफ्टा देशों के साथ व्यापार का हिस्सा (%)		9.51	10.08	11.43	11.67	11.63	12.28%
भारत के कुल निर्यात में नाफ्टा देशों को निर्यात का हिस्सा (%)		13.81	15.31	17.24	17.29	17.85	17.94%

भारत का नाफ्टा देशों के साथ सेवाओं में व्यापार अधिशेष भी है। तीनों नाफ्टा देशों के साथ सोच-विचार किए जाने वाले व्यापार मुद्दों पर चर्चा करने और उनका निराकरण करने के लिए निम्नलिखित द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र स्थापित किए गए हैं।

अमेरिका (यूएसए)

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से दो संस्थागत तंत्र हैं।

1. भारत - यूएस वाणिज्यिक वार्ता : व्यापक श्रेणी के आर्थिक क्षेत्रों में व्यापार को सुगम बनाने और निवेश के अवसरों को अधिक से अधिक करने के लिए यूएसए के वाणिज्य विभाग तथा भारत के वाणिज्य विभाग के बीच एक सांस्थानिक करार के रूप में 23 मार्च 2000 को भारत - यूएसए वाणिज्यिक वार्ता (सीडी) पर हस्ताक्षर किए गए। वर्ष 2015 में 'वाणिज्यिक वार्ता' और 'कार्यनीतिक वार्ता' का विलय करके 'कार्यनीतिक एवं वाणिज्यिक वार्ता (एस & सीडी)' बनाया गया और सितंबर 2015 में भारत - यूएस सामरिक एवं वाणिज्यिक वार्ता की पहली बैठक वाशिंगटन डी सी में और दूसरी बैठक अगस्त, 2016 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारत-अमेरिका मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) फोरम वाणिज्यिक वार्ता के एजेंडे को निर्देशित करने वाला संघटनात्मक योजक का निर्माण करता है। व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित करने के लिए, वाणिज्यिक वार्ता को अब एस एण्ड सीडी से

हटा दिया गया है और इसका पुनर्गठन किया गया है ताकि व्यापार नीति फोरम और वाणिज्यिक वार्ता के तहत निपटाए गए विषयों के दोहराव और अतिव्याप्ति से बचा जा सके।

वाणिज्यिक वार्ता का तीसरा सत्र अक्टूबर, 2017 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया था। भारतीय पक्ष का नेतृत्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री सुरेश प्रभु और अमेरिका से अमेरिकी वाणिज्य विभाग के सचिव श्री विल्बर रॉस ने किया था। वर्ष 2005 के बाद से कुल अमेरिकी-भारत व्यापार में शानदार तीन गुना वृद्धि को देखते हुए, दोनों पक्षों ने संयुक्त आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और समृद्धि को बढ़ावा देने में अमेरिका-भारत संबंध के महत्वपूर्ण कार्यनीतिक और आर्थिक महत्व की पुष्टि की।

सीईओ फोरम के साथ चौथी भारत - यूएस वाणिज्यिक वार्ता 2019 नई दिल्ली में 14 फरवरी, 2019 को माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई। यूएस के वाणिज्य सचिव, मि. विल्बर रॉस ने बैठक के दौरान यू.एस. से टेलीकांफ्रेंस के माध्यम से इसमें भाग लिया। मानक सहयोग, पर्यटन सहयोग और व्यावसायिक परिवेश और निवेश में प्रगति के कई क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हुए दोनों पक्षों ने अमेरिकी और भारतीय व्यवसायों के लिए व्यापार और निवेश के नए अवसरों को खोलने के लिए सार्थक प्रगति करने के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय मानक और प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएसटी), भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), और भारत की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एनपीएल) के बीच

सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान से मिले सकारात्मक परिणामों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। अमेरिका ने अमेरिकी एवं भारतीय कंपनियों को एक-दूसरे के बाजारों में वाणिज्यिक अवसरों से अवगत कराने के लिए व्यवसाय में सुगमता वेबिनार की चल रही श्रृंखला पर गौर किया और उसकी सराहना की। यात्रा और पर्यटन में, भारत-अमेरिका यात्रा एवं पर्यटन भागीदारी से मिले सफल परिणामों की सराहना करते हुए, उन्होंने हमारे दोनों देशों के बीच यात्रा और पर्यटन को बढ़ाने के विषय पर निजी क्षेत्र के यात्रा और पर्यटन हितधारकों को जोड़ने के सहित यात्रा और पर्यटन कार्यदल के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए फरवरी 2019 में आयोजित सरकार-से-सरकार कार्यदल की बैठक का उल्लेख किया। वाणिज्यिक वार्ता के संचालन पर संतोष व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक वार्ता पर भारत-अमेरिका संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया, और वाणिज्यिक वार्ता का अगला दौर पारस्परिक रूप से सुविधाजनक समय पर अमेरिका में आयोजित करने का आश्वासन दिया गया।

2. भारत - यूएस व्यापार नीति मंच : जुलाई 2005 में घोषित भारत - यू एस व्यापार नीति मंच (टीपीएफ) का उद्देश्य भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश संबंधों का विस्तार करना है। यह फोरम दोनों देशों के बीच भांति-भांति के व्यापार मुद्दों का सौहार्दपूर्वक निपटारा करने के लिए एक संस्थागत तंत्र का निर्माण करने में सहायक रहा है। इसने एक-दूसरे के जिंसों के प्रति बाजार पहुंच पर बातचीत करने, प्रक्रियात्मक अड़चनों को सुलझाने, निवेश अवसरों पर चर्चा करने और बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा मंच प्रदान किया है।

11वीं टीपीएफ बैठक अक्टूबर, 2017 में वाशिंगटन डी.सी. में व्यापार और बाजार पहुंच एवं बौद्धिक संपदा पर अपने कार्यदलों के साथ आयोजित की गई। वाणिज्यिक वार्ता पर और अधिक ध्यान केन्द्रित करने और दोहराव से बचने के लिए, वर्तमान दौर के लिए, सुस्पष्ट प्रदेयताओं के साथ मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उपयुक्त पुनर्गठन किया गया था। भारतीय पक्ष का नेतृत्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने किया और अमेरिकी पक्ष से मि. राबर्ट ई. लाइटेइज़र, यूएसटीआर ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित मुद्दों और आपसी सहयोग के क्षेत्रों, और कृषि एवं गैर-कृषि वस्तुओं, सेवाओं में बाजार पहुंच के मुद्दों और बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों देशों ने साझेदारी से पारस्परिक लाभ प्राप्त करने के लिए सुदृढ़ व्यापार और निवेश संबंधों के निर्माण की दिशा में कार्य करने का संकल्प लिया। ट्रेड पैकेज पर अनिर्णायक वार्ता के कारण, टीपीएफ को स्थगित कर दिया गया है।

कनाडा

भारत - कनाडा व्यापार नीति परामर्श :

अक्टूबर 2003 में वार्षिक व्यापार नीति परामर्श (टीपीसी) को औपचारिक रूप दिया गया जो व्यापार से जुड़ी बाधाओं को दूर करने तथा आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक कारगर प्लेटफार्म प्रदान करता है। भारत - कनाडा व्यापार नीति परामर्श की 7वीं बैठक भारत के वाणिज्य सचिव और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उप मंत्री के स्तर पर अक्टूबर

2010 में नई दिल्ली में आयोजित हुई। उसके बाद कोई और बैठक नहीं हुई है।

भारत - कनाडा वार्षिक मंत्रीस्तरीय वार्ता :

जून 2010 में प्रधानमंत्री की कनाडा यात्रा के दौरान कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री तथा भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के बीच व्यापार एवं निवेश पर एक वार्षिक मंत्रीस्तरीय वार्ता (एएमडी) के लिए सहमति हुई थी। पहली मंत्री स्तरीय वार्षिक वार्ता सितंबर 2010 में ओटावा में आयोजित हुई थी। चौथी भारत-कनाडा वार्षिक मंत्रीस्तरीय वार्ता (एएमडी) 13 नवंबर 2017 को नई दिल्ली में हुई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री सुरेश प्रभु, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने किया था जबकि कनाडाई पक्ष का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री श्री फ्रांस्वा-फिलिप शैम्पेन ने किया था।

चर्चा में व्यापार और निवेश से संबंधित लंबित मुद्दों को और अन्य बातों के अलावा, द्विपक्षीय व्यापार के विस्तार को कवर किया गया और कनाडा द्वारा सीईओ फोरम के गठन के साथ और अधिक बी2बी इंटरफेस किए जाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। कनाडा 6.1 बिलियन डॉलर के आपसी व्यापार के साथ नाफ्टा क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है जो विशाल संभावनाओं के बावजूद दोनों मजबूत अर्थव्यवस्थाओं के बीच की क्षमता से काफी कम है। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे कि दालों के न्यूनीकरण पर कनाडा के सरोकारों, जैविक समतुल्यता के लिए भारत के लंबित अनुरोध, विदेशी निवेश संवर्धन और संरक्षण करार (एफआईपीए) की प्रगति और व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईपीए), विभिन्न एजेंसियों के बीच सहयोग की संभावना की खोज करना, हैं। कनाडा के साथ व्यापार और

निवेश पर वार्षिक मंत्रीस्तरीय वार्ता पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि पर वर्ष 2019 में ओटावा में आयोजित की जाएगी।

भारत - कनाडा व्यापक आर्थिक नीति करार (सीईपीए) :

सियोल में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा घोषित भारत - कनाडा सीईपीए वार्ता की शुरुआत तथा सितंबर 2010 में भारत - कनाडा संयुक्त अध्ययन रिपोर्ट के विमोचन के बाद नवंबर 2010 में नई दिल्ली में औपचारिक रूप से शुरुआत। करार के तहत वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार, उद्गम के नियम, स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी उपाय, व्यापार से जुड़ी तकनीकी बाधाएं तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्र शामिल हैं।

आज तक की तिथि के अनुसार वार्ता के दस दौरों का आयोजन हो चुका है तथा आखिरी दौर का आयोजन अगस्त, 2017 में नई दिल्ली, भारत में हुआ था। 10वें दौर के दौरान पांच चैप्टरों के तहत चर्चा हुई और दोनों पक्षों ने वार्ता को परिणति तक आगे बढ़ाने के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत - कनाडा सीईपीए वार्ता का अगला दौर 2019 में कनाडा में होगा।

मैक्सिको

भारत - मैक्सिको बीएचएलजी : व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग पर एक द्विपक्षीय उच्च स्तरीय समूह (बीएचएलजी) की स्थापना करने के लिए भारत के तत्कालीन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा मैक्सिको के अर्थव्यवस्था मंत्री द्वारा नई दिल्ली में 21 मई 2007 को भारत और

मैक्सिको के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस द्विपक्षीय उच्च स्तरीय समूह के कार्यों में मुख्य रूप से द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना, वाणिज्यिक, आर्थिक, तकनीकी एवं अन्य संबंधित क्षेत्र में संपर्क बनाए रखना तथा सूचना का आदान-प्रदान करना शामिल है। बीएचएलजी के तहत छह कार्यदलों का गठन किया गया है- (i) व्यापार संवर्धन (ii) निवेश संवर्धन (अवसंरचना सहित) (iii) सीमा शुल्क सहयोग (iv) सेवा संवर्धन (v) पर्यटन संवर्धन और (vi) निजी क्षेत्र (रसायन-फार्मा, वस्त्र एवं जैव ईंधन क्षेत्र) की सहभागिता से औद्योगिक संवाद।

द्विपक्षीय उच्च स्तरीय समूह (बीएचएलजी) ने दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्युटिकल, पर्यटन आदि जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने में साझेदारियों की संभावनाओं तथा व्यापार से जुड़े अनेक मुद्दों पर मैक्सिको के साथ वार्ता करने में मदद की। जून, 2017 महीने में आयोजित 7वीं संयुक्त आयोग की

बैठक (जेसीएम) के दौरान दोनों पक्षों ने 2016 में आयोजित चौथे भारत - मैक्सिको बीएचएलजी की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में 'आर्थिक एवं व्यापारिक मुद्दों पर उप-आयोग' के तहत व्यापारिक एवं वाणिज्यिक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश प्रवाह, द्विपक्षीय व्यापार संवर्धन, एसएमई सहयोग और व्यापारिक आंकड़ों और सेवाओं के क्षेत्रों में सूचनाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट इंडिया और प्रोमेक्सिको के बीच निकट सहयोग बढ़ाने की बात दोहराई। 5वीं बीएचएलजी बैठक पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि पर जुलाई-अगस्त 2019 में नई दिल्ली में आयोजित किए जाने के लिए निर्धारित है।

IV. यूरोप के साथ व्यापार

परिचय

एफटी-यूरोप डिवीजन यूरोप के निम्नलिखित देशों के साथ व्यापार संबंधों पर कार्रवाई करता है :

क्र.सं.	क्षेत्र और देशों की सं.	देशों के नाम
1.	यूरोपीय संघ (ईयू) (28)	आस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लाटविया, लिथुवानिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम
2.	यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) (4):	आइसलैंड, लिक्टेस्टीन, नार्वे और स्विटजरलैंड
3.	अन्य यूरोपीय देश (6):	अल्बानिया, बोस्निया-हर्जेगोविना, मैसेडोनिया और सर्बिया संध, मांटेनिग्रो और तुर्की

2018-19 के दौरान, यूरोप के साथ कुल द्विपक्षीय व्यापार 143.7 बिलियन अमेरिकी डालर था। यूरोप के लिए निर्यात 2017-18 के 60.3 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर 2018-19 में 64.3 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया। यूरोप से आयात 2017-18 के 69.8 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर 2018-19 में 79.3 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया।
(स्रोत: डीजीसीआई एंड एस)

यूरोपीय संघ (ईयू)

28 देशों के एक संघ के रूप में यूरोपीय संघ भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है। 2018-19 के दौरान, यूरोपीय संघ के साथ कुल द्विपक्षीय व्यापार 115.6 बिलियन अमेरिकी डालर था। यूरोपीय संघ को निर्यात वर्ष 2017-18 के 53.6 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर 2018-19 में 57.2 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया। इस तरह, 6.66% की वृद्धि हुई। यूरोपीय संघ से आयात 2017-18 के 47.8 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर 2018-19 में 57.8 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया। इस तरह, 22.05% की बढ़ोतरी हुई।
(स्रोत: डीजीसीआई एंड एस)

यूरोपीय संघ के साथ भारत के व्यापार में महत्वपूर्ण मुद्दे सैनिटरी और फाइटो-सेनेटरी मानक, तकनीकी बाधाएं, भारतीय उत्पादों के प्रति कोटा/प्रशुल्क की जटिल प्रणाली आदि हैं। इन मुद्दों का यूरोपीय संघ को भारत के निर्यात के लिए बाजार पहुंच पर असर पड़ता है। ये मुद्दे नियमित रूप से संयुक्त कार्यदलों

और व्यापार उप-आयोग में उठाए जाते हैं। अलग-अलग यूरोपीय देशों के साथ व्यापार को प्रभावित करने वाले मुद्दे भी संयुक्त आयोगों के रूप में द्विपक्षीय मंचों पर उठाए जाते हैं।

भारत-यूरोपीय संघ के द्विपक्षीय संबंधों की भारत-यूरोपीय संघ संयुक्त आयोग द्वारा समय-समय पर उच्चतम स्तर पर समीक्षा की जाती है। भारत-यूरोपीय संघ के संयुक्त आयोग की 24वीं बैठक 14 जुलाई, 2017 को ब्रुसेल्स में आयोजित की गई थी। इसके अलावा, व्यापार, आर्थिक सहयोग और विकास सहयोग पर तीन उप-आयोग और कृषि और समुद्री उत्पादों, वस्त्र, इस्पात, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फार्मास्यूटिकल्स और जैव प्रौद्योगिकी, सीमा शुल्क सहयोग और व्यापार के प्रति तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) / सैनेटरी और फाइटो-सेनेटरी (एसपीएस) मुद्दों पर सात संयुक्त कार्यदल हैं। व्यापार पर भारत-यूरोपीय संघ के उप-आयोग की आखिरी बैठक 6 जून, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

भारत - यूरोपीय संघ बीटीआईए वार्ता

नई दिल्ली में सितंबर 2005 में आयोजित छठी भारत-यूरोपीय संघ शिखर बैठक ने आर्थिक संबंध को व्यापक एवं विस्तृत करने के तरीकों का पता लगाने तथा व्यापार एवं निवेश करार यानि व्यापक द्विपक्षीय व्यापार और निवेश करार (बीटीआईए) की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय व्यापार समूह (एचएलटीजी) का गठन करने का निर्णय लिया था। करार के लिए वार्ता करने की एचएलटीजी की सिफारिशों के अनुसरण में, 2007 से 2013 तक भारत और

यूरोपीय संघ के बीच 16 दौर की वार्ता संपन्न हुई। हालांकि, वार्ता का समापन नहीं हो पाया।

वार्ता पर दोबारा विचार करने के प्रयास जनवरी, 2016 से शुरू हुए हैं और मुख्य वार्ताकारों के बीच 8 बैठकें हुई हैं। मुख्य वार्ताकारों के बीच आखिरी बैठक 7 जून, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

वाणिज्य सचिव-यूरोपीय संघ के महानिदेशक (व्यापार) की बैठक 15 नवंबर, 2018 को ब्रुसेल्स में आयोजित की गई थी और भारत-यूरोपीय संघ बीटीआईए के लिए मार्ग प्रशस्त करने पर चर्चा की गई थी। इस बैठक ने दोनों पक्षों की अधूरी महत्वाकांक्षाओं का जायजा लेने और विद्यमान संवेदनशीलताओं को संतुलित करने की आवश्यकता को सामने लाया।

भारत - ईएफटीए टीईपीए वार्ता

ईएफटीए व्यापार ब्लॉक में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेन्स्टीन शामिल हैं। 2018-19 के दौरान ईएफटीए के साथ कुल द्विपक्षीय व्यापार 19.9 बिलियन अमेरिकी डालर रहा। ईएफटीए को निर्यात 2017-18 के 1.4 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर 2018-19 में 1.5 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया। इस तरह, 5.60% की वृद्धि हुई। ईएफटीए से आयात 2017-18 के 19.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 2018-19 में 18.4 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया। इस तरह, 6.67% की कमी हुई। (स्रोत: डीजीसीआई एंड एस)

भारत और ईएफटीए ने अक्टूबर, 2008 में व्यापार और आर्थिक भागीदारी करार (टीईपीए) पर बातचीत शुरू की थी। वार्ताएं 14 ट्रैक/चैप्टरों, यथा सरकारी प्रापण, विवाद निपटान, प्रतिस्पर्धा, व्यापार सुविधा, निवेश संधारणीय विकास, सैनेटरी और फाइटो-सैनेटरी उपाय, व्यापार के प्रति तकनीकी बाधाएं, व्यापार उपाय, वस्तुओं में व्यापार, सेवा में व्यापार, उत्पत्ति के नियम, कानूनी और क्षेत्रीय प्रावधान और बौद्धिक संपदा अधिकार में आयोजित की गईं जिनका दोनों पक्षों ने समयबद्ध तरीके से समाधान करने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। अब तक 17 दौर की वार्ता हो चुकी है। अंतिम दौर 18 से 21 सितंबर, 2017 तक आयोजित किया गया था। भारत ईएफटीए के साथ एक संतुलित करार करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अन्य यूरोपीय देश

2018-19 के दौरान, अन्य यूरोपीय देशों के साथ कुल द्विपक्षीय व्यापार 8 बिलियन अमेरिकी डालर रहा। अन्य यूरोपीय देशों को निर्यात 2017-18 के 5.2 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर 2018-19 में 5.6 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया। इस तरह, 7.11% की वृद्धि हुई। इसी प्रकार, आयात 2017-18 के 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2018-19 में 2.4 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया। इस तरह, 9.26% की वृद्धि हुई।

(स्रोत: डीजीसीआई एंड एस)

सांस्थानिक तंत्र

भारत ने कई यूरोपीय देशों यथा यूके, फ्रांस, स्पेन, इटली, पुर्तगाल, बेल्जियम - लक्जमबर्ग, स्विटजरलैंड, चेक गणराज्य, स्लोवाक गणराज्य, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, आस्ट्रिया, बुल्गारिया, बोस्निया एवं हर्जोगोविना, साइप्रस, फिनलैंड, ग्रीस, रोमानिया, तुर्की और

यूरोपीय संघ के साथ सांस्थानिक तंत्र स्थापित किए हैं।

संयुक्त आयोग की बैठकें

संयुक्त आयोग की बैठकों के ब्यौरे निम्नलिखित के अनुसार हैं:

क्र. सं.	संयुक्त आयोग	सह-अध्यक्ष	स्थान एवं तारीख
1	भारत-ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति (जेटको) की 12वीं बैठक	श्री सुरेश प्रभु, माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री और डॉ. लियाम फॉक्स, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग के विदेश सचिव	लंदन , 11.01.2018
2	आर्थिक सहयोग पर भारत-इटली संयुक्त आयोग का 20वां सत्र (जेसीईसी)	माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, श्री सुरेश प्रभु और इटली के आर्थिक विकास उप मंत्री, प्रोफेसर मिशेल गैरैसी	नई दिल्ली, 26-27 फरवरी, 2019
3	आर्थिक सहयोग पर 11वां भारत-चेक गणराज्य संयुक्त आयोग (जेसीईसी)	श्री सी. आर. चौधरी, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री और चेक गणराज्य के उद्योग और व्यापार मंत्री, सुश्री मार्टा नोवाकोवा	प्राग, 22-23 अक्टूबर, 2018
4	भारत और स्पेन के बीच आर्थिक सहयोग के लिए संयुक्त आयोग का 11वां सत्र	सुश्री रीता ए. टेवटिया, वाणिज्य सचिव और सुश्री मारिया लुईसा पोंसेला, व्यापार के लिए स्पेनिश विदेश सचिव	मैड्रिड, 18.01.2018
5	आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत-बुल्गारिया संयुक्त आयोग का 18वां सत्र (जेसीईएसटीसी)	सुश्री रीता टेवटिया, सचिव, वाणिज्य विभाग और मि. अलेक्जेंडर मानोलेव, बुल्गोरियाई अर्थव्यवस्था उप मंत्री	नई दिल्ली, 06.03.2018
6	व्यापार और निवेश पर भारत - नॉर्वे वार्ता का शुभारंभ	श्री अनूप वधावन, वाणिज्य सचिव और श्री डैनियल बजरमन-सिमोंसेन, विदेश सचिव, व्यापार उद्योग और मत्स्यपालन मंत्रालय, नॉर्वे ने नॉर्वे के प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए।	नई दिल्ली, 08.01.2019

7	भारत-स्विट्जरलैंड संयुक्त आर्थिक आयोग (जेईसी) का 16वां सत्र	संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग और राजदूत एवं द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख, स्विस् परिसंघ के आर्थिक मामलों का राज्य सचिवालय	नई दिल्ली, 23.02.2018
8	व्यापार पर भारत यूरोपीय संघ का उप आयोग	संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार और यूरोपीय संघ का नेतृत्व उप महानिदेशक, व्यापार महानिदेशालय, यूरोपीय आयोग द्वारा किया गया था।	नई दिल्ली, 06.06.2018
9	भारत स्लोवाक संयुक्त आर्थिक समिति (जेईसी) का 10वां सत्र	संयुक्त सचिव, वाणिज्य और महानिदेशक, कार्यनीति अनुभाग, अर्थव्यवस्था मंत्रालय, स्लोवाकिया	नई दिल्ली, 13.02.2019

द्विपक्षीय बैठकें

माननीय प्रधान मंत्री ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, 2018 की वार्षिक बैठक के मौके पर दावोस, स्विट्जरलैंड में 23-26 जनवरी, 2018 को स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति, महामहिम श्री डोरिस लेउथर्ड के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने निम्नलिखित के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं:

- 23-26 जनवरी, 2018 को स्विस् फेडरल काउंसलर जोहान श्राइडर अम्मन।
- 5 मार्च, 2018 को नई दिल्ली में चेक उद्योग और व्यापार मंत्री महामहिम श्री थॉमस हूनर।
- 9 मार्च, 2018 को नई दिल्ली में उद्यमिता और आईटी के एस्टोनियाई मंत्री, महामहिम सुश्री उरवे पालो, नई दिल्ली के साथ एस्टोनियाई राजदूत, महामहिम मि. रिहोकूर्वॉन।
- 5 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली में आइसलैंड के विदेश मंत्री महामहिम मि. गुन्नार बरगी सिर्विसन।
- 30 नवंबर, 2018 को नई दिल्ली में फिनलैंड के विदेश व्यापार और

विकास मंत्री, महामहिम मिस ऐनी-मारी विरोलेन।

- 18 दिसंबर, 2018 को नई दिल्ली में तुर्की की व्यापार मंत्री महामहिम मिस रुहसार पेकन।

माननीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री, श्री सी. आर. चौधरी ने 13 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली में स्लोवाक गणराज्य के अर्थव्यवस्था मंत्रालय के विदेश सचिव (प्रथम उप मंत्री), मि. वोजटेक फ़ेरेन्ज़ के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

अन्य महत्वपूर्ण घटनाएँ

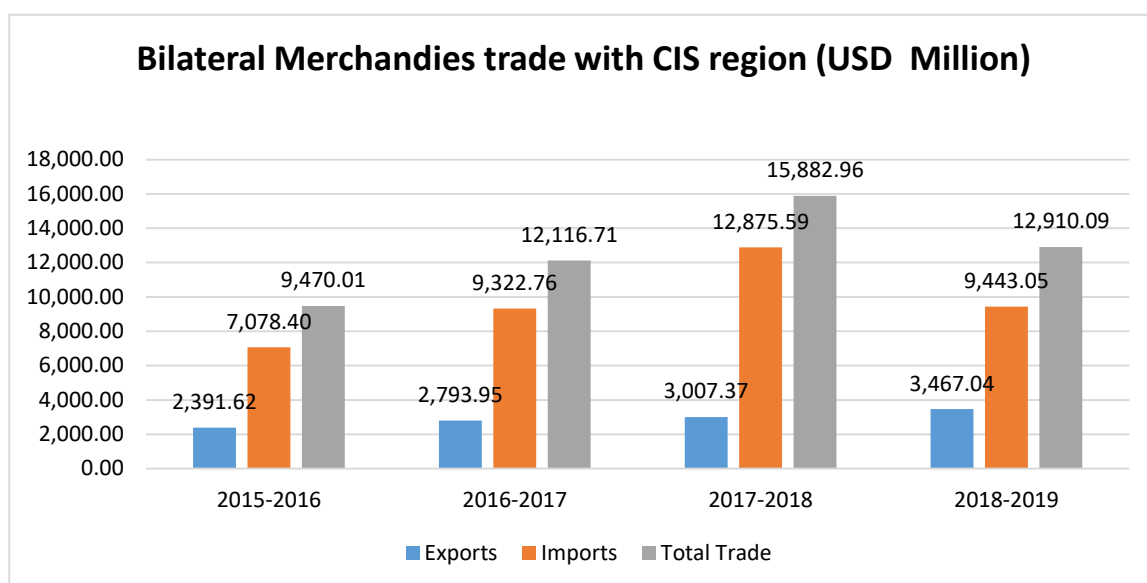
28 मार्च, 2019 को नई दिल्ली में यूरोपीय और ओशिनिया देशों के राजदूतों/उच्चायुक्तों के साथ व्यापार और आर्थिक सहयोग पर माननीय माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री की बातचीत आयोजित की गई थी।

यूरोपीय देशों में भारत के राजदूतों के साथ वाणिज्य सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत 30 अक्टूबर, 2018 को आयोजित की गई थी।

V. स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल (सीआईएस) के साथ व्यापार

स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल (सीआईएस) में रूसी परिसंघ, आर्मेनिया गणराज्य, अज़रबैजान

गणराज्य, बेलारूस गणराज्य, जॉर्जिया, मोल्दोवा, यूक्रेन गणराज्य, कजाकिस्तान गणराज्य, किर्गिस्तान गणराज्य, ताजिकिस्तान गणराज्य, तुर्कमेनिस्तान गणराज्य और उजबेकिस्तान गणराज्य शामिल हैं। इन देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार नीचे दिए गए ग्राफ में दिखाया गया है:



डेटा स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

सीआईएस के साथ व्यापार

(मूल्य: मिलियन अमेरिकी डालर)

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल व्यापार	कुल व्यापार की % वृद्धि
2015-2016	2391.62	7078.40	9470.01	(-)14.39
2016-2017	2793.95	9322.76	12116.71	27.95
2017-2018	3007.37	12875.59	15882.96	31.08
2018-2019	3467.04	9443.05	12910.09	(-)18.72

डेटा स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

2018-2019 के दौरान भारत के निर्यात में सीआईएस क्षेत्र की हिस्सेदारी 1.05% और इससे आयात में 1.84% की हिस्सेदारी थी।

2018-2019 में, कुल व्यापार में 18.72% की गिरावट आई थी और यह 12910.09 मिलियन अमेरिकी डालर पर रहा, जबकि 2017-2018

में कुल व्यापार 15882.96 मिलियन अमरीकी डॉलर था।

सीआईएस क्षेत्र को निर्यात की प्रमुख वस्तुओं में ड्रग फार्मूलेशन, जैविक पदार्थ, चाय, दूरसंचार उपकरण, ऑटो संघटक/कल-पुरजे, लोहा और इस्पात, समुद्री उत्पाद, भैंस का मांस, थोक दवाएं और ड्रग इंटरमीडिएट, कॉफी, इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरण आदि शामिल हैं। इस क्षेत्र से भारत में आयात की जाने वाली वस्तुओं में वनस्पति तेल, पेट्रोलियम कूड, कोयला, कोक और ब्रिकेट, परियोजना का सामान, विनिर्मित खाद, मोती, कीमती और अर्धकीमती रत्न, चांदी, लोहा और इस्पात, न्यूज प्रिंट, प्लास्टिक और कच्चे माल आदि हैं।

रूसी परिसंघ : रूसी परिसंघ, जिसमें पूर्व यू एस एस आर का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, इस क्षेत्र में भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यापार साझेदार बना हुआ है तथा 2018-19 में सी आई एस क्षेत्र के साथ भारत के कुल व्यापार में इसका हिस्सा 64.46% के आसपास था। वर्ष 2018-19 के दौरान द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने हेतु निम्नलिखित बैठकें आयोजित हुई थी:

- व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग का 23वां सत्र 14 सितंबर, 2018 को मास्को, रूसी परिसंघ में आयोजित किया गया था।
- व्यापार और आर्थिक सहयोग पर भारत-रूस संयुक्त कार्यदल का 23वां

सत्र 22 मई, 2018 को मास्को, रूसी परिसंघ में आयोजित किया गया था।

- बैंकिंग और वित्तीय मामलों पर भारत-रूस कार्यदल का 24वां सत्र 23-24 अगस्त, 2018 को तुला, रूसी परिसंघ में आयोजित किया गया था।
- 5 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक और निवेश क्षेत्रों में बाधाओं को दूर करने पर उप-कार्यदल की दूसरी बैठक आयोजित की गई।

मध्य एशियाई गणराज्य

कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, सीआईएस क्षेत्र में पांच मध्य एशियाई गणराज्यों का गठन करते हैं। वाणिज्य विभाग किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ अंतर-सरकारी आयोग (आईजीसी) के लिए नोडल विभाग है। विदेश मंत्रालय, तुर्कमेनिस्तान के साथ अंतर-सरकारी आयोग (आईजीसी) मामलों की देखभाल करने वाला नोडल मंत्रालय है और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय कजाकिस्तान के साथ अंतर-सरकारी आयोग (आईजीसी) मामलों की देखभाल करने के लिए नोडल मंत्रालय है। 2018-19 के दौरान, द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गईं:

- व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग पर भारत-ताजिकिस्तान संयुक्त आयोग की बैठक का 10वां सत्र 28-29 जनवरी,

2019 को दुशांबे में आयोजित किया गया था।

- व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग पर भारत-किर्गिज़ अंतर-सरकारी आयोग का 9वां सत्र 15-16 नवंबर, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
- व्यापार और आर्थिक सहयोग पर भारत-कजाकिस्तान संयुक्त कार्यदल का छठा सत्र 12 जुलाई, 2018 को कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित किया गया था।
- व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग पर भारत-उजबेकिस्तान अंतर-सरकारी आयोग का 11वां सत्र 16-18 अगस्त, 2018 के दौरान ताशकंद में आयोजित किया गया था।

अन्य सीआईएस देश

अन्य छह सीआईएस देश अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जार्जिया, मालदोवा और यूक्रेन हैं। यूक्रेन सीआईएस क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है तथा 2018-19 में सीआईएस क्षेत्र के साथ भारत के कुल व्यापार में इसका हिस्सा तकरीबन 21.4% है।

वाणिज्य विभाग अजरबैजान के साथ अंतर-सरकारी आयोग (आईजीसी) के लिए नोडल विभाग है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) भारत-बेलारूस अंतर-सरकारी आयोग (आईजीसी) के लिए नोडल विभाग है और विदेश मंत्रालय, अर्मेनिया, जॉर्जिया और यूक्रेन के अंतर-

सरकारी आयोग (आईजीसी) मामलों की देखभाल करने के लिए नोडल मंत्रालय है। वर्तमान में हमारे पास मोल्डोवा के साथ व्यापार से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए कोई संस्थागत तंत्र नहीं है। 2018-19 के दौरान, द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गईं:

- व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग पर भारत-अज़रबैजान अंतर-सरकारी आयोग (आईजीसी) का 5वां सत्र नई दिल्ली में 11-12 अक्टूबर, 2018 के दौरान आयोजित किया गया था।

सीआईएस क्षेत्र में प्रमुख पहल

लॉजिस्टिक्स एवं कनेक्टिविटी - इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (आईएनएसटीसी) : आईएनएसटीसी परिषद सचिवालय की 7वीं बैठक 4-5 मार्च, 2019 के दौरान तेहरान में आयोजित की गई, जहां सीमा शुल्क, जहाजरानी, सड़क परिवहन, बैंकिंग, बीमा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (ईईयू) के साथ अधिमन्य व्यापार करार (पीटीए) के लिए वार्ता की पहल : भारत और ईईयू, जो 5 सदस्य देशों अर्थात अर्मेनिया, बेलारूस, कजाखस्तान, किर्गिज़स्तान और रूस से बना हुआ है, के बीच एक मुक्त व्यापार करार की संभावना का पता लगाने के लिए एक संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन किया गया था। जेएफएसजी ने वस्तुओं में व्यापार, निवेश और

सेवाओं में व्यापार पर वार्ता को शामिल करते हुए व्यापक मुक्त व्यापार करार की सिफारिश की। हालांकि, हमें सूचित किया गया था कि ईएईयू केवल 'वस्तुओं में व्यापार' पर वार्ता करने के लिए सक्षम है। इसलिए व्यापार करार के दायरे को तय करने के लिए प्रक्रिया चल रही है - पीटीए को अपनाया जाए या एफटीए को और इस संबंध में, 27.6.2019 को अतिरिक्त परामर्श किए जाने का प्रस्ताव है।

जॉर्जिया के साथ मुक्त व्यापार करार (एफटीए) की पहल : भारत और जॉर्जिया के बीच एफटीए की व्यवहार्यता पर संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन (जेएफएस) रिपोर्ट अगस्त, 2018 में पूरी हो गई है। जेएफएस रिपोर्ट के निष्कर्षों को दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और 11 जनवरी, 2019 को एफटीए के लिए बातचीत शुरू करने के लिए एक प्रोटोकॉल पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए गए थे। एफटीए वार्ता शुरू करने के लिए आगे की प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

उजबेकिस्तान के साथ संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन समूह (जेएफएसजी) की शुरुआत के लिए संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर : द्विपक्षीय व्यापार की क्षमता को ध्यान में रखते हुए और 16-18 अगस्त, 2018 के दौरान ताशकंद में आयोजित भारत-उजबेकिस्तान आईजीसी के 11वें सत्र के प्रोटोकॉल की सिफारिशों के अनुसार भारत और उजबेकिस्तान गणराज्य के बीच एक अधिमान्य व्यापार करार करने का प्रस्ताव किया गया है। इस संबंध में संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन शुरू करने के लिए एक संयुक्त वक्तव्य उजबेकिस्तान के साथ साझा किया गया है।

VI. लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन देशों (एलएसी) के साथ व्यापार

1. लैटिन अमेरिकी एवं कैरेबियन देशों के साथ संबंध

हालांकि भारत और लैटिन अमेरिकी तथा कैरीबियन (एल ए सी) क्षेत्र ग्लोब के विपरीत छोरों पर स्थित हैं, फिर भी उनके संबंध सदैव घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण रहे हैं। इस क्षेत्र के तहत 43 देश आते हैं। इस क्षेत्र में पेट्रोलियम संसाधन, ताजा पानी, खनिज तथा कृषि योग्य भूमि जैसे प्राकृतिक संसाधन बहुतायत में उपलब्ध हैं। उपनिवेशवाद तथा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की दृष्टि से भारत और इस क्षेत्र के इतिहास में समानता है। कैरेबियन क्षेत्र के कुछ देशों के साथ भारतीय मूल के लोगों के रूप में भारत का एक विशेष रिश्ता है जो दोनों क्षेत्रों के बीच मैत्री एवं समझ की बहुमूल्य कड़ी के रूप में काम करते हैं।

तेजी से तथा बढ़ता हुआ वाणिज्यिक संबंध इस बात का प्रमाण है कि भारत - एल ए सी संबंध में भौगोलिक दूरी कोई बाधा नहीं है। इन वर्षों में, लैटिन अमेरिका के साथ भारत के संबंधों का व्यापार और निवेश से परे ऊर्जा, ज्ञान साझा करने जैसे क्षेत्रों में और जी-20, ब्रिक्स, डब्ल्यूटीओ और आईबीएसए (भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका) जैसे बहुपक्षीय मंचों में सहयोग करने के साथ विस्तार हुआ है।

2. लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन देशों के साथ व्यापार और निवेश

एलएसी क्षेत्र के साथ भारत के संबंध सुदृढ़ व्यापार और निवेश लिंक द्वारा रेखांकित होते हैं जो थोड़े समय में मजबूत और गहरे हो

गए हैं। दोनों क्षेत्रों ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग की मिसाल देते हुए पारस्परिक रूप से हितकारी द्विपक्षीय साझेदारी बनाने के लिए भौगोलिक दूरी से उत्पन्न सीमाओं को परिश्रम से पार कर लिया है। व्यापार की मात्राओं में भविष्य में विकास होने की जबरदस्त गुंजाइश है क्योंकि दोनों क्षेत्र ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो और सेवा क्षेत्रों में बहुत अधिक संपूरक हैं। व्यापार में विविधता तथा नए बाजारों तक पहुंच भी भारत और एल ए सी दोनों देशों की प्राथमिकता है।

मेक्सिको को छोड़कर क्षेत्र के साथ कुल द्विपक्षीय व्यापारिक व्यापार (क्योंकि मेक्सिको को नाफ्टा के हिस्से के रूप में माना गया है) 2007-08 के मामूली 10.45 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर 2018-19 में 30.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो 189.8% की वृद्धि दर्ज करता है।

एलएसी क्षेत्र के साथ हमारा द्विपक्षीय व्यापार भारत के कुल वैश्विक व्यापार का 3.59% है। इसमें इसी अवधि के दौरान निर्यात और आयात क्रमशः 2.96% और 4.00% है। एलएसी के दृष्टिकोण से, भारत के साथ व्यापार का हिस्सा, आईटीसी ट्रेड मैप डेटा के अनुसार 2018 के दौरान एलएसी क्षेत्र के वैश्विक व्यापार का केवल 2.29 प्रतिशत बनता है।

एलएसी देशों में, ब्राजील, वेनेजुएला, पेरू, अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, बोलीविया, डोमिनिक गणराज्य, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला हमारे प्रमुख व्यापारिक भागीदार हैं। पिछले 10 वर्षों के दौरान एलएसी देशों के साथ भारत के व्यापार, वर्तमान रुझान, निर्यात/आयात के शीर्ष दस जिंस (पिछले 2 वर्षों के लिए) के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में

वर्ष	एलएसी को भारत का निर्यात	निर्यात में वृद्धि का %	एलएसी क्षेत्र से भारत का आयात	आयात में वृद्धि का %	व्यापार संतुलन	कुल व्यापार
2007-08	5,081.66	36.24	5,368.62	0.53	-286.95	10,450.28
2008-09	5,513.04	8.49	8,240.44	53.49	-2,727.40	13,753.48
2009-10	5,614.40	1.84	9,356.30	13.54	-3,741.90	14,970.70
2010-11	9,324.48	66.08	13,042.52	39.40	-3,718.03	22,367.00
2011-12	12,276.85	31.66	16,178.56	24.04	-3,901.70	28,455.41
2012-13	13,518.03	10.11	27,497.09	69.96	-13,979.07	41,015.12
2013 -14	10,791.60	-20.17	28,128.07	2.29	-17,336.47	38,919.68
2014-15	11,528.43	6.83	26,951.76	-4.18	-15,423.33	38,480.19
2015-16	7,530.85	-34.68	17,691.79	-34.36	-10,160.94	25,222.63
2016-17	7,230.97	-3.98	17,290.63	-2.27	-10,059.67	24,521.60
2017-18	8,611.61	19.09	20,723.48	19.85	-12,111.87	29,335.09
2018-19	9,740.72	13.11	20,547.11	-0.85	-10,806.39	30,287.84

(स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता)

क. 2017-18 & 2018-19 के दौरान एल ए सी क्षेत्र को भारत से निर्यात के शीर्ष दस ज़िंस

मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में

क्र.सं.	ज़िंस	2017-2018	2018-2019(पी)	% वृद्धि	% हिस्सेदारी
1	ड्रग फार्मलेशन, जैविक पदार्थ	723.01	868.23	20.08	8.91
2	कृषि रसायन	542.64	820.46	51.20	8.42
3	मोटर वाहन/कार	831.11	731.48	-11.99	7.51
4	मानव निर्मित धागे, फेब्रिक, मेड अप	562.47	564.2	0.31	5.79
5	आटो कंपोनेंट / पुर्जे	410.25	482.51	17.61	4.95
6	पेट्रोलियम उत्पाद	66.44	416.66	527.11	4.28
7	टू एवं थ्री व्हीलर	433.56	416.6	-3.91	4.28
8	अवशिष्ट रासायनिक एवं सम्बद्ध उत्पाद	192.14	333.47	73.56	3.42
9	लोहा एवं इस्पात के उत्पाद	208.86	328.8	57.43	3.38
10	लोहा एवं इस्पात	388.86	285.62	-26.55	2.93
	एलएसी क्षेत्र को शीर्ष 10 ज़िंस निर्यातों का योग	4,359.34	5,248.03	20.39	53.88
	एलएसी क्षेत्र को कुल निर्यात	8,611.61	9,740.72	13.11	100.00

(स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता)

2017-18 & 2018-19 के दौरान एलएसी क्षेत्र से भारत को आयात के शीर्ष दस ज़िंस

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

क्र.सं.	ज़िंस	2017-2018	2018-2019 (पी)	% वृद्धि	% हिस्सेदारी
1	पेट्रोलियम : कच्चा	7,480.67	9,395.31	25.59	45.73
2	सोना	3,583.07	4,534.80	26.56	22.07
3	वनस्पति तेल	2,641.17	2,182.04	-17.38	10.62
4	थोक खनिज एवं अयस्क	2,776.23	1,215.55	-56.22	5.92
5	चीनी	919.7	436.35	-52.56	2.12
6	अन्य लकड़ी तथा लकड़ी के उत्पाद	337.27	311.43	-7.66	1.52
7	कोयला, कोक एवं ब्रिकेट आदि	197.22	208.7	5.82	1.02
8	पेट्रोलियम उत्पाद	45.52	192.9	323.76	0.94
9	लोहा एवं इस्पात	332.06	175.68	-47.09	0.86
10	लोह अयस्क	190.06	147.81	-22.23	0.72
	एलएसी क्षेत्र से आयात के शीर्ष 10 ज़िंसों का योग	18,502.97	18,800.57	1.61	91.50
	एलएसी क्षेत्र से कुल आयात	20,723.48	20,547.11	-0.85	100.00

(स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता)

एल ए सी क्षेत्र में भारत का निवेश प्राकृतिक संसाधन, फार्मास्यूटिकल, आटोमोबाइल पार्ट्स, खनन, हाइड्रोकार्बन तथा आई टी / आई टी ई एस जैसे क्षेत्रों में संकेन्द्रित है। एलएसी क्षेत्र में भारत का जावक एफडीआई अप्रैल, 2011 से नवंबर, 2017 तक 14.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर था (स्रोत: आरबीआई और एक्जिम बैंक विश्लेषण)। एलएसी क्षेत्र में भारतीय निवेश के लिए मुख्य गंतव्य-स्थान ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह, केमैन द्वीप, पनामा, बरमूडा और ब्राजील हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में एल ए सी क्षेत्र में भारत के निवेश में धीरे धीरे वृद्धि हुई है, परंतु भारत में एल ए सी क्षेत्र से निवेश अभी भी कम है। चूंकि हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे की पूरक हैं, इसलिए हमारे बीच विद्यमान अवसरों का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए प्रयास चल रहे हैं।

3. फोकस : एलएसी कार्यक्रम

एल ए सी क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों को और गहन करने के उद्देश्य से शुरू में 5 साल की अवधि के लिए नवंबर, 1997 में एक एकीकृत कार्यक्रम 'फोकस एल ए सी' शुरू किया गया था। इसकी समय - समय पर अवधि बढ़ाई गई है। कार्यक्रम को हाल ही में 31.3.2020 तक एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापार संवर्धन के प्रयासों में लगे संगठनों अर्थात् निर्यात संवर्धन परिषद, वाणिज्य एवं उद्योग चैंबरों, आयात निर्यात बैंक, ई सी जी सी आदि को संवेदनशील बनाना, भारतीय निर्यातकों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान करना तथा इस क्षेत्र के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों पर अधिक बल दिए जाने के साथ लैटिन अमरीकी क्षेत्र पर बल देते हुए, लैटिन

अमरीकी क्षेत्र में भारत के निर्यातों को बढ़ाने के लिए प्रमुख उत्पाद समूहों जिसमें रेडीमेड गारमेंट्स, कारपेट तथा हैंडीक्राफ्ट, लेदर उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद एवं कंप्यूटर साफ्टवेयर सहित ऑटो एवं ऑटो पार्ट्स, औषधियों/फार्मास्यूटिकल्स, कृषि रसायन आदि सहित रासायनिक उत्पाद शामिल हैं, पर बल देते हुए निर्यात संवर्धन के उपायों को शुरू करना है।

इस कार्यक्रम के तहत, प्रोत्साहन और निर्यात प्रोत्साहन उपायों को शामिल किया गया है। 2015-2020 की विदेश व्यापार नीति (एफ टी पी) हमारे व्यापार बास्केट में विविधता लाने की हमारी दीर्घावधिक रणनीति के अंग के रूप में एलएसी क्षेत्र पर विशेष बल दे रही है।

4. संस्थागत तंत्र

द्विपक्षीय स्तर पर व्यापार और निवेश योजकों की समीक्षा करने के लिए भारत के पास एलएसी क्षेत्र के देशों के साथ विभिन्न प्रकार के संस्थागत तंत्र हैं। वाणिज्य विभाग के तत्वावधान में द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र निम्नलिखित हैं:

- भारत- ब्राजील व्यापार अनुवीक्षण तंत्र (टीएमएम)
- भारत- इक्वाडोर संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति (जेटको)
- भारत-कोलंबिया संयुक्त व्यापार विकास सहयोग समिति (जेबीसीडीसी)
- भारत-अर्जेंटीना संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी)
- भारत-चिली संयुक्त प्रशासन समिति (भारत-चिली पीटीए के तहत)

5. भारतीय मिशनों में वाणिज्यिक कर्मचारी

एल ए सी क्षेत्र में 13 पूर्ण विकसित भारतीय मिशन (मेक्सिको को छोड़कर) हैं और एक वाणिज्य दूतावास साओ पाउलो, ब्राजील में है। वाणिज्य विभाग ने व्यापार संबंधी मामलों की अनन्य रूप से देखरेख करने और इस क्षेत्र से हितबद्ध भारतीय निर्यातकों और आयातकों की सहायता के लिए ब्राजील, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, पेरू, त्रिनिदाद और टोबैगो, पनामा और कोस्टा रिका में वाणिज्यिक पर स्वीकृत किए थे। ये पद एलएसी क्षेत्र में विपणन सहायकों के मौजूदा 9 पदों के अतिरिक्त हैं।

6. व्यापार शिष्टमंडलों को प्रायोजित करना/ सेमिनारों/ सम्मेलनों/ व्यापार मेलों/ प्रदर्शनियों का आयोजन करना

व्यापार संवर्धन के कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में शीर्ष निकायों तथा उद्योग चैंबरों की सहायता से एल ए सी क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष अनेक आयोजन आयोजित किए जाते हैं। हाल के वर्षों में इनमें से कुछ आयोजनों में फेकॉन बातीमत (ब्राजील), हॉस्पिटालार (ब्राजील), डाई केम एक्सपो (ब्राजील), आईफैक्स लैटम (कोलम्बिया), इंडी कोलम्बिया, एक्सपोटेक्टिल (पेरू), कोलंबियाटेक्स, बीएसएम (चिली), बीएसएम (ब्राजील) और इंडिया शो (पेरू) शामिल हैं।

7. एलएसी क्षेत्र के साथ संबंध कायम करना

क. संस्थागत तंत्र

(i) भारत- ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र (टीएमएम) : भारत और ब्राजील के बीच यह तंत्र व्यापार और निवेश से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने और उनका समाधान करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। ब्राजील-भारत व्यापार अनुवीक्षण तंत्र (टीएमएम) की चौथी बैठक 30 सितंबर, 2016 को ब्रासीलिया में आयोजित की गई थी। बैठक में व्यापार और निवेश से संबंधित दोनों पक्षों के सभी बकाया मुद्दों को कवर किया गया और यह बैठक अन्य बातों के साथ-साथ द्विपक्षीय व्यापार के विस्तार पर केंद्रित थी। दोनों पक्षों ने भांति-भांति के ऐसे द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की, जो दोनों देशों के बीच व्यापार को बाधित करते हैं। अगली बैठक नई दिल्ली में आयोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित है।

(ii) भारत-इक्वाडोर संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति (जेटको) : 19 अप्रैल 2013 को क्योटो में भारत और इक्वाडोर के बीच आर्थिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित रूपरेखा के भीतर भारत और इक्वाडोर ने परस्पर लाभ के आधार पर व्यापार, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 7 अक्टूबर 2015 को संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति (जेटको) की स्थापना की है। जेटको की पहली बैठक इक्वाडोर के गुआयाकिल में 17 मई, 2017 को हुई थी। दोनों पक्षों ने व्यापार से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की और एक अधिमान्य व्यापार करार निष्पादित करने की संभावना का पता लगाने के लिए भी सहमत हुए। व्यापार करार की संभावना का पता लगाने के लिए, दोनों पक्षों की एजेंसियों ने संयुक्त अध्ययन रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है। दोनों

पक्ष रिपोर्ट पर विचार करेंगे और आगे का रास्ता तय करने के लिए उचित कार्रवाई करेंगे।

(iii) भारत कोलंबिया संयुक्त व्यापार विकास सहयोग समिति (जेसीबीडीसी): भारत और कोलम्बिया ने 30 अप्रैल 2010 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे भारतीय पक्ष से वाणिज्य सचिव और कोलम्बियाई पक्ष से उद्यमिता विकास के लिए उप मंत्री की अगुवाई में व्यवसाय विकास सहयोग पर संयुक्त समिति (जेसीबीडीसी) का गठन हुआ। भारत और कोलम्बिया में दो साल में एक बार वैकल्पिक रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं। अब तक, जेसीबीडीसी की तीन बैठकें हो चुकी हैं। तीसरी बैठक 19 मई, 2017 को कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित की गई थी। इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के मुद्दों और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा की। इसके अलावा दोनों पक्ष केवल वस्तुओं को कवर करने वाले आंशिक कार्यक्षेत्र व्यापार करार निष्पादित करने की संभावना का पता लगाने के लिए सहमत हुए हैं। व्यापार करार की संभावना का पता लगाने के लिए संयुक्त अध्ययन के लिए विचारार्थ विषय को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जेसीबीडीसी की अगली बैठक नई दिल्ली में होने वाली है।

ख. दौरे

i) एलएसी देशों में राष्ट्रपति का दौरा

भारत के माननीय राष्ट्रपति ने 19-22 जून, 2018 के दौरान सूरीनाम और क्यूबा का दौरा किया और 29 मार्च, 2019 और 1 अप्रैल, 2019 को बोलीविया और चिली का दौरा किया। एलएसी क्षेत्र के इन देशों के राष्ट्रपति की यात्रा

इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इससे व्यापार और निवेश सहित सभी क्षेत्रों में हमारी द्विपक्षीय भागीदारी मजबूत हुई है।

ii) एलएसी देशों में उपराष्ट्रपति का दौरा

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति ने 6-11 मई, 2018 के दौरान ग्वाटेमाला, पनामा और पेरू का दौरा किया और 5-9 मार्च, 2019 के दौरान पैराग्वे और कोस्टारिका का दौरा किया। यह उपराष्ट्रपति द्वारा भारत से पैराग्वे और कोस्टारिका के लिए पहली उच्च स्तरीय यात्रा थी। इन देशों के उपराष्ट्रपति की यात्रा का उद्देश्य एलएसी क्षेत्र के महत्वपूर्ण देशों में भारत के आउटरीच का विस्तार करना था और इससे व्यापार और निवेश सहित हमारे द्विपक्षीय संबंधों में गति मिली।

iii) वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री का कैरेबियाई देशों का दौरा

वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री ने 23-28 अप्रैल, 2018 के दौरान सेंट किट्स एंड नेविस और एंटीगुआ और बारबुडा का दौरा किया। यह यात्रा भारत सरकार की विशेष 'आउटरीच पहल' का हिस्सा थी। इस यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक और गहरा करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की और यह बताने का अवसर दिया कि भारत कैरेबियाई देशों के साथ दीर्घकालिक संबंध स्थापित करना चाहेगा।

(ग) भारत - मर्कोसुर पीटीए :

भारत ने 25 जनवरी 2004 को चार मूल सदस्यों (अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे और उरुग्वे) के साथ एक तरजीही व्यापार करार

(पीटीए) पर 5 अनुबंधों के साथ हस्ताक्षर किए, जो 1 जून 2009 से प्रभावी हुआ। विद्यमान तरजीही व्यापार करार में भारत ने 450 टैरिफ लाइनों पर मार्जिन ऑफ प्रेफरेंस (एमओपी) की पेशकश की है तथा मर्कोसुर ने 452 टैरिफ लाइनों पर एमओपी की पेशकश की है। मौजूदा भारत-मर्कोसुर पीटीए का विस्तार किया जा रहा है क्योंकि भारत और मर्कोसुर के लिए पूरकताओं की तलाश करने और बढ़े हुए द्विपक्षीय व्यापार से फायदा उठाने की पर्याप्त गुंजाइश मौजूद है।

(घ) भारत - चिली पीटीए :

20 जनवरी 2005 को हस्ताक्षरित रूपरेखा करार के अनुवर्तन के रूप में 8 मार्च 2006 को भारत - चिली तरजीही व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए गए जो चिली में 17 अगस्त 2007 से और भारत में 11 सितंबर 2007 को प्रभावी हुआ। इस तरजीही व्यापार करार के तहत भारत और चिली ने 8 डिजिट स्तर पर क्रमशः 178 और 296 टैरिफ लाइनों पर मार्जिन ऑफ प्रेफरेंस (एमओपी) की पेशकश की है। भारत - चिली तरजीही व्यापार करार पर 6.9.2016 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाने के साथ भारत-चिली पीटीए का विस्तार हो गया, और यह 16.5.2017 से प्रभावी हुआ। यह करार वाणिज्य विभाग की वेबसाइट: <http://commerce.gov.in> पर "व्यापार करार" शीर्षक के तहत उपलब्ध है।

(ङ) प्रशांत गठजोड़ के साथ संबंध कायम करना

वर्ष 2013 में गठित, प्रशांत गठजोड़ मेक्सिको, कोलंबिया, पेरू और चिली से मिलकर बना

एक महत्वपूर्ण और उभरता हुआ व्यापार ब्लॉक है। प्रशांत गठजोड़ ने फरवरी, 2014 में भारत को "प्रेक्षक का दर्जा" प्रदान किया था। प्रशांत गठजोड़ के प्रेक्षक सदस्य के रूप में, भारत प्रशांत गठजोड़ के प्रेक्षक देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेता है।

जारी पहल

क. भारत पेरू व्यापार करार : भारत पेरू के साथ वस्तुओं, सेवाओं और निवेश में व्यापार को कवर करने वाले व्यापार करार पर वार्ता कर रहा है। अब तक, चार दौर की वार्ता हो चुकी है। आखिरी दौर की वार्ता लीमा, पेरू में 11-15 मार्च, 2019 को आयोजित की गई थी। 5वां दौर नई दिल्ली में आयोजित होने के लिए नियत है।

ख. भारत - मर्कोसुर पीटीए का विस्तार :

25 जनवरी 2004 को हस्ताक्षरित और 1 जून 2009 से प्रभावी हुए विद्यमान पीटीए का विस्तार किया जा रहा है क्योंकि भारत और मर्कोसुर के लिए पूरकताओं की तलाश करने और बढ़े हुए द्विपक्षीय व्यापार से फायदा उठाने की पर्याप्त गुंजाइश मौजूद है।

ग. भारत-इक्वाडोर व्यापार करार: - दोनों पक्ष संयुक्त अध्ययन के माध्यम से व्यापार करार की व्यवहार्यता का पता लगा रहे हैं। दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त अध्ययन की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया है। विचारार्थ विषय को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, दोनों पक्षों की एजेंसियों ने व्यापार करार की व्यवहार्यता पर संयुक्त अध्ययन रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है। दोनों पक्ष रिपोर्ट पर विचार करेंगे और आगे का रास्ता तय करने पर उचित कार्रवाई करेंगे।

घ. भारत- कोलंबिया व्यापार करार : 19 मई, 2017 को कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित व्यापार विकास सहयोग पर भारत कोलंबिया संयुक्त समिति की तीसरी बैठक के दौरान दोनों पक्ष व्यापार करार के लिए अपनाए जाने वाले संभावित ढांचे का पता लगाने के लिए सहमत हुए। 8 नवंबर, 2017 को माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री और कोलंबिया के वाणिज्य, उद्योग और पर्यटन मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक में, दोनों पक्षों ने पीटीए की संभावना का पता लगाने का निर्णय लिया। एक आंशिक कार्यक्षेत्र व्यापार करार के लिए संयुक्त अध्ययन के लिए विचारार्थ विषय को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

ड. 'एलएसी के साथ भारत का आर्थिक संबंध - व्यापार और निवेश के लिए कार्यनीति' पर अध्ययन :

एलएसी क्षेत्र में व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए, विभाग की एमएआई योजना के तहत 20.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के साथ रिसर्च ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम (आरआईएस) को 'एलएसी के साथ भारत का आर्थिक संबंधन - व्यापार और निवेश के लिए कार्यनीति' पर अध्ययन का कार्य सौंपा गया था। आरआईएस ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

8. लाइन ऑफ क्रेडिट

एग्जिम बैंक विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों तथा अन्य विदेशी संस्थाओं को लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी) प्रदान करता है ताकि उन देशों के क्रेता ऋण की आस्थगित शर्तों पर भारत से

माल एवं सेवाओं का आयात कर सकें। वित्त पोषण का यह तंत्र भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से एस एम ई को गैर-अवलंब वित्त पोषण का एक सुरक्षित तरीका प्रदान करता है और बाजार में प्रवेश करने के एक कारगर साधन के रूप में काम करता है। ऋण सहायता के ब्यौरे एग्जिम बैंक की वेबसाइट:

<https://www.eximbankindia.in/lines-of-credit-GOILLOC.aspx> पर उपलब्ध हैं।

एग्जिम बैंक के अनुसार, 2018-19 तक की स्थिति के अनुसार एल ए सी देशों में बैंकों/सरकारों के लिए एग्जिम बैंक द्वारा दी गई अट्टाइस क्रेडिट लाइनें क्रियाशील हैं।

9. ईसीजीसी सुरक्षा कवर

भारत निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) जोखिम के लिए अंक प्रदान करने की विधि के आधार पर इन देशों की ग्रेडिंग की आवधिक आधार पर व्यापक समीक्षा करता है। एल ए सी क्षेत्र पर ई सी जी सी देश जोखिम और बीमा पॉलिसी (जिसकी समीक्षा 31.12.2018 को की गई) के अनुसार लैटिन अमरीका के अठारह देशों को ए 1 और ए 2 की कम जोखिम वाली श्रेणी में, उन्नीस देशों को बी₁ और बी₂ की साधारण जोखिम श्रेणियों में और दो देशों को सी₁ की अधिक जोखिम श्रेणी में रखा गया है। केवल वेनेजुएला को बहुत अधिक जोखिम वाली श्रेणी डी में रखा गया है। ई सी जी सी कवर का ब्यौरा ई सी जी सी की वेबसाइट: <https://www.ecgc.in/>

<https://eximmitra.in/en/information-data-on-exports/country-rating> पर उपलब्ध है।

VII. अफ्रीका के साथ व्यापार

उप सहारा अफ्रीका (एसएसए) क्षेत्र के साथ व्यापार

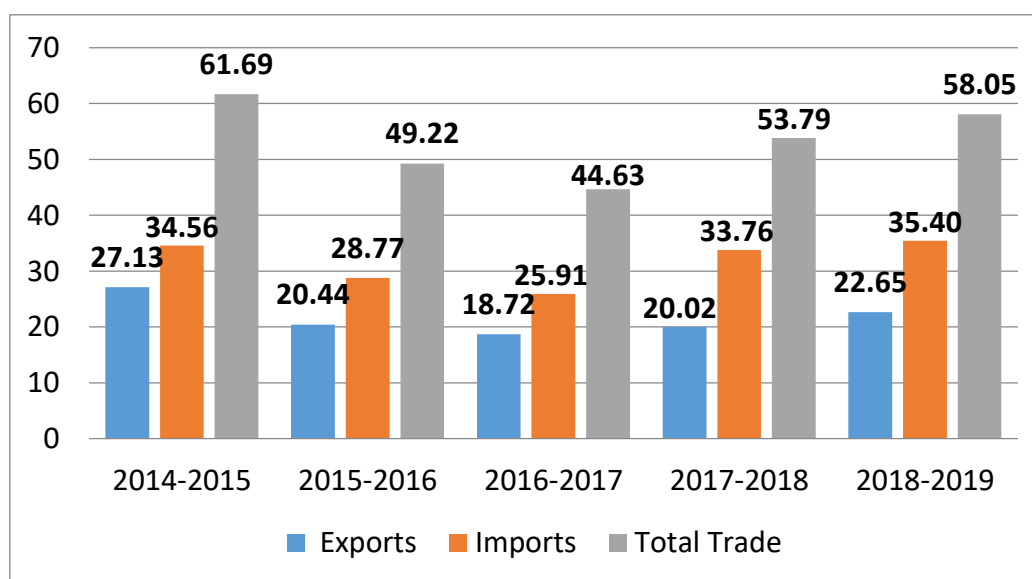
2018-19 के दौरान उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र के साथ भारत का कुल व्यापार 58.05 बिलियन अमरीकी डॉलर था (विश्व के साथ भारत के कुल व्यापार का 6.88%) जबकि 2017-18 में यह 53.79 बिलियन अमरीकी डॉलर (विश्व के साथ भारत के कुल व्यापार का 6.99%) था। जबकि 2018-19 में एसएसए क्षेत्र में भारत का कुल निर्यात 22.65 बिलियन अमरीकी डॉलर था और भारत का आयात 35.40 बिलियन अमरीकी डॉलर था, यानी भारत समग्र रूप में एसएसए के साथ व्यापार घाटे में है।

दुनिया के लिए भारत के कुल निर्यात की एक प्रतिशतता के रूप में एसएसए देशों को भारत का निर्यात 2018-19 में 6.87% था। विश्व से भारत के कुल आयात में एसएसए क्षेत्र की हिस्सेदारी 2018-19 में 6.89% थी। 2018-19 के दौरान एसएसए देशों को हमारा निर्यात 13.13%, और हमारा आयात 4.85% बढ़ा।

एसएसए क्षेत्र में भारत के निर्यात की दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका पहले स्थान पर है। एसएसए क्षेत्र के अन्य प्रमुख गंतव्य स्थानों में नाइजीरिया, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक और मॉरीशस शामिल हैं।

2014-15 से 2018-19 तक वर्षवार द्विपक्षीय व्यापार आंकड़े वित्तीय :

मूल्य बिलियन अमरीकी डालर में



वित्त वर्ष 2014-15 और वित्त वर्ष 2018-19 से भारत और अफ्रीका क्षेत्र के बीच द्विपक्षीय व्यापार

मूल्य बिलियन अमरीकी डालर में

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल व्यापार	व्यापार संतुलन
2014-15	27.13	34.56	61.69	-7.43
2015-16	20.44	28.77	49.22	-8.33
2016-17	18.72	25.91	44.63	-7.19
2017-18	20.02	33.76	53.79	-13.73
2018-19	22.65	35.40	58.05	-12.75

स्रोत: डीजीसीआईएस, कोलकाता

2018-19 के दौरान पश्चिम अफ्रीकी देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार **27.78** बिलियन अमरीकी डालर था, जबकि **2017-18** के दौरान **23.55** बिलियन अमरीकी डालर था। चावल (बासमती के अलावा), ड्रग फार्मूलेशन, जैविक पदार्थ, पेट्रोलियम उत्पाद, सूती कपड़े, मेडअप आदि, डेयरी के लिए औद्योगिक मशीनरी आदि, दो और तीन पहिया वाहन, मोटर वाहन/कारें, लोहा और इस्पात के उत्पाद, वैद्युत मशीनरी और उपकरण और सहायक उपकरण सहित आरएमजी कॉटन **2018-19** के दौरान निर्यात की प्रमुख वस्तुएं थीं। पेट्रोलियम: कूड, सोना, पेट्रोलियम उत्पाद, काजू, अकार्बनिक रसायन, बल्क खनिज और अयस्क, लोहा और इस्पात, अन्य लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के उत्पाद और उर्वरक कूड **2018-19** के दौरान क्षेत्र से आयात के प्रमुख उत्पाद थे।

दक्षिणी अफ्रीकी कस्टम यूनियन के देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार **2017-18** के दौरान के **12.67** बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में **2018-19** के दौरान **11.93** बिलियन अमरीकी

डालर था। मोटर वाहन/कारें, ड्रग फार्मूलेशन, जैविक पदार्थ, पेट्रोलियम उत्पाद, जहाज, नाव और फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, मोती, कीमती, अर्धकीमती रत्न, एक्सेसरीज सहित रेडीमेड कॉटन, टेलीकॉम इंस्ट्रुमेंट्स, आयरन एंड स्टील के उत्पाद, ऑटो कंपोनेंट्स / पार्ट्स, बल्क ड्रग्स, ड्रग इंटरमीडिएट्स **2018-19** के दौरान क्षेत्र के लिए निर्यात की प्रमुख वस्तुएं थीं। कोयला, कोक और ब्रिकेट्स आदि, कीमती, अर्धकीमती रत्न, सोना, बल्क खनिज और अयस्क, लौह अयस्क, लोहा और इस्पात, जहाज, नाव और फ्लोटिंग संरचना, लुगदी और बेकार कागज, आईसी इंजन और पार्ट्स, अकार्बनिक रसायन **2018-19** के दौरान क्षेत्र से आयात की प्रमुख वस्तुएं थीं।

अन्य दक्षिण अफ्रीकी देशों में देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार **2018-19** के दौरान **7.49** बिलियन अमरीकी डालर था जबकि **2017-18** के दौरान **8.01** बिलियन अमरीकी डालर था। पेट्रोलियम उत्पाद, ड्रग फार्मूलेशन, जैविक पदार्थ, डेयरी इत्यादि के लिए औद्योगिक मशीनरी, सूती कपड़े, मेड-अप आदि, मोटर

वाहन / कारें, प्लास्टिक कच्चे माल, पैकेजिंग सामग्री, भैंस का मांस, कागज, कागज बोर्ड और उत्पाद और प्रसाधन सामग्री और टॉयलेटरीज 2018-19 के दौरान इस क्षेत्र में निर्यात की प्रमुख वस्तुएं थीं। पेट्रोलियम: कूड, कोयला, कोक और ईट भट्टे इत्यादि, पेट्रोलियम उत्पाद, तांबा और तांबे से बने उत्पाद, दलहन, मोती, कीमती, अर्धकीमती रत्न, काजू, संसाधित मिनरल्स, बल्क मिनरल्स और अयस्क 2018-19 के दौरान क्षेत्र से आयात की प्रमुख वस्तुएं थीं।

पूर्वी अफ्रीका के देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार 2017-18 के दौरान के 7.93 बिलियन अमरीकी डॉलर के मुकाबले 2018-19 के दौरान 8.94 बिलियन अमरीकी डॉलर था। पेट्रोलियम उत्पाद, ड्रग फॉर्मूलेशन्स, जैविक पदार्थ, चावल (बासमती से इतर), चीनी, डेयरी आदि के लिए औद्योगिक मशीनरी, लोहा और इस्पात, मोटर वाहन / कारें, प्लास्टिक के कच्चे माल, रबर / कैनवास के फुटवीयर, लोहे और इस्पात के उत्पाद 2018-19 के दौरान क्षेत्र में निर्यात की प्रमुख वस्तुएं थीं। सोना, मोती, कीमती, अर्धकीमती रत्न, तांबा और तांबे से बने उत्पाद, दालें, मसाले, अन्य तिलहन, टेलीकॉम उपकरण, लोहा और इस्पात, अन्य जिंस, काजू 2018-19 के दौरान क्षेत्र से आयात की प्रमुख वस्तुएं थीं।

मध्य अफ्रीकी देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार 2018-19 के दौरान 1.89 बिलियन अमरीकी डॉलर था जबकि 2017-18 के दौरान 1.62 बिलियन अमरीकी डॉलर था। ड्रग फॉर्मूलेशन्स, जैविक पदार्थ, दो और तीन पहिया

वाहन, जिसमें डेयरी आदि के लिए मशीनरी, इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरण, लोहा और इस्पात के उत्पाद, सूती कपड़े, मेडअप आदि, पेपर, पेपर बोर्ड और उत्पाद, कृषि रसायन, पेट्रोलियम उत्पाद और मोटर वाहन / कारें आदि शामिल हैं, 2018-19 के दौरान क्षेत्र में निर्यात की प्रमुख वस्तुएं थीं। पेट्रोलियम: कूड, दलहन, कोकोआ के उत्पाद, अन्य जिंस, सीसा और सीसे से बने उत्पाद, अन्य तिलहन, कॉफी, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के उत्पाद, अन्य लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद और तैयार चमड़ा 2018-19 के दौरान क्षेत्र से आयात की प्रमुख वस्तुएं थीं।

2018-19 के दौरान हाथ में ली गई गतिविधियाँ

i. भारत और मॉरीशस के बीच भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी करार (सीईसीपीए)

भारत और मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और अंशकालिक समझौते (सीईसीपीए) पर बातचीत कर रहे हैं, जो सामान्य आर्थिक सहयोग के अलावा, वस्तुओं के व्यापार और सेवाओं में व्यापार के क्षेत्र दोनों को पारस्परिक रूप से लाभान्वित करे। भारत-मॉरीशस सीईसीपीए वार्ता के सात (7) दौर अब तक आयोजित किए गए हैं। 7वें दौर की वार्ता का मॉरीशस में 19-23 नवंबर, 2018 को आयोजन किया गया। इन दौरों के दौरान, वस्तुओं में व्यापार, सेवाओं में व्यापार, उत्पत्ति के नियम, टीबीटी और एसपीएस, और सामान्य आर्थिक सहयोग पर बातचीत हुई।

ii. भारत और रवांडा के बीच व्यापार सहयोग फ्रेमवर्क

भारत और रवांडा के बीच व्यापार सहयोग फ्रेमवर्क पर 23 जुलाई, 2018 को माननीय प्रधान मंत्री की रवांडा यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे।

iii. भारत-केन्या संयुक्त व्यापार समिति का आठवां सत्र

भारत-केन्या संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) का आठवां सत्र 23-24 अगस्त, 2018 को केन्या के नैरोबी में आयोजित किया गया था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और केन्याई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व महामहिम मि. पीटर मुन्या, केन्या गणराज्य के उद्योग, व्यापार और सहकारिता मंत्रालय के कैबिनेट सचिव (मंत्री) ने किया।

बैठक के दौरान, एमएसएमई, कृषि, आईसीटी, पर्यटन, मानकों का प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, निवेश संवर्धन और संरक्षण, वायु सेवा, ऊर्जा, प्लास्टिक, वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, तेल और गैस, स्वास्थ्य, ऑटोमोबाइल और अन्य इंजीनियरिंग उत्पादों जैसे क्षेत्रों में चर्चा हुई।

iv. सीआईआई-एक्जिम बैंक क्षेत्रीय कॉन्क्लेव

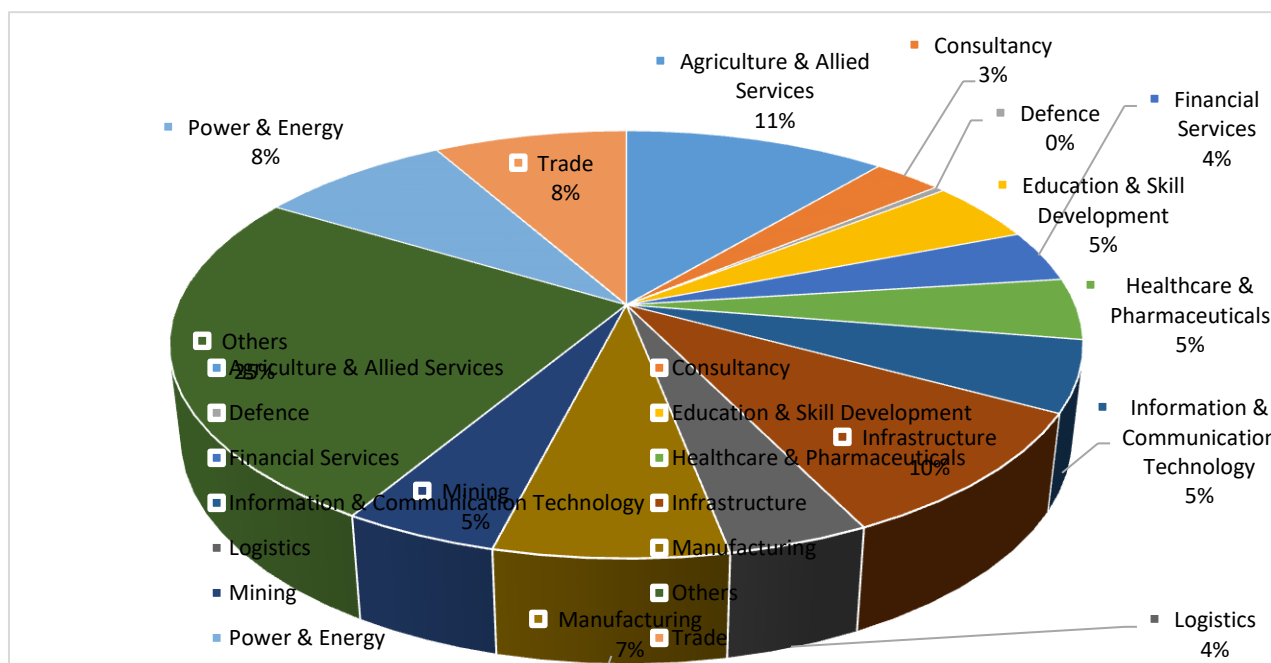
भारत-पश्चिम अफ्रीका प्रोजेक्ट पार्टनरशिप पर सीआईआई-एक्जिम बैंक क्षेत्रीय कॉन्क्लेव का नाइजीरिया में 8-9 अक्टूबर, 2018 को आयोजन किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने माननीय राज्य मंत्री के नेतृत्व में क्षेत्रीय कॉन्क्लेव का उद्घाटन करने के लिए नाइजीरिया का दौरा किया।

v. व्यापार और निवेश पर भारत-दक्षिण अफ्रीका संयुक्त कार्यदल (जेडब्ल्यूजी)

व्यापार और निवेश पर भारत-दक्षिण अफ्रीका संयुक्त कार्यदल (जेडब्ल्यूजी) का पहला सत्र 23 जनवरी, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। बैठक के दौरान, बाजार पहुंच और मानक, भारतीय फार्माकोपिया की मान्यता, व्यापार संवर्धन आदि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई।

vi. प्रोजेक्ट साझेदारी पर 14वाँ भारत - अफ्रीका कॉन्क्लेव

भारत-अफ्रीका प्रोजेक्ट पार्टनरशिप पर 14वां सीआईआई-एक्जिम कॉन्क्लेव 17 से 19 मार्च, 2019 को नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था। 16 अफ्रीकी देशों के 28 अफ्रीकी मंत्रियों, 600 से अधिक अफ्रीकी प्रतिनिधियों और लगभग 400 भारतीय प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। महामहिम डा. महामुंडु बावुमिया, उपराष्ट्रपति, घाना गणराज्य; महामहिम डॉ. इब्राहिमा कासोरी फोफाना, प्रधान मंत्री, गिनी गणराज्य और माननीय मोनयेने मोलेक्की, उप प्रधान मंत्री, लेसोथो किंगडम ने कॉन्क्लेव में सम्मानित अतिथियों के रूप में अध्यक्षता की। कॉन्क्लेव में अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, हेल्थकेयर, पावर और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्रों में 540 प्रोजेक्ट अवसरों और 500 से अधिक बी2बी बैठकें भी निर्धारित थीं। जिन परियोजना अवसरों पर चर्चा की गई उनका नीचे आकृति में क्षेत्रवार विवरण दिया गया है :



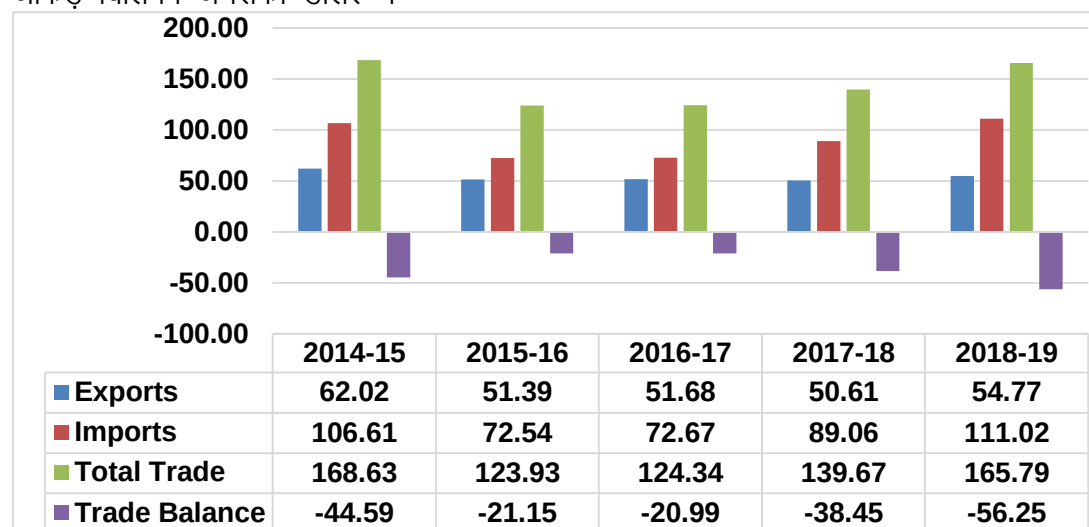
VIII. डब्ल्यूएनए के साथ व्यापार

पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका (डब्ल्यूएनए) क्षेत्र में 19 देश शामिल हैं। ये हैं:

- (i) छः खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देश (बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात),
- (ii) छः पश्चिम एशियाई देश (इराक, इजरायल, जार्डन, लेबनान, यमन और सीरिया) तथा
- (iii) सात उत्तर अफ्रीकी देश (अल्जीरिया, मिश्र, लीबिया, मोरक्को, सुडान, ट्यूनिशिया और दक्षिण सुडान)

डब्ल्यूएनए देशों के साथ भारत का कुल व्यापार वर्ष 2017-18 के 139.67 बिलियन अमरीकी डालर (विश्व के साथ भारत के कुल व्यापार का 18.16%) के मुकाबले वर्ष 2018-19 के दौरान 165.79 बिलियन अमरीकी डालर (विश्व के साथ भारत के कुल व्यापार का 19.64%) था। हांलाकि 2018-19 के दौरान भारत का डब्ल्यूएनए देशों को कुल निर्यात 54.77 बिलियन अमरीकी डालर था और उसी अवधि के दौरान भारत का कुल आयात 111.02 बिलियन अमरीकी डालर था अर्थात् भारत डब्ल्यूएनए देशों के सापेक्ष व्यापार घाटे में है (ग्राफ का अवलोकन करें)।

वित्त वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान भारत और डब्ल्यूएनए देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार :
आकड़ें बिलियन अमरीकी डालर में



2. विश्व को भारत के कुल निर्यात के प्रतिशत के रूप में डब्ल्यूएनए देशों को निर्यात की भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2018-19 में 16.59% थी। वर्ष 2018-19 में डब्ल्यूएनए क्षेत्र का कुल आयात भारत का पूरे विश्व से कुल आयात का 21.60% था। वर्ष 2018-19 के दौरान डब्ल्यूएनए देशों को हमारा कुल निर्यात 8.22% बढ़ा तथा हमारा आयात 24.66% बढ़ा।

3. डब्ल्यूएनए क्षेत्र और जीसीसी देशों में संयुक्त अरब अमीरात भारत के निर्यात के ठिकानों में प्रथम स्थान पर रहा। डब्ल्यूएनए क्षेत्र में अन्य प्रमुख ठिकानों में सऊदी अरब, इजरायल, मिश्र, कतर, इराक और ओमान शामिल हैं।

क्र. सं.	देश	2017-2018				2018-2019				% वृद्धि	
		निर्यात	आयात	कुल व्यापार	द्वि. व्यापार	निर्यात	आयात	कुल व्यापार	द्वि. व्यापार	निर्यात	आयात
1	अल्जीरिया	823.23	1260.98	2084.20	-437.75	940.27	1696.96	2637.22	-756.69	14.22	34.57
2	बहरीन	556.82	431.12	987.94	125.70	742.14	539.63	1281.77	202.51	33.28	25.17
3	मिश्र	2392.42	1292.93	3685.36	1099.49	2886.55	1677.82	4564.37	1208.72	20.65	29.77
4	इराक	1462.23	17615.81	19078.04	-16153.58	1788.66	22372.47	24161.14	-20583.81	22.32	27.00
5	इजरायल	3364.06	2066.51	5430.57	1297.55	3717.98	1931.58	5649.57	1786.40	10.52	-6.53
6	जार्डन	540.82	984.98	1525.80	-444.16	578.82	1116.25	1695.06	-537.43	7.03	13.33
7	कुवैत	1365.66	7165.69	8531.34	-5800.03	1333.92	7430.82	8764.74	-6096.90	-2.32	3.70
8	लेबनान	257.10	38.47	295.57	218.62	268.67	43.94	312.60	224.73	4.50	14.20
9	लीबिया	121.96	100.64	222.60	21.33	156.76	146.16	302.92	10.61	28.53	45.23
10	मोरक्को	432.32	779.63	1211.95	-347.30	680.06	1326.69	2006.76	-646.63	57.30	70.17
11	ओमान	2439.46	4264.29	6703.76	-1824.83	2246.31	2757.60	5003.91	-511.30	-7.92	-35.33
12	कतर	1471.88	8409.02	9880.90	-6937.14	1611.16	10721.70	12332.86	-9110.54	9.46	27.50
13	सऊदी अरब	5410.70	22069.96	27480.66	-16659.26	5561.73	28479.21	34040.93	-22917.48	2.79	29.04
14	सुडान	822.72	452.07	1274.78	370.65	920.89	742.63	1663.52	178.25	11.93	64.28
15	दक्षिण सुडान	3.54	70.56	74.10	-67.02	10.53	89.97	100.50	-79.43	197.53	27.51
16	सीरिया	153.32	25.66	178.98	127.65	154.59	14.17	168.76	140.42	0.83	-44.78
17	ट्यूनिशिया	281.77	140.25	422.02	141.52	304.21	137.87	442.08	166.34	7.96	-1.70
18	यूएई	28146.12	21739.11	49885.23	6407.01	30126.60	29784.95	59911.55	341.65	7.04	37.01
19	यमन	563.46	153.05	716.52	410.41	741.32	11.77	753.09	729.55	31.56	-92.31
डब्ल्यूएनए का कुल		50609.59	89060.73	139670.32	-38451.14	54771.15	111022.19	165793.34	-56251.04	8.22	24.66

वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान भारत और डब्ल्यूएनए क्षेत्र के बीच द्विपक्षीय व्यापार (आकड़े मिलियन अमरीकी डालर में)

5. वर्ष 2018-19 के दौरान डब्ल्यूएनए क्षेत्र को भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख बस्तुएं

- (i) पश्चिम एशिया-जीसीसी क्षेत्र : इस क्षेत्र को भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली 10 शीर्ष बस्तुओं (% सहित) में सोना और अन्य मूल्यवान धातु के आभूषण (17.04%), पेट्रोलियम उत्पाद (16.98%), जहाज, नाव और फ्लोटिंग संरचना (4.40%), चावल-बासमती (3.90%), मोती, मूल्यवान, कम मूल्यवान पत्थर (3.82%), लोहा और इस्पात (2.65%), दूरसंचार यंत्र (2.51%), आरएमजी काटन सहित एसेसरीज (2.43%), लोहा और इस्पात के उत्पाद (2.33%), कार्बनिक रसायन (2.12%) शामिल हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान चावल-बासमती (-1.66%), मोती, मूल्यवान और कम मूल्यवान पत्थर (-22.40%), आरएमजी काटन सहित एसेसरीज (-0.88%), लोहा और इस्पात के उत्पाद (-9.32%), कार्बनिक रसायन (-8.20%) के निर्यात में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

- (ii) अन्य पश्चिम एशिया क्षेत्र : इस क्षेत्र को भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली 10 शीर्ष बस्तुओं (% सहित) में पेट्रोलियम उत्पाद (23.27%), चावल-बासमती (21.34%), मोती, मूल्यवान, कम मूल्यवान पत्थर (9.45%), ड्रग फार्मूलेशन, बायोलॉजिकल (2.63%), भैंस का मांस (2.02%), खाद्य तेल (1.96%), बल्क ड्रग, ड्रग इंटरमीडिएट (1.95%), मसाले (1.91%) अवशिष्ट रसायन और संबद्ध उत्पाद (1.61%), चाय (1.52%) शामिल हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान मोती, मूल्यवान और कम मूल्यवान पत्थर (-2.41%) के निर्यात में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

- (iii) उत्तर अफ्रीका क्षेत्र : इस क्षेत्र को भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली 10 शीर्ष बस्तुओं (% सहित) में पेट्रोलियम उत्पाद (11.25%), मोटर वाहन/कार (9.26%), चीनी (4.76%), हाथ से बुने

धागे, कपड़े, मेड-अप्स (4.45%), सुती धागा (3.49%), डेयरी आदि के लिए औद्योगिक मशीनरी आदि (3.78%), ड्रग फार्मूलेशन, बायोलॉजिकल्स (3.49%), प्लास्टिक की कच्ची सामग्री (3.06%), भैंसे का मांस (2.86%), बल्क ड्रग, ड्रग इंटरमीडिएट (2.80%) शामिल हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान भैंसे का मांस (-46.09%) के निर्यात में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

6. वर्ष 2018-19 के दौरान डब्ल्यूएनए क्षेत्र से भारत में आयात की जाने वाली प्रमुख बस्तुएं

- (i) पश्चिम एशिया-जीसीसी क्षेत्र : इस क्षेत्र से भारत द्वारा आयात की जाने वाली 10 शीर्ष बस्तुओं (% सहित) में पेट्रोलियम: कच्चा तेल (48.10%), पेट्रोलियम उत्पाद (21.29%), मोती, मूल्यवान, कम मूल्यवान पत्थर (7.42%), सोना (3.19%), प्लास्टिक की कच्ची सामग्री (2.56%), कार्बनिक रसायन (2.53%), एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के उत्पाद (1.35%), तांबा और तांबे के बने उत्पाद (1.22%), जहाज, नाव और फ्लोटिंग संरचना (1.14%), शामिल हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान सोना (-28.21%), प्लास्टिक की कच्ची सामग्री (-6.46%), कार्बनिक रसायन (-23.33%), एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के बने उत्पाद (-2.91%) के आयात में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

- (ii) अन्य पश्चिम एशिया क्षेत्र : इस क्षेत्र से भारत द्वारा आयात की जाने वाली 10 शीर्ष बस्तुओं (% सहित) में पेट्रोलियम: कच्चा तेल (88.11%), मोती, मूल्यवान, कम मूल्यवान पत्थर (2.31%), विनिर्मित ऊर्वरक (1.90%), अकार्बनिक रसायन (1.70%), डाई इंटरमीडिएट (1.23%), ऊर्वरक बनाने का कच्चा सामान (0.80%), पेट्रोलियम उत्पाद (0.69%), दूरसंचार यंत्र (0.45%), ताजे फल (0.37%), एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के उत्पाद (0.20%) शामिल हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान मोती, मूल्यवान और कम मूल्यवान पत्थर (-9.58%), विनिर्मित ऊर्वरक (-20.65%), अकार्बनिक रसायन (-7.52%), ताजे फल (-37.83%) के आयात में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

- (iii) **उत्तर अफ्रीका क्षेत्र :** इस क्षेत्र से भारत द्वारा आयात की जाने वाली 10 शीर्ष बस्तुओं (% सहित) में पेट्रोलियम: कच्चा तेल (48.52%), अकार्बनिक रसायन (16.26%), विनिर्मित ऊर्वरक (9.04%), पेट्रोलियम उत्पाद (6.82%), ऊर्वरक बनाने का कच्चा सामान (6.36%), अन्य बस्तुएं (1.57%), हाथ से बुने धागे, कपड़े, मेड-अप्स (1.42%), शीशम के बीज (1.08%), अपशिष्ट सहित सूती का कच्चा सामान (1.09%), दालें (0.84%), शामिल हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान पेट्रोलियम उत्पाद (-24.33%), अपशिष्ट सहित सूती का कच्चा सामान (-19.39%) के आयात में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

7. संस्थागत व्यवस्थाएं

व्यापार और आर्थिक सहयोग से संबंधित मामलों की समीक्षा नियमित तौर पर द्विपक्षीय, संयुक्त आयोग की बैठकों या संयुक्त व्यापार और आर्थिक समिति की बैठकों में की जाती है।

सीआईआई, फिक्की, एफआईईओ, एसोचैम आदि जैसे शीर्ष व्यापार निकाय संयुक्त कारोबार परिषद (जेबीसी) के तंत्र के माध्यम से भारत के साथ व्यापार को सुकर बनाने के लिए कारोबारी प्रतिनिधि मंडल को प्रायोजित करते हैं।

वाणिज्य विभाग द्वारा संचालित संयुक्त आयोग का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	देश का नाम	समिति	अध्यक्ष	बैठक की तिथि
1.	अल्जीरिया	संयुक्त आयोग	सीएंडआईएम	25-26 मई, 2015, अल्जीयर्स
2.	इजरायल	संयुक्त व्यापार और आर्थिक समिति	सीएंडआईएम	13-14, जनवरी, 2004, तेल अवीव
4.	ओमान	संयुक्त आयोग	सीएंडआईएम	16-17 जुलाई, 2018, मस्कट
5.	मोरक्को	संयुक्त आयोग	सीएंडआईएम	20 मार्च, 2019, नई दिल्ली
6.	जार्डन	संयुक्त व्यापार और आर्थिक समिति	सीएंडआईएम	04-05, जुलाई, 2017, नई दिल्ली

8. पहल :

डब्ल्यूएनए प्रभाग में दो एफटीए पार वार्ता चल रही है।

- (i) भारत और इजरायल के बीच द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करार
(ii) भारत और जीसीसी के बीच बहुपक्षीय मुक्त व्यापार करार

- क) इजरायल के साथ मुक्त व्यापार करार (एफटीए) :

भारत और इजरायल के बीच इजरायल में दिनांक 19 और 20 फरवरी 2018 को समझौता वार्ताओं का नवां दौर आयोजित किया गया। सामानों के व्यापार के संबंध में भी समझौता वार्ताएं हुईं। तत्पश्चात, भारतीय पक्ष ने सामानों और सेवाओं के बारे में अपनी नवीनतम प्राथमिकता सूची

भेजी। इजरायल पक्ष ने भी सामानों की अपनी प्राथमिकता सूची भेजी जिसकी जांच लाइन मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से वाणिज्य विभाग में की जा रही है।

- ख) जीसीसी (खाड़ी सहयोग परिषद) के साथ मुक्त व्यापार करार (एफटीए) :

जीसीसी (जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई शामिल हैं) के साथ एफटीए पर समझौता वार्ता करने के लिए व्यापार और आर्थिक संबंध समिति (टीईआरसी) से अधिदेश प्राप्त होने के बाद जीसीसी के साथ समझौता वार्ता प्रारंभ हुई। अब तक 2006 और 2008 में समझौता वार्ताओं का दो दौर आयोजित किया जा चुका है। पिछले 11 वर्षों में अगले दौर आयोजित नहीं किए

गए हैं क्योंकि जीसीसी ने सभी देशों और आर्थिक समूहों के साथ अपनी समझौता वार्ता स्थगित कर रखी है और यह सभी देशों और आर्थिक समूहों के साथ अपनी समझौता वार्ताओं की समीक्षा कर रहा है।

IX. ओसेनिया क्षेत्र के साथ व्यापार

विदेश व्यापार (ओसेनिया) प्रभाग आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत छोटे विकासशील द्वीप समूह के 12 राज्यों (पीएसआईडीएस) नामतः फिजी, पापुआ न्यूगिनी, किरीबाती, माइक्रोनेसिया, मार्शल द्वीपसमूह, नाऊरू, पलाऊ, सोलोमन द्वीपसमूह, टोंगा, तुवालु और वानुआतु के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का प्रबंध करता है।

ओसेनिया क्षेत्र में भारत के प्रमुख व्यापार कार्यकलाप इस प्रकार हैं :

(I) आस्ट्रेलिया

(क) भारत - आस्ट्रेलिया सीईसीए समझौता वार्ता

भारत सामान, सेवाओं, निवेश और संबद्ध मामलों में व्यापार को कवर करने के लिए व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) पर समझौता वार्ता कर रहा है। अब तक समझौता वार्ता के 9 दौर आयोजित किए जा चुके हैं। पहला दौर जुलाई 2011 में आयोजित किया गया था और नवीनतम दौर अर्थात 9वां दौर 21-23 सितंबर, 2015 को आयोजित किया गया था।

(ख) भारत - आस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्रालयी आयोग (जेएमसी) बैठक

भारत - आस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्रालयी आयोग (जेएमसी) की अंतिम 15वीं बैठक का आयोजन केनबरा, आस्ट्रेलिया में दिनांक 25 जून, 2018 को किया गया था। इस बैठक की कार्यसूची में अन्य बातों के साथ-साथ भारत की आर्थिक कार्यनीति, दोनों देशों के बीच दो पक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने के रास्ते और दोनों देशों के हित के कतिपय उत्पादों के मामले में पारस्परिक बाजार पर प्रस्तुतिकरण दिया जाना शामिल था। बैठक का एक प्रमुख परिणाम आस्ट्रेड (आस्ट्रेलियाई व्यापार और निवेश आयोग या आस्ट्रेड आस्ट्रेलिया सरकार की व्यापार, निवेश और शिक्षा संवर्धन एजेंसी है) और इन्वेस्ट-इंडिया (जो भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी है) के बीच व्यापक सहयोग बढ़ाने का निर्णय लेना है जिसके परिणामस्वरूप द्विपक्षीय निवेश प्रवाह को सुकर बनाने के लिए दोनों के बीच दिनांक 22.11.2018 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए।

(II) न्यूजीलैंड

भारत न्यूजीलैंड सीईसीए समझौता वार्ताएं :

भारत सामान, सेवाओं, निवेश और संबद्ध मामलों में व्यापार को कवर करने के लिए व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) पर समझौता वार्ता कर रहा है। अब तक समझौता वार्ता के 10 दौर आयोजित किए जा चुके हैं। पहला दौर अप्रैल 2010 में आयोजित किया गया था और नवीनतम दौर अर्थात 10वां दौर 17-18 फरवरी, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

निम्नलिखित तालिका वर्ष 2017-18 के सापेक्ष 2018-19 (अप्रैल-फरवरी) में आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, पापुआ न्यूगिनी के लिए व्यापार के आंकड़े प्रदर्शित करती है:

आंकड़े अमरीकी मिलियन डालर में								
देश	2017-18				2018-19 (अप्रैल-फरवरी)			
	निर्यात	आयात	कुल व्यापार	व्यापार शेष	निर्यात	आयात	कुल व्यापार	व्यापार शेष
आस्ट्रेलिया	4012.32	13993.75	18006.07	-9981.43	3267.37	12168.15	15435.52	-8900.78
न्यूजीलैंड	352.85	643.71	996.56	-290.86	346.57	586.19	932.76	-239.62
फिजी द्वीप समूह	54.24	0.49	54.73	53.75	54.98	0.63	55.61	54.35
पापुआ न्यूगिनी (पीएनजी)	41.93	196.19	238.12	-154.26	42.26	68.82	111.08	-26.56
कुल	4461.34	14834.14	19295.48	-10372.80	3711.18	12823.79	16534.97	-9112.61

2017-18 और 2018-19 में निर्यात और आयात की दस शीर्ष वस्तुएं (अप्रैल-फरवरी)

आस्ट्रेलिया को निर्यात (आंकड़े अमरीकी मिलियन डालर में)

क्र. सं.	एचएस कोड	वस्तु	2017-18	2018-19 (अप्रैल-फरवरी)
1.	27	खनिज ईंधन, खनिज तेल और उनके आसवन उत्पाद; बिटुमिनस सबस्टेंस; मिनरल वैक्स।	1,359.97	628.40
2.	71	प्राकृतिक या कल्चर्ड मोती, बहुमूल्य या कम बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य धातु, बहुमूल्य धातु और उससे बने सामान, कृत्रिम जवाहरात; सिक्के	289.94	270.86
3.	30	दवा उत्पाद	227.02	224.64
4.	86	रेल्वे या ट्रामवे लोकोमोटिव, रोलिंग-स्टोक और इनके पार्ट; रेल वे या ट्राम वे ट्रैक फिक्सचर और फिटिंग और उनके पार्ट; यांत्रिकी	206.25	319.24
5.	84	नाभिकीय संयंत्र, ब्वायलर्स, मशीनरी और मैकेनिक उपकरण; और उनके पार्ट।	157.13	147.21
6.	85	विद्युत मशीनरी और उपकरण और उनके भाग; ध्वनि रिकॉर्डर्स और रिप्रोड्यूसर्स, टेलिविजन इमेज और साउंड रिकॉर्डर्स और रिप्रोडक्शनर्स, और पार्ट्स।	135.85	162.87
7.	87	रेलवे या ट्रामवे के अलावा वाहन रोलिंग स्टोक, और उनके पार्ट और एसेसरीज।	134.50	73.28
8.	73	लौह या इस्पात के सामान	130.51	126.13
9.	63	अन्य तैयार कपड़े के सामान; सेट्स, पुरानी पोशाक और पुराने कपड़े के सामान; रैग	130.00	119.68
10.	62	बुने हुए या क्रोशिया न किए हुए एप्पैरेल और क्लॉथिंग एसेसरीज के सामान।	109.08	102.65

आस्ट्रेलिया से आयात (आंकड़े अमरीकी मिलियन डालर में)

क्र. सं.	एचएस कोड	वस्तु	2017-18	2018-19 (अप्रैल-फरवरी)
1.	27	खनिज ईंधन, खनिज तेल और उनके आसवन उत्पाद; बिटुमिनस सबस्टेंस; मिनरल वैक्स।	9,343.96	8,912.09
2.	07	खाद्य सब्जियां और कतिपय कंद और मूल	924.14	23.10
3.	71	प्राकृतिक या कल्चर्ड मोती, बहुमूल्य या कम बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य धातु, बहुमूल्य धातु और उससे बने सामान, कृत्रिम जवाहरात; सिक्के	778.20	519.53
4.	26	ओर, स्लैग और एश	689.01	725.00
5.	28	अकार्बनिक रसायन; बहुमूल्य धातुओं या प्री अर्थ धातुओं के, या रेडी ईएलईएम या आइसोटोप्स के कार्बनिक या अकार्बनिक कंपाउंड	641.92	607.95
6.	76	एल्यूमिनियम और उससे बने सामान	212.68	181.22
7.	51	ऊन, जानवरों के पतले या मोटे बाल, घोड़े के बालों के धागे या बुने हुए कपड़े।	179.46	189.94
8.	52	सूती।	141.82	58.38
9.	08	खाद्य फल और नट्स; छिले हुए या साइट्रस फल या तरबुज।	131.69	107.51
10.	10	अनाज	131.46	5.30

न्यूजीलैंड को निर्यात (आंकड़े मिलियन अमरीकी डालर में)

क्र. सं.	एचएस कोड	वस्तु	2017-18	2018-19 (अप्रैल-फरवरी)
1.	30	दवा उत्पाद	37.97	29.90
2.	63	अन्य तैयार कपड़े के सामान; सेट्स, पुरानी पोशाक और पुराने कपड़े के सामान; रैग	26.13	27.57
3.	84	नाभिकीय संयंत्र, ब्वायलर्स, मशीनरी और मैकेनिक उपकरण; और उनके पार्ट।	23.32	19.29
4.	87	रेलवे या ट्रामवे के अलावा वाहन रोलिंग स्टोक, और उनके पार्ट और एसेसरीज	21.47	25.98
5.	71	प्राकृतिक या कल्चर्ड मोती, बहुमूल्य या कम बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य धातु, बहुमूल्य धातु और उससे बने सामान, कृत्रिम जवाहरात; सिक्के	21.24	15.63
6.	62	बुने हुए या क्रोशिया न किए हुए एपेरैल और क्लॉथिंग एसेसरीज के सामान	14.01	12.29

7.	38	विविध रासायनिक उत्पाद	9.94	9.80
8.	72	लोहा और इस्पात	9.22	9.98
9.	29	कार्बनिक रसायन	9.06	9.15
10.	61	बुने हुए या क्रोशिया किए हुए एपेरैल और क्लॉथिंग एसेसरीज के सामान।	8.97	9.74

न्यूजीलैंड से आयात (आंकड़े मिलियन अमरीकी डालर में)

क्र. सं.	एचएस कोड	वस्तु	2017-18	2018-19 (अप्रैल-फरवरी)
1.	44	लकड़ी और लकड़ी के सामान; लकड़ी का चारकोल	271.49	237.37
2.	27	खनिज ईंधन, खनिज तेल और उनके आसवन उत्पाद; बिटुमिनस सबस्टैंस; मिनरल वैक्स	116.75	76.32
3.	47	लकड़ी या अन्य रेशेदार सेल्युलोजिक सामग्री का गुदा; पेपर या पेपरबोर्ड का अपशिष्ट और कबाड़	43.53	53.98
4.	76	एल्यूमिनियम और उससे बने सामान	30.36	26.35
5.	48	पेपर और पेपरबोर्ड; पेपर पल्प, पेपर या पेपरबोर्ड के बने सामान	29.75	29.74
6.	72	लोहा और इस्पात	29.74	24.80
7.	51	ऊन, जानवरों के पतले या मोटे बाल, घोड़े के बालों के धागे या बुने हुए कपड़े	26.76	20.67
8.	08	खाद्य फल और नट्स; छिले हुए या साइट्रस फल या तरबुज	22.28	50.38
9.	84	नाभिकीय संयंत्र, बॉयलर, मशीनरी और मैकेनिक उपकरण; और उनके पार्ट	12.91	6.58
10.	41	अपरिष्कृत पशुचर्म और खाल (फरस्किन के अलावा) और चमड़ा	7.96	5.19

फिजी को निर्यात (आंकड़े मिलियन अमरीकी डालर में)

क्र. सं.	एचएस कोड	वस्तु	2017-18	2018-19 (अप्रैल-फरवरी)
1.	84	नाभिकीय संयंत्र, ब्वायलर्स, मशीनरी और मैकेनिक उपकरण; और उनके पार्ट।	6.04	6.16
2.	62	बुने हुए या क्रोशिया न किए हुए एपेरैल और क्लॉथिंग एसेसरीज के सामान।	5.97	5.04
3.	30	दवा उत्पाद।	4.18	2.94
4.	87	रेलवे या ट्रामवे के अलावा वाहन रोलिंग स्टोक, और उनके पार्ट और एसेसरीज।	4.02	2.79
5.	71	प्राकृतिक या कल्चर्ड मोती, बहुमूल्य या कम बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य धातु, बहुमूल्य धातु और उससे बने सामान, कृत्रिम जवाहरात; सिक्के।	3.20	4.68
6.	39	प्लास्टिक और उससे बने सामान।	2.91	2.31
7.	54	हाथ से बने फिलामेंट।	2.74	2.49
8.	61	बुने हुए या क्रोशिया किए हुए एपेरैल और क्लॉथिंग एसेसरीज के सामान।	2.45	2.38
9.	85	विद्युत मशीनरी और उपकरण तथा उनके पार्ट; साउंड रिकार्डर और रिप्रोड्यूसर, टेलीविजन इमेज और साउंड रिकार्डर और रिप्रोड्यूसर और पार्ट।	1.79	1.01
10.	33	इसेंसियल आयल और रेजिनायड; इत्र, कास्मेटिक या टॉयलेट प्रीपेरेशंस।	1.73	1.82

फिजी से आयात (आंकड़े मिलियन अमरीकी डालर में)

क्र. सं.	एचएस कोड	वस्तु	2017-18	2018-19 (अप्रैल-फरवरी)
1.	71	प्राकृतिक या कल्चर्ड मोती, बहुमूल्य या कम बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य धातु, बहुमूल्य धातु और उससे बने सामान, कृत्रिम जवाहरात; सिक्के।	0.33	
2.	90	ऑप्टिकल फोटोग्राफिक सिनेमेटोग्राफिक मापन, प्रिसिसन की जांच करना, मेडिकल या सर्जिकल यंत्र और उपकरण और उनके पार्ट और एसेसरीज।	0.04	0.09
3.	76	एल्यूमिनियम और उससे बने सामान।	0.04	0.00
4.	72	लोहा और इस्पात	0.03	0.20
5.	84	नाभिकीय संयंत्र, ब्वायलर्स, मशीनरी और मैकेनिक उपकरण;	0.03	0.08

		और उनके पार्ट।		
6.	47	लकड़ी या अन्य रेशेदार सेल्युलोजिक सामग्री का गुदा; पेपर या पेपरबोर्ड का अपशिष्ट और कबाड़।	0.01	
7.	39	प्लास्टिक और उससे बने सामान।	0.01	0.01
8.	98	परियोजना के सामान; कुछ विशेष उपयोग।	0.00	
9.	32	टैनिंग या डाइंग एक्सट्रैक्ट; टैनिंग और उनके डेरी डाई, पिगमेंट और अन्य रंग रोगन सामग्री; पेंट और वेर; पुट्टी और अन्य मैस्टिक्स; स्याही।	0.00	
10.	48	पेपर और पेपरबोर्ड; पेपर पल्प, पेपर या पेपरबोर्ड के बने सामान।		

पापुआ न्यूगिनी को निर्यात (आंकड़े मिलियन अमरीकी डालर में)

क्र. सं.	एचएस कोड	वस्तु	2017-18	2018-19 (अप्रैल-फरवरी)
1.	30	दवा उत्पाद।	15.45	13.70
2.	73	लोहा और इस्पात से बने सामान	6.49	4.81
3.	64	फुटवीयर, गेटर्स और इसी प्रकार के सामान; ऐसे समानों के पार्ट।	3.03	2.50
4.	84	नाभिकीय संयंत्र, ब्वायलर्स, मशीनरी और मैकेनिक उपकरण; और उनके पार्ट।	2.87	3.17
5.	90	ऑप्टिकल फोटोग्राफिक सिनेमेटोग्राफिक मापन, प्रिसिसन की जांच करना, मेडिकल या सर्जिकल यंत्र और उपकरण और उनके पार्ट और एसेसरीज।	2.32	1.48
6.	39	प्लास्टिक और उससे बने सामान।	1.91	2.21
7.	85	विद्युत मशीनरी और उपकरण तथा उनके पार्ट; साउंड रिकार्डर और रिप्रोड्यूसर, टेलीविजन इमेज और साउंड रिकार्डर और रिप्रोड्यूसर और पार्ट।	1.78	0.58
8.	40	रबर और उससे बने सामान।	0.89	0.47
9.	63	अन्य तैयार कपड़े के सामान; सेट्स, पुरानी पोशाक और पुराने कपड़े के सामान; रैग	0.82	0.76
10.	61	बुने हुए या क्रोशिया किए हुए एपेरेल और क्लॉथिंग एसेसरीज के सामान।	0.66	0.45

पापुआ न्यूगिनी से आयात (आंकड़े मिलियन अमरीकी डालर में)

क्र. सं.	एचएस कोड	वस्तु	2017-18	2018-19 (अप्रैल-फरवरी)
1.	44	लकड़ी और लकड़ी के सामान; लकड़ी का चारकोल।	92.52	37.83
2.	26	ओर, स्लैग और ऐश।	48.77	
3.	75	निकेल और उससे बने सामान।	31.91	
4.	15	जानवरों या सब्जियों की चर्बी और तेल तथा उनके क्लीवेज उत्पाद; तैयार खाद्य चर्बी; जानवरों या सब्जियों के वैक्सेज।	15.23	18.77
5.	71	प्राकृतिक या कल्चर्ड मोती, बहुमूल्य या कम बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य धातु, बहुमूल्य धातु और उससे बने सामान, कृत्रिम जवाहरात; सिक्के।	3.62	7.76
6.	09	कॉफी, चाय, मीट और मसाले।	1.97	1.08
7.	23	खाद्य उद्योगों से अपशिष्ट और कचरा; जानवरों के तैयार खाद्य पदार्थ।	1.69	1.75
8.	38	विविध रासायनिक उत्पाद।	0.33	0.06
9.	85	विद्युत मशीनरी और उपकरण तथा उनके पार्ट; साउंड रिकार्डर और रिप्रोड्यूसर, टेलीविजन इमेज और साउंड रिकार्डर और रिप्रोड्यूसर और पार्ट।	0.12	0.47
10.	76	एल्यूमिनियम और उससे बने सामान।	0.02	

x. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन

नई दिल्ली में मंत्रियों का अनौपचारिक सम्मेलन (मार्च 2018)

- एमसी 11 के परिणामस्वरूप बहुपक्षीय व्यापार के मामलों पर राजनीतिक सहभागिता को जारी रखने के लिए भारत ने 19-20 मार्च, 2018 को नई दिल्ली में डब्ल्यूटीओ मंत्रियों की एक दो दिवसीय अनौपचारिक बैठक का आयोजन किया था। विश्व व्यापार संगठन के 52 सदस्य देशों के मंत्री और अधिकारियों तथा डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक ने इस बैठक में हिस्सा लिया। डब्ल्यूटीओ में आगे के कार्य और विकास पर आगे का मार्ग विषय के लिए राजनीतिक मार्गनिर्देश प्रदान करने के उद्देश्य से चर्चा का आयोजन किया गया।
- बैठक में भाग लेने वाले लोगों ने डब्ल्यूटीओ में सम्मिलित नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के कार्यकरण

और विश्वसनीयता को संरक्षित करने और इसका संवर्धन करने की आवश्यकता पर बल दिया। अधिकांश भागीदारों ने अपीलीय बाड़ी सदस्यों की नियुक्ति में गतिरोध-जिसे डब्ल्यूटीओ की विश्वसनीयता और कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले मुद्दे के रूप में देखा जाता था, के त्वरित और तत्काल समाधान किए जाने की इच्छा व्यक्त की। अनेक अंतरालों में हालिया एकपक्षीय व्यापार उपायों और प्रस्तावित काउंटर उपायों के चक्र द्वारा डब्ल्यूटीओ नियमों और गैर-भेदभाव जैसे इसके कुछ आधारभूत सिद्धांतों के लिए उत्पन्न गंभीर जोखिम के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की गई।

मंत्रियों का अनौपचारिक सम्मेलन, पेरिस (मई 2018)

- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) की वार्षिक बैठक के साथ साथ 31 मई 2018 को पेरिस में डब्ल्यूटीओ मंत्रियों के अनौपचारिक

सम्मेलन और अन्य बैठकों में भारत की भागीदार के साथ राजनीतिक भागीदारी जारी थी। विश्व व्यापार संगठन के 29 सदस्य देशों और डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक ने इस बैठक में भाग लिया और डब्ल्यूटीओ में आगे के कार्यनीति पर चर्चा की।

- एकपक्षीय व्यापार उपायों और काउंटर उपायों की तीखी आलोचना हुई और इस पर कुछ सदस्यों द्वारा स्टैंड लिया गया और सदस्यों द्वारा डब्ल्यूटीओ की प्रतिबद्धताओं का अनुपालन करने की बात दोहराई गई। भारत ने प्रक्रिया में राजनीतिक भागीदारी पर बल दिया और डब्ल्यूटीओ की बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली और समावेशी संरचना को सुदृढ़ बनाने की बात की। भारत ने अपीलीय बाडी की रिक्तियों को भरने की आवश्यकता पर बल दिया और कुछ सदस्यों द्वारा व्यापार उपायों और काउंटर उपायों पर चिंता व्यक्त की।

डब्ल्यूटीओ सुधार

- विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) अभी चौराहे पर खड़ा है क्योंकि संस्था को पुनर्गठित करने की चर्चा चल रही है। हाल की घटनाएं, जिसमें एकपक्षीय उपाय और काउंटर उपाय का बढ़ना शामिल है, ने डब्ल्यूटीओ में सम्मिलित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के आधारों को क्षति पहुंचाई है। वार्ताओं के साथ साथ संस्थागत मुद्दों पर गतिरोध ने बहुपक्षीय सदस्यता के भरोसे को और नुकसान पहुंचाया है। डब्ल्यूटीओ में गतिरोध का उपयोग कुछ सदस्यों द्वारा डब्ल्यूटीओ के कार्यकरण और इसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए किया जा रहा है। बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के मजबूत पक्षधर के रूप में भारत की राय है कि प्रणाली को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है और हम इस प्रक्रिया में अपना सक्रिय योगदान देने के लिए कार्य कर रहे हैं और सदस्य देशों के साथ सहयोग कर रहे हैं ताकि डब्ल्यूटीओ वार्ताओं और प्रक्रियाओं में विकासशील देशों के सरोकारों का समाधान सुनिश्चित किया जा सके। भारत का विश्वास है कि डब्ल्यूटीओ समझौता वार्ताओं में वैश्विक व्यापार प्रणाली में विकासशील देशों को बेहतर ढंग से

एकीकृत करने की लचीली व्यवस्था को संरक्षित रखा जाए।

- डब्ल्यूटीओ को अधिक प्रभावी निकाय बनाने के लिए भारत सुधार के मुद्दों पर डब्ल्यूटीओ में वार्ताएं करता रहता है। विवाद निपटान तंत्र, जो डब्ल्यूटीओ के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है, को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से भारत ने यूरोपिय संघ के साथ एक प्रस्ताव का सह-प्रायोजन किया है।
- संयुक्त राज्य अमरीका के हाल के प्रस्तुति करार ने कुछ मनमाने आर्थिक संकेतकों के उपयोग द्वारा 34 विकासशील देशों के लिए विशेष और विभेदनकारी व्यवहार प्रावधानों के अधिकार को चुनौती दी है। चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 अन्य सदस्य देशों के साथ भारत ने विकासशील देशों के लिए विशेष और विभेदनकारी व्यवहार के प्रावधानों की सतत प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए संयुक्त राज्य अमरीका के पत्र के प्रत्युत्तर में एक पत्र परिचालित किया है। यह एलडीसी सहित विकासशील देशों के लिए विशेष और विभेदनकारी व्यवहार के प्रावधानों को जारी रखने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

व्यापार विवाद

- **डीएस 430 (एवियन इंफ्लुएंजा) :** भारत और संयुक्त राज्य अमरीका दोनों इस विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए द्विपक्षीय रूप से काम कर रहे हैं। तदनुसार, दोनों पक्ष विवाचक रिपोर्ट (अप्रैल 2019 में रिलीज होगी) और अनुपालन पैनल की रिपोर्ट (मई 2019 में रिलीज होगी) की रिलीज को आस्थगित करने के लिए सहमत हैं।
- **डीएस 436 (स्टील सीवीडी) :** इस विवाद में अनुपालन पैनल की कार्यवाही चल रही है। पक्षों के साथ पैनल की मौलिक बैठकें (मौखिक सुनवाई) 29 और 30 जनवरी 2019 को आयोजित की गई थी। अनुपालन पैनल की अंतिम रिपोर्ट अगस्त 2019 के बाद आने की आशा है।
- **डीएस 456 (सोलर पैनल/जेएनएनएसएम विवाद) :** अपीलीय बाडी में संयुक्त राज्य अमरीका के अभिभावी होने के बाद भारत ने अपने जेएनएनएसएम कार्यक्रम से घरेलू विषय

बस्तु अपेक्षाओं को हटाने के लिए पर्याप्त समय अवधि के लिए समझौता कर लिया है। यद्यपि भारत ने इस विवाद में नियमों का अनुपालन किया था फिर भी संयुक्त राज्य अमरीका ने यह सुनिश्चित किए बिना कि भारत ने नियमों का अनुपालन किया है अथवा नहीं, एक प्रतिकार अनुरोध दायर किया। भारत ने अपनी ओर से अनुपालन पैनल गठित करने के लिए अनुरोध दायर किया है। दोनों पक्षों ने इस मामले में आगे की कार्यवाही नहीं की है और इस विवाद पारस्परिक संतोषजनक समाधान प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं।

- **डीएस 503 (एच1बी और एल1 के लिए यूएस वीजा शुल्क)** : इस विवाद पर परामर्श चल रहा है। तथापि इस बात पर निर्णय किया जाना है कि विवाद समाधान पैनल की स्थापना के लिए विवाद को और बढ़ाना है या नहीं। विधि प्रतिष्ठान परिणाम के भारत के पक्ष में आने के प्रति अनिश्चित है।
- **डीएस510 (यूएस नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम)** : पैनल कार्यवाही चल रही है और पक्षों के साथ पैनल की मौलिक बैठकें (मौखिक सुनवाई) 22 और 23 जनवरी 2019 को आयोजित की गई थी। अंतरिम रिपोर्ट भारत के पक्ष में अप्रैल 2019 को जारी की गई थी जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है।
- **डीएस-518 (भारत-लोहा और इस्पात उत्पादों के आयात पर सुरक्षोपाय)** : पैनल की रिपोर्ट अधिकांश मुद्दों पर जापान के पक्ष में 6 नवंबर 2018 को परिचालित की गई थी। विभिन्न प्रणालीगत और विधिक मुद्दे जो भारत के भावी सुरक्षा जांचों को प्रभावित कर सकते हैं, के परिप्रेक्ष्य में भारत ने 14 दिसंबर, 2018 को एक अपील दायर की थी। 05 फरवरी, 2018 को तीन सदस्यीय अपीलीय बाडी का गठन किया गया है। अपीलीय प्राधिकरण की कार्यवाही अभी शुरू नहीं हुई है।
- **डीएस541 (डब्ल्यूटीओ में यूएस द्वारा भारत की निर्यात सब्सिडी स्कीम को चुनौती)** : पक्षों के साथ पैनल की मौलिक बैठकें (मौखिक सुनवाई) 12 और 13 फरवरी 2019 को आयोजित की गई थी। पैनल की अंतिम रिपोर्ट सितंबर 2019 में आने की आशा है।

- **डीएस547 (संयुक्त राज्य अमरीका-इस्पात और एल्यूमिनियम उत्पादों पर कतिपय उपाय)** : 25 जनवरी, 2019 को डीएसबी द्वारा तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है। पहला लिखित प्रस्तुतिकरण 01 मई 2019 को किया गया है।
- **डीएस579, डीएस580 और डीएस581 (भारत-चीनी और गन्ना से संबंधित मामले)** : ब्राजील, आस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला ने घरेलू सहायता जो भारत गन्ना और चीनी के कृषि उत्पादकों के साथ साथ चीनी क्षेत्र में निर्यात सब्सिडी के पक्ष में प्रदान करता है, को चुनौती दी है। जेनेवा में 15-19 अप्रैल, 2019 की अवधि के दौरान ब्राजील और आस्ट्रेलिया के साथ परामर्श किया गया। ग्वाटेमाला के साथ दिनांक 22-23 मई, 2019 की अवधि के दौरान परामर्श किया जाना निर्धारित है।
- **डीएस582 (भारत- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कतिपय सामानों पर टैरिफ संव्यवहार)** : ईयू ने दावा किया है कि भारत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कतिपय सामानों के आयात पर गैप 1994 ('अनुसूची') के साथ संलग्न प्रतिबद्धताओं की अपनी अनुसूची में निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लगाता है। ईयू के साथ जेनेवा में 21 मई, 2019 को परामर्श किया गया है।
- **डीएस 584 (भारत-कतिपय सामानों पर टैरिफ संव्यवहार)** : जापान ने दावा किया है कि भारत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कतिपय सामानों के आयात पर जीएटीटी 1994 ('अनुसूची') के साथ संलग्न रियायतों और प्रतिबद्धताओं की अपनी अनुसूची में निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लगाता है। जापान के साथ जेनेवा में 23 मई, 2019 को परामर्श किया गया है।
- **फिशरीज सब्सिडी वार्ता**
दिसंबर 2019 तक फिशरीज सब्सिडी के संबंध में सिद्धांतों को तैयार करने के लिए नियमों पर डब्ल्यूटीओ के वार्ता समूह जेनेवा में मासिक आधार पर वार्ताएं आयोजित कर रहा है। वाणिज्य विभाग पशुपालन विभाग, डेयरिंग और फिशरीज (डीएडीएफ) तथा डब्ल्यूटीओ अध्ययन केंद्र के साथ इन वार्ताओं में सहयोग कर रहा है और इनमें भाग ले रहा है। इसकी अंतिम बैठक 25 से 29 मार्च

2019 के दौरान आयोजित की गई थी तथा अगली बैठक 6 से 10 मई 2019 के दौरान आयोजित की जाएगी।

सेवा 1 डेस्क

डब्ल्यूटीओ में घरेलू विनियमों (डीआर) पर चर्चा

- भारत ने डब्ल्यूटीओ में 'जीएटीएस आर्टिकल VI:4- अन्य सदस्य के क्षेत्र में किसी सदस्य के स्वाभाविक व्यक्ति की उपस्थिति के माध्यम से किसी सेवा की प्रदायगी के लिए परिपाटी' (एस/डब्ल्यूपीडीआर/डब्ल्यू/61) शीर्षक से एक पाठ प्रस्तुत किया है जिसमें अर्हता अपेक्षा, अर्हता प्रक्रिया, लाइसेंस अपेक्षा, लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया और मोड 4 सेवा प्रदायगी के तकनीकी मानक सहित घरेलू विनियमों के सभी क्षेत्रों को कवर किया गया है और इस पर चर्चा करने के लिए घरेलू विनियमों संबंधी कार्य पक्ष (डब्ल्यूपीडीआर) की एक बैठक बुलाई है। डब्ल्यूपीडीआर की दिनांक 5 दिसंबर 2018 को आयोजित की गई बैठक में प्रारूप पाठ पर चर्चा की गई।
- यह प्रस्ताव डब्ल्यूपीडीआर जो जीएटीएस आर्टिकल VI:4 व्यवस्था विकसित करने के लिए अधिदेश प्राप्त एक निकाय है जिसमें 2018 तक कोई चर्चा आयोजित नहीं की गई थी, में चर्चाओं को पुनर्जीवित करना और पुनःऊर्जावान बनाने के लिए भारत द्वारा किया गया एक प्रयास था। यह इसलिए था क्योंकि चर्चाओं का फोकस कुछ सदस्यों के कारण जो एमसी 11 में डीआर पर एक मोल भाव वाला परिणाम प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे, के आदेशों पर बहुपक्षीय प्रारूप की ओर स्थानांतरित हो गया था, जिसे मामले पर आम सहमति न होने के कारण रोक दिया गया था।
- दिसंबर 2018 में भारत के प्रस्तुतिकरण में मोड 4 के महत्व पर बल दिया गया था क्योंकि यह एलडीसी सहित अधिकांश विकासशील देशों के लिए निर्यात हितों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मोडों में से है। डीआर संबंधी व्यवस्था को मोड 4 सेवा प्रदायगी के लिए महत्वपूर्ण के रूप में नोट किया गया क्योंकि किसी और सदस्य के क्षेत्र में शैक्षिक अर्हता और अर्जित लाइसेंस की मान्यता मोड 4 पहुंच, विशेष रूप से विनियमित व्यवसायों

के मामले में एक प्रमुख बाधा है। जनसांख्यिकी और मानव पूंजी में निवेश के पैटर्न में वैश्विक बदलावों ने पेशेवर सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दायरे को बढ़ा दिया है। तथापि ऐसे पारस्परिक लाभकारी व्यापार में अर्हता और लाइसेंसिंग अपेक्षा और प्रक्रियाओं की एक रेंज शामिल होती है। अतएवं डीआर के संबंध में वाणिज्यिक रूप से अर्थपूर्ण व्यवस्थाएं पारस्परिक लाभकारी व्यापार विशेष रूप से पेशेवर सेवाओं और अधिक सामान्यतया सेवाओं में व्यापार की संभावनाओं को उजागर कर सकती हैं।

- तदुपरांत उपर्युक्त प्रारूप पाठ को सदस्यों से प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों के आधार पर संशोधित किया गया और डब्ल्यूटीओ में 'जीएटीएस आर्टिकल VI:4- अन्य सदस्य के क्षेत्र में किसी सदस्य के स्वाभाविक व्यक्ति की उपस्थिति के माध्यम से किसी सेवा की प्रदायगी के लिए परिपाटी' (एस/डब्ल्यूपीडीआर/डब्ल्यू/61) शीर्षक से एक संशोधित पाठ प्रस्तुत किया गया जिस पर 20 मार्च 2019 को आयोजित डब्ल्यूपीडीआर की बैठक में चर्चा की गई।
- इस संशोधित प्रस्ताव में किया गया एक महत्वपूर्ण संशोधन आवेदन प्रक्रिया की व्यवस्था और आर्टिकल VI:4 के तहत घरेलू विनियमों को पूरा करने से संबंधित अस्थाई प्रविष्टि की व्यवस्था पेश करना था। सदस्यों को यह स्पष्ट किया गया कि इस प्रकार की अस्थाई प्रविष्टि जो आर्टिकल VI:4 के तहत घरेलू विनियमों को पूरा करने से संबंधित है, वाणिज्यिक रूप से अर्थपूर्ण परिणाम के लिए सेवाओं में व्यापार को प्रभावित करने वाली लाइसेंसिंग अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं, अर्हता अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं तथा तकनीकी मानक से संबंधित व्यवस्था को पूर्ण करेगी और इसमें वृद्धि करेगी। इस संबंध में यह प्रस्ताव केवल इस संदर्भ में जहां विशिष्ट मोड 4 प्रतिबद्धता हो कि प्रविष्टि को जीएटीएस आर्टिकल VI:4 उपाय के लिए पूरा करना अपेक्षित है और इलेक्ट्रानिक प्राधिकार संभव नहीं है, में प्रविष्टि उपायों (जैसे कि समयसीमा, प्रक्रिया और शुल्क) के संबंध में व्यवस्था बनाने के लिए था।

इलेक्ट्रानिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क अधिरोपित करने के संबंध में अधिस्थगन

भारत और दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त रूप से दिनांक 26 जुलाई 2018 को आयोजित सामान्य परिषद की बैठक में डब्ल्यूटी/जीसी/डब्ल्यू/747 दस्तावेज में शामिल -इलेक्ट्रानिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क पर अधिस्थगन: पुनर्विचार की आवश्यकता' शीर्षक से एक प्रस्ताव पेश किया। यह निर्णय लिया गया कि संयुक्त प्रस्तुतिकरण पर जीसी के समर्पित सत्र में चर्चा की जानी चाहिए। 27 नवंबर 2018 को जीसी का अनौपचारिक सत्र आयोजित किया गया। यह पत्र ई-वाणिज्य अधिस्थगन के प्रभाव की पुनः जांच की पेशकश करता है क्योंकि वास्तविकताएं अनुभव मौजूद है जब डब्ल्यूटीओ सदस्यों ने पहली बार इलेक्ट्रानिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क अधिरोपित करने पर अस्थाई अधिस्थगन के लिए सहमति व्यक्त की थी और इसने महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण 3डी प्रिंटिंग है जो अब भी मौका बाजार को सेवा देने वाला उत्पाद माना जाता है। तथापि इसका बाजार 2014-18 की अवधि के दौरान 22 प्रतिशत वार्षिक बढ़ा है। यह अनुमान है कि यदि 3डी प्रिंटिंग में निवेश की मौजूदा वृद्धि जारी रहती है तो 2060 में विनिर्मित सामानों का 50 प्रतिशत प्रिंटेड होगा और यदि 3डी प्रिंटिंग में निवेश दोगुना हो जाता है तो यह लक्ष्य 2040 तक प्राप्त हो जाएगा। इससे क्रास बार्डर वास्तविक वैश्विक व्यापार का लगभग 40 प्रतिशत समाप्त हो जाएगा। मध्यवर्ती सामान कंप्यूटर एडेड डिजाइन फाइलों (सीएडी फाइल) द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगी जो इस प्रक्रिया के लिए केंद्रीय डिजिटल इनपुट बन जाएगा। कैड फाइलों को इलेक्ट्रानिक रूप से एक देश से दूसरे देश में प्रेषित किया जा सकेगा और इसका उपयोग वर्तमान में अधिकांश विनिर्मित उत्पादों को प्रिंट करने के लिए किया जाएगा। इस प्रस्तुतिकरण में राजस्व की दृष्टि से, तकनीकी प्रगति के साथ साथ व्यापक विकास के परिप्रेक्ष्य में ई वाणिज्य अधिस्थगन पर बल दिया गया है। इस संदर्भ में यह रेखांकित किया गया है कि डिजिटल व्यापार की बढ़ रही चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए विकासशील देशों और एलडीसी को अपनी डिजिटल क्षमता विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए और ऐसी नीतियां तैयार करने के लिए विकासशील देशों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वे डब्ल्यूटीओ में नीतिगत और विनियामक जगह संरक्षित रखें।

एलडीसी सेवा अधित्याग

भारत सेवा के वैश्विक निर्यात में एलडीसी के हिस्से को बढ़ाने के प्रमुख उद्देश्य से सभी तरजीह प्रदान करने वाले सदस्यों द्वारा एलडीसी सेवा अधित्याग के अंतर्गत प्रदत्त तरजीह का अर्थपूर्ण कार्यान्वयन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है।

भारत ने एलडीसी सेवा अधित्याग के प्रचालन के संबंध में बाली मंत्रिपरिषदीय निर्णय के अनुसरण में एलडीसी के सामूहिक अनुरोध के प्रत्युत्तर में सितंबर 2015 में सबसे कम विकसित देशों की सेवा और सेवा प्रदायगी के लिए अपना तरजीही व्यवहार अधिसूचित किया है। अन्य बातों के साथ साथ दिए गए तरजीह के भाग के रूप में भारत ने अधिसूचित किया था कि विदेश मंत्रालय द्वारा पेशकश किए गए सभी तकनीकी सहायता और क्षमता वर्धन अवसरों का कम से कम 25 प्रतिशत केवल एलडीसी के लिए निर्धारित किया जाएगा। डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत नियमित समिति कार्य के भाग के रूप में सदस्य एलडीसी को प्रदत्त तरजीह के उपयोग पर अद्यतन जानकारी प्रदान कर रहे हैं। सेवा में व्यापार परिषद की हालिया बैठक में भारत ने उल्लेख किया कि एलडीसी द्वारा इस तरजीह का प्रभावी रूप से उपयोग किया गया है और पिछले तीन वर्षों में जब से यह तरजीह अधिसूचित की गई है, लगभग विदेश मंत्रालय के आईटीईसी कार्यक्रम के 10,000 से अधिक प्रशिक्षण स्लॉटों का 50 प्रतिशत का उपयोग एलडीसी सदस्यों द्वारा किया गया है।

भारत एकमात्र डब्ल्यूटीओ सदस्य देश है जो अधित्याग की पूर्ण अवधि के दौरान कारोबार और नियोजन के लिए आवेदन करने वाले सभी एलडीसी सदस्यों के लिए वीजा शुल्क माफ करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले तीन वर्षों (2016, 2017 और 2018) के दौरान एलडीसी में भारत के दूतावासों से प्राप्त सूचना के अनुसार भारतीय नियोजन और कारोबार वीजा के लिए कुल 48,602 एलडीसी आवेदकों ने वीजा शुल्क माफी का लाभ उठाया है। सीटीएस बैठकों के दौरान हमने अन्य सदस्यों को एलडीसी सेवा अधित्याग के अंतर्गत तरजीह का कार्यान्वयन के संबंध में उनके द्वारा उठाए कदमों और एलडीसी लाभार्थियों द्वारा इसके उपयोग के बारे में अद्यतन जानकारी मुहैया करवाने के लिए प्रोत्साहित किया है।

भारत द्वारा अधिसूचित तरजीह के कार्यान्वयन की एलडीसी सहित डब्ल्यूटीओ सदस्यों ने खूब सराहना की है।

1. बहुपक्षीय ई-कामर्स

इलेक्ट्रॉनिक कामर्स या ई-कामर्स डब्ल्यूटीओ में ई-कामर्स संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत एक खोजी और गैर वार्ता अधिदेश के रूप में 1998 में चर्चा में आया। हाल के वर्षों में ई-कामर्स की परिभाषा और विषय के दायरे पर भी आम समझ तक पहुंचने के लिए पर्याप्त विमर्श किए बिना सामानों, सेवाओं और बौद्धिक संपदा अधिकारों को कवर करने के लिए अन्य बातों के साथ साथ ई-कामर्स के सभी पहलुओं पर व्यापक वार्ता शुरू करने का अपरिपक्व अधिदेश प्राप्त करने के लिए बहुत बल दिया गया है। चूंकि इसका अधिकांश देशों द्वारा विरोध किया गया था इसलिए इसका केंद्रीयकरण करके और प्रासंगिक डब्ल्यूटीओ समितियों से इसे हटाकर वर्तमान कार्य अनुसूची के अंतर्गत विमर्श प्रक्रिया को गति देने के लिए बहुत कम प्रयास किया गया।

तथापि, दिसंबर 2017 में डब्ल्यूटीओ के एमसी¹¹ में विभिन्न देशों के प्रयासों के माध्यम से, अन्य बातों के साथ साथ ई-कामर्स पर वर्तमान कार्य अनुसूची के गैर-वार्ता अधिदेश के साथ जारी रखने का निर्णय लिया गया। बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबद्ध पहलुओं (टीआरआईपीएस) से संबंधित अन्य अधिस्थगन के बदले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क अधिरोपित करने संबंधी अधिस्थगन को दो वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। उपर्युक्त निर्णय इस मामले में भारत की स्थिति के अनुरूप था और यह भारत के लिए एक प्रमुख उपलब्धि है। वार्ताओं में इस मुद्दे पर भारत, अफ्रीकन समूह और अनेक अन्य विकासशील देशों की स्थिति समान थी। भारत ई-कामर्स पर कार्य अनुसूची के अंतर्गत विमर्श में सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहा है।

ई-कामर्स में नियम बनाने का अधिदेश प्राप्त करने में विफलता के प्रत्युत्तर में संयुक्त राज्य अमरीका सहित लगभग सत्तर डब्ल्यूटीओ सदस्यों की ओर से एक संयुक्त मंत्रिपरिषदीय वक्तव्य (जेएमएस) जारी किया गया, भारत ने ई-कामर्स पर नियम बनाने का समर्थन करते हुए इस संयुक्त मंत्रिपरिषदीय वक्तव्य में भाग नहीं लिया।

2018 में ई-कामर्स पर जेएमएस समूह के अंतर्गत अनेक प्रस्ताव पेश किए गए। वर्तमान प्रस्ताव के अनुसार जेएमएस विमर्श ई-कामर्स के व्यापार संबद्ध पहलुओं पर भावी डब्ल्यूटीओ वार्ताओं के लिए अन्वेषण कार्य पर आधारित है। मोटे तौर पर यह विचार मौजूदा नियमों को स्पष्ट करने और ई-कामर्स के व्यापार संबद्ध पहलुओं

पर अतिरिक्त नियम बनाने के लिए है। अनेक प्रस्तावों में यह उल्लेख भी किया गया है कि चूंकि अन्वेषण विमर्श चल रहा है इसलिए इस बात की व्याख्या किए बिना कि यह कैसे किया गया, इसे बहुपक्षीय व्यवस्था में वापस लाया जाएगा।

दावोस, स्विट्जरलैंड में हाल ही में डब्ल्यूटीओ के 76 सदस्यों के समूह द्वारा एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कामर्स के व्यापार संबद्ध पहलुओं पर डब्ल्यूटीओ वार्ता शुरू करने की पुष्टि की गई। डब्ल्यूटीओ सदस्यों के बड़े समूह द्वारा ताकत का यह प्रदर्शन महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि चीन भी अब इस पहल में शामिल हो गया है।

यह नोट किया जा सकता है कि भारत इस समय ई कामर्स की परिभाषा और दायरे के मुद्दे को बेहतर ढंग से समझने के लिए डब्ल्यूटीओ के ई-कामर्स कार्य अनुसूची के अंतर्गत खोजी और गैर वार्ता नियोजन का समर्थन करता है ताकि इस बात का उत्तर प्राप्त किया जा सके कि विकासशील देश किस प्रकार अति उत्साही बाजार क्षमता और गहरी विशाल ई-कामर्स की अप्रतिस्पर्धी प्रथाओं के आलोक में समान कार्य क्षेत्र सृजित करने के लिए नीतिगत और नियामकीय तंत्र का उपयोग कर सकते हैं; एक वार्ताकारी अधिदेश पर विचार करने और विशुद्ध आम सहमति प्राप्त करने के पहले विकासशील देशों को किस प्रकार की नीतियां उनके स्वयं के नागरिकों को इस क्षेत्र में उचित हिस्सेदारी प्राप्त करने में समर्थ बना सकती हैं।

2. सेक्टरल व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) वार्ता के सर्विस ट्रेक के बारे में अपडेट

आरसीईपी वार्ताएं 16 देशों नामतः आसियान के 10 देश और इसके 6 एफटीए भागीदार अर्थात् आस्ट्रेलिया, चीन लोक गणराज्य, कोरिया गणराज्य, न्यूजीलैंड, जापान और भारत के बीच चल रही हैं। इन वार्ताओं का उद्देश्य आसियान और इसके एफटीए भागीदारों के बीच एक आधुनिक, व्यापक, उच्च गुणवत्ता युक्त और पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक भागीदारी करार प्राप्त करना है। अब तक 25 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं और सामान, सेवा, निवेश, आर्थिक और तकनीकी सहयोग आदि से संबंधित कार्य समूहों के बीच वार्ताएं की जा रही हैं।

आरसीईपी भारत द्वारा अब तक की गई सर्वाधिक व्यापक एफटीए समझौता वार्ता है

और यह भारत को ऐसे क्षेत्र में पहुंच हासिल करने का अवसर प्रदान करती है जहां आर्थिक वृद्धि के लिए विशाल संभावना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह कहना तर्कसंगत है कि आरसीईपी के अंतर्गत सेवा ट्रेक की वार्ता बहुत महत्वपूर्ण है। सेवा अन्य आरसीईपी अर्थव्यवस्थाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सेवा में भारत की स्थिति इस वास्तविक तथ्य पर आधारित है कि सेवाएं अपनी भूमिका अदा कर रही हैं और अर्थव्यवस्था और आरपीसी की पारस्परिक बाह्य आर्थिक समझौतों में प्रमुख और बढ़ती हुई भूमिका निभाना जारी रखेगी। समझौता वार्ताओं के माध्यम से हम एक सेवा करार करने का प्रयास कर रहे हैं जो न केवल हमारे मौजूदा कारोबारी मॉडल को सुरक्षित रखे बल्कि क्षेत्र में हमारे हितों को भी आगे बढ़ाए।

गैर-कृषि बाजार पहुंच (नामा)

गैर कृषि बाजार अभिगम (नामा) का संबंध गैर कृषि या औद्योगिक उत्पादों पर व्यापार वार्ताओं से है। नामा वार्ताओं में डब्ल्यूटीओ सदस्य औद्योगिक उत्पादों में व्यापार के संबंध में सीमा शुल्क टैरिफ और नान-टैरिफ बाधाओं को कम करने या समाप्त करने के लिए शर्तों या तौर तरीकों पर विमर्श करते हैं। नामा के तहत कवर किए जाने वाले उत्पादों में मरीन उत्पाद, रसायन, रबर के उत्पाद, लकड़ी के उत्पाद, वस्त्र और पोशाक, चमड़ा, सेरमिक, शीशे के सामान, इंजिनियरिंग उत्पाद, इलेक्ट्रानिक, ऑटोमोबाइल, यंत्र, खेल के सामान और खेलौने शामिल होते हैं।

डब्ल्यूटीओ में वार्ताओं में टैरिफ के संबंध में सीमाबद्ध टैरिफ जो बाध्यकारी होता है, पर वार्ताएं की जाती हैं। सीमाबद्ध टैरिफ किसी देश में आयात पर सीमा शुल्क प्राधिकरणों द्वारा वास्तव में लागू टैरिफ की उपरी सीमा होते हैं। नामा समझौता वार्ताओं में कुछ टैरिफ ऐसे होते हैं जिन पर कोई बाध्यता नहीं होती है और इन्हें असीमाबद्ध टैरिफ लाइन कहते हैं।

कुछ प्रमुख तरीके जिनके माध्यम से टैरिफ में कमी की मांग की गई थी, वे नान-लीनियर स्विस् फार्मुला के साथ साथ विशिष्ट क्षेत्रों में टैरिफ को कम करने या समाप्त करने के लिए सेक्टरल प्रयास थे। एलडीसी सहित विकासशील देश उचित विशेष और विभेदक व्यवहार पर वार्ता कर रहे थे। नान-टैरिफ उपायों के बारे में चर्चाएं क्षेत्रीय और सेक्टर विशिष्ट पाठगत प्रस्ताव दोनों द्वारा संचालित हो रही थीं।

नैरोबी मंत्रिस्तरीय घोषणा में नामा को 'शेष दोहा मामले' के रूप में शामिल किया गया था जहां मंत्रियों ने वार्ताएं करने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त की। तथापि ब्रूनस आयर्स में दिसंबर 2017 को आयोजित 11वीं डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय बैठक में किसी मुद्दे पर सहमति में अभाव के कारण नामा में कोई तनाव नहीं था।

भारत यह पक्ष रखता रहा है कि वार्ताओं में टैरिफ कम करने की प्रतिबद्धता में पूर्ण आदान-प्रदान से कम का सिद्धांत (एलटीएफआर) अवश्य लागू किया जाए। सामान्यतया हम सेक्टरल का समर्थन नहीं करते हैं क्योंकि यह विकासशील देश जिनको अपने शुल्कों को अधिक कम करना होता है, के लिए साधारणतया भार समान होते हैं। इसके अलावा, जीरो टैरिफ सेक्टरल द्वारा कवर न किए गए समान उत्पादों और कच्ची सामग्रियों के लिए उलटी टैरिफ दरों की समस्या के साथ राष्ट्रीय टैरिफ अनुसूची में अनावश्यक जटिलताएं उत्पन्न करते हैं। भारतीय उद्योग घरेलू उद्योग पर इसके प्रतिकूल प्रभाव और बड़े व्यापार घाटे के कारण सामान्यतया सेक्टरल से संशंकित रहता है।

सूचना प्रौद्योगिकी करार (आईटीए)

भारत डब्ल्यूटीओ के एक बहुपक्षीय करार अर्थात् सूचना प्रौद्योगिकी करार (आईटीए) (जिसे अब आईटीए 1 के रूप में भी जाना जाता है) का हस्ताक्षरकर्ता देश है। आज की तिथि तक इसमें 28 ईयू सदस्य देशों (यूके सहित) सहित कुल मिलाकर 82 सदस्य हस्ताक्षरकर्ता देश हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों में विश्व व्यापार का लगभग 97 प्रतिशत योगदान देते हैं। भारत 25 मार्च 1997 को आईटीए में शामिल हुआ था।

वर्ष 2012 से आईटीए के कुछ विकसित देश-यूएसए, यूरोपिय संघ और जापान ने आईटीए समिति की बैठक में आईटीए (आईटीए 2 के रूप में उल्लिखित) के कार्यक्षेत्र और कवरेज में विस्तार करने का प्रस्ताव किया। ये प्रस्ताव मूलतः

आईटी उत्पाद जिन पर सीमा शुल्क को जीरो किया जाएगा, की कवरेज बढ़ाने; नान-टैरिफ उपायों का समाधान करने; और अर्जेंटाइना, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे नए हस्ताक्षरकर्ता देशों को शामिल करने के लिए हस्ताक्षरकर्ता देशों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित थे।

आईटीए का विस्तार करने का प्रस्ताव करने वाले देशों ने आईटी उत्पादों की समेकित सूची (आईटीए 2 के सभी प्रस्तावकों के हित के उत्पादों को शामिल करके) तैयार की थी, जिन पर टैरिफ में कमी की मांग की गई थी और इसे डब्ल्यूटीओ सदस्यों के बीच परिचालित किया गया। इन आईटी उत्पादों में नई पीढ़ी के सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर विनिर्मित उपस्कर, ऑप्टिकल लेंस, जीपीएस नेवीगेशन उपकरण और मेडिकल उपकरण जैसे कि मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग उत्पाद शामिल थे। आईटीए 2 पर वार्ता 50 भागीदारों द्वारा 2015 में 10वें डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में आयोजित की गई।

इसके अलावा यह विचार था कि आईटी उत्पादों पर कम शुल्क सरकार के घरेलू विनिर्माण प्रयासों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। आईटीए में देशों द्वारा किए गए त्याग का स्तर भी भिन्न भिन्न रहा है जिसमें बड़े बाजार और उच्चतम औसत सीमा शुल्क वाले देशों ने अन्य की तुलना में बड़ी प्रतिबद्धताएं की। अतएव भारत ने आईटीए 2 में हिस्सेदारी न करने का निर्णय लिया।

एमएसएमई और डब्ल्यूटीओ

डब्ल्यूटीओ ने पिछले दशक में सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमिका और सेक्टरल तथा वैश्विक वैल्यू चेन सृजित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए इस पर चर्चा शुरू की है। 2015 से फिलीपिंस और इसके सहयोगियों ने वैश्विक बाजार में एमएसएमई की भागीदारी बढ़ाने के लिए मार्ग तलाशने की बात उठाई और इस क्षेत्र में सूचना और अनुभव को साझा करने की व्यवस्था करने और पिछले कार्यों की समीक्षा करने के लिए डब्ल्यूटीओ में एक व्यवस्था करने के लिए 2015 में आयोजित डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में एक मंत्रिस्तरीय अधिदेश की मांग की। तथापि, प्रस्तावित मंत्रिस्तरीय निर्णय के संबंध में नैरोबी तक इस मामले में कोई आम सहमति नहीं बन पाई।

एमसी 11 तक देशों के एक समूह जिसे 'एमएसएमई का मित्र' कहा जाता था, ने एमएसएमई

के लिए कार्य अनुसूची स्थापित करने और साधारण परिषद स्तर पर गठित किए जाने वाले एमएसएमई कार्य समूह के लिए प्रस्ताव किया ताकि वैश्विक व्यापार में एमएसएमई की भागीदारी को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा की जा सके।

भारत एमएसएमई पर चर्चा का विरोध करता रहा है और भारत का कहना है कि डब्ल्यूटीओ की व्यवस्था और लचीलापन इतना सरल नहीं है कि एमएसएमई जैसे उप राष्ट्रीय निकायों को लक्ष्य बनाकर इसका उपयोग किया जा सके।

सबसे कम विकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ तरजीह (डीएफटीपी) स्कीम

1. भारत पहला ऐसा देश था जिसने 2008 में सबसे कम विकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त कोटा मुक्त (डीएफक्यूएफ) अभिगम प्रदान किया था जिससे दिसंबर 2005 का डब्ल्यूटीओ हांगकांग मंत्रिस्तरीय घोषणा के एक प्रमुख शर्त की पूर्ति होती है। डीएफक्यूएफ स्कीम को शुल्क मुक्त टैरिफ तरजीह स्कीम कहा जाता है।
2. स्कीम का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए और एलडीसी निर्यात को भारत के बाजार तक अधिकतम पहुंच प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2014 से डीएफटीपी स्कीम के उत्पाद कवरेज का विस्तार किया है और मार्च 2015 में उत्पत्ति के नियमों से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाया है। 1 अप्रैल 2014 की सीमा शुल्क टैरिफ अधिसूचना के अनुसार भारत अपनी कुल 5205 टैरिफ लाइनों (बर्गीकरण के अधिकतम 6 डिजिट स्तर पर) के 98.2 प्रतिशत पर शुल्क मुक्त/तरजीही बाजार अभिगम प्रदान करता है। वास्तव में केवल 97 लाइनें भारत की एक्सक्लूजन सूची में हैं जबकि 114 लाइनें तरजीह के हाशिए पर हैं और शेष सभी लाइनों पर भारत के बाजार में शुल्क मुक्त निर्यात की अनुमति है।
3. इसके अलावा, डीएफटीपी स्कीम के मूल नियमों में **सीमा शुल्क नान टैरिफ अधिसूचना 29/2015-सीयूएस (एनटी) दिनांक 10 मार्च 2015** के माध्यम से कतिपय प्रक्रियागत संशोधन किए गए। अधिसूचना में किए गए मुख्य संशोधन इस प्रकार हैं:

- i. मूल नियम मानक को सीटीएसएच+30% तक परिवर्तित कर दिया गया (पहले के सीटीएसएच+30% के मानक के स्थान पर)
 - ii. सामानों की पूर्वकार्य कीमत या एफओबी के आधार पर मूल्य बर्धन की गणना करने के विकल्प की अनुमति देना (2008 की स्कीम में केवल एफओबी मूल्य का विकल्प था)
 - iii. ओरिजिन का प्रमाणपत्र आईएसओ मानक सादे ए4 आकार के पेपर में निर्धारित प्रारूप में होगा (नीले रंग के ए4 आकार के पेपर के बजाए)
4. 27 जुलाई 2017 को दो सबसे कम विकसित देश नाइजर और गुनिया को डीएफटीपी स्कीम के लाभार्थी के रूप में अधिसूचित किया गया जिससे लाभार्थियों की कुल संख्या 34 हो गई नामतः अफगानिस्तान, बंगलादेश, बेनिन, बर्कनिया फासो, बुरुंडी, कंबोडिया, केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य, चाड, कोमोरस, एरिट्रिया, इथोपिया, द गांबिया, गुनिया, गुनिया बिसाऊ, हैती, द लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लेसोथो, लाइबेरिया, मेडागास्कर, मलावी, माली, मोजांबिक, म्यांमार, नाइजर, रवांडा, सेनेगल, सोमालिया, द सुडान, तिमोर लेस्ते, टोगो, यूगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, यमन और जाम्बिया।
5. 14 सबसे कम विकसित देश नामतः अंगोला, भुटान, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जिबुती, इक्वाटोरियल गुनिया, किरिबाती, मौरिटानिया, नेपाल, साओ टोमो और प्रिंसाइप, सियेरा लियोन, सोलोमन द्वीप समूह, दक्षिण सुडान, तुवालु और वानुआतु इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी बनने वाले हैं।
6. **डीएफटीपी स्कीम का उपयोग**
2016-17 और 2017-18 की अवधि के आंकड़ों के आधार पर डीएफटीपी स्कीम के उपयोग का विश्लेषण किया गया था। 2016-17 और 2017-18 की अवधि के लिए भारत के वैश्विक आयात के प्रति डीएफटीपी आयात के उपयोग की दर या अनुपात क्रमशः 12.7 प्रतिशत और 24.3 प्रतिशत रहा। तथापि, एचएस लाइन जहां तरजीही डीएफटीपी आयात भी हुआ है, पर जब भारत के

कुल आयात की तुलना की जाती है तो दो वर्षों के लिए उपयोग का अनुपात क्रमशः 44.8 प्रतिशत और 71.6 प्रतिशत रहा है।

7.

डीएफटीपी स्कीम के अंतर्गत व्यापार

डीएफटीपी स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए भारत का कुल आयात क्रमशः 1.43 बिलियन अमरीकी डालर तथा 2.85 बिलियन अमरीकी डालर रहा है। वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए डीएफटीपी स्कीम के तहत आयात भारत के राष्ट्रीय टैरिफ लाइनों पर क्रमशः 64 और 77 एचएस लाइनों तक सीमित रहा। इसकी रेंज लेज्यूम, शेल्स; नट्स; मसाले; तेल बीज; गम्स; कोका; आयल केक; मिनरल; रसायन; इसेंसियल आयल; प्लास्टिक; रबर; लकड़ी; स्टील, कापर, एल्यूमिनियम और शीशा जैसे बेस मेटल के अंतर्गत कच्ची सामग्री; और बैटरी अपशिष्ट की थी।

- i. डीएफटीपी स्कीम के अंतर्गत 2017-18 के दौरान एचएस कोड पर छांटे गए शीर्ष 50 उत्पादों की सूची **अनुबंध I** में दी गई है। ये 50 उत्पाद 2017-18 के लिए डीएफटीपी स्कीम के अंतर्गत कुल आयात का लगभग 99.9 प्रतिशत होता है।
- ii. सभी 48 एलडीसी से भारत का आयात वर्ष 2016-17 के 12.4 बिलियन अमरीकी डालर से 2017-18 में बढ़कर 17.1 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। 34 लाभार्थी एलडीसी से भारत का कुल आयात 2016-17 के 6.9 बिलियन अमरीकी डालर से 2017-18 में बढ़कर 8.8 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। ये आंकड़े क्रमशः **अनुबंध III और IV** में दिए गए हैं।

नोट: भारत की डीएफटीपी स्कीम से संबंधित संगत सूचना
http://commerce.gov.in/writereaddata/uploadedfile/MOC_636434269763_910839_international_tpp_DFTP.pdf
लिंक से प्राप्त की जा सकती है।

अनुबंध 1

2016-17 के दौरान डीएफटीपी स्कीम के अंतर्गत शीर्ष 50 आयात

क्र. सं.	एचएस कोड	विवरण	आयात (\$ मिलियन)
1	8013100	काजू की ताजी गिरी/शेल में सूखी हुई	755.4
2	74020010	इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के लिए ब्लिस्टर कापर	427.5
3	28092010	फास्फोरिक एसिड	421
4	74020090	अन्य रिफाइन न किया हुआ कापर; इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के लिए कापर एनोड	376
5	27011910	कुकिंग कोयला	216.2
6	27011920	स्टेम कोल	175.1
7	7136000	पिजन पीज (काजनस काजन)	75.3
8	9071010	एक्सट्रैक्ट	58.3
9	25102010	प्राकृतिक कैल्सियम फास्फेट ग्राउंड	38.3
10	9071020	नाट एक्सट्रैक्ट (स्टेम के अलावा)	37.6
11	12077090	मेलन सीड के अलावा	32
12	44034910	रफ में टीक वुड	31.3
13	44072910	स्वान/चिप्ट टीक वुड	21.5
14	12019000	अन्य सोयाबीन	19.4
15	9071090	क्लोव के अन्य भाग, न तो क्रश किए हुए और न ग्राउंड	16.9
16	25101010	प्राकृतिक कैल्सियम फास्फेट अनग्राउंड	16
17	26060010	बाक्साइट (प्राकृतिक) नाट कैल्सिनेड	15.3
18	13012000	गम अरेबिक	13.5
19	78019990	अन्य अनरिफाईड लेड और लेड एलाय एनईएस	11.4
20	78011000	रिफाईड लेड	10.7
21	40012100	स्मोक्ड शीट में प्राकृतिक रबर	10.6
22	33012937	सैंडल वुड आयल	10.1
23	18010000	कोका बीन्स समग्र/ब्रोकेन रा/रोस्टेड	9.1
24	76020010	आईएसआरआई द्वारा कवर एल्यूमिनियम स्क्रेप, टेबलटेबलायड, टाबू, टैंट/टाबूर, टेक, तलप, टालक्रीड, टालडेक, टालडन, टीए	8.7
25	11081400	मनिओक का स्टार्च (कसावा)	7.5
26	12072900	अन्य काटन सीड	4.3
27	33012921	क्लोव लीफ/स्टेम आयल	4.3
28	40012200	टेक्नीकली स्पेसिफायड प्राकृतिक रबर (टीएसएनआर)	3.8
29	12011000	सीड	2.9
30	20081910	काजू की गिरी, भुनी हुई और/या साल्टेड	2.5
31	79011200	जिंक, नाट एलाएड, डब्ल्यूटी<99.99% तक निहित जिंक	2.5
32	78019920	अनरिफाईड लेड, एनईएस	2.3
33	32012000	वाटल एक्सट्रैक्ट	2
34	7139010	अन्य सुखे और शील्ड लुगुमिनस सब्जियां, स्प्लिट	1.6
35	21069030	बीटेल नट उत्पाद जिसे सुपारी के रूप में जाना जाता है	1.6
36	9071030	स्टेम	1.3
37	13019016	काराया गम (भारतीय ट्रागाकैट) हैसटैब	1.3
38	44079200	बीच का स्वान/चिप्ट लकड़ी	0.8

39	85481020	बैटरी अपशिष्ट आईएसआरआई कोड-रेंस, रिक, रोनोरोपर, वाउंट	0.8
40	8109020	टेमरिंड ताजा	0.5
41	44089090	अन्य	0.5
42	78019100	प्रमुख अन्य तत्वों के रूप में डब्ल्यूटी एंटीमोनी द्वारा अन्य अनराट लेड	0.5
43	23061090	काटन सीड का अन्य अवशेष	0.4
44	39079990	अन्य पालिएस्टर (सेचुरेटेड) एनईसी	0.4
45	44039928	सफेद सीडर (डाइसोजाइलमआलाबारिकम)	0.4
46	26020020	मैगजीज का अयस्क (<46 बीयूटी> या = 44 %)	0.3
47	39076990	अन्य	0.3
48	44039990	अन्य	0.3
49	44072990	अन्य ट्रापिकल लकड़ी स्वान और चिप्ड	0.3
50	78019910	पीआईजी लेड	0.2

अनुबंध II

डीएफटीपी लाभार्थी एलडीसी से भारत का कुल आयात (मिलियन अमरीकी डालर में)

क्र.सं.	डीएफटीपी के तहत एलडीसी	2016-2017	2017-2018
1	अफ़ग़ानिस्तान	292.9	433.8
2	बांग्लादेश	701.7	685.7
3	बेनिन	207.4	223.0
4	बुर्किना फासो	256.4	632.6
5	बुसुन्दी	1.6	16.5
6	केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य	0.4	9.9
7	कंबोडिया	36.1	55.8
8	कागज़ का टुकड़ा	169.4	149.5
9	कोमोरोस	25.7	37.3
10	इरिट्रिया	36.4	2.0
11	इथियोपिया	67.1	47.5
12	गाम्बिया	43.2	58.7
13	गिनी	279.2	514.6
14	गिनी बिसाऊ	215.7	256.2
15	हैती	3.6	8.3
16	लाओ	207.4	168.6
17	लिसोटो	24.9	89.6
18	लाइबेरिया	7.7	36.8
19	मेडागास्कर	119.8	167.7
20	मलावी	41.3	16.5
21	माली	99.2	114.1
22	मोजाम्बिक	546.3	931.8
23	म्यांमार	1067.3	639.6
24	नाइजर	0.0	20.2
25	रवांडा	1.2	5.3
26	सेनेगल	315.9	564.9
27	सोमालिया	17.7	3.6
28	सूडान	245.2	452.1
29	तंजानिया	948.5	1029.7
30	तिमोर लेस्ते	0.2	0.1
31	जाना	138.4	163.8
32	युगांडा	68.9	56.2
33	यमन गणराज्य	4.8	153.1
34	जाम्बिया	743.9	1095.0
कुल आयात		6,935.1	8,839.7
डीएफटीपी आयात		1428.9	2963.0
औसत उपयोग दर		20.6%	33.5%

सेवा डेस्क ॥ सेवाओं में चैंपियन क्षेत्र

सेवा क्षेत्र भारत के जीडीपी, एफडीआई अंतर्वाह, निर्यात और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। विशेष रूप से पिछले दो दशकों में सेवाओं की वृद्धि भारत के समग्र विकास का समर्थन कर रही है। सेवा व्यापार अधिशेष भारत के व्यापारिक व्यापार घाटे के लगभग 50% हिस्से का वित्त पोषण कर रहा है। भारत को 2025 तक 5 ट्रिलियन अमरीकी डालर की अर्थव्यवस्था बन जाने की उम्मीद है, जिसमें 3 ट्रिलियन अमरीकी डालर सेवा क्षेत्र से प्राप्त होगी।

बिसर्पी संरक्षणवाद और प्रचलित वैश्विक मंदी के मद्देनजर, भारत के सेवा क्षेत्रों की जीवंत वृद्धि को बनाए रखने के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकता हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सेवा निर्यात की विशेषता आईटी और आईटीईएस पर इसकी अधिक निर्भरता है, सेवाओं के व्यापक क्षेत्रों में विविधीकरण प्राप्त करने की तत्काल आवश्यकता है। घरेलू सुधारों सहित सेक्टरल और क्रॉस कटिंग दोनों मुद्दों का समाधान करना विभिन्न सेवा क्षेत्रों की पूरी क्षमता को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के विकास को संचालित करने में सेवा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए, 28 फरवरी, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 'सेवाओं में चैंपियन क्षेत्रों के लिए कार्य योजना' से संबंधित वाणिज्य विभाग के मंत्रिमंडल नोट को मंजूरी दी गई।

चैंपियन सर्विसेज सेक्टर स्कीम (सीएसएसएस) की परिकल्पना केंद्रीय क्षेत्र की एक ऐसी छत्र योजना के रूप में की गई है जिसमें 12 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, जैसे आईटी और आईटीईएस, पर्यटन और आतिथ्य सेवाएँ, चिकित्सा यात्रा और लाजिस्टिक सेवाएँ, लेखा और वित्त सेवाएँ, ऑडियो विजुअल सेवा, कानूनी सेवाएँ, संचार सेवाएँ, निर्माण और संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएँ, पर्यावरण सेवाएँ, वित्तीय सेवाएँ और शिक्षा सेवाओं में सेक्टरल पहल का समर्थन करने के लिए 5000 करोड़ रुपये की समर्पित निधि की व्यवस्था की गई है।

निम्नलिखित को नोडल मंत्रालयों/विभागों की सेक्टरल योजनाओं/कार्य योजनाओं की परिकल्पना महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में की गई है:

- (i) सेक्टरल और क्रॉस-कटिंग मुद्दों सहित नियामक ढांचे में सुधार, सेवाओं के मानक क्षेत्र का विकास, विदेशी भाषा की क्षमता

सहित कौशल विकास, वीजा सुधार आदि का समाधान करना।

- (ii) मंत्रिमंडल नोट में निर्दिष्ट पाँच स्तंभों अर्थात्, इज ऑफ़ डुइंग बिजनेस में सुधार के लिए 'नई प्रक्रियाएँ', वास्तविक और डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 'नई अवसंरचना', मूल्य वृद्धि, रोजगार सृजन और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए अनछुए क्षेत्रों की पहचान पर आधारित 'नया क्षेत्र' 'नया माइंड-सेट' जिसका उद्देश्य आधिकारिक माइंड सेट को जारी करने / अनुमोदन प्राधिकारी से बदलकर 'भागीदारी व्यवसाय' करना है और सेवा मानकों को विकसित करने के लिए 'नए मानक' के अंतर्गत मूल सामग्री शामिल करना।

- (iii) सेवा क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए नई पहलों पर ध्यान केंद्रित करना

- (iv) सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए नई पहलों पर ध्यान केंद्रित करना

माननीय भारत के राष्ट्रपति ने 15 मई, 2018 को मुंबई में आयोजित सेवा संबंधी वैश्विक प्रदर्शनी में 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों का शुभारंभ किया। इसमें चैंपियन सर्विसेज सेक्टर पोर्टल (www.indiaservices.in) का अनावरण और चैंपियन सर्विसेज सेक्टर पहल के लिए लोगो का अनावरण करना शामिल था।

3 मई, 2019 को सचिवों की समिति की बैठक के अनुसरण में, नोडल मंत्रालयों/विभागों की सेक्टरल योजनाओं के प्रस्तावों की स्क्रीनिंग करने और सिफारिश करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया गया। स्क्रीनिंग समिति ने 19 दिसंबर, 2018 और 6 मार्च, 2019 को आयोजित अपनी दो बैठकों में सात नोडल मंत्रालयों/विभागों के प्रस्तावों की सिफारिश की। वाणिज्य विभाग सीएसएसएस पर व्यापक ईएफसी नोट को अंतिम रूप दे रहा है जिसमें नोडल मंत्रालयों/विभागों की सेक्टरल योजनाओं के प्रस्ताव शामिल हैं।

सीएसएसएस उच्च संभावित सेवा क्षेत्रों में व्यापक विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा। यह भारत को वैश्विक सेवा केंद्र बनाने के माननीय प्रधान मंत्री के विजन को प्राप्त करने में मदद करेगा।

सेवा संबंधी इवेंट सेवाओं पर अन्य व्यापार समझौते

भारत ने सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान और मलेशिया के साथ सेवाओं में व्यापार सहित व्यापक द्विपक्षीय व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए हैं। सितंबर 2014 में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) के साथ सेवाओं और निवेश में मुक्त व्यापार करार (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

भारत कनाडा, पेरू, इजरायल, थाईलैंड, यूरोपीय संघ, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए), ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका आदि के साथ सेवाओं में व्यापार सहित द्विपक्षीय एफटीए वार्ताओं में भी शामिल है। भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम (टीपीएफ) के तहत भारत अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार में भी संलग्न है।

व्यापार सुविधा (ट्रेड फ़ैसिलिटेशन)

डब्ल्यूटीओ के तहत व्यापार सुविधा करार [टीएफए] की परिकल्पना इस तथ्य के साथ की गई थी कि अक्षम और अत्यधिक बोझयुक्त नियामक प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण व्यापार बाधा जिसे "लालफीताशाही" के रूप में जाना जाता है, के बावजूद टैरिफ के निम्न स्तर और परिवहन और संचार में निरंतर प्रगति के साथ यह करार ऊंचा बना रहेगा।

इस संदर्भ में, यह माना गया कि दुनिया भर में व्यापार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, तेज करने और इसका समन्वय करने से व्यापार की लागत काफी कम हो जाएगी, जो वैश्विक मूल्य श्रृंखला को और अधिक देशों के लिए खोल देगा और विश्व व्यापार के विस्तार को प्रेरित करेगा। इस अंतर्निहित उद्देश्य के साथ, टीएफए पर डब्ल्यूटीओ में वार्ता हुई और 2013 में बाली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में इसे सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। 2/3 सदस्य देशों द्वारा अनुसमर्थन के बाद, व्यापार सुविधा संबंधी डब्ल्यूटीओ करार 22 फरवरी 2017 को लागू हुआ।

इस करार को वैश्विक सुविधा सुधारों के लिए एक सफलता के रूप में लिया गया था, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए लागू प्रक्रियाओं, विशेष रूप से ट्रांजिट में सामानों सहित सामानों की मूवमेंट, रिलीज और सामानों की क्लियरेंस को और तेज करने की दृष्टि से आयात और निर्यात से संबंधित आवश्यकताओं और औपचारिकताओं के सरलीकरण, प्रक्रियाओं के सामंजस्य और आटोमेशन पर जोर देकर सभी के लिए पर्याप्त आर्थिक और कल्याणकारी लाभ सृजित करने की भविष्यवाणी की गई थी।

भारत ने वार्ता में सक्रिय रूप से भाग लिया और 22 अप्रैल, 2016 को करार की पुष्टि की। टीएफए के कार्यान्वयन के लिए हमारी प्रतिबद्धता के रूप में, परिभाषित व्यापार सुविधा एक्शन प्लान के साथ व्यापार सुविधा संबंधी एक राष्ट्रीय समिति [एनसीटीएफ] गठित की गई है जिसके अध्यक्ष मंत्रिमंडल सचिव हैं। इसके अलावा, भारत की अधिसूचित सुविधा प्रतिबद्धताओं के समग्र कार्यान्वयन के समन्वय के लिए वाणिज्य सचिव और राजस्व सचिव की सह-अध्यक्षता वाली एक संचालन समिति का गठन किया गया है।

तब से, एनसीटीएफ ने आयात और निर्यात की उच्च लागत को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ताकि वैश्विक सीमा श्रृंखला के साथ हमारे सीमा पार व्यापार को एकीकृत किया जा सके। इसमें कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस प्रकार हैं -

- i. परीक्षण, सैंपलिंग, निकासी आदि, जिसमें एजेंसियों का ढेर है, से संबद्ध सभी आयात संबंधी औपचारिकताओं को एक ही ऑनलाइन राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से पूरा करने के लिए एक राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली की स्थापना;
- ii. सीमाओं पर विभिन्न निकासी संबंधी गतिविधियों के लिए शुल्क और प्रभारों का सरलीकरण;
- iii. ई-संचित 'परियोजना के माध्यम से आयात/निर्यात दस्तावेजों के कागज रहित फाइलिंग; तथा
- iv. पहुंच में आसानी के लिए संसाधन सूचना अर्थात् आयात/निर्यात, कानून और विनियम आदि की प्रक्रियाओं का प्रकाशन।

व्यापार सुगमता के लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत के सीमा पार व्यापार संकेतक निष्पादन में काफी सुधार हुआ है और यह 2017 में 146 था जो वर्ष 2018 में 80 हो गया है। इसके अलावा, इन पहलों ने देश में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' वातावरण में समग्र सुधार लाने में भी योगदान दिया है जिसे विश्व बैंक द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।

मानक और तकनीकी विनियम

1. वैश्विक स्तर पर, टैरिफ में कमी आई है और औद्योगिक वस्तुओं पर कुल वैश्विक औसत आयात पर भारित टैरिफ घटकर केवल 4 प्रतिशत के आसपास रह गया है। बड़ी संख्या में देशों के बीच एफटीए

पर वार्ता होने से, औसत वैश्विक टैरिफ दरों में और कमी आएगी, जिससे बाजार पहुंच में टैरिफ की भूमिका कम हो जाएगी। भले ही दुनिया के कुछ देशों में टैरिफ बाधाओं की आवृत्ति विद्यमान है, तकनीकी विनियमों (अनिवार्य मानकों) और विभिन्न प्रकार की अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रियाओं का उपयोग टैरिफ की मौजूदगी को कम कर रहा है।

2. वैश्विक बाजार में, विकासशील देशों के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती व्यापार में आने वाली तकनीकी बाधाओं को दूर करने और सेनेटरी और फाइटोसेनेटिक स्थितियों में करारों की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में घरेलू क्षमता का अभाव है, क्योंकि यह वैश्विक व्यापार प्रणाली में समाहित बाजार पहुंच के लिए बुनियादी पूर्वापेक्षाएँ हैं। डब्ल्यूटीओ का व्यापार के लिए तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) पर करार और सेनेटरी और फाइटोसेनेटिक उपायों (एसपीएस) पर करार इस क्षेत्र में डब्ल्यूटीओ के दो महत्वपूर्ण करार हैं।
3. व्यापार के साथ मानकों और तकनीकी नियमों का एक सहक्रियाशील संबंध है। मानक और तकनीकी नियम व्यापार को बढ़ाने वाले हैं क्योंकि मानक सूचना विषमता, उपभोक्ताओं के लिए सिग्नल की गुणवत्ता को कम करते हैं, और संभावित व्यापारिक भागीदारों के लिए एक सामान्य भाषा तैयार करते हैं जिससे लेनदेन की समग्र लागत में कमी आती है।
4. उत्पादों पर मानकों को अनिवार्य बनाना और तकनीकी विनियमों, मानकों, मेट्रोलॉजी, अनुरूपता मूल्यांकन और प्रत्यायन से संबंधित एक उचित ईको-सिस्टम स्थापित करने से असुरक्षित आयात, जो उपभोक्ताओं के साथ-साथ घरेलू उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, से घरेलू बाजार के भर जाने से रोकने में सहायता मिलेगी।

नियामकीय अंतराल को भरने के लिए तकनीकी विनियम (टीआर) अधिसूचित करना

5. भारत में विनियामक अंतराल को भरने के लिए तकनीकी विनियमों (टीआरएस) को अधिसूचित करने संबंधी सचिवों की समिति (सीओएस) के निर्णय के अनुसरण में, और कोर ग्रुप समीक्षाओं के माध्यम से अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से टीआर को अधिसूचित करने की गति में

तेजी आई है। टीआरएस को तैयार करने, अपनाने और इसे लागू करने के संबंध में अंतराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के समान व्यवस्था बनाने के लिए प्रयत्न जारी हैं।

माननीय प्रधान मंत्री द्वारा एमएसएमई क्षेत्र के लिए समर्थन और आउटरीच कार्यक्रम शुरू में किया गया

6. एमएसएमई सहायता और आउटरीच कार्यक्रम माननीय

व्यापक सहमति का परिणाम है। 2018 के सम्मेलन के दौरान, लाइन मंत्रालयों/विभागों के हितधारकों और प्रतिनिधियों के साथ मानकीकरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय कार्यनीति के कार्यान्वयन पर गहन चर्चा हुई।

9. आईएनएसएस गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र के चार व्यापक स्तंभों को संबोधित करता है- नामतः (I.) मानक विकास (II.) अनुरूपता मूल्यांकन और प्रत्यायन; (III.) तकनीकी विनियम और एसपीएस उपाय; और (IV) जागरूकता और शिक्षा। यह प्रत्येक स्तंभ के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित करता है और इसके लिए लक्ष्य निर्धारित करता है।
10. आईएनएसएस दिशा भी प्रदान करता है जो न केवल यह सुनिश्चित करेगा कि हमारे नागरिकों को सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलें, चाहे वे घरेलू स्तर पर निर्मित हों या आयातित हों, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि भारतीय उद्योग अधिक बाजारों तक पहुंच बनाने में सक्षम हो और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ के समान पहचान मिले।

सेवा व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में सुधार

सेवाओं पर वैश्विक प्रदर्शनी (जीईएस) -

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (एसईपीसी) और भारतीय उद्योग परिषद (सीआईआई) ने बॉम्बे एक्जीबिशन सेंटर, मुंबई में 15 से 18 मई, 2018 के दौरान सेवाओं पर चौथी वैश्विक प्रदर्शनी (जीईएस) का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा किया गया था।

जीईएस-2018 के दौरान 7000 से अधिक बी2बी बैठकें की गईं। जीईएस-2018 में 100 से अधिक देशों और 15 राज्यों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान 40 से अधिक सेमिनार भी आयोजित किए गए।

भारतीय सेवाओं के लिए एक नया ब्रांड, 'इंडिया सर्विसेज' जीईएस 2018 के उद्घाटन के समय लॉन्च किया गया था। इस ब्रांड में राष्ट्रीय पक्षी, मोर- भारत की सेवाओं की पेशकश का एक शक्तिशाली विजुअल प्रतीक शामिल है। इस अवसर पर एक समर्पित पोर्टल, www.indiaservices.in भी लॉन्च किया गया। यह पोर्टल अभियान के भीतर चैंपियन सेवा क्षेत्र पहल और प्रत्येक विशिष्ट क्षेत्र के बारे में जानकारी हेतु

वन-स्टॉप गंतव्य होगा। यह नोडल मंत्रालयों/विभागों की सेक्टरल कार्य योजनाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा।

जीईएस भारत की सेवाओं की ताकत को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन करने, इंगेज करने और सहयोग करने के एक प्रमुख मंच के रूप में सामने आया है। जीईएस का अगला संस्करण 2019 में आयोजित किया जाएगा।

एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया (एचसीआई)

2015 में उद्घाटन संस्करण के सफल शुभारंभ के बाद, 4 से 6 दिसंबर, 2018 को इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट, ग्रेटर नोएडा में वाणिज्य विभाग, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा संयुक्त रूप से एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2018 का चौथा संस्करण, जो मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पर एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है, आयोजित किया गया था। इस आयोजन को इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और नेशनल एक्सीडेंटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स द्वारा सहयोग प्रदान किया गया था। इस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत को *प्रीमियर ग्लोबल हेल्थकेयर डेस्टिनेशन* के रूप में बढ़ावा देना और भारत से सुव्यवस्थित चिकित्सा सेवाओं निर्यात को सक्षम बनाना था।

एचसीआई-2018 में 69 से अधिक देशों के 500 से अधिक प्रतिनिधि एक मंच पर साथ आए। शिखर सम्मेलन ने होस्टेड बायर कार्यक्रम के माध्यम से बातचीत, नेटवर्क और सहयोग करने का अवसर प्रदान किया, इस कार्यक्रम के दौरान 12000 से अधिक बी 2 बी बैठकों का आयोजन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप भारत और आमंत्रित देशों के उद्योग स्टेकहोल्डर्स के बीच मूल्यवान व्यापार समझौता और सहयोग हुआ। शिखर सम्मेलन के अन्य मुख्य आकर्षण थे: सीईओ के गोलमेज सम्मेलन के साथ दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, और मुंबई के कुछ विश्वस्तरीय अस्पतालों, आयुर्वेद और वेलनेस केंद्रों के दौरे का आयोजन।

शिखर सम्मेलन की प्रदर्शनी में 180 से अधिक अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं ने भी भागीदारी की। प्रदर्शनी में अस्पताल, हेल्थकेयर केंद्र, आयुष अस्पताल, शैक्षिक संस्थान (मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फार्मा कॉलेज और आयुष कॉलेज), चिकित्सा उपकरण और संबंधित अवसंरचना - चिकित्सा पर्यटन सुविधा, होटल, एयरलाइंस, टूर एंड टैवल सहित हेल्थकेयर क्षेत्र में

भारत की पेशकश और विशेषज्ञता को दिखाया गया।

उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन (एचईएस)

14 वां उच्चतर शिक्षा शिखर सम्मेलन 2018, वैश्विक सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन संयुक्त रूप से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ (फिक्की) और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (एसईपीसी) द्वारा किया गया। इस आयोजन को मानव संसाधन विभाग और शैक्षिक कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (एडसीआईएल) ने भी समर्थन दिया है और यह 30 अक्टूबर से 1 नवंबर, 2018 के दौरान नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था।

शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार, कुलपति राउंडटेबल, मास्टर कक्षाएं और रिवर्स बायर सेलर मीट (बी-2-बी) का आयोजन था, इस शिखर सम्मेलन में 1200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें 250 से अधिक विदेशी प्रतिनिधि शामिल थे।

शिखर सम्मेलन शिक्षा 4.0 के निष्पादन और विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान इस तीव्र और अभूतपूर्व परिवर्तन को किस प्रकार अंगीकृत करेंगे, पर केंद्रित था। इस शिखर सम्मेलन ने सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए महत्वाकांक्षी "स्टडी इन इंडिया" कार्यक्रम की भी ब्रांडिंग की।

आईटी-दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी-एनईआर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो

यह सम्मेलन वाणिज्य विभाग के समर्थन से इंटरनेशनल चैंबर ऑफ सर्विस इंडस्ट्री (आईसीएसआई) द्वारा असम ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की साइड लाइन पर 3-4 फरवरी, 2018 को गुवाहाटी, असम में आयोजित किया गया था।

कार्यक्रम का फोकस एनईआर में सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देना और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करके आईटी उद्योग को मजबूत करना था। आवश्यक नीति और अवसंरचनात्मक समर्थन के साथ, पूर्वोत्तर राज्य आईटी उद्योग के आधार का विस्तार करने और संतुलित सेक्टरल विकास सुनिश्चित करने के लिए आईटी/आईटीज सेक्टर के लिए एक आकर्षक निवेश केंद्र हो सकते हैं।

एनईआर (I) - आसियान के बीच तीसरा वार्षिक सम्मेलन

सेवा क्षेत्र की संभावनाओं का उपयोग करने और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांगों की पूर्ति करके सीएलएमवी देशों को सेवा निर्यात पर केंद्रित वार्षिक सम्मेलन, वाणिज्य विभाग के सहयोग से 22-23 फरवरी, 2018 को इंफाल, मणिपुर में आयोजित किया गया था।

सम्मेलन के फोकस सेवा क्षेत्र थे (i) एयरलाइंस - पर्यटन और आतिथ्य, (ii) मीडिया और मनोरंजन, (iii) शिक्षा, कौशल और क्षमता निर्माण, (iv) एमएसएमई और सेवा क्षेत्र, (v) कला और शिल्प और वस्त्र निर्यात और (vi) वेलनेस।

"डिजिटल इंडिया- भविष्य के लिए भारतीय कानूनी पारि-प्रणाली में कानूनी और नियामक सुधार" पर 8वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन

इन-हाउस काउंसिल वर्ल्डवाइड (आईसीडब्ल्यू) के एक सदस्य, भारतीय कॉर्पोरेट काउंसिल एसोसिएशन (आईसीसीए), जो कॉर्पोरेट काउंसिल संघों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो इन-हाउस काउंसिल प्रोफेशन पर केंद्रित एक संगठन है, ने 30-31 अगस्त, 2018 को होटल लीला, नई दिल्ली में "डिजिटल इंडिया- भविष्य के लिए भारतीय लीगल इको-सिस्टम में कानूनी और विनियामक सुधार" विषय पर आठवां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया। इस आयोजन को वाणिज्य विभाग का भी समर्थन प्राप्त था।

अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में उन अवसरों और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो डिजिटलीकरण द्वारा भारतीय कानूनी क्षेत्र के सामने आ रही है। सम्मेलन में भारत और अन्य यूरोपीय देशों में मौजूदा कानूनी और नियामक फ्रेम वर्क पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

चैंपियन सेवा क्षेत्र पहल संक्षिप्त जानकारी सेवा क्षेत्र का महत्व

- ❖ सेवा क्षेत्र भारत की जीडीपी (50% से अधिक), एफडीआई प्रवाह (लगभग 50%), निर्यात और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
- ❖ सेवाओं की वृद्धि, विशेष रूप से पिछले दो दशकों में भारत के समग्र विकास सहायता कर रही है। 2004-05 से 2010-11 के दौरान, भारत ने काफी हद तक सेवा क्षेत्र में 10% से अधिक की वृद्धि के कारण 8.8% की समग्र वृद्धि

हासिल की। 2016-17 में, समग्र विकास 6.6% था, जबकि सेवाओं में 7.7% की वृद्धि हुई।

- ❖ सेवा व्यापार अधिशेष भारत के सामान व्यापार घाटे का 50% से अधिक का वित्त पोषण कर रहा है। सेवा व्यापार अधिशेष में भारत के सामान व्यापार घाटे के लगभग 110% का विप्रेषण वित्त शामिल है। तेल की कीमतों में फिर से वृद्धि होने से और भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था से बढ़ रही मांग के कारण, भविष्य में व्यापारिक व्यापार घाटे के और नीचे आने की उम्मीद नहीं है। इस प्रकार, सेवाओं के व्यापार अधिशेष में वृद्धि करना महत्वपूर्ण है।

चुनौतियां जिन पर ध्यान देने की जरूरत है

भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि पुराने ढंग से बाहर आ सकती है:

वित्तीय संकट के बाद से इसकी वृद्धि में कमी रही है। सेवा व्यापार में शुद्ध अधिशेष 2014-15 में 76.53 बिलियन अमरीकी डालर से घटकर 2015-16 में 69.68 अमरीकी डालर और 2016-17 में 67.45 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।

सेवाओं के निर्यात की विशेषता आईटी और आईटीईएस (भारत के सेवाओं के निर्यात का लगभग 40%) पर अधिक निर्भरता है।

क्षेत्र की निरंतर वृद्धि के लिए, नए क्षेत्रों में विविधता लाने और कृत्रिम इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और उद्योग 4.0 जैसे नए क्षेत्रों को कवर करने के लिए हमारे आईटी मॉडल को अपग्रेड करने की तत्काल आवश्यकता है।

- ❖ □ विभिन्न सेवा क्षेत्रों की क्षमता को उजागर करने के लिए, दोनों सेक्टरल और क्रॉस कटिंग मुद्दों का समाधान करना महत्वपूर्ण है।

2022 के लिए विजन

सेवा पर वैश्विक प्रदर्शनी 2015 में, प्रधानमंत्री ने भारत के विश्व के सेवा केंद्र होने की क्षमता पर

प्रकाश डाला। सेक्टरल और क्रॉस-कटिंग के मुद्दों में सुधार के लिए इस पहल को यदि लागू किया जाता है, तो प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने में सहायता मिल सकती है।

भारत का विश्व सेवा निर्यात हिस्सेदारी जो 2015 में 3.3% थी, जिसे 2022 तक 4.2% तक बढ़ाया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में सकल मूल्य वर्धित सेवाओं (जीएवी) में सेवाओं की हिस्सेदारी, जो 2015-16 में लगभग 53% थी, के लिए 2022 तक 60% का लक्ष्य संभव है।

मंत्रिमंडल की स्वीकृति :

चैंपियन सेवा क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाओं पर वाणिज्य विभाग के मंत्रिमंडल नोट को 28 फरवरी, 2018 के मंत्रिमंडल नोट द्वारा अनुमोदित किया गया था। निम्नलिखित पर स्वीकृति प्राप्त हुई है:

12 सेवा क्षेत्रों अर्थात् आईटी और आईटीईएस, पर्यटन और आतिथ्य सेवाएँ, चिकित्सा मूल्य यात्रा, परिवहन और रसद सेवाएँ, लेखा और वित्त सेवाएँ, ऑडियो विजुअल सेवा, कानूनी सेवाएँ, संचार सेवाएँ, निर्माण और संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएँ, पर्यावरण सेवाएँ, सीएसएसएस के तहत वित्तीय सेवाएँ और शिक्षा सेवाओं को शामिल किया गया है।

स्टेकधारकों और वाणिज्य विभाग के परामर्श से, क्रॉस-कटिंग मुद्दों और सेक्टरल कार्य योजनाओं के लिए कार्य योजना निरूपित करने के लिए संबंधित नोडल मंत्रालयों/विभागों को निर्देश। इसमें अन्य बातों के साथ साथ, कार्यान्वयन के लिए लक्ष्य और समय सीमा शामिल होगी।

सेक्टरल कार्रवाई योजना की समयबद्ध और नियमित निगरानी करने के लिए चैंपियन सेवा क्षेत्र के संबंधित सचिव सहित मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति का गठन किया जाना। वाणिज्य विभाग सीओएस के लिए सचिवालयीय सहायता प्रदान करेगा।

चैंपियन सेक्टर्स के सेक्टरल एक्शन प्लान के लिए पहल का सपोर्ट करने के लिए रु .5,000 करोड़ की समर्पित निधि का सृजन।

सीएसएसएस के तहत कार्य योजनाओं के महत्वपूर्ण तत्व

सीएसएसएस के तहत कार्रवाई योजना में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित शामिल होंगे :

- (i) सेक्टरल मुद्दों के अलावा, नियामक ढांचे के सुधार, सेवाओं के मानकों के परिक्षेत्र का विकास, विदेशी भाषा की क्षमता सहित कौशल विकास, वीजा सुधार आदि सहित क्रास कटिंग मुद्दों का समाधान करना।
- (ii) मंत्रिमंडल नोट में निर्दिष्ट पाँच स्तंभों अर्थात्, इज ऑफ़ डुइंग बिजनेस में सुधार के लिए 'नई प्रक्रियाएँ', वास्तविक और डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 'नई अवसंरचना', मूल्य वृद्धि, रोजगार सृजन और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए अनछुए क्षेत्रों की पहचान पर आधारित 'नया क्षेत्र' 'नया माइंड-सेट' जिसका उद्देश्य आधिकारिक माइंड सेट को जारी करने/अनुमोदन प्राधिकारी से बदलकर 'भागीदारी व्यवसाय' करना है और सेवा मानकों को विकसित करने के लिए 'नए मानक' के अंतर्गत मूल सामग्री शामिल करना।
- (iii) सेवा क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए नई पहलों पर ध्यान केंद्रित करना
- (iv) सेवाओं की खपत के लिए विदेशियों को भारत आने के लिए आकर्षित करने सहित सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए नई पहलों पर ध्यान केंद्रित करना

कार्यान्वयन तंत्र :

उपर्युक्त क्षेत्रों के लिए मंत्रिमंडल नोट में वाणिज्य विभाग द्वारा संकेतक सेक्टरल सुधार दृष्टिकोण/योजनाओं को शामिल किया गया है, जो संबंधित निर्धारित नोडल मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए इनपुट हो सकते हैं।

स्टेकधारकों और वाणिज्य विभाग के परामर्श से मंत्रालयों / विभागों द्वारा कार्य योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है

अंतिम सेक्टरल एक्शन प्लान के कुछ घटकों में व्यय शामिल हो सकता है और इसके वित्तीय निहितार्थ हो सकते हैं। जहां इस तरह के व्यय विभागीय मंत्री की शक्तियों के भीतर होते हैं और विभागीय रूप से धन उपलब्ध होते हैं, वहां इनका उपयोग तदनुसार किया जा सकता है। संबंधित विभाग/मंत्रालय स्तर से परे निधियों का अनुमोदन और प्रावधान की आवश्यकता वाली स्थितियों के लिए, शीघ्र अनुमोदन प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए निर्धारित चैंपियन सेवा क्षेत्रों की सेक्टरल

पहल का समर्थन करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की एक समर्पित निधि का निर्धारण किया गया है।

वार्ताएं

1. आरसीईपी वार्ता :

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) सोलह देशों के बीच एक प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) है, जिसमें आसियान के 10 देश (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम) और उनके 6 एफटीए भागीदार (जिसे एएफपी या आसियान एफटीपी भागीदार के रूप में भी जाना जाता है) अर्थात् ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। मार्च, 2019 तक दो आरसीईपी नेताओं की शिखर बैठकें, छह मंत्रिस्तरीय बैठकें, सात अंतर-मंत्रालयी मंत्रिस्तरीय बैठकें और विशेषज्ञ स्तर पर पच्चीस आरसीईपी समझौता वार्ताएं आयोजित की जा चुकी हैं। संस्थागत रूप से, आरसीईपी शीर्ष स्तर पर व्यापार वार्ता समिति (टीएनसी) का गठन करती है जिसमें 9 कार्य समूह (सामान, सेवा, निवेश, बौद्धिक संपदा, कानूनी और संस्थागत मुद्दे, प्रतियोगिता, आर्थिक और तकनीकी सहयोग, सरकारी प्रापण और ई-कॉमर्स) और 7 उप कार्य समूह (उत्पत्ति नियम, सीमा शुल्क प्रक्रिया और व्यापार सुविधा, एसपीएस, स्ट्रैकैप, व्यापार उपचार, वित्तीय सेवाएं और दूरसंचार सेवाएं) शामिल हैं।

सिंगापुर में 14 नवंबर, 2018 को आयोजित दूसरी आरसीईपी लीडर्स समिट ने नेताओं को आरसीईपी प्रक्रिया के लिए अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता को दोहराने का अवसर प्रदान किया, ताकि वे इस बात का संकेत दे सकें कि वे उस समय मुक्त व्यापार से जुड़ते हैं जब व्यापार तनावों की पृष्ठभूमि में संरक्षणवाद के कारण विश्व व्यापार सुस्त रहता है। द्वितीय आरसीईपी शिखर सम्मेलन घोषणा में 2018 में आरसीईपी वार्ता में की गई 'पर्याप्त प्रगति' का स्वागत किया गया और 2019 में एक आधुनिक, व्यापक, उच्च गुणवत्ता और परस्पर लाभकारी आरसीईपी को पूर्ण करने के लिए दृढ़ संकल्प व्यक्त किया गया। नेताओं ने 7 (16 में से) अध्यायों के पूर्ण किए जाने का भी स्वागत किया जिसमें से इस वर्ष 5 अध्यायों को पूर्ण किया गया। उन्होंने सभी शेष अध्यायों और अनुबंधों को पूर्ण करने के लिए वार्ता की गति में तेजी लाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

तकनीकी स्तर पर, सामान, सेवाओं और निवेश के साथ-साथ नियमों तक बाजार पहुंच के प्रमुख क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति हुई है। सामान और सेवाओं के साथ-साथ निवेश आरक्षण सूचियों के प्रस्तावों को अनुरोधों और प्रस्तावों के माध्यम से वृद्धिशील रूप से बेहतर किया जा रहा है। नियम क्षेत्र विशेष रूप से पाठ पर भी कार्य में प्रगति हो रही है।

2. एशिया प्रशांत व्यापार करार के चौथे दौर के तहत टैरिफ रियायतों का कार्यान्वयन

छह देशों नामतः बांग्लादेश, चीन, भारत, लाओ पीडीआर, कोरिया गणराज्य और श्रीलंका के बीच एशिया प्रशांत व्यापार करार (एपीटीए) के तहत 4 वें दौर की वार्ता के परिणाम 1 जुलाई, 2018 से लागू किए गए हैं। भारत ने अपनी ओर से सभी सदस्य देशों के साथ 3142 टैरिफ लाइनों पर टैरिफ रियायतों का आदान-प्रदान किया और एलडीसी नामतः बांग्लादेश और लाओ पीडीआर के लिए 48 टैरिफ लाइनों पर विशेष रियायतें दी हैं।

3. ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका)

ब्रिक्स पांच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक संघ है। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से पहले मूल रूप से पहले चार को "ब्रिक" के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ब्रिक्स की अध्यक्षता सदस्य देशों द्वारा वार्षिक आधार पर रोटेशन में धारित की जाती है। दक्षिण अफ्रीका वर्ष 2018 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष रहा है। वाणिज्य विभाग ब्रिक्स के तहत आर्थिक और व्यापार के मुद्दों को संभालता है, जिनके बारे में संस्थागत तंत्र जिसे व्यापार और आर्थिक मुद्दों संबंधी कांटेक्ट ग्रुप (सीजीईटीआई) के रूप में जाना जाता है, में चर्चा की जाती है। दक्षिण अफ्रीका की वर्तमान अध्यक्षता के तहत, सीजीईटीआई (17वीं, 18वीं और 19वीं) की 3 बैठकें मार्च, मई और 3-4 जुलाई, 2018 को आयोजित की गईं। 8वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक 5 जुलाई, 2018 को आयोजित की गई। 10 वीं ब्रिक्स लीडर्स समिट 25-27 जुलाई, 2018 से जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। ब्रिक्स सीजीईटीआई के तहत चर्चा के प्रमुख क्षेत्र गैर-टैरिफ उपाय, सेवाएं, बौद्धिक संपदा, ई-कॉमर्स, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, आदि हैं। दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स सीजीईटीआई वार्ता ने निम्नलिखित दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया, जिन्हें 5 जुलाई, 2018 को आयोजित 8 वें ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों के सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था :

- i) व्यापार को सुविधाजनक बनाने में सहयोग देने के लिए तकनीकी विनियमों, मानकों, मेट्रोलॉजी, अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए कार्य प्रणाली
- ii) ब्रिक्स संयुक्त व्यापार अध्ययन की समीक्षा के लिए सेवा शर्तें
- iii) ब्रिक्स आईपीआरसीएम कार्यान्वयन ढांचा
- iv) ब्रिक्स आईपीआर एक्शन प्लान
- v) ब्रिक्स देशों में आईपीआर पर गाइडबुक के लिए रूपरेखा
- vi) समावेशी ई-कॉमर्स विकास पर ब्रिक्स सहयोग ढांचा
- vii) एमएसएमई सहयोग पर संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सेवा शर्तें
- viii) एक समावेशी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के लिए ब्रिक्स समर्थन वक्तव्य
- ix) सीजीईटीआई निगरानी तंत्र
- x) सेवा सांख्यिकी में व्यापार

4. शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक, और सुरक्षा गठबंधन है। शंघाई सहयोग संगठन के निर्माण की घोषणा 15 जून 2001 को शंघाई, चीन में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान के नेताओं द्वारा की गई थी। संगठन की औपचारिक स्थापना करने वाले एससीओ चार्टर पर जून 2002 में हस्ताक्षर किया गया था और 19 सितंबर 2003 को लागू किया गया। शुरुआत में भारत और पाकिस्तान एससीओ के पर्यवेक्षक बने। वे 9 जून 2017 को कजाकिस्तान के अस्ताना में एक शिखर सम्मेलन में एससीओ के पूर्ण सदस्य बन गए। एससीओ में सरकार के प्रमुखों (प्रधानमंत्रियों) की परिषद सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। इसकी बैठक वर्ष में एक बार होती है और इसमें संगठन के सभी महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय और दिशानिर्देशों को अंगीकृत किया जाता है।

वाणिज्य विभाग शंघाई सहयोग संगठन की दो बैठकों; (i) विदेशी अर्थव्यवस्था और विदेशी व्यापार कार्यकलाप के लिए उत्तरदायी एससीओ सदस्य राज्यों के मंत्रालयों और एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के आयोग की बैठक (एससीओ वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक) और; (ii) विदेशी अर्थव्यवस्था और विदेशी व्यापार कार्यकलाप के लिए उत्तरदायी शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश के मंत्रियों की बैठक में भाग लेता है। 2018 के दौरान, एससीओ के वरिष्ठ अधिकारियों की दो बैठकें मई और सितंबर, 2018 में हुईं। शंघाई

सहयोग संगठन के मंत्रियों की बैठक सितंबर, 2018 में ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित की गई थी। एससीओ के तहत जिन क्षेत्रों पर चर्चा की गई है उनमें से कुछ बहुपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग (एमटीईसी), सेवाएं, ई-कॉमर्स, व्यापार सुविधा आदि हैं। मंत्रियों/प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों ने मौजूदा स्थिति और क्षेत्र में बहुपक्षीय व्यापार विकास, आर्थिक और निवेश सहयोग की संभावनाओं पर अपनी राय का आदान-प्रदान किया। मंत्रियों/प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों ने अन्य बातों के साथ साथ, सीमा शुल्क सहयोग पर एससीओ सदस्य राज्यों के विशेष कार्यकारी समूह संबंधी विनियमों को अनुमोदन प्रदान किया।

5. जी 20 और भारत

जी20 को 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के मद्देनजर 19 देशों (अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका) और यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के एक मंच के रूप में स्थापित किया गया था। हालांकि, 2008 में जी20 के प्रभाव में तब वृद्धि हुई जब 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए इसे वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के एक मंच से राज्य/सरकार के प्रमुखों के एक मंच के रूप में स्थापित कर दिया गया था। जी20 ने 2009 में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख वैश्विक मंच जी8 को प्रतिस्थापित कर दिया था। जी20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85 प्रतिशत, वैश्विक व्यापार का 75 प्रतिशत, और दुनिया की दो-तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्जेंटीना ने 2018 में जी20 की अध्यक्षता की। 14 सितंबर 2018 को अर्जेंटीना के मार डेल प्लाटा में आयोजित जी20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। मंत्रिस्तरीय संयुक्त कम्युनिके ने वैश्विक खाद्य

सुरक्षा बढ़ाने एग्रो-फूड वैश्विक वैल्यू चेन के महत्व, नई औद्योगिक क्रांति (एनआईआर) 4.0 में डिजिटल प्रौद्योगिकियों की केंद्रीय भूमिका और डब्ल्यूटीओ के पुनरूद्धार के बढ़ते महत्व को मान्यता दी। सीआईएम ने नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के लिए भारत की ईमानदार प्रतिबद्धता को दोहराया और डब्ल्यूटीओ के विशेष और विभेदक व्यवहार, आम सहमति निर्माण और पारदर्शिता के अपने मूल सिद्धांतों को नुकसान पहुंचाए बिना विश्व व्यापार संगठन को मजबूत करने के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। जी20 लीडर्स समिट अर्जेंटीना में 30 नवंबर 2018 से 1 दिसंबर 2018 के दौरान आयोजित किया गया था।

जापान ने 2019 में जी20 की अध्यक्षता संभाली और अब तक जनवरी और अप्रैल 2019 में व्यापार और निवेश कार्य समूह की दो बैठकें हुई हैं। कार्य समूह की तीसरी बैठक 5-6 जून, 2019 से होगी जिसके बाद 8-9 जून, 2019 को जापान के त्सुकुबा में मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया जाएगा।

6. व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड)

व्यापार और विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड) का उद्देश्य विकासशील देशों को विश्व अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना है। अंकटाड संयुक्त राष्ट्र के भीतर व्यापार और विकास के एकीकृत व्यवहार और वित्त, प्रौद्योगिकी, निवेश और सतत विकास के क्षेत्रों में परस्पर संबंधित मुद्दों के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। अंकटाड के मौजूदा अधिदेश के तीन स्तंभ हैं: क) स्वतंत्र नीति विश्लेषण; ख) आम सहमति निर्माण; और ग) तकनीकी सहायता। मंत्रिस्तरीय सम्मेलन, जो

हर चार साल में आयोजित किया जाता है, अंकटाड का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है और संगठन के लिए प्राथमिकताओं और दिशानिर्देशों को निर्धारित करता है और प्रमुख आर्थिक और विकास के मुद्दों पर नीतिगत सहमति बनाने और इस पर विचार विमर्श करने का अवसर प्रदान करता है। व्यापार और विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का XIV मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 17 से 22 जुलाई 2016 को नैरोबी, केन्या में आयोजित किया गया था।

7. व्यापार वरीयता की वैश्विक प्रणाली (जीएसटीपी)

13 अप्रैल, 1988 को बेलग्रेड में व्यापार वरीयता की वैश्विक प्रणाली (जीएसटीपी) स्थापित करने वाले करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। जीएसटीपी वार्ताओं का वर्तमान दौर, जिसे "साओ पाउलो राउंड" के रूप में भी जाना जाता है, 2004 में ब्राज़ील के साओ पाउलो में अंकटाड XI चतुर्भुज सम्मेलन के अवसर पर 22 भाग लेने वाले देशों के साथ शुरू किया गया था।

जीएसटीपी वार्ता समिति की एक मंत्रिस्तरीय बैठक 15 दिसंबर, 2010 को फोज डो इगूकू, ब्राज़ील में "साओ पाउलो दौर के परिणामों को शामिल करने वाले अंतिम अधिनियम" और "जीएसटीपी संबंधी करार के संबंध में साओ पाउलो दौर प्रोटोकॉल" पर हस्ताक्षर करने के लिए आयोजित की गई थी। अब तक, 44 सदस्य देशों में से भारत सहित 8 देशों ने प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। इन 8 देशों में से, तीन देश, अर्थात् भारत, मलेशिया और क्यूबा ने इसकी पुष्टि की है। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 23 अगस्त, 2012 को अपनी बैठक में तीसरे दौर की वार्ताओं के तहत भारत की रियायती अनुसूची के कार्यान्वयन को मंजूरी दी थी।

भारत की पेशकश जीएसटीपी प्रस्ताव के अनुमत्य तौर-तरीकों के अनुसार है, जिसमें 20% अधिमान अंतर (एमओपी) के साथ 70% शुल्कयुक्त टैरिफ लाइनों को की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, भारत ने सबसे कम विकसित देशों (एलडीसी) को 25% के एमओपी पर एकतरफा 77% शुल्कयुक्त लाइनों की पेशकश की है।

तीसरे दौर की वार्ताओं के तहत रियायतों की अनुसूची को न्यूनतम चार प्रतिभागियों द्वारा अपने कार्यक्रम की पुष्टि करने और जीएसटीपी सचिवालय को सूचित करने के तीस दिन बाद लागू किया जाएगा। टैरिफ रियायतें ऐसे चार प्रतिभागियों के बीच लागू की जाएंगी और अन्य प्रतिभागी अपनी अनुसूची की पुष्टि करने के बाद रियायतों का लाभ उठाएंगे।

हाल तक, केवल 3 सदस्य देशों - भारत, मलेशिया और क्यूबा ने अपने जीएसटीपी अनुसूचियों की पुष्टि की थी। मई 2018 में, उरुग्वे ने साओ पाउलो राउंड प्रोटोकॉल के अपने जीएसटीपी अनुसूची की पुष्टि की है। भारत की रियायतों की अनुसूची अब लागू हो सकती है क्योंकि चार प्रतिभागियों ने अपने कार्यक्रम की पुष्टि की है।

8. बहुक्षेत्रक तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग से संबंधित बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्स्टेक)

बहुक्षेत्रक तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्स्टेक) एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें सात सदस्य देश: बंगलादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका तथा थाईलैंड हैं। थाईलैंड 6 जून 1997 को इसका सदस्य बना। इस पहल का उद्देश्य बंगाल की खाड़ी के चारों ओर समूहबद्ध दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण एशिया के संस्पर्शी देशों को शामिल करते हुए उप क्षेत्रीय आधार पर आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाना है।

बिम्स्टेक ने सहयोग के लिए प्राथमिकता वाले 14 क्षेत्रों की पहचान की है जहां कोई भी सदस्य देश अगुवाई कर सकता है। भारत आतंकवाद तथा राष्ट्रपारीय अपराध की खिलाफत, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, पर्यटन एवं परिवहन तथा संचार के लिए अगुवाई करने वाला देश है।

बिम्स्टेक के सदस्यों ने 2004 में बिम्स्टेक मुक्त व्यापार क्षेत्र करार स्थापित करने के लिए सहमति प्रदान की है जिसमें सामान, सेवाओं में व्यापार, निवेश तथा सीमा शुल्क सहयोग को कवर किया गया है। अब तक व्यापार वार्ता समिति की 20 बैठकें हो चुकी हैं। बिम्स्टेक टीएनसी और रूल आफ ओरिजिन, सेवा निवेश, सीमा शुल्क सहयोग, व्यापार सुविधा और विधिक विशेषज्ञ की कार्य समूह की 21वीं बैठक का आयोजन 18-19 नवंबर, 2018 को ढाका में किया गया था। यह निर्णय लिया गया कि बिम्स्टेक करार का कार्यान्वयन तेज गति से करने के लिए अंतर-सत्रीय बैठक/वीडियो कांफ्रेंसिंग का आयोजन किया जाएगा। आरओओ अध्याय और ओसीपी टेक्स्ट से संबंधित बाकी मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए 21-22 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में बिम्स्टेक वर्किंग ग्रुप ऑन रूट्स ऑफ ओरिजिन की 19वीं बैठक आयोजित की गई।

xi. ईएससीएपी (एस्कैप)

भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की क्षेत्रीय विकास शाखा, ईएससीएपी (एस्कैप), जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए मुख्य आर्थिक और सामाजिक विकास केंद्र के रूप में काम करता है, के संस्थापक सदस्यों में से एक है। यह 53 सदस्य राज्यों और 9 एसोसिएट सदस्यों से बना है जिसका भौगोलिक दायरा पश्चिम में तुर्की से पूर्व में किरिबाती के प्रशांत द्वीप राष्ट्र तक, और उत्तर में रूसी संघ से दक्षिण में न्यूजीलैंड तक फैला हुआ एस्कैप संयुक्त राष्ट्र के पांच क्षेत्रीय आयोगों में सबसे व्यापक संगठन है। यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में कार्य करने वाला संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा निकाय भी है।

1947 में बैंकॉक, थाईलैंड में अपने मुख्यालय के साथ स्थापित, एस्कैप इस क्षेत्र की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों पर विजय

पाना चाहता है। यह निम्नलिखित क्षेत्रों में काम करता है:

- आईसीटी और आपदा जोखिम में कमी
- पर्यावरण और विकास
- सामाजिक विकास
- सांख्यिकी
- मैक्रोइकोनॉमिक पॉलिसी और विकास के लिए वित्तपोषण
- व्यापार, निवेश और नवाचार
- परिवहन
- ऊर्जा

एस्कैप उन मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, जिनका समाधान क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से सबसे प्रभावी ढंग से किया जाता है, इनमें निम्न मुद्दे शामिल हैं:

- ऐसे मुद्दे जिनका सामना सभी देशों या देशों के समूह द्वारा किया जाता है, जिसके लिए एक दूसरे से सीखना आवश्यक है;
- ऐसे मुद्दे जो क्षेत्रीय या बहु-देशीय भागीदारी से लाभ प्रदान करते हैं;
- ऐसे मुद्दे जो ट्रांस बाउंड्री प्रकृति के हैं, या जो सहयोगी अंतर-देशीय दृष्टिकोण से लाभान्वित होंगे;
- ऐसे मुद्दे जो एक संवेदनशील या उभरती प्रकृति के हैं और जिनके लिए समर्थन और वार्ता की आवश्यकता है।

ईएससीएपी का वार्षिक सत्र

क्षेत्र में समावेशी और सतत आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने और चर्चा करने के लिए आयोग मंत्री स्तर पर प्रतिवर्ष बैठक करता है ताकि प्रस्तावित कार्यनीतिक फ्रेमवर्क और कार्य अनुसूची का पृष्ठांकन करने और समीक्षा करने और इसकी सेवा शर्तों की अनुरूपता में अपेक्षित कोई अन्य निर्णय लेने के लिए इसके अनुषंगी निकायों और कार्यकारी सचिव की सिफारिशों पर निर्णय लिया जा सके।

एस्कैप का 74 वां सत्र बैंकॉक, थाईलैंड में 11 से 16 मई 2018 के दौरान आयोजित किया गया था। सत्र का विषय था, "सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के समय में असमानता"।

एस्कैप में भारत का योगदान

एस्कैप के कार्यक्रमों की प्रदायगी में क्षेत्रीय संस्थाओं और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। भारत ने इस वर्ष के दौरान एस्कैप के साथ निकट सहयोग करते हुए काम किया है। भारत ने एस्कैप के निम्नलिखित क्षेत्रीय संस्थानों को निरंतर वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है:

प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए एशिया और प्रशांत सेंटर (एपीसीटीटी), नई दिल्ली, भारत:

विकास के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी हेतु एशिया और प्रशांत प्रशिक्षण केंद्र (एपीसीआईसीटी) इंचियोन, कोरिया गणराज्य:

सतत कृषि यंत्रीकरण केंद्र (सीएसएम), बीजिंग, चीन

चिबा, जापान में स्थित एशिया और प्रशांत के लिए सांख्यिकीय संस्थान (एसआईएपी)

भारत में उप क्षेत्रीय कार्यालय

भारत सरकार द्वारा दिसंबर, 2011 में प्रदान की गई 1,54,000 अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता के साथ नई दिल्ली में दक्षिण और दक्षिण पश्चिम एशिया के लिए उप-क्षेत्रीय कार्यालय (एसआरओ) की स्थापना के द्वारा संयुक्त राष्ट्र-ईएससीएपी के साथ भारत की साझेदारी में एक नया आयाम जोड़ा गया। इसमें से 75000 यूएस डालर एकबारगी अनुदान था और 79000 यूएस डालर भारत के कार्यालय के योगदान के रूप में प्रतिवर्ष आवर्ती अनुदान है।

एसआरओ के प्रमुख कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:

- (i) उप-क्षेत्र और आयोग मुख्यालय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हुए उप-क्षेत्रीय स्तर पर आयोग के एजेंडे को लागू करना;
- (ii) उप-क्षेत्र के भीतर सदस्य राज्यों के प्राथमिकता क्षेत्रों पर केंद्रित विशिष्ट उप-क्षेत्र प्राथमिकताओं और कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और उनका समर्थन करना;
- (iii) ज्ञान प्रबंधन और नेटवर्किंग के लिए उप-क्षेत्रीय नोड के रूप में कार्य करना;
- (iv) तकनीकी सहायता कार्यक्रमों की प्रदायगी को तेज करना और उप-क्षेत्र में आयोग की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करना;
- (v) उप-क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्र शर्तों के साथ करीबी कामकाजी संबंध स्थापित करना और उप-क्षेत्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र प्रणाली कार्यक्रमों के समन्वय को बढ़ावा देना।
- (vi) क्षेत्रीय ढांचे के साथ उप-क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अन्य उप-क्षेत्रीय अंतर-सरकारी निकायों सहित उप-क्षेत्र में अन्य संबंधित निकायों के साथ मजबूत भागीदारी और नेटवर्क का निर्माण करना।

xii. किम्बरली प्रक्रिया

किम्बरली प्रक्रिया (केपी) कंफ्लिक्ट डायमंड (वैध सरकारों के विरुद्ध युद्ध का वित्तपोषण करने के लिए बिद्रोही गुटों द्वारा प्रयुक्त रफ डायमंड) के प्रवाह पर अंकुश लगाने के लिए सरकार, उद्योग और सिविल सोसाइटी की एक संयुक्त पहल है। किम्बरली प्रक्रिया प्रमाणन सर्टिफिकेशन स्कीम (केपीसीएस) एक संयुक्त राष्ट्र अधिदेशित (यूएनजीए संकल्प 2000 का 55/56 और यूएनएससी संकल्प 1459 (2003) अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन स्कीम है। इसमें प्रत्येक प्रतिभागी को रफ डायमंड के उत्पादन और व्यापार पर आंतरिक नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। किसी गैर-प्रतिभागी के साथ रफ डायमंड में व्यापार की अनुमति नहीं है। रफ डायमंड के सभी निर्यात के साथ एक वैध केपी सर्टिफिकेट संलग्न करना होता है जिसमें यह उल्लेख होता है कि हीरे संघर्ष मुक्त हैं।

भारत केपीसीएस के संस्थापक सदस्यों में से एक है। केपीसीएस के वर्तमान में 55 प्रतिभागी हैं, जो यूरोपीय संघ के साथ 82 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसके सदस्य राष्ट्र को एकल प्रतिभागी के रूप में गिना जाता है। सभी प्रमुख हीरा उत्पादन, व्यापार और पॉलिशिंग केंद्र केपी के सदस्य हैं। सिविल सोसायटी और उद्योग समूह भी केपी में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। केपी की अध्यक्षता वार्षिक आधार पर रोटेट की जाती है। उपाध्यक्ष का चयन वार्षिक "पूर्ण" बैठक में किया जाता है और अगले वर्ष स्वतः अध्यक्ष बन जाता है। केपीसीएस का अध्यक्ष केपीसीएस के कार्यान्वयन, कार्य समूहों और समितियों के संचालन और सामान्य प्रशासन की देखरेख करता है। भारत 2019 में किम्बरली प्रक्रिया का अध्यक्ष है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा निर्यात उन्मुख यूनितें



विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा निर्यात उन्मुख यूनिटें

1. विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)

1965 में कांडला में एशिया के पहले ईपीजेड की स्थापना के साथ निर्यात संवर्धन के लिए निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ईपीजेड) की कारगरता को स्वीकार करने वाला भारत एशिया के पहले देशों में से एक था। इसके बाद 7 और क्षेत्र स्थापित किए गए। तथापि, ये क्षेत्र नियंत्रणों एवं क्लियरेंस की बहुलता, विश्व स्तरीय अवसंरचना का अभाव तथा अस्थिर राजकोषीय व्यवस्था आदि के कारण निर्यात संवर्धन के लिए कारगर साधन के रूप में उभरने में समर्थ नहीं हो पाए। ईपीजेड मॉडल की कमियों को दूर करते हुए, अप्रैल 2000 में घोषित विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नीति में कुछ नई विशेषताएं शामिल की गईं। इस नीति का उद्देश्य विशेष आर्थिक क्षेत्रों को प्रयोक्ता हितैषी विनियामक रूपरेखा के साथ केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर आकर्षक राजकोषीय पैकेज के साथ गुणवत्ताप्रद अवसंरचना के माध्यम से आर्थिक विकास का इंजन बनाना था। कांडला और सूरत (गुजरात), सांताक्रुज (महाराष्ट्र), कोचीन (केरल), चेन्नई (तमिलनाडु), विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), फाल्टा (पश्चिम बंगाल) तथा नोएडा (उत्तर प्रदेश) में पहले से मौजूद सभी 8 निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (ईपीजेड) को विशेष आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तित किया गया है।

एसईजेड व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने तथा एसईजेड की स्थापना के माध्यम से आर्थिक गतिविधि एवं रोजगार में वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से मई 2005 में संसद द्वारा एक व्यापक विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 पारित किया गया तथा इसे 23 जून 2005 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम अधिनियमित किया गया। एसईजेड अधिनियम 2005 जिसकी सहायता के लिए एसईजेड नियमावली बनाई गई, 10 फरवरी 2006 को लागू हुआ। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- (क) अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि का सृजन;
- (ख) माल एवं सेवाओं के निर्यात का संवर्धन;
- (ग) घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से निवेश संवर्धन;
- (घ) रोजगार के अवसरों का सृजन;
- (ङ) आधारभूत सुविधाओं का विकास।

एसईजेड अधिनियम 2005 की शर्तों के अनुसार माल के विनिर्माण या सेवाएं प्रदान करने या दोनों के लिए मुक्त व्यापार मालगोदाम क्षेत्र के रूप में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या किसी व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से या अकेले एसईजेड की स्थापना की जा सकती है। संबंधित राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से संसूत ऐसे प्रस्तावों पर एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है। एसईजेड अधिनियम 2005 के तहत स्थापित किए जा रहे एसईजेड मुख्य रूप से निजी निवेश चालित हैं।

एसईजेड का वर्तमान निष्पादन :

एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के फरवरी, 2006 में अधिसूचित होने के बाद लगभग 13 वर्ष की छोटी सी अवधि में 416 एस ई जेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं जिनमें से 351 एस ई जेड अधिसूचित किए गए हैं। एस ई जेड में कुल 20,61,055 व्यक्तियों को प्रदान किए गए रोजगार में से कुल मिलाकर 19,26,351 व्यक्ति फरवरी, 2006 जब एस ई जेड अधिनियम लागू हुआ था, के बाद सृजित वृद्धि संबंधी रोजगार है। यह अवसंरचना की गतिविधियों के लिए विकासकों द्वारा सृजित किए गए लाखों मानव दिवसों के अलावा है। एसईजेड से वास्तविक निर्यात 2017-18 में 5,81,033 करोड़ रुपए से बढ़कर 2018-19 में 7,01,179 करोड़ रुपए हो गया है जो 21 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। पिछले 14 वर्षों (2005-06 से 2018-19) में निर्यात में 2,970 प्रतिशत की समग्र वृद्धि हुई है। 31 मार्च, 2019 तक एसईजेड में कुल

निवेश लगभग 5,07,644 करोड़ रुपए है जिसमें एसईजेड अधिनियम, 2005 के बाद स्थापित नवअधिसूचित एसईजेड में 4,75,693 करोड़ रुपए शामिल हैं। ऑटोमेटिक रूट के

माध्यम से एसईजेड में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है।

पिछले 13 वर्षों के दौरान क्रियाशील एसईजेड से निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	निर्यात		पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (रुपए में)
	(मूल्य करोड़ रुपए में)	(बिलियन अमरीकी डॉलर में)	
2005-2006	22,840	5.08	-
2006-2007	34,615	7.69	52 प्रतिशत
2007-2008	66,638	14.81	93 प्रतिशत
2008-2009	99,689	21.71	50 प्रतिशत
2009-2010	2,20,711	46.54	121.40 प्रतिशत
2010-2011	3,15,868	69.30	43.11 प्रतिशत
2011-2012	3,64,478	76.01	15.39 प्रतिशत
2012-2013	4,76,159	87.45	31 प्रतिशत
2013-2014	4,94,077	81.67	4 प्रतिशत
2014-2015	4,63,770	75.84	-6.13 प्रतिशत
2015-2016	4,67,337	71.38	0.77 प्रतिशत
2016-2017	5,23,637	78.07	12.05 प्रतिशत
2017-2018	5,81,033	90.15	11 प्रतिशत
2018-2019	7,01,179	100.28	(21 प्रतिशत)

इस समय कुल 232 विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्यात कर रहे हैं। इसमें से 136 आईटी / आईटीईएस, 25 बहु उत्पाद और 71 अन्य सेक्टर विशिष्ट एसईजेड हैं। एसईजेड में कुल 5,109 यूनितें स्थापित की गई हैं।

योजना का प्रभाव :

एसईजेड योजना का अभिभावी प्रभाव देश में निवेश के प्रवाह तथा अतिरिक्त रोजगार के सृजन से स्पष्ट है। एसईजेड योजना ने भारत और विदेश दोनों में निवेशकों में प्रचंड रिसपांस का सृजन किया है। विदेशी मुद्रा का अर्जन करने और अवसंरचना का विकास करने के अलावा एसईजेड ने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रोजगार, नई गतिविधियों के उद्भव,

उपभोग के पैटर्न में परिवर्तन, सामाजिक जीवन, मानव विकास की सुविधाओं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य देखरेख आदि में परिवर्तन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानीय प्रभाव उत्पन्न किया है।

एसईजेड परियोजना के कार्यान्वयन की गति बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

एसईजेड अधिनियम 2005 में एसईजेड परियोजनाओं के शीघ्रता से कार्यान्वयन के लिए एकल खिड़की क्लियरेंस तंत्र स्थापित करने का प्रावधान है। तदनुसार राज्य सरकारों से भी निवेशकों के लिए अनुकूल परिवेश प्रदान करने हेतु अपने एसईजेड अधिनियम अधिनियमित करने के लिए नियमित रूप से

अनुरोध किए जाते हैं। एसईजेड परियोजनाओं के शीघ्रता से कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए समय समय पर एसईजेड के नियमों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा की जाती है। एसईजेड में ऊर्जा संरक्षण के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। ये दिशानिर्देश ऊर्जा के इष्टतम उपयोग, जल दक्षता, अपशिष्ट प्रबंधन, साइट परिरक्षण एवं बहाली आदि के लिए प्रावधान करते हैं।

एसईजेड सेक्टर के विकास की कुछ महत्वपूर्ण रुझानें :

एसईजेड अधिनियम 2005 के अधिनियमन के बाद से एसईजेड के विकास के पैटर्न के विश्लेषणात्मक मूल्यांकन से कुछ विशिष्ट रुझानों का पता चलता है जो इस प्रकार हैं :

(क) **एसईजेड का भौगोलिक संकेन्द्रण :**

7 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना में एसईजेड का अनुपात अधिक है तथा कुल निर्यात में उनका शेयर 86 प्रतिशत है।

(ख) **एसईजेड का शहर केन्द्रित विकास :**

इन 7 राज्यों में भी एसईजेड ज्यादातर मौजूदा शहरी बस्तियों के आसपास संकेन्द्रित हैं तथा वस्तुतः परिक्षेत्र अछूते हैं।

(ग) **एसईजेड का सेक्टरल फैलाव :**

सेक्टर में आईटीएसईजेड का दबदबा है तथा बहु क्षेत्र एसईजेड बहुत कम हैं। कुल 232 क्रियाशील एसईजेड में से केवल 25 बहु उत्पाद एसईजेड हैं।

(घ) **निर्यात का पैटर्न :**

आईटी / आईटीईएस एसईजेड तथा पेट्रोलियम सेक्टर मोटे तौर पर एसईजेड का दो तिहाई निर्यात करते हैं। गैर पेट्रोलियम निर्माण शेष निर्यात करता है।

(ङ) **विनिर्माण गतिविधि की प्रगति :**

जैसा कि उपर्युक्त (ग) और (घ) में दर्शाया गया है, एसईजेड सेक्टर ने भारत में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के सरोकार को पूर्णतः दूर नहीं किया है।

(च) **क्रियाशील एसईजेड की संख्या :**

हालांकि 416 एसईजेड को औपचारिक

मंजूरी प्रदान की गई है, केवल 351 एसईजेड अधिसूचित किए गए हैं जिनमें से केवल 232 एसईजेड निर्यात कर रहे हैं जो अनुमोदित एसईजेड का केवल 55.77 प्रतिशत है।

एसईजेड के लिए भूमि का मुद्दा :

वर्तमान व्यवस्था के तहत आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल संबंधी कोई आवश्यकता नहीं है तथा केवल न्यूनतम निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता होती है। अन्य सेक्टर जैसे कि हस्तशिल्प, जैव प्रौद्योगिकी, रत्न एवं आभूषण तथा कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण एसईजेड आदि के लिए भूमि की न्यूनतम आवश्यकता 10 हेक्टेयर है। अन्य क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि 50 हेक्टेयर है तथा बहु उत्पाद एसईजेड के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता 500 हेक्टेयर है।

भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 18 के अनुसार भूमि राज्य का विषय है।

भूमि के न्यूनतम क्षेत्रफल संबंधी आवश्यकताओं तथा एस ई जेड अधिनियम एवं नियमावली में निर्धारित अन्य शर्तों एवं निबंधनों के अधीन अनुमोदन बोर्ड विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव को अनुमोदित करता है। अनुमोदन तभी प्रदान किया जाता है जब संबंधित राज्य सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की सिफारिश करती है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों के तहत जिस हद तक भूमि के किसी भाग का अधिग्रहण किया गया है वह राज्य सरकार की संबंधित एजेंसियों द्वारा किया गया है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले में पहली प्राथमिकता बंजर एवं परती भूमि के अधिग्रहण पर होनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो एकल फसली कृषि भूमि का अधिग्रहण विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए किया जा सकता है। यदि विशेष रूप से बहुउत्पाद वाले विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए क्षेत्रफल संबंधी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दोहरी

फसल वाली कृषि भूमि के किसी भाग का अधिग्रहण करना पड़े तो यह विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए कुल अधिग्रहीत भूमि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। केन्द्र सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए किसी भूमि का आवंटन नहीं करती है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर अनुमोदन बोर्ड केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विचार करता है जो राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से संस्तुत होते हैं। इसके अलावा 5 अप्रैल 2007 को

आयोजित बैठक में अधिकार प्राप्त मंत्री समूह के निर्णय के अनुसरण में राज्य सरकारों को 15 जून 2007 को सूचित किया गया है कि अनुमोदन बोर्ड ऐसे किसी एसईजेड को मंजूरी प्रदान नहीं करेगा जहां राज्य सरकारों ने 5 अप्रैल 2007 के बाद ऐसे एसईजेड के लिए भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण किया है या करने का प्रस्ताव किया है।

एसईजेड के लिए भूमि की आवश्यकता - जमीनी सच्चाइयां

1	केन्द्र सरकार के 7 + राज्य सरकार / निजी क्षेत्र के 12 अधिसूचित एसईजेड से संबंधित कुल भूमि	2,244.95 हेक्टेयर
2	351 अधिसूचित एसईजेड से संबंधित कुल भूमि	40,178.32 हेक्टेयर
3	औपचारिक रूप से अनुमोदित 65 एसईजेड से संबंधित कुल भूमि	5,450.81 हेक्टेयर
4	औपचारिक रूप से अनुमोदित तथा अधिसूचित एसईजेड से संबंधित कुल भूमि (1+2+3)	47,874.08 हेक्टेयर
5	सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित 32 एसईजेड से संबंधित कुल भूमि	20,533 हेक्टेयर
6	भारत के कुल क्षेत्रफल (328 मिलियन हेक्टेयर) के अनुपात में अधिसूचित एसईजेड के क्षेत्रफल का प्रतिशत	0.013 प्रतिशत
7	भारत की कुल कृषि भूमि (142 मिलियन हेक्टेयर) के अनुपात में अधिसूचित एसईजेड के क्षेत्रफल का प्रतिशत	0.026 प्रतिशत

विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकासकों एवं यूनिटों के लिए प्रस्तावित राजकोषीय लाभ एवं शुल्क रियायत :

(i) विदेशी निवेश सहित विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की यूनिटों को प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों एवं सुविधाओं में शामिल हैं :

- विशेष आर्थिक क्षेत्रों की यूनिटों के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए माल का ड्यूटी फ्री आयात / घरेलू प्रापण
- आय कर अधिनियम की धारा 10 ए के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्रों की यूनिटों के लिए निर्यात आय पर आय कर से पहले पांच वर्षों के लिए 100 प्रतिशत छूट, इसके बाद अगले पांच वर्षों के लिए 50 प्रतिशत छूट और अगले पांच वर्षों के लिए प्लाउड बैक निर्यात लाभ पर 50 प्रतिशत की

छूट। (यूनिटों के लिए सनसेट क्लॉज 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा)

- केंद्रीय बिक्री कर से छूट, सेवा कर से छूट तथा राज्य बिक्री कर से छूट। अब इनका जीएसटी में विलय हो गया है तथा आईजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्रों को शून्य दर पर आपूर्तियां की जाती हैं।
- संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए अन्य शुल्क
- केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के अनुमोदन से एकल खिड़की क्लीयरेंस

(ii) विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासकों को उपलब्ध प्रमुख प्रोत्साहनों एवं सुविधाओं में शामिल हैं :

- बीओए द्वारा अनुमोदित अधिकृत प्रचालनों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क से छूट।

- आय कर अधिनियम की धारा 80-आईएबी के तहत 15 वर्षों में 10 वर्षों के ब्लॉक में विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के व्यवसाय से प्राप्त आय पर आय कर से छूट।
(विकासकों के लिए सनसेट क्लॉज 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा)
- केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) से छूट।
- सेवा कर से छूट (विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम की धारा 7, 26 तथा दूसरी अनुसूची)

एसईजेड के लिए एमएटी तथा डीडीटी छूट का वापस लिया जाना :

वित्त मंत्रालय ने एसईजेड विकासकों एवं यूनिटों के मामले में न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) से छूट तथा आयकर अधिनियम के तहत एसईजेड विकासकों के लिए लाभांश वितरण कर (डीडीटी) पर छूट को भी वापस ले लिया है। एमएटी 1 अप्रैल 2012 के बाद बही लाभ पर शिक्षा उपकर एवं अधिभार के अलावा बही लाभ के 18.5 प्रतिशत की दर से लागू है तथा 16.22 प्रतिशत (अब 16.995 प्रतिशत) (15 प्रतिशत प्लस 10 प्रतिशत अधिभार प्लस 3 प्रतिशत उपकर) की दर से एसईजेड विकासकों द्वारा वितरित लाभांश पर 1 जून 2011 से डीडीटी लग सकता है। फरवरी 2011 के बजट प्रस्तावों में माननीय वित्त मंत्री की घोषणा का एसईजेड के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। पूर्व वाणिज्य मंत्री ने राजकोषीय व्यवस्था में बड़े पैमाने पर अनिश्चितता की वजह से एसईजेड सेक्टर में भारी मंदी को ध्यान में रखते हुए एसईजेड संस्थाओं के लिए एमएटी और डीडीटी से छूटों को वापस लेने के निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए माननीय वित्त मंत्री के साथ मामले को उठाया था। तथापि, वित्त मंत्री सहमत नहीं हुए हैं। वाणिज्य सचिव के अर्धशासकीय पत्र दिनांक 10 जुलाई 2014 के माध्यम से मामले को फिर से उठाया गया। तथापि, राजस्व सचिव ने अपने पत्र

दिनांक 11 अगस्त 2014 के माध्यम से इस विभाग के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।

एसईजेड सेक्टर में मंदी :

हालांकि पिछले 6 वर्षों में एसईजेड सेक्टर में उपलब्धियां किसी भी रूप में महत्वहीन नहीं हैं, विश्लेषणात्मक मूल्यांकन से विशेष रूप से वित्त वर्ष 2010-11 के बाद एसईजेड सेक्टर में अनोखी मंदी का पता चलता है। एसईजेड सेक्टर में मंदी निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट है :

(क) नए एसईजेड के लिए आवेदनों की संख्या :

वित्त वर्ष 2009-10 के अंत में 364 वाणिज्य विभाग द्वारा प्राप्त आवेदनों के आधार पर 364 एसईजेड अनुमोदित किए गए थे। 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 (15 मई, 2019 तक की स्थिति के अनुसार) इस संख्या में क्रमशः 16, 9, 5, 3, 6, 9, 35, 4 और 6 की बहुत साधारण वृद्धि हुई है।

(ख) क्रियाशील एसईजेड की संख्या :

वित्त वर्ष 2009-10 के अंत में निर्यात यूनिटों के होने की दृष्टि से 110 एसईजेड क्रियाशील हो गए थे। तब से 2010-11 में 23, 2011-12 में 20, 2012-13 में 20, 2013-14 में 15, 2014-15 में 17, 2015-16 में 2, 2016-17 में 14, 2017-18 में 5, और 2018-19 में 9 (31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार) क्रियाशील हैं।

(ग) एसईजेड में यूनिटों की संख्या :

वित्त वर्ष 2009-10 के अंत में एसईजेड में 2850 यूनिटें थीं। 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 (31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार) इस संख्या में क्रमशः 440, 110, 189, 210, 260, 107, 290, 690 और -37 की बहुत साधारण वृद्धि हुई है।

(घ) अनुमोदित एसईजेड को विमुक्त करने के लिए आवेदनों की संख्या में वृद्धि :

एसईजेड को विमुक्त करने के लिए आवेदनों की संख्या में

पिछले 4 वर्षों में काफी वृद्धि हुई है तथा वित्त वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 (15 मई, 2019 तक की स्थिति के अनुसार) में एसईजेड को विमुक्त करने के लिए कुल 95 आवेदनों में से 56 आवेदनों को मंजूरी प्रदान की गई है।

(ड) **एसईजेड से निर्यात में वृद्धि :** एसईजेड निर्यात की विकास दर भारी गिरावट का प्रदर्शन कर रही है क्योंकि यह 2009-10 में 121 प्रतिशत से घटकर 2010-11 में 43.11 प्रतिशत, 2011-12 में 15.39 प्रतिशत, 2012-13 में 31 प्रतिशत, 2013-14 में 4 प्रतिशत, 2014-15 में -6.13 प्रतिशत, 2015-16 में 0.77 प्रतिशत, 2016-17 में 12.05 प्रतिशत, 2017-18 में 11 प्रतिशत और 2018-19 में 21 प्रतिशत (31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार)।

विशेष रूप से पिछले तीन वर्षों में एसईजेड सेक्टर के लिए अनेक चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं जो संभवतः उपर्युक्त प्रतिकूल रुझानों में से कुछ को स्पष्ट कर सकती हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तित राजकोषीय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एसईजेड योजना की लाभप्रदता को बनाए रखने का मुद्दा है। मेट लगाए जाने तथा एसईजेड से डीडीटी छूट को वापस लिए जाने से एसईजेड में निवेश पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा अन्य मुद्दे भी हैं जैसे कि एसईजेड के लिए प्राथमिक रूप से दोहरी फसल न देने वाले, संस्पर्शी तथा खाली भूमि की उपलब्धता तथा भूमि के प्रापण / अधिग्रहण से जुड़ी कठिनाइयां, एकल खिड़की तंत्र की कारगरता से जुड़े मुद्दे और केन्द्र सरकार के विभागों के बीच समन्वय तथा योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने वाली डीटीए यूनिटों की तुलना में एसईजेड के प्रोत्साहन पैकेज का निरंतर अनाकर्षक होना, जैसे कि फोकस उत्पाद सूची, फोकस बाजार सूची, डीईपीबी, ड्यूटी ड्राबैक, वीकेजीवाई आदि जो नई विदेश व्यापार नीति 2015-20 तक

एसईजेड को उपलब्ध नहीं थे, एसईजेड सेक्टर पर गंभीर प्रभाव पड़ा था।

एसईजेड विकास की अड़चनें :

हालांकि एसईजेड विकासकों एवं यूनिटों को अनेक प्रोत्साहन / लाभ प्रदान किए गए हैं, अभी भी ऐसी अनेक अड़चनें हैं जो एसईजेड विकास के मार्ग में रुकावट बन रही हैं। इनमें से कुछ यहां नीचे दिए गए हैं:

एसईजेड विकासकों एवं यूनिटों को उपलब्ध न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) से छूट को वापस लेना तथा एसईजेड विकासकों को उपलब्ध लाभांश वितरण कर (डीडीटी) से छूट को वापस लेना। इसका एसईजेड में निवेश पर बहुत प्रतिकूल असर हुआ है। हालांकि मंत्री स्तर पर वित्त मंत्रालय के साथ मामले को उठाया गया था परंतु वित्त मंत्रालय सहमत नहीं हुआ है।

सरकार विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के माध्यम से राजकोषीय प्रोत्साहनों, सांस्थानिक परिवर्तनों, प्रक्रियागत यौक्तिकीकरण के सहित भांति-भांति के उपाय और दुनियाभर में बाजार अभिगम्यता में वृद्धि करने और निर्यात बाजारों के विविधीकरण करने के प्रयास करती है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्यातकों (जिसमें एसईजेड / ईओयू निर्यातक शामिल नहीं हैं) को फोकस उत्पाद एवं फोकस बाजार सूची, वीकेजीवाई आदि सहित अनेक प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। एसईजेड संस्थाओं को अध्याय 3 के इन लाभों के उपलब्ध न होने से एसईजेड का विकास प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। नई विदेश व्यापार नीति 2015-20 में एसईजेड यूनिटों को एमईआईएस तथा एसईआईएस का लाभ प्रदान किया गया है।

हालांकि एसईजेड अधिनियम तथा इसके तहत बनाई गई नियमावली में राज्य एवं स्थानीय करों, लेवी एवं ड्यूटी आदि से छूट प्रदान करने की परिकल्पना है, राज्यों से इन छूटों को प्राप्त करने में कठिनाइयां आ रही हैं।

एसईजेड अधिनियम 2005 में एसईजेड परियोजनाओं के शीघ्रता से कार्यान्वयन के

लिए एकल खिड़की क्लियरेंस तंत्र स्थापित करने का प्रावधान है। तथापि, केन्द्र सरकार तथा अनेक राज्य सरकारों / विभागों ने विकास आयुक्तों तथा यूनिट अनुमोदन समितियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं किया है जिसकी वजह से एसईजेड विकासकों को विभिन्न स्तरों पर मास्टर प्लान एवं पर्यावरण के लिए राज्य एवं केन्द्रीय प्राधिकारियों से अनेक अनुज्ञप्तियां प्राप्त करनी पड़ती हैं।

आरबीआई ने एसईजेड को वाणिज्यिक रियल एस्टेट सेक्टर के रूप में वर्गीकृत किया है जिसके कारण बैंक एसईजेड स्थापित करने के लिए एसईजेड विकासकों से अधिक ब्याज दर की वसूली कर रहे हैं। आरबीआई को चाहिए कि वे एसईजेड विकासकों को प्रदान किए गए ऋण को अवसंरचना ऋण के रूप में वर्गीकृत करें ताकि विकासक एसईजेड स्थापित करने के लिए कम ब्याज दर पर बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकें।

भूमि अधिग्रहण में उचित क्षतिपूर्ति एवं पारदर्शिता, अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिकार अधिनियम 2013 के अधिनियमन से एसईजेड के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इस अधिनियम के तहत बड़े एसईजेड स्थापित करने के लिए तथा एसईजेड की सन्निकटता स्थापित करने के लिए भूमि का अधिग्रहण करना और कठिन होने वाला है।

एसईजेड नीति तथा प्रचालनात्मक रूपरेखा सुधार पहल :

एसईजेड क्षेत्र के निष्पादन का व्यापक विश्लेषणात्मक मूल्यांकन किया गया है जिससे इस आवश्यकता का पता चला है कि एसईजेड नीति एवं प्रचालनात्मक रूपरेखा के कुछ पहलुओं पर संभवतः फिर से विचार करने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित करने के लिए संभावित सुधार हो कि एसईजेड नीति के निर्धारित बेहतर ढंग से प्राप्त हो सकें।

इस संबंध में 'एसईजेड नीति तथा प्रचालनात्मक रूपरेखा का संभावित सुधार' पर हितधारक परामर्श को सुगम बनाने के लिए एक प्रारूप चर्चा कागजात तैयार किया गया था तथा उसे वाणिज्य विभाग की वेबसाइट www.sezindia.nic.in पर अपलोड किया गया था। हितधारकों - एसईजेड विकासकों, यूनिटों, व्यापार संघों, राज्य सरकारों, राजस्व विभाग, पर्यावरण विभाग, शहरी विकास विभाग आदि सहित केन्द्र सरकार के विभागों के साथ व्यापक परामर्श के बाद एक विस्तृत प्रस्ताव - एसईजेड नीति तथा प्रचालनात्मक रूपरेखा सुधार पहल' तैयार किया गया है और तदनुसार तत्कालीन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने 18 अप्रैल 2013 को एसईजेड में निवेशकों की रुचि बहाल करने के लिए निम्नलिखित उपायों की घोषणा की थी जिन्हें 12 अगस्त 2013 को जारी किए गए जीएसआर नंबर 540 (ई) के माध्यम से एसईजेड नियमावली 2006 को संशोधित करके अधिसूचित किया गया। इनमें से कुछ प्रमुख उपाय यहां नीचे दिए गए हैं :

1.1 एसईजेड में निवेशकों की रुचि बहाल करने तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन पैकेज तैयार किया गया है। इस पैकेज की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं :

- (i) रिक्ति और समीपता का सुनिश्चय करते हुए एसईजेड स्थापित करने के लिए अकृष्य भूमि के विशाल क्षेत्र को एकत्र करने में गंभीर समस्याओं को देखते हुए हमने न्यूनतम अपेक्षित भूमि क्षेत्र को घटाकर आधा करने का निर्णय लिया है। बहुउत्पाद एसईजेड के लिए 1000 हेक्टेयर से घटाकर 500 हेक्टेयर और सेक्टर विशिष्ट एसईजेड के लिए 100 हेक्टेयर से घटाकर 50 हेक्टेयर किया गया है।
- (ii) 50 से 450 हेक्टेयर के बीच आने वाले भूक्षेत्र के उपयोग में अधिक लोच प्रदान करने के लिए न्यूनतम भूमि के मापदंड के लिए ग्रेडेड स्केल को लागू करने का

- निर्णय किया गया है जो एसईजेड को 50 हेक्टेयर के प्रत्येक समीपस्थ भूखंड के लिए अतिरिक्त सेक्टर की अनुमति प्रदान करेगा। इससे ऐसे एसईजेड में सृजित आधारभूत सुविधाओं का अधिक दक्ष उपयोग करना भी संभव होगा।
- (iii) इसके अलावा, उसी सेक्टर के तहत समान / संबद्ध क्षेत्रों को शामिल करने हेतु सेक्टरल ब्राड बैंडिंग लागू करके सेक्टर विशिष्ट एसईजेड में अतिरिक्त यूनिटें स्थापित करने के लिए लोच प्रदान की जा रही है।
- (iv) जहां तक भूमि के खाली होने से संबंधित मुद्दों का संबंध है, मौजूदा नीति पहले से मौजूद संरचनाओं जो वाणिज्यिक प्रयोग में नहीं हैं, वाले भूखंड को एसईजेड अधिसूचित करने के प्रयोजनार्थ खाली भूमि के रूप में माने जाने की अनुमति प्रदान करती है, जबकि अब यह निर्णय लिया गया है कि अधिसूचना के बाद संचालित की जा रही गतिविधियों तथा पहले से मौजूद ऐसी संरचनाओं में वृद्धि एसईजेड में किसी अन्य गतिविधि के समान झूटी लाभ के लिए पात्र होगी।
- (v) एसईजेड में कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 10 हेक्टेयर की न्यूनतम आवश्यकता के साथ 'कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण' नामक एक नया सेक्टर विशिष्ट एसईजेड शुरू किया गया है।
- (vi) न्यूनतम 10 हेक्टेयर की वर्तमान आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। अब आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए न्यूनतम भूमि संबंधी कोई आवश्यकता नहीं होगी। एसईजेड विकासकों को केवल न्यूनतम निर्मित क्षेत्र की कसौटी को पूरा करना होगा।
- (vii) 7 बड़े शहरों अर्थात् मुंबई, दिल्ली (एनसीआर), चेन्नई, हैदराबाद,

बंगलौर, पुणे और कोलकाता के लिए लागू की जाने वाली एक लाख वर्गमीटर की आवश्यकता के साथ न्यूनतम निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता में भी काफी ढील दी गई है। मुंबई, दिल्ली (एनसीआर), चेन्नई, हैदराबाद, बंगलौर, पुणे और कोलकाता। श्रेणी ख के अन्य शहरों के लिए 50000 वर्गमीटर तथा शेष शहरों के लिए केवल 25000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र का मानदंड लागू होगा।

1.3 निकास नीति : 12 अगस्त 2013 से पूर्व एसईजेड रूपरेखा में यूनिटों के लिए कोई निकास नीति नहीं थी तथा फीडबैक यह था कि इसे भारी नुकसान के रूप में लिया जाता है। एसईजेड नियमावली (संशोधन) 2013 (गजट अधिसूचना दिनांक 12 अगस्त 2013) के माध्यम से कतिपय निर्धारित शर्तों के साथ बिक्री सहित एसईजेड यूनिटों का स्वामित्व अंतरित करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

एसईजेड में व्यवसाय करने की सरलता सुनिश्चित करने के लिए हाल की पहलें

- एसईजेड में विकासकों एवं यूनिटों से संबंधित गतिविधियों के मानचित्रण को चिह्नित किया गया तथा उक्त गतिविधियों को पूरा करने की समय सीमाएं निर्धारित एवं कार्यान्वित की गईं। इसे सभी एसईजेड में 14 अगस्त 2014 को शुरू किया गया।
- 01 नवंबर 2014 से सभी एसईजेड में एसईजेड विकासकों तथा यूनिटों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का डिजिटीकरण एवं आनलाइन प्रसंस्करण शुरू किया गया है। डिजिटीकरण का दूसरा चरण 01 जुलाई, 2015 से सभी एसईजेड में शुरू किया गया है।
- गैर प्रसंस्करण क्षेत्र (एनपीए) में अवसंरचना का दोहरा प्रयोग : एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में सामाजिक एवं वाणिज्यिक अवसंरचना तथा अन्य सुविधाओं का सृजन करने के उद्देश्य से सरकार ने अधिसूचना

जीएसआर 5 (ई) दिनांक 2 जनवरी 2015 के माध्यम से एसईजेड तथा गैर एसईजेड संस्थाओं दोनों द्वारा गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में सुविधाओं के दोहरे प्रयोग को अनुमत किया है।

- **एसईजेड के लिए कस्टम आइसगेट प्रणाली का एकीकरण :** विशेष आर्थिक क्षेत्रों से बंदरगाहों तक आयात और निर्यात के लिए माल के मूवमेंट हेतु कागज रहित लेनदेन को सुगम बनाने के उद्देश्य से एसईजेड आनलाइन प्रणाली को सीमा शुल्क की आइसगेट प्रणाली से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। 19 जनवरी, 2015 को मद्रास विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है। वाणिज्य विभाग तथा राजस्व विभाग के नोडल अधिकारियों द्वारा प्रायोगिक परियोजना की प्रगति की निगरानी की जा रही है। अब यह सभी अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्रों में शुरू की गई है तथा परियोजना संतोषप्रद ढंग से चल रही है।
- केन्द्र सरकार ने का.आ. 968 (अ) दिनांक 8 अप्रैल 2015 के माध्यम से विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) की यूनिटों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी तथा आईआरडीए द्वारा निर्मित प्रचालन के नियमों को अधिसूचित किया है।
- एसईजेड के विद्युत संयंत्रों के संबंध में समय समय पर विद्युत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इस मुद्दे पर स्पष्टता लाने के उद्देश्य से

सभी पिछले दिशानिर्देशों को समेकित करते हुए 16 फरवरी 2016 को नए दिशानिर्देश जारी किए गए।

विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली, 2006 में संशोधन:

जीएसटी अधिनियम 2017 के आलोक में एसईजेड नियमावली 2006 के विभिन्न प्रावधानों की समीक्षा करने तथा हितधारकों से समय समय पर सुझाव प्राप्त करने के लिए वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। वाणिज्य विभाग ने एसईजेड नियमावली 2006 को जीएसटी अनुपालक बनाते हुए 19 सितंबर 2018, 7 मार्च 2019 को एसईजेड नियमावली 2006 में आवश्यक संशोधनों को अधिसूचित किया है।

भारत की एसईजेड नीति का अध्ययन करने के लिए समूह का गठन :

एसईजेड की नीतिगत रूपरेखा की समीक्षा करने के लिए श्री बाबा कल्याणी, अध्यक्ष, भारत फोर्ज लिमिटेड की अध्यक्षता में विख्यात हस्तियों के एक समूह का गठन किया गया जिन्होंने 19 नवंबर 2018 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। 26 दिसंबर 2018 को अंतर्मंत्रालयी परामर्श का आयोजन किया गया तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के स्तर पर वित्त मंत्रालय के साथ सिफारिशों पर चर्चा करने का निर्णय लिया गया। यह एसईजेड नीति में आवश्यक परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए किया गया।

अनुमोदित एसईजेड का राज्यवार वितरण (15 मई 2019 की स्थिति के अनुसार)				
राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	औपचारिक अनुमोदन	सैद्धांतिक अनुमोदन	अधिसूचित एसईजेड	एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत एसईजेड (केंद्रीय सरकार + राज्य सरकार / प्राईवेट एसईजेड + अधिसूचित एसईजेड) का निर्यात करना (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार)
आंध्र प्रदेश	32	4	27	19
चंडीगढ़	2	0	2	2
छत्तीसगढ़	2	1	1	1
दिल्ली	2	0	0	0
गोवा	7	0	3	0
गुजरात	28	4	24	20
हरियाणा	24	3	21	6
झारखंड	1	0	1	0
कर्नाटक	62	0	51	31
केरल	29	0	25	19
मध्य प्रदेश	10	0	5	5
महाराष्ट्र	49	12	43	30
मणिपुर	1	0	1	0
नागालैंड	2	0	2	0
ओडिशा	7	0	5	5
पुद्दुचेरी	1	1	0	0
पंजाब	5	0	3	3
राजस्थान	5	1	4	3
तमिलनाडु	53	3	50	40
तेलंगाना	63	0	57	29
उत्तर प्रदेश	24	1	21	12
पश्चिम बंगाल	7	2	5	7
कुल योग	416	32	351	232

विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर फैक्ट शीट

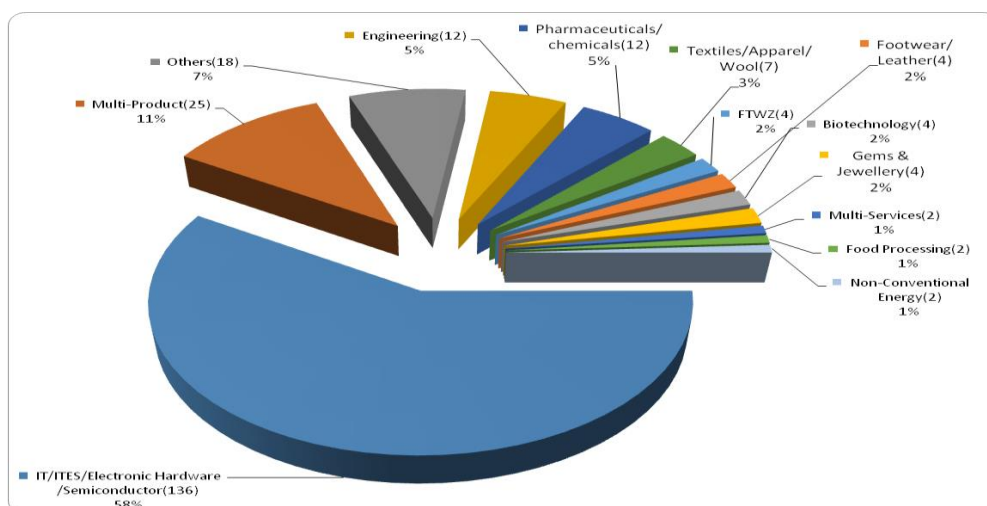
(समर्पित वेबसाइट : www.sezindia.nic.in)

औपचारिक अनुमोदनों की संख्या (15 मई 2019 की स्थिति के अनुसार)	416				
अधिसूचित एसईजेड की संख्या (15 मई 2019 की स्थिति के अनुसार)	351+ (7 केन्द्र सरकार + 12 राज्य / निजी एसईजेड)				
सैद्धांतिक अनुमोदनों की संख्या (15 मई 2019 की स्थिति के अनुसार)	32				
क्रियाशील एसईजेड (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार)	232 (बयौरा : 25 बहु उत्पाद एसईजेड हैं, शेष क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड हैं)				
एसईजेड में अनुमोदित यूनिटें (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार)	5,109				
एसईजेड के लिए भूमि (15 मई 2019 की स्थिति के अनुसार)	एसईजेड अधिनियम, 2005 से पूर्व अधिसूचित 7 केन्द्र सरकार + 11 राज्य / निजी एसईजेड	एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत अधिसूचित एसईजेड	कुल अधिसूचित एसईजेड क्षेत्र (1+2)	औपचारिक रूप से अनुमोदित एसईजेड (420-355)	कुल क्षेत्रफल (3+4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2244.95 हेक्टेयर	40178.32 हेक्टेयर	42423.27 हेक्टेयर	5450.81 हेक्टेयर	47874.08 हेक्टेयर
	भूमि राज्य का विषय है। संबंधित राज्य सरकारों की नीति एवं प्रक्रिया के अनुसार एसईजेड के लिए भूमि का प्रापण किया जाता है।				
निवेश	निवेश फरवरी, 2006 तक की स्थिति के अनुसार	वृद्धिमूलक निवेश	कुल निवेश (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार)		
केन्द्र सरकार के एसईजेड	2,279.20 करोड़ रुपए	16,397.80 करोड़ रुपए	18,677 करोड़ रुपए		
2006 से पूर्व स्थापित राज्य / निजी एसईजेड	1,756.31 करोड़ रुपए	11,517.69 करोड़ रुपए	13,274 करोड़ रुपए		
अधिनियम के तहत अधिसूचित एसईजेड	-	4,75,693 करोड़ रुपए	4,75,693 करोड़ रुपए		
कुल	4,035.51 करोड़ रुपए	5,03,608.49 करोड़ रुपए	5,07,644 करोड़ रुपए		
रोजगार	रोजगार फरवरी, 2006 तक की स्थिति के अनुसार	वृद्धिमूलक रोजगार	कुल रोजगार (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार)		
केन्द्र सरकार के एसईजेड	1,22,236 व्यक्तियों के लिए	1,05,801 व्यक्तियों के लिए	2,28,037 व्यक्तियों के लिए		
2006 से पूर्व स्थापित राज्य / निजी एसईजेड	12,468 व्यक्ति के लिए	90,584 व्यक्ति के लिए	1,03,052 व्यक्तियों के लिए		

अधिनियम के तहत अधिसूचित एसईजेड	0 व्यक्ति के लिए	17,29,966 व्यक्तियों के लिए	17,29,966 व्यक्तियों के लिए
कुल	1,34,704 व्यक्तियों	19,26,351 व्यक्तियों के लिए	20,61,055 व्यक्तियों के लिए
2016-17 में निर्यात डीटीए बिक्री (समवत निर्यात) डीटीए बिक्री (जिसकी गणना सकारात्मक एनएफई के लिए नहीं की जाती है)	5,23,637 करोड़ रुपए (वित्त वर्ष 2015-16 की तुलना में 12.05 प्रतिशत की वृद्धि) 19,886 करोड़ रुपए (कुल उत्पादन का 3 प्रतिशत) 40,633 करोड़ रुपए (कुल उत्पादन का 7 प्रतिशत)		
2017-18 में निर्यात डीटीए बिक्री (समवत निर्यात) डीटीए बिक्री (जिसकी गणना सकारात्मक एनएफई के लिए नहीं की जाती है)	5,81,033 करोड़ रुपए (वित्त वर्ष 2016-17 की तुलना में 11 प्रतिशत की वृद्धि) 19,125 करोड़ रुपए (कुल उत्पादन का 3 प्रतिशत) 1,04,097 करोड़ रुपए (कुल उत्पादन का 15 प्रतिशत)		
2018-19 में निर्यात (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार)	7,01,179 करोड़ रुपए (वित्त वर्ष 2017-18 की समतुल्य अवधि के निर्यात की तुलना में 21 प्रतिशत की वृद्धि)		
डीटीए बिक्री (समवत निर्यात) डीटीए बिक्री (जिसकी गणना सकारात्मक एनएफई के लिए नहीं की जाती है)	19,908 करोड़ रुपए (कुल उत्पादन का 2 प्रतिशत) 1,01,866 करोड़ रुपए (कुल उत्पादन का 12 प्रतिशत)		

भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों का सेक्टर-वार वितरण

(31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार क्रियाशील विशेष आर्थिक क्षेत्रों (232) की संख्या एवं प्रतिशत)



II. निर्यात उन्मुख यूनिटें (ईओयू)

मुख्य रूप से अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का सृजन करके निर्यात में तेजी लाने के उद्देश्य से निर्यात उन्मुख यूनिट (ई ओ यू) स्कीम

1981 के पूर्वार्ध में शुरू की गई। यह 1960 के दशक में शुरू की गई मुक्त व्यापार क्षेत्र / निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ई पी जेड) स्कीम की पूरक स्कीम के रूप में शुरू की गई, जिसमें लोकेशन संबंधी प्रतिबंधों की वजह से अधिक यूनिटें नहीं आई थी। यह एसईजेड (तत्कालीन ई पी जेड) जैसी उत्पादन व्यवस्था अपनाता है परंतु लोकेशन की दृष्टि से व्यापक विकल्प प्रदान करता है।

ऐसी यूनिटों को निर्यात उन्मुख यूनिट (ई ओ यू) कहा जाता है जो निर्यात - आयात नीति के अनुसार डीटीए में अनुमत बिक्री को छोड़कर अपने माल एवं सेवाओं के संपूर्ण उत्पादन के निर्यात का वचन देती हैं। निर्यात उन्मुख यूनिटें संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंधित विकास आयुक्त अर्थात् वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती हैं।

निर्यात उन्मुख यूनिटें विदेश व्यापार नीति (एफ टी पी) के अध्याय-6 के प्रावधानों एवं इसकी प्रक्रियाओं द्वारा अभिशासित होते हैं, जिनका उल्लेख प्रक्रिया हैंडबुक (एच बी पी) में किया गया है। उक्त अध्याय 6 के प्रावधानों तथा इसकी प्रक्रियाओं को इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी), साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) और जैव प्रौद्योगिकी पार्क (बीटीपी) पर भी लागू किया गया है, इसलिए यह स्कीम ईओयू / एसटीपी / ईएचटीपी / बीटीपी के लिए है तथा इसे सामान्य भाषा में ईओयू स्कीम के रूप में संदर्भित किया गया है।

31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार ईओयू स्कीम के तहत 1732 यूनिटें प्रचालन में हैं, जबकि 2017-18 में कुल 1832 ईओयू यूनिटें थीं। निर्यात उन्मुख यूनिटों का राज्यवार वितरण नीचे सारणी में दिया गया है :

क्रियाशील निर्यात उन्मुख यूनिटों का राज्यवार वितरण

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार क्रियाशील निर्यात उन्मुख यूनिटें
आंध्र प्रदेश	72
तेलंगाना	118
पश्चिम बंगाल	35
झारखंड	02
उड़ीसा	01
मेघालय	01
गुजरात	181
केरल	87
कर्नाटक	377
तमिलनाडु	371
पुद्दुचेरी	12
महाराष्ट्र	227
गोवा, दमन एवं दीव	35
दादरा एवं नगर हवेली	15
दिल्ली	08
राजस्थान	54
उत्तराखंड	01
हरियाणा	55
उत्तर प्रदेश	56
पंजाब	08
हिमाचल प्रदेश	04
जम्मू एवं कश्मीर	02
चंडीगढ़	02
मध्य प्रदेश	08

कुल	1732

निर्यात उन्मुख यूनियों द्वारा निर्यात निष्पादन (करोड़ रुपए में)

वर्ष	ईओयू निर्यात
2014-15	98803.29
2015-16	97493.23
2016-17	103277.94
2017-18	86083.06
2018-19*	87371.74

**टिप्पणी : अनंतिम क्योंकि कुछ यूनियों से ए पी आर और क्यू पी आर अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।*

2017-18 के दौरान 86083.06 करोड़ रुपए के निर्यात की तुलना में निर्यात उन्मुख यूनियों से 2018-19 के दौरान 87371.74 करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात किया गया। निर्यात उन्मुख यूनितें मुख्य रूप से

टेक्सटाइल एवं यार्न, खाद्य प्रसंस्करण, रत्न एवं आभूषण, कंप्यूटर साफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक, रसायन, प्लास्टिक, ग्रेनाइट तथा खनिज / अयस्क के क्षेत्र में संकेन्द्रित हैं।

विशष्ट एजेंसियां



विशिष्ट एजेंसियां

I. बागान क्षेत्र (चाय, कॉफी, रबर और मसाले)

बागान क्षेत्र के तहत चाय, कॉफी, रबर और मसाले क्षेत्र शामिल हैं तथा यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बागान उद्योग तथा इससे जुड़ी गतिविधियों में भारी संख्या में लोगों को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः जीविका प्रदान करता है। बागान क्षेत्र भारत में सबसे पुराने संगठित उद्योगों में से एक है और कई राज्यों की कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। बागान फसलों की विशिष्टता इसकी विशाल संवृद्धि क्षमता और पारंपरिक कौशल विकास और स्थायी तरीके से, प्रवास के बिना, बेहतर जीवन की इसकी गुंजाइश में निहित है। ऐतिहासिक रूप से, भारत में बागान को विदेशी मुद्रा कीविकट कमी को दूर करने के लिए विदेशी मुद्रा अर्जक के साधन के रूप में बढ़ावा दिया गया था। इस भूमिका को देखते हुए, इस क्षेत्र को सरकारों का काफी ध्यान प्राप्त हुआ। यह इनफसलों में से प्रत्येक के लिए कमोडिटी बोर्ड की स्थापना और इनके लिए बनाए गए विधानरूप में परिलक्षित होता है, जो इन बोर्डों को बागान विकास के लिए आवश्यक विभिन्न गतिविधियां निष्पादित करने के लिए सशक्त बनाता है। इसके अलावा, कृषि के राज्य विषय होने के बावजूद, निर्यात आय में उनकी भूमिका के कारण इन बोर्डों को वाणिज्य मंत्रालय के अधीन रखा गया। प्रत्येक क्षेत्र का विवरण निम्नवत सारबद्ध किया गया है:

चाय क्षेत्र

चाय बोर्ड : चाय बोर्ड भारत में चाय उद्योग के समग्र विकास के लिए चाय अधिनियम, 1953 में परिकल्पित विभिन्न प्रकार्यों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के उन्मोचन के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत गठित एक सांविधिक निकाय है। टी बोर्ड में अध्यक्ष सहित 31 सदस्य हैं। इस बोर्ड का कार्यकाल तीन वर्ष है। उपाध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं और दो कार्यकारी निदेशक होते हैं, एक असम के गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय (पूरे पूर्वोत्तर

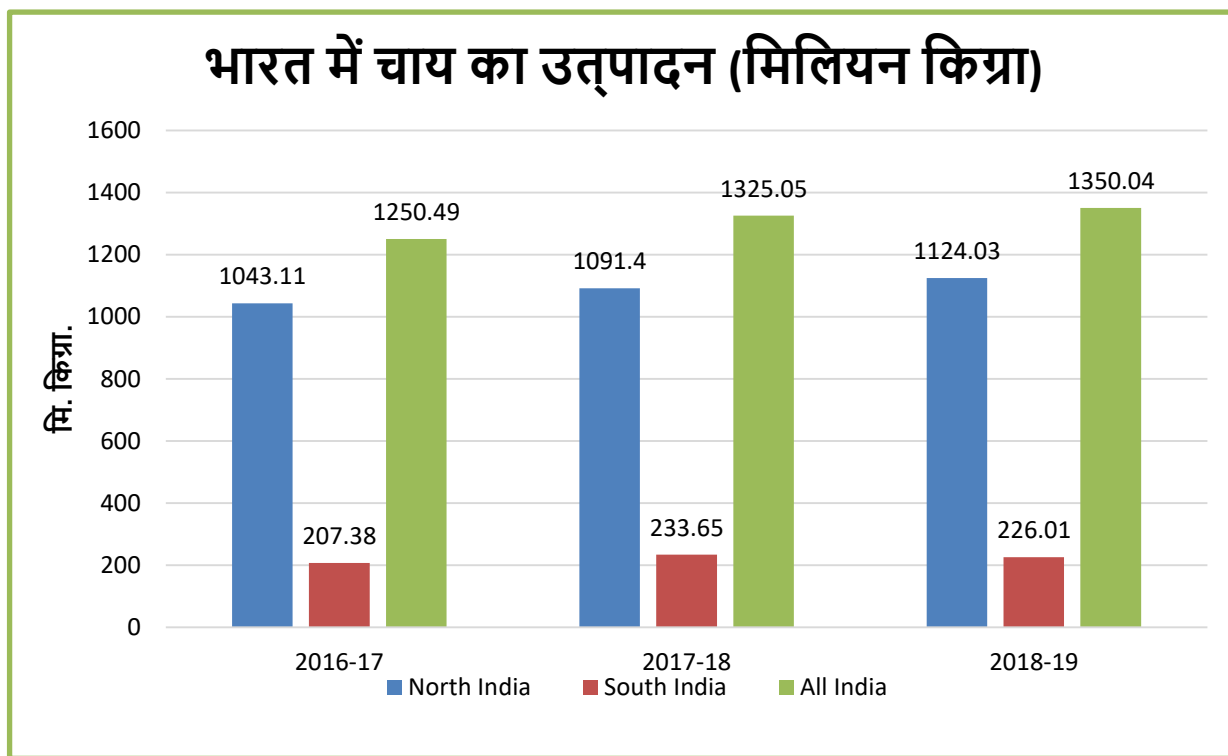
क्षेत्र के लिए) और दूसरे तमिलनाडु के कून्नूर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय (पूरे दक्षिण भारत के लिए) में तैनात हैं। इस बोर्ड के प्रकार्यों में चाय बागानों में दक्षता और नवाचार सुगम करने के लिए कारगर प्रबंधन रणनीतियां विकसित करना, अच्छी गुणवत्तायुक्त चाय का उत्पादन करने के लिए नवोन्मेषी प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी विकसित करना, उच्च मूल्य निर्यात में वृद्धि करना, चाय उद्योग के सभी स्तरों पर मानव संसाधन के लिए क्षमता निर्माण करना, चाय किसानों और प्रौद्योगिकी के सभी पहलुओं पर अनुसंधान और विकास प्रयास का सुदृढीकरण करना, चाय एप्प 'चाय सहयोग' के माध्यम से छोटे फार्मों से चाय उत्पादन का मूल्य वर्द्धन करना, जो इसे चाय फैक्टरियों और क्लाउड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सभी सेवाओं से लैस अगली पीढ़ी के नीलामी मंच से जोड़ते हैं, ताकि सभी हितधारकों को मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।

भारत की विदेशी मुद्रा के रुझान : भारत काली चाय का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। कुल उत्पादन का औसतन 19 प्रतिशत निर्यात किया जाता है और 81 प्रतिशत की खपत देश के अंदर होती है। बहुमूल्य विदेशी मुद्रा लाने के अलावा चाय उद्योग चाय पैदा करने वाले राज्यों के लिए राजस्व के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक हैं। चाय उद्योग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह एक मिलियन से अधिक श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है जिसमें से काफी अधिक संख्या में महिलाएं हैं। इसके अलावा चाय उद्योग में संबद्ध सहायक गतिविधियों से 6 मिलियन से अधिक व्यक्ति अपनी जीविका का उपार्जन कर रहे हैं।

उत्पादन : वर्ष 2018-19 के दौरान चाय का उत्पादन 1350.04 मिलियन किग्रा

हुआ, पिछले वर्ष की संगत अवधि के 1325.05 मिलियन किग्रा की तुलना में 24.99 मिलियन किग्रा (1.89 प्रतिशत) अधिक है। इस वृद्धि में देश भर के प्रमुख

चाय खेती क्षेत्रों की बेहतर जलवायु की स्थिति का योगदान रहा, अब तक किसी देश द्वारा दर्ज अब तक का उच्चतम उत्पादन स्तर है।

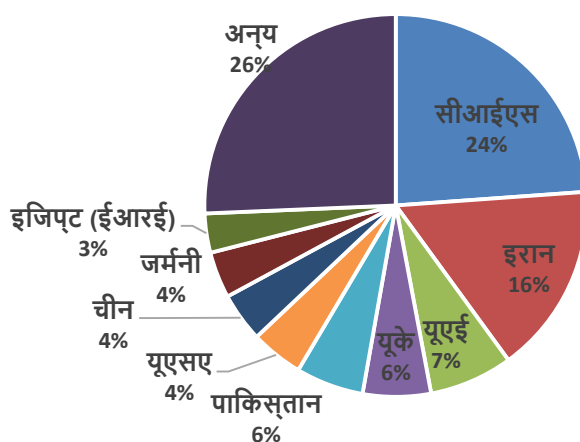


स्रोत : भारतीय चाय बोर्ड

निर्यात : वर्ष 2018-19 के दौरान चाय निर्यात 254.50 मिलियन किग्रा रहा, जो पिछले वर्ष की संगत अवधि की तुलना में 2.07 मिलियन किग्रा की मामूली कमी (-0.81 प्रतिशत) दर्शाता है। निर्यात का कुल मूल्य 5506.81 करोड़ रुपये था, जो पिछले वर्ष की संगत अवधि की तुलना में 441.96 करोड़ रुपये (8.73 प्रतिशत)

अधिक है। इस अवधि के दौरान कुल आकलित विदेशी मुद्रा अर्जन 787.50 अमेरिकी डॉलर है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यह 785.92 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। चाय निर्यात में वृद्धि मुख्यतः इरान, बांग्लादेश, चीन और कज़ाखस्तान में दर्ज की गयी।

वर्ष 2018-19 के दौरान निर्यात का प्रमुख देशवार परिमाण हिस्सा



स्रोत : भारतीय चाय बोर्ड

आयात : वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान आयातित चाय का परिमाण 24.22 मिलियन किग्रा था जिसका मूल्य 2.02 अमेरिकी डॉलर प्रति किग्रा के इकाई मूल्य के साथ 48.85 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि वर्ष 2017-18 के दौरान आयात 20.59 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसका मूल्य 2.17 अमेरिकी डॉलर प्रति किग्रा के इकाई मूल्य के साथ 44.78 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। वर्तमान में, शीर्ष 0902 के अंतर्गत आने वाली चाय पर आयात शुल्क 100 प्रतिशत है और शीर्ष 210120 के अंतर्गत आने वाली चाय पर आयात शुल्क 30 प्रतिशत है। तथापि, कर छूट योजना और / या ईओयू / एसईजेड इकाईयों के अंतर्गत शुल्क मुक्त चाय आयात अनुमत है।

भारत के विदेश व्यापार में उभरती वैश्विक आर्थिक वस्तुस्थितियां और भारत चाय प्रवृत्तियां : उभरती वैश्विक आर्थिक वास्तविकताएं भारत, श्रीलंका, केन्या, वियतनाम और मालावी जैसे प्रमुख देशों के बीच बढ़ती हुई प्रतिस्पर्द्धा के साथ निर्यात वसूली से जुड़े अमेरिकी डॉलर, यूरो जैसी कठिन मुद्राओं के विनिमय दरों में अस्थिरता

/ उतार - चढ़ाव और वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी है। पिछले पाँच वर्षों (वर्ष 2014-18 की अवधि) के दौरान वैश्विक चाय उत्पादन में सीएजीआर 3.89 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018 (पिछले पाँच वर्षों के दौरान 4.28 प्रतिशत सीएजीआर) में 1.86 मिलियन टन हो गया है। ऐसा भारत सहित प्रमुख चाय उत्पादक बाजारों में बढ़ी हुई खपत के कारण हुआ है।

वर्ष 2018 के दौरान, छः (6) प्रमुख उत्पादक देशों यथा, केन्या, श्रीलंका, चीन, भारत, वियतनाम और इंडोनेशिया ने सामूहिक रूप से कुल 84 प्रतिशत का उत्पादन किया जिसमें इन देशों का निर्यात हिस्सा क्रमशः 16 प्रतिशत, 15 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 13 प्रतिशत, 7 प्रतिशत और 3 प्रतिशत था। केन्या ने कम मूल्यों पर बेहतर गुणवत्ता वाली चाय का उत्पादन कर वैश्विक चाय निर्यात में अग्रणी स्थान ग्रहण कर लिया है जहाँ भारत भी प्रतिस्पर्द्धा दरों पर अपने विविध प्रस्तावों से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा दे रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, भारतीय चाय को केन्या से कड़ी टक्कर मिल रही है, जिसने

वर्ष 2018 के दौरान 492.999 मिलियन किग्रा. का रिकार्ड उत्पादन किया, जो वर्ष 2017 की तुलना में 53.141 मिलियन किग्रा या 12 प्रतिशत अधिक था। निर्यात के मोर्चे पर, केन्या ने वर्ष 2017 के 415.715 मिलियन किग्रा की तुलना में वर्ष 2018 के दौरान 474.862 मिलियन किग्रा चाय का निर्यात किया (59.147 मिलियन किग्रा का वृद्धिशील निर्यात या निर्यात में 14.23 प्रतिशत की वृद्धि)। संयोगवश, केन्या विश्व में सीटीसी चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है और भारत विभिन्न प्रमुख सीटीसी चाय

वित्तीय आंकड़े : (करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना / घटक	व्यय#
1	बागान विकास	29.64
2	गुणवत्ता स्तरोन्नयन और उत्पाद विविधीकरण एवं परंपरागत चाय उत्पादन	17.99
3	मानव संसाधन विकास	2.45
4	अनुसूचित जाति उप-योजना	9.20
5	जनजातीय क्षेत्र उप - योजना	6.23
	कुल	65.51

अनंतिम लेखों के अंतिम रूप दिए जाने के अध्यधीन

वास्तविक उपलब्धियां :

घटक	गतिविधियां	लक्ष्य	उपलब्धि
बागान विकास –बड़े किसान	पुनः रोपण और प्रतिस्थापन रोपण (हेक्टेयर)	2400	1204.14
	जीर्णोद्धार छंटाई (हेक्टेयर)	200	167.86
	नव रोपण (हेक्टेयर)	---	93.79
	सिंचाई सुविधाओं का सृजन (हेक्टेयर)	8500	2360.89
	फील्ड यंत्रीकरण (नग)	40	171
बागान	पुनः रोपण और प्रतिस्थापन रोपण (हेक्टेयर)	15	14.67
	जीर्णोद्धार छंटाई (हेक्टेयर)	100	78.04
	नव रोपण (हेक्टेयर)	----	170.39
	सिंचाई सुविधाओं का सृजन (हेक्टेयर)	100	0.73
	फील्ड यंत्रीकरण (नग)	20	1
	एसएचजी / एफपीओ गठन (नग)	24	25
	प्रशिक्षण /कार्यशाला /सेमिनार (संख्या / लाभार्थी)	300	251 (11035)
गुणवत्ता स्तरोन्नयन एवं उत्पाद विविधीकरण	मूल्य वर्द्धन (इकाइयां)	5	14
	विशेष चाय इकाईयां (इकाई)	2	1
	गुणवत्ता प्रमाणन (इकाई)	100	6

	परंपरागत उत्पादन सब्सिडी (मि. किग्रा.)	60	50.49
मानव विभाग	चाय बगान के दिव्यांग आश्रितों को सहायता / दिल के रोगी एवं कैंसर रोगियों के विशेष मामले (संख्या)	50	4
	शैक्षिक वृतिका, पोशाक / पुस्तक अनुदान इत्यादि / नेहरू पुरस्कार (संख्या)	11000	2480
	भारत स्काउड, गाइड गतिविधियां आयोजित करने के लिए सहायता (लाभार्थियों की संख्या)	400	171
	श्रमिकों को नया कौशल प्राप्त करने के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण (बैचों / लाभार्थियों की संख्या)	4	1(40)

ईएफसी के अनुसार लक्ष्य। उपलब्धियां निधियों की उपलब्धता के अनुसार है।

अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) : ये अनुसूचित जातियों या विशेष उद्देश्य अंतर्क्षेप हैं। वास्तविक
और जनजातीय क्षेत्र उप योजना (टीएसपी) : ये अनुसूचित जातियों या विशेष उद्देश्य अंतर्क्षेप हैं। वास्तविक
 अनुसूचित जनजातियों समुदाय, जैसा भी उपलब्धियां नीचे दी गयी हैं:

वास्तविक उपलब्धियां 2018-19			
गतिविधि	एससीएसपी	टीएसपी	कुल
पुनः रोपण (हेक्टेयर)	0.40	0	0.40
प्रतिस्थापन रोपण (हेक्टेयर)	18.82	1.20	20.02
सिंचाई (हेक्टेयर)	1.22	0	1.22
फील्ड यंत्रीकरण (संख्या)	355	437	792
एसएचजी / एफपीओ को सहायता - (संख्या)	23	19	42
नयी चाय फैक्ट्रियों की स्थापना (नग)	1	1	2
कार्यशाला / प्रशिक्षण कार्यक्रम (लाभार्थियों की संख्या)	176(8297)	248(10283)	424(18580)
अध्ययन दौरा (लाभार्थियों की संख्या)	32(335)	16(32)	48(367)
अलग अलग व्यक्तियों को सहायता (संख्या)	245	70	315
शिक्षा वृतिका एवं नेहरू पुरस्कार (संख्या)	312	589	901

निर्यात संवर्धन उपाय : वर्ष 2018-19 के दौरान, टी बोर्ड भारत ने लगातार आ रहे आगंतुकों के बीच भारतीय चाय के गुणों और अनोखेपन के बारे में प्रचार करने को ध्यान में रखते हुए खरीददारों और विक्रेताओं के बीच दोतरफा विनिमय सम्पन्न करने के लिए इरान, जर्मनी, यूएई, रूस, चीन, सउदी अरब और जापान के प्रमुख बाजारों के आठ (8) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लिया। इसके अलावा, टी बोर्ड भारत ने विभिन्न व्यापार संबद्ध मुद्दों के समाधान के लिए संबंधित आधिकारिक संगठनों के साथ आमने समाने की चर्चा और बैठक करने के

लिए रूस, कजाखस्तान और चीन के महत्वपूर्ण बाजारों में अच्छी संख्या में शामिल सदस्यों के तीन (3) प्रतिनिधिमंडल भेजे। ट्विटर, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार प्रचार भी भारतीय चाय की विविधता के बारे में जागरूकता सृजित बढ़ाने में काफी कारगर सिद्ध हुआ। चाय के बारे में रूचिकर सृजनात्मक सामग्री, उपलब्धियां, ग्राफ, महत्वपूर्ण सूचना नियमित रूप से इन मंचों पर प्रकाशित किए गए। भारत ने टी काउंसिल ऑफ यूएसए, जापान और कनाडा की सदस्यता बरकरार रखी

और इन टी काउंसिलों द्वारा आयोजित 'चाय' के सामान्य संवर्धन से लाभान्वित हुआ।

पारदर्शिता, जन सुविधा और संबद्ध गतिविधियां : ई-जीआईसीसीएस अपने हितधारकों को श्रेणी की सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान करने के लिए टी बोर्ड भारत द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन अनुप्रयोग है। टी बोर्ड भारत ने पूरे भारत में विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाओं के तहत आवेदन प्रस्तुत करने के साथ साथ विभिन्न लाइसेंसों / पंजीकरणों के लिए आवेदन करने हेतु चाय उद्योग से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः जुड़े अलग अलग व्यक्तियों / संगठनों को समर्थ करने के लिए और प्राप्त आवेदन की वास्तविक समय ट्रैकिंग पता करने के लिए एंड टू एंड आईटी आधुनिकीकरण परियोजना शुरू की है।

चाय बोर्ड ने अपने हितधारकों को प्रदत्त नागरिक केंद्रित सेवाओं के डिजिटलीकरण के लिए ई - शासन पहल की है। चाय उत्पादकों, निर्यातकों, खरीदारों आदि के पंजीकरण, सहायता संवितरण के लिए आवेदन और विवरणी जमा करने जैसी सेवाओं को इस उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किए गए एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से पेश किया गया था। इस ऑनलाइन प्रणाली को डिज़ाइन करते समय इसमें शामिल विभिन्न प्रक्रियाओं के सरलीकरण और पुनः अभियांत्रिकी पर उचित विचार किया गया है। इस प्रणाली के माध्यम से किया गया विभिन्न सेवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के आवेदनों को संसाधित किया गया, जिसमें इसके साथ एक कार्य प्रवाह जुड़ा हुआ है। यह पारदर्शी तरीके से हितधारकों से प्राप्त विभिन्न आवेदनों और विवरणी का संसाधन सक्षम करता है और समयबद्ध तरीके से सेवा प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से इन सेवाओं तक पहुँच व्यापार सहजता (इज ऑफ़ डुइंग बिजनेस) का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।

डीबीटी क्रियान्वयन : सरकार के निदेशों के अनुसार, टी बोर्ड जहाँ कहीं भी संभव अलग अलग लाभार्थियों, जैसे लघु उत्पादक विकास घटक के तहत लघु किसानों, मानव संसाधन विकास योजना के तहत लाभार्थियों को पीएफएमएस / आरटीजीएस / एनईएफटी मोड के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। तथापि, बड़े किसानों के मामले में पीएफएमएस / आरटीजीएस के माध्यम से वित्तीय सहायता के वितरण के लिए टीएएन, टीआईएन और पैन प्राप्त किया जाता है।

स्वच्छता कार्य योजना : चाय बोर्ड ने विभिन्न कार्यालयों में स्वच्छता कार्य योजना क्रियान्वित की है जहाँ बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाए गए हैं। कुछ प्रमुख मरम्मत और नवीकरण कार्य, जिनमें भवन दीवारों पर बाहर और अंदर से रंगाई, वेस्ट पाइपों इत्यादि के प्रतिस्थापन इत्यादि शामिल हैं, प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान निष्पादित किए गए। चाय बोर्ड के विभिन्न कार्यालयों और चाय बागान क्षेत्रों में स्वच्छता कार्य योजना संबंधी जागरूकता अभियान को विशेष महत्व दिया गया जिसके लिए बोर्ड द्वारा 40 लाख रुपये का व्यय किया गया।

सोशल मीडिया : भारतीय चाय के सामान्य संवर्धन को सोशल मीडिया के माध्यम से रोचक पोस्टों और सूचना के माध्यम से गति मिली। चाय बोर्ड का ट्विटर @teaboardofindia और फेसबुक पृष्ठ पर और फेसबुक पृष्ठ के माध्यम से एक सक्रिय और महत्वपूर्ण उपस्थिति है। यह बोर्ड नियमित रूप से इसके स्वयं के हैंडल @teaboardofindia और फेसबुक पृष्ठ के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों संबंध सूचना, रोचक चाय संबंधी समाचारों, उत्पादन ग्राफो एवं निर्यात आंकड़े इत्यादि प्रसारित करता रहता है और यह सार्वजनिक अंतरापृष्ठ के सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यमों में से एक है। भारतीय चाय के सभी पहलुओं,

फार्म प्रबंधन से लेकर अनुसंधान, विनियम से व्यंजन विधि इत्यादि तक से संबंधित प्रश्न और स्पष्टीकरण इन मंचों के माध्यम से साझा किए जाते हैं।

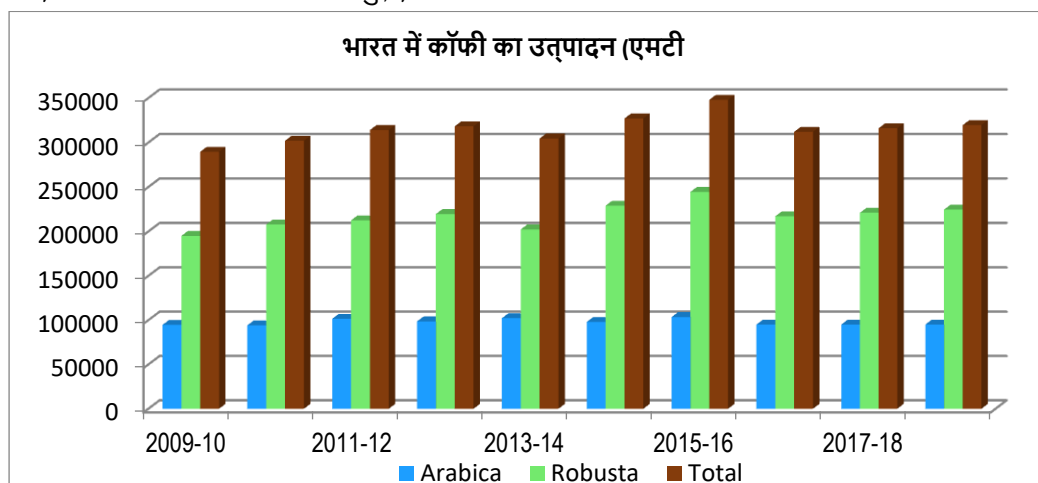
कॉफी क्षेत्र

कॉफी बोर्ड : कॉफी बोर्ड, कॉफी अधिनियम, 1942 के अंतर्गत गठित वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एक सांविधिक संगठन है। इस बोर्ड में 33 सदस्य हैं जिनमें सचिव, जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यकारी हैं, गैर कार्यकारी अध्यक्ष और शेष 31 सदस्य जिसमें संसद सदस्य और कॉफी उद्योग के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शामिल हैं। कॉफी बोर्ड अपनी गतिविधियां अनुसंधान, विस्तार, विकास, बाजार सूचना, वाह्य और आंतरिक सवर्धन और कल्याण उपाय के क्षेत्रों में केंद्रित करता है। कॉफी बोर्ड बेंगलुरु स्थित अपने मुख्यालय से और अपने विभिन्न केंद्रीय अनुसंधान स्टोशनों से कार्य करता है, यथा, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान (सीसीआरआई), बालेहोन्नुरु, जिला चिकमगलूर, कर्नाटक जिसका एक सब स्टेशन चेतताली (कर्नाटक) में है और क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन, चुंडाले (केरल) में है, थांडीगुडी (तमिलनाडु), नरसीपतनम (आंध्र प्रदेश) और डिफु (असम) और विस्तार इकाई परंपरागत कॉफी उत्पादक क्षेत्रों (कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु), गैर

परंपरागत क्षेत्रों (आंध्र प्रदेश और ओडिशा) और पूर्वोत्तर क्षेत्र (असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश)।

कॉफी क्षेत्र : कॉफी की खेती करीब 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर की जाती है, जो मुख्यतया कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों को कवर करते हुए परंपरागत क्षेत्रों में हैं, और कुल उत्पादन के करीब 97 प्रतिशत का योगदान करते हैं। कॉफी की खेती कुछ हद तक आंध्र प्रदेश और उड़ीसा गैर परंपरागत क्षेत्रों और काफी कम पूर्वोत्तर राज्यों, यथा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर में की जाती है, जहाँ मुख्य जोर जनजातीय विकास और वनीकरण पर है। देश में करीब 3.66 लाख कॉफी उत्पादक हैं, जिनमें से करीब 3.63 लाख कृषक (99 प्रतिशत) लघु उत्पादक श्रेणी (10 हेक्टेयर धारिता तक) में आते हैं और कुल उत्पादक का शेष 1 प्रतिशत बड़े उत्पादक की श्रेणी में आते हैं जिनकी धारिता 10 हेक्टेयर से अधिक है।

कॉफी उत्पादन: वर्ष 2018-19 का मॉनसून पश्च फसल आकलन 3,19,500 एमटी किया गया है, जिसमें 95,000 एमटी अरबिका है और 2,24,500 एमटी रोबस्टा है।

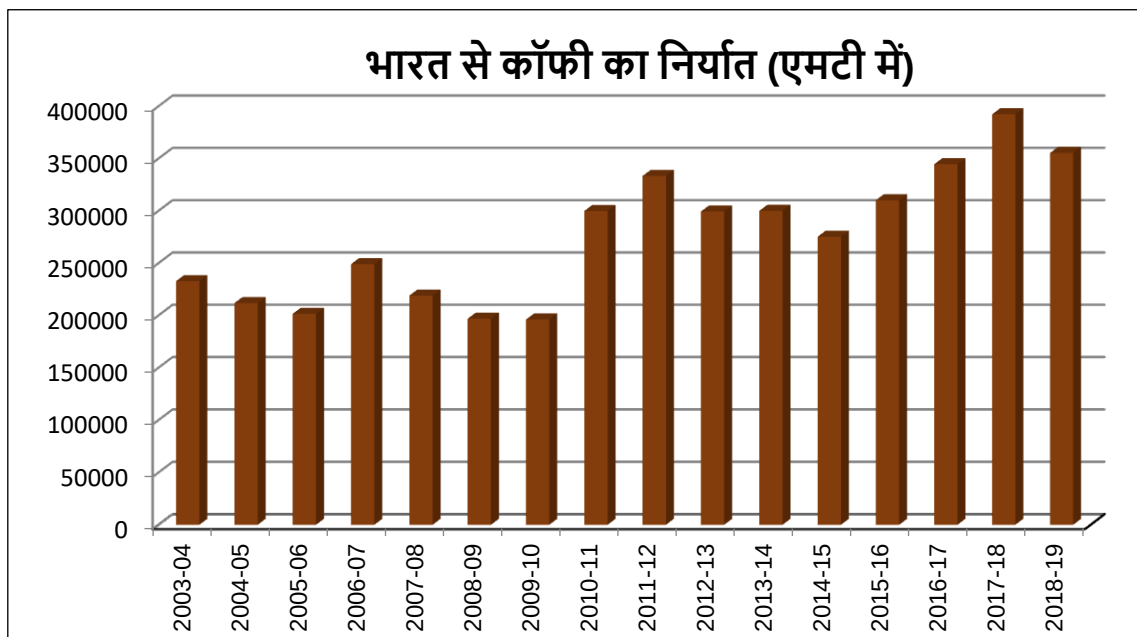


स्रोत : भारतीय कॉफी बोर्ड

उत्पादकता : वर्ष 2018-19 के लिए आकलित फसल उत्पादन पर आधारित कॉफी की समग्र उत्पादकता 773 किग्रा / हैक्टेयर है। अरबिका की उत्पादकता 478 किग्रा / हैक्टेयर और रोबस्टा के लिए यह 1047 किग्रा / हैक्टेयर है। जहाँ तक परंपरागत क्षेत्र का संबंध है, वर्ष 2018-19 की समग्र उत्पादकता 892 किग्रा/ हैक्टेयर

है, जिसमें अरबिका 634 किग्रा/हैक्टेयर और रोबस्टा 1051 किग्रा/हैक्टेयर है।

कॉफी का निर्यात : कॉफी मुख्यतः एक निर्यात उन्मुख वस्तु है और वर्तमान में 75 प्रतिशत कॉफी का निर्यात किया जा रहा है जबकि शेष की खपत अपने देश में हो जाती है। वर्ष 2018-19 के दौरान, भारत ने 5929 करोड़ रुपये मूल्य की करीब 3.55 लाख एमटी कॉफी का निर्यात किया।



स्रोत : भारतीय कॉफी बोर्ड

मूल्य वर्द्धित कॉफी का निर्यात : मूल्य वर्द्धित कॉफी वर्ष 2003-04 से वर्ष 2007-08 तक के दौरान 50874 एम टी से 64,966 एमटी तक की मात्रा में होती थी। वर्ष 2008-09 में, मूल्य वर्द्धित कॉफी का निर्यात करीब 48812 एमटी रहा, जो 7.16 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवर्ती दर पर धीरे-धीरे और सतत् रूप से बढ़ता गया और वर्ष 2018-19 यह 1,13,245 एमटी तक पहुँच गया।

योजना : कॉफी संबंधी मध्यम अवधि फ्रेमवर्क (2017-18) के लिए समेकित कॉफी विकास परियोजना 647.46 करोड़ रुपये के परिव्यय पर सरकार द्वारा

अनुमोदित की गयी थी। इस योजना की मुख्य विशेषताएं और वर्ष 2018-19 के दौरान इसकी उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

क. कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के परंपरागत कॉफी उत्पादन क्षेत्रों के **कॉफी उत्पादक** : पुनः रोपण और जल संवर्धन के लिए इकाई लागत के 40 प्रतिशत की दर पर, पारिस्थितिकी - प्रमाणन के मद में इकाई लागत के 50 प्रतिशत की दर पर और समुदाय आधारित पद्धति पर बेची गयी कॉफी के 4 रुपये प्रति किग्रा की दर पर सामूहिक / सहकारी विपणन के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। यह

सहायता 10 हैक्टेयर कॉफी क्षेत्र तक के लघु उत्पादकों के लिए उपलब्ध है। वर्ष 2018-19 के दौरान यह सहायता 400 हैक्टेयर के क्षेत्र में पुनः रोपण का कार्य करने के लिए 382 उत्पादकों को और करीब 715 उत्पादकों को जल संवर्धन गतिविधियों करने के लिए दी गयीं हैं।

ख. आंध्र प्रदेश के गैर परंपरागत क्षेत्रों में

: सभी जनजातीय किसानों को कॉफी विस्तार और जीर्ण कॉफी रोपण के लिए संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से इकाई लागत के 25 प्रतिशत की दर पर; गुणवत्ता स्तरोन्नयन के लिए इकाई लागत के 50 प्रतिशत की दर पर और पारि-प्रमाणन के लिए इकाई लागत के 75 प्रतिशत की दर सहायता दी जा रही है। 10 रुपये प्रति किग्रा की दर सहायता सामूहिक / एसएचजी द्वारा कॉफी के विपणन पर भी उपलब्ध है। इस क्षेत्र के गैर जनजातीय लघु किसानों को परंपरागत क्षेत्रों में उपलब्ध गतिविधियों के लिए सहायता दी जाती है। (लगभग) 9450 जनजातीय उत्पादकों द्वारा करीब 4000 हैक्टेयर के क्षेत्र में कॉफी विस्तार शुरू किया गया है। इसके अलावा गुणवत्ता स्तरोन्नयन के अंतर्गत ड्राइंग यार्ड के निर्माण के लिए 595 उत्पादकों को सहायता दी गयी है।

ग. पूर्वोत्तर क्षेत्र : सभी जनजातीय कॉफी किसानों को कॉफी विस्तार और जरा जीर्ण कॉफी रोपण के समेकन के लिए इकाई लागत की 50 प्रतिशत की दर पर और जल संवर्धन, गुणवत्ता स्तरोन्नयन और कॉफी रोपण के पारि-प्रमाणन के लिए इकाई लागत के 75 प्रतिशत की दर पर सहायता दी जा रही है। कॉफी के सामूहिक विपणन के लिए प्रति किग्रा 15 रुपये की दर पर और समूह नर्सरी के लिए प्रति पौध 5 रुपये की दर पर भी सहायता दी

जा रही है। वर्ष 2018-19 के दौरान 105 हैक्टेयर के क्षेत्र के विस्तार / समेकन के तहत 1177 जनजातीय उत्पादकों को सहायता प्रदान की गयी। यह सहायता जनजातीय उत्पादकों के बीच वितरण हेतु समूह नर्सरियों के माध्यम से 16.11 लाख कॉफी पौध उगाने के लिए दी गयी थी। 153 जनजातीय उत्पादकों को जल संवर्धन और गुणवत्ता स्तरोन्नयन के अंतर्गत सहायता दी गयी थी।

घ. श्रमिक कल्याण उपाय : अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रमिकों के बच्चों को भी शैक्षिक वृतिका, मेधाविता प्रोत्साहन, उच्चतर शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता के स्वरूप में सहायता दी जाती है। वर्ष 2018-19 के दौरान, 2873 लाभार्थियों को 1,57,60,500 की राशि संवितरित की गयी।

ङ. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्गों, महिलाओं और दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के कल्याण के लिए संचालित कार्यक्रम : परंपरागत क्षेत्रों में, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध हितलाभ / वित्तीय प्रोत्साहन अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / महिलाओं सहित उत्पादकों को दी जाती हैं। तथापि, गैर परंपरागत क्षेत्रों (आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा) और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में परिचालित कॉफी विकास कार्यक्रमों के ज्यादातर हितलाभ / प्रोत्साहन अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर लक्षित होते हैं। कॉफी क्षेत्र के स्वामित्व और अन्य मापदंडों से संबंधित लाभार्थियों द्वारा किए गए विभिन्न कार्यकलापों को हितलाभ प्रदान किए जाते हैं। इसलिए, बोर्ड द्वारा संदत्त सब्सिडी और अन्य

वित्तीय सहायता, योजना के विभिन्न घटकों / योजनाओं के अंतर्गत महिला लाभार्थियों को भी कवर करती है। सब्सिडी की बढ़ी हुई दरें उन महिलाओं के लिए उपलब्ध हैं जो ‘‘मूल्य वर्द्धन के लिए सहायता’’ घटक के अंतर्गत कॉफी रोस्टिंग और ग्राइंडिंग यूनिट स्थापित करना चाहती हैं। इसके अलावा, राज्य / आईसीएआर / कृषि केंद्र (केवीके) से सहयोग से महिला कॉफी उत्पादक / श्रमिक विशिष्ट व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

च. अनुसंधान गतिविधियां : अनुसंधान विभाग से संबंधित मुख्य सूत्र और प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

- कॉफी श्वेत तना वेधक (सीडब्ल्यूएसबी) प्रजनन सहनशीलता का उच्चतम प्राथमिकता से अनुशीलन किया गया और सीडब्ल्यूएसबी सहनशीलता लाइन, एस.4595 की निगरानी जारी रखी गयी। 180 पौधों पर प्रणालीगत जैव परख किए गए जिसमें एफ¹, एफ² और एफ³ वंशज शामिल हैं, जो अलग अलग पौधों सहनशीलता अभिव्यंजना और सहनशीलता लक्षण का वंशागतित्व की पुष्टि की। बल्क ट्रेल प्लॉट्स की पुष्टि करने के लिए 15 चयनित कॉफी उत्पादकों को एस.4595 की बीज सामग्री की आपूर्ति की गयी।
- विश्व कॉफी अनुसंधान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक पहल के भाग के रूप में सीसीआरआईमें किए गए 30 अरेबिका किस्मों (20 सेमी डवार्फ और 10 लंबी किस्मों) का प्रारंभिक क्षेत्र मूल्यांकन ने संकेत दिया कि किस्म ईसी -16, सीओएल -1, सीओएल-2, सीओएल -4, और चंद्रगिरी (स्थानीय जांच किस्म) ने अन्य किस्मों की तुलना में बेहतर किशोर शक्ति दर्ज की है। चन्द्रगिरी, ईसी -16,

सीओएल-2, सीओएल-4 और आईपीआर -107 को छोड़कर ज्यादातर किस्म भारतीय परिस्थितियों में क्षय संवेदनशीलता को दर्शाती है।

- सॉइल हेल्थ कार्ड के मुद्दे और केएसएचईएमएएम वेब पोर्टल के लॉन्च के परिणामस्वरूप, कॉफ़ी बोर्ड के अनुसंधान विभाग ने रोपण समुदाय को सुविधा प्रदान करने के लिए चिकमंगलुरु और हसन (कर्नाटक) में पाँच पोर्टेबल मृदा परीक्षण सुविधाओं की स्थापना की है और गोनिकोप्पल (कोडागु जिले), यरकौड (तमिलनाडु) और वाजवारा (केरल) में प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केंद्र स्थापित किए हैं और पीएच के लिए मृदा परीक्षण नियमित रूप से पूसा मृदा परीक्षण उर्वरक सिफारिश (एसटीएफआर) मीटर का उपयोग किया गया है।
- सीडब्ल्यूएसबी और विशाल अफ्रीकी घोंघे जैसे महत्वपूर्ण कीटों के प्रबंधन पर 1809 कॉफी उत्पादकों को कवर करते हुए कुल 67 जागरूकता अभियान आयोजित किए गए थे।
- वर्ष 2018-19 सीज़न के दौरान अरेबिका और रोबस्टा के विभिन्न सीसीआरआई प्रजाति चयनों की कुल 15,147 किलोग्राम बीज कॉफी की आपूर्ति हितधारकों को की गई है।
- केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान ने चिक्कमंगलुरु में 23 वें वृक्षारोपण फसल संगोष्ठी (पीएलएसीआरओएसवायएम XXIII) का आयोजन किया और इस संगोष्ठी का विषय था रोपण फसलों की संधारणीयता के लिए जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों। प्रमुख रोपण फसलों कॉफी, चाय, रबड़, मसाले, नारियल, अरेकिनट, काजू, कोको आदि में काम कर रहे प्लॉटर्स और वैज्ञानिकों सहित कुल 220 प्रतिनिधियों ने संगोष्ठी में प्रतिभागिता की और विचार-विमर्श में भाग लिया। विभिन्न सत्रों के दौरान कुल 160 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। कुल चार पुरस्कार, एक सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार और संगोष्ठी के दौरान प्रस्तुत सर्वश्रेष्ठ शोध

पत्रों के लिए तीन पुरस्कार कॉफी वैज्ञानिकों को दिए गए।

- पौध संरक्षण कोड विकसित किया - कॉफी में कीटनाशकों के उपयोग को मानकीकृत करने के लिए एक गाइड जिसका दिनांक 03.08.2018 को विमोचन किया गया था।

डिजिटल मीडिया अभियान : घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ताओं के बीच भारतीय कॉफी की छवि का संवर्धन करने के लिए कॉफी बोर्ड ने विभिन्न ब्रांडिंग एजेंसियों से निविदाएं आमंत्रित की हैं। एक विस्तृत निविदा प्रक्रिया के बाद, बोर्ड ने मैसर्स को मैककेन इंडिया असाइनमेंट को इस समनुदेशन को निष्पादित करने के लिए शॉर्टलिस्ट किया था। बोर्ड मैसर्स मैककेन इंडिया के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है।

निर्यात संवर्धन उपाय : वर्ष 2018-19 के दौरान कॉफी के संवर्धन के लिए निम्नलिखित पहल की गयी :

- (i) बोर्ड ने 11 विदेशी प्रदर्शनियों में भाग लिया और 3 क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया।
- (ii) कॉफी के प्रचार के लिए सोशल मीडिया (फेस बुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम) का उपयोग कर डिजिटल मीडिया अभियान शुरू किया गया है।
- (iii) **कॉफी ऑफ़ इंडिया के लिए जीआई पंजीकरण:** विभिन्न स्थानों से उच्च गुणवत्ता की कॉफी की विशिष्ट पहचान की संरक्षा के उद्देश्य से, कॉफी बोर्ड ने जीआई रजिस्ट्री, चेन्नई में कूर्ग अरेबिका कॉफी, वायनाड रॉबस्टा कॉफी, चिकमगलूर अरेबिका कॉफी, अराकू वैली अरेबिका कॉफी और बाबुबुदांगिरिस अरेबिका कॉफी के लिए जीआई प्रमाणन हेतु आवेदन किया है। मसौदे जीआई जर्नल पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित करने के बाद, जीआई रजिस्ट्री ने कॉफी बोर्ड को दिनांक 01.03.2019 को जीआई प्रमाणन जारी

किया है। क्षेत्र विशिष्ट जीआई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कॉफी की विश्वसनीयता और दृश्यता में वृद्धि करेगा जो अद्वितीय गुणवत्ता वाले कॉफी के प्रीमियम को और बढ़ावा देगा।

(iv) **राष्ट्रीय बरिस्ता चैंपियनशिप 2019:**

कॉफी बोर्ड, नेशनल बॉडी टू वर्ल्ड कॉफी इवेंट्स के पंजीकृत निकाय के रूप में वर्ष 2015 से नेशनल बरिस्ता चैंपियनशिप (एनबीसी) आयोजित कर रहा है और केवल कार्यक्रम विजेता देश को वर्ल्ड कॉफी कार्यक्रमों द्वारा आयोजित वर्ल्ड बरिस्ता चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत है। यूनाइटेड कॉफी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (यूसीएआई) के साथ कॉफी बोर्ड ने नेशनल बरिस्ता चैंपियनशिप 2019 प्रथम प्रीलीम्स का आयोजन 11-13 जनवरी, 2019 के दौरान दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली में किया गया और दूसरा प्रीलीम्स 12-14 फरवरी 2019 के दौरान फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफकेसीसीआई), बेंगलुरु में आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 44 बरिस्ता में से 13 प्रतिभागी (5 दिल्ली प्रीलीम्स से और 8 बेंगलुरु प्रीलीम्स से) सेमीफाइनल राउंड के लिए क्वालीफाई किया। सेमीफाइनल और फाइनल राउंड 16-17 फरवरी 2019 से बेंगलुरु के ओरियन ईस्ट मॉल में आयोजित किया गया था, जिसमें 6 प्रतियोगियों ने इस प्रतियोगिता के फाइनल राउंड के लिए क्वालीफाई किया। श्री संतोष बी, मैसर्स थर्ड वेव कॉफी रोस्टर्स ने प्लेटिनम पुरस्कार जीता, जो वर्ल्ड बरिस्ता चैंपियनशिप 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

(v) **बाजार विकास और निर्यात संवर्धन के लिए समर्थन:** महत्वपूर्ण उच्च मूल्य

वाले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मूल्य वर्धित
कॉफी और उच्च मूल्य विभेदित कॉफी के
बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाकर निर्यात आय
को अधिकतम करने के लिए ट्रांज़िट /
फ्रेट सहायता के रूप में समर्थन बढ़ाया
जा रहा है। यह समर्थन मूल्य वर्धित
कॉफी के निर्यात के लिए 3 रु और
उच्च मूल्य की ग्रीन कॉफी के निर्यात के
लिए 2 रुपये की दरएसे बढ़ाया गया है।

सुधार करने के लिए, एक फील्ड फोर्स मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया गया है। यह मोबाइल एप्लिकेशन कॉफी उत्पादकों के डिजिटलीकरण, जियो टैगिंग वाले जियो टैगिंग, पौध सामग्री, आयु, उत्पादन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी उपलब्ध, आदि जैसे विवरण के संग्रहण जैसी क्षेत्र की गतिविधियों की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने में नवीनतम तकनीक से युक्त गतिशीलता की शक्ति का उपयोग करके समाधान प्रदान करता है।

2. **डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इका एनालिटिक्स के साथ आईओटी संबंधी प्रायोगिक परियोजना शुरू की गयी :** कुछ नित्य कॉफी उत्पादन / कॉफी खेती मुद्दों और वर्षा, कीट और रोगों जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए इसे शुरू किया गया है। पायलट परीक्षण के लिए निम्नलिखित अनुप्रयोग।

- i. **हाइपर लोकल वेदर फोरकास्ट:** पायलट अध्ययन मार्च 2018 से शुरू किया गया और मार्च 2019 तक जारी रहा। पायलट चरण के दौरान, अनुमान और घटना के बीच सह-संबंध खराब (50-55%) था, पायलट परियोजना बंद कर दी गयी।

- ii. **कीट (व्हाइट स्टेम बोरेर) पहचान अनुप्रयोग :** यह एक मोबाइल एप्लिकेशन है जो व्हाइट स्टेम बोरेर की पहचान करने के लिए कॉफी बोर्ड द्वारा प्रदत्त कॉफी पौध छवियों का उपयोग करके छवि विश्लेषण / कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का उपयोग करता है। पायलट चरण के दौरान, पहचान का प्रतिशत 80-90% के बीच था। चूंकि सटीकता का स्तर अधिक था, संक्रमित और स्वस्थ पौधों की अतिरिक्त छवियों को जोड़कर परियोजना को एक

और कार्यकाल के लिए जारी रखा जाएगा।

- iii. **लीफ रस्ट डिजीज फोरकास्ट:** कॉफी उत्पादकों को निरोधक एवं नियंत्रक उपाय करने के लिए सावधान करने हेतु एक्सटेंसन कार्मिकों की मदद करने के लिए प्रत्येक 15 दिवस पर लीफ रस्ट की अनुमानित संभाव्यता की पूर्व सूचना देने के लिए यह पायलट अध्ययन मार्च 2018 में शुरू किया गया, जो मार्च 2019 तक जारी रहा। पायलट चरण के दौरान, भविष्यवाणी और घटना / गंभीरता के बीच सह-संबंध खराब (34-66%) था, पायलट परियोजना को बंद कर दिया गया।

3. **इकाएनालिटिक्स के साथ ब्लॉक चेन बेस्ड मार्केट प्लेस ऐप:** कॉफी बोर्ड ने इकाप्लस, जो कृषि के लिए डिजिटल कमोडिटी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म के वैश्विक अग्रणियों में से एक है, के साथ मिलकर "किसान कनेक्ट ब्लॉकचेन" विकसित किया है। यह ब्लॉकचेन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी खरीदारों और विक्रेताओं दोनों के लिए एक पारदर्शी डिजिटल मंच और मार्केट प्लेस बनाएगी। यह मंच उत्पादकों को उनकी उपज के उचित मूल्य के लिए खरीदारों तक सीधी पहुंच प्रदान कर बिचौलियों पर निर्भरता को कम करेगा, बढ़ती मांगों को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने के लिए निर्यातकों को सही कॉफी आपूर्तिकर्ता खोजने में और उपज की ट्रैसेबिलिटी और पारदर्शिता के प्रति बढ़ती दृश्यता के कारण एक बेहतर विश्वास और दीर्घकालिक संबंध निर्मित करने में मदद करेगा।

प्राकृतिक रबर क्षेत्र

रबर बोर्ड

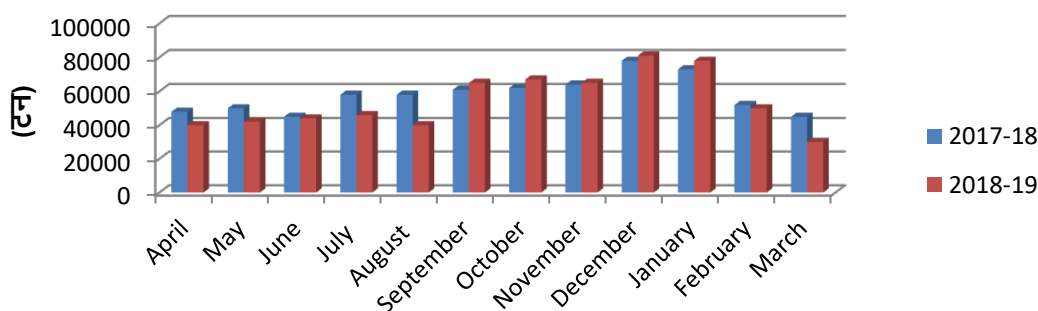
रबर अधिनियम, 1947 की धारा (4) के तहत गठित रबर बोर्ड एक सांविधिक संगठन

है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। इस बोर्ड का नेतृत्व केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष करते हैं और इसमें 27 सदस्य होते हैं जिनमें कार्यकारी निदेशक सहित प्राकृतिक रबर उद्योग के विभिन्न हितों जैसे रबर उत्पादक क्षेत्र, रबर विनिर्माण उद्योग, श्रमिक हित, प्रमुख रबर उत्पादक राज्यों के सरकारों के प्रतिनिधि और संसद सदस्य (दो लोक सभा से एक राज्य सभा से) शामिल होते हैं। इस बोर्ड की कार्यपालक और प्रशासनिक शक्तियां कार्यकारी निदेशक में निहित होती हैं। बोर्ड का मुख्यालय केरल के कोट्टायम में अवस्थित है। भारतीय रबर उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला से संबंधित विकासात्मक और विनियामकीय प्रकार्य का उन्मोचन प्राकृतिक रबर (एनआर) से संबंधित शोध, विकास, विस्तार और प्रशिक्षण गतिविधियों को सहायता प्रदान कर और प्रोत्साहित कर किया जाता है। यह बोर्ड रबर संबंधी सांख्यिकी का संग्रहण भी करता है, रबर के विपणन का संवर्धन करता है तथा श्रम कल्याण की गतिविधियों का संचालन करता है। वर्ष 1955 में स्थापित भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान (आरआरआईआई) केरल राज्य के कोट्टायम में अवस्थित है और देश

के विभिन्न रबर उत्पादक राज्यों में अवस्थित इसके नौ क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान (आरआरएस) हैं। आरआरआईआई ने देश के एनआर में जैविक और तकनीकी सुधार हेतु शोध गतिविधियां संचालित कीं। बोर्ड में एक प्रशिक्षण विभाग, नामतः रबर प्रशिक्षण संस्थान (आरटीआई) है, जो कोट्टायम में है और प्रौद्योगिकी स्थानांतरण के लिए शोध और विस्तार गतिविधियों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसे प्राकृतिक रबर के उत्पादन, प्रसंस्करण, उत्पाद विनिर्माण, विपणन सहित एनआर उद्योग के सभी क्षेत्रों और उपभोग क्षेत्र में मानव संसाधन विकास का अधिदेश प्राप्त है और रबर उद्योग के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

एनआर का उत्पादन : वर्ष 2018-19 का एनआर उत्पादन अनंतिम रूप से 648,000 टन आकलित किया गया है, जो एक वर्ष पूर्व उत्पादित 694,000 टन की तुलना में 6.6 प्रतिशत की ऋणात्मक संवृद्धि दर्शाता है। प्रमुख प्राकृतिक रबर उत्पादक राज्य केरल में अगस्त 2018 में आयी अप्रत्याशित बाढ़ के कारण टैपिंग दिवस की हानि, पेड़ों को हुई क्षति और असामान्य पतझड़ इत्यादि वर्ष 2017-18 के दौरान उत्पादन में कमी के कारण हैं।

प्राकृतिक रबर का उत्पादन - 2017-18 एवं 2018-19



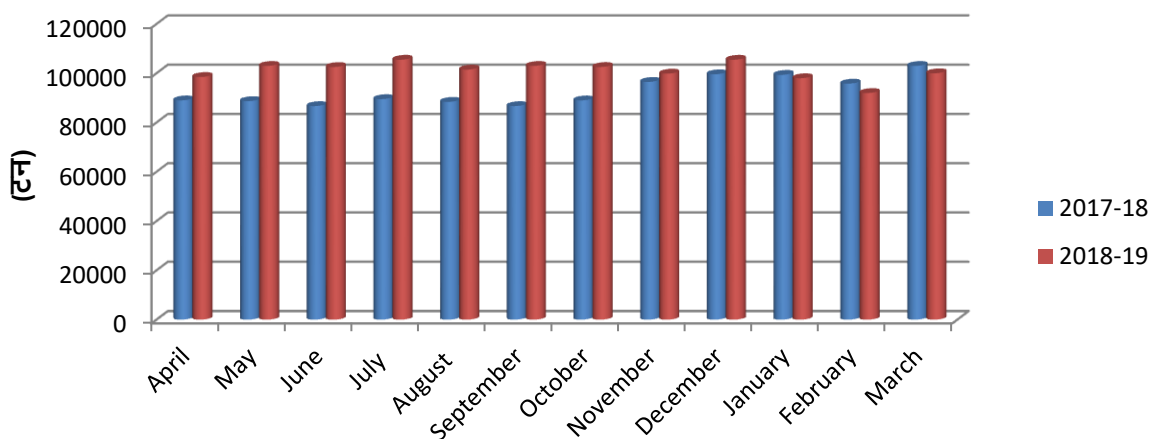
स्रोत : भारतीय रबर बोर्ड

उत्पादकता : वर्ष 2018-19 के दौरान टैपड क्षेत्र के प्रति हैक्टेयर उत्पादन की माप से औसत उत्पादन वर्ष 2017-18 के 1,458 किग्रा की तुलना में घटकार 1,446 किग्रा रह गया।

प्राकृतिक रबर की खपत : देश ने वर्ष 2018-19 में अनंतिम रूप से 12,11,940 टन प्राकृतिक रबर की खपत की है, जो वर्ष

2017-18 के दौरान हुई 11,12,210 टन की खपत से 9.0 प्रतिशत अधिक है। यह प्रमुख ओटो टायर विनिर्माण क्षेत्र में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि और सामान्य रबर के समान क्षेत्र में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2018-19 के दौरान ओटो टायर विनिर्माण क्षेत्र ने देश की कुल एनआर खपत के 71.3 प्रतिशत की खपत की।

प्राकृतिक रबर की खपत - 2017-18 एवं 2018-19



स्रोत : भारतीय रबर बोर्ड

प्राकृतिक रबर का आयात : वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय से उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, देश ने वर्ष 2018-19 के दौरान 582,351 टन प्राकृतिक रबर का आयात किया, जबकि पिछले वर्ष 469,760 टन का आयात किया गया था। वर्तमान में प्राकृतिक रबर का आयात 20 जनवरी 2016 से केवल चेन्नै और नूहावा शेवा (जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह) बंदरगाहों से अनुमत है। 12 जून 2018 से अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत एनआर का कर मुक्त आयात के लिए बंदरगाह प्रतिबंध हटा लिया गया था।

प्राकृतिक रबर का निर्यात : घरेलू और विदेशी बाजारों के बीच मूल्य अंतर पूरे वर्ष के दौरान निर्यात के लिए लाभदायक नहीं था और इसलिए निर्यात परिमाण वर्ष 2017-18

के 5,072 टन से घटकर वर्ष 2018-19 में 4,551 टन रह गया।

उभरती वैश्विक आर्थिक यथार्थताएं और भारत : भारत के विदेश व्यापार की प्रवृत्ति : विदेश में अपेक्षाकृत निम्न दरों पर प्राकृतिक रबर की उपलब्धता के साथ अगस्त 2018 के दौरान बाढ़ और आधिक्य वर्षा के कारण अपर्याप्त घरेलू उत्पादन के परिणामस्वरूप देश में अधिक आयात हुआ। भारत ने वर्ष 2017-18 के दौरान हुए 469,760 टन आयात की तुलना में 2018-19 के दौरान 582,351 टन का आयात किया। वैश्विक एनआर बाजार में अपेक्षाकृत निम्नतर मूल्यों के कारण वर्ष 2018 - 19 के दौरान केवल 4,551 टन एनआर का निर्यात किया।

योजना : मध्यम अवधि फ्रेमवर्क (वर्ष 2017 - 18 से वर्ष 2019 - 20 तक) के

लिए प्राकृतिक रबर क्षेत्र के स्थायी और समावेशी विकास को सरकार द्वारा 721.98 करोड़ रुपये के परिव्यय पर मंजूरी दी गयी

थी। वर्ष 2018-19 के दौरान वित्तीय और भौतिक उपलब्धियां इस प्रकार रहीं:

(क) वित्तीय उपलब्धि (करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	घटक	एमटीएफ के अंतर्गत अनुमोदित परिव्यय	आरई के अंतर्गत वास्तविक आवंटन और व्यय (अनंतिम)
1.	रबर पौधरोपण विकास एवं विस्तार	31.27	9.49
2.	रबर अनुसंधान	4.31	1.01
3.	प्रसंस्करण एवं विपणन, अवसंरचना विकास और विशिष्ट सेवाएं	9.11	1.65
4.	मानव संसाधन विकास	3.94	2.06
5.	लंबित देयता	-	-
6.	वेतन एवं पेंशन	152.66	154.83
7.	मजदूरी		13.10
8.	7वें केंद्रीय वेतन आयोग के कारण वेतन में वृद्धि	10.09	-
9.	7वें केंद्रीय वेतन आयोग के कारण भत्ते में वृद्धि	5.35	-
10.	7वें केंद्रीय वेतन आयोग का बकाया	-	-
11.	स्थापना लागत	12.00	5.70
कुल		228.73	187.82

(ख) मुख्य गतिविधियों से संबंधित भौतिक उपलब्धि (अनंतिम)

- रबर पौधरोपण विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के दौरान करीब 3500 हैक्टेयर का नया रोपण और पुनः रोपण।
- 991 हैक्टेयर जनजातीय विकास रबर पौधरोपण का अनुरक्षण किया गया।
- करीब 7.50 लाख गुणवत्तापरक रोपण सामग्रियां उत्पादित।
- सामूहिक संपर्क कार्यक्रम, सेमिनार, एक्सपोजर कार्यक्रम इत्यादि आयोजित किए गए जिनमें 150,000 उत्पादक / टैपर्स शामिल हुए।

- विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 14,245 प्रतिभागियों को लाभ हुआ।
- रबर पौधरोपण क्षेत्र में 14,807 श्रमिकों को कल्याण सहायता प्रदान की गयी।
- 38 नये रबर उत्पादक समितियां (आरपीएस) बनायीं गयीं जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनई) के 25 आरपी शामिल हैं।
- 53 टैपर्स बैंक बनाए गए। टैपर्स बैंक के सदस्य रबर टैपिंग के कार्य करते हैं।
- लिंग स्ट्रीमिंग गतिविधियों के भाग के रूप में रबर क्षेत्र में 12 महिला श्रमिक समूह बनाए गए।

अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप योजना (टीएसपी) :

सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए एससीएसपी योजना के अंतर्गत 4.29 करोड़ रुपये की संसूचित दी है। बोर्ड थोनाक्कल में अनन्य रूप से अनुसूचित जाति समुदाय के लिए एक परियोजना संचालित कर रहा है और साथ ही अनुसूचित जनजाति उत्पादकों / श्रमिकों / छात्रों इत्यादि के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है। इसके अलावा, बोर्ड अनुसूचित जाति रबर टैपर्स / श्रमिक को श्रम कल्याण योजनाओं के अंतर्गत हाउसिंग सब्सिडी, स्वच्छता सब्सिडी, चिकित्सा उपचार, शैक्षणिक छात्रवृत्ति, टैपर्स / श्रमिक इत्यादि के बच्चों को मेधाविता पुरस्कार जैसी योजनाओं के अंतर्गत भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। बोर्ड ने एससीएसपी घटक के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के दौरान 4.30 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है।

टीएसपी के अंतर्गत, सरकार ने वर्ष 2018-19 के दौरान 6.30 करोड़ रुपये की राशि संसूचित की है। बोर्ड ने जनजातीय उत्पादकों / श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और टीएसपी घटक के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के दौरान टीएसपी के तहत 6.33 करोड़ रुपये की राशि का व्यय किया है।

अनुसंधान उपलब्धि

- **नई उच्च उपज देने वाली रबर क्लोन रिलीज के लिए तैयार:** उत्तर पूर्वी राज्यों में व्यावसायिक खेती के लिए उपयुक्त रबर की एक नई उच्च उपज, क्लोड और रोग सहनशील हाइब्रिड क्लोन अब सभी अनिवार्य क्षेत्र मूल्यांकन (आरआरआईआई 429) को पूरा करने के बाद रिलीज के लिए तैयार है।

- **जलवायु अनुकूलता विश्लेषण:** एनआर खेती के लिए जलवायु उपयुक्तता विश्लेषण भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों तक विस्तारित किया गया था। एनई क्षेत्रों में 68 जिलों में से, 5 एनई राज्यों (असम 18, मणिपुर 9, मेघालय 4, मिजोरम 7 और त्रिपुरा 3) में फैले 42 जिलों को एनआर की खेती के लिए उपयुक्त माना गया।
- **विशेष रबर यौगिकों का विकास:** एक नए सर्फेक्टेंट के साथ लेटेक्स-कार्बन ब्लैक मास्टर-बैच तैयार किया और परीक्षण किया गया। यह पाया गया है कि अधिकांश तकनीकी गुण, तन्य शक्ति, मापांक, ईबी, चीर शक्ति और कठोरता में नए सर्फेक्टेंट के उपयोग से सुधार हुए थे। स्किम लेटेक्स से रबर की वसूली के लिए एक नई विधि विकसित की गयी।
- **ओडिशा में रबर की खेती:** ओडिशा के मयूरभंज जिले में एक अध्ययन किया गया, जहां ओडिशा सरकार के सहयोग से रबर बोर्ड ने अनुसूचित जनजातियों के उत्पादकों के लिए रबर ब्लॉक प्लांटेशन प्रोजेक्ट्स को क्रियान्वित या था। यह देखा गया है कि रबर से अर्जित अतिरिक्त आय संभवतः आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और क्षेत्र के समग्र विकास में एक परिवर्तन की नींव रख सकती है।
- **एलडब्ल्यूई क्षेत्रों में रबर की खेती के लिए उपयुक्तता:** भारत के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित राज्यों में एनआर की खेती के लिए कृषि-जलवायु उपयुक्तता का आकलन किया गया था। कुल 288 जिलों में से केवल 10 में रबर उगाने के लिए पर्याप्त अच्छी स्थिति थी।

- **भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग:** जीआईएसका कारगर तरीके से रबर पौधरोपण प्रबंधन और संबंधित अध्ययनों के लिए उपयोग किया गया था। भारत में सोलह एनआर उगाने वाले राज्यों को कवर करने वाले पूरे देश के एनआर रकबों की मैपिंग और आकलन का पहला चरण उपग्रह डेटा का उपयोग करके पूरा किया गया था। एनआर की खेती की कुल सीमा (आयु 3 वर्ष और उससे अधिक) का अनुमान 7.08 लाख हेक्टेयर था, जबकि सर्वेक्षण पद्धति के माध्यम से अनुमानित क्षेत्र के तुलना में 7.41 लाख हेक्टेयर था।
- **सूखा प्रत्युत्तर विश्लेषण:** इस अध्ययन में 44 अनोखे हेविया उच्च उपज वाले क्लोनों में से 20 को हाल ही में अन्य रबर उत्पादक देशों से भारत में आयात किया गया। थाईलैंड और वियतनाम के दो-दो क्लोनों ने बेहतर सूखा और उच्च प्रकाश सहनशीलता दिखाई।
- **रबर प्रौद्योगिकी अनुसंधान:** आरआरआईआई में एक प्रौद्योगिकी व्यवसाय ऊष्मायन केंद्र स्थापित करने के लिए केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पौधे उगाने के लिए एक एनआर आधारित गार्डन पॉट विकसित किया और एक ग्राहक को इसका ज्ञान और प्रोटोटाइप स्थानांतरित कर दिया गया। कम नाइट्रोजन मात्रा और उच्च प्लास्टिक प्रतिधारण सूचकांक से डी-प्रोटेनाइज्ड प्राकृतिक रबर (डीपीएनआर) बनाने के लिए एक नई विधि विकसित की गयी। महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों में डीपीएनआर का उपयोग होता है। एक भारतीय पेटेंट आवेदन (स्टेबल फ्री रेडिकल और मैकेनिकल

असिस्टेड वल्केनाइजेशन ऑफ रबर्स) दाखिल किया गया।

- **प्रौद्योगिकी व्यवसाय ऊष्मायन (टीबीआई) केंद्र:** कोट्टायम में भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान (आरआरआईआई) में एक टीबीआई केंद्र की स्थापना के लिए केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम से स्वीकृति प्राप्त हुई।

निर्यात संवर्धन उपाय :

- (i) **प्राकृतिक रबर की ब्रांडिंग को बढ़ावा देना:** विदेश व्यापार नीति के अनुरूप, बोर्ड ब्रांड "इंडियन नेचुरल रबर" के तहत एनआर के निर्यात को बढ़ावा देता है। एनआर की ब्रांडिंग एक निर्यात प्रचार रणनीति है जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय एनआर को अलग पहचान देने के उद्देश्य से की गई है। भारत में एनआर के उत्पादन, खपत के आंकड़े नियमित निर्यात आवश्यक नहीं करते हैं। एक अनियमित आपूर्तिकर्ता होने के कारण, भारतीय निर्यातकों को अन्य प्रमुख रबर उत्पादक देशों के नियमित निर्यातकों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल लगता है। इस संदर्भ में, 'गुणवत्ता अनुरूपता' के अद्वितीय विक्रय प्रस्ताव से ब्रांडिंग ने भारतीय निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जीवित रहने में मदद की है।

- (ii) **व्यापार सूचना पोर्टल :** रबर बोर्ड द्वारा आयोजित व्यापार सूचना पोर्टल

www.indiannaturalrubber.com

अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एनआर निर्यातकों को वेब सक्षम सहायता प्रदान करता है। इस वेबसाइट पर "वर्चुअल ट्रेड फेयर" लिंक भारत के सभी एनआर निर्यातकों की विस्तृत

जानकारी प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय खरीदार इस वेबसाइट से एनआर निर्यातकों के संपर्क विवरण प्राप्त कर सकते हैं और यह पोर्टल ब्रांड "इंडियन नेचुरल रबर" के तहत निर्यात किए गए रबर की ट्रेकिंग प्रणाली की सुविधा प्रदान कर सकता है।

(iii) **भारतीय प्राकृतिक रबर ब्रांडेड कंसेंटेड लेटेक्स ग्रेड के निर्यात के लिए प्रोत्साहन योजना:** भारत सरकार ने डीजीएफटी की सार्वजनिक सूचना संख्या 44/2015-20 (क्र.सं. 4976 एवं 4977) दिनांक 29 अक्टूबर 2015 के तहत आईटीसीएचएस कोड 40012100 एवं 40012200 के प्राकृतिक रबर ग्रेड को मर्चेन्डाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम (एमईआईएस) में शामिल कर दिया है। एमईआईएसके तहत इनाम की वर्तमान दर आईटीसीएचसी कोड 40012100 एवं 40012200 के लिए 5 प्रतिशत है और आईटीसीएचसी कोड 40011020 वाले प्रि-वल्केनाइज्ड एनआर लेटेक्स के लिए 4% है। परंतु प्रि-वल्केनाइज्ड प्राकृतिक रबर लेटेक्स के सिवा अन्य उत्पाद विवरण वाले आईटीसीएचएस कोड 40011020 के प्राकृतिक रबर लेटेक्स ग्रेड, जो भारत से निर्यात किए जाने वाले रबर का एक प्रमुख मद है, एमईआईएसयोजना में शामिल नहीं है। वर्ष 2018-19 के दौरान, बोर्ड ने आईटीसीएचएस 40011020 वाले कंसेंटेडेड लेटेक्स स्वरूप में ब्रांडेड इंडियन नेचुरल रबर के निर्यात को 0.20 / प्रति किग्रा डीआरसी की दर पर प्रोत्साहित करने की एक योजना प्रचालित की है।

वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड द्वारा की गयी अन्य प्रमुख पहलें

- 1006 समान हित समूह (सीआईजी), 327 किसान क्लब और 483 श्रमिक समूह बनाए गए। इन मंचों के माध्यम से वर्षा-रखवाली और दोहन (टैपिंग) सुधार जैसे सांस्कृतिक प्रथाओं को बढ़ावा दिया।
- रबरमृदा सूचना प्रणाली (रुबिस), स्थान-विशेष और आवश्यकता-आधारित उर्वरक अनुप्रयोग के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए उत्पादकों केई-सशक्तीकरण के लिए प्राकृतिक रबर होल्डिंग्स हेतु एक इंटरैक्टिव ऑनलाइन फर्टिलाइजर संसृति प्रणाली पहले ही शुरू कर दी गई है। रुबिस अब दक्षिण भारत की रबर मिट्टी के लिए भी उपलब्ध है। उत्तर पूर्वी राज्यों में इसके विस्तार की गतिविधियाँ पूरी होने वाली हैं। ऑनलाइन सेवा का मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है।
- रबर बोर्ड ने, रबर और संबंधित क्षेत्रों में हितधारक संघों के साथ साझेदारी में, 30 और 31 अक्टूबर 2018 को कोच्चि में इंडिया रबर मीट (आईआरएम -2018) के चौथे संस्करण का आयोजन किया। आईआरएम 2018 की थीम 'एक स्थायी रबर मूल्य श्रृंखला की दिशा में' था और इस सम्मेलन में विश्व के विशेषज्ञों द्वारा भाषण दिया गया, पैनल चर्चा आयोजित की गयी और हितधारकों द्वारा अनुभव साझा किया गया।
- रबर बोर्ड ने टायर की बड़ी कंपनियों के साथ सीएसआर परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया। मैसर्स एमआरएफ लि. ने केरल के राज्य में समान हित समूहों के माध्यम से सीएसआर कार्यक्रम के तहत रबर के पेड़ों की वर्षा से रखवाली के लिए 68.66 मीट्रिक टन पॉलीथिन और 168.34

मीट्रिक टन एडहेसिव की आपूर्ति की, जिससे लगभग 20,000 रबर उत्पादकों को फायदा हुआ।

- रबर बोर्ड ने गुलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन (जीआईएफटी), तिरुवनंतपुरम ने जीएसटी और रबर सेक्टर विषय पर एक सहयोगी अध्ययन शुरू किया था। जीएसटी पूर्व और जीएसटी पश्चात व्यवस्था के दौरान रबर इनपुट की कीमतों की तुलना से पता चला है कि कई इनपुट के लिए मूल्य वृद्धि बहुत अधिक थी। रबर इनपुट पर जीएसटी के साथ उत्पाद शुल्क और वैट की सावधानीपूर्वक तुलना से पता चला है कि कर की प्रभावी दरें तुलनीय हैं और जीएसटी लगने से नहीं बढ़ी हैं। चूंकि कर की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए जीएसटी इन उत्पादों की कीमत में वृद्धि का कारण नहीं हो सकता है।
- रबर उत्पादक समितियों (आरपीएस) के माध्यम से रबर बोर्ड के सहयोग से केरल सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में शुरू की गई रबर उत्पादन प्रोत्साहन योजना (आरपीआईएस) अब अपने परिचालन के चौथे चरण में है। बोर्ड लॉजिस्टिक सहायता प्रदान कर रहा है और धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। अब तक 468,103 उत्पादकों ने योजना के तहत पंजीकरण कराया और लगभग 1400 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) : स्वच्छता, आरोग्यता और अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति सार्वजनिक व्यवहार में अभिवृत्तिगत और अभ्यस्त परिवर्तनों को बढ़ाने के उद्देश्य से, रबर बोर्ड ने वर्ष 2018-19 के दौरान "स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)" के तहत विभिन्न गतिविधियों की शुरुआत की। जनता को संवेदनशील बनाने और उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए, बोर्ड ने अभियान मोड

में स्वच्छता, वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन, स्रोत पर कचरे के पृथक्करण, कचरे के उत्पादन को कम करने, संसाधनों के इष्टतम पुनः उपयोग, आदि के उद्देश्य से एक अभियान योजना बनाई है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा राज्यों में स्थित 46 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किए गए।

1 से 15 नवंबर, 2018 की अवधि के दौरान विभिन्न स्वच्छ भारत मिशन गतिविधियों के साथ रबर बोर्ड के सभी कार्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा 2018 मनाया गया। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2018 तक सभी कार्यालयों में स्वच्छ भारत सेवा अभियान का आयोजन किया गया।

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) : डीबीटी भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सब्सिडी अंतरण तंत्र को बदलने का एक प्रयास है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को सीधे उनके बैंक खातों के माध्यम से सब्सिडी हस्तांतरित करना है। यह आशा की जाती है कि बैंक खातों में सब्सिडी जमा करने से लीकेज, देरी आदि कम हो जाएंगी। रबर बोर्ड ने वर्ष 2017 से डीबीटी लेनदेन लागू किया। वर्ष 2018 - 19 के दौरान, बोर्ड ने इलेक्ट्रॉनिक मोड्स (एबीपी, एनईएफटी, आरटीजीएस, ईपीएस) के माध्यम से 17,172 लाभार्थियों (रबर उत्पादकों) को 991.39 लाख के केंद्रीय शेयर निधि हस्तांतरित किया, जिससे प्रक्रिया सुधार के कारण 2.69 लाख रुपये की बचत हुई।

सोशल मीडिया: रबर बोर्ड ट्विटर और फेसबुक खातों का प्रबंधन करता है और नियमित रूप से संगठनात्मक महत्व से संबंधित संदेश, फोटो, रिपोर्ट, ईवेंट, प्रेस विज्ञप्ति और वीडियो पोस्ट करता है। वर्ष 2018 - 19 के दौरान, बोर्ड ने ट्विटर पर 179 संदेश, फेस बुक में 177 सूचनाएं / संदेश पोस्ट किए और यू ट्यूब पर 2 वीडियो क्लिपिंग अपलोड किए। बोर्ड द्वैतिज संचार

को बढ़ावा देने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप "द रबर बोर्ड इन्फो" का भी प्रबंधन करता है। व्हाट्सएप ग्रुप रबर से संबंधित मामलों, घटनाओं, फोटो, प्रेस विज्ञप्ति, प्रशिक्षण, वीडियो आदि पर नियमित पोस्टिंग कर सक्रिय है।

श्रम कल्याण उपाय: रबर अधिनियम 1947 की धारा 8 (2) (च) में कहा गया है कि बोर्ड को रबर बागान श्रमिकों के लिए बेहतर कार्य स्थिति और सुविधाओं और प्रोत्साहन में सुधार के प्रावधानों को लागू करने के उपायों को लागू करना चाहिए। वर्ष 2018-19 के दौरान, विभिन्न श्रम कल्याण योजनाओं के तहत 125 **लाख रुपये** वितरित करने के लक्ष्य के प्रति बोर्ड ने **188.41 लाख रुपये** का संवितरण कर 14,807 रबर टेपर्स / बागान श्रमिकों को लाभान्वित किया।

पारदर्शिता, सार्वजनिक सुविधा और संबद्ध गतिविधियाँ

- बोर्ड ने लेनदेन के लिए सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) - डीबीटी / ईएटीमॉड्यूल क्रियान्वित किया है
- रबर उत्पादकों के लिए परमिट और डीलरों, प्रसंस्करणकर्ताओं और निर्यातकों के लिए लाइसेंस निर्गम ऑनलाइन और डिजिटल कर दिए गए हैं।
- विनिर्माताओं के लिए लाइसेंस और प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी करना।
- आयातकों के लिए डिजिटल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना।
- पारदर्शिता लागू करने और विलंब को कम करने के लिए रबर उत्पादकों द्वारा सब्सिडी का दावा करने के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदनों को क्षेत्रीय कार्यालयों से ऑनलाइन संसाधित किया जाता है।
- जीईएम और सीपीपीपी की प्रक्रिया का अनुपालन किया जा रहा है।
- रबर हितधारकों को प्रदत्त वित्तीय सहायता डीबीटी के मानदंडों के अनुसार है और डीबीटी भारत पोर्टल में

माहवार डेटा अपलोड किया जा रहा है।

- आईआईआईटीएम, केरल के सहयोग से रुबसिस का मलयालम संस्करण को लॉन्च किया गया।
- रबर बोर्ड (www.rubberboard.org.in) की पुनः संरचित वेबसाइट लॉन्च की गई।
- आरआरआईआई ने रबर बागानों में रासायनिक उर्वरकों की आवश्यक मात्रा के वैज्ञानिक अनुप्रयोग के लिए एक ऑनलाइन रबर उर्वरक सिफारिश प्रणाली रबर मृदा सूचना प्रणाली (रूबिस) का मोबाइल एप्प विकसित किया है।
- रबर उत्पादकों के लिए एक मोबाइल ऐप "रबर किसान" लॉन्च किया, जो रबर की कीमतें, कृषि-प्रबंधन प्रथाओं, चेतावनी, भू-मानचित्रण के साथ कार्यालय स्थान संबंधी सूचना आदि प्रदान करता है।
- बोर्ड के पी एंड पीआर प्रभाग के माध्यम से आरटीआई आवेदन प्राप्त और संसाधित किए जाते हैं।
- एनआईसी नेट पर वेब सक्षम प्रणाली, सीपीजीआरएमएस के माध्यम से शिकायतों को निपटान किया जाता है, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से मंत्रालय और विभागों / संगठनों को कहीं से कभी भी (24x7) के आधार पर पीड़ित नागरिकों द्वारा शिकायतें प्रस्तुत करना समर्थ करता है, जो इन शिकायतों की त्वरित जांच और अनुकूल निवारणकार्रवाई करते हैं।
- सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप चैनल आदि में उपस्थिति।
- ऑपरेशन - केरल सरकार की रबर उत्पादन प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदनों और बिलों का ऑनलाइन सत्यापन और अग्रेषण।

संबद्ध गतिविधियाँ: रबर क्षेत्र संबंधी कार्य दल (टीएफआरएस) और राष्ट्रीय रबर नीति:

वाणिज्य विभाग ने रबर उत्पादकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के उपशमन के लिए अल्पावधि समाधानों और दीर्घकालिक रणनीतियों की सिफारिश करने के मुख्य अधिदेश के साथ मार्च 2018 में रबर क्षेत्रसंबंधी एक कार्य दल का गठन किया और इसके निर्देशक निबंधनों में एक मसौदा राष्ट्रीय रबर नीति की सिफारिश करना भी शामिल है। कार्य दल का गठन मुख्य रूप से माननीय पर्यटन मंत्री श्री के. जे. अल्फांसो द्वारा नवंबर, 2017 और फरवरी, 2018 में किए परामर्शों और रबर उत्पादक राज्य सरकारों और पणधारक संघों से प्राप्त प्रतिवेदनों पर आधारित था।

रबर क्षेत्र संबंधी कार्य दल के अध्यक्ष मुख्य सचिव, केरल थे और उपाध्यक्ष त्रिपुरा के मुख्य सचिव थे। इस कार्य दल ने कई बैठकों और परामर्शों के उपरांत जुलाई 2018 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी।

प्राकृतिक रबर नीति बनाने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जुलाई 2014 में गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों इस कार्यदल द्वारा जाँच की गयी। कार्य दल द्वारा संसूत मसौदा राष्ट्रीय रबर नीति को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्तरों पर परिष्कृत किया गया और पणधारकों और आम लोगों की टिप्पणियों / मतों पर भी विचार किया गया। रबर क्षेत्र संबंधी कार्य दल (टीएफआरएस) की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय रबर नीति को अंतिम रूप दिया गया और मार्च, 2019 में वाणिज्य विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

मसाला क्षेत्र

मसाला बोर्ड : मसाला बोर्ड का गठन मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत 26 फरवरी 1987 एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। मसाला बोर्ड में 31 सदस्य होते हैं और बोर्ड का नेतृत्व अध्यक्ष (गैर सरकारी) करते हैं और

सचिव इसकी अध्यक्षता करते हैं और इसका मुख्यालय कोच्चि, केरल में है। मसाला बोर्ड इलायची के अनुसंधान, विकास, विपणन तथा मसाला बोर्ड अधिनियम के तहत यथा अनुसूचित 52 मसालों के निर्यात का संवर्धन करने के लिए जिम्मेदार है। बोर्ड के प्रकार्यों में छोटी एवं बड़ी इलायची के लिए अनुसंधान एवं विकास, घरेलू विपणन, मसालों के निर्यात का संवर्धन, विकास, विनियमन और गुणवत्तायुक्त मूल्यांकन प्रयोगशाला के माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रण, पूर्वोत्तर क्षेत्र के जैविक मसालों के उपज पश्च गुणवत्ता सुधार और विकास शामिल है। इस बोर्ड के पास मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र और इलायची डीलर और नीलामीकर्ता प्रमाण पत्र जारी करने का प्राधिकार है। बोर्ड मूल्य वर्धन के लिए मसालों में उच्च तकनीक प्रसंस्करण के लिए बुनियादी ढांचा सहायता, मसालों के चिकित्सीय गुणों पर अध्ययन और अनुसंधान प्रोत्साहित करने, नये उत्पादों के विकास, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मेलों में प्रतिभागिता, प्रमुख मसाला उत्पादन केंद्रों में मसाला पार्क की स्थापना करने और क्रेता विक्रेता मिलन की व्यवस्था करने के लिए कार्यक्रम एवं परियोजना क्रियान्वित करता है। लाइसेंस प्राप्त / पंजीकृत इलायची नीलामीकर्ता और डीलर बोर्ड द्वारा स्थापित ई-नीलामी केंद्रों पर इलायची की ई-नीलामी के माध्यम से घरेलू विपणन की सुविधा प्रदान करते हैं।

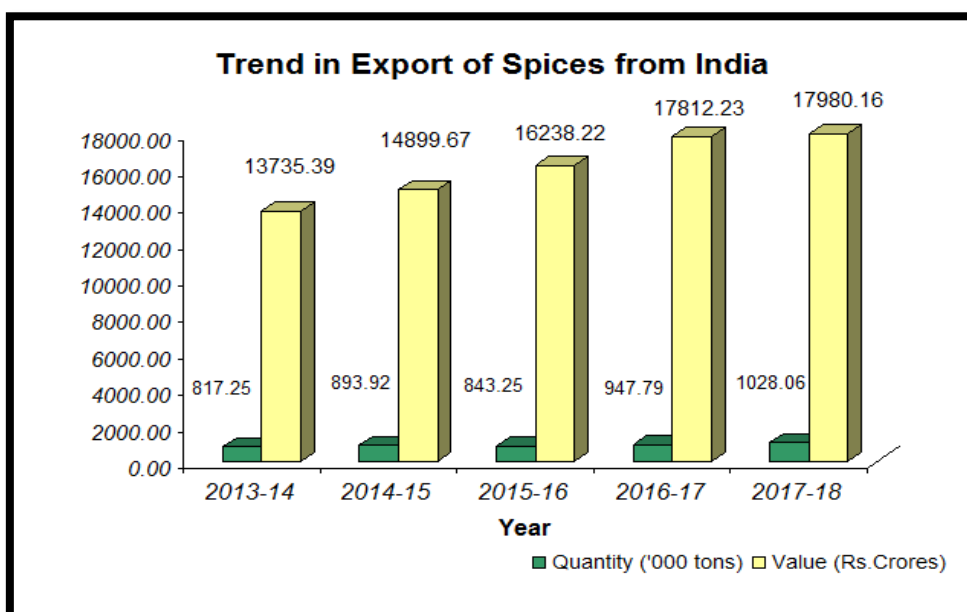
भारतीय मसालों की वैश्विक स्थिति: भारत व्यापक प्रकार के मसालों का सबसे बड़ा एकल उत्पादक और निर्यातक है और वर्तमान में इसे 145 से अधिक देशों में मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात कर वैश्विक मसाला बाजार में मात्रा की दृष्टि से 48% हिस्सेदारी और मूल्य की दृष्टि से 43 प्रतिशत हिस्सेदारी प्राप्त है। निर्यात विकास और संवर्धन, मूल्य संवर्धन और गुणवत्ता सुधार सरकार के लिए एक प्रमुख महत्व वाला क्षेत्र बना हुआ है।

भारत में मसालों का औसत उत्पादन लगभग 8.00 मिलियन मीट्रिक टन है और मसालों की खेती के लिए औसत कवर क्षेत्र लगभग 3.8 मिलियन हेक्टेयर है। पूर्वी एशिया, अमेरिका और यूरोपीय संघ मौजूदा महत्वपूर्ण निर्यात बाजार हैं। कुल उत्पादन का 12-13% निर्यात किया जाता है और बाकी घरेलू खपत के लिए उपलब्ध होता है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय और संबंधित राज्य कृषि / बागवानी विभागों द्वारा इलायची (छोटी और बड़ी) को छोड़कर मसालों के उत्पादन संबंधी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। इलायची (छोटी और बड़ी) के उत्पादन से संबंधित पहलुओं और सभी 52 मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने संबंधित कार्य की देखरेख मसाला बोर्ड द्वारा की जाती है।

इलायची (छोटी और बड़ी) का उत्पादन : तीन दक्षिणी राज्यों केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में खेती की जाने वाली छोटी इलायची का अनुमानित उत्पादन वर्ष 2018-19 के दौरान 49520 हेक्टेयर के क्षेत्र से 13815 मीट्रिक टन था। बड़ी इलायची जिसकी खेती सिक्किम राज्य, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले और अनरू पूर्वोत्तर राज्यों में होती है, के मामले में वर्ष 2018-

19 के दौरान उत्पादन 20764 हेक्टेयर के उपज क्षेत्र से 6038 मीट्रिक टन रहा।

भारत के मसाला व्यापार के रुझान: हाल के वर्षों में, भारत से मसालों का निर्यात, मात्रा की दृष्टि से 6% की सीएजीआर और रूपये मूल्य की दृष्टि से 7% की दर से और डॉलर मूल्य की दृष्टि से 5% की दर से बढ़ रहा है। वर्ष 2017-18 के दौरान, देश से 17,980.16 करोड़ रुपये (2789.35 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य के कुल 10,28,060 मीट्रिक टन मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात किया गया जबकि वर्ष 2016-17 के दौरान 17,812.24 करोड़ रुपये (2655.29 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य के 9,47,790 मीट्रिक टन का निर्यात किया गया था, जो परिमाण की दृष्टि से 8 प्रतिशत और रूपये मूल्य की दृष्टि से 1 प्रतिशत और डॉलर मूल्य की दृष्टि से 5% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2018-19 (अप्रैल - दिसंबर) के दौरान, यह निर्यात 7,93,80 मीट्रिक टन रहा जिसका मूल्य 13,862.91 करोड़ (2003.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर) जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले रूपये के मूल्य की दृष्टि से 4% की वृद्धि दर्शाता है।



स्रोत : भारतीय मसाला बोर्ड

आयात : भारत मसालों का आयात मुख्यतः मूल्य वर्द्धन के लिए करता है और इसका फिर से निर्यात और साथ ही साथ घरेलू मांग को भी पूरा करता है। वर्ष 2017-18 के दौरान, 500.22 करोड़ रुपये (776.07 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य के 2,06,205 मीट्रिक टन के आकलित मात्रा का आयात किया है। आयातित प्रमुख मसालों में काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, हल्दी इत्यादि है। काली मिर्च और

हल्दी का आयात मूल्य वर्द्धन और फिर से निर्यात के लिए किया जाता है।

योजना : मध्यम अवधि फ्रेमवर्क (वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक) के लिए निर्यात उन्मुख उत्पादन, मसालानिर्यात विकास संवर्धन के लिए 491.78 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान वित्तीय और भौतिक उपलब्धियां इस प्रकार रहीं :

वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियां

अनुमोदित उद्देश्य / गतिविधियां	वर्ष 2018-19 के दौरान भौतिक उपलब्धियां	वित्तीय उपलब्धियां (अनंतिम) (करोड़ रुपये में)
निर्यात उन्मुख उत्पादन	छोटी इलायची उत्पादन - 13815 मीट्रिक टन बड़ीइलायची उत्पादन - 6090 मीट्रिक टन पुनः रोपण छोटी इलायची - 613.85 हैक्टेयर पुनः रोपण / नव रोपण बड़ी इलायची- 1391.56 हैक्टेयर निम्नलिखित के लिए सहायता : पूर्वोत्तर में क्यूरिंग हाउस - 55 नग इलायचीड्राइरर - 12 नग उपज पश्व उपकरण - 348 नग किसानों का अनुभव दौरा- पूर्वोत्तर से 102 किसान	45.79
निर्यात विकास और संवर्धन	निर्गत सीआरईएस - 3830 नग डीलर लाइसेंस - 418 नग नीलामीकर्ता लाइसेंस - 13 नग अंतर्राष्ट्रीय मेलों में प्रतिभागिता - 11 नग अंतर्देशीय मेले - 30 नग क्रेता विक्रेत सम्मेलन - 3 नग मसाला पार्को का रखरखाव - 8 नग मसालों का निर्यात - अप्रैल-दिसं. 2018 परिमाण: 778835 मीट्रिक टन मूल्य : 13642.36 करोड़ रुपये (1962.19मिलियन अमेरिकी डॉलर) अप्रैल - दिसंबर 2017 की तुलना में रुपये मूल्य की दृष्टि से 4 प्रतिशत की वृद्धि	22.59
निर्यात उन्मुख अनुसंधान	मसाला क्लिनिक - 41 नग आईपीएम अभियान - 29 नग व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम - 56नग गुणवत्ता सुधार प्रशिक्षण कार्यक्रम - 147 केंद्रजिनसे 8605 हितधारक लाभान्वित हुए	5.63
गुणवत्ता सुधार	वर्ष 2018-19 के दौरान 1,18,748 नमूना मापदंडों का विश्लेषण किया।	10.31
मानव संसाधन विकास	अधिकारियों के लिए व्यवस्था किए गए प्रशिक्षण	0.36

	कार्यक्रम – 75 अधिकारी	
स्थापना और लघु कार्य	स्थापना व्यय / प्रशासनिक कर्मचारियों के वेतन और कार्यालय भवन का रखरखाव	25.63
	कुल (*)19.38 करोड़ रुपये की आईईबीआर सहित	110.31

वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियां

उप योजना	आवंटित बजट (करोड़ रुपये)	व्यय (करोड़ रुपये)	लाभार्थियों की संख्या
एससीएसपी	5.00	2.04 (*)	1178
टीएसपी	5.00	5.00	4896

(*) एससीएसपी के अंतर्गत 2.96 करोड़ रुपये की अव्ययित राशि वापस प्रेषित कर दी गयी है।

निर्यात संवर्धन उपाय : वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड ने विभिन्न मसाला उत्पादों और इसके मूल्य वर्द्धित व्युत्पादों को प्रदर्शित कर भारत के सामर्थ्य और क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए मसाला निर्यातकों के साथ 11 अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लिया। बोर्ड ने 32 घरेलू प्रदर्शनियों में भी प्रतिभागिता की है। यह बोर्ड भारत से निर्यातित मसालों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रयोगशालाओं के माध्यम से निर्यात खेपों के अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन द्वारा देश से निर्यातित मसालों की गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है।

वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 1,18,748 संख्या में मसाला नमूनों का विभिन्न गुणवत्ता मापदंडों के लिए जाँच की गयी। बोर्ड ने 3 क्रेता - विक्रेता मिलन और 20 मार्केट लिंकेज कार्यक्रम भी आयोजित किए। इससे राज्यों में किसान समूहों और संस्थागत

क्रेता / निर्यातक के बीच प्रत्यक्ष लिंकेज स्थापित करने में मदद मिली, ताकि आपूर्ति श्रृंखला में बिचौलियों को निकाला जा सके। शीर्ष मसाला निर्यातकों को मसाला निर्यात उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार वितरित किए गए। माननीय मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक विमानन ने मसाला पार्क, राय बरेली और मसाला पार्क, रामगंज मंडी, कोटा का उद्घाटन किया।

बोर्ड ने 21 से 25 जनवरी 2019 के दौरान कोडेक्स कमिटी ऑन स्पायसेज एंड कलिनरी हर्ब्स के चौथे सत्र (सीसीएससीएच4) का आयोजन भी किया। इस सत्र में 28 देशों के 88 प्रतिनिधि मंडलों और एक प्रेक्षक संगठन (आईओएसटीए) और एक सदस्य संगठन (ईयू) ने प्रतिभागिता की। बोर्ड ने उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों में निर्यात प्रक्रियाओं, गुणवत्ता नियंत्रण और उत्पाद प्रमाणन संबंधी स्थानीय विशेषज्ञों के विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए और राज्य कृषि, बागबानी, खाद्य सुरक्षा विभागों इत्यादि के कुल 100 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया।

वर्ष 2018-19 के दौरान की गयी प्रमुख पहलों / प्राप्त उपलब्धियों को नीचे दर्शाया गया है :

- देश भर के निर्यातकों को राज्यों में उत्पादित मसालों की क्षमता प्रदर्शित करने के लिए और बाजार लिंकेज तथा प्रत्यक्ष कारोबार सहयोग निर्मित करने की संभावना तलाशने के लिए मसाला निर्यातकों और मसाला उत्पादकों के साथ बी 2 बी बैठकों की सुविधा प्रदान करने हेतु कोटा और जोधपुर राजस्थान, रत्नागिरी, महाराष्ट्र में क्रेता विक्रेता मिलन (बीएसएम) आयोजित किए गए।
- बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं में मसालों के कुल

- 1,18,748 नमूने मापदंडों का परीक्षण किया गया
- बोर्ड ने वर्ष 2018-19 के दौरान मसालों के निर्यातक के रूप में 2309 नग पंजीकरण प्रमाण पत्र और 358 नग इलायची डीलर लाइसेंस जारी किए हैं।
 - बोर्ड के पुट्टडी और बोदिनायकनूर स्थित ई-नीलामी केंद्रों के माध्यम से कुल 26009 मीट्रिक टन इलायची की नीलामी की गई।
 - उपज पश्च गुणवत्ता सुधार, किसानों के लिए बाजार लिंकेज, व्यापारियों और राज्य कृषि/बागबानी अधिकारी विषय पर देश भर के विभिन्न केंद्रों पर कुल 170 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां 9743 प्रतिभागियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया।
 - वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के तहत मसालों के कुल 8806 छोटे उत्पादकों को लाभान्वित किया गया है।
 - कोंकण क्षेत्र में मसालों के व्यापक विकास के लिए तैयार परियोजना एमआईडीएचके तहत परियोजना के अनुमोदन और कार्यान्वयन हेतु प्रधान सचिव, कृषि, महाराष्ट्र सरकार को सौंपी गई।
 - अनुसंधान एवं विकास संबंधी आईपीसी समिति की 7वीं बैठक 2 से 4 मई 2018 के दौरान कोचीन में आयोजित की गई, जिसकी मेजबानी मसाला बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा की गई।
 - 'मसाला बोर्ड ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले स्पाइस फार्मर्स प्रोड्यूसिंग कंपनी (एसएफपीसी) 'नामसाई ऑर्गेनिक स्पाइसेस एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड' के मूल्य वर्धित उत्पादों को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किए।
 - मसाला बोर्ड ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के चार जिलों में 4 गैर सरकारी संगठनों और 53 फील्ड समन्वयक के साथ ई-मसाला बाजार परियोजना चलाई है। ई-स्पाइस बाजार वेब पोर्टल में कुल 52,687 किसानों को पंजीकृत किया गया, जिसमें मिर्च, हल्दी और करी पत्ते के किसान शामिल हैं।
 - मसाला बोर्ड द्वारा तैयार की गयी बड़ी इलायची पौध संरक्षण कोड कृषि भवन, तादोंग, सिक्किम में डीएसडी, आईआईएसआर, आईसीआरआई के प्रतिनिधियों की बैठक में प्रस्तुत और अनुमोदित किया गया।
 - कोच्चि में मसाला बोर्ड के सचिव द्वारा काली मिर्च के लिए एक मोबाइल ऐपलॉन्च किया गया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मिर्च समुदाय (आईपीसी) द्वारा विकसित किया गया है
 - श्री सुरेश प्रभु, माननीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कोच्चि में इलायची (छोटी) का मसाला निर्यात और उत्पादकता में निर्यात में उत्कृष्टता हेतु पुरस्कार वितरित किए
 - मसाला बोर्ड ने तिरुवनंतपुरम में 21 से 25 जनवरी, 2019 की अवधि के दौरान कोडेक्स कमिटी ऑन स्पायसेज एंड कलिनरी हर्ब्स के चौथे सत्र (सीसीएससीएच4) का आयोजन किया। इस सत्र में 28 देशों के 88 प्रतिनिधि मंडलों और एक प्रेक्षक संगठन (आईओएसटीए) और एक सदस्य संगठन (ईयू) ने प्रतिभागिता की।
 - श्री सुरेश प्रभु, माननीय वाणिज्य और उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री, ने 22 फरवरी, 2019 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोटा, रायबरेली और मसाला पार्क रामगंज मंडी, का उद्घाटन किया।

स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) :
मसाला बोर्ड ने एसएपीके तहत विभिन्न

गतिविधियाँ आयोजित करता रहा है, जिनमें मसाला बोर्ड मुख्यालय में बाग और आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण, मुख्यालय, कोचीन में परिसर की सफाई / हाउसकीपिंग और रखरखाव, क्यूईएलभवन में फर्श कालीन बिछाना, स्वच्छता विषय को हाइलाइट करते हुए आईसीआरआई मायालादुमपारा में प्रतीक्षा शेड की पेंटिंग शामिल हैं। जनता के बीच स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बोर्ड द्वारा एक प्रचार अभियान भी चलाया गया, स्कूल का दौरा किया और छात्रों को स्वच्छता के महत्व से अवगत कराते हुए परिसर की सफाई की। अधिकारियों के लिए शून्य अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण जागरूकता पर कार्यशाला आयोजित की गई, हाउसकीपिंग कर्मचारियों, एस्टेट श्रमिकों और आम जनता के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

डीबीटी : बोर्ड द्वारा कार्यान्वित योजनाओं और कार्यक्रमों के लाभार्थियों को सभी भुगतान डीबीटी के तहत पीएफएमएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किए जाते हैं।

सोशल मीडिया : ऑनलाइन दर्शकों को शिक्षित करने के लिए मसाला बोर्ड ट्विटर और फेसबुक पर अपने सोशल मीडिया हैंडल का संचालन करता है। यह अपने मसालों के संबंध में इसकी वनस्पतिक, भौगोलिक, व्यापार संबंधी, चिकित्सीय और पाक पहलुओं, मसालों में मिलावट आदि सहित मसालों के बारे में जागरूकता पैदा करता है। बोर्ड के निर्यात विकास और विपणन कार्यों से संबंधित गतिविधियों, जैसे हितधारकों सम्मेलन, कौशल विकास कार्यक्रम, क्षमता निर्माण कार्यक्रम आदि साझा किए जाते हैं। इनमें किसानों की सफलता गाथाओं / निर्यातकों के अभिनव पहल, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में बोर्ड की भागीदारी, क्रेता-विक्रेता की बैठक और सेमिनार / सम्मेलन में इवेंट अपडेट शामिल हैं। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया की पहल और उपलब्धियों पर नियमित अपडेट और सार्वजनिक हित और राष्ट्रीय गौरव के प्रमुख

आकर्षण सोशल मीडिया में अपलोड किए जाते हैं।

पारदर्शिता, सार्वजनिक सुविधा और संबद्ध गतिविधियाँ : बोर्ड आरटीआई अधिनियम 2005 को प्रभावी ढंग से लागू कर रहा है और सभी विभागों में सीपीआईओ और पीआईओ की नियुक्ति करके भारत सरकार के सभी निर्देशों का अनुपालन करता है। बोर्ड ने स्वतः प्रकट की जाने वाली सूचनाओं को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इस रूप और तरीके से प्रकट किया है जो जनता के लिए सुलभ है। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर प्राप्त और उत्तरित आरटीआई का विवरण भी जनता के लिए नियमित आधार पर अपलोड किया जाता है। बोर्ड द्वारा उनकी वेबसाइट के माध्यम से एक ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र बनाया हुआ है।

मूल्य स्थिरीकरण कोष ट्रस्ट (पीएसएफटी)

वाणिज्य विभाग ने पूरे देश के रबर, चाय, कॉफी और तंबाकू के छोटे उत्पादकों को मूल्य में उतार-चढ़ाव से होने वाले नुकसानों के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए अप्रैल 2003 में एक मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) योजना शुरू की थी। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए, सीसीईए की मंजूरी से, भारत सरकार के 432.88 करोड़ रुपये और उत्पादक के 2.67 करोड़ रुपये के योगदान (कुल 435.55 करोड़ रुपये) से भारत सरकार द्वारा इस कॉर्पस फंड की स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी। मूल्य स्थिरीकरण कोष न्यास (पीएसएफटी) को मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना को लागू करने के लिए और भारत सरकार की लोक लेखा में इस पीएसएफ कोष का प्रबंध करने के लिए भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत एक सार्वजनिक न्यास के रूप में दिनांक 11.9.2003 को पंजीकृत किया गया था। इस न्यास विलेख पर नाबार्ड और वाणिज्य विभाग, भारत सरकार के बीच जिसमें नाबार्ड

एक 'निपटानकर्ता' है, पर हस्ताक्षर किए गए थे। पीएसएफ योजना दिनांक 30.09.2013 को बंद कर दी गयी थी। तथापि, बागान फसल के उत्पादक के हितलाभ हेतु पीएसफ न्यास को दिनांक 11.09.2013 से 10 वर्षों के लिए पुनः पंजीकृत किया गया है।

II. तम्बाकू बोर्ड

तम्बाकू बोर्ड की स्थापना दिनांक 01. 01. 1976 को तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अंतर्गत की गयी थी। इसका मुख्यालय गंटूर, आंध्र प्रदेश में है, जिसका नेतृत्व एक अध्यक्ष करते हैं। तम्बाकू बोर्ड के महत्वपूर्ण प्रकार्य इस प्रकार हैं :

- भारत और विदेश की मांग को पूरा करने के लिए वर्जिनिया तम्बाकू के उत्पादन और संसाधन का विनियमन करना।
- वर्जिनिया तम्बाकू के उत्पादक, डीलर और निर्यातक (पैकर्स सहित) और वर्जिनिया तम्बाकू उत्पादों के लिए उपयोगी सूचना का प्रसार।
- उत्पादक के स्तर पर तम्बाकू का संवर्धन और श्रेणीकरण।
- वर्जिनिया तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामी मंच की स्थापना और नीलामीकर्ता के रूप में कार्य करना।
- भारत से बाहर मौजूदा बाजारों का रखरखाव और नये बाजारों का विकास।
- भारत और भारत से बाहर दोनों के वर्जिनिया तम्बाकू बाजार पर सतत् नजर रखना और इसके लिए उचित और लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करना।
- भारत सरकार के पूर्वानुमोदन से उत्पादकों से वर्जिनिया तम्बाकू की खरीद करना जब ऐसा करना उत्पादकों के हित के संरक्षण के लिए आवश्यक या समयोचित हो जाता है।

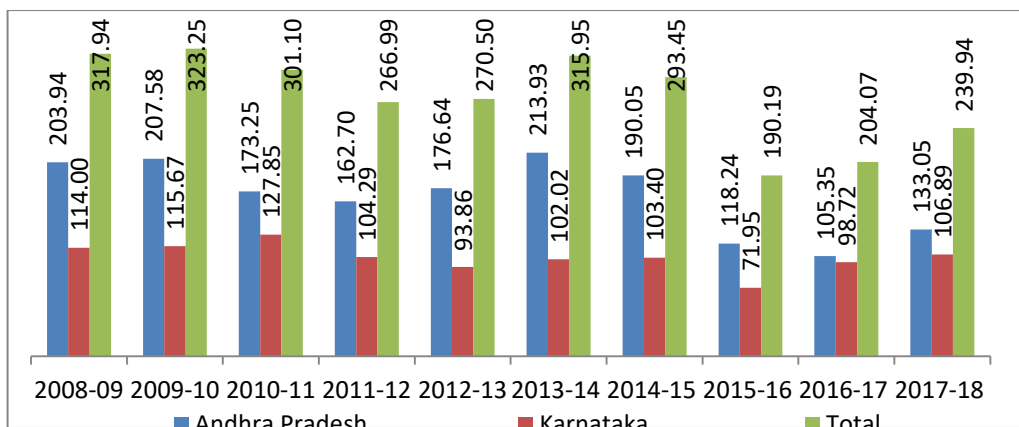
भारत में एफसीवी तम्बाकू उत्पादन :
पिछले 10 वर्षों में एफसीवी तम्बाकू उत्पादन

वर्ष दर वर्ष बढ़ता घटता रहा है। ये उतार - चढ़ाव उपज पर मौसम के प्रभाव और साथ ही साथ आपूर्ति की मूल्य लोच के अनुसार बाजार गतिशीलता के प्रभावों को प्रतिबिंबित करते हैं। एफसीवी तम्बाकू उत्पादन ने वर्ष 2008-09 से वर्ष 2017-18 तक की अवधि के दौरान -2.78 प्रतिशत की चक्रवर्ती वार्षिक संवृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज किया है।

वर्ष 2018-19 में एफसीवी तम्बाकू का उत्पादन 218.08 मिलियन किलोग्राम होने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष के दौरान इसका उत्पादन 239.94 मिलियन किलोग्राम था। कर्नाटक में 85.08 मिलियन किलोग्राम की मात्रा का विपणन किया जाता है और आंध्र प्रदेश में 133.00 मिलियन किलोग्राम एफसीवी तम्बाकू के उत्पादन होने का अनुमान है। वर्ष 2018-19 के दौरान लगभग 1.61 लाख हेक्टेयर में एफसीवी तम्बाकू की खेती की गयी है।

एफसीवी तम्बाकू उत्पादन विनियमन :

तम्बाकू बोर्ड का एक महत्वपूर्ण प्रकार्य भारतीय तम्बाकू की मांग को पूरा करने के लिए वर्जिनिया तम्बाकू के उत्पादन को विनियमित करना है, ताकि उत्पादकों को उनकी उपज के लिए उचित और लाभदायक मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। इस उद्देश्य को प्रत्येक वर्ष फसल के आकार निर्धारित कर और वाणिज्यिक नर्सरी पालक, तम्बाकू उत्पादक और खलिहान संचालकों को पंजीकृत करके प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। बोर्ड घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मांग और आपूर्ति की स्थिति, विभिन्न प्रकार के एफसीवी तम्बाकू की बिक्री, कैरीओवर स्टॉक, सिगरेट उत्पादन के रुझान और खपत जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करते हुए एफसीवी तम्बाकू के फसल आकार का निर्णय लेता है।



एफसीवी फसल उत्पादन नीति

वर्ष 2018-19 के दौरान, तम्बाकू बोर्ड ने भारत में एफसीवी तंबाकू की खेती के लिए 236 मिलियन किलोग्राम की फसल का आकार तय किया था, जबकि पिछले वर्ष के दौरान 235 मिलियन किलोग्राम का आकार तय किया गया था। तम्बाकू बोर्ड ने कर्नाटक में वर्ष 2018-19 के फसल सीजन के लिए फसल का आकार 100 मिलियन किलोग्राम तय किया है, जबकि 2017-18 के फसल सीजन के दौरान यह 99 मिलियन किलोग्राम तय किया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य के लिए, बोर्ड ने पिछले वर्ष के समान इस वर्ष भी 136 मिलियन किग्रा का फसल आकार निर्धारित किया है।

उत्पादकों के लिए मृदा परीक्षण सेवाएँ

तम्बाकू बोर्ड प्रत्येक वर्ष तम्बाकू की खेती में इस्तेमाल की जाने वाली मिट्टी और सिंचाई के पानी की उपयुक्तता और उर्वरकों की मात्रा पर सलाह देने के लिए उत्पादकों के खेतों से एकत्रित मिट्टी और पानी के नमूनों का विश्लेषण मुफ्त में करता है। वर्ष 2018-19 फसल मौसम के दौरान, आंध्र प्रदेश में 2300 मिट्टी नमूने और 625 पानी नमूनों का विश्लेषण, ऑगोल स्थित तंबाकू बोर्ड की मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में किया गया है और विश्लेषण के परिणामों के आधार पर, उत्पादकों को मिट्टी की उपयुक्तता और उर्वरकों की खुराक के बारे में सलाह दी गयी है। इसी तरह, कर्नाटक में लगभग 3000 मिट्टी नमूनों का विश्लेषण किया गया

है और उत्पादकों को उपयुक्त सलाह दी गयी है। उपर्युक्त के अलावा, वर्ष 2018-19 फसल मौसम के दौरान, आंध्र प्रदेश में 934 मिट्टी नमूने और कर्नाटक में 180 मिट्टी नमूनों का सूक्ष्म पोषक तत्वों - आयरन, जिंक, मैंगनीज और कॉपर के लिए विश्लेषण किया गया।

विस्तार और विकास गतिविधियाँ:

तम्बाकू बोर्ड भारतीय एफसीवी तम्बाकू कोअंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विभिन्न विस्तार और विकास योजनाओं को क्रियान्वित करता है। तंबाकू बोर्ड अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत पंजीकृत एफसीवी तम्बाकू उत्पादकों को सब्सिडी प्रदान करता है ताकि किसानों को नए और बेहतर पैकेज अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। तम्बाकू बोर्ड केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान (सीटीआरआई), राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान (एनआईपीएचएम) और तंबाकू कंपनियों के अनुसंधान और विकासात्मक स्कंधों के सहयोग से योग्य और प्रशिक्षित फील्ड स्टाफ के विस्तृत नेटवर्क का उपयोग करके किसानों को सहायता और विस्तार सेवाओं का एक व्यापक पैकेज प्रदान करता है।

प्रत्येक वर्ष बोर्ड इनपुट की आपूर्ति के माध्यम से अपने स्वयं के धन से विभिन्न विस्तार और विकासात्मक योजनाओं को क्रियान्वित करता है और प्रत्येक फसल विकास चरण में किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।

बोर्ड के विस्तार और विकासात्मक गतिविधियों में व्यापक रूप से निम्नलिखित शामिल हैं ...

- महत्वपूर्ण फसल आदानों की आपूर्ति।
- विस्तार और विकासात्मक योजनाओं का कार्यान्वयन
- प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण

महत्वपूर्ण फसल आदानों की आपूर्ति

तम्बाकू बीज :

वर्ष 2018-19 फसल मौसम के दौरान आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में एफसीवीतंबाकू उत्पादकों को सीटीआरआई, राजमुंदरी और आईटीसीअनुसंधान प्रभाग, राजमुंदरी के माध्यम से बोर्ड द्वारा अनुमोदित किस्मों की 2,271.90 किलोग्राम बीज उपलब्ध कराई गयी।

उर्वरक :

वर्ष 2018-19 फसल मौसम के दौरान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उत्पादकों द्वारा स्वयं ही तम्बाकू बोर्ड को शामिल किए बिना उर्वरक की खरीद और वितरण की एक वैकल्पिक प्रक्रिया को सफलतापूर्वक लागू किया गया और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के उत्पादकों को कुल 39,327.51 मीट्रिक टन उर्वरक वितरित किए गए।

2018-19 के फसल मौसम के दौरान विस्तार और विकासात्मक योजनाओं और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में शामिल गतिविधियों के लिए 277.45 लाख रुपये के व्यय अनुमान लगाया गया है।

उत्पादक कल्याण निधि पहल :

वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन से ‘‘तम्बाकू बोर्ड उत्पादक कल्याण योजना’’ संस्थापित कर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा राज्यों के लगभग 89000 तम्बाकू उत्पादकों और उनके परिवारों के समग्र कल्याण सुनिश्चित करने के

लिए वर्ष 2009-10 से तम्बाकू बोर्ड विभिन्न कल्याणकारी उपाय कर रहा है।

कल्याणकारी योजना के तहत मृत्यु अनुदान और लड़कियों की शादी करने, आश्रित बच्चों की शिक्षा, गंभीर बीमारियों के उपचार / दुर्घटना मामलों जिनमें सर्जरी की आवश्यकता होती है और प्राकृतिक आपदाओं / अग्नि दुर्घटनाओं के कारण नुकसानग्रस्त खलिहानों के मरम्मत के लिए ब्याज मुक्त ऋण के स्वरूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना की शुरुआत से, तंबाकू बोर्ड ने अनुदान और ऋण स्वरूप अब तक 14,278 उत्पादकों को वित्तीय राहत प्रदान की थी। 10,347 लाभार्थियों को 36.24 करोड़ रुपये की राशि का अनुदान दिया गया और 3,881 उत्पादकों को 8.54 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण मंजूर किया गया।

वर्ष 2018-19 के दौरान, अनुदान के रूप में 6.29 करोड़ रुपये और ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 2.16 करोड़ रुपये, कुल 8.45 करोड़ संवितरित किए गए।

नीलामी सेवाएं :

एफसीवी तंबाकू की बिक्री के लिए नीलामी प्रणाली पहली बार वर्ष 1984 में कर्नाटक में शुरू की गयी थी, इसके यह प्रणाली वर्ष 1985 में आंध्र प्रदेश में शुरू की गयी थी।

वर्ष 2018-19 के दौरान प्रगति :

क) वर्ष 2018-19 के दौरान आंध्र प्रदेश में, 129.65 रुपये प्रति किग्रा की औसत दर पर 2017-18 फसल सीजन एफसीवी तंबाकू की कुल 131.41 मिलियन किलोग्राम मात्रा का दिनांक 01.04.2018 से 10.10.2018 के बीच (नीलामी बिक्री दिनांक 08.03.2018 को शुरू हुई और दिनांक 10.10.2018 को संपन्न हुई) विपणन किया गया था और वर्ष 2018-19 फसल मौसम की कुल 0.95 मिलियन किग्रा मात्रा की

एफसीवी तम्बाकू का भी दिनांक 22 मार्च 2019 से दिनांक 31 मार्च 2019 के बीच (नीलामी बिक्री दिनांक 22.03.2019 को शुरू हुई और अभी चल रही है) 160.87 रुपये प्रति किग्रा के औसत मूल्य पर विपणन किया गया था।

ख) कर्नाटक में, वर्ष 2018-19 के दौरान, दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 18.04.2018 के बीच (नीलामी बिक्री दिनांक 08.09.2017 को शुरू हुई और दिनांक 18.04.2018 को संपन्न हुई) 122.46 रुपये प्रति किग्रा के औसत मूल्य पर 2017-18 फसल मौसम की 5.05 मिलियन किग्रा की कुल मात्रा का विपणन किया गया था और 2018-19 फसल मौसम एफसीवी तम्बाकू की 85.08 मिलियन किग्रा की मात्रा का 142.28 रुपये प्रति किग्रा के औसत मूल्य पर दिनांक 19.09.2018 से दिनांक 28.03.2019 के बीच विपणन किया गया (नीलामी बिक्री दिनांक 19.09.2018 को शुरू हुई और दिनांक 28.03.2019 को संपन्न हुई)।

विपणन और निर्यात

वर्ष 2018-19 के दौरान निर्यात प्रदर्शन

वर्ष 2018-19 के दौरान 5955.91 करोड़ रुपये (852.01 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य के 219373 टन तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद का निर्यात किया गया जबकि वर्ष 2017-18 के दौरान 5539.94 करोड़ रुपये (859.45 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य के 212916 टन तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद का निर्यात किया गया था। तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद के निर्यात में वर्ष 2018-19 के दौरान, परिमाण की दृष्टि से 3 प्रतिशत और रुपये मूल्य की दृष्टि से 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि अमेरिकी डॉलर मूल्य की दृष्टि से वर्ष 2017-18 के

दौरान हुए निर्यात की तुलना में वर्ष 2018-19 में 1 प्रतिशत की गिरावट आयी।

निर्यात संवर्धन गतिविधियां :

व्यवसाय करने में आसानी की सरकार की पहल के भाग के रूप में, तम्बाकू बोर्ड फरवरी 2019 से डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित आरसीएमसी को ऑनलाइन जारी कर रहा है और संबंधित डेटा को डीजीएफटी सर्वर पर अपलोड कर रहा है। तम्बाकू बोर्ड यूरोपीय संघ के सदस्य देशों, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड को निर्यात किए गए माल की उत्पत्ति के लिए स्व-प्रमाणन हेतु, जीएसपी प्रणाली के तहत फॉर्म क में बोर्ड द्वारा उत्पत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के स्थान पर, जून 2018 से यूरोपीय संघ के आरईएक्स प्रणाली के तहत निर्यातकों के पंजीकरण की सुविधा प्रदान कर रहा है। तम्बाकू बोर्ड ने 31 मार्च 2019 तक कुल 31 निर्यातकों को पंजीकृत किया है।

चीन को निर्यात के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए, भारत से चीन को तम्बाकू के निर्यात के लिए कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और चीन के पीपुल्स रिपब्लिक (जीएससीसी) के सामान्य प्रशासन सीमा शुल्क के बीच 21 जनवरी 2019 को बीजिंग में फाइटो-सेनेटरी आवश्यकताओं के एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे।

वित्त और लेखा :

क) तम्बाकू निधि लेखा :

अधिनियम, 1975 की धारा 17(1) के अनुसार - तम्बाकू निधि नामक एक निधि बनाई जाएगी और इस निधि में धारा 8 में उल्लिखित उपाय करने में बोर्ड द्वारा प्राप्त कोई धनराशि, संदत्त कोई धनराशि या कोई ऋण या अनुदान या इस अधिनियम के प्रयोजन से केंद्र सरकार द्वारा संस्वीकृत कोई ऋण इस निधि के नामे की जाएगी।

ख) आंतरिक संसाधन

i) **अनुदान सहायता** : तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 16 के अनुसार, केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए उपयुक्त समझे गए अनुदान या ऋणका भुगतान करती है।

ii) **अन्य प्राप्ति** : तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड के प्रमुख आंतरिक संसाधन खरीदारों और उत्पादकों से वसूले जाने वाले सेवा शुल्क हैं, जो नीलामी मंच पर विपणन किए गए तंबाकू मूल्य के 2% की दर पर प्रभारित किए जाते हैं, खलिहान प्रचालक, उत्पादकों, डीलरों,

निर्यातकों, पैकर्स, प्रोसेसर और निर्माताओं से संग्रहित पंजीकरण शुल्क शामिल हैं। उपर्युक्त के अलावा, बोर्ड को केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार पंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त तंबाकू और गैर-पंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित अनधिकृत तंबाकू पर बिक्री आय प्राप्त होता है।

तंबाकू बोर्ड को प्रत्येक वर्ष अपने बजटीय व्यय को पूरा करने के लिए बोर्ड द्वारा आंतरिक संसाधनों से पर्याप्त धनराशि प्राप्त हो जाने के कारण वर्ष 1991-92 से केंद्र सरकार से कोई अनुदान नहीं लिया है।

ग) बजट अनुमान :

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	मद	2017-18		2018-19	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	संशोधित अनुमान	वास्तविक (अंतिम)
1	प्राप्तियां	109.36	144.77	132.97	149.50
2	व्यय	173.90	133.90	199.42	124.57

पता : तंबाकू बोर्ड, जी टी रोड, श्रीनिवास राव थोटा, गुंटुर - 522004, आंध्र प्रदेश

III. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की स्थापना दिसंबर, 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा की गयी। एपीडा, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका नेतृत्व इसके अध्यक्ष करते हैं और यह पिछले 31 वर्षों से कृषि निर्यात समुदाय की सेवा कर रहा है। देश के विभिन्न भागों के निर्यातकों तक पहुँचने के लिए एपीडा ने मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और गुवाहाटी में 5 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

एपीडा को एपीडा अधिनियम की प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध 14 कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद समूहों का निर्यात संवर्धन और विकास की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। एपीडा अधिनियम की दूसरी अनुसूची में चावल को शामिल किया गया है। इसके अलावा, एपीडा को चीनी के आयात की निगरानी की भी जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

एपीडा जैविक निर्यातों के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत प्रमाणन निकायों के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है। निर्यात हेतु तैयार 'जैविक उत्पादों' को तभी प्रमाणित किया जाता है जब उन्हें 'राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी)' दस्तावेज में निर्धारित मानकों के अनुसार

उत्पादित, प्रसंस्कृत और पैक किया जाता है।

एपीडा इसके द्वारा पर्यवेक्षित उत्पादों के लिए नये बाजार खोलने और साथ ही साथ अवसंरचना और गुणवत्ता के उन्नयन के अलावा मौजूदा बाजार में हमारी उपस्थिति बनाए रखने में भी सक्रिय रूप से शामिल है। यह कृषि उत्पादों के संवर्धन करने के अपने प्रयासों में एपीडा 'एपीडा की कृषि निर्यात संवर्धन योजना' नामक अपनी आयोजना स्कीम के अंतर्गत इस योजना के उप घटकों - बाजार विकास, अवसंरचना विकास और गुणवत्ता विकास के अंतर्गत पंजीकृत निर्यातकों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

कृषि निर्यात नीति (एईपी)

वर्ष 2022 तक कृषि निर्यात को दोगुना कर 60 बिलियन अमेरिकी डालर तक करने के उद्देश्य से पहली बार भारत सरकार द्वारा कृषि निर्यात नीति (एईपी) की घोषणा की गयी थी। इस नीति को स्थिर व्यापार नीति के माध्यम से किसानों को निर्यात के अवसरों का लाभ प्रदान करके किसानों की आय दोगुनी करने के दृष्टिकोण से संरक्षित किया गया है। इस नीति का उद्देश्य निर्यात उन्मुख उत्पादन के लिए संभावित समूहों के विकास पर ध्यान केंद्रित करके और कृषि निर्यात में राज्य सरकारों की अधिक भागीदारी से इस लक्ष्य को प्राप्त करना है।

एईपी के क्रियान्वयन के लिए एपीडा ने निम्नलिखित गतिविधियां निष्पादित की हैं :

- एपीडाने किसानों, निर्यातकों और अन्य हितधारकों के संवेदीकरण के लिए दिनांक 8.1.2019 कोदिल्ली में, दिनांक 04.02.2019 पुणे में और दिनांक 13.02.2019 को गुवाहाटी में कार्यशालाओं का आयोजन किया।

- एईपी पर एक पुस्तिका तैयार की गई थी और इसे कार्यशालाओं के दौरान वितरित किया गया था।
- राज्य विशिष्ट कार्य योजना के विकास और इसके कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य के लिए नोडल अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इन अधिकारियों ने संबंधित राज्य सरकारों के साथ बैठकें कीं और राज्य सरकारों द्वारा पुनरीक्षण किए जाने के लिए राज्य विशिष्ट कार्य योजना का मसौदा तैयार किया।
- संबंधित मंत्रालयों और संगठनों और कृषि निर्यात में शामिल व्यापार संघों के साथ दिनांक 22.01.2019 और दिनांक 19.03.2019 को एक हितधारक बैठक आयोजित की गई थी।
- एपीडा ने नीति के कार्यान्वयन में एनसीडीसी और एसएफएसी की भागीदारी के लिए उनके साथ कई बैठकें कीं। इस संबंध में एपीडा और एनसीडीसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एसएफएसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हेतु अग्रिम चरण में है।
- इस नीति से संबंधित समाचारों / गतिविधियों के व्यापक प्रचार के लिए इन्हें सोशल मीडिया टूल्स के माध्यम से प्रचारित किया गया।
- परियोजना निगरानी इकाई की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।

निर्यात संवर्धन के लिए वर्ष 2018-19 के दौरान की गयी पहलें :

(1) एपीडा अनुसूचित उत्पादों का भारतीय निर्यात इस प्रकार है :

एपीडा अनुसूचित उत्पादों का भारतीय निर्यात							
उत्पाद का नाम	2017-18			2018-19			% संवृद्धि करोड़ रुपये में
	परिमाण मीट्रिक टन में	करोड़ रुपये में	मि. अ. डॉलर	परिमाण मीट्रिक टन में	करोड़ रुपये में	मि. अ. डॉलर	
बासमती चावल	4051896.0	26841.2	4165.0	4415085.0	32805.5	4712.6	22.2
भैंस मांस	1348225.0	25988.5	4029.9	1233378.0	25091.4	3587.2	-3.5
गैर बासमती चावल	8633237.0	22927.1	3558.1	7534205.0	20903.2	2999.5	-8.8
ताजी सब्जियां	2296075.0	4997.5	775.5	2915109.0	5311.7	760.1	6.3
ताजे फल	657175.0	4746.3	736.1	736946.0	5304.1	762.6	11.8
गुवार गम	494126.0	4169.6	646.9	513218.0	4707.1	674.9	12.9
विविध प्रसंस्कृत वस्तुएं	0.0	3701.8	574.2	0.0	4599.5	657.2	24.2
प्रसंस्कृत फल एवं रस	571117.6	4164.8	646.2	590009.7	4476.5	639.0	7.5
अन्न सम्मिश्रण	352478.0	3558.4	552.1	345050.0	3845.7	549.8	8.1
दूध उत्पाद	102312.9	1954.3	303.0	180681.6	3375.6	481.5	72.7
मूंगफली	503155.0	3384.4	524.5	488233.0	3295.5	472.3	-2.6
अन्य अन्न	819750.0	1596.4	247.4	1221285.0	2355.0	338.9	47.5
मादक पेय	241231.5	2107.0	326.9	231509.8	2103.5	300.9	-0.2
प्रसंस्कृत सब्जियां	212175.4	1823.3	282.9	228891.2	2054.9	293.9	12.7
दालें	179113.0	1467.5	227.4	285783.0	1795.1	258.5	22.3
कोक उत्पाद	29469.9	1143.4	177.3	28124.9	1350.9	192.7	18.1
मिल उत्पाद	268170.1	874.1	135.6	307007.1	1058.7	151.3	21.1
भेड़ /बकरा मांस	23576.0	864.0	134.0	21674.0	867.5	124.7	0.4
फल / सब्जी बीज	14415.9	665.3	103.2	15285.0	865.5	124.8	30.1
कुक्कुट उत्पाद	0.0	551.9	85.7	0.0	687.3	98.2	24.5
पुष्प कृषि	20772.5	507.3	78.7	19677.5	571.0	81.7	12.6
पशु आवरण	12424.7	327.4	50.7	14895.4	480.7	68.3	46.8
गेहूँ	229989.0	431.7	66.9	183162.0	369.2	52.4	-14.5
प्रसंस्कृत मांस	269.0	9.9	1.5	405.0	13.9	2.0	40.5
अन्य मांस	1044.0	16.4	2.6	848.0	13.7	2.0	-16.5
कुल		118819.3	18432.2		128302.7	18386.7	

स्रोत : डीजीसीआईएस

(2) कृषि निर्यात संवर्धन योजना :

वर्ष 2018-19 के दौरान, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विभिन्न योजना के तहत एपीडा को 80.00 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। इसमें से, एपीडा ने 79.65 करोड़ रु. अर्थात् एपीडा को आवंटित 99% धनराशि का उपयोग कर लिया था। इसके अलावा, एपीडा ने वाणिज्य विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार टीएस देयता का भुगतान करने के लिए एपीडा आरक्षित निधि में से 50.00 करोड़ रुपये का भी उपयोग किया। वर्ष के दौरान व्यवसाय करने में आसानी के लिए प्रक्रिया सरलीकरण किया गया। इसमें टीएस और अन्य योजना घटकों के लिए समय पर आवेदन प्रस्तुत करना शामिल था।

(3) ई-शासन पहल

एपीडा ने मौजूदा ई - शासनप्रणाली को बढ़ाने और हितधारकों के लाभ के लिए नई ऑनलाइन सुविधाएं शुरू करने के लिए वर्ष के दौरान कई पहलों की हैं। विकास और नई प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु की गई प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं :

- प्रत्यायन नवीकरण सहित जैविक प्रमाणन निकायों के लिए आवेदन दाखिल, प्रसंस्करण और प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विकसित पेपरलेस प्रणाली।
- साइट्स फ्रूट्स और बेटल लीव्स के लिए किसान पंजीकरण मॉड्यूल विकसित किया गया था और हॉर्टिनेट के लिए ट्रेसिबिलिटी प्रणाली में शामिल किया गया।
- एपीडाइट्सके लिए इलेक्ट्रॉनिक वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (ई-एपीएआर) का पेपरलेस ऑनलाइन प्रसंस्करण विकसित और कार्यान्वित किया गया।
- एक डैशबोर्ड विकसित और कार्यान्वित किया गया जो आरसीएमसी, आरसीएसी, मासिक निर्यात रिटर्न, वित्तीय सहायता योजना, ट्रेस नेट, पीनट नेट, हॉर्टि नेट, मीट नेट आदि जैसे ट्रेसिबिलिटी सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन एमआईएसरिपोर्ट प्रदान करता है।

- ट्रेसिबिलिटी पी नट.नेट में प्रसंस्करण इकाई (बैच क्रिएशन मॉड्यूल) को शामिल कर इसका और विस्तार किया गया।

- एपीडा अनुप्रयोगों (मीट.नेट, ट्रेसिनेट, हॉर्टिनेट और पीनट.नेट प्रणाली) की सिक्योरिटी ऑडिट को सर्ट इन एंजलैंड वेंडर द्वारा सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

- एपीडा के एग्री-एक्सचेंज पोर्टल में दूतावासों के उनके संबंधित देशों के व्यापार नेतृत्व को प्रस्तुत करने के लिए दूतावासों के लिए व्यापार लीड मॉड्यूल विकसित और कार्यान्वित किया गया।

- एफएस सॉफ्टवेयर में मध्यम अवधि व्यय फ्रेमवर्क 2017-18 से 2019-20 के लिए नई वित्तीय सहायता योजना दिशानिर्देश क्रियान्वित किए गए।

(4) वर्ष 2018-19 के दौरान निर्यातकों

का पंजीकरण: - एपीडा द्वारा 6,141

पंजीकरण - सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी); 4361091.640 मिलियन मीट्रिक टनबासमती चावल के निर्यात के लिए 30,509 पंजीकरण - सह-आवंटन प्रमाणपत्र (आरसीएसी); 7617.37 मिलियन मीट्रिक टन चीनी के आयात के लिए 161 आरसीएसी और 496783.296 मीट्रिक टन मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के निर्यात के लिए 25,223 प्रमाणपत्र जारी किए गए।

(5) ताजे फल और सब्जियों के निर्यात के लिए की गयीं पहलें

- ❖ ऑस्ट्रेलिया के अंगूर बाजार में पहुंच प्राप्त करने के लिए, अंगूर के बागों का दौरा करने और यूरोपीय संघ के लिए अंगूर के निर्यात प्रमाणीकरण के लिए भारत द्वारा संस्थापित प्रणाली को सत्यापित करने के लिए अप्रैल 2018 के महीने में एक प्रतिनिधिमंडल ने आस्ट्रेलिया का दौरा किया। हाल के संवाद से आस्ट्रेलिया को अंगूर पहुंच शीघ्र ही, आने वाले मौसम में, संस्वीकृत किए जाने की संभावना है।

- ❖ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अंगूर बाजार पहुंच -क्वेरेनटाइन ऑथोरिटी ऑफ आस्ट्रेलिया, कृषि मंत्रालय और आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दूतावास से सक्रिय वार्ता करने पर ऑस्ट्रेलिया के विशेषज्ञों द्वारा कोल्ड ट्रीटमेंट प्रशिक्षण आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया था। फरवरी 2019 में 30 प्रमुख निर्यातकों को पैक हाउस में से एक में प्रदर्शन के साथ यह प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यह उम्मीद की जाती है कि प्रशिक्षण का उपयोग करने वाले निर्यातक द्वारा प्रथम परीक्षण खेप जल्द ही भेज दी जाएगी।
- ❖ 15 और 16 मई 2018 को एपीडा ने मुंबई में भारत से आम और आम उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रिवर्स बायर्स सेलर्स मीट (आरबीएसएम) का आयोजन किया था। कजाकिस्तान को आम के निर्यात के लिए जून 2018 के पहले सप्ताह में अस्ताना और अल्माटी शहर में एपीडा द्वारा आम संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।
- ❖ राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र (एनआरसीबी), त्रिची (तमिलनाडु) द्वारा निंद्रा केला के लिए विकसित समुद्री प्रोटोकॉल के आधार पर दक्षिण भारत से केले काट्रायल शिपमेंट (समुद्री शिपमेंट) इटली भेजा गया था, जहां 80% गुणवत्तायुक्त केले इटली के प्रवेश के बंदरगाह पर अच्छी स्थिति में पहुंच गए थे।
- ❖ अकोट, अकोला जिला से केले के पहले वाणिज्यिक निर्यात कंटेनर का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम। 06 अप्रैल, 2018 अकोला जिला क्लस्टर (विदर्भ क्षेत्र)।
- ❖ केला और अनार नारनला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, अकोट के लिए मेसर्स आईएनआई फार्मस, मुंबई के साथ अकोला में एफपीओ और निर्यातकों के बीच और वेजिटेबल मोरना फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, अकोला के लिए मेसर्स इवा एक्सपोर्ट्स, नागपुर के बीच तीन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।
- ❖ सितंबर 2018 के दौरान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के विशेषज्ञों की एक टीम ने कटे हुए फूलों, अंगूर और अन्य फलों और सब्जियों के बाजार पहुंच पर द्विपक्षीय चर्चा के लिए भारत का दौरा किया, जबकि अंगूर के बाजार पहुंच पर विचार किया गया है। कटे हुए फूलों की बाजार पहुंच ऑस्ट्रेलियाई प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड क्वारेनटाइन प्राधिकरण पंजीकृत पैक घरों और खेतों से कटे हुए फूलों के निर्यात के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए हैं।
- ❖ नवंबर, 2018 के अंतिम सप्ताहमें एपीडा ने अंगूर के निर्यातकों के लिए मुंबई में रिवर्स क्रेता विक्रेता (आरबीएसएम) मीट का आयोजन किया ताकि वे चीन के संभावित बाजार का दोहन कर सकें। आरबीएसएमके परिणामस्वरूप, चीन में अंगूर के लगभग 20-25 संभावित आयातकों ने भारत का दौरा किया और भारतीय निर्यातकों को भी समान रूप से लाभ हुआ।
- ❖ अनार और अनार एरिलका बाजार पहुंच - एपीडा और बीजिंग में भारत के दूतावास ने अनार और अनार एरिल के बाजार पहुंच के लिए जेनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम चाइना (जीएसीसी) के साथ कई बैठकें की थी। चार क्वारेनटाइन अधिकारियों की एक टीम ने दिसंबर 2018 में भारतीय अनार के खेतों और पैक हाउसों का दौरा किया। भारत और चीन के बीच अनार के निर्यात के लिए समझौता जल्द होने की उम्मीद है।
- ❖ कोरिया और जापान में आमों के लिए पूर्व मंजूरी कार्यक्रम - भारत ने आमों के निर्यात के लिए कोरिया और जापान

- के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फाइटो सेनेटरी सर्टिफिकेट जारी करने के लिए, कोरिया और जापान के क्वेरेन्टाइन प्राधिकारियों ने अपने इंस्पेक्टरों को स्थल दौरा के साथ-साथ कोरिया के लिए हॉट वाटर डिप ट्रीटमेंट (एचडब्ल्यूडीटी) और जापान के लिए वैपर हीट ट्रीटमेंट (वीएचटी) की पूर्व मंजूरी हेतु भेजने पर सहमति व्यक्त की है। वर्ष 2019 आम मौसम से इन सुविधाओं से आम का निर्यात बढ़ने की उम्मीद है। वर्तमान वार्ताओं के अनुसार, एपीडा और कृषि मंत्रालय निरीक्षकों को रखने के स्थान पर जापानी अधिकारियों द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा के लिए जाने का प्रयास कर रहा है। वार्ता अग्रिम चरण में है।
- ❖ एपीडा और कृषि मंत्रालय ने अमेरिका को आम के निर्यात के लिए यूएसडीए-एपीएचआईएसके साथ आपसी सहमति पर एक ऑपरेशनल वर्क प्लान (ओडब्ल्यूपी) पर हस्ताक्षर किए हैं। ओडब्ल्यूपीमें मुंबई, नासिक और बंगलुरु में विकिरण चिकित्सा सुविधाओं के लिए क्वेरेन्टाइन निरीक्षकों की तैनाती शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मामले में, एपीडा और कृषि मंत्रालय भी हर आम के मौसम में निरीक्षक की नियुक्ति की उच्च लागत से बचने के लिए इंस्पेक्टर को तैनात करने के बजाय एनपीपीओ इंडिया द्वारा विकिरण चिकित्सा की पूर्व मंजूरी के लिए वार्ता कर रहा है।
 - ❖ अनार एरिल की खेप में कीटों का पता लगाने की घटनाओं पर, अमेरिका ने अक्टूबर 2018 में भारतीय अनार एरिल पर प्रतिबंध लगा दिया है। एपीडा और कृषि मंत्रालय ने भारतीय अनार एरिल पर प्रतिबंध को समाप्त करने लिए एक पारस्परिक रूप से सहमत ओडब्ल्यूपीपर करार करने के लिए वार्ता की है।
 - ❖ पादप संरक्षण और क्वेरेन्टाइन विभाग, कृषि मंत्रालय - अंगूर (अमेरिका) के साथ मिलकर अन्य बाजार पहुंच मुद्दे; चीन के लिए फल और सब्जियां - एपीडा, कृषि मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के साथ-साथ संबंधित दूतावासों ने विभिन्न फलों और सब्जियों की बाजार पहुंच के लिए लगातार वार्ता करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना के साथ काम करना शुरू किया है। उन देशों के साथ, जिनमें मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई देश, अफ्रीका, पूर्वी यूरोप शामिल हैं, जिनके साथ भारतीय बागवानी उत्पादों की संभावनाएं मौजूद हैं, वाणिज्य मंत्रालय और एपीडा द्वारा वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में नियमित वीडियो सम्मेलन आयोजित किया गया है। ताजा बागवानी उत्पादों में हमारे बाजार पहुंच अनुरोधों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के दूतावास के साथ एपीडा ने रूस, ताजिकिस्तान और चीन में संयुक्त व्यापार बैठकों में भी भाग लिया।
 - ❖ वाणिज्य सचिव के नेतृत्व में विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चीन और भारत के बीच कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, चीनी, चावल, तिलहन, डेयरी और ताजे फल और सब्जी के व्यापार पर एक विशेष चर्चा के लिए जीएसीसी अधिकारियों से मुलाकात की। बैठक के दौरान रेपसीड, फार्मास्यूटिकल्स, डेयरी के बाजार पहुंच, चावल और ताजे फल और सब्जियों के निर्यात पर चर्चा की गई। भारत से निर्यात बढ़ाने के लिए बी 2 बी मीटिंग के लिए चावल और चीनी के निर्यात पर सहमति हुई थी। चीनी पक्ष ने अनार उत्पादन क्षेत्रों के लिए एक तकनीकी टीम भेजने के साथ-साथ बाजार की पहुंच पर विचार करने के लिए पैक घर के बुनियादी ढांचे को देखने पर भी सहमति व्यक्त की।

- ❖ चीन को भारतीय थॉमसन सीडलेस और सोनाका और काले अंगूर की किसमों के निर्यात संवर्धन के लिए 27-29 नवंबर, 2018 के बीच मुंबई में एक रिवर्स क्रेता विक्रेता की बैठक का आयोजन किया गया था, जहां चीन के 25 खरीदारों और भारतीय पक्ष के लगभग 100 निर्यातकों ने बी 2 बी मीटिंग्स में भाग लिया था। मौजूदा अंगूर के मौसम में, 6000 मीट्रिक टन से अधिक अंगूर, वर्ष 2017-2018 में किए गए केवल 607 मीट्रिक टन के निर्यात से बहुत ज्यादा का निर्यात किया गया, जो शंघाई और गुआंगज़ौ के उपभोक्ता बाजारों में भारतीय अंगूरों की गुणवत्ता और स्वाद की स्वीकृति का संकेत देता है।
- ❖ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एनईआर उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 5-6 मार्च 2019 के दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह क्रेता विक्रेता बैठक आयोजित की गई। संभावित बाजारों यानी म्यांमार, नेपाल, हांगकांग, इंडोनेशिया मलेशिया, बांग्लादेश, यूएई, लाओस के खरीदार बागवानी, चावल, चाय के आयात के लिए पूर्वोत्तर उद्यमियों, एफपीओ और सीधे बी 2 बी किसानों के साथवार्ता करने हेतु मौजूद थे। भारतीय पक्ष से, भागीदारी की तीन श्रेणियां थीं: (क) एफपीओ / एफपीसी निर्यातक (ख) उत्तर पूर्व क्षेत्र से अन्य क्षेत्र के निर्यातक और (ग) सभी निर्यातकों से सभी अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के लिए आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के लिए सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था ताकि उत्पादन की गुणवत्ता की सीधी परख की जा सके।
- ❖ ताजिकिस्तान की ओर से सचिव कृषि और भारत की ओर से श्री बिद्युत बेहारी स्वेन, अपर सचिव, सुश्री मनीषा मीणा, संयुक्त निदेशक, वाणिज्य विभाग और श्री यू के वत्स, महाप्रबंधक, एपीडाके नेतृत्व में अधिकारियों के समूह के बीच आयोजित संयुक्त आयोग की बैठक जेसीएम के दौरान कई विचार-विमर्श किए गए। विभिन्न मंत्रालयों के मुद्दे उठाए गए हैं। एपीडा की ओर से, मांस निर्यात से संबंधित मुद्दे पर भी चर्चा की गई थी।
- ❖ एपीडा ने फलों और सब्जियों के निर्यात में बुनियादी मुद्दों और बाधाओं को समझने के लिए अक्टूबर 2018 और जनवरी 2019 में महाराष्ट्र में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए। इन बैठकों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, बीमा, संभरण, परिवहन, कीट अवशेषों और पूर्व मंजूरी कार्यक्रमों की लागत से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई और उन्हें यथोचित स्तर पर उठाया गया।
- ❖ निर्यात बढ़ाने के लिए और किसानों के लिए लाभप्रद मूल्य प्राप्त करने के लिए एपीडा ने दिसंबर, 2018 के दौरान बांग्लादेश के प्रमुख सुपर स्टोर्स में भारतीय किन्नू के स्टोर संवर्धन में एक खरीदार विक्रेता मीटर सह बी2बी बैठकें आयोजित कीं। डीजीएफटी ने किन्नू के लिए एमईआईएस समर्थन को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया है।
- ❖ मूंगफली निर्यात के लिए आरओ सहित 25233 निर्यात प्रमाण पत्र (सीओई) जारी किए गए हैं।
- ❖ भारत से निर्यात किए गए मूंगफली और मूंगफली उत्पाद खेपों की ट्रेसिबिलिटी बनाए रखने के लिए, एपीडा ने अपने पीनट.नेट प्रणाली में पंजीकृत पीनट यूनिटों की भूमिका को शामिल कर इसे उन्नत किया है। निर्यातक इन यूनिटों से परिमाण स्रोत से खेप बनाने और अफलाटाक्सिन परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं को अग्रेषित करने में सक्षम होंगे।

- ❖ पिछली प्राधिकरण बैठक के पश्चात् प्रसंस्कृत खाद्य प्रभाग द्वारा निष्पादित महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक अहमदाबाद में 23 से 25 जनवरी 2019 के दौरान एफडीए खाद्य सुरक्षा आधुनिकीकरण कार्रवाई (एफएसएमए) - मानव खाद्य के लिए निवारक नियंत्रण (पीसीएचएफ) प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन है। यह प्रशिक्षण एफएसएमए अधिकृत प्रशिक्षक मैसर्स साथगुरू मैनेजमेंट कंसल्टेंट, हैदराबाद द्वारा आयोजित किया गया था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 39 प्रतिभागियों / निर्यातकों ने भाग लिया और इसे निर्यातकों हेतु अमेरिका को निर्यात करने के लिए लाभदायक पाया गया।
- ❖ एपीडा ने कनाडा को निर्यात करने वाले खाद्य उत्पादों प्रतिष्ठानों के ऑन साइट प्रतिष्ठान सत्यापन आयोजित करने और यह देखने के लिए कि निर्यातित उत्पाद किस प्रकार से कनाडा की अपेक्षाओं को पूरा करता है, कैनेडियन फूड इंस्पेक्शन एजेंसी प्रतिनिधि मंडल का 3 और 4 दिसंबर 2019 के दौरान मैसर्स एमटीआर फूड्स बेंगलोर और मैसर्स आर्यन इंटरनेशनल, ग्रेटर नोएडा का दौरा आयोजित किया।
- ❖ अमेरिका की आयात अपेक्षाओं के बारे में अवगत कराने के लिए निर्यातकों को यूएसडीए द्वारा आयोजित वेबिनार में शामिल होने के लिए सूचना प्रदान की गयी।
- ❖ ट्रेसिबिलिटी प्रणाली के विकास के लिए सउदी अरब को प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए ट्रेसिबिलिटी प्रणाली शुरू की गयी।
- ❖ एपीडा ने वर्ष 2018-19 के दौरान कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में किसानों और निर्यातकों को शिक्षित करने के लिए ऐरिया, केवीके और राज्य कृषि विभागों के साथ मिलकर बीईडीएफ के माध्यम से 15 फील्ड कार्यशालाओं का आयोजन किया। भारतीय गैर बासमती चावल को बाजार पहुँच प्रदान करने के उपरांत जीएसीसी, चीन दल ने जुलाई 2018 में 14 इकाइयों का फील्ड दौरा किया और बाद में जुलाई 2018 में 10 चावल प्रतिष्ठानों को अनुमोदन संसूचित किया। अब तक 24 इकाइयों को चीनी प्राधिकरण द्वारा बासमती और गैर बासमती चावल चीन को निर्यात करने के लिए मंजूरी दे दी गयी है।
- ❖ एपीडा ने गैर बासमती चावल के निर्यात के संवर्धन के लिए 29 अक्टूबर 2018 को बीजिंग में और 31 अक्टूबर को शंघाई, चीन में खरीदार विक्रेता सम्मेलन आयोजित किया था।
- ❖ स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा महानिदेशालय, यूरोपियन कमिशन से दो सदस्यीय लेखापरीक्षा दल ने ईयू को निर्यात किए जाने वाले बासमती चावल में कीटनाशक के नियंत्रण के मूल्यांकन के लिए 8 से 18 अक्टूबर 2018 के दौरान भारत का दौरा किया। इस दल का मुख्य उद्देश्य उन मामलों में जिनमें चेतावनी जारी की गयी थी, निर्यातक और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा की गयी सुधारात्मक कार्रवाई का सत्यापन करना था। इस दल ने कीटनाशक अवशेष मुद्दों की देखभाल करने के लिए स्थापित प्रणाली पर संतोष व्यक्त किया। उनके द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों को कारगर निगरानी हेतु क्रियान्वित कर दिया गया है।
- ❖ चावल के आयात के लिए अनुपालन किए जाने वाले कीटनाशक अवशिष्ट मानकों के संबंध में 30 सितंबर 2018 को सउदी अरब में सउदी फूड एंड ड्रग ऑथोरिटी (एसएफडीए) के साथ एक बैठक आयोजित की गयी।
- ❖ अक्टूबर 2001 से विदेश व्यापार विकास विनियम (एफटीडीआर) अधिनियम के अंतर्गत निर्यात के लिए

- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) क्रियान्वित किया जा रहा है। एनपीओपी के उद्देश्यों में जैविक उत्पादों के विकास और प्रमाणन के लिए नीतियां, राष्ट्रीय जैविक उत्पाद मानक, प्रमाणन निकायों का प्रत्यायन और राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जैविक उत्पादों के प्रमाणन निकाय और प्रमाणन का प्रत्यायन और जैविक खेती और प्रसंस्करण के विकास को प्रोत्साहित करना शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2001 में एनपीओपी के क्रियान्वयन के पश्चात् भारत में जैविक खेती सतत् गति से बढ़ी है। आज भारत भारतीय जैविक उत्पादों ने वैश्विक बाजार में अपनी छाप छोड़ी है और नयी ऊँचाई पर पहुँचने के लिए तैयार है।
- ❖ वर्ष 2018-19 के दौरान कृषि निर्यात की कुल मात्रा 614090 मीट्रिक टन थी जिससे 5151 करोड़ रुपये (757 मिलियन अमरीकी डालर) प्राप्त हुए। जिन प्रमुख देशों में जैविक उत्पादों का निर्यात किया गया था, उनमें संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद यूरोपीय संघ और कनाडा थे। जैविक उत्पादों के निर्यात के अन्य गंतव्य स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, मध्य पूर्व के देश और आसियान देश थे।
 - ❖ वर्ष 2018-19 के दौरान, एनपीओपी के तहत एक प्रमाणन निकाय, तेलंगाना राज्य जैविक प्रमाणन प्राधिकरण को मान्यता दी गई है।
 - ❖ एनपीओपी के तहत प्रत्यायन के दायरा का विस्तार किया गया है और इसमें पशुधन और एपिकल्चर के लिए तीन प्रमाणन निकायों, एक्वाकल्चर के लिए दो प्रमाणन निकायों, मशरूम के लिए एक, समुद्री शैवाल, जलीय पौधों और ग्रीन हाउस फसल उत्पादन के लिए के लिए 3 तीन प्रमाणन निकायों को शामिल किया गया है।
 - ❖ एक-दूसरे की जैविक प्रणाली का आकलन करने के लिए निम्नलिखित देशों के साथ परस्पर मान्यताएँ आयोजित की गईं: ताइवान (25 सितंबर से 1 अक्टूबर, 2018), दक्षिण कोरिया (4-8 मार्च 2019) और कनाडा (10-14 दिसंबर 2018)।
 - ❖ एपीडा के आमंत्रण पर, 15 सदस्यीय इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल ने 28 फरवरी से 11 मार्च 2018 तक एपीडा पंजीकृत एकीकृत बूचड़खाना सह मांस प्रसंस्करण संयंत्र की संपरीक्षा एवं समीक्षा हेतु भारत का दौरा किया और 19 बूचड़खाना सह मांस प्रसंस्करण संयंत्रों और 3 दुग्ध इकाइयों को इंडोनेशिया सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। इस प्रतिनिधिमंडल में पशुधन सेवा और पशु स्वास्थ्य महानिदेशालय (डीजीएलएचएस) के सदस्य शामिल थे।
 - ❖ अध्यक्ष, एपीडा ने 20-25 मई 2018 के दौरान पेरिस में आयोजित वर्ल्ड एसेंबली ऑफ नेशनल डेलिगेट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ (ओआईई) बैठक के 86 वें सत्र में भाग लिया।
 - ❖ ओआईई ने भारत फूट एंड माउथ रोग (एफएमडी) नियंत्रण कार्यक्रम का समर्थन किया है और भारत के आमंत्रण पर ओआईई विशेषज्ञ मिशन ने मूल्यांकन करने के लिए दिनांक 18.06.2018 से दिनांक 29.06.2018 तक भारत का दौरा किया और एपीडा द्वारा मान्यता प्राप्त एकीकृत बूचड़खानों और मांस प्रसंस्करण संयंत्रों, पशु बाजारों, पशु चलन नियंत्रण जाँच पोस्ट और राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन प्रयोगशालाओं का पिछले समर्थन के पश्चात् की गयी प्रगति का जायजा लेने के लिए दौरा किया। यह दौरा एपीडा के सौजन्य से संपन्न हुआ।

- ❖ पशुचिकित्सा विज्ञान विभाग (डीवीएस) के चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत से बोनलेस भैंस के मांस के आयात के लिए 29 सितंबर से 9 अक्टूबर 2018 तक पंजाब, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एपीडापंजीकृत/एकीकृत बूचड़खाने सह मांस प्रसंस्करण संयंत्रों की संपरीक्षा और समीक्षा के लिए भारत का दौरा किया। मांस के निर्यात के लिए अल्जीरिया द्वारा अनुमोदित सभी संयंत्रों अर्थात् 16 सदस्यों का दौरा किया गया था।
- ❖ 28 नवंबर 2018 को भारत और चीन के बीच एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई थी। भारत ने चीन से अनुच्छेद 8.8.22 के अनुसार, जिसमें ओआईईएक आधिकारिक एफएमडी कार्यक्रम वाले एफएमडी ग्रसित क्षेत्रों / संभागों से बोनलेस भैंस मांस के आयात को प्रोत्साहित करता है, भारत से भैंस के मांस के आयात की अनुमति देने के लिए दबाव डाला है।
- ❖ सऊदी अरब ने भारत में अनुमोदित कंपनियों से जीवित पक्षियों, हैचिंग एग्स और चूजों के आयात पर से प्रतिबंध हटा दिया है।
- ❖ कुवैत ने कुवैत में 4 नवंबर 2018 को आयोजित खाद्य सुरक्षा पर अपनी 13 वीं उच्च स्तरीय समिति की बैठक की सिफारिशों के आधार पर भारत से सभी प्रकार के पोल्ट्री मांस (ताजा, जमे हुए और संसाधित) के आयात पर प्रतिबंध हटा दिया है क्योंकि भारत बर्ड फ्लू से मुक्त है।
- ❖ फिलीपींस के प्रतिनिधिमंडल ने भारत से बोनलेस भैंस के मांस के आयात के लिए 2-10 दिसंबर 2018 को भारत का दौरा किया और भारत में एपीडा द्वारा मान्यता प्राप्त बूचड़खाने सह मांस प्रसंस्करण संयंत्रों की संपरीक्षा की।
- ❖ सऊदी खाद्य और औषध प्राधिकरण (एसएफडीए), सऊदी अरब ने भारत से चावल, प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों, मसालों, बोनलेस भैंस के मांस और भेड़ / बकरी के मांस के निर्यात के आधिकारिक नियंत्रण का मूल्यांकन करने के लिए 9 से 20 दिसंबर 2018 तक भारत का दौरा किया। एपीडा ने चावल, भैंस, भेड़ और बकरी के मांस, प्रसंस्कृत फल और सब्जियों के निर्यात के लिए इस यात्रा को सुकर किया। निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) और मसाला बोर्ड ने ईआईसी / मसाला बोर्ड प्रयोगशालाओं और निर्यातकों के यहाँ दौरों का समन्वय किया।
- ❖ 49 प्रयोगशालाओं को निर्यात के लिए एपीडा के अनुसूचित उत्पादों के नमूनाकरण और विश्लेषण के लिए मान्यता दी गई थी। एनआरसी ग्रेप्स, पुणे स्थित राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला को इस अवधि के दौरान उच्च परिशुद्धता विश्लेषण उपकरणों से लैस कर उन्नत किया गया था। 6 प्रमाणन एजेंसियों और 5 कार्यान्वयन एजेंसियों को इस अवधि के दौरान एचएसीसीपी के प्रमाणन और कार्यान्वयन के लिए मान्यता दी गई थी।
- ❖ कृषि रासायनों के अवशेषों के नियंत्रण के माध्यम से ईयू को ताजे टेबल अंगूर के निर्यात की प्रक्रियाविधियों, कृषि रासायनों के अवशेषों के नियंत्रण के माध्यम से ईयू को अनार के निर्यात की प्रक्रियाविधियों, खाद्य सुरक्षा अनुपालना सुनिश्चित कर ईयू को मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के निर्यात के लिए, ईयू को ओकरा के निर्यात के लिए, भारत से सब्जियों के निर्यात और ईयू को पान के पत्तों के निर्यात के लिए निर्यात मौसम 2018-19 के दौरान संशोधन किए गए।
- ❖ मानकीकरण और सामंजस्य के लिए, एपीडा ने भारत के हितों की रक्षा करने वाले ईरान के नेतृत्व वाले इलेक्ट्रॉनिक वर्किंग ग्रुप फॉर डेवलपमेंट

ऑफ कोडेक्स स्टैंडर्ड्स फॉर ओनियन में भाग लिया, 10 से 14 दिसंबर 2018 के दौरान बुसान, कोरिया गणराज्य में आयोजित तदर्थ इंटर गोवर्नमेंटल टास्क फोर्स सेशन ऑन एंटीमाइक्रोब्रियल रेजिस्टेंस (टीएफएएमआर) में प्रतिभागिता की।

- ❖ एपीडा ने भारत से उद्यान कृषि उत्पादों का निर्यात सुकर करने के लिए विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में सामान अवसंरचना सृजित करने की पहल की है। वर्ष 2018-19 के दौरान एपीडा द्वारा निधिबद्ध अवसंरचना परियोजनाएं इस प्रकार हैं : एपीडा ने सेबों के लिए एकीकृत पैक हाउस की स्थापना करने के लिए हिमाचल प्रदेश उद्यान कृषि उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड को 129.70 लाख रुपये की राशि की सहायता की; एपीडा ने सेब रस सांद्र इकाई की स्थापना करने के लिए हिमाचल प्रदेश उद्यान कृषि उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड को 800.00 लाख रुपये की राशि की सहायता की; एपीडा ने कॉमन पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटिज स्थापित करने के लिए रायबाग तालुका ग्रेप ग्राउंड्स प्रोसेसर एंड एक्सपोर्टर कॉर्पोरेटिव सोसायटी - दक्षिणी क्षेत्र के माध्यम से उद्यान विभाग, कर्नाटक सरकार को 774.00 लाख रुपये की राशि की सहायता प्रदान की है, एपीडा ने मुम्बई कृषि उपज मंडी समिति ने पश्चिमी क्षेत्र से ताजे फल और सब्जियों के निर्यात की सुविधा के लिए ताजे फल और सब्जियों के लिए कोल्ड चैन इन्फ्रास्ट्रक्चर के रूप में कॉमन फैसिलिटी स्थापित करने के लिए 800.00 लाख रुपये की सहायता दी है।

- ❖ एपीडा ने आईक्यूएफ सुविधा के साथ फ्रोजन फ्रूट के निर्यात के लिए साझी प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए कृषि उत्पादन मंडी परिषद (केयूएमपी) को 800.00 लाख रुपये की सहायता दी; एपीडा एकीकृत पैक हाउस की स्थापना के लिए वेजिटेबल एंड फ्रूट प्रमोशन काउंसिल केरलम (वीएफपीसीके) को 215.46 लाख रुपये की सहायता दी है, एपीडा ने पैक हाउस के साथ कॉमन कोल्ड चैन इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा की स्थापना के लिए कर्नाटक स्टेट एग्रिकल्चर प्रोड्यूस प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केएपीपीईसी) को 653.00 लाख रुपये की राशि की सहायता की।
- ❖ एपीडा द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहलें की गयीं हैं, जैसे असम से ताजी सब्जियों के निर्यात के लिए, त्रिपुरा से दुबई को अनानास का निर्यात करने के लिए, असम से दुबई के लिए केले के निर्यात के लिए, दुबई को मिश्रित सब्जियों के निर्यात के लिए गुवाहाटी हवाई अड्डे पर कस्टम क्लीयरेंस सुविधा, पूर्वोत्तर क्षेत्र से पोर्क और पोर्क उत्पाद संवर्धन, पूर्वोत्तर क्षेत्र से निर्यात और गुवाहाटी हवाई अड्डे पर कस्टम क्लीयरेंस सुविधा, गुवाहाटी से दुबई तक केले का ट्रायल शिपमेंट, 5 से 6 मार्च, 2019 तक गुवाहाटी में निर्यात संवर्धन सम्मेलन सह अंतर्राष्ट्रीय खरीदार विक्रेता सम्मेलन, जिसमें 10 देशों के बीस अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों ने प्रतिभागिता की, कृषि निर्यात नीति संबंधी जागरूकता कार्यक्रम, आउटरिच सह खरीदार विक्रेता सम्मेलन (बीएसएम), व्यापार मेलों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के उत्पादों का संवर्धन, पूर्वोत्तर क्षेत्र से पोर्क और पोर्क उत्पादों का संवर्धन।

(6) वर्ष 2018-19 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, संवर्धन कार्यक्रमों और घरेलू व्यापार मेलों में एपीडा की प्रतिभागिता इस प्रकार है:

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	दिनांक
1	बिग सेवन एंड सैटेक्स, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका	24 - 26 जून, 2018
2	समर फैसी फूड शो, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका	30 जून - 2 जुलाई, 2018
3	सियाल 2018, पेरिस, फ्रांस	21-25 अक्टूबर, 2018
4	बायोफच, नूर्नबर्ग, जर्मनी	13-16 फरवरी, 2019
5	फ्रूट लॉजिस्टिका, बर्लिन, जर्मनी	6-8 फरवरी, 2019
6	गुलफूद, दुबई, यूएई	17-21 फरवरी, 2019
7	8वां एग्रो बांग्लादेश एक्सपो, ढाका, बांग्लादेश	25 - 27 अक्टूबर, 2018
8	चायना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो (सीआईआईई), शंघाई, चीन	5- 10 नवंबर, 2018
9	मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम, कजाकिस्तान	1-4 जून, 2018
10	बायोफच इंडिया, प्रगति मैदान, नई दिल्ली	25-27 अक्टूबर, 2018
11	आहार 2019, प्रगति मैदान, नई दिल्ली	मार्च, 2019

पता :

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), तीसरी मंजिल, एनसीयूआईबिल्डिंग 3, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, (एशियाड गांव के सामने), नई दिल्ली - 110016, भारत
फ़ोन : 91-11-26513204, 26513219, 26514572 ,
फैक्स : 91-11-26526187

iv. वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस)

वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) भारत के व्यापार आँकड़ों और वाणिज्यिक सूचनाओं के संग्रह, संकलन और प्रसार के लिए भारत सरकार का प्रमुख संगठन है। इस निदेशालयका कार्यालय कोलकाता में अवस्थित है और इसके मुखिया महानिदेशक हैं। इसे नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, आयातकों, निर्यातकों, व्यापारियों के साथ-साथ विदेशी खरीदारों के लिए आवश्यक व्यापार सांख्यिकी और विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक जानकारी एकत्र करने, संकलन और प्रकाशन / प्रसार करने का कार्य सौंपा गया है। यह देश में निर्यात और आयात के आँकड़ों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करने वाली

पहली बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग संगठन है जिसे भारत के विदेशी व्यापार आँकड़ों के संकलन और प्रसार के लिए आईएसओ प्रमाणन प्राप्त है और जिसे वर्ष 2017 में आईएसओ 9001: 2015 में अपग्रेड किया गया है।

डीजीसीआईएंडएस में डेटा प्राप्ति

जब भी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक व्यापार होता है, तब उत्पन्न प्रशासनिक डेटा के एक भाग के रूप में डीजीसीआईएसविभिन्न सीमा शुल्क संरचनाओं और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) से डीटीआर (डेली ट्रेड रिटर्न्स) के रूप में माल के निर्यात और आयात दोनों के बुनियादी डेटा प्राप्त करता है। सीमा शुल्क प्राधिकरण इन डीटीआरको तीन अलग-अलग मोडों, अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज (ईडीआई), गैर-ईडीआई और मैनुअल में प्रसारित करता है। ईडीआई डेटा को भारतीय सीमा शुल्क ईडीआईगेटवे (आईसगेट) के माध्यम से प्रतिदिन ऑन-लाइन प्रसारित किया जाता है। शेष बंदरगाहों से मासिक माल व्यापार डेटा ई-मेल या सीडी के माध्यम से या मैनुअल रूप से टाइप / हाथ से लिखे गए

पेपर शेड्यूल के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। एनएसडीएल के माध्यम से दैनिक आधार पर एसईजेड से डीटीआर प्राप्त किए जा रहे हैं। डीजीसीआईएसअत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्राप्त अपरिष्कृत डेटा को संसाधित और संकलित करता है।

डेटा परिमाण

पिछले कुछ वर्षों में डीजीसीआईएसमें संसाधित किए जा रहे अभिलेखों की संख्या में

लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2000-01 में संसाधित 39.00 लाख अभिलेखों की तुलना में, वर्ष 2018-19 में संसाधित अभिलेखों की संख्या बढ़कर 254.97 लाख हो गई है। पिछले 4 वर्षों के दौरान संसाधित किए गए अभिलेखों की संख्या, लेनदेन के प्रकारों और मूल्यों द्वारा अभिलेख के अलग अलग विवरण को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है:

वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 तक की अवधि के दौरान संसाधित अभिलेखों की संख्या

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल
2015-16	9740368	8015898	17756266
2016-17	10482527	8190493	18673020
2017-18	11288464	9198264	20486728
2018-19 (दिनांक 01.05.19 की स्थिति के अनुसार)	13310081	12187118	25497199

* वर्ष 2018-19 के आंकड़े अंतिम हैं

अभिलेख के प्रकार से संसाधित अभिलेख का प्रतिशत

वर्ष	निर्यात			आयात			संपूर्ण		
	ईडीआई	गैर ईडीआई	मैनुअल	ईडीआई	गैर ईडीआई	मैनुअल	ईडीआई	गैर ईडीआई	मैनुअल
2015-16	89.99	9.12	0.89	94.05	5.85	0.10	91.83	7.64	0.53
2016-17	90.31	9.13	0.56	94.08	5.88	0.04	91.96	7.71	0.33
2017-18	91.85	8.02	0.13	94.62	5.37	0.01	93.09	6.83	0.08
2018-19 * (दिनांक 01.05.19 की स्थिति के अनुसार)	93.65	6.35	0.00	95.23	4.77	0.005	94.41	5.59	0.00

* वर्ष 2018-19 के आंकड़े अंतिम हैं। गैर-ईडीआई में एसईजेड शामिल है।

व्यापार के मूल्य में विभिन्न प्रकार के लेन-देन का प्रतिशत योगदान

वर्ष	निर्यात			आयात			संपूर्ण		
	ईडीआई	गैर ईडीआई	मैनुअल	ईडीआई	गैर ईडीआई	मैनुअल	ईडीआई	गैर ईडीआई	मैनुअल
2015-16	76.74	23.10	0.16	80.85	18.91	0.24	79.17	20.62	0.21
2016-17	79.79	20.10	0.11	80.53	19.30	0.17	80.22	19.64	0.14
2017-18	83.57	16.33	0.10	87.40	12.55	0.05	85.89	14.04	0.07
2018-19*	84.97	15.03	0.003	89.06	10.93	0.01	87.46	12.53	0.01

* वर्ष 2018-19 के आंकड़े अंतिम हैं। गैर-ईडीआई में एसईजेड शामिल है। (दिनांक 01.05.19 की स्थिति के अनुसार)

विदेश व्यापार डेटा जारी करना :

डीजीसीआईएस ने अपनी सभी निर्गमनों (रिलीज़ों) में समय-अंतराल को कम किया है और हितधारकों के सुझावों के आधार पर डेटा प्रसार प्रक्रिया को अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाया है। निदेशालय द्वारा संकलित विदेश व्यापार डेटा अगले महीने के पखवाड़े के भीतर वाणिज्य विभाग द्वारा प्रकट किया गया (i) मासिक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रसारित किया जाता है, (ii) मुख्य वस्तु-वार डेटा अब अगले महीने के 20 वें दिन तक उपलब्ध हो जाता है और (iii) डेढ़ महीने के अंदर 8-अंकीय मद स्तर डेटा। ऑन-लाइन डेटा प्रसार के लिए वेब आधारित मॉड्यूल, अर्थात्, विदेश व्यापार प्रसार पोर्टल (एफडीडीपी) अंतिम और अंतिम रूप से डेटा-सेट दोनों के लिए सीधी पहुंच प्रदान करता रहा है।

नई पहलों के क्षेत्र :

- डीजीसीआईएस ने वाणिज्य मंत्रालय के परामर्श से डीजीसीआईएसमें डेटा एनालिटिक्स प्रकोष्ठ की स्थापना की है। इस संबंध में, डीजीसीआईएस में डेटा वेयरहाउस स्थापित करने के लिए ओरेकल बिजनेस इंटेलिजेंस

(ओबीआई) एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एमओसी की अपेक्षित मंजूरी से खरीदा गया है। डेटा वेयरहाउस में शुरू में अनकॉमटेड में सभी देशों के लिए सभी एकत्रित डेटा उपलब्ध होंगे। भारतीय सांख्यिकी सेवा और भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों वाले डेटा एनालिटिक प्रकोष्ठ ने व्यापार के विभिन्न लक्षणों को मापने के लिए 10 अनुकूलित आर्थिक संकेतक विकसित किए थे। यह अंतिम चरण में है और इसे जल्द ही टिप्पणियों हेतु सलाहकार समिति के समक्ष रखा जाएगा।

- डीजीसीआईएसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टूल्स का उपयोग करके मर्चेडाइज ट्रेड डेटा को दिन-प्रतिदिन मान्य करने की भी योजना बनाई है। यह तकनीक उन व्यापार डेटा को मान्य करने के लिए लागू होती है, जिनमें हर महीने बार-बार प्रकृति के लेन-देन होते हैं, जहां कम मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। जैसा कि डीजीसीआईएसको दिन-प्रतिदिन भारी परिमाण में डेटा

संसाधित करने की आवश्यकता होती है, यह तकनीक व्यापार के परिणामों को प्रकाशित करने के लिए समय कम करने के लिए उपयुक्त पाई जाती है।

- डीजीसीआईएस के लिए ऑनलाइन डेटा प्रसार पोर्टल को निजी पार्टियों और व्यापार महानिदेशालय (डीजीटीआर) के अधिकारियों दोनों के लिए प्रतिपाटन मामलों से संबंधित ऑनलाइन डेटा ट्रांसमिशन को शामिल करने के लिए अद्यतन किया जाता है।
- संस्थागत तंत्र के माध्यम से सेवाओं में व्यापार डेटा के नियमित संग्रह और संकलन के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है।
- वर्तमान में, कुछ क्षेत्रों जैसे आईसीटी-सक्षम सेवा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सेवा के निर्यात पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया जा रहा है।

v. गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम)

सभी केंद्रीय सरकार मंत्रालयों / विभागों द्वारा सामान्य वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए ऑनलाइन मार्केटप्लेस सृजित और संधारित रखने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत सृजित एक विशेष प्रयोजन माध्यम है।

भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 में 8 दिसंबर 2017 की अधिसूचना के तहत निम्नलिखित प्रविष्टि की गयी है :

- “32. राष्ट्रीय सार्वजनिक उपापन पोर्टल - गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस का विकास, प्रचालन और संधारण”
- सरकारी विभागों द्वारा जीईएम के माध्यम से खरीद प्राधिकृत की गयी है और सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 में एक नया नियम जोड़ कर वित्त मंत्रालय द्वारा अनिवार्य बनाया गया है।

जीईएम ने जीएफआर में यथा विहित विभिन्न उपापन विधियों को समर्थ किया है और उपापन करते समय खरीदारों को संसूचित निर्णय करने में सुविधा प्रदान करने हेतु विभिन्न विश्लेषणात्मक साधन उपलब्ध कराया है। इसकी शुरुआत से दो वर्ष से कम समय में जीईएम ने करीब 10.18 लाख उत्पादों और सेवाओं को सूचीबद्ध करते हुए 2.4 लाख से अधिक विक्रेताओं के साथ एक मार्केटप्लेस सृजित किया है। 36,200 से अधिक सरकारी संगठनों ने जीईएम के माध्यम से 25990 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 18.93 लाख से अधिक लेनदेन किए हैं। जीईएम का प्रबंधन सरकारी अधिकारियों और साथ ही बाजार संसाधनों द्वारा किया जाता है।

vi. व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर)

व्यापार उपचार महानिदेशालय (जिसे पहले पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के रूप में जाना जाता था) का पुनर्गठन मई 2018 में भारत में व्यापक और त्वरित व्यापार रक्षा तंत्र प्रदान करने के लिए एक एकीकृत एकल विंडो एजेंसी के रूप में किया गया था। डीजीटीआर, डीजीएडी, डीजीएस और डीजीएफटी के संरक्षण (क्यूआर) प्रकार्य को एक साथ विलय कर एक एकल राष्ट्रीय निकाय बनाता है। इसका लक्ष्य डब्ल्यूटीओ व्यवस्था, सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम और नियम और अन्य प्रासंगिक कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के प्रासंगिक ढांचे के तहत भारत में एक व्यापक, मजबूत, पारदर्शी और तेज व्यापार रक्षा तंत्र प्रदान करना है।

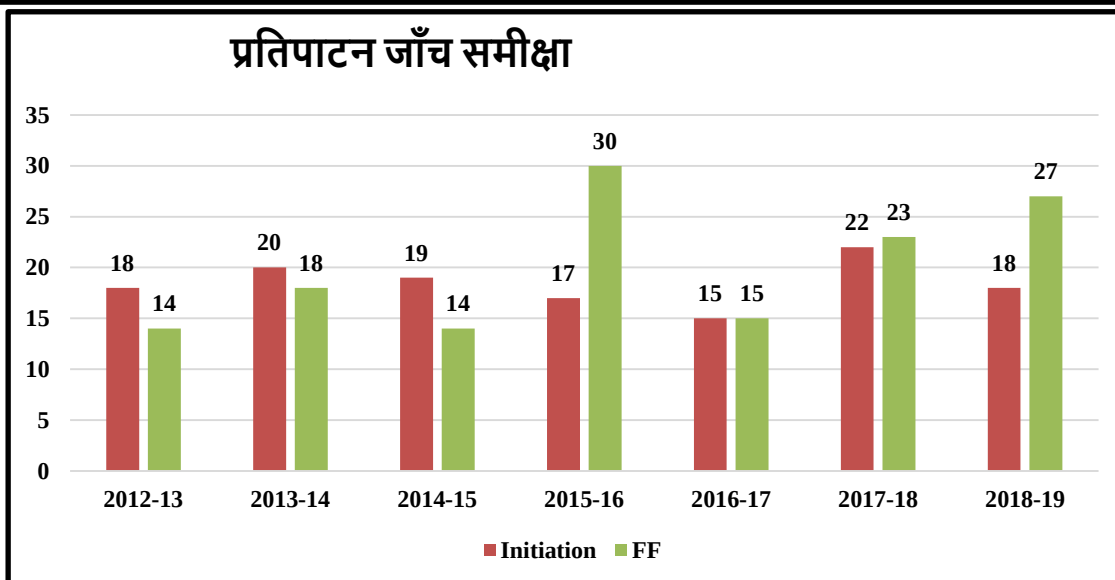
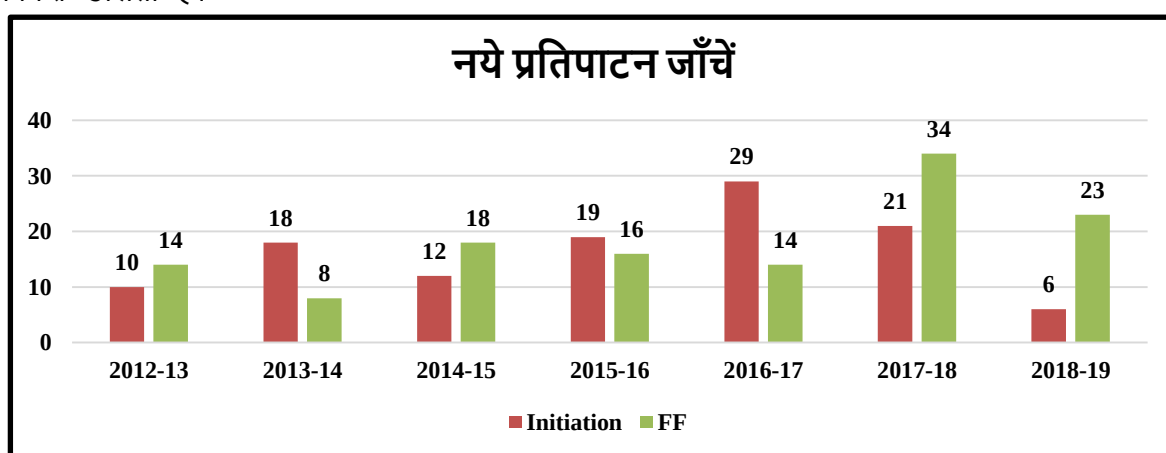
इसके मुखिया भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के स्तर के नामित प्राधिकारी होते हैं, जिन्हें एक प्रधान सलाहकार (लागत) और एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी लागत के मुद्दों पर सलाह देते हैं। इसके अलावा, विभिन्न जांच जैसे प्रतिपाटन, एंटी-सब्सिडी, प्रतिपाटन शुल्क परिवर्तन जांच करने के लिए विविध अनुभव वाले जांच और लागत

अधिकारी हैं। यह निदेशालय जांच करने और जहां आवश्यक हो, निर्धारित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क / परिवचनाशुल्क की वैसी राशि की सिफारिश करनेके लिए जिम्मेदार होता है जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति की भरपाई करने के लिए पर्याप्त हो।

निम्नलिखित डेटा वर्ष 2018-19 में की गयी विभिन्न जाँचों और वर्तमान में चालू जाँचों के संबंध में इस विभाग की कार्रवाई के अनुसार इस विभाग की संक्षिप्त गतिविधियों पर प्रकाश डालता है।

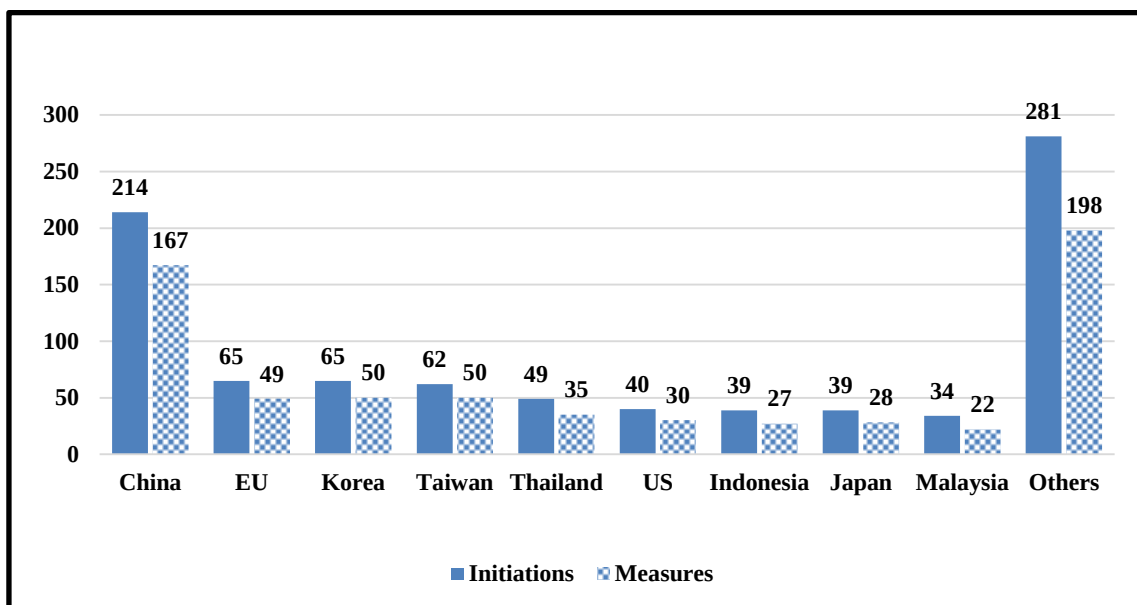
संक्षिप्त पृष्ठभूमि

दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान, डीजीटीआर ने 24 प्रतिपाटन (नये और समीक्षा दोनों) जाँच शुरू किए हैं और 50 प्रतिपाटन जाँचों के अंतिम निर्णय दिया है। वर्ष 2012-13 से वर्ष 2018-19 के प्रतिपाटन जांच के विवरण निम्नलिखित ग्राफ में दिखाया गया है:

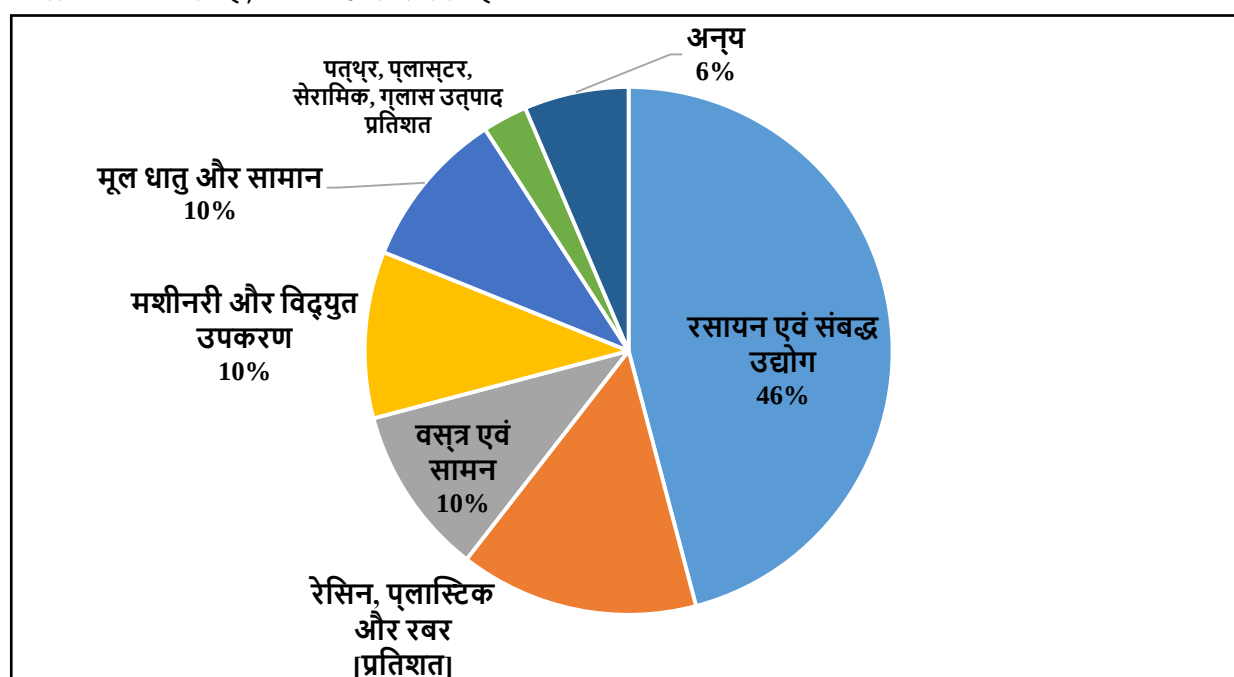


प्रतिपाटन जाँच में प्रमुखता से शामिल देश चीन, यूरोप संघ, ताइवान, कोरिया, जापान, अमेरिका, सिंगापुर, रूस इत्यादि हैं। मुख्य उत्पाद वर्गों जिन पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया गया है, वे हैं रसायन एवं

पेट्रोरसायन, औषध, फाइबर्स / यार्न, स्टील और अन्य धातु और उपभोक्ता सामान। भारत द्वारा शुरू किए प्रतिपाटन जांच का देशवार विवरण इस प्रकार है: -



स्रोत : 2018-19 के आंकड़े अनंतिम हैं। गैर ईडीआई में एसईजेड शामिल हैं भारत द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के ज्यादातर मामले रसायन और संबद्ध उद्योग क्षेत्र में भारत को निर्यात है, जो 46 प्रतिशत है



स्रोत : दिनांक 01.01.1995 से दिनांक 31.12 .2017 तक के डब्ल्यूटीओ आंकड़े

वर्ष 2018-19 के दौरान डीजीटीआर ने 5 प्रतिकारी शुल्क जांचे शुरू की। 2018-19 में 2 प्रतिकारी शुल्क जांचों को अंतिम रूप दिया गया। पदनामित पदाधिकारी द्वारा एक सुरक्षा जांच में अंतिम निष्कर्ष भी दिए गए।

VII. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)

वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नामक सांविधिक निकाय का

उद्देश्य भारत से समुद्री उत्पादों के निर्यात का विकास करना है।

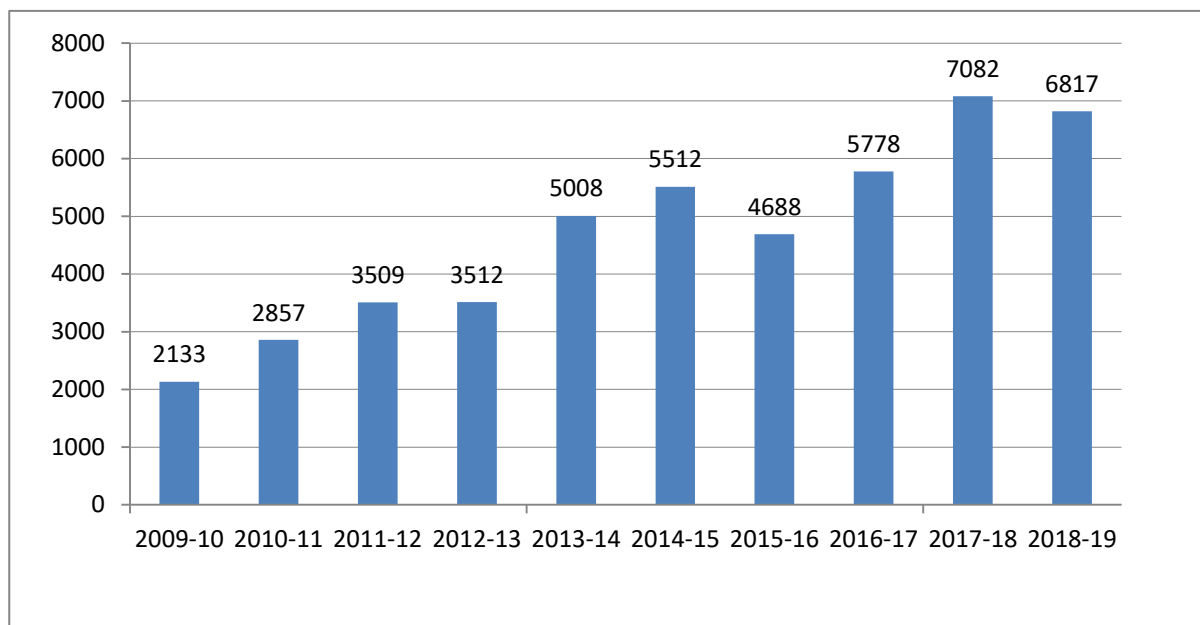
निर्यात निष्पादन:

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान भारत ने 6.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के 14,37,445 मीट्रिक टन समुद्री भोजन का

निर्यात किया है। अमेरिका और दक्षिण-पूर्वी एशिया भारतीय समुद्री भोजन के प्रमुख आयात बाजार बने रहे। प्रमुख निर्यात मदों में फ्रीज़ की हुई मछली के बाद फ्रीज़ किए हुए

झींगे का स्थान रहा। पिछले 10 वर्षों में समुद्री निर्यात निष्पादन आगे आरेख में दर्शाया गया है:-

समुद्री उत्पाद निर्यात निष्पादन (मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)



निर्यात के आँकड़ों के अनुसार, अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 (2018-19) तक की अवधि के दौरान निर्यात की मात्रा में 4.37 प्रतिशत और रुपए में उसके मूल्य में 5.57 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तथापि, अमेरिकी डॉलर में निर्यात से प्राप्त आय में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 3.73 प्रतिशत की कमी आई है।

डॉलर के रूप में आय में इस ऋणात्मक वृद्धि का मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय बाजारों में झींगे की अत्यधिक आपूर्ति की वजह से कम ईकाई मूल्य की प्राप्ति होना है। पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारतीय समुद्री भोजन के निर्यात के अनंतिम आँकड़ों का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष 2018-19 में समुद्री उत्पाद निर्यात निष्पादन

	अप्रैल - मार्च 2018-19 (अनंतिम)	अप्रैल - मार्च 2017-18	वृद्धि (%)
मात्रा (टनों में)	14,37,445	13,77,244	4.37
मूल्य (रुपए करोड़ में)	47,620.59	45,106.89	5.57
अमेरिकी डॉलर (मिलियन)	6,817.54	7081.55	(-) 3.73

प्रमुख क्षेत्र

देश से समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने में सहायता करने के लिए एमपीईडीए जिन प्रमुख क्षेत्रों पर अधिक जोर देता रहा है, उनमें शामिल क्षेत्र इस प्रकार हैं:-

- ऐकाकल्चर उत्पादन और किस्मों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से वाणिज्यिक रूप से



आवश्यक घोषा और फिनफिश के रूप में कल्चर प्रैक्टिसों में विविधता लाना।

- पूरे देश में एंटीबायोटिक अवशेष मुक्त निर्यातों के लिए परिष्कृत अवशेष नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना करके और एन्जाइम से लिंक इम्यूनोसोर्बेन्ट आमापन (ईएलआईएसए) प्रयोगशालाओं को चलाकर गुणवत्तापूर्ण समुद्री भोजन का उत्पादन सुनिश्चित करना। प्री-हार्वेस्ट परीक्षण और एनआरसीपी प्रयोगशाला परीक्षण भी कम्प्यूटरीकृत होते हैं।
- समुद्रतटीय राज्यों में परिष्कृत अवशिष्ट नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना करके गुणवत्तापूर्ण समुद्री भोजन का उत्पादन सुनिश्चित करना।
- फार्मों और हैचरी का नामांकन करके ऐकाकल्चर के नाम-पते की स्थापना करना। झींगा फार्मों और हैचरी के नामांकन की प्रक्रियाएं जारी हैं। मानक निरूपणों संबंधी प्रतिनिधिमंडलों, समितियों में भागीदारी करके, एचएसीसीपी कार्यान्वयन में उद्योग की सहायता करके गुणवत्ता संबंधी मुद्दों का समाधान करना।
- प्रमुख खरीदारों के साथ भारतीय उत्पादों की सह-ब्रांडिंग करके और विदेशों में विभिन्न प्रचार माध्यमों में प्रचार करके प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय समुद्री भोजन की उपस्थिति दर्ज कराना।
- हमारे संसाधन और भारतीय समुद्री भोजन की संभावनाएं दर्शाने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री भोजन प्रदर्शनों में भागीदारी करके नए व्यापारिक संबंध विकसित करना।
- भारत अंतरराष्ट्रीय समुद्री भोजन शो (आईआईएसएस) और ऐका ऐकारिया इंडिया (एएआई) जैसे द्विवार्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- निर्यात के उद्देश्य से मूल्य संवर्धित समुद्री उत्पादों के लिए अत्याधुनिक प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना करने में सहायता करना।
- निर्यात के उद्देश्य से मछलियों और मत्स्य-उत्पादों के समुचित भंडारण/ढुलाई/परिरक्षण के लिए कोल्ड चेन की सहायता योजना चलाना।
- एमपीईडीए के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से पंजीकरण प्रमाणपत्र और आरसीएमसी

प्रमाणपत्र ऑनलाइन जारी किए जाते हैं। वित्तीय लेखांकन, वेतनपत्रक, पेन्शन, कार्मिक, जीपीएफ, स्टोर और इन्वेंटरी परिसंपत्ति इत्यादि का ब्यौरा कम्प्यूटरीकृत है। प्री हार्वेस्ट परीक्षण और एनआरसीपी प्रयोगशाला परीक्षण भी कम्प्यूटरीकृत हैं। ऑनलाइन फीस भुगतान से निर्यातक पंजीकरण का ऑनलाइन ऐप्लीकेशन शुरू किया गया। वित्तीय सहायता आवेदनों का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण और एनईएफटी के माध्यम से भुगतानों का संवितरण जारी रखा गया।

- अपनी तरह के पहले बहुप्रजातीय ऐकाकल्चर कॉम्प्लेक्स को दिसम्बर, 2018 में शुरू किया गया है और इसका



उद्घाटन माननीय सीआईएम ने 08.12.2018 को किया। इस सुविधा में 20 मिलियन विशिष्ट पैथोजेन मुक्त (एसपीएफ) बीजों की वार्षिक क्षमता वाली ब्लैक टाइगर श्रिम्प की हैचरी है। इसमें टाइलापिया, सिल्वर पौम्पेनो, कोबिया, मड कार्ब और सी बास जैसी प्रजातियों की पाँच नर्सरियां भी हैं।

उप योजना	घटक	लाभार्थियों की राशि रूपए लाख में	
		संख्या	में
समुद्री निर्यातकों के लिए प्रौद्योगिकी और अवसंरचना उन्नयन योजना (टीआईयूएसएमपी)	○ मूल्य संवर्धन के लिए अवसंरचनात्मक विकास हेतु सहायता	11	967.72
	○ प्रक्रिया के स्वचालन और पैकेजिंग के लिए सहायता	7	104.90
	○ प्रसंस्करण-पूर्व केंद्र के लिए सहायता	2	13.82
कोल्ड चेन विकास	○ बड़े कोल्ड स्टोरों के लिए सहायता	13	690.63
	○ आइस प्लांटों के लिए सहायता	1	18.41
	○ कन्वेयेन्स के लिए सहायता	6	38.47
	○ इन्सुलेट किए जाने वाले फिश बॉक्सों के लिए सहायता	3	4.32
हैचरी/नए फॉर्म के विकास/पुनरुद्धार/अतिरिक्त अवसंरचना के लिए सब्सिडी		-	31.06
पकड़ी गई मछलियों के बेहतर परिरक्षण के लिए मछुआरों को सहायता	मत्स्यग्रहण जहाज पर फिश होल्ड लगाना	195	171.58
जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) और फिश फाइंडर के लिए सहायता	ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम	04	0.45
	फिश फाइंडर	01	0.16
रेडियो टेलिफोन के लिए सहायता		01	0.075
लघु प्रयोगशाला की स्थापना के लिए सब्सिडी		3	4.45
कुल		247	2052.045

गुणवत्ता आश्वासन

एमपीईडीए ने ओडिशा के भुवनेश्वर में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित की है, जिसका उद्घाटन 19 फरवरी, 2018 को किया गया। इस प्रयोगशाला को निर्यात किए जाने वाले सामान के एंटीबायोटिक अवशिष्टों के संबंध में परीक्षण की समुद्री भोजन निर्यातकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्यात-पूर्व परीक्षण हेतु मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों के परीक्षण के उद्देश्य से आईएसओ 17025:2005 के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षण एवं कैलिब्रेशन मान्यता बोर्ड (एनएबीएल) की मान्यता तथा प्रयोगशाला अनुमोदन योजना (एलएसएस)-2010 के अनुसार आईसीसी अनुमोदन प्राप्त है। यह प्रयोगशाला एचपीएलसी, एलसी-एमएसएमएस, जीसी,

जीसीएमए, आईसीपी-ईईएस/एएस और ईएलआईएसए रीडर इत्यादि की सुविधाओं से संपन्न है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, ईयू निदेश 96/23/ईसी के अधीन आवश्यकतानुसार ऐकाकल्यर उत्पादों के संबंध में राष्ट्रीय अवशिष्ट नियंत्रण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत 5554 नमूनों का विश्लेषण किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक अवशिष्टों की निगरानी (एमपीआरएनएल) के अंतर्गत एमपीईडीए क्यूसी प्रयोगशाला कोची में ऑर्गेनो-क्लोरीन कीटनाशक अवशिष्टों के संबंध में इनलैंड फिश, क्रस्टेशियन और समस्त समुद्रतटीय राज्यों से लाए गए समुद्री क्रस्टेशियन के 709 नमूनों का विश्लेषण किया गया।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बीजों की कुल आपूर्ति

निर्यातमुख एकाकल्चर में विविधता लाने के लिए आरजीसीए द्वारा बीजों की आपूर्ति का ब्यौरा आगे सारणी में दर्शाया गया है;

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बीजों की कुल आपूर्ति			
	प्रजातियां	मात्रा (संख्या)	प्राप्तकर्ता
बीजों की आपूर्ति का ब्यौरा (प्रजाति-वार)	सीबास फ्राई	23.12 लाख	किसान/आरजीसीए/एमपीईडीए (एसएसपी) /सीएमएफआरआई
	क्रैबिन्स्टार	11.2 लाख	किसान/एमएमबीसीएफ और आरजीसीए
	क्रैब्लेट	115087 संख्या	किसान/आरजीसीए/एसएसपी/एफएफडीए
	आर्टीमिया बायोमास	116.6 कि.ग्रा.	एफसीआरआई/किसान/आरजीसीए
	आर्टीमिया सिस्ट	435 टिन	आरजीसीए
	एल. वात्रेमैब्रूडस्टॉक	18440 संख्या	हैचरियां
	टाइलापिया सीड	61.48 लाख	किसान/मत्स्यपालन कॉलेज, रत्नागिरी/एमपीईडीए (एसएसपी) / सीआईएफई, एनएफडीबी, मत्स्यग्रहण निदेशक, डीओएफ, ओडिशा और एमएच
	टाइलापिया ब्रूडस्टॉक	6500 संख्या	मत्स्यग्रहण निदेशक, ओडिशा/डब्ल्यूसी, मुम्बई
	कोबिया सीड	14130 संख्या	किसान, तमिलनाडु सरकार/एसएसपी/आरजीसीए/सीएमएफआरआई/एडीएके
	पोम्पेनो फ्राई	2.09 संख्या	किसान/एडीएके/मत्स्यपालन कॉलेज तूतीकोरिन/एमपीईडीए,
आरजीसीए-एमएसी (वल्लारपदम)	टाइलापिया फ्राई/फिंगरलिंग्स	13.9 लाख	किसान
	सीबास फ्राई/फिंगरलिंग्स	4277 संख्या	किसान
	पोम्पेनो फ्राई/फिंगरलिंग्स	12132 संख्या	किसान/एडीएके
	पी. मोनोडोन पोस्ट लार्वा	4.03 लाख	किसान

5.11.2018 को चीन अंतरराष्ट्रीय आयात ऐक्सपो



VIII. व्यापार सुविधा संस्थान
(एफडीडीआई, आईआईपी, आईडीआई,
आईआईएफटी)

फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान
(एफडीडीआई)

देश में फुटवियर और तत्संबंधी उद्योग के तीव्र विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश में मानव संसाधनों के विकास के लिए फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान (एफडीडीआई) की स्थापना वर्ष 1986 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में की गई। इस संस्थान को एफडीडीआई अधिनियम, 2017 द्वारा 'राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था' का दर्जा दिया गया है।

एफडीडीआई नौएडा, फुर्सतगंज, चैन्नई, कोलकाता, रोहतक, छिंदवाड़ा, गुणा, जोधपुर, अंकलेश्वर, बानूर, पटना और हैदराबाद में स्थित अपने परिसरों के माध्यम से दीर्घकालिक कार्यक्रमों (यूजी और पीजी) तथा अल्पकालिक (प्रमाणपत्र) कार्यक्रमों का संचालन करके कौशल आधारित शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है।

एफडीडीआई फुटवियर, लैडर और तत्संबंधी उद्योग को स्वदेशी और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण प्रणालियों के विकास के लिए परामर्श उपलब्ध कराता है। एफडीडीआई आगे सारणी में दर्शाए गए दीर्घकालिक कार्यक्रमों का संचालन करता है:

क्र.सं.	स्नातक डिग्री कार्यक्रम (अवधि 4 वर्ष)	स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम (एम. डीईएस.) (अवधि 2 वर्ष)
1.	बी. डीईएस. (फुटवियर डिजाइन और उत्पादन)	एम. डीईएस. (फुटवियर डिजाइन और उत्पादन)
2.	बी. डीईएस. (लैडर वस्तुएं और ऐक्सेसरी डिजाइन)	एमबीए (रीटेल और फैशन मर्चेडाइजी)
3.	रीटेल और फैशन मर्चेडाइजी में स्नातक	एम. डीईएस. (सीएडी)
4.	बी. डीईएस. (फैशन डिजाइन)	

इस क्षेत्र के प्रौद्योगिकीय उन्नयन और क्षमता विकास के लिए दीर्घकालिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त, यह संस्थान अल्पकालिक उद्योग विशिष्ट प्रमाणपत्र कार्यक्रम भी चलाता है। एफडीडीआई में शिक्षा के अंतरराष्ट्रीय मानक सुनिश्चित करने के लिए, इस संस्थान ने नॉर्थम्पटन विश्वविद्यालय, यूके. एआर स्यूटोरिया-इटली जैसी अंतरराष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त संस्थाओं के साथ शैक्षणिक गठबंधन किए हैं। इस संस्थान को आईएसओ 17025, डीएकेकेएस-जर्मनी, एसएटीआरए टेक्नोलॉजी सेन्टर-यूके, आईएसओ 9001 और आईएसओ 14000 प्रमाणन एवं भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाणन जैसे प्रतिष्ठित प्रमाणपत्र एवं मान्यताएं प्राप्त हुए हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एफडीडीआई के प्रमुख कार्यकलाप/आयोजन:

छात्रों के लिए नियोजन:

2017-18 के नियोजन में अनेक कंपनियों ने एफडीडीआई के प्रतिभाशाली छात्रों को रोजगार दिया। केंद्रीकृत नियोजन अभियान मार्च, 2018 से नौएडा परिसर में आयोजित किया गया। पहली बार यूनिक्लो (जापान), विक्टोरिनोक्स (जर्मनी), पीयूसीए शूज़ (दुबई), ऐपरेल ग्रुप (कुवैत), जोमैटो, डी लॉर्ड्स, ब्लैकबेरी, डिक्सी टैक्स्टाइल्स और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा ब्रांड एच एंड एम जैसी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां परिसर से भर्तियों के लिए एफडीडीआई में आईं। सुपरहाउस, वर्सेटाइल एन्टरप्राइजेज़, कैम्पस शूज़, अर्विंद

फुटवियर, इंडो-यूरो फुटवियर, कॉस्मीक ग्रुप, हाउस ऑफ रायसन्स, टैक एक्जिम, शांतनु एंड निखिल, हरप्रीत नरूला जैसी कंपनियों ने एफडीडीआई के छात्रों का चयन किया है।

एफडीडीआई निरंतर अपने छात्रों को फुटवियर, फैशन, रीटेल, लैडर गुड्स और ऐक्सेसरी क्षेत्र में रोजगार के सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध कराता रहा है। यह संस्थान भारतीय तथा विदेशी नियोक्ताओं के बीच भी अपनी उत्कृष्ट छवि स्थापित करने में सफल रहा है।

प्राथमिक कौशल विकास कार्यक्रम (पीएसडीपी) का कार्यान्वयन :

एफडीडीआई वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के प्राथमिक कौशल विकास कार्यक्रम (पीएसडीपी) की कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी है। एफडीडीआई ने वर्ष 2018-19 के दौरान 25,643 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया है, जिनमें 14224 महिला और 12 किन्नर प्रशिक्षु शामिल हैं।

पंजाब में एफडीडीआई बानूर परिसर की स्थापना:

पंजाब में चंडीगढ़-पटियाला राजमार्ग पर जिला सास नगर (मौहाली) के बानूर में एफडीडीआई के परिसर के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन भारत के माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने 22 फरवरी, 2019 को किया था।



एफडीडीआई बानूर परिसर का दृश्य

आईडीएलएस योजना के ऑनलाइन पोर्टल का विकास और उसकी शुरुआत:

एफडीडीआई और सीएलआरआई 3 वर्षों (2017-2020) की अवधि से क्रमशः टैनरी एवं उत्पाद ईकाइयों के लिए समेकित लैडर क्षेत्र विकास (आईडीएलएस) योजना की परियोजना कार्यान्वयनकर्ता यूनिटों के रूप में कार्यरत हैं। आईडीएलएस योजना के समय पर कार्यान्वयन के लिए इस योजना के ऑनलाइन वेब पोर्टल का अनावरण एफडीडीआई, नौएडा में 28 मार्च, 2018 को किया गया।

ईआईएलएफए योजना का कार्यान्वयन:

एफडीडीआई भारत सरकार की लैडर फुटवियर और एक्सेसरी क्षेत्र (ईआईएलएफए) योजना के लिए अतिरिक्त रोजगार प्रोत्साहन का कार्यान्वयन उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सहयोग से कर रहा है। एफडीडीआई ने आवेदक यूनिटों के आवेदन प्रपत्रों की प्रस्तुति और ईपीएफओ द्वारा सत्यापित एवं अनुशंसित पात्र ईपीएफ अंशदान

के संवितरण के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया है।

कुछ एफडीडीआई परिसरों का उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) के रूप में उन्नयन:

डीपीआईआईटी के भारतीय फुटवियर, लैडर एवं एक्सेसरी विकास कार्यक्रम (आईएफएलएडीपी) की 'संस्थागत सुविधाओं की स्थापना' नामक उप-योजना के अंतर्गत "उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई)" के रूप में एफडीडीआई के कुछ मौजूदा परिसरों का बड़ा अवसंरचनात्मक विकास और क्षमता विकास किया जा रहा है।

श्री सुरेश प्रभु, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, भारत सरकार द्वारा एफडीडीआई, हैदराबाद परिसर का उद्घाटन

एफडीडीआई के हैदराबाद परिसर के इस नव-निर्मित भवन का उद्घाटन भारत सरकार के माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने संसद सदस्य श्री बूरा नरसैया गौड की उपस्थिति में 5 जुलाई, 2018 को किया।



माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु फीता काटकर एफडीडीआई हैदराबाद परिसर का उद्घाटन करते हुए

इस अत्याधुनिक परिसर में 700-750 छात्रों को प्रशिक्षित करने की क्षमता है और यह परिसर फुटवियर एवं लैदर उत्पाद डिजाइन प्रौद्योगिकी, रीटेल प्रबंधन और फैशन मर्चेन्डाइजी के क्षेत्र में उद्योग के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण मानक एवं उच्च स्तरीय सहायता सेवाएं सुनिश्चित करता है।

मेक इन इंडिया (एमआईआई) कार्यक्रम के अंतर्गत मानकों का उन्नयन और विकास:

एफडीडीआई अपने अंतरराष्ट्रीय परीक्षण केंद्र (आईटीसी) के माध्यम से सशस्त्र सेनाओं और अर्ध-सैनिक बलों के लिए फुटवियर एवं ऐक्सेसरी के मानक विकसित करने के प्रयास कर रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो तथा सशस्त्र बलों/अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर एफडीडीआई मानकों के उन्नयन और विकास के लिए कार्यरत है।

अर्ध-सैनिक बलों के लिए पीयू-रबड़ सोल के साथ टैक्टिकल बूट (ऊँचे टखने वाले), अर्ध-सैनिक बलों (आरएफ) के लिए पीयू-रबड़ सोल के साथ एंटी-रॉयट शूज़, राज्य पुलिस विभाग के लिए पीयू-रबड़ सोल के साथ शूज़ डर्बी ब्लैक, अर्ध-सैनिक बलों के लिए फुल रबड़ नी/ऐंकल बूट तथा भारतीय सेनाओं के लिए लाइट वेट, एंटी स्किड, एंटी पेनिट्रेशन कॉम्बैट बूट के लिए मानकों का उन्नयन/विकास भारतीय मानक ब्यूरो की फुटवियर सैक्शनल समिति (सीएचडी-19): पैनल-1 ने किया है। इसके अतिरिक्त, बीआईएस ने एमआईआई के अंतर्गत “पीयू-रबड़ सोल के साथ हाई ऐंकल टैक्टिकल बूट”- का नया मानक (आईएस-17012:2018) सितम्बर, 2018 में प्रकाशित किया है।

कानपुर में परीक्षण प्रयोगशाला की

शुरुआत:

कानपुर/उन्नाव लैदर क्लस्टर विकास कंपनी लिमिटेड (केएलसी), कानपुर को एफडीडीआई ने 1 मई, 2018 से 20 वर्षों की लीज़ पर ले लिया है। इसका प्रयोग कानपुर-उन्नाव लैदर क्लस्टर और नजदीकी सेफ्टी फुटवियर एवं अन्य लैदर उत्पाद उद्योगों हेतु परीक्षण, प्रशिक्षण और अन्य प्रौद्योगिकीय सेवाओं के लिए किया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय परामर्श:

वर्ष 2011-14 के दौरान ट्राइनिंग प्रोग्राम (चरण-1) के सफल समापन के बाद, एफडीडीआई (सीएलआरआई के साथ) ने लैदर इन्डस्ट्री डेवलपमेंट इन्स्टीट्यूट (एलआईडीआई), इथियोपिया के प्रतिनिधित्व में इथियोपिया संघीय जनतांत्रिक गणराज्य के उद्योग मंत्रालय के साथ दो वर्षों के लिए ट्राइनिंग प्रोग्राम (चरण-2) के एक और करार पर मई, 2015 में हस्ताक्षर किए थे। ट्राइनिंग-2 का दूसरा चरण दिसम्बर, 2018 तक के लिए और बढ़ाया गया और ‘नॉन लैदर सैक्टर-सर्वे और कार्य योजना की तैयारी’ से संबंधित अतिरिक्त कार्यकलाप एफडीडीआई को आबंटित किए गए।

भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी)

विहंगावलोकन : भारतीय पैकेजिंग संस्थान पैकेजिंग तकनीक के क्षेत्र में एक स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना प्रमुख पैकेजिंग और संबद्ध उद्योग और वाणिज्य एवं उद्योग

मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में 14 मई 1966 को की गयी थी। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य नवोन्मेषी पैकेज डिजाइन और विकास के माध्यम से निर्यात बाजार को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय स्तर पर पैकेजिंग मानकों का सतरोन्नयन करना है। संस्थान का प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है और इसकी शाखाएँ दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और अहमदाबाद में स्थित हैं। इसके अलावा, काकीनाडा, बैंगलोर और गुवाहाटी में तीन और केंद्रों को चालू किया जा रहा है। विश्व पैकेजिंग संगठन (डब्ल्यूपीओ) और एशियन पैकेजिंग फेडरेशन (एपीएफ) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ इस संस्थान का एक उत्कृष्ट संबंध है। संस्थान पैकेजिंग सामग्री और पैकेजके परीक्षण और प्रमाणन, प्रशिक्षण और शिक्षा, परामर्श सेवाओं और पैकेजिंग से संबंधित अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों जैसी विभिन्न गतिविधियों में शामिल है। इसके अलावा, संस्थान ने एक द्विवार्षिक कार्यक्रम अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय पैकेजिंग प्रदर्शनी अर्थात् इंडियापैक और पैकेजिंग में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा अर्थात् इंडियास्टार का आयोजन किया।

संगठनात्मक संरचना और प्रकार्य: शासी निकाय इस संस्थान का प्रबंधन करता है, जिसमें 47 सदस्य होते हैं अर्थात् पैकेजिंग उद्योगों के विभिन्न समूहों के 21 निर्वाचित सदस्य, विभिन्न सरकारी संगठनों और मंत्रालयों के 14 नामित सदस्य, उद्योग और शिक्षा जगत के 12 सहयोजित सदस्य।

प्रो (डॉ) एन सी साहा, निदेशक और प्रधान कार्यकारी अधिकारी, संस्थान के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा, दो प्रमुख विभाग हैं, अनुसंधान और विकास और प्रशिक्षण और शिक्षा, जिनके मुखिया प्राध्यापक हैं। इसके अलावा, दो और विभाग हैं, विधिक विभाग, जिसके मुखिया

सचिव होते हैं और प्रशासन और लेखा विभाग, जिसके मुखिया उप निदेशक होते हैं। इसके अलावा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और अहमदाबाद में पांच शाखाएँ हैं। कोलकाता और चेन्नई को छोड़कर सभी केंद्रों के मुखिया संयुक्त निदेशक हैं।

अनुसंधान एवं विकास के तहत, संस्थान के तीन उप-विभाग हैं, अर्थात् परामर्श, परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास (बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान)। परामर्शी गतिविधियां मुख्य रूप से उद्योगों की परामर्शी अध्ययन दौरा और साथ ही तत्काल सुझाव और दिशानिर्देश से संबंधित है। इसके अलावा, परामर्श विभाग विभिन्न जिनस उत्पादों के पैकेज डिजाइन और विकास का कार्य करता है। परीक्षण विभाग मुख्य रूप से पैकेजिंग सामग्री और पैकेजों के परीक्षण और गुणवत्ता मूल्यांकन का कार्य करता है। इसके अलावा, खतरनाक वस्तुओं के कैरेज के लिए थोक पैकेजों का परीक्षण और साथ ही, यूएन प्रमाण पत्र परीक्षण विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं।

बुनियादी अनुसंधान एवं विकास विभाग पैकेजिंग सामग्री के जैवनिम्नीकरण अध्ययन, विभिन्न तकनीकों और प्रौद्योगिकियों इत्यादि के द्वारा कार्यात्मक गुणों में वृद्धि में शामिल है। अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास विभाग मुख्य रूप से अलग अलग जिनस वस्तुओं के पैकेजिंग विनिर्देशों के निर्माण का कार्य करता है और साथ ही नश्वर खाद्य उत्पादों की निधानी आयु अध्ययन संचालित करता है।

विधिक विभाग विधि के मामलों, सूचना का अधिकार, शासी निकाय बैठकों के आयोजन, उप-समिति की बैठकों आदि से संबंधित कार्य करता है। प्रशासन और लेखा विभाग के तीन अनुभाग हैं, स्थापना, बजट एवं लेखा और सामान्य प्रशासन।

विजन और मिशन

विजन:

- भारतीय पैकेजिंग संस्थान को हितधारकों की सतत प्रतिबद्धता से एक विश्वस्तरीय उत्कृष्टता केंद्र बनाना।
- विश्व भर के पैकेजिंग बिरादरी के साथ निकट अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित करना।
- भारत को पैकेजिंग के क्षेत्र में कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग में समकालीन विकास के लिए एक केंद्र बिंदु बनाना।

मिशन

- उद्योगों को प्रभावी सेवाएं प्रदान करने के लिए ढांचागत सुविधाओं को अद्यतन करना
- आईआईपी, मुंबई और अन्य केंद्रों में - पैकेजिंग प्रौद्योगिकी और प्रबंधन पर डिग्री कार्यक्रम शुरू करना
- मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय पैकेजिंग केंद्र स्थापित करना
- पैकेजिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के पाठ्यक्रम का पुनर्गठन और इसका समय-समय पर अद्यतन करना
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पैकेजिंग निकायों / संस्थानों / विश्वविद्यालयों के नेटवर्क को मजबूत करना।
- आईआईटी और अन्य राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से अनुसंधान और विकास गतिविधियों का विस्तार करना
- महिला उद्यमियों के लिए पैकेजिंग का एक उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना
- एमएसएमई क्षेत्र के लिए पैकेजिंग पर अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध करना

- "अत्याधुनिक" परीक्षण उपकरणों को शामिल करके प्रयोगशाला सुविधाओं का स्तरोन्नयन करना
- पैकेजिंग उद्योग के लिए उच्च कौशल प्राप्त जनशक्ति प्रदान करना और निर्यात बाजार को बढ़ाने के लिए बैंगलोर, पूर्वोत्तर और अहमदाबाद में संस्थान के नए केंद्र स्थापित करना

निर्यात संवर्धन तंत्र

यह संस्थान नौवहन महानिदेशालय, सड़क परिवहन और पोत परिवहन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशक, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सरकार द्वारा समुद्र द्वारा या वायु मार्ग से निर्यात के लिए खतरनाक वस्तुओं की ढुलाई के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित बल्क पैकेजों का परीक्षण करने के लिए अधिकृत है। संस्थान के पास इंटरनेशनल मेरिटाइम डेंजरस गूड्स कोड (आईएमडीजी) और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (आईसीएओ) तकनीकी निर्देश भाग 1 के अनुसार खतरनाक वस्तुओं की ढुलाई के लिए बल्क पैकेजों का परीक्षण करने के लिए मुंबई स्थित अपने मुख्याय और दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद की शाखाओं में सुसज्जित प्रयोगशालाएं हैं और बल्क पैकेजों निष्पादन से संबंधित इस जाँच रिपोर्ट के आधार पर संस्थान भारत से खतरनाक वस्तुओं के निर्यात के लिए निर्यातकों / पोत कंपनियों को आपूर्ति करने वाले पैकेजिंग सामग्रियों के विनिर्माताओं को यूएन (संयुक्त राष्ट्र) प्रमाण पत्र जारी करता है। वस्तुतः संस्थान भारत से खतरनाक वस्तुओं के निर्यात के संवर्धन के लिए एक सुसाधक के रूप में कार्य करता है।

यह संस्थान विभिन्न प्रकार के निर्यात योग्य वस्तुओं जैसे चायखू कॉफी, मसाले आदि और

साथ ही हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं के लिए भी पैकेजिंग विनिर्देशों के निर्माण में भी शामिल है। इसी तर्ज पर, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित स्थायी सलाहकार समिति (एसएसी) द्वारा संस्थान को निर्यात बाजार के लिए 500 प्रकार के उत्पादों के लिए पैकेजिंग विनिर्देशन तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। संस्थान ने अब तक, एपीडा, चाय बोर्ड, मसाला बोर्ड और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से फलों और सब्जियों, चाय, मसालों, हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों के थोक और उपभोक्ता पैकेज से संबंधित 82 पैकेजिंग विनिर्देश विकसित किए हैं।

पारदर्शिता, सार्वजनिक सुविधा और संबद्ध गतिविधियाँ

संस्थान ने निर्यात के लिए थोक पैकेजों के परीक्षण से संबंधित संपूर्ण गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए और संयुक्त राष्ट्र प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अपने प्रयोगशाला डिवीजन में एक सॉफ्टवेयर क्रियान्वित किया है। इस सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन से परीक्षण के लिए पक्षकारों से अनुरोध की प्राप्ति, परीक्षण विधियों, मसौदा परीक्षण रिपोर्ट तैयार करने, अंतिम परीक्षण रिपोर्ट और संयुक्त राष्ट्र प्रमाणपत्रका सत्यापन करने और साथ ही यूएन प्रमाण पत्र के प्रेषण के लिए भी एक मानक प्रचालन प्रक्रिया का विकास सक्षम हुआ है।

इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र के प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारी भी आईआईपी की वेबसाइट में अपलोड की गई है ताकि बेहतर पारदर्शिता और सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध हो। इसके अलावा, संस्थान अपने प्रमुख कार्यालय और शाखाओं में बल्क पैकेज और संयुक्त राष्ट्र के प्रमाणपत्र के परीक्षण से संबंधित प्रशिक्षण, कार्यशालाएं और सम्मेलन

आयोजित करता है, ताकि खतरनाक वस्तुओं के निर्यात कारोबार से जुड़े हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा की जा सके।

पैकेजिंग विनिर्देशनों के बारे में निर्यातकों के बीच अधिक पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विकसित पैकेजिंग विनिर्देशनों को विभिन्न जिंस बोर्डों की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

भारतीय हीरा संस्थान (आईडीआई)

भारतीय हीरा संस्थान (आईडीआई) की स्थापना वर्ष 1978 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 और साथ ही बॉम्बे लोक न्यास अधिनियम, 1950 के अंतर्गत हीरा, रत्न एवं आभूषण के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए की गयी थी। आईडीआई वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है और यह रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद की एक परियोजना है। आईडीआई हीरा विनिर्माण, हीरा श्रेणीकरण, आभूषण डिजाइन एवं आभूषण विनिर्माण, रत्नशास्त्र के क्षेत्रों में व्यावसायिक शैक्षणिक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करता है और इस प्रकार एक ही छत के नीचे रत्न और आभूषण शिक्षा के संपूर्ण स्पेक्ट्रम को कवर करता है। संस्थान जीजेईपीसी द्वारा शुरू किए गए पुनर्कौशल कार्यक्रमों के लिए ज्ञान प्रदाता के रूप में छोटे / मध्यम हीरा / आभूषण विनिर्माताओं के कौशल को उन्नत करता है / कौशल प्रदान करता है। आईडीआई को उद्योग कमिशनरेट, गुजरात सरकार द्वारा एक एंकर संस्थान – रत्न और आभूषण के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।

संस्थान की रत्नविज्ञान प्रयोगशाला हीरा, रत्न एवं आभूषण के परीक्षण एवं पहचान करने और हीरा श्रेणीकरण, रत्न पहचान एवं आभूषण गुणवत्ता रिपोर्ट जारी करने का कार्य करता है। संस्थान की हीरा श्रेणीकरण प्रयोगशाला 0.10 कैरेट एवं अधिक के हीरा

प्रमाणन / श्रेणीकरण के लिए एफटीपी 2015 - 2020 के अध्याय 4 के अनुसार डीजीएफटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिकृत है। आईडीआई छोटे / मध्यम हीरा विनिर्माता / हीरा व्यापारियों / ज्वेलर्स को वहनीय दरों पर डायमंड स्क्रीनिंग सेवाएं भी प्रदान करता है। आईडीआई हीरा व्यापार में "सिंथेटिक हीरा पहचान" पर जागरूकता बढ़ाने के लिए उक्त विषय पर विभिन्न कार्यशालाएं / सेमिना भी आयोजित करता है।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी)

विहंगावलोकन

- 1) पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेशी व्यापार से संबंधित अनुसंधान और प्रशिक्षण पर केंद्रित एक संस्थान स्थापित करने की दृष्टि को साकार करने के लिए, 2 मई 1963 को भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) की स्थापना की गई थी।
- 2) इसकी सर्वांगीण उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए की, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मई 2002 में संस्थान को "डीम्ड विश्वविद्यालय" का दर्जा दिया गया था, जो इसे डिग्री प्रदान करने और अपने डॉक्टरल कार्यक्रम शुरू करने में सक्षम बनाता है।
- 3) राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) ने आईआईएफटी को वर्ष 2015 में 3.53 के समग्र सीजीपीएस्कोर प्रदान करते हुए उच्चतम ग्रेड 'ए' के साथ मान्यता दी। आईआईएफटी के आईएसईआर को आईएसी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और आईआईएफटी को एएसीएसबी प्रत्यायन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

ख. संगठनात्मक संरचना और कार्य

- 1) प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) संस्थान का प्रमुख कार्यकारी निकाय है। बीओएम में 11 सदस्य होते हैं और इसके मुखिया संस्थान के निदेशक होते हैं। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सचिव, संस्थान के अध्यक्ष होते हैं। संस्थान के

निदेशक संस्थान के प्रधान कार्यकारी होते हैं और संस्थान के मामलों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण करते हैं।

- 2) **आईआईएफटी की संस्थागत संरचना**
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शिक्षा, अनुसंधान और सहयोग को बढ़ावा देने और बढ़ाने के लिए वर्तमान में आईआईएफटी के निम्नलिखित प्रभाग हैं:

क) कार्यकारी प्रबंधन कार्यक्रम प्रभाग (ईएमपीडी)

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मुद्दों और व्यापार नीति पर इसके प्रभावों को व्यापक समझ विकसित करने के लिए सरकारी अधिकारियों, राजनयिकों, उद्यमियों, निर्यातकों, कॉर्पोरेट क्षेत्र और सिविल सोसायटी के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कार्यकारी प्रबंधन परियोजना प्रभाग की परिकल्पना की गई है। ईएमपीडी कई समकालीन व्यापार और आर्थिक मुद्दों, जो विभिन्न देशों विशेष रूप से विकासशील देशों के हित की होती हैं, पर विचार, राय, विश्लेषण जनित करने के लिए डिज़ाइन किए गए कार्यक्रमों की शुरुआत करता है। करीब 15 माह के दौरान आयोजित प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

i. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कार्यकारी स्नातकोत्तर डिप्लोमा (ईपीजीडीआईबी) - ऑन कैपस

ii. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कार्यकारी स्नातकोत्तर डिप्लोमा (ईपीजीडीआईबी) - हाइब्रिड

ख) प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) प्रभाग

संस्थान का प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) प्रभाग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय विपणन, वित्त, निर्यात आयात प्रबंधन, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, रणनीतिक प्रबंधन, मानव संसाधन, आईटी, एसईजेड के लिए क्षमता निर्माण, डेटा एनालिटिक्स, ट्रेड एनालिटिक्स आदि के क्षेत्र में सरकार/पीएसयू कॉर्पोरेट और निजी क्षेत्र के अधिकारियों/कार्यकारियों को नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है। यह प्रभाग भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों सहित भारत सरकार के विभिन्न अधिकारियों के

लिए विभिन्न इन-सर्विस प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

आईआईएफटी भारतीय व्यापार सेवा प्रोबेशनर्स के लिए नौ महीने के आवासीय फाउंडेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के लिए एक नोडल संस्थान है। इसके अलावा, संस्थान भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा आदि के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की पहल के तहत, आईआईएफटी लगातार पूरे देश में फैले रोजगार कार्यालय के अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

ग) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता विकास (आईसीसीडी) प्रभाग

आईआईएफटी का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता विकास (आईसीसीडी) प्रभाग संयुक्त प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों को सक्षम करने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों / संस्थानों के साथ शैक्षणिक संबंध स्थापित कर संस्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छात्र और संकाय विनिमय अकादमिक सहयोग का एक अभिन्न अंग है। प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की सदस्यता प्राप्त करके संस्थान शैक्षणिक सहयोग, छात्र विनिमय, अध्ययन पर्यटन और संकाय विनिमय को मजबूत करता है। प्रभाग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सम्मेलनों में संकाय की भागीदारी की सुविधा भी प्रदान करता है।

घ) प्रबंधन स्नातक अध्ययन (जीएसएम) प्रभाग

संस्थान का प्रबंधन स्नातक अध्ययन (जीएसएम) प्रभाग पूर्णकालिक / लंबी अवधि के कार्यक्रमों के लिए स्नातक अध्ययन नोडल प्रभाग है। यह प्रभाग प्रशासनिक और शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के अलावा, इन सभी कार्यक्रमों में प्रवेश संसाधित करता है। सभी हितधारकों, यथासंकाय, छात्र और अन्य सभी संबंधित, के साथ समन्वय कर कार्यक्रमों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना इस प्रभाग की जिम्मेदारी है।

ड) अर्थशास्त्र प्रभाग

संस्थान को भारत सरकार के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करने का आधा सदी से अधिक का अनुभव है। यह अधिकृत अनुसंधान रिपोर्ट के माध्यम से व्यापार से संबंधित मुद्दों पर सरकार को नियमित रूप से सलाह देता है। ऐसे विमर्शों और प्रबंधन छात्र शिक्षण अनुप्रयुक्त मुद्दों द्वारा विकसित विशेषज्ञता से अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों के समान कार्यक्रमों में अनुपलब्ध पाठ्यक्रम को नया आयाम देने की अपेक्षा है।

च) अनुसंधान प्रभाग

संस्थान की संवृद्धि में अनुसंधान बहुत महत्व रखता है क्योंकि यह ज्ञान सृजन और प्रशिक्षण के बीच एक मजबूत अंतरापृष्ठ प्रदान करता है। इसने अंतर्राष्ट्रीय कारोबार परिदृश्य के विश्लेषण में और उपयुक्त कॉरपोरेट रणनीतियां विकसित करने में काफी महत्वपूर्ण परामर्शी क्षमता विकसित कर ली है। संस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों परियोजनाओं के लिए सफलता पूर्वक बोली लगाता रहा है। अनुसंधान प्रभाग समय समय पर समसामयिक विषयों पर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करता रहता है, जो बहुपार्श्विक निकायों, सरकारी क्षेत्र और प्रतिष्ठित अकादमिक संस्थानों के विख्यात विद्वान व्यक्तियों को साथ लाता है। इस प्रभाग द्वारा प्रस्तावित पीएचडी कार्यक्रम काफी प्रशंसित है।

छ) व्यापार सुविधा और संभरण केंद्र (सीटीएफएल)

आईआईएफटी ने 30 जुलाई 2018 को एलआईएफटी में व्यापार सुविधा और संभरण उत्कृष्टता केंद्र (सीटीएफएल) की स्थापना के लिए वाणिज्य विभाग (संभरण विभाग) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस केंद्र की परिकल्पना भारत के व्यापार और संभरण में विशेषज्ञता के वन स्टॉप सेंटर के रूप में और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा हासिल करने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करने के लिए की गयी है। सीटीएफएल नियमित रूप से संभरण डेटा एकत्र, विश्लेषण और इसकी

निगरानी करेगा और इसके लिए निक्षेपागार का निर्माण करेगा। सीटीएफएल विभिन्न हितधारकों को नीति संबंधी इनपुट भी प्रदान करेगा। सीटीएफएल के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- उद्योग, अकादमिया, सरकारों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठनों को वैश्विक आपूर्ति परिवेश में प्रमुख आपूर्ति श्रृंखला और संभरण, फर्मों द्वारा सामना की जा रही प्रबंधन चुनौतियों पर कार्य करने के प्रयोजन से एक साथ लाना। सभी संभरणसंबंधी डेटा को संभालने और इसके लिए निक्षेपागार बनाए रखना। यह केंद्र डेटा का विश्लेषण करने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करेगा और विभिन्न मंत्रालयों / संघों / हितधारकों को नीति संबंधी इनपुट प्रदान करेगा।
- वाणिज्य विभाग को व्यापार सुविधा और संभरण पर नैदानिक रिपोर्ट और संभरण प्रदर्शन सूचकांक (एलपीआई) सहित विदेश व्यापार में संभरण लागत, दक्षता और भारत के प्रदर्शन में सुधार के विशेष संदर्भ में नीतिगत इनपुट प्रदान करना।
- अनुसंधान, नयी रणनीति विकसित करने पर समर्पित व्यापार सुविधा और संभरण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त केंद्र बनना और व्यापार (निर्यात-आयात (एक्जिम) व्यापार और घरेलू संचालन), संभरण और आपूर्ति श्रृंखला में व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करना और हितधारकों द्वारा सामना की गई समस्याओं का समाधान करना।
- व्यापार सुविधा और संभरण अनुसंधान और संव्यवहारों के क्षेत्रों

IX. सार्वजनिक क्षेत्र निगम (पीईसी, एमएमटीसी, एसटीसीएल, एसटीसी, आईटीपीओ)

में काम करने वाले संस्थानों / संगठनों के साथ रणनीतिक गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना।

ज) पूर्व छात्र मामला प्रभाग

आईआईएफटीके पूर्व छात्र कॉर्पोरेट, सार्वजनिक क्षेत्र, मीडिया, खेल और शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न व्यवसायों में शीर्ष स्थान पर हैं। पूर्व छात्रों ने बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और इकोनॉमिक टाइम्स यंग लीडर्स अवार्ड, आदि जैसे पुरस्कार जीतकर संस्थान को गौरवान्वित करना जारी रखा है।

पूर्व छात्र ग्रीष्मकालीन और अंतिम नियोजन, अतिथि व्याख्यान श्रृंखला, कॉर्पोरेट प्रतियोगिताओं, लाइव प्रोजेक्ट्स, मेंटरशिप और छात्रों के लिए अन्य संस्थान-उद्योग इंटरफ़ेस गतिविधियों के आयोजन के लिए नियमित रूप से काफी मदद, समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

झ) आईआईएफटी की उपलब्धियां

मैदान गढ़ी में नए परिसर के निर्माण की आधारशिला इसी वर्ष फरवरी में रखी गई थी। इसके अलावा, वर्ष 2018 में दोनों परिसरों में एक नया एमए आर्थिक पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। इसके अलावा, यूजीसी ने जून 2018 में आईआईएफटी को श्रेणी-1 डीम्ड विश्वविद्यालय की श्रेणी दी। नियोजन के मोर्चे पर, 2017-19 एमबीए (आईबी बैच), जिसमें 279 छात्र थे, औसत 20.07 लाख रुपये प्रतिवर्ष के पारितोषिक पर 98 कंपनियों में नियोजन प्राप्त हुआ। ग्रीष्मकालीन बैच (2018-20) ने भी औसत 1.48 लाख रुपये प्रतिमाह वृत्तिका हासिल, जो पिछले वर्ष 1.37 लाख रुपये प्रतिमाह थी। संस्थानों और कंपनियों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं और चुनौतियों में आईआईएफटी छात्रों को कई पुरस्कार प्राप्त हुए थे।

द प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीईसी लिमिटेड)

पीईसी लिमिटेड का गठन एसटीसी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप

में 21 अप्रैल, 1971 को किया गया था। 27 मार्च 1991 से पीईसी लिमिटेड वाणिज्य विभाग के अधीन एक स्वतंत्र कंपनी बन गई।

गतिविधियां

- पीईसी मुख्य रूप से परियोजनाओं, इंजीनियरिंग उपकरणों और निर्मित वस्तुओं, रक्षा उपकरणों और स्टोर्स के निर्यात और औद्योगिक कच्चे माल, सर्राफा और कृषि वस्तुओं के आयात का कार्य करता है।
- व्यापार की मौजूदा लाइनों का समेकन और साथ साथ नए उत्पादों और नए बाजारों को विकसित करना।
- गैर-इंजीनियरिंग वस्तुओं जैसे कोयला और कोक, लौह अयस्क, खाद्य तेल, स्टील स्क्रेप, आदि के निर्यात में विविधता।
- आगे के निर्यात के लिए काउंटर ट्रेड / विशेष ट्रेडिंग व्यवस्था।

विजन:

हितधारकों को संधारणीय मूल्य देने वाली एक अग्रणी और विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी बनना।

मिशन:

- सतत लाभ सुनिश्चित करने के लिए ग्राहकों को एकीकृत व्यापार समाधान प्रदान करना।
- इंजीनियरिंग माल और परियोजनाओं में अग्रणी व्यापारी निर्यातक बनने पर ध्यान केंद्रित करना।
- औद्योगिक सहित सभी क्षेत्रों में शीर्ष तीन व्यापारिक कंपनियों में स्थान प्राप्त करना।

- कच्चे माल और जिंस।
- सार्वजनिक नीति के एक प्रभावी और जवाबदेह साधन के रूप में सेवा करना और सामाजिक रूप से जिम्मेदार बने रहना।

उद्देश्य

- एक लाभ उन्मुख अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन बनना।
- हितधारक को बाजार की उम्मीदों के अनुरूप पर्याप्त प्रति आय प्रदान करना।
- वैश्विक और घरेलू बाजार में नए अवसरों की तलाश करना।
- विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों से इंजीनियरिंग परियोजनाओं और उपकरणों के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करना।
- कृषि उत्पादों, औद्योगिक कच्चे माल, रसायनों और सर्राफा जैसे वस्तुओं में व्यापार करना।
- एक विश्वसनीय, दीर्घकालिक और पेशेवर के रूप में सक्षम संगठन की कॉर्पोरेट छवि को निखारने के लिए सतत प्रयास करना।
- उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए सतत प्रयास करना।
- सार्वजनिक नीति और सामाजिक जिम्मेदारी के कारगर साधन के रूप में सेवा देना।

निष्पादन

वर्ष 2016-17 से निगम का समग्र प्रदर्शन नीचे दिया गया है :

करोड़ रुपये

मद	2016-17	2017-18	2018-19 उपलब्धि (अनंतिम / अनंकेक्षित) दिनांक 31.03.2019 तक
प्रचालनों से राजस्व	4271.51	4470.91	617.00
कर पूर्व लाभ	(92.84)	(56.96)	(93.00)
कर उपरांत लाभ	(92.84)	(56.96)	(93.00)
लाभांश और कॉर्पोरेट कर	-	-	-
इक्विटी	60.00	60.00	60.00
आरक्षित निधि	(1,139.97)	(1193.91)	(1286.91)
निवल मूल्य	(1,079.97)	(1133.91)	(1226.91)

बिक्री कारोबार

वर्ष 2016-17 से कंपनी का बिक्री कारोबार नीचे दिया गया है:

करोड़ रुपये

वर्ष	बिक्री कारोबार
2016-17	4254.07
2017-18	4451.92
2018-19 (दिनांक 31.03.2019 तक अनंतिम / अनंकेक्षित)	617.00

निर्यात

वर्ष 2016-17 से निर्यात की मद-वार संरचना नीचे दी गई है:

करोड़ रुपये

मद	2016-17	2017-18	2018-19 उपलब्धि (अनंतिम / अनंकेक्षित) दिनांक 31.03.2019 तक
कुल	63.27	327.61	49

आयात

वर्ष 2014-15 से आयात की मद-वार संरचना नीचे दी गई है :

करोड़ रुपये

मद	2016-17	2017-18	2018-19 उपलब्धि (अनंतिम / अनंकेक्षित) दिनांक 31.03.2019 तक
कुल	3980.11	3849.10	559

घरेलू बिक्री

दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार कुल घरेलू बिक्री 9 करोड़ रुपये रही।

निगमित अभिशासन

पीईसी, पारदर्शिता, विश्वास और सत्यनिष्ठा, प्रदर्शन उन्मुखता, जिम्मेदारी और जवाबदेही, सामाजिक चेतना, नैतिक व्यावसायिक संव्यवहारों के उच्चतम मानकों की अनुपालना और आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों, निदेशकों, कर्मचारियों या आम समुदाय हेतु मूल्य के संधारणीय संवर्धनके लिए स्व-अनुशासन संहिता के रूप में संगठन के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से स्वस्थ निगमित अभिशासन मानदंडों के सिद्धांतों के संवर्धन और सुदृढीकरण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग

पीईसीने आधिकारिक कार्यों में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ईमानदारी पूर्वक अपना प्रयास जारी रखा। कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और बेहतर प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। हिंदी दिवस के अवसर पर दिनांक 05.09.2018 से दिनांक 24.09.2018 तक एक पखवाड़े का कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

मानव संसाधन

कंपनी की प्रमुख ताकत उसकी मानव पूंजी है। हम लगातार स्वस्थ, सक्रिय और प्रगतिशील मानव संसाधन रणनीतियों और

प्रथाओं को लागू करने की दिशा में प्रयास करते हैं ताकि कंपनी के उद्देश्यों और कर्मचारी आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को संरेखित किया जा सके।

दिनांक 31.03.2019 को कंपनी में 80 कर्मचारी हैं जो योग्यता प्राप्त पेशेवर हैं।

कर्मचारियों की क्षमताओं को विकसित करने के लिए, इन-हाउस और संस्थागत दोनों प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं।

निगम समय-समय पर एससी/एसटी/ओबीसी और दिव्यांगजनों की भर्ती के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी नीतियों और दिशानिर्देशों का क्रियान्वयन करता रहा है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कोई भर्ती नहीं की गयी। औद्योगिक संबंध शांतिपूर्ण और सौहार्द्रपूर्ण रहे।

कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और संधारणीयता

इस अधिनियम की धारा 135, जो इस वित्त वर्ष के दौरान प्रवृत्त हुआ, के लागू होने से कंपनी में एक कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति का गठन किया गया है। निदेशक मंडल द्वारा अंगीकृत सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट www.peclimited.com पर उपलब्ध है। वर्ष 2014-15 से पीईसी को हानि हो रही है, इसलिए सीएसआर व्यय की कोई बाध्यता नहीं है।

सिटिजन चार्टर

पीईसी का एक सिटिजन चार्टर है और इसे इसकी वेबसाइट www.peclimited.com पर अपलोड किया गया है।

लोक शिकायत निवारण तंत्र

कंपनी में लोगों से प्राप्त शिकायतों के पंजीकरण और समयबद्ध निपटान के लिए एक उचित तंत्र है। आम लोगों और कर्मचारियों दोनों की शिकायतों के लिए शिकायत अधिकारी नामित किए गए हैं, और उनके विवरण और संपर्क जानकारी पीईसीवेबसाइट पर अपलोड की गई है। स्वागत कक्ष और सतर्कता प्रकोष्ठ में एक शिकायत बॉक्स रखा गया है। इसके अलावा, पीईसीकी वेबसाइट

<http://pgportal.gov.in> के मुख्य पृष्ठ पर "लोक शिकायतों" नाम के शीर्षक के तहत एक लिंक इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों की शिकायतों को दर्ज करने / शिकायतों की निगरानी में मदद के लिए प्रदान किया गया है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास कंपनी के विरुद्ध कोई शिकायत है या वह कोई जानकारी/स्पष्टीकरण आदि मांगना चाहता है, तो वह लोक शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क कर सकता है, जिसका ब्यौरा निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है, नामतः www.peclimited.com।

सूचना का अधिकार

पीईसी पूरी ईमानदारी से सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है। आरटीआई अधिनियम -2005 की धारा 4 (1) (ख) का अनुपालन करते हुए लोगों के सामान्य हित की सभी महत्वपूर्ण सामग्री इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में इसकी वेबसाइट अर्थात् www.peclimited.com पर रखी गयी है। पीईसी के कॉर्पोरेट कार्यालय नई दिल्ली और इसके सभी शाखा कार्यालयों में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) नियुक्त किए गए हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम -2005 के तहत सूचना मांगने के लिए कोई भी व्यक्ति सीपीआईओ / पीआईओ से संपर्क कर सकता है। पीआईओ के नाम और संपर्क ब्यौरा, आरटीआई आवेदन का प्रपत्र, आवश्यक शुल्क की राशि, भुगतान का तरीका पीईसी

की आधिकारिक वेबसाइट www.peclimited.com पर उपलब्ध हैं। एक पारदर्शिता अधिकारी भी नियुक्त किया गया है और उसका ब्यौरा और संपर्क जानकारी वेबसाइट पर लिंक 'सूचना का अधिकार अधिनियम 2005' के तहत अपलोड की गई है।

केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए आरटीआई पोर्टल पर पीईसीनियमित रूप से अपने तिमाही विवरणी दर्ज करता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए कल्याण कार्यक्रम

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजनों के संबंध में सरकारी निर्देशों /अनुदेशों का पीईसी में विधिवत अनुपालन किया जाता है।

पीईसी में, कर्मचारी संवर्ग के लिए एक समयबद्ध पदोन्नति योजना मौजूद है। अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की अहर्क अवधि में कार्यकारी ग्रेड के पहले स्तर तक पदोन्नति के प्रत्येक चरण में एक वर्ष की छूट दी गई है।

महिला कल्याण गतिविधियां

पीईसी एक छोटा संगठन है और दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार इसके कुल कर्मचारियों की संख्या 80 है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 (1) की निबंधनों के अनुपालन में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और निवारण के लिए पीईसी में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है।

वर्ष के दौरान, यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसी)

मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप के देशों के साथ व्यापार करने तथा देश से निर्यात को विकसित करने में निजी व्यापार एवं उद्योग

के प्रयासों को संपूरित करने के लिए 18 मई, 1956 को एसटीसी का गठन किया गया। तब से एसटीसी ने देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने व्यापक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं (जैसे कि गेहूँ, दलहन, चीनी, खाद्य तेल आदि) तथा औद्योगिक कच्चे माल का आयात की व्यवस्था की है और साथ ही भारत से काफी संख्या में वस्तुओं के निर्यात को विकसित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एसटीसी की मूल शक्ति इसकी थोक कृषि वस्तुओं के निर्यात/ आयात को संभालने में निहित है। पिछले वर्षों में एस टी

सी ने स्टील, लौह अयस्क, लाल चंदन के निर्यात और सर्राफा, हाइड्रोकार्बन, खनिज, धातु, उर्वरक, पेट्रोकेमिकल आदि के आयात का कार्य भी आरंभ कर दिया है। एस टी सी आज ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी परिमाण के व्यापार सौदे की योजना बनाने और उसे पूरा करने में सक्षम है।

वर्ष 2016 - 17, 2017 - 18 और अप्रैल से दिसम्बर, 2018 के दौरान एसटीसी का समग्र निष्पादन एवं पिछले वर्ष की समतुल्य अवधि के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

(करोड़ रूपए में)

	अप्रैल से दिसम्बर, 2018			
	2016 - 17	2017 - 18	अनंकेक्षित	
	वास्तविक	वास्तविक	पिछले वर्ष	इस वर्ष
निर्यात	789	266	249	5
आयात	6382	10216	8260	7767
घरेलू	581	343	247	412
कुल टर्नओवर	7752	10825	8756	8184
कर पूर्व लाभ	-148.37	32.25	39.25	-838.34

निष्पादन : 2017-18

कुल टर्न ओवर

वर्ष 2017 - 18 के दौरान, कंपनी का कुल कारोबार वर्ष 2016-17 के 7752 करोड़ रूपए की तुलना में 10825 करोड़ रूपए रहा। टर्न ओवर में बढ़ोत्तरी का प्रमुख कारण सर्राफा की अधिक बिक्री रही।

निर्यात:

वर्ष के दौरान, मुख्यतः ईरान को इस्पात प्लेटों / कुंडलों के निर्यात से संबंधित संविदा का नवीकरण न हो सकने के कारण कंपनी का निर्यात वर्ष 2016-17 के 789 करोड़ रूप से गिरकर 266 करोड़ रुपये रह गया। तथापि, इस वर्ष के दौरान, कंपनी ने ईरानी रेलवे के साथ किए गए करार के अंतर्गत ईरान को 243 करोड़ के मूल्य की स्टील रेल का निर्यात किया।

कंपनी ने डीआरआई द्वारा जब्त किए गए स्टोक में से 15 करोड़ रूप मूल्य के रैंड सैंडर का निर्यात किया। कंपनी ने वर्ष के दौरान ईरान को लगभग 7 करोड़ रूप मूल्य के कृषि कीटनाशकों का निर्यात भी किया।

आयात:

वर्ष 2017-18 के दौरान, कंपनी का आयात टर्न ओवर वर्ष 2016-17 के 6382 करोड़ रूप की तुलना में 10216 करोड़ रूप का रहा। आयात में वृद्धि मुख्य रूप से सर्राफा के अधिक आयात के कारण हुई।

सर्राफा आयात की एकल सबसे बड़ी वस्तु बनी रही, इसका टर्न ओवर पिछले वर्ष के 4272 करोड़ रूप की तुलना में 10194 करोड़ रूप रहा।

यूरिया का आयात वर्ष 2016-17 के 2050 करोड़ रु की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान शून्य रहा क्योंकि एसटीसी को यूरिया के आयात के लिए भारत सरकार से अधिकृत नहीं किया गया।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने सरकारी खाते से 21 करोड़ रु मूल्य की दालों का आयात किया और बेचा और और विभिन्न राज्य सरकारों के विभागों / संस्थाओं को लगभग 2 करोड़ रु मूल्य के उपकरणों / यंत्रों की आपूर्ति की।

घरेलू बिक्री:

कंपनी की घरेलू बिक्री 343 करोड़ रु की रही।

कंपनी ने भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड (बीओआरएल) को आयातित कोयले की आपूर्ति करना जारी रखा और वर्ष 2016-17 के 46 करोड़ रु मूल्य की आपूर्ति की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान 12 करोड़ रु मूल्य के कोयले की आपूर्ति की। वर्ष 2017-18 के दौरान, कंपनी ने पीडीएस के तहत वितरण के लिए तमिलनाडु राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (टीएनएससीएससी) को 1 लीटर पाउच में खाद्य तेलों की आपूर्ति के लिए अनुबंध किया और लगभग 61 करोड़ रु मूल्य की आपूर्ति की। कंपनी ने टीएनएससीएससी को लगभग 14 करोड़ मूल्य की चीनी की भी आपूर्ति की। कंपनी ने पीडीएस के तहत वितरण के लिए तमिलनाडु राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को दालों की आपूर्ति के लिए अनुबंध किया और वर्ष के दौरान लगभग 41 करोड़ रु की आपूर्ति की। लगभग 28 करोड़ रु की दालों को अन्य एजेंसियों को और वर्ष के दौरान लगभग 5 करोड़ रु मूल्य के चावल की आपूर्ति पुडुचेरी को भी की गई।

कंपनी ने कर्नाटक राज्य में तंबाकू उत्पादकों/किसानों को उर्वरकों का वितरण जारी रखा और विभिन्न तंबाकू उत्पादकों/किसानों को 28099 मीट्रिक टन (पिछले वर्ष - 26992 मीट्रिक टन) उर्वरकों की आपूर्ति की। इससे वर्ष के दौरान 73 करोड़ रु (पिछले वर्ष - 75 करोड़ रु) का कारोबार हुआ।

कंपनी ने सीधे ही किसानों से इलायची के संग्रहण कर इलायची नीलामी आयोजित करना और संग्रहित इलायची को बोदिलायाकनुर, तमिलनाडु में ई-नीलामी प्लेटफॉर्म पर व्यापारियों को नीलामी करना जारी रखा। वर्ष के दौरान, कंपनी ने 42 नीलामियों का आयोजन किया और 759 मीट्रिक टन इलायची की बिक्री की, जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष के 120 करोड़ रु के मुकाबले इस वर्ष 74 करोड़ रु का कारोबार हुआ।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी ने घरेलू बाजारों में पीतल स्क्रेप (14 करोड़ रु), मसाले और गुड़ (17 करोड़ रु) और सोने के सिक्के (2 करोड़) भी बेचे।

लाभप्रदता:

कंपनी ने वर्ष 2016-17 के दौरान 166 करोड़ रु की निवल हानि की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान 38 करोड़ रु का निवल लाभ कमाया। यह लाभ मुख्य रूप से (-) 30 करोड़ रु के विनियोजन, बढ़े खाते डालने एवं अन्य व्यय (निवल अपलेखन) के कारण हुआ जो पिछले वर्ष 2016-17 के दौरान 144 करोड़ रु था।

निष्पादन: वर्ष 2018-19 (अप्रैल-दिसम्बर, 2018)

टर्न ओवर

अप्रैल-दिसम्बर, 2018 के दौरान, कंपनी ने पिछले वर्ष की संगत अवधि के दौरान 8756 करोड़ रुपये के टर्न ओवर की तुलना में,

8184 करोड़ रुपये का टर्न ओवर दर्ज किया। यह कमी मुख्यतः सर्राफा के निम्नतर आयात के कारण हुई।

निर्यात:

अप्रैल-दिसंबर 18 के दौरान कंपनी का निर्यात कारोबार 5% कम था, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 249 करोड़ रू का निर्यात हुआ था। यह गिरावट मुख्य रूप से ईरान को स्टील प्लेट/कॉइल के निर्यात के लिए अनुबंध का नवीनीकरण न करने के कारण हुई थी। हालांकि, बकाया मुद्दों को हल करके, आईजीईडीसी, ईरान को स्टील प्लेट/कॉइल के निर्यात के अनुबंध को नवीनीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है।

इसके अलावा, रेल के निर्यात के लिए आरएआई, ईरान के साथ अनुबंध के प्रचालनगत करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

कंपनी ने वाणिज्य विभाग से जी-टू-जी आधार पर श्रीलंका और नेपाल को रासायनिक उर्वरकों के निर्यात के लिए नामित सीपीएसई के रूप में एसटीसी को नामित करने का भी अनुरोध किया है।

आयात:

कंपनी ने अप्रैल - दिसंबर, 18 के दौरान 7767 करोड़ रू का आयात टर्नओवर हासिल किया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 8260 करोड़ रुपये था। आयात टर्नओवर मुख्य रूप से सोने/चांदी के आयात के माध्यम से आया, जिससे पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए 8242 करोड़ रू की आयात की तुलना में 7758 करोड़ रू की बिक्री हुई।

कंपनी ने विभिन्न राज्य सरकारों के विभागों की ओर से 6 करोड़ रू मूल्य के उपकरणों/यंत्रों का आयात किया।

घरेलू बिक्री:

अप्रैल - दिसंबर, 18 के दौरान, कंपनी की घरेलू बिक्री 412 करोड़ रू थी। कंपनी ने किसान समिति (सीओएफ) / तंबाकू बोर्ड के साथ किए गए करार के तहत तंबाकू उत्पादकों को उर्वरकों की आपूर्ति करना जारी रखा और 71 करोड़ रू मूल्य के उर्वरकों की बिक्री की।

अप्रैल - दिसंबर, 18 के दौरान, कंपनी ने पीडीएस के तहत वितरण के लिए तमिलनाडु राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (टीएनएससीएससी) को 134 करोड़ रू मूल्य की दालों और 192 करोड़ रू मूल्य के खाद्य तेलों की आपूर्ति की।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी ने घरेलू बाजारों में स्कूल बैग, पीतल स्कैप, इलायची, मसाले, चांदी के पदक और गुड़ भी बेचे।

एसटीसी द्वारा सामना किए जा रहे वित्तीय संकट के मद्देनजर, कंपनी एसटीसी की निधि / बैंकिंग सीमाओं से जुड़े व्यापार से परहेज करना जारी रख रही है और केंद्र/राज्य सरकार के विभागों और उनकी संस्थाओं के साथ व्यवसाय विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जहां एसटीसी की निधियों की भागीदारी नहीं है।

लाभप्रदता:

अप्रैल - दिसंबर, 2018 के दौरान, कंपनी ने पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 39.47 करोड़ रू के शुद्ध लाभ (कर के बाद) की तुलना में 851.10 करोड़ रू की शुद्ध हानि दर्ज की।

एमएमटीसी लिमिटेड

एमएमटीसी लिमिटेड को वर्ष 1963 में मुख्य रूप से खनिजों और अयस्कों के निर्यात और अलौह धातुओं के आयात का व्यापार करने के लिए एक स्वतंत्र इकाई के रूप में अधिनिगमित किया गया था। इन वर्षों में,

विभिन्न मदों के आयात और निर्यात सहित एमएमटीसी ने राष्ट्रीय आवश्यकताओं और नए व्यापारिक अवसरों को ध्यान में रखते हुए अपने व्यापार पोर्टफोलियो में विविधता लाई। उर्वरक, इस्पात, हीरे, सर्राफा, कृषि आदि जैसी वस्तुओं को कंपनी के पोर्टफोलियो में उत्तरोत्तर जोड़ा गया।

लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क/कंसंट्रेट और यूरिया के आयात के लिए उत्प्रेरक एजेंसी के रूप में कार्य करने के अलावा, एमएमटीसी सोने और चांदी के आयात, संप्रभु भारत के सोने के सिक्कों की बिक्री, दालों के आयात, अन्य वस्तुओं में व्यापार जैसे कृषि उत्पाद, ऊर्वरकों, कोयला, स्टील, अलौह धातुएँ, पिग आयरन आदि और व्यापार से संबंधित जेवी जैसे एनआईएनएल, एमएमटीसी पीएएमपी आदि में निवेशके लिए एक नामांकित एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

इन वर्षों में एमएमटीसी, प्रगति के लिए रणनीतिक विविधीकरण के मंत्र का पालन करते हुए, आधार के विस्तार के लिए अवसरों का उपयोग करते हुए और नए व्यवसाय की संभावनाओं को खोलते हुए भारत में सबसे बड़े व्यापारिक संगठनों में से एक बनकर उभरा है। यह अपने स्वयं की मुख्य दक्षताओं के साथ तालमेल बनाकर और नए अवसरों का पता लगाने के लिए निरंतर प्रयास करता है, जिससे विकास के नए केंद्र बनते हैं और एक व्यापार आयोजक और सूत्रधार के रूप में इसकी भूमिका का विस्तार होता है। कंपनी ने संयुक्त उद्यम और पीपीपीरूट के माध्यम से अपने भावी संपोषणीयता को बढ़ाने के लिए व्यापार से संबंधित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करके विभिन्न मूल्य-गुणक पहलों में भाग लिया है। इसने ओडिशा सरकार के साथ संयुक्त उद्यम में 1.1 मिलियन टन स्टील प्लांट, विश्व स्तरीय सोना/चाँदी रिफाइनरी, कर्नाटक में पवन चक्की परियोजना आदि में निवेश किया है।

सहायक कंपनी

एमएमटीसी ट्रांसनैशनल प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर (एमटीपीएल) एमएमटीसीकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और अक्टूबर 1994 में 1 मिलियन अमरीकी डालर की साझा पूंजी के साथ सिंगापुर के कानूनों के तहत इसे निगमित किया गया था। शुरूआत से ही, कंपनी वस्तु व्यापार में लगी हुई है और उसने खुद को सिंगापुर में एक विश्वसनीय और प्रतिष्ठित व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित किया है।

नई पहलें:

(क) मेक इन इंडिया:

भारत सरकार की पहल मेक इन इंडिया के तर्ज पर, एमएमटीसी द्वारा निम्नलिखित पहल की गई।

- नवंबर, 2015 में भारत के पहले संप्रभु गोल्ड क्वाइन - इंडिया गोल्ड क्वाइन (आईजीसी) का शुभारम्भ। एमएमटीसी ने भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा अनावरणित आईजीसी के विपणन का कार्य शुरू किया है। ये सिक्के भारत सरकार की टकसाल, मुंबई और कोलकाता में 5 ग्राम, 10 ग्राम और 20 ग्राम बार के मूल्यवर्ग में ढाले जाते हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान हासिल की गई आईजीसी बिक्री का कुल कारोबार 24 करोड़ रुपये से अधिक था। एमएमटीसी ने पूरे भारत में सिक्कों की आसान उपलब्धता के लिए बैंकों की 329 शाखाओं के माध्यम से आईजीसी को बेचने के लिए बैंकों के साथ अनुबंध किया है। सोने के भारतीय सिक्के की बिक्री के लिए वितरण नेटवर्क को और विस्तारित करने के प्रयास जारी हैं।
- एमएमटीसी-पीएएमपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम ने पीएएमपी स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर सोने/चांदी की रिफाइनिंग और पदक निर्माण इकाई के लिए

वर्ष 2017-18 के लिए 34,022 करोड़ रुपये का कारोबार और 43.69 करोड़ रुपये का कर पश्चात लाभ अर्जित किया। एमएमटीसी ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए एमएमटीसी-पीएएमपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में अपने निवेश से 30% का अंतरिम लाभांश प्राप्त किया है। एमएमटीसी-पीएएमपी सोना और चाँदी के लिए भारत का पहला एलबीएमए मान्यता प्राप्त रिफाइनर बन गया। वर्ष 2017-18 के दौरान, एमएमटीसी ने घरेलू बाजार में एमपीआईपीएल द्वारा उत्पादित सोने की छड़ बेचकर 481 करोड़ रुपये का टर्नओवर और 170 करोड़ रुपये मूल्य के चाँदी बार की बिक्री की।

- बहुत अनुनय और प्रयासों के बाद, एनआईएनएल स्टील प्लांट (ओडिशा सरकार और एमएमटीसी का संयुक्त उद्यम) ओडिशा राज्य में 92 मिलियन टन के खनन योग्य भंडारों के साथ कैप्टिव आधार पर 874.24 हेक्टेयर के लौह अयस्क खनन पट्टे के लिए ओडिशा सरकार के साथ एक पट्टे पर हस्ताक्षर कर सका। इन खदानों से 30 जून, 2019 तक लौह अयस्क का उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। एनआईएनएल ने कोल तार पिच प्लांट स्थापित करने के लिए नाल्को के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) स्वच्छ भारत

वर्ष 2018-19 के दौरान, एमएमटीसी के निदेशक मंडल ने स्वच्छ भारत अभियान में सहयोग करने के लिए सीएसआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए 10 लाख रुपये आवंटित किए। सीएसआर के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग स्वच्छ गंगा अभियान और स्वच्छ भारत कोष (एसबीके) में योगदान के लिए किया गया था।

(ग) डिजिटल इंडिया:

डिजिटल इंडिया की भारत सरकार की पहल को क्रियान्वित करने के एक भाग के रूप में, मौजूदा ईआरपी मॉड्यूल (जिसे 2002 में क्रियान्वित किया गया था) की खामियों को दूर करने के लिए एक नये संस्करण में एमएमटीसी ईआरपी प्रणाली के उन्नयन / प्रावासन को उन्नत किया गया है। इसके अलावा, एमएमटीसीमें ई-पेमेंट और भीमसहित 100% ई-निविदाकरण का पालन किया जा रहा है।

(घ) विविधता:

एमएमटीसी ने नए क्षेत्रों में विविध करने और निर्यात को बढ़ाने के लिए दो नए प्रभाग बनाए हैं;

- एसएमई क्षेत्र पर केंद्रित इंजीनियरिंग माल और संबंधित उत्पाद।
- औषध, फार्मास्यूटिकल और रसायन।

(ड.) स्वच्छ ऊर्जा:

एमएमटीसी ने कर्नाटक के गजेंद्रगढ़ में 68.95 करोड़ रुपये की लागत से 15 मेगावाट क्षमता की पवन चक्की परियोजना स्थापित की है। यह परियोजना सफलतापूर्वक चल रही है और इसने कर्नाटक राज्य की ऊर्जा जरूरतों के कुछ अंश को पूरा करके क्षेत्र के विकास में योगदान दिया है। एमएमटीसी उक्त पवन चक्की परियोजना के विस्तार की संभावनाएं तलाश रही है।

(च) व्यापार से संबंधित अवसंरचना:

दोतरफा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, आईएल और एफएसआईआईडीसी के सहयोग से एमएमटीसी द्वारा प्रमोट किए गए एसपीवी को विशेष आर्थिक क्षेत्र के समान कांडला में मुक्त व्यापार और मालगोदाम क्षेत्र और हल्दिया में अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित की गई है।

कांडला एफटीडब्ल्यूजेड में 2.75 एकड़ भूमि के दो प्लॉट मार्च, 2016 में पट्टे पर दिए गए हैं और वार्षिक राजस्व 24.73 लाख रु है। प्लॉटों को किराए पर देने के लिए अन्य इकाइयों के साथ चर्चा चल रही है। विकास आयुक्त ने कांडला एफटीडब्ल्यूजेड के भीतर एक इकाई स्थापित करने के लिए स्वीकृति प्रदान की थी।

(छ) उत्तर पूर्वी राज्यों को विपणन सहायता:

उत्तर पूर्वी राज्यों को समर्थन प्रदान करने के लिए, एमएमटीसी ने गुवाहाटी, असम में अपना कार्यालय खोला है और पहले से ही भारत के बाकी हिस्सों में विपणन के लिए अदरक, हल्दी और बड़ी इलायची जैसी वस्तुओं की खरीद शुरू कर दी है और उसी के निर्यात की संभावनाओं का भी पता किया जा रहा है।

(ज) आयातित दलहनों का सरकारी बफर स्टॉक:

मूल्य स्थिरीकरण के तहत, एमएमटीसी ने दालों के आयात में एक अग्रणी भूमिका निभाई है। दालों के बफर स्टॉक बनाने के लिए, एमएमटीसी को भारत सरकार द्वारा दालों के आयात के लिए एक एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, एमएमटीसी ने बफर स्टॉक कार्यक्रम के लिए विभिन्न दालों के लगभग 3.79 लाख टन का आयात किया है। इन दालों को विभिन्न बंदरगाह गोदामों में संग्रहित किया गया था और उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारत सरकार की सलाह के अनुसार राज्य सरकार की एजेंसियों और खुले बाजार में जारी किया गया था। सरकारी खाते पर आयातित इस 3.79 लाख टन दाल की पूरी मात्रा चुका दी गयी है।

वित्तीय प्रदर्शन

एमएमटीसी को व्यापक रूप से भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी और देश में "प्रमुख व्यापारिक प्रतिष्ठान" दर्जे से पुरस्कृत होने वाले पहले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में जाना जाता है। यह निर्यात और घरेलू जरूरतों के सामग्री स्रोतीकरण हेतु विदेशी बाजारों का पता लगाने में सक्रिय रूप से शामिल है। 'थोक' प्रचालनों पर फोकस के साथ एमएमटीसी में मुख्य रूप से छः मूल जिंस समूह है अर्थात् खनिज, कीमती धातुएँ, कोयला, उर्वरक, कृषि सामग्री और धातुएँ।

एमएमटीसी ने वर्ष 2016-17 के दौरान 11,593 करोड़ रुपये के कारोबार के मुकाबले 36% की वृद्धि हासिल करते हुए वर्ष 2017-18 के दौरान 15,757 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, 31 दिसंबर, 2018 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों की अवधि में, एमएमटीसी ने परिचालन से 21,877.64 करोड़ रुपये का राजस्व और

इन परिचालनों से 364.25 करोड़ रुपये का सकल लाभ प्राप्त किया है।

सहायक कंपनी

एमएमटीसी ट्रांसनैशनल प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर (एमटीपीएल) एमएमटीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। वर्ष 2018-19 के दौरान, इसने 150 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक की बिक्री कारोबार हासिल किया है।

अवसंरचना विकास

(क) नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल)

नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल), ओडिशा सरकार और अन्य के साथ संयुक्त रूप से 1.1 मिलियन टन क्षमता का एक लौह और इस्पात संयंत्र, 0.8 मिलियन टन कोक ओवन और कैस्ट्रिफ पावर प्लांट के साथ उप-उत्पाद इकाई है।

स्टील के उत्पादन के लिए परियोजना का द्वितीय चरण, बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस, ऑक्सीजन प्लांट और एसएमएस के साथ शुरू किया गया है और स्टील बिलेट्स का उत्पादन परीक्षण के आधार पर किया गया था। वर्ष 2018-19 के दौरान, एनआईएनएल ने 2,000 करोड़ रु से अधिक का कारोबार किया। बहुत अनुनय और प्रयासों के बाद, एनआईएनएल स्टील प्लांट (ओडिशा सरकार और एमएमटीसी का संयुक्त उद्यम) ओडिशा राज्य में 92 मिलियन टन के खनन योग्य भंडारों के साथ कैस्ट्रिफ आधार पर 874.24 हेक्टेयर के लिए ओडिशा सरकार के साथ लौह अयस्क खनन पट्टे पर हस्ताक्षर कर सका। जून, 2019 तक खदानों से लौह अयस्क उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। एनआईएनएल ने कोल तार पिच प्लांट स्थापित करने के लिए नाल्को के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) अन्य परियोजनाएँ

मुक्त बाजार के वातावरण में उभर रहे नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए, एमएमटीसी ने पूर्व के वर्षों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल को अपनाते हुए कई संयुक्त उपक्रमों

का संवर्धन किया है। पिछले वर्षों में स्थापित किए गए ऐसे संयुक्त उद्यम की वर्तमान स्थिति पर एक संक्षिप्त जानकारी यहां दी गई है:

- (i) स्विट्जरलैंड के पीएएमपी के साथ मिलकर सबसे आधुनिक सोने/चांदी रिफाइनरी और पदक निर्माण यूनिटों में से एक - एमएमटीसी-पीएएमपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।
- (ii) इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (आईसीईएक्स) में 6% की हिस्सेदारी। आईसीईएक्स ने ब्रेंट क्रूड और डब्ल्यूटीआईकूड के लिए संविदा में ट्रेडिंग के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्राप्त करने के अलावा डायमंड संविदाएं और स्टील बिलेट संविदाएं लॉन्च किए हैं। इसके बाद इसे अपने व्यापार संचालन को फिर से शुरू करने के लिए सेबी की मंजूरी प्राप्त हो गई है। आईसीईएक्स और एनएमसीई द्वारा आईसीईएक्स के साथ एनएमसीई को विलय करने का भी निर्णय लिया गया है।
- (iii) वर्ष 2016-17 के दौरान 2.75 एकड़ भूमि के दो भूखंडों को पट्टे पर देकर कांडला एफटीडब्ल्यूजेड, एमएमटीसी और आईएल एंड एफएस लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम परियोजना, के चरण 1 को परिचालनात्मक बना दिया गया है। भूखंडों को पट्टे पर देने के लिए अन्य इकाइयों के साथ चर्चा की जा रही है। विकास आयुक्त ने कांडला एफटीडब्ल्यूजेड के भीतर एक इकाई स्थापित करने के लिए स्वीकृति

प्रदान कर दी थी।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व

सीएसआर नियमों के अनुपालन में, एमएमटीसी ने वर्ष 2018-19 के दौरान सीएसआर और संधारणीयता पहल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखने के प्रयास में, सीएसआर गतिविधियों के लिए 1.25 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की थी।

वर्ष 2018-19 के दौरान सीएसआर के तहत आवंटित धनराशि मुख्यतया स्वास्थ्य देखरेख, शिक्षा/पोषण, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ गंगा मिशन, कौशल भारत मिशन आदि से संबंधित गतिविधियों के लिए खर्च की गई थी। इसके अलावा, एमएमटीसीने हैंड हेल्ड कापस प्लकर मशीनों को किसानों के वितरण में सहायता की।

एसटीसीएल

सिंहावलोकन

अक्टूबर 1982 - ईलायची ट्रेडिंग निगमलिमिटेड के रूप में स्थापित, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।

अगस्त 1987 - "स्पाइस ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड" के रूप में पुनःनामकरण।

सितम्बर 1999 - द एसटीसी ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी बनी।

अगस्त 2004 - "एसटीसीएल लिमिटेड" के रूप में पुनःनामकरण।

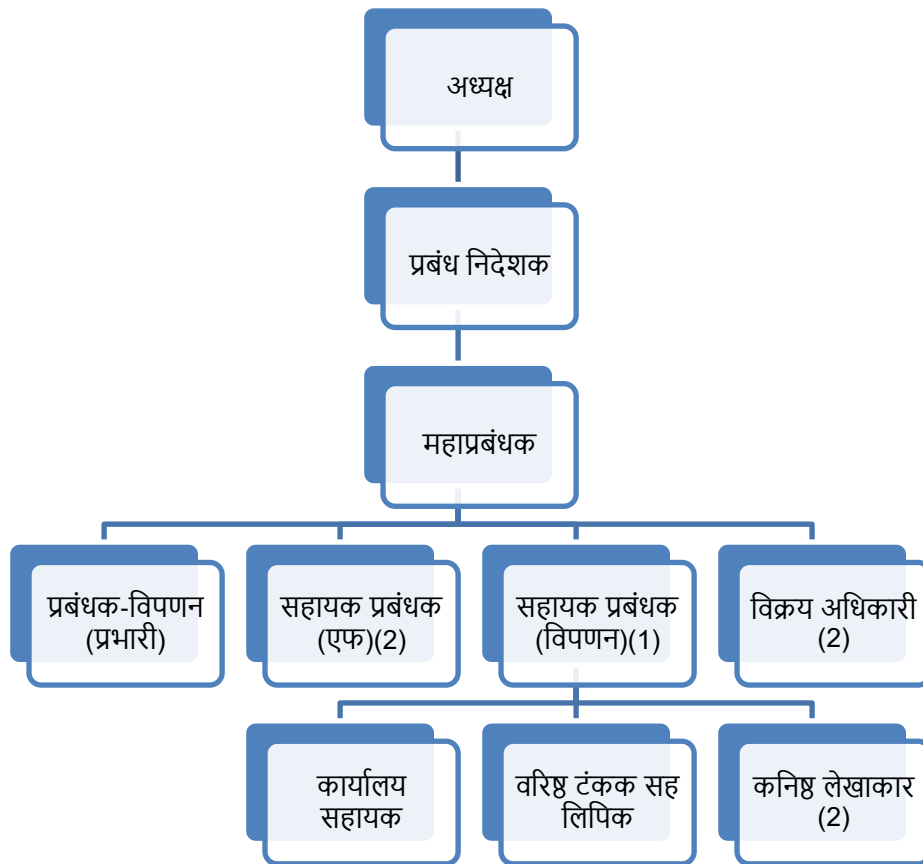
शेयर पूंजी

अधिकृत शेयर पूंजी - 5 करोड़ रुपये

चूकता शेयर पूंजी - 1.5 करोड़ रुपये (पूरी चूकता शेयर पूंजी एसटीसी ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास है)

निवल मूल्य - दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार- 4564.61 करोड़ रु

संगठनात्मक संरचना



प्रकार्य: कृषि और गैर-कृषि उत्पादों के आयात/निर्यात और घरेलू व्यापार दोनों व्यापारिक गतिविधियां निष्पादित करना।

एसटीसीएल को बंद करने के संबंध में दिनांक 13.08.2013 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसरण में कंपनी ने वर्ष 2014-15 से सभी व्यावसायिक गतिविधियों को बंद कर दिया था।

विजन और मिशन

- मसाले और मसाला उत्पादों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना।
- मसालों का प्रसंस्करण और क्योर और मसाला उत्पादों का विनिर्माण।
- मसालों और मसाला उत्पादों के उत्पादन का समर्थन, संरक्षण, रखरखाव,

वृद्धि और संवर्धन के साथ-साथ उनकी बिक्री और निर्यात भी करना।

- मसालों और मसाला उत्पादों के अनुसंधान और विकास को संचालित करना और संवर्धन करना
- मसालों और मसाला उत्पादों के लिए बाजारों का संवर्धन और विकास करना।

उभरती हुई वैश्विक आर्थिक वास्तविकताएं और भारत

भारत को अगले 10 वर्षों में वैश्विक व्यापार में 1.5% के अपने मौजूदा हिस्सा को बढ़ाकर 5% करना होगा।

भारत के विदेश व्यापार की प्रवृत्ति

भारत का व्यापार वर्तमान में निर्यात संचालित की अपेक्षा आयात संचालित अधिक है और इस प्रवृत्ति को अगले 10 वर्षों में भारत के विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त

करने के लिए उल्टा करना होगा।

इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (आईटीपीओ)

संगठनात्मक संरचना और प्रकार्य

इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (आईटीपीओ) को वर्ष 1992 में ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया (टीएफएआई) का नाम बदलने और इसे ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (टीडीए) के साथ विलय करने के उपरांत किया गया था। आईटीपीओ भारत सरकार द्वारा 100% शेयरधारिता के साथ वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक अनुसूची 'ख' मिनीरत्न श्रेणी- I सीपीएसई है। इसका पंजीकृत कार्यालय प्रगति मैदान, नई दिल्ली में है। आईटीपीओ के क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में स्थित हैं, जिसके परिणामस्वरूप देश और विदेश में होने वाले कार्यक्रमों में देश के विभिन्न क्षेत्रों से व्यापार और उद्योग की प्रतिनिधियों की भागीदारी होती है।

इसके निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं:

इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (आईटीपीओ) भारत की एक प्रमुख व्यापार संवर्धन एजेंसी है जो व्यापार उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करती है और भारत के व्यापार के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। आईटीपीओ एक धारा 8 कंपनी है और इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- भारत और विदेशों में औद्योगिक व्यापार और अन्य मेलों और प्रदर्शनियों को बढ़ावा देना, आयोजन करना और प्रतिभागिता करना और देश के व्यापार को बढ़ाने के लिए सभी प्रासंगिक उपाय करना;
- भारत में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों का भारत और विदेशों में प्रचार करना और उनमें भाग लेने के लिए विदेशी प्रतिभागियों को आमंत्रित करना;
- भारत और विदेशों में मेलों, प्रदर्शनियों, सम्मेलनों से संबंधित वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का संवर्धन करना;
- निर्यात को बढ़ावा देना और निर्यात की पारंपरिक वस्तुओं के लिए नए बाजारों का पता लगाने और निर्यात व्यापार को बनाए रखने,

विविधता लाने और विस्तार करने के उद्देश्य से नई वस्तुओं के निर्यात का विकास करना।

विजन और मिशन

दीर्घावधिक विजन :

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की शक्तियों का लाभ उठाते हुए विश्व स्तरीय व्यापार संवर्धन संगठनों के बीच नेतृत्व करना। वैश्विक व्यापार और निवेश, सेवाओं की गुणवत्ता और ग्राहकों की संतुष्टि में भारत की हिस्सेदारी में तेजी से वृद्धि हमारी सफलता का आधार होगा।

मिशन :

वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार के माध्यम से निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों का संवर्धन करना, उन्हें प्रोत्साहित करना और उनका समन्वय करना।

इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (आईटीपीओ) भारत की एक प्रमुख व्यापार संवर्धन एजेंसी है जो व्यापार उद्योग को सेवाएं प्रदान करती है और भारत के व्यापार के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है।

वित्तीय विशिष्टताएं

वर्ष 2017-18 के दौरान, आईटीपीओने वर्ष 2016-17 के 168.92 करोड़ रुपये के अधिशेष (इंड -एस के अनुसार) की तुलना में 'अन्य व्यापक आय' का विचार करते हुए 134.69 करोड़ रुपये का अधिशेष अर्जित किया था। वर्ष के दौरान आईटीपीओ द्वारा अर्जित कुल आय वर्ष 2016-17 में उत्पन्न 390.06 करोड़ (इंड -एस के अनुसार) रुपये की तुलना में 359.55 करोड़ रुपये रही। कुल आय में गिरावट का मुख्य कारण ब्याज दरों में कमी, मुक्त भंडारों में कमी और चल रहे आईसीसी परियोजना के कारण प्रदर्शनी स्थान में कमी हैं। आईटीपीओ को वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) से "शून्य" टिप्पणियां प्राप्त हुई थी।

मार्च, 2019 तक भारत में मेलों, विदेशों में मेलों और तीसरे पक्षकार के मेलों के संबंध में संचयी वित्तीय आंकड़े (आय) निम्नानुसार हैं: - अनंकेक्षित आंकड़े (लाख रुपये)

भारत में मेले

8297.58 रूपए

विदेशों में मेले

3186.90 रूपए

तीसरे पक्षकार के मेले

8522.00 रूपए

कुल

20,006.48 रूपए

भारत में आयोजित मेले

आईटीपीओ ने दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 31.03.2019 तककी अवधि के दौरान भारत में कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया। ये कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

• इंडिया इंटरनेशनल फुटवियर मेला (आईआईएफएफ), 2-4 अगस्त, 2018

आईआईएफएफ फुटवियर उद्योग के लिए एक बी 2 बी कार्यक्रम है और इसका आयोजन आईटीपीओ द्वारा 2-4 अगस्त, 2018 को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए भारतीय दूतावास के समर्थन से, आईटीपीओ ने केन्या, युगांडा, इथियोपिया और तंजानिया के साथ नेटवर्किंग बैठकें कीं। बैठकों में इन देशों के फुटवियर उद्योगों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मेला लगभग 10,000 वर्गमीटर के सकल क्षेत्र में आयोजित किया गया था जिसमें विदेशों के 65 कंपनियों सहित 2015 कंपनियों ने भाग लिया। तीन दिवसीय इस आयोजन में 8000 से अधिक आगंतुक आए। आईटीपीओ ने एक मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन व्यापार आगंतुक पंजीकरण शुरू किया जिसे प्रदर्शकों और आगंतुकों दोनों द्वारा सराहा गया।

• आहार, चेन्नई, 23-25 अगस्त, 2018

आईटीपीओ के सफल आयोजन "आहार" का चेन्नई संस्करण 23-25 अगस्त, 2018 के दौरान चेन्नई में 100 से अधिक प्रदर्शकों और 7000 से अधिक व्यापार आगंतुकों के साथ आयोजित किया गया। आयोजन के दौरान दक्षिण भारतीय पाककला एसोसिएशन

(एसआईसीए) द्वारा आयोजित पाक कला कार्यक्रम और प्रतियोगिता, दर्शकों के लिए एक बड़ा आकर्षण बना।

• दिल्ली पुस्तक मेला और स्टेशनरी, कार्यालय स्वचालन और कॉर्पोरेट उपहार मेला, 25 अगस्त - 2 सितंबर, 2018

24वां दिल्ली पुस्तक मेला, 20 वां स्टेशनरी मेला, चौथा कार्यालय स्वचालन मेला और चौथा कॉर्पोरेट उपहार मेला 2018 का आयोजन 25 अगस्त से 2 सितंबर, 2018 तक किया गया था। हॉल नं 7 में इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। 131 कंपनियों ने इस नौ-दिवसीय कार्यक्रम में भाग लिया और कार्यक्रम में लगभग 90 हजार आगंतुक आए।

• भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ), 14-27 नवंबर, 2018

भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 38 वां संस्करण 14 से 27 नवंबर, 2018 तक हॉल सं. 7 से 12-ए में लगभग 23,000 वर्गमीटर के क्षेत्र में आयोजित किया गया था। आईआईटीएफ, 2018 का थीम "भारत में ग्रामीण उद्यम" था और इसमें सरकार द्वारा शुरू किए गए उपक्रमों पर प्रकाश डाला गया ताकि स्थानीय स्तर पर संसाधनों का उपयोग करते हुए ग्रामीण और छोटे पैमाने के क्षेत्र के उद्यमों और रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके और गाँवों से शहरों में पलायन को रोका जा सके। मेले का उद्घाटन संस्कृति और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री महेश शर्मा और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री सी. आर. चौधरी ने किया। इस कार्यक्रम में 17 देशों के विदेशी प्रतिभागियों और राज्य और सरकारी क्षेत्रों के प्रतिभागियों सहित लगभग 800 प्रतिभागियों ने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया। मेले में 47 देशों के 432 विदेशी व्यापार आगंतुकों सहित लगभग 5 लाख आगंतुकों ने भाग लिया।

• भारत अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला (आईआईएलएफ), चेन्नई, 1-3 फरवरी, 2019

आईआईएलएफ का 34वां संस्करण चेन्नई व्यापार केंद्र, चेन्नई में 1 से 3 फरवरी, 2019 तक आयोजित किया गया। मेले का आयोजन लगभग 20,000 वर्गमीटर क्षेत्र में किया गया

था। वहां विदेशों से आए 150 से अधिक प्रदर्शकों सहित 450 से अधिक प्रदर्शक थे। तीन दिन के बी 2 बी इवेंट में 13,000 से अधिक व्यापारी आगंतुकों ने हिस्सा लिया।

• आजीविका, 26 फरवरी - 7 मार्च, 2019, नई दिल्ली

आईटीपीओ ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से हॉल 7 एबीसी, डी, ई और एफजीएच, प्रगति मैदान में 26 फरवरी से 7 मार्च 2019 तक आजीविका मेला का आयोजन किया था। मेले का आयोजन भारत सरकार की परियोजना 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' (दीनदयाल अंत्योदय योजना - डीएवाई-एनआरएलईआर) के तहत किया गया था।

• आहार - अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला, 12-16 मार्च, 2019

खाद्य और आतिथ्य उद्योग के लिए एशिया में सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक आहार, 2019 का 34वां संस्करण जो 25,000 वर्गमीटर से अधिक के सकल क्षेत्र में आयोजित किया गया था। इस मेले में खाद्य उत्पाद, मशीनरी, एफ एंड बी इक्विपमेंट फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और डेकोर सॉल्यूशंस (साज-सज्जा की वस्तुओं) की विस्तृत श्रृंखला दिखाई गई। दुनिया भर के 560 से अधिक प्रतिभागियों के कन्फेक्शनरी आइटम प्रदर्शित किए गए थे। आहार, 2019 में एफएंडबी के साथ-साथ आतिथ्य सेवा, प्रसंस्करण, क्यूलीनरी तकनीक, खुदरा और नए नवाचारों को प्रति भी नई रुचि दिखाई दी। मेले में 50,000 से अधिक व्यापारी आगंतुक शामिल हुए थे।

विदेशों में आयोजित मेले

अप्रैल 2018 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान, आईटीपीओ ने निम्नलिखित विदेशी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था:

• अंतर्राष्ट्रीय फार्मा उद्योग सप्ताह, सियोल (दक्षिण कोरिया) 17-19 अप्रैल, 2018

आईटीपीओ ने 17-19 अप्रैल, 2018 तक 117 वर्ग मीटर के क्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फार्मा उद्योग सप्ताह, सियोल (दक्षिण कोरिया) में भाग लिया था। इस बी2बी कार्यक्रम में 13 कंपनियों ने भाग लिया था। भाग लेने वाली

कंपनियों ने सूचित किया कि बात-चीत से 3.75 करोड़ रु का व्यापार हुआ था। 80% भारतीय प्रतिभागी उक्त आयोजन में फिर से भाग लेने के इच्छुक थे।

• नेशनल हार्डवेयर शो, लास वेगास, यूएसए, 8-10 मई, 2018

आईटीपीओ ने 8-10 मई, 2018 तक 28 वर्ग फुट के क्षेत्र में नेशनल हार्डवेयर कार्यक्रम, लास वेगास (यूएसए), में भाग लिया। 36 कंपनियों ने इस आयोजन में भाग लिया। भारतीय भागीदारी ने रु 5.77 करोड़ रुपए के व्यापार का सृजन किया और वार्ता के तहत रु. 9.29 करोड़ रुपए की राशि का व्यापार हुआ। 94% भारतीय प्रतिभागी उक्त आयोजन में फिर से भाग लेने के इच्छुक थे।

• ब्यूटी वर्ल्ड, दुबई (यूएई), 8-10 मई, 2018

आईटीपीओ ने 8-10 मई, 2018 तक 270 वर्ग मीटर के क्षेत्र में दुबई (यूएई) में आयोजित ब्यूटी वर्ल्ड में भाग लिया था। 30 भारतीय कंपनियों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया था और 27.50 लाख रुपए की राशि का व्यापार पक्का किया। प्रदर्शकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वार्ता के तहत 56.36 लाख रु का व्यापार हुआ। 90% प्रतिभागी उक्त कार्यक्रम में फिर से भाग लेने के इच्छुक थे।

• 16 वां ग्लोबल इंडियन फेस्टिवल, क्वालालम्पूर, मलेशिया, 9-17 जून, 2018

आईटीपीओ ने 171 वर्गमीटर के क्षेत्र में आयोजित 16वें ग्लोबल इंडियन फेस्टिवल, क्वालालम्पूर (मलेशिया) में भाग लिया था, जो 9-17 जून, 2018 के दौरान आयोजित किया गया था। 19 कंपनियों ने इस आयोजन में भाग लिया। भारतीय भागीदारी से 24.00 लाख रुपए के व्यापार का सृजन हुआ और वार्ता से 50.00 लाख रुपये की राशि का व्यापार हुआ। 100% भारतीय प्रतिभागी इस कार्यक्रम में फिर से भाग लेने के इच्छुक थे। लगभग 3.50 लाख दर्शक कार्यक्रम में आए थे।

• अफ्रीका बिग सेवन / साइटैक्स, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, 24-26 जून, 2018

आईटीपीओ ने 24-26 जून, 2018 के दौरान 108 वर्ग मीटर के क्षेत्र में अफ्रीका बिग सेवन /

साइटैक्स, जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) में भाग लिया था। 10 भारतीय कंपनियों ने इस आयोजन में भाग लिया था और 2.00 करोड़ रुपए का व्यापार किया। प्रदर्शकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वार्ता से 1.00 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। 50% प्रतिभागी कार्यक्रम में फिर से भाग लेने के इच्छुक थे। लगभग 20,000 दर्शक कार्यक्रम में आए। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल और दक्षिण अफ्रीका में भारत की उच्चायुक्त श्रीमती रुचिरा काम्बोज, द्वारा किया गया।

• **ईरान एग्रो फूड एंड फूड-बेवटेक, तेहरान (ईरान), 29 जून - 2 जुलाई, 2018**

आईटीपीओ ने 29 जून से 2 जुलाई, 2018 तक 136.5 वर्गमीटर क्षेत्र में ईरान एग्रो फूड एंड फूड-बेवटेक, तेहरान (ईरान) में भाग लिया। 12 कंपनियों ने इस बी2बी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और प्रदर्शकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वार्ता से 9.85 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। 90% भारतीय प्रतिभागी इस आयोजन में फिर से भाग लेने के इच्छुक थे। लगभग 5000 आगंतुकों ने भारतीय पैवेलियन का दौरा किया।

• **फ़ाइम-इंटरनेशनल मेडिकल एक्सपोज़िशन, फ्लोरिडा (यूएसए), 17-19 जुलाई, 2018**

आईटीपीओ ने 17-19 जुलाई, 2018 के दौरान 1400 वर्ग फुट के क्षेत्र में आयोजित फ़ाइम-इंटरनेशनल मेडिकल एक्सपोज़िशन, फ्लोरिडा (यूएसए) में भाग लिया था। 15 कंपनियों ने इस बी2बी कार्यक्रम में भाग लिया था। 80% भारतीय प्रतिभागी इस आयोजन में फिर से भाग लेने के इच्छुक थे। लगभग 22,500 दर्शकों ने कार्यक्रम का दौरा किया था और प्रदर्शनकारियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वार्ता के तहत 1,60,000 अमेरिकी डॉलर तक के व्यापार का सृजन हुआ था।

• **इंडिया गारमेंट्स फेयर, इंडिया सिल्क फेयर एंड इंडिया होम फर्निशिंग्स फेयर, ओसाका (जापान), 18-20 जुलाई, 2018**

आईटीपीओ ने 18-20 जुलाई, 2018 के दौरान आयोजित इंडिया गारमेंट्स फेयर, इंडिया होम फर्निशिंग्स फेयर और इंडिया सिल्क फेयर, ओसाका (जापान) का आयोजन किया था। यह कार्यक्रम 1938 वर्ग मीटर के क्षेत्र में आयोजित किया गया था। इन आयोजनों में 62 (कुल) भारतीय कंपनियों ने भाग लिया था। भारतीय परिधानों, फैशन के सामान, घरेलू सामान, मेकअप और इंडियन सिल्क के प्रदर्शन के दौरान मेलों में एक थीम पैवेलियन भी स्थापित किया गया था। इन कार्यक्रमों में 25.55 करोड़ रुपये का कारोबार किया था और प्रदर्शकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वार्ता से 49.02 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। 2100 से अधिक व्यापार आगंतुकों ने मेलों का दौरा किया और मेलों में प्रदर्शित उत्पादों में गहरी रुचि दिखाई। उद्घाटन के दौरान माननीय सीआईएम का एक वीडियो संदेश चलाया गया जिसने प्रदर्शकों का मनोबल बढ़ाया।

मेलों का उद्घाटन भारत के टोक्यो स्थित दूतावास (जापान) के राजदूत श्री सुजान आर चिनॉय ने किया। ये मेले भारत के दूतावास, टोक्यो और भारत के महावाणिज्य दूतावास, ओसाका के सक्रिय समर्थन और सहयोग से आयोजित किए गए थे। इसके अलावा, कई व्यापार प्रचार निकाय और एसोसिएशन, जापान सरकार के संबंधित मंत्रालय और विभाग जैसे अर्थव्यवस्था मंत्रालय, व्यापार और उद्योग मंत्रालय (एमईटीआई); ओसाका चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री; निप्पॉन इंटीरियर फैब्रिक एसोसिएशन; ओसाका प्रीफेक्चुरल गवर्नमेंट आदि ने भी मेले को सफलतापूर्वक आयोजित करने में अपना समर्थन दिया।

• **मेडी फार्मा एक्सपो, वियतनाम, 2-4 अगस्त, 2018**

आईटीपीओ ने 2-4 अगस्त, 2018 तक 114 वर्ग मीटर के क्षेत्र में मेडी फार्मा एक्सपो, वियतनाम में भाग लिया था। कुल 18 कंपनियों ने इस बी2बी कार्यक्रम में भाग लिया था। लगभग 15,000 व्यापारी आगंतुकों ने भारतीय पैवेलियन का दौरा किया। भारतीय पैवेलियन का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री श्री काओ होई टुंग और भारत के महावाणिज्य दूत डॉ. श्रीकर रेड्डी ने किया।

• 29 वां एचकेटीडीसी फूड एक्सपो, हांगकांग, 16-18 अगस्त, 2018

आईटीपीओ ने 16-18 अगस्त, 2018 तक 405 वर्गमीटर के क्षेत्र में आयोजित 29वें एचकेटीडीसी फूड एक्सपो, हांगकांग, में भाग लिया था। कुल 45 कंपनियों ने इस आयोजन में भाग लिया था। लगभग 6,000 दर्शकों ने कार्यक्रम का दौरा किया। भारतीय पैवेलियन का उद्घाटन सुश्री मारिग्रेट फोंग, ईडी, एचकेटीडीसी और श्री अजित जॉन जोशुआ, परामर्शदाता (राजनीतिक, वाणिज्य और प्रेस), सीजीआई, हांगकांग द्वारा किया गया था।

• सीएनआर फूड इस्तांबुल, तुर्की, 5-8 सितंबर, 2018

आईटीपीओ ने 60 वर्ग मीटर के क्षेत्र में सीएनआर फूड इस्तांबुल, तुर्की में 5-8 सितंबर, 2018 तक हिस्सा लिया। कुल 7 कंपनियों ने इस बी2बी कार्यक्रम में भाग लिया था। लगभग 15,000 आगंतुकों ने भारतीय पैवेलियन का दौरा किया।

• थेस्सालोनिकी अंतर्राष्ट्रीय मेला, थेस्सालोनिकी (ग्रीस), 8-16 सितम्बर, 2018

आईटीपीओ ने 8-16 सितंबर, 2018 के दौरान थेस्सालोनिकी अंतर्राष्ट्रीय मेला, थेस्सालोनिकी (ग्रीस) में 489 वर्ग मीटर के क्षेत्र में हिस्सा लिया। कुल 36 कंपनियों ने इस बी2बी इवेंट में भाग लिया था। लगभग 36,000 व्यापारी आगंतुकों ने भारतीय पैवेलियन का दौरा किया। भारतीय पैवेलियन का उद्घाटन एथेंस (ग्रीस) की भारतीय राजदूत, आईएफएस सुश्री शम्मा जैन ने किया।

• थाईलैंड लैब इंटरनेशनल, बैंकॉक, थाईलैंड, 12-14 सितंबर, 2018

आईटीपीओ ने 78 वर्गमीटर क्षेत्र में 12-14 सितंबर, 2018 तक आयोजित थाईलैंड लैब इंटरनेशनल, बैंकॉक (थाईलैंड), में भाग लिया। इस आयोजन में कुल 10 भारतीय कंपनियों ने हिस्सा लिया। 100% भारतीय प्रतिभागी इस कार्यक्रम में फिर से भाग लेने के इच्छुक थे। लगभग 1500 व्यापारी आगंतुकों ने भारतीय पैवेलियन का दौरा किया।

• फॉरे इंटरनेशनल डी मार्सिले, फ्रांस, 21 सितंबर-अक्टूबर 1, 2018

आईटीपीओ ने फाइव इंटरनेशनल डी मार्सिले, फ्रांस में 21 सितंबर-1 अक्टूबर, 2018 तक 420 वर्गमीटर क्षेत्र में आयोजित मेले में भाग लिया। कुल 42 कंपनियों ने इस आयोजन में भाग लिया था। लगभग 64% भारतीय प्रतिभागी इस कार्यक्रम में फिर से भाग लेने के इच्छुक थे। लगभग 3.5 लाख दर्शकों ने कार्यक्रम का दौरा किया।

• टेक्नॉरगिल्लारीमिनी, इटली, 24-28 सितंबर, 2018

आईटीपीओ ने 105 वर्गमीटर के क्षेत्र में टेक्नॉरगिल्ला रिमिनी, इटली में 24-28 सितंबर, 2018 तक भाग लिया था। कुल 12 कंपनियों ने इस आयोजन में भाग लिया। 67% भारतीय प्रतिभागी इस समारोह में फिर से भाग लेने के इच्छुक थे।

• सिआल - 2018, पेरिस, 21-25 अक्टूबर, 2018

आईटीपीओ ने 1280 वर्गमीटर के क्षेत्र में 21-25 अक्टूबर, 2018 के दौरान आयोजित सिआल - 2018, पेरिस में भाग लिया था। 113 कंपनियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था और 90% भारतीय प्रतिभागी इस इवेंट में फिर से भाग लेने के इच्छुक थे। मेले में लगभग 3,70,000 व्यापारी आए थे। 21 अक्टूबर, 2018 को मेले का उद्घाटन फ्रांस के कृषि मंत्री, श्री डिडिएर गिलियूम द्वारा किया गया था। भारत के पैवेलियन का उद्घाटन माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने किया था, जहाँ पेरिस के भारत के राजदूत, श्री विनय मोहर क्रात्रा, संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, श्री पराग गुप्ता, श्री दीपक कुमार, कार्यकारी निदेशक, आईटीपीओ और श्री पाबन के. बोर्थाकुर, अध्यक्ष, एपीडा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री कोनराड के. संगमा की अध्यक्षता में मेघालय सरकार के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मेले का दौरा किया।

• कोरिया मेटल वीक 2018, सियोल, 30 अक्टूबर- 2 नवंबर, 2018

आईटीपीओ ने 30 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2018 तक 216 वर्गमीटर के क्षेत्र में आयोजित

कोरिया मेटल वीक, 2018, सियोल, दक्षिण कोरिया में भाग लिया था। 24 कंपनियों ने इस बी 2 बी कार्यक्रम में भाग लिया था और 50% भारतीय प्रतिभागी इस इवेंट में फिर से भाग लेने के इच्छुक थे। लगभग 20,000 व्यापारी आगंतुकों ने मेले का दौरा किया। 1 लाख 50 हजार रुपये का व्यापार सुनिश्चित हुआ और प्रदर्शकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वार्ता से 23.25 करोड़ रुपये का व्यापार हुआ। मेले का उद्घाटन अन्य गणमान्य व्यक्तियों सहित सुश्री नयनतारा डबरिया, द्वितीय सचिव, भारत के दूतावास द्वारा किया गया।

• एएपीईएक्स, लास वेगास (यूएसए), 30 अक्टूबर - 1 नवंबर, 2018

आईटीपीओ ने 1550 वर्ग फुट के क्षेत्र में 30 अक्टूबर से 1 नवंबर, 2018 तक आयोजित एएपीईएक्स, लास वेगास, यूएसए में भाग लिया था। 16 कंपनियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था और प्रदर्शकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वार्ता से 9.95 करोड़ रुपये की राशि का व्यापार हुआ। 87.5% भारतीय प्रतिभागी इस कार्यक्रम में फिर से भाग लेने के इच्छुक थे। मेले में 20,000 व्यापारी आए थे।

• मेडिका 2018, डसेलडोर्फ, 12-15 नवंबर, 2018

आईटीपीओ ने मेडिका, डसेलडोर्फ, जर्मनी में 12-15 नवंबर, 2018 तक 565 वर्गमीटर क्षेत्र में भारतीय पैवेलियन की स्थापना की थी। 42 भारतीय कंपनियों ने मेले में भाग लिया और 212.73 लाख रुपये तक का व्यापार किया और प्रदर्शकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वार्ता से 1101.76 लाख रुपये तक की राशि का व्यापार हुआ। सभी प्रतिभागियों ने अगले साल फिर से भाग लेने की इच्छा जताई। मेले में लगभग 1,20,000 व्यापारी आए थे।

• 17वां भारत-मलेशिया व्यापार एक्सपो, क्वालालंपुर, 30 अक्टूबर - 2 नवंबर, 2018

आईटीपीओ ने 70 भारतीय कंपनियों के साथ 30 अक्टूबर - 2 नवंबर, 2018 तक 675 वर्गमीटर क्षेत्र में आयोजित 17वें इंडो-मलेशिया ट्रेड एक्सपो, क्वालालंपुर, मलेशिया में भाग लिया था। 102.94 लाख रुपये का व्यापार सुनिश्चित हुआ और प्रतिभागियों द्वारा दी गई

सूचना के अनुसार 155.00 लाख रुपये की खुदरा बिक्री हुई। पांच लाख आगंतुकों ने मेले का दौरा किया और 85% प्रतिभागी अगले संस्करण में फिर से भाग लेने के लिए तैयार थे।

• एएफएल - आर्टिआनो इन फिएरा - 23 वां अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प बिक्री मेला, मिलान (इटली), 1-9 दिसंबर, 2018

आईटीपीओ ने 184 से 984 वर्ग मीटर के क्षेत्र में 1 दिसंबर से 9 दिसंबर, 2018 तक आयोजित एएफएल-आर्टिगियानो इन फिएरा - 23 वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प बिक्री मेला, मिलान (इटली) में भाग लिया। 117 कंपनियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था और 95% भारतीय प्रतिभागी इस इवेंट में फिर से भाग लेने के लिए तैयार थे। लगभग 5 लाख व्यापारी आगंतुकों ने मेले का दौरा किया था। प्रतिभागियों से प्राप्त फीडबैक रिपोर्ट के अनुसार, 63.84 लाख रुपये का व्यापार सुनिश्चित हुआ, 78.90 लाख रुपये की खुदरा बिक्री हुई और वार्ता के तहत 23.46 करोड़ रु का व्यापार हुआ। एएफएल आर्टिगियानो फिएरा के अध्यक्ष ने आईटीपीओ को विदेशी क्षेत्र श्रेणी में मेले में सबसे बड़ी प्रतिभागी का प्रमाण पत्र प्रदान किया और इसके अलावा फीरा में एएफएल आर्टिगियानो का मेमेंटो प्रस्तुत किया था।

• इंटरसेक, दुबई, 20-22 जनवरी, 2019

आईटीपीओ ने 225 वर्ग मीटर के क्षेत्र में 20 से 22 जनवरी, 2019 तक आयोजित इंटरसेक, दुबई में भाग लिया था। इंटरसेक रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में दुनिया के प्रीमियम व्यापार कार्यक्रमों में से एक है। इस आयोजन में 28 भारतीय कंपनियों ने भाग लिया। 93% भारतीय प्रतिभागी इस कार्यक्रम में फिर से भाग लेने के लिए तैयार थे। मेले में लगभग 27,000 व्यापारी आए थे।

• इंडिया एक्सपो बियर्स, नीदरलैंड, 16-24 फरवरी, 2019

आईटीपीओ ने इंडिया एक्सपो, बेयर्स, नीदरलैंड में भाग लिया था जो 16 फरवरी से 24 फरवरी, 2019 तक 258 वर्गमीटर के क्षेत्र में आयोजित किया गया था। इस आयोजन में

32 भारतीय कंपनियों ने भाग लिया। 60% प्रतिभागी इस आयोजन में फिर से भाग लेने के लिए तैयार थे। एक्सपो में लगभग 8,000 व्यापार आगंतुक आए थे। प्रतिभागियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 90 लाख रुपये का व्यवसाय उत्पन्न हुआ।

• फूडेक्स, जापान, 5-8 मार्च, 2019

आईटीपीओ ने 5 से 8 मार्च, 2019 तक 303 वर्गमीटर के क्षेत्र में आयोजित फूडेक्स, टोक्यो, जापान में भाग लिया था। 48 भारतीय कंपनियों ने बी-2-बी इवेंट में भाग लिया था। 84% प्रतिभागी इस आयोजन में फिर से भाग लेने के लिए तैयार थे। लगभग 20,000 व्यापारी आगंतुकों ने प्रदर्शनी का दौरा किया था। 4 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ और प्रतिभागियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार नेगोशिएशन के तहत 2 करोड़ रुपये का कारोबार किया गया।

• इंडिया शो, सेंट पीटर्सबर्ग, रूस, 12-14 मार्च, 2019 :

आईटीपीओ ने सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में इंडिया शो का आयोजन किया था जो 12 से 14 मार्च, 2019 तक 300 वर्गमीटर के क्षेत्र में आयोजित किया गया था। इस इवेंट में 32 कंपनियों ने हिस्सा लिया था। 1 करोड़ 15 लाख रुपये का व्यापार सृजित हुआ और प्रतिभागियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार नेगोशिएशन के तहत 14.41 करोड़ रुपये का कारोबार किया गया। 64% प्रतिभागी इस कार्यक्रम में फिर से भाग लेने के लिए तैयार थे। लगभग 2000 व्यापारी आगंतुकों ने कार्यक्रम का दौरा किया।

• इंडिया शो, लीमा, पेरू, 21-25 मार्च, 2019

आईटीपीओ ने 21 मार्च से 25 मार्च, 2019 तक 527 वर्गमीटर क्षेत्र में लीमा, पेरू में इंडिया शो का आयोजन किया। इस शो में 78 भारतीय कंपनियों ने भाग लिया था और 119.58 लाख रुपये का कारोबार किया था और प्रतिभागियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार नेगोशिएशन के तहत 63.55 करोड़ रुपये का कारोबार किया गया। 93% प्रतिभागियों ने इस शो में फिर से भाग लेने की इच्छा व्यक्त की। लगभग 33,323 व्यापारी आगंतुकों ने शो का दौरा किया था।

प्रगति मैदान का पुनर्विकास

आईटीपीओ अपने लैंडमार्क प्रदर्शनी ग्राउंड "प्रगति मैदान" को दो चरणों में एक अत्याधुनिक स्टेट-ऑफ-आर्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-कन्वेंशन सेंटर (आईसीसी) के रूप में पुनर्विकसित करने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना लागू करने के क्रम में है, जिससे यह दुनिया भर के सबसे अच्छे प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर्स के समकक्ष आ जाएगा। यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व का है। संरचना से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) में एमआईसीई (बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और कार्यक्रम) क्षेत्र की आवश्यकताओं की महत्वपूर्ण कमी को भरे जाने की संभावना है। इससे देश की विदेशी मुद्रा आय में पर्याप्त वृद्धि और दिल्ली के सेवाओं और व्यापार क्षेत्र के राजस्व में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है, क्योंकि एमआईसीई सेक्टर के कई आयोजन जो पूर्वी एशियाई और दुनिया के अन्य देशों में होते थे वे अब नई दिल्ली में स्थानांतरित हो सकते हैं। आईसीसी दिल्ली में एक लैंडमार्क और एक प्रतिष्ठित स्थान होगा और यह भारत की वैश्विक शक्ति बनने की प्रधानमंत्री की आकांक्षा को पूरा करने के साथ 'न्यू इंडिया' के दृष्टिकोण का एक अनूठा प्रतीक बनेगा। आईसीसी व्यापार और व्यापार बिरादरी के विस्तार की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए, मुख्य रूप से जी2जी, जी2बी और बी2बी गतिविधियों को पूरा करेगा।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने जनवरी 2017 में 2554 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर आईसीसी परियोजना को मंजूरी दी थी। डीओसी की मंजूरी से लागत अनुमान को संशोधित कर 2698.51 करोड़ कर दिया गया है। आईटीपीओ परियोजना के वित्त पोषण की दिशा में अपने मुक्त भंडार में से 1200 करोड़ रुपये का उपयोग करेगा और परियोजना लागत की शेष राशि के लिए संस्थागत ऋण लेगा और / अथवा होटल का भूमि मुद्रीकरण कराएगा। नेशनलबिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) इस परियोजना के लिए एक परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में काम कर रहा है। वैश्विक बोली के आधार पर 229.93 करोड़ रुपये की लागत पर आईसीसी परियोजना

को शापूरजी पल्लोनजी को दिया गया है। प्रगति मैदान परिसर में और उसके आसपास ट्रैफिक डी-कंजेशन इंटरवेंशन (जाम न लगने देने) के कार्य को 777 करोड़ रुपये की लागत पर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) दिल्ली द्वारा मेसर्स एलएंडटी को सौंपा गया है। इन दोनों परियोजनाओं का कार्यान्वयन एक फास्ट ट्रैक मोड में हो रहा है। आईईसीसी परियोजना को पूरा करने और यातायात हस्तक्षेप पर काम करने की मूल समय सीमा सितंबर 2019 है, जिसे निर्माण कार्य में बाधा के कारण, दिसंबर 2019 तक बढ़ा दिया गया है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली और एनसीआर के अनुमोदित परिवेशी वायु गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस प्लान के एक हिस्से के तहत निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया है। परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए पीएमसी द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाए जा रहे हैं।

परियोजना (चरण- 1) प्रस्ताव में 3,82,248 वर्गमीटर के कुल निर्मित क्षेत्र का विकास शामिल है जिसमें 53,399 वर्गमीटर के क्षेत्र का एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर, 1,51,687 वर्ग मीटर के क्षेत्र के छह आधुनिक प्रदर्शनी हॉल, 1,68,305 वर्ग मीटर क्षेत्र का 4800 ईसीयू (समतुल्य कार इकाइयों) के लिए बेसमेंट पार्किंग और 8,857 वर्गमीटर का आईटीपीओ का प्रशासनिक भवन शामिल होगा। स्वतंत्र प्रवेश और निकास बिंदुओं के साथ भैरों मार्ग पर 3.70 एकड़ के क्षेत्र में एक होटल के लिए भी मुद्रीकरण किया जा रहा है ताकि इस तथ्य के अनुरूप कार्य हो सके कि आतिथ्य, दुनिया भर में, किसी भी आधुनिक एमआईसीई गंतव्य का एक अभिन्न अंग है।

कन्वेंशन सेंटर दुनिया में सबसे अच्छे भवनों के समान होने के साथ 34 मीटर लंबा एक ऐतिहासिक भवन होगा। यह संरचना दिल्ली की समृद्ध वास्तुशिल्प विरासत को शामिल करते हुए एक अद्वितीय ढलान वाले प्रवेश के साथ एक ऊंचे पोजियम पर स्थित होगा। कन्वेंशन सेंटर में एक बार में 7000 लोगों के लिए बैठने की सुविधा होगी (3000 लोगों की क्षमता का एक प्लेनरी हॉल और 4000 लोगों की क्षमता का एक मल्टी-फंक्शन हॉल), जो विज्ञान भवन के अनुपात में पांच गुना होगा,

साथ ही इसमें विभिन्न क्षमताओं वाले 25 बैठक कक्ष और विशेष जी20 और प्रीमियम कमरे भी शामिल होंगे। यह राजधानी दिल्ली की भव्यता, रुतबा और प्रोफाइल को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा। इसमें 3,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक एम्फीथिएटर भी होगा।

आईईसीसी तक आसानी से पहुंचने के लिए और आम जनता के हित के लिए ट्रैफिक न लगने देने का कार्य महत्वपूर्ण है। अनिवार्य रूप से, पुराना किला रोड को प्रगति मैदान से गुजरने वाले एक 6-लेन में विभाजित सुरंग के माध्यम से रिंग रोड से जोड़ा जाएगा, जिससे बेसमेंट पार्किंग तक पहुंचा जा सकेगा और भैरों मार्ग का एक विकल्प बनेगा जो क्षमता की कमी के कारण जाम रहता है। रिंग रोड और मथुरा रोड के साथ भैरों मार्ग के टी-जंक्शन और डीपीएस से डब्ल्यू-पॉइंट तक मथुरा रोड के पूरे रास्ते को लालबत्ती मुक्त बनाया जाएगा। इन सब से प्रगति मैदान में और उसके आसपास यातायात को कम किया जाएगा और इस क्षेत्र के प्रदूषण के स्तर को भी काफी हद तक कम किया जा सकेगा। प्रगति मैदान की आईईसीसी परियोजना एक वास्तविक आमूलचील परिवर्तन (गेम चेंजर) होगी और पूरे देश में इसी तरह के प्रदर्शनी स्थलों के निर्माण के लिए एक नया चलन स्थापित करेगी। यह स्थल न केवल भारतीय प्रदर्शनी और सम्मेलन उद्योगों के लिए बल्कि वैश्विक उद्योगों के लिए भी व्यापार संवर्धन और व्यापार वृद्धि के नए अवसरों को पैदा करेगा। वैश्विक प्रदर्शनी और सम्मेलन उद्योग आगामी स्थल को लेकर बहुत उत्साहित है और उत्सुकता से इसके चालू होने की प्रतीक्षा कर रहा है। कुल मिलाकर, प्रगति मैदान का यह नया स्थल भारत को व्यापार, निवेश, सेवाओं और विनिर्माण गतिविधियों के लिए अपनी ताकत और क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से विश्व स्तर पर एक मकाम हासिल करने में मदद करेगा।

प्रशासन और एचआरडी

अप्रैल 2018 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान, 03 अधिकारियों को सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया गया, 13 अधिकारियों को नियमित आधार पर पदोन्नत किया गया और 06 अधिकारियों को इंसेंटीवाइज्ड अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन योजना

(आईसीपीएस) के तहत व्यक्तिगत अपग्रेडेशन प्रदान किया गया। आईटीपीओमें आरक्षण के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाता है। प्रत्येक विभागीय पदोन्नति/चयन समिति की बैठक में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित उपयुक्त स्तर के एक अधिकारी को इन श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के हित को देखने के लिए शामिल किया गया था। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के हित को देखने के लिए एक संपर्क अधिकारी को नामित किया गया है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पदों/सेवाओं में आरक्षण के संबंध में विकलांग व्यक्तियों के (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 में निहित प्रावधान का भी पालन किया गया।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

आईटीपीओ ने विभिन्न सामाजिक कारणों के लिए प्रतिबद्ध एक जिम्मेदार संगठन के रूप में वर्ष 2018-19 के लिए सीएसआर पहलों के तहत स्वच्छता को बढ़ावा देने की दिशा में "स्वच्छ भारत कोष", भारत सरकार और "स्वच्छ गंगा फंड", भारत सरकार दोनों के लिए अलग-अलग 50 लाख रुपए का योगदान देकर अपने प्रयासों को जारी रखा। अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस (आईएसए) को भुगतान की जाने वाली 2.33 रुपए करोड़ की स्वीकृत राशि की तुलना में, आईटीपीओ ने तब से कुल भुगतान का 50% जारी किया, इसके अलावा स्पिक मेके के माध्यम से भारतीय संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपए जारी किया और भारतीय संकल्प पथ फाउंडेशन के माध्यम से सरकारी लाभ योजनाओं पर जागरूकता शिविरों के लिए 9 लाख रुपए जारी किया है। इसके अलावा, आदिवासी छात्रों की शिक्षा, अराकू निर्वाचन क्षेत्र के विकास, एक चिकित्सा देखभाल इकाई के निर्माण, यौनकर्मियों की बेटियों की मदद, वृक्षारोपण मुहीम, अंधे छात्रों के लिए कक्षाओं के निर्माण, आदि के लिए 2.01 करोड़ रुपए (लगभग) की राशि का प्रस्ताव कार्यान्वयन अधीन है।

क्षेत्रीय व्यापार केंद्र

आईटीपीओने राज्य की राजधानियों/प्रमुख शहरों में एक्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए क्षेत्रीय व्यापार संवर्धन केंद्र (आरटीपीसी) स्थापित करने में राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की।

- चेन्नई में तमिलनाडु व्यापार संवर्धन संगठन (टीएनटीपीओ)- टीएनटीपीओ बोर्ड ने टीएनटीपीओ के विस्तार हेतु टीएनटीपीओकी विस्तार की योजना के तहत 15,708 वर्ग मीटर के क्षेत्र के एक बहुउद्देश्यीय (प्रदर्शनी/सम्मेलन) हॉल के निर्माण को मंजूरी दी है। विस्तार के बाद, 34.61 एकड़ की भूमि पर 31,063 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्र पर सम्मेलनों के लिए कुल 3 हॉल और प्रदर्शनियों के लिए 4 हॉल होंगे। अनुमानित परियोजना लागत 289 करोड़ रुपये तक हो सकती है।

- बेंगलुरु में कर्नाटक व्यापार संवर्धन संगठन (केटीपीओ) - केटीपीओ बोर्ड ने केटीपीओ के विस्तार योजना के लिए, 5000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में एक बहुउद्देश्यीय (सम्मेलन/प्रदर्शनी) हॉल के निर्माण को मंजूरी दी है। विस्तार के बाद, 11,871 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्र में सम्मेलनों के लिए 2 हॉल और प्रदर्शनियों के लिए 2 हॉल होंगे। अनुमानित परियोजना लागत 67.59 करोड़ रुपये तक हो सकती है।

- पंपोर में जम्मू और कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन (जेकेटीपीओ) - जेकेटीपीओजम्मू और कश्मीर सरकार के साथ 51% शेयर, भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) के साथ 44% इक्विटी शेयर और हस्तशिल्प हेतु निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) के साथ 5% इक्विटी शेयर पर बनी एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। आईटीपीओने शुरुआत से 44% की इक्विटी पूंजी के तहत 2.20 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। अनुमानित परियोजना लागत 47.92 करोड़ रुपये तक हो सकता है।

- केरल इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (केआईएनएफआरए) ने आईटीपीओके सहयोग से कोच्चि के पास कक्कानाड में एक प्रदर्शनी केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। परियोजना का अनुमानित बजट लागत 159.90 करोड़ रुपए है। संशोधित डीपीआर के अनुसार,

आईटीपीओ और केआईएनएफआरएका योगदान 50:50 की हिस्सेदारी पर होगा।

वाणिज्यिक संबंध, व्यापार समझौते और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन

आईटीपीओप्रारंभ से ही एशियाई व्यापार संवर्धन फोरम (एटीपीएफ), व्यापार संवर्धन संगठनों (टीपीओ) के साथ सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। एटीपीएफ की सभी गतिविधियों का समन्वय जापान विदेशी व्यापार संगठन (जेट्रो) द्वारा किया जाता है। आईटीपीओ, भारत कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो (आईसीपीबी) द्वारा आयोजित गतिविधियों में भी भाग लेता है।

आईटीपीओप्रदर्शनी उद्योग को बढ़ावा देने वाले संगठन, यूएफआई-द ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ द एक्जिबिशन इंडस्ट्री, फ्रांस का सदस्य है।

आईटीपीओ, वर्ष 2018-19 के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एक्जिबिशन एंड इवेंट्स (आईईईई), अमेरिकाका सदस्य है। आईईईईप्रदर्शनियों और अन्य कार्यक्रमों जैसे रोड शो, प्रदर्शनी घटक युक्त सम्मेलन, और प्रौद्योगिकी कॉर्पोरेट प्रदर्शनियों को बढ़ावा देता है जो खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाता है।

आईटीपीओ भारतीय प्रदर्शनी उद्योग संघ (आईईएआई) का भी सदस्य बन गया है।

एससी / एसटी / ओबीसी, विकलांग महिलाओं और व्यक्तियों के कल्याण के लिए क्रियान्वित किए गए कार्यक्रम

आईटीपीओमें आरक्षण के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के हित को देखने के लिए एक संपर्क अधिकारी को नामित किया गया है। प्रत्येक विभागीय पदोन्नति/चयन समिति की बैठक में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित उपयुक्त स्तर के एक अधिकारी को इन श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के हित को देखने के लिए शामिल किया गया था।

भारत सरकार की आरक्षण नीति

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आरक्षण संबंधी दिशानिर्देशों का एससी / एसटी / ओबीसी और विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति / पदोन्नति पर पालन किया गया है।

पारदर्शिता, सार्वजनिक सुविधा और संबद्ध गतिविधियाँ

आईटीपीओका नागरिक चार्टर और सार्वजनिक शिकायतों पर एक खंड आईटीपीओकी कॉर्पोरेट वेबसाइट: www.indiatradefair.com पर उपलब्ध है।

राजभाषा प्रकोष्ठ और आरटीआई प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं और भारत सरकार की नीतियों का अनुपालन कर रहे हैं।

व्यापार करने में आसानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से सक्षम बनाना (सार्वजनिक सुविधाएं) :

- आईआईटीएफ 2018 और नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2019 के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग
- आंतरिक कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन स्थान बुकिंग प्रणाली।
- जीईएमएस / ई-टेंडरिंग से ई-प्रोक्योरमेंट की शुरुआत की गई।
- आईटीपीओ के आंतरिक कार्यकलापों के लिए मोबाइल ऐप की शुरुआत।
- ई-भुगतान / ई-रिफंड का कार्यान्वयन।
- सभी ए.सी हॉल में वाई-फाई की सुविधा।
- सोशल मीडिया का उपयोग - फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब।
- आईटीपीओका व्यापक मोबाइल एप्लिकेशन अंतिम चरण में हैं।

उपभोक्ता हितैषी उपाय

- तीसरे पक्ष के कार्यक्रमों के दौरान 'हेल्प डेस्क' का कार्यान्वयन।
- प्रतिभागियों / आयोजकों के साथ नियमित वार्ता।
- तृतीय-पक्ष कार्यक्रमों के लिए हॉल की बुकिंग के लिए आवेदन जमा करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली का शुभारंभ।

1. निर्यात निरीक्षण परिषद

विहंगावलोकन

गुणवत्ता नियंत्रण और प्री-शिपमेंट जांच के माध्यम से भारत के निर्यात व्यापार और इससे संबद्ध मामलों का अधिक विकास सुनिश्चित करने के लिए संसद के अधिनियम, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं जांच) अधिनियम, 1963 की धारा 3 के तहत भारत सरकार ने निर्यात जांच काउंसिल (ईआईसी) को लागू किया था। ईआईसी वस्तुओं की अधिसूचना के लिए केंद्र सरकार का एक सलाहकार निकाय है जो निर्यात से पहले गुणवत्ता नियंत्रण और / या निरीक्षण के लिए कार्य करेगा, ऐसे सूचीबद्ध वस्तुओं के लिए गुणवत्ता के मानक स्थापित करेगा और ऐसी वस्तुओं पर गुणवत्ता नियंत्रण और / या निरीक्षण के प्रकार को विनिर्दिष्ट भी करेगा।

ईआईसी भारत का आधिकारिक निर्यात प्रमाणन निकाय है और साथ ही अधिसूचित वस्तुओं के लिए सक्षम प्राधिकरण है जो भारत से निर्यात किए जाने वाले खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ईआईसी की प्रमुख भूमिका आयात करने वाले देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात किए गए उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह आश्वासन अपने क्षेत्र एजेंसियों, अधिनियम की धारा 7 के तहत स्थापित निर्यात निरीक्षण एजेंसियों (ईआईए) द्वारा या तो खेप-वार निरीक्षण या गुणवत्ता आश्वासन / खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से प्रदान किया जाता है। ईआईए मुंबई, कोलकाता, कोच्चि, चेन्नई और दिल्ली में 30 सह कार्यालयों के नेटवर्क के साथ स्थित हैं, जो पूरे भारत में 17025 अत्याधुनिक, एनएबीएल प्रत्यायित आईएसओ प्रयोगशालाओं से समर्थित हैं।

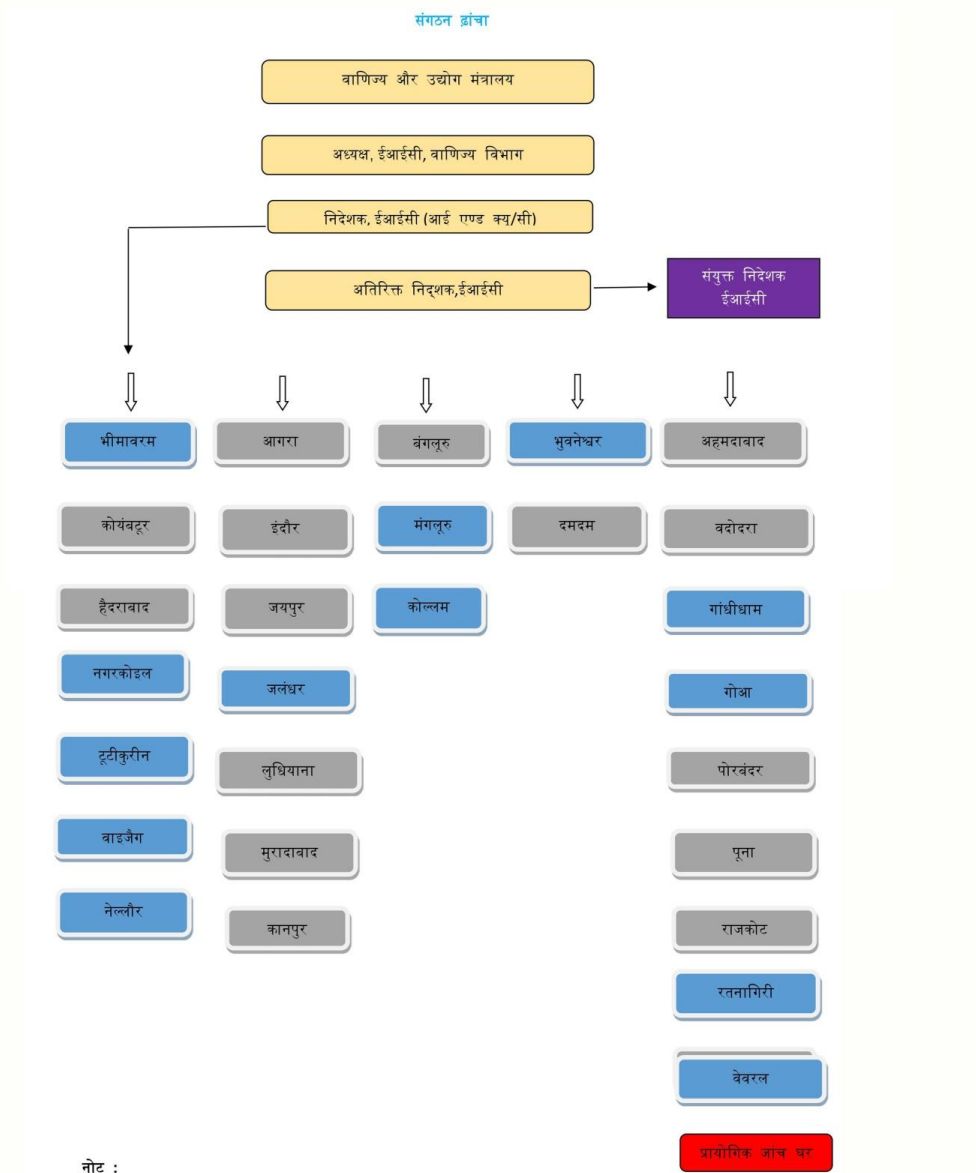
ईआईसी विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे मछली और मत्स्य उत्पादों, दूग्ध उत्पाद, अंडा उत्पाद, फ्रोजन / ठंडा मांस और मांस उत्पादों, ताजा पोल्टी और पोल्टी मांस उत्पादों, पशु कैसिंग, जिलेटिन, ऑसीन और कुचले हड्डियों, फ्रीड योजक और प्रीमिक्सचर, मूंगफली और मूंगफली उत्पादों (ईयू और मलेशिया), बासमती चावल (ईयू) और शहद के लिए

अनिवार्य प्रमाणीकरण प्रदान करता है जबकि अन्य खाद्य पदार्थ जिन्हें अधिनियम 1963 के तहत अधिसूचित नहीं किया गया है, को भी स्वैच्छिक आधार पर प्रमाणित करता है। निर्यात प्रमाणन इसके क्षेत्र संगठन (ईआईए) के माध्यम से किया जाता है, और जीएचपी / जीएमपी / एचएसीसीपी को शामिल करने के लिए एक प्रणाली दृष्टिकोण पर आधारित है और आयात करने वाले देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी अनुकूल है। आयात देशों की आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य पदार्थों के निरीक्षण, परीक्षण और प्रमाणन के क्षेत्र में पचास से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, ईआईसी ने वैश्विक स्वीकृति विकसित की है। वर्तमान में, ईआईसी प्रमाणन को भारत के कई व्यापारिक भागीदारों जैसे कि यूरोपीय संघ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, सऊदी अरब, ब्राजील, वियतनाम, चीन आदि द्वारा मान्यता प्राप्त है। खाद्य सुरक्षा नियमों और प्रमाणन की बदलती गतिशीलता के इस युग में, ईआईसी ने दुनिया भर में व्यापारिक साझेदारों के बीच विश्वास स्थापित करने के लिए अपनी भूमिका और कार्यों को परिवर्तित किया है। खाद्य सुरक्षा से संबंधित घटनाओं और तकनीकी उन्नयन के बढ़ते प्रसार के साथ-साथ आयात करने वाले देशों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्यातक की बिरादरी सहित हितधारकों में बदलाव लाने में ईआईसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

विश्व व्यापार संगठन समझौतों के बाद बढ़ते अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ताओं और बढ़ती मांगों के साथ वैश्विक व्यापार काफी तेज़ी से बढ़ रहा है। वैश्विक खाद्य व्यापार में प्रतिस्पर्धा के लिए गैर-शुल्क उपायों द्वारा पारित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक स्वच्छता और फाइटोसैनिटिक (एसपीएस) पहल को चलाने और ऐसे वातावरण के सृजन की आवश्यकता है। ईआईसी, समकक्षता और मान्यता प्राप्त करने के लिए नेटवर्क को स्थापित करने और हर संभव अवसर का लाभ उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आयात करने वाले देशों के प्रतिनिधिमंडल ईआईसी द्वारा बनाए गए आधिकारिक नियंत्रण और जोखिम नियंत्रण तंत्र का मूल्यांकन करते हैं। खाद्य और पशु चिकित्सा कार्यालय (डीजीएसएनटीई) यूरोपियन आयोग,

एफएसवीपीएस रूस, सीएनसीए/एक्यूएसआईक्यू चीन, एक्यूआईएस ऑस्ट्रेलिया, डीवीएस मलेशिया एनएफक्यूएडी वियतनाम के प्रतिनिधिमंडलों ने पहले हमारा दौरा किया है और ईआईसी निरीक्षण प्रमाणन और विश्लेषणात्मक परीक्षण प्रदर्शन की क्षमता और योग्यता का पता लगाया है।

ईआईसी हमेशा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक निर्धारण प्रक्रिया और निर्यातकों के हित को सुनिश्चित करने के लिए फीडबैक प्रदान करने में सक्रिय रूप से शामिल होता है। ईआईसी ने गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को अपनाया है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में तीव्र प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आईएसओ 9001: 2015 प्रमाणित है।



नोट :

- निर्यात निरीक्षण परिषद के तकनीकी और प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पांच निर्यात निरीक्षण एजेंसियाँ (एफएसवीपीएस, सीएनसीए/एक्यूएसआईक्यू, एक्यूआईएस ऑस्ट्रेलिया, डीवीएस मलेशिया, एनएफक्यूएडी वियतनाम) के मुखिया संयुक्त निदेशक हैं;
- ब्लू रंग से चिह्नित सह-कार्यालयों में लैब की सुविधा है, ग्रे रंग से चिह्नित सह-कार्यालयों में लैब की सुविधा नहीं है और लाल विशुद्ध रूप से केवल प्रयोगशाला हैं।

ईआईसी के प्रमुख कार्य:

- आयात करने वाले देशों के मानकों के अनुसार निर्यात की वस्तुओं की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली पर आधारित प्रसंस्करण इकाइयों की स्वीकृति;
- निर्धारित मानदंडों के अनुसार निर्यात वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खेप वार निरीक्षण (सीडब्ल्यूआई) के आधार पर वस्तुओं का पूर्व-शिपमेंट निरीक्षण और प्रमाणीकरण;
- विभिन्न अधिमान्य शुल्क योजनाओं के तहत निर्यात उत्पादों के लिए उत्पत्ति का अधिमान्य प्रमाण पत्र जारी करना;
- प्रयोगशाला परीक्षण सेवाओं और खाद्य उत्पादों की आयात खेप से लिए नमूनों के परीक्षण के लिए एफएसएसआई के साथ सहयोग;
- विभिन्न निर्यात प्रमाणन योजनाओं के तहत विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र, नामतः स्वास्थ्य, प्रामाणिकता, गैर- जीएमओ प्रमाण पत्र आदि जारी करना;
- निरीक्षण एजेंसियों और प्रयोगशालाओं की पहचान करना;
- आयात करने वाले देशों की आवश्यकताओं के अनुसार अवशेष निगरानी योजनाएं;
- गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के क्षेत्रों में उद्योगों और अन्य हितधारकों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण;
- डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों द्वारा टीबीटी अधिसूचना की निगरानी और भारत के व्यापार पर उसका प्रभाव।

विजन और मिशन

हमारा विज़न

- ❖ एक विश्वसनीय और कुशल निरीक्षण और प्रमाणन प्रणाली के माध्यम से भारतीय निर्यात को दुनिया भर तक पहुंचाने को सुविधाजनक बनाने और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को पूरा करने के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा को प्रमाणित हेतु भारत के प्रमुख संगठन के रूप में वैश्विक मान्यता अर्जित करना।

हमारा मिशन

- ❖ विश्व व्यापार संगठन की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रमाणन प्राधिकरण के लिए

अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर देश के भीतर एक निर्यात निरीक्षण और प्रमाणन संरचना का निर्माण करना;

- ❖ भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा के बारे में आयातकों के साथ-साथ भारत के व्यापारिक भागीदारों के नियामक अधिकारियों में विश्वास पैदा करना;
- ❖ चुने हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध करना;
- ❖ समतुल्यता समझौतों के माध्यम से भारत के व्यापारिक भागीदारों से ईआईसी निर्यात प्रमाणन प्रणाली के लिए मान्यता प्राप्त करना; अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भाग लेना और भारतीय हितों की रक्षा करना;
- ❖ अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षणों के माध्यम से जनशक्ति की क्षमता बढ़ाना; क्षमता संवर्धन के लिए नवीनतम तकनीकी प्रगति के साथ समन्वित होना।

विदेश व्यापार नीति और एक्जिम व्यापार

ईआईसी, अपनी स्थापना के बाद से आयात करने वाले देशों की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करके अपने गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण गतिविधियों के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ईआईसी की गुणवत्ता आश्वासन गतिविधियां भारतीय निर्यातों को विश्व व्यापी बनाती हैं और भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा के बारे में आयात करने वालों साथ ही साथ आयात करने वाले देशों में विश्वास पैदा कराती है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप ईआईसी प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) / पारस्परिक मान्यता समझौते (एमआरए) / समतुल्यता समझौते / मान्यता / सहयोग व्यवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है। ये व्यवस्था आयात करने वाले देशों के नियामक प्राधिकरणों द्वारा ईआईसी की प्रमाणन प्रणाली की स्वीकृति की सुविधाजनक बनाती है और कई सीमा निरीक्षणों से बचाती है।

मौजूदा समतुल्यता समझौतों / मान्यताओं / प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ सहयोग का विवरण सूचीबद्ध है

समतुल्यता समझौते / मान्यताएं / सहयोग व्यवस्थाएं

देश	कवर किए गए उत्पाद	समझौते / मान्यता का वर्ष
अमेरिका	काली मिर्च	1988
यूरोपीय आयोग	मछली और मत्स्य उत्पाद, बासमती चावल, पशु केसिंग, शहद, कुचली हुई हड्डियाँ ओसिन और जिलेटिन, अंडा उत्पाद, मूंगफली और मूंगफली उत्पाद, भोज्य और पूर्व मिश्रण, मसाले (शिमला मिर्च और जायफल)	1997-2016 से
कोरिया	फ्रोजन समुद्री उत्पाद, प्रोसेस्ड मसाले, प्रोसेस्ड नट्स, चाय, शहद, जैम, संरक्षित सामान, सॉस, चीनी सिरप, खाद्य तेल और वसा	2004
तुर्की	खाद्य उत्पाद, खाद्य पैकेजिंग सामग्री और स्टेनलेस स्टील के बर्तन	2004
श्री लंका	श्रीलंका की आयात निरीक्षण योजना के तहत 85 उत्पाद हैं अर्थात् दुग्ध उत्पाद, खाद्य तेल, डिब्बाबंद पानी, संरक्षित भोजन, प्रसाधन, साइकिल टायर और ट्यूब, स्टील सेक्शन और तार, बिजली के सामान और पीवीसी केबल और डोरियां आदि।	2005
सिंगापुर	खाद्य और कृषि (अंडा उत्पाद, डेयरी उत्पाद, पीने का पानी), इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, दूरसंचार उपकरण और औषधियां और फार्मास्यूटिकल्स	2005
जापान	पोल्ट्री और समुद्री उत्पाद	2005
रूसी संघ	मछली और मत्स्य उत्पाद	2009
सऊदी अरब	मछली और मत्स्य उत्पाद	2009
ब्राज़िल	मछली और मत्स्य उत्पाद	2010
मॉरीशस	बासमती चावल (प्रगति जारी है)	2012
चीन	मछली और मत्स्य उत्पादों के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र फ्रीड और फ्रीड सामग्री रेपसीड भोजन पर तकनीकी प्रोटोकॉल	2012 2013 2015
भूटान	खाद्य और कृषि उत्पाद	2013
यूएसएफडीए	नियोजन में सहयोगपूर्ण भागीदारी, खाद्य उत्पादों से जुड़े वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र, गोपनीय प्रतिबद्धताएं	2015 2016

ईआईसी ने अपने संसाधनों और सेवा की गुणवत्ता को विशिष्ट उद्देश्य के साथ बदल दिया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं की तुलना में खाद्य उत्पादों के निर्यात के अवसरों में वृद्धि के मूल उद्देश्य के साथ भारत सरकार द्वारा की गई पहल ईज़ ऑउ इंडिंग बिजनस और डिजिटल इंडिया को पूरा किया जा सके। ईआईसी अन्य हितधारकों जैसे अन्य प्रचारक बोर्डों, निर्यातकों, आयात करने वाले देशों के प्राधिकरणों और उद्योग संघों, बुनियादी ढांचे के निर्माण में वाणिज्य मंडलों, कौशल उन्नयन, तकनीकी क्षमता और विश्लेषणात्मक क्षमता के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है। विकसित देशों द्वारा लगाए गए एसपीएस उपायों से संबंधित भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए ईआईसी लगातार अपनी क्षमता बढ़ा रहा है।

अधिसूचित वस्तुओं की सूची

निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 भारत से व्यापार की सुरक्षा के आवश्यकताओं के आधार पर, निर्यात हेतु उत्पादों को उनके मानकों के साथ अधिसूचित करने के लिए, परिषद की सलाह पर केंद्र सरकार को अधिकार देता है। अधिनियम के तहत अधिसूचित विभिन्न वस्तुओं को नीचे तालिका में रखा गया है:

निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण)

अधिनियम, 1963 के तहत अधिसूचित वस्तुएं

अधिसूचित सामग्रियां	राजपत्र आदेश (शॉ) / अधिसूचना (एं) / आदेश
पशु केसिंग	दिनांक 03.11.1997 का आदेश का.आ.2947 और दिनांक 03.11.1997 का अधिसूचना का. आ. 2948 बाद में संशोधित दिनांक 08.6.2012 की अधिसूचना का.आ.13 (अ)
काली मिर्च	दिनांक 07.3.1988 का आदेश का.आ.245 और दिनांक 22.4.1991 का अधिसूचना का.आ.1311
बासमती चावल	दिनांक 23.01.2003 का आदेश का.आ.67 (अ) और दिनांक 23.01.2003 का अधिसूचना का.आ.68 (अ) और बाद में संशोधित दिनांक 15.5.2004 का अधिसूचना का.आ.1139, दिनांक 05.3.2005 का अधिसूचना का.आ.716 और दिनांक 24.5.2006 का अधिसूचना का.आ.791 (अ) दिनांक 13 जनवरी 2016 का एसओ 136 (अ)
कुचली हुई हड्डी, ओस्सीन और जिलेटिन	दिनांक 03.4.2012 का आदेश का.आ.725 (अ) और दिनांक 03.4. 2012 का अधिसूचना का.आ.726 (अ)
अंडा उत्पाद	दिनांक 04.08.1997 का आदेश का.आ.2077 और दिनांक 04.08.1997 का अधिसूचना का.आ.2078 और बाद में संशोधित दिनांक 19.12.2003 का आदेश का.आ.1442 (अ) और दिनांक 19.12.2003 का अधिसूचना का.आ.1443 (अ), दिनांक 25.02.2005 का अधिसूचना का.आ.721 और दिनांक 16.06.2008 का अधिसूचना का.आ.1516। दिनांक 22.8.2012का अधिसूचना का. आ.1952 (अ)
ताजा पोल्ट्री मांस और पोल्ट्री मांस उत्पाद	दिनांक 30.12.2002 का आदेश का.आ.1377 (अ) और दिनांक 30.12.2002 का अधिसूचना का.आ.1378 (अ) और बाद में संशोधित दिनांक 25.02.2005 का अधिसूचना का.आ.719 और दिनांक 16.6.2008 का अधिसूचना का.आ.1517
मछली और मत्स्य उत्पाद	दिनांक 21.8.1995 का आदेश 729 (अ) बाद में संशोधित दिनांक 17.8.2001 का आदेश का.आ.792 (अ), दिनांक 10.7.2002 का आदेश का.आ.722 (अ), दिनांक 24.4.2003 का आदेश का.आ. 464 (अ), दिनांक 23.10.2003 का आदेश का.आ.1227 (अ) और दिनांक 31.7.2006 आदेश का.आ.1227 (अ) और दिनांक 21.8.1995 का सिद्धांत अधिसूचना का.आ.730 (अ) और बाद में संशोधित दिनांक 11.4.2002 का अधिसूचना का.आ.415 (अ), दिनांक 24.9.2002का अधिसूचना का.आ.1029 (अ), दिनांक 9.9.2003 का अधिसूचना का.आ.1034 (अ), और दिनांक 25.2.2005 का अधिसूचना का.आ.717, दिनांक 15.02.2007का अधिसूचना का.आ. 612, दिनांक 16.6.2008 का अधिसूचना का.आ.1519 (अ), दिनांक 28.10,2009 का अधिसूचना का.आ.2714 (अ), दिनांक 21.01.2011 का अधिसूचना का.आ.143 (अ) और दिनांक 10.3.2011 का अधिसूचना

	का. आ. 497 (अ)
फल उत्पाद	दिनांक 20 मई 1978 का आदेश का.आ.1420, 1421 और 1422, दिनांक 14 जुलाई 2011 के दो एसओ 1626 (अ) और 1627 (अ) दोनों
खाद्य वर्धक और पूर्व मिश्रण	आदेश S.O 3523 (E) और अधिसूचना का.आ.3524 दोनों दिनांक 28, नवंबर 2013 का
शहद	आदेश क्रमांक का.आ.276 (अ) दिनांक 04.03. 2002 और अधिसूचना का.आ.277 (अ) दिनांक 04.03.2002 और बाद में संशोधन (ओं) की अधिसूचना का.आ.1444 दिनांक 19.12.2003, अधिसूचना का.आ.1245 दिनांक 14.05.2004 और अधिसूचना का.आ.1581 दिनांक 16.06.2008।
दूध के उत्पाद	आदेश 2719 दिनांक 28.11.2000 और अधिसूचना का.आ.2720 दिनांक 28.11.2000 और बाद में संशोधन (ओं) की अधिसूचना का.आ.3719 दिनांक 12.11.2002, अधिसूचना का.आ.999 (अ) दिनांक 13.9.2004, अधिसूचना का.आ.1397 दिनांक 24.4.2007, अधिसूचना का.आ. 712 दिनांक 25.02.2005 और अधिसूचना का.आ.1515 दिनांक 16.06.2008।
मूंगफली और मूंगफली उत्पाद	डीओसीपत्र दिनांक 16 मई 2013
प्रसंस्कृत मांस और मांस उत्पाद	आदेश का.आ.2680 दिनांक 22.9.1995 और अधिसूचना एस। ओ। 2681 दिनांक 22.9.1995।
कच्चा मांस (ठंडा / ठंडा)	आदेश का.आ.203 दिनांक 15.01.1993 और अधिसूचना का.आ. 204 दिनांक 15.01.1993 और बाद में संशोधन (एस) की अधिसूचना एस.ओ .205 दिनांक 25.01.1993, अधिसूचना का.आ.1989 दिनांक 03.09.1993 और का.आ. 2221 दिनांक 04.10.1993।
मसाले (शिमला मिर्च और जायफल)	20 फरवरी 2016
अंकुरित बीज	14 नवंबर 2017

वाणिज्यिक संबंध, व्यापार समझौते और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन

एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल (ईआईसी) जो भारत सरकार का एक सलाहकारी निकाय है, ने सेवा सुपुर्दगी में उत्कृष्टता प्राप्त करने के प्रयासों के साथ राष्ट्र के लिए सेवा का 55 वां वर्ष सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसकी प्रमुख उपलब्धियों में मजबूत नेतृत्व, प्रतिबद्ध और प्रेरित कर्मचारियों और सभी संबंधित हितधारकों के समर्थन का साझा प्रयास शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझौता ज्ञापन / एमआरए।

ईआईसी, एफएसएसएआई और जीएफएसपी के बीच उपयोगी सुविधाओं के लिए समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान

वर्ल्ड फूड इंडिया 2017 के दौरान खाद्य सुरक्षा और एप्लाइड पोषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र में उपयोगी सुविधाओं के लिए ईआईसी, एफएसएसएआई और जीएफएसपी के बीच एक समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया।



भूटान में ईआईसी, बीएफआरएकी बैठक

थिंपू भूटान में दिनांक 22.01.2018 को कृषि मंत्रालय, भूटान के निदेशक, ईआईसी और सचिव की उपस्थिति में भारत और बीएफआरए (भूटान कृषि और खाद्य नियामक प्राधिकरण) के बीच एक संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी।

जमैका विनियामक प्राधिकरण प्रतिनिधिमंडल का दौरा

21 से 25 अगस्त 2017 को ईआईए-मुंबई क्षेत्र के तहत मछली और मत्स्य उत्पाद प्रतिष्ठानों का सफल संपरीक्षा आयोजित की गयी।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल का दौरा

मत्स्य उत्पादों में नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल का दौरा

यूरोपीय संघ को निर्यात करने के लिए लक्षित मत्स्य उत्पादों के उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन करने हेतु एफवीओ मिशन ने नवंबर 2017 में भारत का दौरा किया।



मार्च 2018 में कनाडाई खाद्य निरीक्षण एजेंसी का एफवीओ मिशन दौरा



13 मार्च, 2018 को कनाडाई खाद्य निरीक्षण एजेंसी के विदेशी सत्यापन कार्यालय के प्रतिनिधिमंडल का ईआईसी, नई दिल्ली का दौरा। 16 मार्च 2018 को कनाडा के प्रतिनिधिमंडल (कनाडाई खाद्य निरीक्षण एजेंसी) द्वारा ईआईए-मुंबई क्षेत्र के तहत मछली और मत्स्य उत्पाद प्रतिष्ठानों का अन्य सफल लेखा परीक्षण किया गया।

ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल का दौरा ईआईए-कोच्चि लैब ने दिनांक 11.10.2017 के दौरान ऑस्ट्रेलियाई सरकार के प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का आयोजन और समन्वयन किया तथा दिनांक 12.10.2017 को ईआईए-कोच्चि और प्रयोगशाला में

कनाडा सरकार के प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का आयोजन और समन्वयन किया।



निर्यात उत्पादन के निर्यात संवर्धन तंत्र केंद्र- एसईजेड और ईओयू

निर्यातकों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने और गुड ट्रेड प्रैक्टिस को बढ़ावा देने के लिए, ईआईसीन केवल स्टाफ कार्मिकों के लिए बल्कि निर्यातकों के लिए भी आउटरीच कार्यक्रम का संचालन करता है। ईआईसी दुनिया भर में भारत से सुरक्षित और बेहतर निर्यात से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का एक प्रमुख हिस्सा रहा है।



अंतर्राष्ट्रीय समुद्री फूड शो
(आईआईएसएस 2018)

ईआईसी ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री फूड शो (आईआईएसएस 2018) में भाग लिया, जो 27-29 जनवरी 2018 तक गोवा में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में गोवा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर ने अपनी मौजूदगी से इसका मान बढ़ाया और माननीय सीआईएम श्री सुरेश प्रभु और सांसद श्री के. हरि बाबू ने ईआईसी के स्टाल का दौरा किया।

इंडस फूड 2018 में ईआईसीकी भागीदारी



ईआईसी ने नोएडा में इंडसफूड 2018 प्रदर्शनी में भी भाग लिया। प्रदर्शनी में ईआईसी के अध्यक्ष, श्री संतोष कुमार. सारंगी आए। कार्यक्रम की प्रमुख झलकियों में से एक थी कार्यक्रम के दौरान भारत-वियतनाम द्विपक्षीय व्यापार चर्चा।

पारदर्शिता, सार्वजनिक सुविधा और संबद्ध गतिविधियाँ

ईआईसी में, निरीक्षण और प्रमाणन, खेप वार निरीक्षण और एक प्रणाली दृष्टिकोण के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रणालियों को लागू किया जा रहा है। इनका विवरण विस्तृत रूप से नीचे दिए गए हैं:

- क) खेप-वार निरीक्षण (सीडब्ल्यूआई) प्रणाली:
- खेप-वार निरीक्षण के तहत, निर्यात खेप का ईआईए द्वारा निरीक्षण और परीक्षण किया जाता है। सांख्यिकीय नमूनाकरण योजनाओं के आधार पर नियमित अंतराल पर नमूने लिए जाते हैं, और निर्धारित मानकों के अनुरूप उत्पादों की पुष्टि के लिए उनका परीक्षण किया जाता है। परीक्षण स्थल पर और/या अनुमोदित प्रयोगशालाओं में किए जाते हैं। इस प्रकार के निरीक्षण को कुछ अधिसूचित वस्तुओं के लिए लागू किया गया है उदाहरण के लिए बासमती चावल, शहद, पशु केसिंग, फीड एडिटिव्स और प्री-मिश्रण, फलों के उत्पाद और स्वैच्छिक प्रमाणन योजना के तहत।

- ख) खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आधारित प्रमाणन (एफएसएमएससी)।

खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आधारित प्रमाणन का पालन खाद्य क्षेत्र में किया जाता है, जिसके तहत एचएसीसीपी / जीएमपी / जीएचपी पर आधारित खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के अनुरूप प्रसंस्करण इकाइयां स्वीकृत की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, उन्हें आयात करने वाले देशों द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिक उत्पादन नियंत्रण संबंधी तथा अंतिम उत्पाद आवश्यकताओं के अनुसार और उनके न होने की स्थिति में भारतीय / अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। वर्तमान में, इस तरह की प्रणाली को कई खाद्य उत्पादों में बढ़ावा दिया जा रहा है और कार्यान्वित किया जा रहा है। मछली और मत्स्य उत्पादों, दूध उत्पादों, पोल्ट्री मांस और पोल्ट्री मांस उत्पादों, अंडा उत्पादों के मामले में, भारत सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है कि इन उत्पादों को केवल इस प्रणाली के तहत शामिल अनुमोदित इकाइयों से ही निर्यात किया जा सकता है। कुछ खाद्य उत्पादों जैसे काली मिर्च, बासमती चावल, शहद आदि में, इस प्रणाली को स्वैच्छिक आधार पर या आयात करने वाले देश की आवश्यकताओं के अनुसार भी अपनाया

जा रहा है।

एफएसएमएससी आधारित प्रमाणीकरण में, प्रोसेसर की प्राथमिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि निर्यात के लिए बने उत्पादों को उत्पादन, भंडारण के सभी चरणों में संभाला / संसाधित किया जाए और उचित स्वच्छ शर्तों के तहत उनका स्थानांतरण किया जाए ताकि नियमों के अधीन निर्धारित स्वास्थ्य आवश्यकता को पूरा किया जा सके और उत्पाद आदेश में दिए गए विनिर्देशों के अनुरूप हों। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, संयंत्रों को स्वयं जांच करने और आवश्यक रिकॉर्ड रखने की प्रणाली को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। अधिसूचना आवश्यकताओं के अनुसार प्रसंस्करण संयंत्र द्वारा अनुपालन के सत्यापन के लिए ईआईसी की आवश्यकता है।

ईआईसी अत्यंत पारदर्शिता के साथ काम करता है और क्षेत्र के संगठनों को समान रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ईआईसी के पास स्वयं का सतर्कता विभाग है जहाँ शिकायतों को केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार नियंत्रित की जाती हैं। हर साल ईआईसी और ईआईएभ्रष्टाचार मुक्त भारत की प्राप्ति की दिशा में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाते हैं।

XI लॉजिस्टिक्स

लॉजिस्टिक्स डिवीजन की गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं।

- सभी प्रकार के लॉजिस्टिक्स के कार्यनिष्पादन की निगरानी के लिए मेटिक्स की संस्थापना। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स संरचना और सेवाओं के कार्यनिष्पादन और दक्षता की निगरानी और देश में लॉजिस्टिक्स संरचना में निवेश के प्रवाह के लिए एक संरचना तैयार करना।
- माल ढुलाई में विनियामक, बुनियादी ढाँचे या सेवाओं की अड़चनों की पहचान और उन्हें अनुसंधान, उद्योग की मदद से और अंतर-मंत्रालयी समन्वय के माध्यम से आसान बनाना, इसमें भारत में निर्यात आपूर्ति श्रृंखलाओं का

अध्ययन करना और उनकी दक्षता में सुधार करना शामिल है।

- परिवहन के व्यक्तिगत साधनों के कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए विशिष्ट हस्तक्षेपों को डिजाइन करना और अंतर-मोडेलिटी को बढ़ावा देने के लिए संरचना और नीति / नियामक हस्तक्षेपों की एक एकीकृत प्रणाली बनाना।
- विभिन्न मोड में कौशल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यक्रम बनाना और उनका अध्ययन तथा राज्य सरकारों के समन्वय से उनके कार्यान्वयन की एक योजना बनाना। लॉजिस्टिक्स, वैल्यू चेन और विनियामक कार्यों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रियाओं का अध्ययन करना, नीति तैयार करना और उद्योग जगत और सरकार के हितधारकों के साथ समन्वय करना।
- प्रस्तुतियों और विश्लेषणात्मक रिपोर्टों के माध्यम से उद्योग को संबोधित करते हुए लॉजिस्टिक्स की उत्तम प्रथाओं के बारे में जागरूकता फैलाना।

प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:

- भारत ने वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट में 2017 की अपनी 100 वीं रैंकिंग से बढ़ाकर 2018 में 77 कर ली है और ट्रेडिंग एक्सेस बोर्डर में 2017 के 146 रैंक से 88 पहुंच गया है।
- समुद्री बंदरगाहों पर औसत निवासी समय में सुधार दिखा है। आयात के लिए जेएनपीटी में औसत निवासी समय जनवरी, 2018 के 39.23 घंटों से सुधर कर दिसंबर, 2018 में 32.35 घंटे हो गया है। इसी तरह सेनिर्यात के लिए, निवासी समय में 76.04 घंटे से घटकर 74.03 घंटे हो गया है।
- व्यापार सुविधा और लॉजिस्टिक्स केंद्र, आईआईएफटीमें स्थापित किया गया है।
- लॉजिस्टिक स्किल काउंसिल के सहयोग से 23 योग्यता पैक विकसित और निर्धारित किए गए हैं। यह पहली बार है जब इस तरह के योग्यता पैक विकसित किए गए हैं।

- लॉजिस्टिक्स पर लोगों से जानकारी लेने के लिए सफरऐप का विकास और शुभारंभ किया गया है।

हमारे मध्यवर्तन से निम्नलिखित हुआ:

- सभी प्रमुख बंदरगाहों में पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम 1.X को शुरू किया गया था।
 - कई सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में ढील दी गई और उनमें सुधार किया गया। डोमेस्टिक्स कंटेनरों को अब एक्ज़िमकार्गो के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गई है, इसी तरह विदेशी कंटेनरों को घरेलू सामान ले जाने की अनुमति दी गई है।
 - रेलवे मंत्रालय के सहयोग से सीमेंट के लिए पहचाने गए मध्यवर्तन, कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इन मध्यवर्तनों से लगभग 3000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की बचत होगी।
 - भागीदार सरकारी एजेंसियों (पीजीए) के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) के विकास की कार्रवाई शुरू हो गई है।
 - पेट्रोल जाने वाले ट्रकों के लिए निष्क्रिय समय को कम करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई। एक मोबाइल आधारित ऐप विकसित किया जा रहा है।
 - पुणे के पास मंचर में एक माइक्रो कोल्ड स्टोर स्थापित किया गया था। कृषि-अपशिष्टों को कम करने और किसानों को बेहतर आय प्रदान करने की एक पायलट परियोजना शुरू की गई है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति पर हितधारकों से परामर्श लिया जा रहा था। संभावित निवेशकों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए एमएमएलपीनीति का मसौदा विकसित किया गया था। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक

नीति को लागू करने की कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है। वेयरहाउसिंग नीति का मसौदा तैयार किया गया और हितधारकों से परामर्श लिया जा रहा है। वस्तु विधेयक के मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्टेशन को मंत्रियों के समूह द्वारा तैयार और अनुमोदित किया गया है।

लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस एंड प्लानिंग टूल (एलपीपीटी) के लिए संकल्पना सबूत तैयार और अनुमोदित किया गया था।

2019 के लिए लॉजिस्टिक ईज़ ऑफ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (लीड्स) रिपोर्ट रिलीज़ के लिए तैयार है।

इसकी प्राथमिकताएँ इस प्रकार होंगी:

- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक कार्य योजना को लागू करना।
- कृषि क्षेत्र में अपशिष्ट को कम करने के लिए सामान्य उपयोगकर्ता सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करना।
- कोयला, सीमेंट, खाद्यान्न, लौह अयस्क और फलों एवं सब्जियों जैसे महत्वपूर्ण वस्तुओं में लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए पहचाने गए विभिन्न हस्तक्षेपों का कार्यान्वयन।
- इस क्षेत्र में योग्यता पैक विकसित करना और कौशल को औपचारिक बनाना।
- लॉजिस्टिक को एकीकृत तरीके से देखने के लिए एक सामान्य लॉजिस्टिक्स पोर्टल और एक प्रदर्शन योजना एवं निगरानी उपकरण विकसित करना।
- ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल का विकास करना।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /
अन्य पिछड़ा वर्ग, मिहलाओं एवं विकलांगों
के लिए किए गए कार्यक्रम



अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं एवं विकलांगों के लिए किए गए कार्यक्रम

वाणिज्य विभाग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तथा अन्य कल्याणकारी उपायों से संबंधित भारत सरकार के निर्देशों के समुचित कार्यान्वयन के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों एवं वस्तु बोर्डों के साथ संपर्क स्थापित करता है।

वाणिज्य विभाग में दो अलग अलग संपर्क अधिकारी (एक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / विकलांग व्यक्तियों के लिए और दूसरा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए) काम कर रहे हैं। संपर्क अधिकारी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / ओबीसी श्रेणी के कर्मचारियों की शिकायतों के शीघ्रता से निस्तारण का सुनिश्चय करते हैं तथा इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि आरक्षित श्रेणियों को ग्राह्य विभिन्न लाभ विभाग के सहायक संगठनों द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार वाणिज्य विभाग (समयक) तथा इसके सहायक संगठनों में सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या तथा अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों / विकलांग व्यक्तियों की संख्या अनुबंध 'क' में दी गई है। इस विभाग से संबद्ध विभिन्न संगठनों द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों का विवरण आने वाले पैराओं में दिया गया है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

1) पीईसी लिमिटेड

पीईसी में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में सरकारी निर्देशों / अनुदेशों का विधिवत रूप से पालन किया जाता है। पीईसी में स्टाफ संवर्ग के लिए समय वेतनमान पदोन्नति स्कीम लागू है। अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की अर्हक अवधि में पदोन्नति के प्रत्येक चरण पर एक साल की छूट प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, प्रधान कार्यालय में एक शिकायत रजिस्टर का अनुरक्षण किया जा रहा है। 2018-19 में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

2) मसाला बोर्ड

मसाला बोर्ड ने कर्मचारियों के कल्याण की देखभाल के लिए तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग समितियों का गठन किया है। मसाला बोर्ड ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित आरक्षण के मामलों के लिए एक संपर्क अधिकारी मनोनीत किया है।

3) एमएमटीसी लिमिटेड

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार एमएमटीसी में कुल 950 कर्मचारी (बोर्ड स्तर के कार्यपालकों एवं एमआईसीए कर्मचारियों सहित) थे, जिसमें से 198 (20.84 प्रतिशत) कर्मचारी अनुसूचित जाति, 94 (9.89 प्रतिशत) कर्मचारी अनुसूचित जनजाति और 100 (10.53 प्रतिशत) कर्मचारी अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के थे।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ तथा संपर्क अधिकारी

कंपनी में एक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ मौजूद है। कारपोरेट कार्यालय में एक महाप्रबंधक को मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है तथा प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति की गई है ताकि आरक्षण तथा उनको ग्राह्य अन्य रियायतों से संबंधित सरकारी निर्देशों के आदेशों एवं अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

छूटें / रियायतें

सीधी भर्ती में अजा / अजजा के उम्मीदवारों को आयु में 5 साल की छूट दी जाती है।

जहां तक विभागीय पदोन्नति का संबंध है, निम्नलिखित रियायतें दी जाती हैं :-

- ❖ कर्मचारी संवर्ग से अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा में अर्हक अंकों में 5 प्रतिशत की छूट,
- ❖ कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए टंकण की परीक्षा में 5 शब्द प्रति मिनट तक की छूट,
- ❖ वरिष्ठता सह उपयुक्तता के तहत कर्मचारी संवर्ग के अंदर पदोन्नति के लिए अर्हक अवधि में एक साल की छूट।

सीधी भर्ती एवं विभागीय पदोन्नति के लिए सभी चयन समितियों में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि को नामित किया जाता है।

प्रशिक्षण

उनके प्रकार्यात्मक एवं सॉफ्ट कौशलों को बढ़ाने के उद्देश्य से, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को समय - समय पर विभिन्न अंतर्गृह प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा संचालित कार्यक्रमों में भी नामित किया गया।

क्वार्टर का आबंटन

क्वार्टर के आवंटन में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को 'ख' श्रेणी के आवास के मामले में 10 प्रतिशत तक तथा 'ग' एवं 'घ' श्रेणी के आवास के संबंध में 5 प्रतिशत तक आरक्षण प्रदान किया जाता है।

बैठकें

कंपनी ने "सुगठित बैठक स्कीम" लागू की है जिसमें सेवा मामलों तथा कल्याण के उपायों पर चर्चा करने एवं इनसे जुड़े मुद्दों का समाधान करने आवधिक आधार पर प्रबंधन कर्मचारियों के विभिन्न प्रतिनिधि निकायों के साथ बैठक करता है। इस दर्शन की तर्ज पर कंपनी के सभी कार्यालयों में मिनरल्स एंड

मेटल ट्रेडिंग कारपोरेशन अजा / अजजा कल्याण संघों तथा मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कारपोरेशन अजा / अजजा संघों के परिसंघ के साथ आवधिक बैठक बुलाई जाती हैं।

4) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कार्यक्रम :

(i) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए भर्ती के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है।

(ii) सरकारी कंपनी में भर्ती एवं पदोन्नति के लिए आरक्षण पर प्रशिक्षण के लिए अजा / अजजा संघ के प्रतिनिधियों को नामित किया जाता है।

(iii) अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों से संबंधित मामलों को देखने के लिए अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के लिए संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

(iv) भारत सरकार के नियमों के अनुसार भर्ती एवं पदोन्नति में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को आरक्षण प्रदान किया जाता है।

(v) उम्मीदवारों / कर्मचारियों की भर्ती / पदोन्नति के लिए गठित पैनलों में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के कम से कम एक सदस्य की नियुक्ति की जाती है।

अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए कार्यक्रम:

(i) अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की भर्ती के लिए भारत सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाता है।

(ii) अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित मामलों को देखने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

- (iii) भर्ती के पैनों में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के उम्मीदवारों की नियुक्ति पर समुचित रूप से ध्यान दिया जाता है।

5) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन

भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन में आरक्षण से संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया। अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की देखभाल करने के लिए संपर्क अधिकारी का मनोनयन किया गया है। इन श्रेणियों के उम्मीदवारों के हितों की देखभाल करने के लिए विभागीय पदोन्नति / चयन समिति की प्रत्येक बैठक में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के उपयुक्त स्तर के अधिकारियों को शामिल किया गया है।

6) कॉफी बोर्ड

कॉफी बोर्ड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला कर्मचारियों के समग्र कल्याण एवं विकास को ध्यान में रखते हुए अनुकूल परिवेश का सृजन करके बहुआयामी दृष्टिकोण का अनुपालन कर रहा है।

7) नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में सभी सरकारी निर्देशों / अनुदेशों का नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा विधिवत रूप से अनुपालन किया जाता है। 66 पदों के कुल कर्मचारियों के विरुद्ध नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 13, 3 और 10 है।

8) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन (एसटीसी) ऑफ इंडिया लिमिटेड

कंपनी की अस्थिर हालत के कारण वर्ष 2018-19 के लिए प्रशिक्षण एवं विकास के लिए कोई बजट आवंटित नहीं किया गया। तथापि, इस अवधि के दौरान एसटीसी ने ऐसे प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों को भेजने की पहल की जिसमें कोई वित्तीय प्रभाव शामिल नहीं था। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के 5 कर्मचारियों सहित कुल 10 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया जो विशिष्ट तथा आचरण / प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण थे। उक्त अवधि के दौरान प्रशिक्षित किए गए कर्मचारियों का श्रेणीवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिलाएं
प्रशिक्षित किए गए कर्मचारियों की संख्या	00	02	03	04

9) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय

अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है तथा संपर्क अधिकारियों के निदेश के अनुसार यह निदेशालय उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी को मांग प्रस्तुत करता है।

10) विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं ओबीसी वर्गों के कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 'संपर्क अधिकारी' की नियुक्ति की गई है।

11) रबर बोर्ड

रबर बोर्ड ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों को अटेंड करने के लिए संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की। संपर्क अधिकारी शिकायतों / परिवादों को दाखिल

करने के लिए सांविधिक रजिस्टर तैयार करता है। रबर बोर्ड ऐसी शिकायतों, यदि कोई हों, की आवधिक आधार पर निगरानी करता है और ऐसी शिकायतों का समय से निस्तारण करता है। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों द्वारा संपर्क अधिकारी की सेवाओं का कारगर ढंग से उपयोग किया जा रहा है, जब भी उनकी कोई शिकायत / परिवाद होता है।

12) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

आईआईएफटी उस समय लागू संसद के किसी अधिनियम के अनुसरण में दाखिला एवं भर्ती में आरक्षण नीति को लागू करता है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए भेदभावरोधी समिति का गठन किया गया है। साथ ही संस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम

विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 (1) अन्य बातों के साथ यह कहती है कि प्रत्येक उपयुक्त सरकार प्रत्येक सरकारी स्थापना में न्यूनतम निर्धारित विकलांगता वाले व्यक्तियों से भरे जाने पदों के प्रत्येक समूह में संवर्ग स्ट्रेथ में रिक्तियों की कुल संख्या का कम से कम 4 प्रतिशत नियुक्त करेगी जिसमें से प्रत्येक का 1 प्रतिशत खंड (क), (ख) और (ग) के तहत न्यूनतम निर्धारित विकलांगता वाले व्यक्तियों और 1 प्रतिशत खंड (घ) और (ड.) के तहत न्यूनतम निर्धारित विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा, अर्थात :

(क) दृष्टिहीनता या कम दिखना;

(ख) मूक तथा कम सुनाई देना;

(ग) प्रमस्तिष्क पक्षाघात, उपचारित कुष्ठरोग, बौनापन, एसिड हमला पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित लोकोमोटर अपंगता;

(घ) ऑटिज्म, बौद्धिक अपंगता, विशिष्ट अधिगम अपंगता एवं मानसिक बीमारी;

(ड.) खंड (क) से (घ) के तहत व्यक्तियों में से अनेक विकलांगता जिसमें

प्रत्येक अपंगता के लिए चिह्नित पदों में मूक - दृष्टिहीनता शामिल है।

विकलांग व्यक्तियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश हैं ताकि विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त कार्य स्थल को सुगम्य बनाया जा सके। वाणिज्य विभाग ने विकलांग व्यक्तियों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की। 31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार वाणिज्य विभाग (सम्यक) तथा इसके सहायक संगठनों में विभिन्न श्रेणियों में विकलांग व्यक्तियों की कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण अनुबंध 'ख' में दिया गया है।

1) पीईसी लिमिटेड

पीईसी में विकलांग व्यक्तियों के संबंध में सभी सरकारी निर्देशों / अनुदेशों का विधिवत रूप से अनुपालन किया जाता है। कर्मचारी संवर्ग के लिए पीईसी में एक समय वेतनमान पदोन्नति स्कीम मौजूद है। अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों तथा विकलांग कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की अर्हक अवधि में पदोन्नति के प्रत्येक चरण पर एक साल की छुट प्रदान की जाती है। इसके अलावा, प्रधान कार्यालय में एक शिकायत रजिस्टर का अनुरक्षण किया जा रहा है। आज तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

2) मसाला बोर्ड

विकलांग व्यक्तियों की शिकायतों एवं आरक्षण के मामलों को देखने के लिए मसाला बोर्ड ने एक संपर्क अधिकारी नामित किया है। वर्ष के दौरान, समूह 'क' श्रेणी में यूआर-पीडब्ल्यूडी (ओए / ओएल) के 1 पद आरक्षित किया गया है तथा उसे वाणिज्य विभाग के अनुमोदन से 03 अप्रैल, 2018 को भरा गया है।

3) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(i) विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों को ऐसे पदों पर स्थानांतरित किया जाता है जो विकलांग श्रेणी के कर्मचारियों के उपयुक्त होते हैं।

(ii) भर्ती एवं पदोन्नति की परीक्षाओं में उनके लिए लेखक की अनुमति है।

(iii) विकलांग श्रेणी के कर्मचारियों को वरीयतः कार्यालयों में भूतल पर तैनात किया जाता है।

(iv) विकलांग व्यक्तियों की भर्ती के लिए सरकार की आरक्षण नीति का कड़ाई से पालन किया जाता है।

(v) विकलांग श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित मामलों को देखने के लिए विकलांग श्रेणी के कर्मचारियों के लिए संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

4) कॉफी बोर्ड

कॉफी बोर्ड विकलांग कर्मचारियों के समग्र कल्याण एवं विकास को ध्यान में रखते हुए अनुकूल परिवेश का सृजन करके बहुआयामी दृष्टिकोण का अनुपालन कर रहा है।

5) एमएमटीसी लिमिटेड

कार्यालय परिसर में आना और जाना सुगम बनाने के उद्देश्य से विकलांग व्यक्तियों के लिए रैंप की व्यवस्था की गई है।

विकलांग कर्मचारियों की विकलांगता को ध्यान में रखकर उनकी तैनाती की जाती है ताकि वे अपना काम दक्षता के साथ पूरा कर सकें।

कार्यालय भवनों में श्रव्य सिग्नल हैं जो फ्लोर की घोषणा करते हैं। इनमें से कुछ में ब्रेल पद्धति में फ्लोर पहचान बटन लगे हैं।

6) नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

इस कार्यालय में विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा भर्ती के संबंध में जारी किए गए निदेशों एवं अनुदेशों का पालन किया गया है तथा समूह 'ग' श्रेणी में ओर्थोपेडिक दृष्टि से विकलांग व्यक्ति के एक पद आरक्षित किया गया है तथा उसे

समावेशन / स्थानांतरण द्वारा 07 नवंबर, 2106 को भरा गया है।

7) एमईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र

विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यालय आने और जाने के लिए रैंप उपलब्ध कराया। विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष विश्राम कक्षों का निर्माण किया गया है।

8) रबर बोर्ड

रबर बोर्ड ने विकलांग व्यक्तियों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की। संपर्क अधिकारी शिकायतों / परिवादों को दर्ज करने के लिए सांविधिक रजिस्टर रखता है और बोर्ड समय समय पर ऐसी शिकायतों, यदि कोई हो, की निगरानी करता है तथा उनका समय से निस्तारण करता है। बोर्ड प्रख्यात विकलांग व्यक्तियों के भाषणों का आयोजन करके हर साल 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस मनाता है तथा बोर्ड के ऐसे सभी कर्मचारियों को सम्मानित करता है जो विकलांग हैं। बोर्ड विकलांग कर्मचारियों के अबाध मूवमेंट के लिए रैंप तथा लिफ्ट की सुविधा भी प्रदान करता है। दृष्टि विकलांग कर्मचारियों को ईपीएबीएक्स के प्रचालन के लिए रखा जाता है।

9) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन

विकलांग व्यक्तियों के लिए पदों / सेवाओं में आरक्षण के संबंध में विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में निहित प्रावधानों का भी पालन किया गया है।

10) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

आईआईएफटी संसद के किसी अधिनियम के अनुसरण में दाखिला एवं भर्ती में आरक्षण नीति को लागू करता है। संस्थान भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। इसलिए विकलांग व्यक्तियों के लिए रिक्तियों, यदि कोई हो, को तब भरा जाएगा जब भर्ती नियमों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम

वाणिज्य विभाग में एक स्वतंत्र महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है जिसके कार्य मोटेतौर पर निम्नलिखित हैं :

- (क) महिलाओं के कल्याण एवं आर्थिक सशक्तीकरण से जुड़े मामलों तथा अन्य संबद्ध मुद्दों के संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- (ख) वाणिज्य विभाग की योजनागत स्कीमों तथा अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा करना और यह सुनिश्चित करना की कार्यक्रमों / स्कीमों के माध्यम से महिलाओं के कल्याण, विकास एवं सशक्तीकरण से जुड़े पहलुओं का संवर्धन किया जाता है।
- (ग) राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति की तर्ज पर महिलाओं के समग्र विकास से संबंधित कार्य योजनाएं तैयार करना।
- (घ) कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम एवं प्रतितोष। वाणिज्य विभाग, इसके संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों, पीएसयू, स्वायत्त निकायों आदि में शिकायत समिति का गठन, उनके निष्पादन की निगरानी करना और आवश्यक मदद व मार्गदर्शन प्रदान करना।
- (ङ) महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह के साथ जागरूकता सप्ताह मनाना।
- (च) इस विषय से संबंधित अन्य अनुषांगिक मामले।

1) पीईसी लिमिटेड

पीईसी लिमिटेड एक छोटा संगठन है जिसमें 31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार कुल 80 कर्मचारी हैं जिसमें से 16 महिलाएं हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 (1) के प्रावधानों के अनुपालन में, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण और प्रतितोष के लिए पीईसी में एक आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया गया है।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पीईसी में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष के लिए एक व्यापक नीति अपनाई गई है।

फरवरी 2018 में एक कर्मचारी से एक शिकायत प्राप्त हुई है तथा नीति के प्रावधानों के अनुसार जांच पूरी हो गई थी। 2018-19 में कोई नई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

2) एमएमटीसी लिमिटेड

(क) कुल जनशक्ति में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व 21.16 प्रतिशत (201 कर्मचारी) है।

(ख) एमएमटीसी में महिला कल्याण से जुड़े कार्य राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति के विस्तृत दिशानिर्देशों तथा सार्वजनिक क्षेत्र में महिला मंच (डब्ल्यू आई पी एस) के उद्देश्यों से चुने जाते हैं। एमएमटीसी इस मंच में अपने महिला कर्मचारियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। एमएमटीसी के एक महाप्रबंधक, जो महिला अधिकारी है, डब्ल्यूआईपीएस अपेक्स के महासचिव हैं। अनेक अन्य महिलाएं डब्ल्यूआईपीएस की सदस्य हैं।

(ग) अन्य कल्याणकारी गतिविधियों के तहत महिला कर्मचारियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच शामिल है। एमएमटीसी में पदोन्नति नीति के तहत हर स्तर से बोर्ड स्तर तक योग्य एवं मेधावी उम्मीदवारों के चयन के लिए समान अवसर दिया

जाता है तथा इस संबंध में जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है।

(घ) कार्यस्थल पर महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए कॉरपोरेट कार्यालय में तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में भी एक सक्रिय शिकायत समिति है। यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत दर्ज कराने के लिए महिला कर्मचारी शिकायत समिति से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होती हैं। समय - समय पर महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत उनके अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करने के प्रयास किए जाते हैं। करीब से निगरानी के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों से महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों की मासिक रिपोर्ट भी प्राप्त की जाती है। एमएमटीसी द्वारा कार्य एवं व्यवहार के संबंध में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिलाओं के अच्छे प्रतिनिधित्व का सुनिश्चय किया जाता है।

3) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(i) महिला दिवस पर महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है।

(ii) डब्ल्यूआईपीएस (सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं) द्वारा संचालित कार्यक्रमों / सेमिनारों / कार्यशालाओं के लिए महिला कर्मचारियों को मनोनीत किया जाता है।

(iii) कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न पर एक समिति स्थापित की गई है।

(iv) भर्ती के लिए गठित पैनलों में महिला सदस्यों की नियुक्ति पर समुचित रूप से ध्यान दिया जाता है।

4) नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुसरण में, एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है जिसका प्रमुख एक महिला अधिकारी हैं तथा 2 महिला सदस्य हैं जिसमें एक महिला एनजीओ सदस्य शामिल है।

5) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय

महिलाओं के मामलों को देखने के लिए एक महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

6) विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण के तहत आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है।

7) मसाला बोर्ड

महिलाओं की कठिनाइयों / समस्याओं, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए या संभावित समाधानों के लिए सुझावों के साथ उनको उच्च प्राधिकारियों की जानकारी में लाने के लिए बोर्ड की एक महिला अधिकारी (समूह 'क' स्तर) को "महिला कल्याण अधिकारी" के रूप में नियुक्त किया गया है। महिला कर्मचारियों की शिकायतों पर भी शीघ्रता से एवं समुचित ढंग से ध्यान दिया जाता है।

8) रबर बोर्ड: कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाता है जिसमें एक बाहरी सदस्य सहित चार सदस्य होते हैं, जो समाज कार्य में निपुण होता है (रबर बोर्ड की वेबसाइट पर ब्यौरे प्रकाशित किए गए हैं)। समिति की हर तिमाही में बैठक हो रही है तथा अभी तब कोई शिकायत संदर्भित नहीं की गई है।

9) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

संस्थान ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है।

अनुबंध क

संगठन का नाम संगठन	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार)	कलेंडर वर्ष 2018 के दौरान भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	कलेंडर वर्ष 2018 के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या	कलेंडर वर्ष 2018 के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या	अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या	कलेंडर वर्ष 2018 के दौरान भर्ती किए गए अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या जो कलेंडर वर्ष 2018 के अंत में भरी नहीं गई हैं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
वाणिज्य विभाग (विशिष्ट)	समूह क	158	-	18	-	3	-	9	-	-
	समूह ख	227	5	29	2	9	-	31	3	-
	समूह ग	176	27	44	-	15	-	40*	15#	*6 (ओबीसी) जिन्होंने सामान्य मानक पर अर्हता प्राप्त की है #02 (ओबीसी) जिन्होंने सामान्य मानक पर अर्हता प्राप्त की है
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह क	95	-	11	-	4	-	3	-	डीओपी टी नोडल मंत्रालय है
आपूर्ति प्रभाग	समूह ख	71	-	17	-	3	-	7	-	
	समूह ग	44	-	23	-	2	-	3	-	शून्य

	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल विभाग + पूर्ति प्रभाग)	(वाणिज्य)	771	32	142	2	36	-	93	18	0

वाणिज्य विभाग के अधीन संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस), कोलकाता	समूह क	16	-	1	-	-	-	2	-	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित
	समूह ख	181	-	47	-	16	-	3	-	
	समूह ग	63	1	4	-	7	-	34	1	डाटा प्रोसेसिंग सहायक (अनुसूचित जाति - 11, अनुसूचित जनजाति - 4, अन्य पिछड़ा वर्ग - 4, अनारक्षित - 29) और अवर श्रेणी लिपिक (अनुसूचित जाति - 2, अनुसूचित जनजाति - 1, अन्य पिछड़ा वर्ग - 2, अनारक्षित पद) के 48 पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग को नया मांग पत्र पहले ही भेजा जा चुका है।
	समूह ग* (एमटीएस)	37	-	9	-	2	-	1	-	अनुसूचित जनजाति के 1 पद के लिए कर्मचारी चयन आयोग को मांग भेजी गई है
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र, कोचीन	समूह क	3	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह ख	24	शून्य	4	शून्य	01	शून्य	03	शून्य	शून्य
	समूह ग	24	शून्य	4	शून्य	01	शून्य	12	शून्य	शून्य
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एमईपीजेड एसईजेड चेन्नई	समूह क	4	केंद्रीय सिविल सेवा (आईएस / आईटीएस / आईआरएस) से प्रतिनियुक्ति पर भरे गए							
	समूह ख	58	प्रतिनियुक्ति एवं संवर्गीकरण पर भरे गए							
	समूह ग	37	0	20	0	1	0	10	0	1* (एससी श्रेणी में आशुलिपिक ग्रेड की एक रिक्ति को भरने के लिए उम्मीदवार के लिए मंत्रालय के माध्यम से एसएससी को अनुरोध भेजा गया है)
	समूह घ	शून्य	संस्वीकृत जनशक्ति में समूह घ का कोई पद नहीं है							

	(सफाई कर्मचारी को छोड़कर)									
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	शून्य								
कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, कांडला	समूह क	2	-	1	-	-	-	-	-	-
	समूह ख	7	-	-	-	1	-	-	-	-
	समूह ग	24	-	4	-	1	-	4	-	2 अनुसूचित जाति
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	41	-	8	-	3	-	10	-	-
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	2	-	2	-	-	-	-	-	-
विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशाखापत्तनम	समूह क	4	3	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	उपलब्ध नहीं
	समूह ख	15	3	1	शून्य	1	1	शून्य	शून्य	उपलब्ध नहीं
	समूह ग	13	शून्य	4	शून्य	1	शून्य	6	शून्य	उपलब्ध नहीं
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, कोलकाता	समूह क	04	शून्य	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह ख	19	शून्य	02	शून्य	01	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह ग	13	01	04	शून्य	शून्य	शून्य	01	शून्य	शून्य
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
इंदौर विशेष आर्थिक क्षेत्र, इंदौर	समूह क	2	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह ख	13	13	1	1	शून्य	शून्य	1	शून्य	चूंकि इस कार्यालय में सभी पद के प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जा रहे हैं तथा कोई सीधी भर्ती नहीं होती है।
	समूह ग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा	समूह क	5	-	-	-	-	-	-	-	सभी पद प्रतिनियुक्ति के
	समूह ख	22	-	03	-	-	--	-	-	20 प्रतिनियुक्ति पद के
	समूह ग	39	-	10	-	03	-	10	-	-
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	छोड़कर)									
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एसईईपीजेड एसईजेड	समूह क	5*	-	-	-	-	-	1*	-	*प्रतिनियुक्ति आधार पर
	समूह ख (राजपत्रित)	13*	-	2*	-	-	-	-	-	एडीसी-1 एससी *प्रतिनियुक्ति आधार पर
	समूह 'ख' (अराजपत्रित)	25(19*)	-	1	-	1*	-	2(1*)	-	सहायक : 1 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति *प्रतिनियुक्ति आधार पर
	समूह ग	55(1*)	-	13	-	3	-	16	-	यूडीसी - 2 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति एलडीसी - 1 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति *प्रतिनियुक्ति
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप जोड़ (क)		770	23	148	1	43	1	116	1	65

वाणिज्य विभाग के अधीन स्वायत्त निकाय एवं वस्तु बोर्ड										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
काँफी बोर्ड, बंगलौर	समूह क	78	शून्य	9	शून्य	6	शून्य	21	शून्य	5
	समूह ख	138	शून्य	26	शून्य	11	शून्य	20	शून्य	20
	समूह ग	484	शून्य	89	शून्य	28	शून्य	69	शून्य	61
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	----	----	----	----	(ख)	----	----	----	----
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	----	--	----	--	----	----	----	----	----
मसाला बोर्ड, कोचीन	समूह क	88	1	12	शून्य	8	शून्य	21	शून्य	1 (एससी) जिसे सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा
	समूह ख	109	शून्य	14	शून्य	13	शून्य	35	शून्य	1 (एससी) जिसे सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा तथा 4 (एससी) एवं 1 (एसटी) जिसे पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा
	समूह ग	174	शून्य	27	शून्य	17	शून्य	59	शून्य	1 (एससी) जिसे सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा तथा 8 (एससी) एवं 2 (एसटी) जिसे पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा
	समूह घ (सफाई)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	कर्मचारी को छोड़कर)										
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
रबर बोर्ड, कोट्टायम	समूह क	234	-	26	-	18	-	38	-	एससी - 7	मंत्रालय के पत्र संख्या 5/1004/2015-प्लांट (समन्वय) दिनांक 22 फरवरी, 2017 के माध्यम से मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी रिक्ति (पदोन्नति या नियुक्ति) को न भरने की हिदायत दी गई है।
	समूह ख	564	-	72	-	39	-	89	-	एससी-24 एसटी-4	
	समूह ग	546	-	78	-	56	-	178	-	एससी-9 एसटी-1	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	1	-	1	-	-	-	-	-	शून्य	
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
तंबाकू बोर्ड, गुंटूर	समूह क	97	शून्य	21	-	7	-	13	-	-	
	समूह ख	88	शून्य	20	-	8	-	15	-	-	
	समूह ग	289	शून्य	46	-	17	-	70	-	-	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
चाय बोर्ड, कोलकाता	समूह क	70	2	9	0	4	0	17	0	-	
	समूह ख	130	0	22	0	5	0	31	0	-	
	समूह ग	119	0	18	0	3	0	15	0	-	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	129	0	27	0	12	0	7	0	-	
	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ई आई सी), नई दिल्ली	समूह क	104	-	22	-	5	-	24	-	पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है	
	समूह ख	34	1	4	-	5	-	9	-		
	समूह ग	133	-	15	-	2	-	20	-		
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-		
	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-		
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (मपेडा)	समूह क	67	1	9 (प्रतिनियुक्ति पर 2 नियुक्ति को छोड़कर)	-	8	-	22 (प्रतिनियुक्ति पर 2 नियुक्ति को छोड़कर)	-	एससी-1*	*मंत्रालय के अनुदेश दिनांक 17 अप्रैल, 2017 के अनुसार, वाणिज्य विभाग के पूर्व अनुमोदन के बगैर कोई भी रिक्त पद नहीं भरा जाएगा या कोई पदोन्नति नहीं की जाएगी। मंत्रालय के अनुमोदन से लेखा अधिकारी के पद के लिए एससी की एक रिक्ति भरी गई।
	समूह ख	85	1	19	1	8	-	25 (प्रतिनियुक्ति पर 1 नियुक्ति को छोड़कर)	-	एससी - 4, एसटी - 2*	
	समूह ग	66	-	9 (प्रतिनियुक्ति पर 1 नियुक्ति को छोड़कर)	-	4	-	27 (प्रतिनियुक्ति पर 2 नियुक्ति को छोड़कर)	-	एससी - 1, एसटी - 2*	
	पूर्व समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	21	--	5	-	5	-	5	-	एससी-1*	
	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान	समूह क	65	15	2	-	-	-	6	3	संस्थान अपनी भर्ती नियमावली में संशोधन कर रहा है। इसलिए सीधी भर्ती के पद तभी भरे जाएंगे जब इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
	समूह ख	59	1	14	-	4	-	6	1	
	समूह ग	13	-	2	-	-	-	3	-	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपेडा)	समूह क	23	0	5	0	1	0	1	0	1
	समूह ख	30	0	6	0	1	0	4	0	2
	समूह ग	31	0	4	0	3	0	6	0	8
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
भारतीय पैकेजिंग संस्थान	समूह क	32	शून्य	4	शून्य	2	शून्य	7	शून्य	1 - अनुसूचित जाति
	समूह ख	10	शून्य	2	शून्य	1	शून्य	2	शून्य	0
	समूह ग	42	शून्य	5	शून्य	0	शून्य	11	शून्य	2 - अनुसूचित जाति
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप योग (ख)		4153	22	644	1	301	0	876	4	174

वाणिज्यिक विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	समूह क	305	2	75	0	18	0	33	1	0
	समूह ख	75	0	12	0	6	0	3	0	संगठन की नीति के अनुसार अनुकंपा आधार पर की गई नियुक्तियों को छोड़कर पिछले लगभग 22 वर्षों (लगभग) से स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन में समूह 'ख' और 'ग' में कोई भर्ती नहीं हुई है।
	समूह ग	61	0	24	0	8	0	3	0	
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एमएमटीसी लिमिटेड	समूह क	388	2	74	-	29	-	36	-	-
	समूह ख	362	-	74	-	52	-	13	-	-
	समूह ग	90	-	17	-	4	-	23	-	-
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	110	-	33	-	9	-	28	-	-
	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन	समूह क	123	02	25	-	05	-	14	01	-
	समूह ख	56	-	14	-	03	-	01	-	-
	समूह ग	189	03	38	01	06	-	20	02	1 (अनुसूचित जनजाति)
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	246	-	51	-	03	-	10	-	-
	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	36	-	34	-	-	-	-	-	-
पीईसी लिमिटेड	समूह क	76 (अन्य संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर समूह क में 01 निदेशक एवं 03 कर्मचारियों सहित)	-	14	-	4	-	13	-	4
	समूह ख	3	-	2	-	0	-	1	-	0
	समूह ग	1	-	0	-	0	-	0	-	0
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	को छोड़कर)									
	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-		-		-		-	
ईसीजीसी लिमिटेड	समूह क	246	0	44	0	15	0	41	0	0
	समूह ख	336	43	58	8	26	2	83	16	0
	समूह ग	18	0	5	0	3	0	1	0	0
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	6	0	1	0	0	0	1	0	0
	समूह 'घ' (केवल सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप जोड़ (ग)		2727	52	595	9	191	2	324	20	5
कुल योग (क+ख+ग)		8421	129	1529	13	571	3	1409	43	244

अनुबंध ख

संगठन का नाम संगठन	समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	भर्ती किए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार)	दृष्टि विकलांग कर्मचारियों की संख्या	भर्ती किए गए वीएच श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार)	अस्थि विकलांग कर्मचारियों की संख्या	भर्ती किए गए ओएच श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार)	श्रवण विकलांग कर्मचारियों की संख्या	भर्ती किए गए एचएच श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या (31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार)	विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या जो 31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार नहीं भरी गई हैं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
वाणिज्य विभाग (विशिष्ट)	समूह क	158	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह ख	227	10	3	-	2	1	2	0	-
	समूह ग	176	41	-	-	1	1	-	-	1
	समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)									
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आपूर्ति प्रभाग	समूह क	95	----	-	-	-	-	-	-	-
	समूह ख	71	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह ग	44	-	-	-	1	-	-	-	-
	समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)									
कुल (वाणिज्य विभाग + पूर्ति)		771	51	3	0	4	2	2	0	1
वाणिज्य विभाग के अधीन संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय										
वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस), कोलकाता	समूह क	16	*	--	*	--	*	--	*	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित
	समूह ख	181	--	--	--	4	--	--	--	समूह 'ख' के सभी पद पदोन्नति के पद हैं तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण

										का कोई प्रावधान नहीं है।
	समूह ग	63	--	--	--	1	--	--	--	विकलांग श्रेणी के 2 उम्मीदवारों (डी पी ए पद के लिए 1 और एल डी सी के लिए 1 विकलांग व्यक्ति) के लिए कर्मचारी चयन आयोग को मांग पहले ही भेज दी गई है।
	समूह 'ग' (एमटीएस)	37	-	1	-	-	-	-	-	विकलांग श्रेणी के 1 उम्मीदवार के लिए कर्मचारी चयन आयोग को मांग पहले ही भेज दी गई है।
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र, कोचीन	समूह क	3	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह ख	24	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह ग	24	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एमईपीजेड, चेन्नई	समूह क	4	केंद्रीय सिविल सेवा (आईएस / आईटीएस / आईआरएस) से प्रतिनियुक्ति पर भरे गए							
	समूह ख	58	प्रतिनियुक्ति एवं संवर्गीकरण पर भरे गए							
	समूह ग	37	0	0	0	1	0	0	0	0
	समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	शून्य	संस्वीकृत स्ट्रेथ में समूह घ का कोई पद नहीं है							
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	शून्य								
कांडला विशेष	समूह क	2	-	-	-	-	-	-	-	-

आर्थिक क्षेत्र, कांडला	समूह ख	7	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह ग	24	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	41	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह क	8	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह ख	26	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह ग	34	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशाखापत्तनम	समूह क	4	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	समूह ख	15	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	समूह ग	13	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, कोलकाता	समूह क	04	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह ख	19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह ग	13	01	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
इंदौर विशेष आर्थिक क्षेत्र, इंदौर	समूह क	2	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य (चूंकि इस कार्यालय में सभी पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जा रहे हैं तथा कोई सीधी भर्ती नहीं होती है)
	समूह ख	13	13	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	समूह ग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा	समूह क	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह ख	22	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह ग	39	-	-	-	-	1	-	-	-
	समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एसईपीजेड	समूह क	5*	-	--	-	-	-	-	-	*प्रतिनियुक्ति

एसईजेड	समूह ख (राजपत्रित)	13*	-	-	-	-	-	-	-	*प्रतिनियुक्ति
	समूह ख (अराजपत्रित)	25(19*)	-	-	-	-	-	-	-	*प्रतिनियुक्ति
	समूह ग	55(1*)	-	-	-	-	--	-	-	*प्रतिनियुक्ति
	समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप जोड़ (क)		838	16	1	0	9	1	0	0	3

वाणिज्य विभाग के अधीन स्वायत्त निकाय एवं वस्तु बोर्ड										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
कॉफी बोर्ड, बंगलौर	समूह क	78	शून्य	-	शून्य	1	शून्य	-	शून्य	शून्य
	समूह ख	138	शून्य	2	शून्य	3	शून्य	1	शून्य	शून्य
	समूह ग	484	शून्य	3	शून्य	4	शून्य	3	शून्य	शून्य
	समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मसाला बोर्ड, कोचीन	समूह क	88	1	शून्य	शून्य	1	1	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह ख	109	शून्य	शून्य	शून्य	3	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह ग	174	शून्य	3	शून्य	3	शून्य	1	शून्य	शून्य
	समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रबर बोर्ड, कोट्टायम	समूह क	234	-	-	-	-	-	-	-	मंत्रालय के पत्र संख्या 5/1004/2015-प्लॉट (समन्वय) दिनांक 22 फरवरी, 2017 के माध्यम से मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी रिक्ति (पदोन्नति या नियुक्ति) को न भरने की हिदायत दी गई है।
	समूह ख	564	-	2	-	6	-	2	-	-
	समूह ग	546	-	2	-	10	-	2	-	-
	समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
तंबाकू बोर्ड, गुंटूर	समूह क	97	शून्य	-	-	-	-	-	-	01
	समूह ख	88	शून्य	-	-	05	-	-	-	-
	समूह ग	289	शून्य	02	-	08	-	01	-	-
	समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
चाय बोर्ड, कोलकाता	समूह क	70	2	0	0	0	0	0	0	-
	समूह ख	130	0	0	0	0	0	0	0	-
	समूह ग	119	0	0	0	1	0	0	0	-
	समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	129	0	0	0	0	0	0	0	-
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भारतीय निर्यात निरीक्षण	समूह क	104	-	-	-	02	-	-	-	-
	समूह ख	34	01	-	-	02	-	-	-	-
	समूह ग	133	-	-	-	02	-	01	-	-

परिषद (ई आई सी), नई दिल्ली	समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए पी ई डी ए)	समूह क	23	0	0	0	1	0	0	0	0
	समूह ख	30	0	0	0	0	0	0	0	3
	समूह ग	31	0	0	0	1	0	0	0	0
	समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
भारतीय पैकेजिंग संस्थान	समूह क	32	0	0	0	0	0	0	0	0
	समूह ख	10	0	0	0	0	0	0	0	0
	समूह ग	42	0	0	0	0	0	1	0	0
	समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	समूह क	67	1 (प्रतिनियुक्ति)	-	-	-	-	-	-	-
	समूह ख	85	1	-	-	-	-	-	-	-
	समूह ग	66	-	1	-	-	-	-	-	1 (एचएच)
	पूर्व समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	21	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली	समूह क	65	15	शून्य	शून्य	01	शून्य	शून्य	शून्य	संस्थान अपनी भर्ती नियमावली में संशोधन कर रहा है। इसलिए सीधी भर्ती के पद तभी भरे जाएंगे जब इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। *संस्थान ने शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी (वीएच) के लिए कनिष्ठ लिपिक के पद को विज्ञापित किया है। भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर ली जाएगी।
	समूह ख	59	1	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	शून्य	
	समूह ग	13	-	शून्य	शून्य*	01	शून्य	शून्य	शून्य	
	समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	
उप योग (ख)		4153	22	15	0	55	1	12	0	5
वाणिज्यिक विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
भारतीय राज्य व्यापार	समूह क	305	2	1	0	7	0	1	0	0
	समूह ख	75	0	1	0	1	0	0	0	संगठन की नीति के अनुसार
	समूह ग	61	0	0	0	1	0	0	0	

निगम (एस टी सी), नई दिल्ली										अनुकंपा आधार पर की गई नियुक्तियों को छोड़कर पिछले लगभग 22 वर्षों से स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन में समूह 'ख' और 'ग' में कोई भर्ती नहीं हुई है।
	समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कारपोरेशन (एम एम टी सी) लिमिटेड, नई दिल्ली	समूह क	388	2	1	-	10	1	3	-	-
	समूह ख	362	-	1	-	7	-	-	-	-
	समूह ग	90	-	-	-	1	-	-	-	-
	समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आई टी पी ओ), नई दिल्ली	समूह क	123	02	-	-	-	-	01	-	01 (एचएच)
	समूह ख	56	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह ग	189	03	-	-	04	-	02	-	01 (वीएच)
	समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	246	-	02	-	02	-	-	-	-
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	36	-	-	-	01	-	-	-	-
प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (पी ई सी) लिमिटेड, नई दिल्ली	समूह क	76* (अन्य संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर समूह क में 01 निदेशक एवं 03 कर्मचारियों सहित)	-	01	-	02	-	-	-	-
	समूह ख	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह ग	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया (ईसीजीसी) लिमिटेड, मुंबई	समूह क	246	0	2	0	5	0	0	0	0
	समूह ख	336	43	3	1	2	1	2	0	0
	समूह ग	18	0	0	0	0	0	0	0	0
	समूह 'घ' (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	6	0	1	0	0	0	0	0	0
	समूह घ (केवल सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप जोड़ (ग)		2727	52	13	1	43	2	9	0	2
कुल योग = वाणिज्य विभाग + पूर्ति प्रभाग +क+ख+ग		8489	141	32	1	111	6	23	0	11

पारदर्शिता, सार्वजनिक सुगमता तथा संबद्ध गतिविधयां



पारदर्शिता, सार्वजनिक सुगमता तथा संबद्ध गतिविधियां

नागरिक चार्टर

वाणिज्य विभाग व्यापार जगत एवं आम जनता के साथ अपने संव्यवहार में निष्ठा और विवेक, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ तथा शिष्टाचार एवं समझ से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। नागरिकों को सभी सेवाएं एवं प्रतिबद्धताएं सबसे प्रभावी एवं कारगर ढंग से प्रदान की जाएंगी।

की प्रक्रियाएं विकसित करने का प्रयास करेगा तथा भूमंडलीकृत एवं उदारीकृत अर्थव्यवस्था के संदर्भ में लागू नियमों के तहत विभिन्न अपेक्षाओं को सरल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने ग्राहक समूहों से निरंतर परामर्श करेंगे और विभाग के लिए संगत कानून एवं प्रक्रियाओं में सभी परिवर्तनों का समय पर प्रचार करेंगे। प्रदान की गई सेवाओं के मानक :-

वाणिज्य विभाग सार्वजनिक लाभ को अधिकतम करने के लिए विदेश व्यापार नीति

क्र. सं.	सेवाएं / लेनदेन	अधिकतम समय सीमा
1.	एमएआई स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए अनुमोदन	ईएंडएमडीए प्रभाग में प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से 90 दिन
2.	निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) के तहत परियोजनाओं के संबंध में वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए अनुमोदन	पूर्ण दस्तावेजों की उपलब्धता और निधियों की उपलब्धता के अधीन पहली किस्त जारी करने के लिए आवेदन की प्राप्ति से 90 दिन।
3.	विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने के लिए अनुमोदन	i. राज्य सरकार की सिफारिशों तथा पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के अंदर मामलों को अनुमोदन बोर्ड (बी ओ ए) के समक्ष रखना, ii. सुरक्षा क्लीयरेंस के अधीन, अनुमोदन बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन के अंदर मंजूरी पत्र जारी करना
4.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 I. सूचना प्रदान करना या आरटीआई अधिनियम, 2005 में निर्दिष्ट किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करना II. आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत की गई अपीलों का निस्तारण	I. आरटीआई अधिनियम, 2005 में निर्धारित समय सीमा के अंदर II. आरटीआई अधिनियम, 2005 में निर्धारित समय सीमा के अंदर
लोक शिकायत तंत्र		
5.	लोक शिकायतों का समाधान	60 दिन* (*पूर्ण ब्यौरों की प्राप्ति तथा शिकायत पर अंतिम निर्णय लेने वाले प्राधिकारी से प्रत्युत्तर प्राप्त होने के अधीन) (# यदि अधिक समय लगने की संभावना होती है, तो शिकायतकर्ता को 60 दिन के अंदर अंतरिम जवाब के माध्यम से सूचित किया जाता है)।
6.	विदेश व्यापार महानिदेशालय आदि द्वारा पारित किए गए सांविधिक आदेशों के विरुद्ध की गई अपीलों पर अपील समिति द्वारा कार्रवाई करने के लिए	3 माह के अंदर टिप्पणी : यह अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों से पूर्ण ब्यौरों / दस्तावेजों की प्राप्ति के अधीन है।

लोक शिकायत

लोक शिकायत प्रकोष्ठ त्वरित निवारण के लिए वाणिज्य विभाग और इसके अधीन कार्यालयों के संबंध में आम जनता से प्राप्त शिकायतों का काम देखता है। सीपीजीआरएएमएस के अनुसार 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 की अवधि के दौरान 4028 शिकायतों का निस्तारण किया गया जिसमें पीएमओ से प्राप्त जन शिकायतें भी शामिल हैं। गेट नंबर 14, उद्योग भवन, नई दिल्ली में सूचना एवं सुविधा काउंटर पर एक शिकायत पेटी रखी गई है।

सतर्कता प्रकोष्ठ

प्रभागीय प्रमुख के रूप में संयुक्त सचिव एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी (जेएस एवं सीवीओ) के साथ विभाग में सतर्कता अनुभाग निम्नलिखित कार्य करता है :

आचरण नियमावली का कार्यान्वयन

वार्षिक संपत्ति विवरणियों की प्रोसेसिंग

सतर्कता संबंधी गतिविधियों पर मुख्य सतर्कता आयोग को मुख्य सतर्कता अधिकारी की मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

कार्मिक विभाग को एक समेकित तिमाही रिपोर्ट भेजने के लिए सतर्कता मामलों की तिमाही सांख्यिकीय रिपोर्ट संकलित करना

आचरण नियमावली के प्रावधान के तहत अनुज्ञप्ति प्रदान करने से संबंधित कार्य

सतर्कता अनुभाग निम्नलिखित गतिविधियों को भी संभालता है :

संवेदनशील कार्यालयों का नियमित एवं औचक निरीक्षण करना

ऐसी प्रक्रियाओं जिनके बारे में लगता है कि उनसे भ्रष्टाचार या कदाचार की गुंजाइश है, और विभाग एवं इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में भ्रष्टाचार एवं कदाचारों को रोकने, उनका पता लगाने के लिए अन्य उपाय शुरू करने तथा भ्रष्ट आचरण के लिए दंड देने की प्रक्रियाओं की समीक्षा करना तथा उनको सरल एवं कारगर बनाना

विभाग में अवांछनीय व्यक्तियों की विजिट / गतिविधियों पर नजर रखना

"संदिग्ध निष्ठा" वाले अधिकारियों की सूची / सहमत सूची तैयार करना और गैर संवेदनशील क्षेत्रों में उनकी तैनाती करना।

वाणिज्य विभाग का सतर्कता अनुभाग भारतीय व्यापार सेवा के अधिकारियों तथा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, स्वायत्त निकायों तथा वस्तु बोर्डों में काम करने वाले बोर्ड स्तर पर नियुक्त व्यक्तियों के अनुशासनिक मामलों को देखता है, जबकि विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, स्वायत्त निकायों तथा वस्तु बोर्डों के गैर बोर्ड स्तरीय कर्मचारियों के मामलों की देखरेख संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारी / संगठन प्रमुखों द्वारा की जाती है।

संबंधित प्रशासनिक प्रभागों / संगठनों से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्टों के आधार पर व्यक्तियों तथा सी बी आई / सी वी सी / पी एम ओ आदि जैसे अन्य संगठनों से प्राप्त शिकायतों की जांच की जाती है। यदि आवश्यक होता है, तो शिकायत के गुण-दोष की जांच पड़ताल करने के लिए प्रारंभिक जांच की जाती है। यदि शिकायत में कोई सच्चाई होती है, तो नियमित विभागीय कार्रवाई की जाती है।

वर्ष 2018-19 के दौरान लगभग 106 अन्वेषण / जांच की गई तथा जांच की इन कार्यवाहियों के आधार पर संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, स्वायत्त निकायों तथा वस्तु बोर्डों एवं वाणिज्य विभाग में लगभग 36 मामलों में छोटे / बड़े दंड लगाए गए।

अधिकारियों एवं कर्मचारियों में जागरूकता सृजित करने के लिए 29 अक्टूबर 2018 से 3 नवंबर 2018 की अवधि के दौरान कार्यशालाओं / संवेदीकरण कार्यक्रमों का आयोजन, शपथ ग्रहण, पंपलेट का निर्गम आदि के माध्यम से सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

पारदर्शिता, सार्वजनिक सुगमता तथा संबद्ध गतिविधियां - सूचना का अधिकार

वाणिज्य विभाग ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को लागू किया है तथा सभी आवश्यक प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को अपनी वेबसाइट पर डाला है।

जो नागरिक आरटीआई आवेदन / अपील जमा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आते हैं उनकी सहायता के लिए, उनसे आवेदन / अपील प्राप्त करने के लिए गेट नंबर 14, उद्योग भवन, नई दिल्ली पर सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। इस समय विभाग ने निदेशक / उप सचिव स्तर के 36 केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) तथा 20 प्रथम अपीली प्राधिकारी (एफएए) हैं, जो अपर सचिव / संयुक्त सचिव के स्तर के अधिकारी हैं जो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दाखिल प्रथम अपील (अपीलों) की सुनवाई करते हैं एवं निस्तारण करते हैं। श्री एच के शर्मा, अतिरिक्त महानिदेशक (एस) को वाणिज्य विभाग के पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

इसके अलावा, वाणिज्य विभाग के क्षेत्राधिकार में 31 लोक प्राधिकारी (पी ए) हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए इन सभी लोक प्राधिकारियों के अपने स्वयं के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीली प्राधिकारी हैं।

अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 की अवधि के दौरान, इस विभाग के विभिन्न केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों / अपीली प्राधिकारियों द्वारा 901 आर टी आई आवेदनों का निस्तारण किया गया तथा 420 आवेदन अन्य लोक प्राधिकारियों को हस्तांतरित किए गए। इसी अवधि के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 69 अपीलों का भी निस्तारण किया गया।

अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 की अवधि के दौरान, इस विभाग के विभिन्न केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों द्वारा 757 आवेदनों का निस्तारण किया गया तथा 362 आवेदन अन्य लोक प्राधिकारियों को हस्तांतरित किए गए। इसी अवधि के दौरान, सूचना का अधिकार

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 98 अपीलों का निस्तारण किया गया।

राजभाषा

राजभाषा प्रभाग हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग की निगरानी करता है तथा विभाग के सरकारी कामकाज में राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिपादित राजभाषा नीति को लागू करता है। 2018-19 के लिए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

हिंदी सलाहकार समिति की बैठक :

विभाग के तथा इसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विभिन्न संगठनों के सरकारी कामकाज में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग की समीक्षा के लिए सभी मंत्रालयों तथा विभागों से हिंदी सलाहकार समिति का गठन करने की अपेक्षा है। इस विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है तथा संकल्प संख्या 110111/4/2009 दिनांक 18 जनवरी 2018 के माध्यम से इसकी अधिसूचना जारी की गई है। माननीय वाणिज्य राज्य मंत्री की अध्यक्षता में 9 जनवरी 2019 को हिंदी सलाहकार समिति की बैठक हुई।

संसदीय राजभाषा समिति :

वर्ष 2018-19 के दौरान संसदीय राजभाषा समिति ने वाणिज्य विभाग के अधीन विभिन्न संगठनों का निरीक्षण किया जिसमें संयुक्त सचिव (राजभाषा प्रभारी) और निदेशक (राजभाषा) या संयुक्त निदेशक (राजभाषा) मौजूद थे। इन बैठकों के दौरान जो आश्वासन दिए गए उन्हें जल्दी से पूरा करने के लिए संबंधित संगठनों को संप्रेषित किया गया।

राजभाषा प्रोत्साहन :

हिंदी पखवाड़ा

1 से 14 सितंबर, 2018 के दौरान विभाग में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस साल 6 प्रतियोगिताओं अर्थात् हिंदी में निबंध लेखन, हिंदी में टिप्पण एवं प्रारूपण, राजभाषा ज्ञान एवं अनुवाद, हिंदी टंकण, हिंदी कविता

पाठ और हिंदी में आशुलेखन का आयोजन किया गया तथा प्रथम पुरस्कार की राशि 2000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार की राशि 1500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए, तृतीय पुरस्कार की राशि 1200 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए और सांत्वना पुरस्कार की राशि 1000 रुपए की गई। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में पूरे मन से भाग लिया। 34 अधिकारियों / कर्मचारियों को कुल 56 पुरस्कार दिए गए।

वार्षिक विशेष प्रोत्साहन योजना :

हिंदी में अपना अधिकतम सरकारी कामकाज करने के लिए अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए “वार्षिक विशेष प्रोत्साहन योजना” शुरू की गई है जिसके तहत 5,000 रुपए (प्रथम), 4000 रुपए (द्वितीय) और 3000 रुपए (तृतीय) का एक नकद पुरस्कार दिया जाता है। इस स्कीम के तहत कुल 60 पुरस्कार (हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए तथा अहिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए) प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2018-19 के दौरान इस योजना के तहत 35 अधिकारियों / कर्मचारियों को पुरस्कार दिए गए।

हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन :

वाणिज्य विभाग में अधिकारियों / कर्मचारियों को हिंदी में अपना आधिकारिक कामकाज करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 16 मई, 5 सितंबर और 23 अक्टूबर 2018 तथा 22 फरवरी 2019 को हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन

वाणिज्य विभाग में सरकारी कामकाज में हिंदी की प्रगति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2018-19 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 3 जुलाई 2018 एवं 28 सितंबर 2018 तथा 2 जनवरी 2019 एवं 27 मार्च 2019 को हुई।

11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भागीदारी

इस साल मारीशस में आयोजित 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में संयुक्त निदेशक एवं सहायक निदेशक (राजभाषा) ने वाणिज्य विभाग का प्रतिनिधित्व किया।

संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों के लिए राजभाषा शील्ड योजना

यह प्रोत्साहन स्कीम कई वर्षों से विभाग में विभाग के संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों के लिए कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के तहत, राजभाषा के क्षेत्र में उनके निष्पादन के लिए कार्यालयों को शील्ड / ट्रॉफी प्रदान की जाती है। उनके द्वारा प्रस्तुत निर्धारित प्रारूप एवं संगत दस्तावेजों के आधार पर एक समिति द्वारा उनके निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है। 'क' क्षेत्र में एमएमटीसी, नई दिल्ली, एसटीसी, नई दिल्ली, पीईसी, नई दिल्ली; 'ख' क्षेत्र में ईसीजीई मुंबई और एसईईपीजेड मुंबई तथा 'ग' क्षेत्र में रबर बोर्ड, कोचीन को शील्ड प्रदान किए गए।

निरीक्षण :

विभाग के अधीन संगठनों में हिंदी के प्रयोग के प्रचार – प्रसार में हुई प्रगति की निगरानी एवं समीक्षा उनकी तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से तथा निरीक्षणों के माध्यम से की जाती है। सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करना। हिंदी प्रभाग के कर्मचारियों / अधिकारियों द्वारा वाणिज्य विभाग के 7 अधीनस्थ कार्यालयों के राजभाषा निरीक्षण किए गए।

पत्राचार :

विभाग राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुपालन का सुनिश्चय करता है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि सभी कागजात / दस्तावेज द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेजी) रूप में जारी किए जाने चाहिए। राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 5 के अनुपालन में हिंदी में प्राप्त पत्रों के जवाब अनिवार्य रूप से हिंदी में दिए जाते हैं। 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों से प्राप्त पत्रों के जवाब भी हिंदी में दिए जाते हैं।

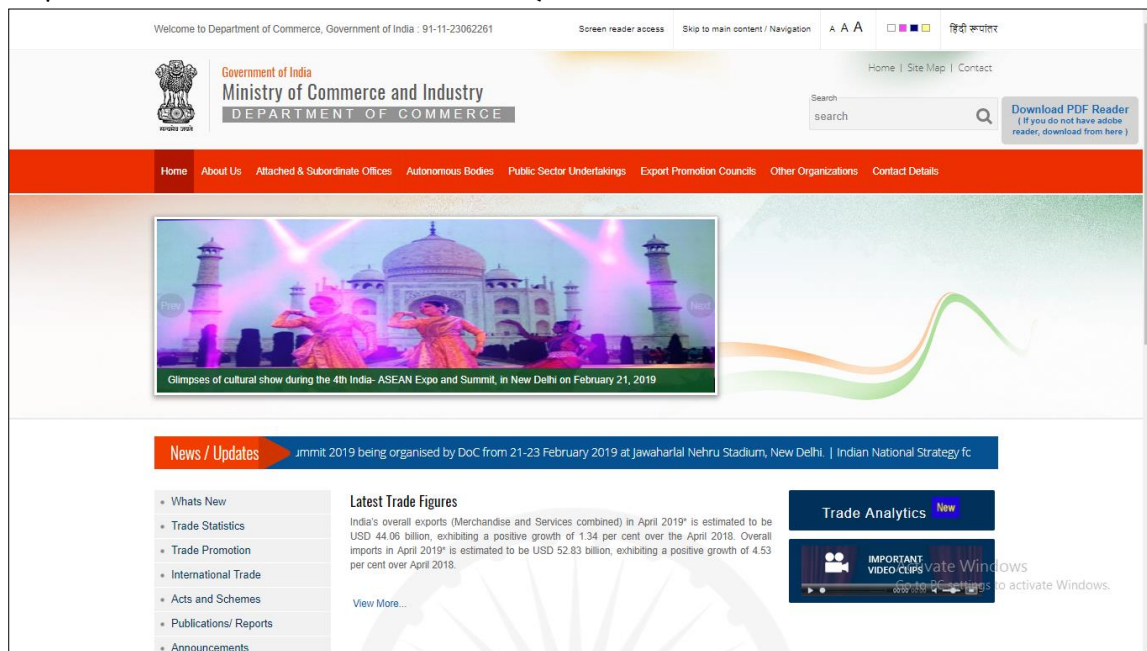
ई-गवर्नेंस

विभाग अधिकतम ई-गवर्नेंस हासिल करने के लिए दक्ष एवं पारदर्शी ढंग से नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने तथा सूचना का प्रसार करने के लिए अपनी विभिन्न प्रक्रियाओं में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के प्रभावी प्रयोग के लिए नियमित रूप से कदम उठा रहा है।

विभाग में डिजिटल प्राप्ति एवं फाइलों के इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट एवं रजिस्ट्री के लिए ई-आफिस सिस्टम को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। इससे कागजी लेनदेन घटा है तथा समय से निस्तारण के लिए बेहतर निगरानी हो रही है। पिछले 10 वर्षों के लिए देश के व्यापार के डाटाबेस के आधार पर भारत के व्यापार के ब्यौरों के प्रसार के लिए वेब आधारित प्रणालियां क्रियाशील हैं।

विभाग में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा इन एप्लीकेशन / डाटाबेस तथा अन्य कार्यालय आटोमेशन एप्लीकेशन का विकास, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण किया गया है।

विभाग के कामकाज, इसकी विभिन्न गतिविधियों एवं समारोहों के बारे में नवीनतम सूचना प्रदान करने के लिए विभाग की वेबसाइट (<https://commerce.gov.in>) को नियमित रूप से अपडेट किया जा रहा है। यह वैश्विक प्रयोक्ताओं को देश के व्यापार से संबंधित नवीनतम सूचना प्रदान करने के लिए विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण जी2सी इंटरफेस है। इसमें भारत की नवीनतम व्यापार सांख्यिकी, व्यापार संवर्धन की गतिविधियां, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मुद्दे जैसे कि भारत एवं डब्ल्यूटीओ तथा व्यापार करार आदि शामिल हैं।



वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ हाई स्पीड लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) और वाइड एरिया नेटवर्क (वैन) क्रियाशील हैं तथा राष्ट्रव्यापी एनआईसी नेटवर्क (निकनेट) के माध्यम से विभाग के लिए 24 x 7 ईमेल, इंटरनेट / इंटरनेट प्रचालन के लिए एनआईसी द्वारा इनका अनुरक्षण किया जा रहा है। विभाग के कर्मचारियों एवं आंतरिक प्रयोक्ताओं को ई-गवर्नेंस एवं कार्यालय आटोमेशन के विभिन्न

एप्लीकेशन के लिए एकल खिड़की अक्सेस प्रदान करने के लिए एक इंटरनेट पोर्टल क्रियाशील है तथा एन आई सी द्वारा इसका अनुरक्षण किया जा रहा है।

लागत प्रभावी उपायों में से एक के रूप में, विभाग ने निकनेट पर वीडियो कन्फ्रेंस के माध्यम से नियमित रूप से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। जनवरी 2018 से मार्च 2019 के

दौरान ऐसी 108 बैठकों का आयोजन किया गया।

विदेश स्थित भारतीय मिशनों / पोस्टों में वाणिज्यिक प्रकोष्ठ (टीए / टीसी अनुभाग)

विदेश स्थित भारतीय मिशनों / पोस्टों में 66 औपचारिक वाणिज्यिक प्रकोष्ठ काम कर रहे हैं जो वाणिज्य विभाग के बजट से वित्त पोषित हैं। यूनिट के रूप में काम करने वाले ये वाणिज्यिक प्रकोष्ठ भारतीय मिशनों से संबद्ध हैं। इनमें विश्व व्यापार संगठन, में स्थायी भारतीय मिशन तथा ब्रुसेल्स में विभाग का मिशन शामिल हैं। इसके अलावा, वाणिज्यिक एवं आर्थिक कार्य करने के लिए या व्यापार संवर्धन की गतिविधियां संचालित करने के लिए स्थानीय विपणन सहायक नियुक्त करने के लिए 39 अन्य भारतीय मिशनों को वाणिज्यिक बजट प्रदान किया गया है।

विदेश स्थित हमारे मिशनों के वाणिज्यिक प्रकोष्ठ संबंधित मेजबान देश के साथ भारत के व्यापार से संबंधित विभिन्न कार्यों को निष्पादित करने में वाणिज्य विभाग के विस्तार केंद्र के रूप में काम करते हैं। इसके तहत निम्नलिखित शामिल हैं :

- i) सूचना एवं विपणन आसूचना जिसमें अन्य बातों के साथ व्यापार, आर्थिक एवं निवेश सूचना का संग्रहण एवं पारेषण; आर्थिक, वाणिज्यिक एवं व्यापार नीति की घटनाओं की निगरानी; दोनों देशों में सरकार के स्तर पर तथा कारोबारी समुदायों के स्तर पर द्विपक्षीय आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों की निगरानी; बाजार अनुसंधान, सर्वेक्षण तथा चल रहे व्यापार का समालोचनात्मक विश्लेषण शामिल है;
- ii) व्यापार एवं निवेश संवर्धन जिसमें अन्य बातों के साथ व्यापार एवं निवेश से संबंधित पूछताछ के जवाब देना, माल व्यापार का संवर्धन, निवेश एवं संयुक्त उद्यमों का संवर्धन तथा व्यापार से संबंधित विवादों के

समाधान में सहायता प्रदान करना शामिल है।

- iii) व्यापार एवं आर्थिक चर्चा जिसमें अन्य बातों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंध पर अनुवर्ती कार्रवाई, परियोजना निर्यात एवं सेवाओं का संवर्धन, ब्रांड / बाजार संवर्धन, भारत के व्यापार एवं निवेश पर बल के साथ बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय संस्थाओं से संबंधित नई रूझानों का विश्लेषण आदि शामिल हैं।

इन वाणिज्यिक प्रकोष्ठों को सुदृढ़ करने तथा उनकी गतिविधियों में वृद्धि करने के लिए इन कार्यालयों के लिए बजटीय आवंटन को समय – समय पर बढ़ाया गया है। व्यापार आयुक्त शीर्ष के तहत बजट प्रावधान 2014-15 के बजट अनुमान में 134.55 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2018-19 के बजट अनुमान में 179.59 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

समय-समय पर वाणिज्यिक प्रकोष्ठों के कामकाज की समीक्षा की जाती है। प्रमुख बाजारों में देश के वाणिज्यिक हितों को आगे बढ़ाने तथा स्थान विशिष्ट एवं आवश्यकता आधारित जनशक्ति तैनात करने के लिए वाणिज्यिक प्रकोष्ठों के सुदृढीकरण की कवायद चल रही है। वाणिज्य विभाग वाणिज्यिक प्रतिनिधियों / व्यापार आयुक्त द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए एक मूल्यांकन रूपरेखा तथा विदेश स्थित मिशनों / पोस्टों द्वारा वाणिज्य विभाग को डाटा भेजने के लिए एक वेब आधारित प्रणाली तैयार कर रहा है जिसमें वाणिज्यिक प्रकोष्ठों के लिए रिपोर्टिंग के संशोधित प्रोफार्मा को अंतिम रूप दिया गया है। इस प्रयोजन के लिए नेशनल इनफार्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक (एनआईसीएसआई) के यहां पैनल में शामिल एक एजेंसी की पहचान की गई है तथा एनआईसीएसआई को 13.76 लाख रुपए की निधियां जारी की गई हैं। उम्मीद है कि अगले 6 माह में प्रणाली क्रियाशील हो जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय लैंडस्केप को परिवर्तित करने में वाणिज्यिक प्रतिनिधियों (सीआर) की क्षमता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वाणिज्य विभाग

विदेश सेवा संस्थान (एफएसआई), नई दिल्ली में वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण सत्रों के आयोजन के लिए विदेश मंत्रालय से अनुरोध करता है तथा एफएसआई के माध्यम से वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के लिए समय समय पर क्षेत्रवार प्रशिक्षण सत्र की योजना भी तैयार की जाती है। वर्ष 2018-19 के दौरान यूरोप एवं खाड़ी क्षेत्र, पश्चिम एशिया,

उत्तरी अफ्रीका, यूरेशिया तथा दक्षिण एशिया के लिए क्रमशः 25 से 29 जून 2018 और 12 से 16 नवंबर 2018 के दौरान एफएसआई में वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के लिए 2 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जून एवं नवंबर 2018 में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में क्रमशः 17 और 15 वाणिज्यिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सिविल पैरा की सूची
वर्ष 2006 से विभिन्न रिपोर्टों में शामिल लेखा परीक्षा टिप्पणियों के संबंध में स्थिति / की गई कार्रवाई

क्र. सं.	पैरा संख्या और रिपोर्ट	पैरा का सार	पैरा की स्थिति
सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क मुद्दे - ईओयू / एसईजेड			
1	2013 की रिपोर्ट संख्या 8	सीएसटी की प्रतिपूर्ति	14 अगस्त, 2018 को एपीएमएस पोर्टल पर अंतिम एटीएन अपलोड किया गया है।
2	2014 का 21	विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)	(i) कैग की संशोधित टिप्पणियां 4 दिसंबर 2018 को प्राप्त हुईं। कैग ने 82 में से 74 पैराओं पर वाणिज्य विभाग की टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया है। (ii) कैग ने सीबीडीटी से संबंधित दो पैरा और वाणिज्य विभाग से संबंधित 6 पैराओं पर संशोधित टिप्पणियां प्रदान करने का अनुरोध किया है। (iii) इसके अलावा कैग ने 5 पैराओं पर अंतिम परिणाम के लिए अनुरोध किया है। (iv) सीबीडीटी / क्षेत्रीय विकास आयुक्तों से 10 जनवरी 2019 को संशोधित टिप्पणियां प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिसके बाद अनुस्मारक दिनांक 4 फरवरी 2019 और 19 फरवरी 2019 भेजे गए हैं। केएसईजेड तथा एमईपीजेड, एसईजेड, एनएसईजेड तथा फाल्टा एसईजेड से जवाब प्राप्त हो गए हैं। सीएसईजेड, वीएसईजेड तथा एसईईपीजेड से जवाब की प्रतीक्षा है जिसके लिए दिनांक 8 मार्च 2019 को अनुस्मारक भेजा गया है।
सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क - डीजीएफटी			
1	2008 का सीए 6 (अध्याय IV)	केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और सीमा शुल्क	टिप्पणी दिनांक 7 मार्च 2019 के माध्यम से कैग ने पैरा 4.7.2.4 के संबंध में आरए, अहमदाबाद से दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। कैग को भेजने के लिए आरए, अहमदाबाद से 14 मार्च 2019 को दस्तावेज भेजने के लिए कहा गया है।
2	2009-10 का पीए 15	अध्याय 71 के तहत वस्तुओं का आयात	18 जनवरी, 2019 को एपीएमएस पोर्टल पर अंतिम एटीएन अपलोड किया गया है।
3	2013 का पीए 8 (अध्याय I)	मानित निर्यात ड्राबैक स्कीम	8 क्षेत्रीय कार्यालयों / डीजीएफटी से प्राप्त संशोधित एटीएन कैग को भेजे गए हैं। 13 आरए तथा 2 एसईजेड से जवाब की प्रतीक्षा है। मामले को बंद करने के लिए कैग द्वारा अपेक्षित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए 6 दिसंबर 2018 को एफएसईजेड से अनुरोध किया गया। बंगलौर, हैदराबाद, पुणे तथा फाल्टा एसईजेड से प्राप्त जवाब 27 दिसंबर 2018 को कैग को भेजे गए हैं। पत्र दिनांक 16 जनवरी 2019 के माध्यम से कैग ने पैराओं के तीन समूह के संबंध में स्पष्टीकरण / संशोधित एटीएन प्रदान करने का अनुरोध किया है। 27 फरवरी 2019 को कैग को प्राप्त जवाब भेजे गए। पैरा न्यायाधीन है।

4	2014 का 12 (2.4 से 2.19)	प्रचार के उपाय (फोकस उत्पाद स्कीम)	15 मार्च 2019 को कैग ने सूचित किया कि एटीएन का फील्ड सत्यापन किया जा रहा है।
5	2015 का 8 (7.20 से 7.23)	अतिथि सत्कार क्षेत्र द्वारा निवल विदेशी मुद्रा अर्जन की प्राप्ति	3 जनवरी 2019 को और फिर 13 फरवरी 2019 को एपीएमएस पोर्टल पर पैरा 7.20.1 के लिए एटीएन अपलोड किया गया। अंतिम स्वीकृति के लिए कैग के पास लंबित है। कैग ने सभी अन्य पैराओं को मंजूर कर लिया है।
6	2015 का 8 (पैरा 8)	विदेश व्यापार महानिदेशालय की ईडीआई लेखा परीक्षा प्रणाली की लेखा परीक्षा	कैग ने 8.5.10 के संबंध में 172 मामलों की पहचान की है। कैग को 168 मामलों के संबंध में एटीएन भेजे गए हैं। सीएलए, दिल्ली ने 15 मार्च 2019 को समर्थक दस्तावेजों तथा अन्य बयौरों के साथ दो मामलों के संबंध में एटीएन भेजा था। यह 20 मार्च, 2019 को कैग को भेज दिया गया है। कैग ने आरए चेन्नई के संबंध में स्पष्ट एटीएन प्रदान करने का अनुरोध किया है। आरए चेन्नई से 20 मार्च 2018 को स्पष्ट प्रति भेजने के लिए अनुरोध किया गया है। कैग ने 5 फरवरी 2019 को सूचित किया है कि एटीएन का फील्ड सत्यापन किया जा रहा है। लेखा परीक्षा की टिप्पणियां यथासमय भेजी जाएंगी।
7	2016 का 5 (5.6)	पहले ही जीरो ड्यूटी ईपीसीजी जारी की चुकी कंपनियों को एसएचआईएस ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप का प्रदान किया जाना और विलोमतः	11 अक्टूबर 2018 को एपीएमएस पोर्टल पर टिप्पणियों के माध्यम से कैग ने सूचित किया है कि एटीएन का फील्ड सत्यापन किया जा रहा है तथा टिप्पणियां यथासमय प्रस्तुत की जाएंगी।

क्र. सं.	पैरा संख्या और रिपोर्ट	पैरा का सार	पैरा की स्थिति
8	2017 का 1 4.1.1 से 4.1.5	विभिन्न तिथियों वाले स्क्रिप (लाइसेंस) का पुनः पंजीकरण करके ड्यूटी क्रेडिट का उपयोग	राजस्व आसूचना निदेशालय ने पत्र दिनांक 13 मार्च 2018 के माध्यम से लेखा परीक्षा के प्रेक्षण के संदर्भ में जांच के बारे में सूचना प्रदान की है। 5 आरए (मुंबई, नई दिल्ली, जयपुर, राजकोट, वड़ोदरा) के संबंध में उनके द्वारा 18 लाइसेंस के ब्यौरे मंगाए गए हैं जो मुख्य आयुक्त, मुंबई क्षेत्र 2 के कार्यालय को भेजे जाने हैं। जांच के स्टेटस का सुनिश्चय करने के लिए 16 मई 2018 को राजस्व विभाग को पत्र भेजा गया। 14 जून 2018, 20 जुलाई 2018 एवं 10 अगस्त 2018 को और पुनः 16 अक्टूबर 2018 को अनुस्मारक भेजे गए। मुंबई और राजकोट से पत्र दिनांक 31 दिसंबर 2018 के माध्यम से मुख्य आयुक्त, मुंबई क्षेत्र 2 को सूचना प्रदान करने के लिए कहा गया था तथा मुंबई ने 3 जनवरी 2019 को सूचित किया कि उन्होंने सूचना भेज दी है। 1 फरवरी 2019 और 13 फरवरी 2019 को सूचना भेजने के लिए राजकोट को अनुस्मारक जारी किया गया। आरए राजकोट से 21 फरवरी 2019 को जवाब प्राप्त हुआ तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए 27 फरवरी 2019 को कैग / राजस्व आसूचना निदेशालय को भेजा गया।
9	2017 का 41 2.6.1 (डीएपी 100)	निर्यात के ब्यौरों का सत्यापन न किए जाने के कारण ड्यूटी क्रेडिट से अधिक अनुदान	20 मार्च 2019 को पोर्टल पर टिप्पणियों के माध्यम से कैग ने फिनिक्स ओवरसीज लिमिटेड के संबंध में एससीएन का सही स्टेटस प्रदान करने का अनुरोध किया था। यह 22 मार्च 2019 को आरए कोलकाता से मंगाया गया है। एटीएन फार्मेट में जवाब कैग को 28 मार्च, 2019 को भेज दिया गया।
सिविल पैरा की स्थिति - ईआईसी / अपेडा			
1	2015 का 18 (2.2)	सेवा कर का संग्रह नहीं होने के कारण परिहार्य व्यय	केंद्रीय बिक्री कर अधिकरण के पास विचाराधीन है।
2	2015 का 18 अध्याय IV (4.1)	अपेडा द्वारा अपने वित्तीय हितों की रक्षा न करने के कारण नुकसान	20 फरवरी, 2019 को कैग को संशोधित टिप्पणियां भेजी गई हैं। कैग से जवाब प्राप्त हो गया है तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए अपेडा को भेजा गया है।
बकाया सीएंडएजी की सूची (वाणिज्यिक) के पैराग्राफ - एफटी (एसटी)			
1	4.3.1 (2010 का 9)	एसटीसीएल लिमिटेड से संबंधित व्यवसाय सहयोगियों के साथ संविदा करने और कार्यान्वित करने में आंतरिक नियंत्रणों की व्यवस्था करने में विफलता।	लेखा परीक्षा कार्यालय ने मंत्रालय द्वारा भेजे गए एटीएन पर विवक्षा अभ्युक्तियां भेजी है। लेखा परीक्षा कार्यालय ने अपने पत्र दिनांक जून 2012 के माध्यम से कहा है कि चूंकि मामला विचाराधीन प्रकृति का है, इसलिए अंतिम निर्णय तक एटीएन को रोक कर रखा जाए। वाणिज्य विभाग ने दिनांक 2 जुलाई, 2012 के पत्र द्वारा अनुस्मारक मामलों के शीघ्रनिपटान के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ मामले को उठाने के लिए एसटीसीएल को निदेश दिया है। पत्र दिनांक 27 जून, 2016 के माध्यम से लेखा परीक्षा को इस मामले में अद्यतन स्थिति के बारे में सूचित किया गया है। स्थाई लेखा परीक्षा समिति की 6वीं बैठक की सिफारिश के अनुसार, पत्र

क्र. सं.	पैरा संख्या और रिपोर्ट	पैरा का सार	पैरा की स्थिति

			दिनांक 2 सितंबर, 2016 के माध्यम से एसटीसीएल से मामले को जल्दी से अंतिम रूप देने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से उठाने का अनुरोध किया गया है। लेखा परीक्षा को अद्यतनीकृत वर्तमान स्थिति रिपोर्ट 07 सितंबर, 2018 को भेजी गई।
2	4.1 (2011-12 का सीए 3)	लौह अयस्क व्यवसाय क्षेत्र - एसटीसीएल लिमिटेड	लेखा परीक्षा कार्यालय ने मंत्रालय द्वारा भेजे गए एटीएन पर विवक्षा अभ्युक्तियां भेजी है। लेखा परीक्षा कार्यालय ने अपने पत्र दिनांक 28 मई, 2012 के माध्यम से कहा है कि चूंकि मामला विचाराधीन प्रकृति है इसलिए अंतिम निर्णय होने तक एटीएन को रोक कर रखा जाए। वाणिज्य विभाग ने दिनांक 2 जुलाई, 2012 के पत्र द्वारा और 2 मई, 2013 के अनुस्मारक द्वारा मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ मामले को उठाने के लिए एसटीसीएल को निदेश दिया है। पत्र दिनांक 27 जून, 2016 के माध्यम से लेखा परीक्षा को इस मामले में अद्यतन स्थिति के बारे में सूचित किया गया है। स्थाई लेखा परीक्षा समिति की 6वीं बैठक की सिफारिश के अनुसार, पत्र दिनांक 2 सितंबर, 2016 के माध्यम से एसटीसीएल से मामले को जल्दी से अंतिम रूप देने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से उठाने का अनुरोध किया गया है। लेखा परीक्षा को अद्यतनीकृत वर्तमान स्थिति रिपोर्ट 07 सितंबर, 2018 को भेजी गई।
3	4.1 (2012 का 8)-13 (नया परिवर्धन)	एक व्यवसाय सहयोगी को निधियां जारी करने में अनियमितता	एसटीसीएल ने संशोधित एटीएन प्रस्तुत किया जो 25 मार्च, 2013 को लेखा परीक्षा कार्यालय को अग्रेषित किए गए। लेखा परीक्षा ने कहा है कि चूंकि मामले विचाराधीन हैं और धनराशि अभी वसूल की जानी है इसलिए प्रस्ताव है कि मामले में अंतिम निर्णय होने तक एटीएन को रोक कर रखा जाए। वाणिज्य विभाग ने मामलों को शीघ्रता से अंतिम रूप देने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को राजी करने के लिए एसटीसीएल को निदेश दिया है। पत्र दिनांक 27 जून, 2016 के माध्यम से लेखा परीक्षा को इस मामले में अद्यतन स्थिति के बारे में सूचित किया गया है। स्थाई लेखा परीक्षा समिति की 6वीं बैठक की सिफारिश के अनुसार, पत्र दिनांक 2 सितंबर, 2016 के माध्यम से एसटीसीएल से मामले को जल्दी से अंतिम रूप देने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से उठाने का अनुरोध किया गया है। लेखा परीक्षा को अद्यतनीकृत वर्तमान स्थिति रिपोर्ट 07 सितंबर, 2018 को भेजी गई।

4	4.2 (2018 का 11) 7 अगस्त 2018 को रिपोर्ट पटल पर रखी गई।	संविदा की निष्प्रभावी निगरानी की वजह से देयों की वसूली न होना। प्रबंधन की ओर से मालगोदाम में भंडारित सामग्री की निष्प्रभावी निगरानी तथा बंधक रखे गए माल को कुर्क करने में निष्प्रभावी निर्णय तथा पोस्ट डेटेड चेक को भुनाने में विलंब से कार्रवाई के कारण 10 नवंबर 2017 तक 7.29 करोड़ रुपए के ब्याज के अलावा पीएफसी को 11.21 करोड़ रुपए की निधियों के अवरुद्ध होने का नुकसान उठाना पड़ा।	पत्र दिनांक 12 नवंबर, 2018 के माध्यम से लेखा परीक्षा को एटीआर भेजा गया। कैग द्वारा अग्रेतर अभ्युक्तियों के लिए एटीएन लौटा दिया गया है। पत्र दिनांक 2 जनवरी 2019 के माध्यम से पीईसीएल से नई टिप्पणियां प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। पीईसीएल से जवाब की प्रतीक्षा है।

बकाया सीएंडएजी की सूची (वाणिज्यिक) के पैराग्राफ - एमएमटीसी

1.	4.1 (2018 का 11) 7 अगस्त 2018 को रिपोर्ट पटल पर रखी गई।	निदेशकों की क्रियाशील प्रबंध समिति के निदेशों का पालन न करने के कारण नुकसान। एमएमटीसी ने विदेशी आपूर्तिकर्ता को इंडेंट देने से पूर्व क्रेताओं के साथ समझौता ज्ञापन करने के लिए सितंबर 2013 में एमएमटीसी के निदेशकों की क्रियाशील प्रबंध समिति के निदेशों का पालन किए बगैर मैसर्स यूएमके, दक्षिण अफ्रीका से मई 2014 में 4439 मीट्रिक टन मैगनीज अयस्क का आयात किया। चूंकि एमएमटीसी ने प्रतिबद्ध क्रेता प्राप्त नहीं किया, इसलिए 14 माह तक अयस्क के काफी अंश की बिक्री नहीं हो सकी और इसके बाद सामग्री के क्रय मूल्य से लगभग आधी कीमत पर इसे बेचा गया। इस प्रकार एमएमटीसी को 6.60 करोड़ रुपए का निवल नुकसान हुआ।	स्वीकृति तथा पैरा को छोड़ने के लिए लेखा परीक्षा को कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) भेजी गई। कैग द्वारा अग्रेतर अभ्युक्तियों के लिए एटीएन लौटा दिया गया है। पत्र दिनांक 10 दिसंबर 2018 के माध्यम से एमएमटीसी से नई टिप्पणियां प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। एमएमटीसी से जवाब की प्रतीक्षा है।

विभिन्न रिपोर्टों में दी गई लेखा परीक्षा टिप्पणियों पर स्थिति / की गई कार्रवाई

क्र. सं.	वर्ष	पैरा संख्या / पीए रिपोर्ट जिन पर पी ए सी को लेखा परीक्षा द्वारा विधीक्षा के बाद ए टी एन सौंपा गया है	पैरा / पीए रिपोर्ट का ब्यौरा जिन पर ए टी एन लंबित है				अन्य कारणों से लंबित एटीएन की संख्या (विचाराधीन)
			ए टी एन की संख्या जो मंत्रालय द्वारा पहली बार भी नहीं भेजे गए हैं	ऐसे ए टी एन की संख्या जो लेखा परीक्षा के पास लंबित हैं	ऐसे एटीएन की संख्या जो भेजे गए लेकिन टिप्पणियों के साथ वापस लौटा दिए गए और मंत्रालय द्वारा जिनके पुनः प्रस्तुत किए जाने का लेखा परीक्षा द्वारा प्रतीक्षा की जा रही है	निगरानी प्रकोष्ठ / पीएसी शाखा (लोक सभा) को भेज दिया गया है।	
	2008	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के मुद्दे	----	----	1	--	--
	2009	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के मुद्दे	----		--	1	--
	2010	वाणिज्यिक	--	--	--	--	1
	2012	वाणिज्यिक	--	--	--	--	1
	2013	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क	--	1	--	--	1
		वाणिज्यिक	--	--	----	--	1
6.	2014	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क	----	1	1	----	----
7.	2015	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क	--	2	--	--	--
		सिविल	----	----	----	--	1
		वाणिज्यिक	--	----	----	--	--
8.	2016	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क	----	1	--	--	--
		वाणिज्यिक	----	--	--	--	--
9.	2017	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क	----	2		--	----
		सिविल	----	----	--	--	--
		वाणिज्यिक	--	--	--	--	----
10.	2018	सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क	----	----	----	----	----
		सिविल	--		1	----	----
		वाणिज्यिक	----		2	----	----
		पी ए सी	----	----	----	----	----
		कुल-18		07	5	1	5

2018 की विभिन्न रिपोर्टों में लेखा परीक्षा की टिप्पणियों का सारांश

क्र. सं.	पैरा / रिपोर्ट संख्या	पैरा / स्थिति का सार	लेखा परीक्षा की टिप्पणियां
1.	2018 का 4 पैरा नंबर 4.1	अपेडा द्वारा अपने वित्तीय हितों की रक्षा न करने के कारण नुकसान स्थिति : 8 जनवरी, 2019 को कैग को अंतिम एटीएन भेज दिया गया है।	सहायता अनुदान जारी करते समय विभिन्न एजेंसियों के साथ किए गए एमओयू में ब्याज एवं अर्थ दंड लगाने के लिए प्रावधान को शामिल न करने तथा एजेंसियों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता के लिए बैंक गारंटी पर जोर न देने और अपर्याप्त निगरानी के कारण कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को 3.31 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
2	2018 का 4 पैरा नंबर 4.2	सावधि जमा में निवेश करने की बजाय बचत बैंक खाते में निधियों को निष्क्रिय रखकर भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद की केन्द्रीय निधि के अविवेकपूर्ण प्रबंधन से अक्टूबर 2014 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान 13.76 करोड़ रुपए ब्याज का नुकसान हुआ। स्थिति : 8 अक्टूबर 2018 को आडिट पैरा का निस्तारण हो गया है।	भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद, कोलकाता द्वारा सावधि जमा में निवेश करने की बजाय बचत बैंक खाते में निधियों को रखने से अक्टूबर 2014 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान 13.76 करोड़ रुपए के ब्याज का नुकसान हुआ।
3	2018 का 11 पैरा नंबर 4.2	संविदा की निष्प्रभावी निगरानी से देयों की वसूली नहीं हुई। स्थिति : कैग द्वारा अग्रेतर अभ्युक्तियों के लिए एटीएन लौटा दिया गया है। पत्र दिनांक 2 जनवरी 2019 के माध्यम से पीईसी से नई टिप्पणियां प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। पीईसी से जवाब की प्रतीक्षा है।	प्रबंधन की ओर से मालगोदाम में भंडारित सामग्री की निष्प्रभावी निगरानी तथा बंधक रखे गए माल को कुर्क करने में निष्प्रभावी निर्णय तथा पोस्ट डेटेड चेक को भुनाने में विलंब से कार्रवाई के कारण 10 नवंबर 2017 तक 7.29 करोड़ रुपए के ब्याज के अलावा पीएफसी को 11.21 करोड़ रुपए की निधियों के अवरुद्ध होने का नुकसान उठाना पड़ा।
4	2018 का 11 पैरा नंबर 4.1	निदेशकों की क्रियाशील प्रबंध समिति के निदेशों का पालन न करने के कारण नुकसान। स्थिति : कैग द्वारा अग्रेतर अभ्युक्तियों के लिए एटीएन लौटा दिया गया है। पत्र दिनांक 10 दिसंबर 2018 के माध्यम से एमएमटीसी से नई टिप्पणियां प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। एमएमटीसी से जवाब की प्रतीक्षा है।	एमएमटीसी ने विदेशी आपूर्तिकर्ता को इंडेंट देने से पूर्व क्रेताओं के साथ समझौता ज्ञापन करने के लिए सितंबर 2013 में एमएमटीसी के निदेशकों की क्रियाशील प्रबंध समिति के निदेशों का पालन किए बगैर मैसर्स यूएमके, दक्षिण अफ्रीका से मई 2014 में 44390 मीट्रिक टन मैगनीज अयस्क का आयात किया। चूंकि एमएमटीसी ने प्रतिबद्ध क्रेता प्राप्त नहीं किया, इसलिए 14 माह तक अयस्क के काफी अंश की बिक्री नहीं हो सकी और इसके बाद सामग्री के क्रय मूल्य से लगभग आधी कीमत पर इसे बेचा गया। इस प्रकार एमएमटीसी को 6.60 करोड़ रुपए का निवल नुकसान हुआ।



भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग